Approved by UGC
Regd. No. 21747

Indexed : IIJIF, I2OR & SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Year-VII No. XXII January-March 2017

Editor

Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors

Dr. Santosh Kumar Tripathi *Dr. Purusottam Lal Vijay*

Regd. No. 21747 ISSN 2277-2014
Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471

Research Discourse

An International refereed research Journal

Year-VII No. XXII January-March 2017

Editor
Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors
Dr. Santosh Kumar Tripathi ***Dr. Purusottam Lal Vijay***

Published by :
South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Patron
Dr. Lalji Tripathi, Ex. Principal, Mariahu P.G. College, Mariahu, Jaunpur, U.P.
Ex. Prof. Gurudin, M.G.K.V.P., Varanasi, U.P.

International Editorial Board
Anna Malingdog, Asst. Prof., Deptt. of Political Science, De La Salle University, Manila, Philippines
Abdul Qayyum, Pakistan

National Editorial Board
Prof. Munnilal, Deptt. of Economics, MGKVP, Varanasi, U.P.
Prof. Rekha, Deptt. of Sociology, MGKVP, Varanasi, U.P.
Ex. Prof. Shri Bhagwan Rai, Deptt. of Commerce, BHU, Varanasi, U.P.
Dr. Deenbandu Tiwari, Associate Prof., Deptt. of Sociology, LBS PG College, Varanasi, U.P.
Dr. Rajneesh, Asst. Prof. Deptt. of Sociology, SSSVS Govt. PG College, Chunar, U.P.
Dr. Anju Sihare, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, Govt. Chhatrasal College, Pichore, M.P.
Dr. Ramesh Kumar, HOD, Deptt. of Political Science, S.D. College, Ambala, Hariyana.
Dr. R. Panneerselvam, Assistant Professor, History Wing, DDE, Annamalai University, Annamalai Nagar, Tamilnadu
Dr. Anjaneya Pandey, HOD, Deptt. of English, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Kaushal Kishor, Asst. Prof. in Socoilogy & Anthropology, A.N. Sinha Institute of Social Studies, Patna, Bihar
Dr. Reeta, Asst. Prof., Deptt. of Commerce, Gangapur Compus, MGKVP, Varanasi, U.P.
Dr. Sanjay Kumar Tiwari, Asst. Prof., Deptt. of Philosophy, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Mr. Surendra Pratap Singh, Asst. Prof., Deptt. of Hindi, MGKVP, Varanasi, U.P.

Advisory Board
Prof. Sushil Kumar Gautam, Head Deptt. of Phy. Edu., MGKVP, Varanasi, U.P.
Ex. Prof. Renuka Kumari Sinha, Ex. HOD, Deptt. of Psychology, J.P. University, Bihar.
Dr. Rakesh Kumar Maurya, Principal, R.D.P.G. College, S.R.N. Bhadohi, U.P.
Dr. Anurag Mishra, Asst. Prof., Deptt. of Pol. Sci., Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Durgeshwari Pandey, Asst. Prof., Deptt. of Sociology, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Brejesh Kumar Shukla, Asst. Prof., Deptt. of English, Mariahu P.G. College, Jaunpur, U.P.
Dr. Rajiv Dube, Professor, Deptt. of Business Economics, Awadhesh Pratap Singh University, Rewa, M.P.
Dr. Amjad Ali Siddiqui, Asst. Prof., MOHD PG College, Jaunpur, U.P.
Miss. Anajana Verma, Asst. Prof., Deptt. of History, MGKVP, Varanasi, U.P.
Dr. Chiranjeev Kumar Thakur, DLW, Varanasi, U.P.
Dr. Dhananjay Sharma, Govt. P.G. College, Bageshwar, Uttarakhad
Dr. C.P. Dubey, Asst. Prof., M.P.G. College, Jaunpur, U.P.
Mr. Anant Singh Jeliyang, Guest Faculty, Department of Sociology, Jagat Taran Girls Degree College, Allahabad, U.P.

© Editor

Price : ₹ 1000/-

Published by :
South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund
Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Website : www.researchdiscourse.com
Email : researchdiscourse2012@gmail.com, Mob. 09453025847, 8840080928
Research Discourse : An International refereed research Journal, Published Quarterly

---

Note: ***Scholars will be answerable to the contents of their articles.***
All disputes and complaints are subject exclusively to the Jurisdication of the courts/tribunals/forums at Varanasi Only.

lEikndh;

आज दलितों का एक बहुत बड़ा वर्ग धर्मान्तरण से समस्याओं के समाधान का पहल कर रहा है। वस्तुतः इस घटना से समाज में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा है। क्योंकि समाज के परम्परागत ढाँचे में जातियों का संबंध आजीविका से रहा है। दलित की इसलिए दयनीय स्थिति है क्योंकि उनकी जीविका दयनीय स्तर की है। अधिकांश दलितों के धर्म परिवर्तन कर लेने के बाद भी दलित की सामाजिक पहचान में परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि उसकी जीविका नहीं बदलती है।

डॉ0 अंबेडकर ने जब 1956 में धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म अपनाया तो यह हिंदू धर्म से उनका प्रतिशोध नहीं था, वे स्वयं निरीश्वरवादी थे और आत्मा–परमात्मा से उन्हें कोई मतलब नहीं था। लेकिन वे मानते थे कि सत जीवन के लिए कोई न कोई जीवन संहिता चाहिए। मनुष्य की आध्यात्मिक तृषा की तृप्ति धर्म से ही हो सकती है। उन्हें अपने लिए और अपने लोगों के लिए एक ऐसे धर्म की तलाश थी, जो विषमता, अन्याय और जुल्म पर आधारित हो, जिसमें हर आदमी स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का अनुभव कर सके। बौद्ध धर्म ऐसा ही है।

प्रस्तुत अंक के अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए Mk0 vkuUn dqekj] Mk0 fnus'k dqekj] Mk0 i#"kkÙke yky ^fot;*] Mk0 lat; dqekj frokjh] Mk0 pUnzidk'k ncs] Mk0 vujk/kk एवं अनन्य मित्र Mk0 vuqi dqekj ^Jfed*] Jh iqdt flag एवं Jherh jkeh ek;k के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। प्रस्तुत अंक में रह गयी त्रुटियों के लिए हम सभी पाठकों से क्षमा प्रार्थी है।

अन्त में, सभी लेखकों, पाठकों एवं अन्य विद्वतजनों के प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए उनसे सुझाव, सहयोग एवं आशीष की कामना करते हैं।

lEikn

fo"k;&lwph

1-	lLÑr lkfgR; esa ;K mikluk dk Lo:Ik *डॉ0 अखिलेश कुमार राजपूत*	1&4
2	vfHkKku'kkdUrye esa okD;kfpR; *डॉ0 अमृता द्विवेदी*	5&7
3-	^cs/ku* % cky eu dh 0;Fkk dFkk *ईशा वर्मा*	8&10
4-	xqIr dkyhu Ñ"kdksa ,oa Jfedksa dh lkekftd fLFkfr *द्रुपद कुमार*	11&13
5-	uxjh; fgUnw ukjh esa /keZ % ,d lekt'kkL=h; v/;;u *बृजरानी तिवारी*	14&16
6-	efgyk l'kfDrdj.k ,oa dkedkth efgyk *डॉ0 अशोक कुमार*	17&19
7-	efgyk dfeZ;ksa ds lo/kkfud rFkk dkuwuh vf/kdkj *डॉ0 अभय प्रताप सिंह*	20&22
8-	ekSu lkekftd ifjorZu& ckfydk f'k{kk *डॉ0 मकरन्द जायसवाल*	23&25
9-	bfrgkl dh ikphu Hkkjrh; vo/kkj.kk ds fofo/k vk;ke *डॉ0 विनीत कुमार गुरू*	26&29
10-	Hkkjrh; lekt esa efgykvksa ds l'kfDrdj.k esa foKkiu o fefM;k txr dh c<rh gqbZ Hkkxhnkjh *अजय प्रकाश जायसवाल*	30&32
11-	onksa esa foKku *रमाशंकर प्रसाद*	33&35
12-	^re&le* % lkLdfrd ijEijkvksa dh lkFkZdrk dh ryk'k *डॉ0 षम्स अख्तर*	36&38
13-	ubZ lnh ds igys n'kd dk ruko % ,d v/;;u *सतीश चन्द्र श्रीवास्तव*	39&41
14-	t;'kdj iSlkn ds ukVdksa esa ;qxhu lanHkZ *गौरव कुमार जायसवाल*	42&45
15-	cgqvk;keh 0;fDrRo ds /kuh lQy f'k{kk'kkL=h jktk jkeekgu jk; *डॉ0 रंजना सिंह*	46&48
16-	ijEijkvksa esa ifjorZu dh ifd;k % jktLFkku ds chdkusj ds ijdkVk ;qDr 'kgj dh ijEijkvksa ds lekt'kkL=h; v/;;u ds lanHkZ esa *डॉ0 राजेन्द्र जोशी*	49&52
17-	dk;Zjr efgykvksa esa Hkfedk }Un *डॉ0 रजनी तिवारी*	53&55

18- mÙkj&vk/kfudrkoknh fpUru e Hkxky dh Hkfedk 56&58
डॉ० रामाश्रय सिंह

19- Hkkjr e jk"Vh; pruk ,o jk"Vokn dk fodkl 59&61
डॉ0 भुनेश्वर लाल साहू

20- Jfed efgykvk dh leL;k, %,d v/;;u 62&64
छाया कुमारी

21- iOe/;dkyhu lekt e 'knk dh fLFkfr 65&66
डॉ0 प्रशांत कश्यप

22- ;x ifjorid egkRek xk/kh ,o vLi';rk mUeyu 67&68
आशुतोष कुमार त्रिपाठी

23- onkUr n'ku vkj Lokeh foodkuUn 69&72
प्रो0 आदित्य नारायण त्रिपाठी

24- lpuk ik|kfxdh vkj xkeh.k fodkl 73&76
विजय कुमार गुप्ता

25- dVhj m|kxk e dk;jr cky Jfedk dh lkekft d&vkfFkd leL;k
dk lekt'kkL=h; fo'y"k.k 77&79
डॉ0 संदीप कुमार

26- fgUnh e nfyr lkfgR; 80&82
डॉ0 राजीव कुमार सिंह

27- ekuokf/kdkjk d ifji{; e efgykvk d vf/kdkj % ,d l{e nf"V 83&85
डॉ0 विवेक कुमार मिश्र

28- ^lân;kuUne* egkdk0; e fpf=r ukf;dk&lkUn; 86&89
मनोज कुमार

29- JhenHkxonxhrk e fu"dke de;kx 90&92
इन्दू

30- ekuoh; pruk d l=k/kj % lr dchj 93&95
डॉ0 कमलेश रानी

31- lkekft d fodkl dh ekDloknh vo/kkj.kk vkj jkefoykl 'kek 96&99
डॉ0 कमलाकांत यादव

32- mŸkj in'k e uDlyokn dh fLFkfr 100&102
डॉ0 साक्षी जायसवाल

33- tgk ckl Qyr g e mxokn dh leL;k 103&104
गिरजेश कुमार

34- ofnd dkyhu f'k{kk 0;oLFkk % ,d v/;;u 105&106
मृदुला सिंह

35- tul[;k e ifjokj fu;ktu 107&110
श्रीमती निशा सिंह

36- cVh cpkvk&cVh i<kvk % ,d lekt'kkL=h; fo'y"k.k 111&113
सत्येन्द्र कान्त मौर्य

37- xkeh.k fodkl dk vk/kkj eujxk 114&116
शिव कुमार मौर्य

38- ekDlokn ,o xk/khokn % ,d rqyukRed v/;;u 117&118
डॉ0 अनीश कुमार वर्मा

39. Relation between Environmental Awareness and Scientific Attitude 119-122
Dr. Narendra Kumar Singh

40. Psycho-Social Needs and Problems of People Associated with Tuberculosis Patients Care 123-125
Ganesh Narayan Choudhary & Dr. Atiq Ahmed

41. Girl Child Participation in School Education of India-Issues and Challenges 126-129
Kandagatla Sravan Kumar

42. Impact of Five-Year Plans and Agricultural Policies Upon Floricultural Development in Himachal Pradesh 130-133
Mr. Praveen Singh

43. The Urban Transition and Shift in Nutritional Vulnerability 134-135
Mihir Kumar Thakur

44. Prospects for ICT Integration: Designing Innovative Techno-pedagogic Strategies for In-service and Pre-service Teacher Education Programmes 136-138
Ashish Samuel Huri

45. Environmental Refugees and Their Protection Under the Convention Relating to the Status of Refugees, 1951: An Analysis 139-142
Samiuddin

46. Deciphering Offenders towards Crime against Women: An Appraisal 143-147
Santosh Kumar Tripathi

47. The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections 148-151
Aarti Singh

48. Teacher Education Concept, Issues and Research Priorities in India 152-154
Dr. Alka Saxena

49. Temple as an Economic Institution during British Colonial Period (1815 to 1947 AD): A Case Study of Badarinath Temple 155-157
Dr. Shivchand Singh Rawat

50.	**The Competition Commission of India: Evolution and Functions** *Manoj Kumar*	**158-162**
51.	**The Financial Crisis in USA in 2008** *Manoj Kumar & Neha Gupta*	**163-166**
52.	**Why Good Management of LABOR remained always a Top Priority?** *Dr. Anjana Saxena*	**167-171**
53.	**Water : A Cause of Power Politics in South Asia Continent** *Santan Kumar Ram*	**172-175**
54.	**Violence, Discrimination and Stigma Against Women of Denotified Tribes in India** *Rahul Kumar Singh*	**176-178**
55.	**Role of Hata Yoga for Better Performance in Games and Sports** *Jai Bhagwan Singh*	**179-181**
56.	**The Effectiveness of Team Teaching on Science Achievement of Secondary School Students** *Lokesh Kumar*	**182-185**
57.	**Need of Professional Competencies for Science Teachers** *Dr. Ramesh M*	**186-188**
58.	**Macroeconomic Variables and Exchange Rate in India** *Pratibha Maurya, Ajeet Kumar Maurya*	**189-193**
59.	**Environment and Buddhism** *Dr. Shailendra Kumar Mishra*	**194-195**

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 1-4

lLÑr lkfgR; e ;K mikluk dk Lo:lk

M,0 vf[ky'k dekj jktir*

यज्ञ एक महान वैज्ञानिक प्रयोग प्रक्रिया है, इसकी वैज्ञानिकता निस्संदेह अदभुत एवं आश्चर्यजनक है। यज्ञ की वैज्ञानिकता गूढ़ एवं रहस्यमयी भी है। इसका अनुसन्धान एवं शोध कुशल ऋषि ही कर पाने में सक्षम हुआ करते थे, इसलिए यज्ञशाला को ऋषियों की प्रयोगशाला भी कहा जाता है, जहाँ पर उन्होंने दीर्घकाल तक यज्ञ विज्ञान पर व्यापक, सूक्ष्म एवं गहन अन्वेषण किये। यज्ञ प्रयोग में भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण, संतुलित एवं सर्वोत्कृष्ट उपयोग होता है।

हिन्दू धर्म में देवोपासना में यज्ञ एवं हवन महत्वपूर्ण अंग था। जो ऋतु (काल) देवता (प्राकृतिक शक्तियों) एवं पदार्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार से सम्पन्न किये जाते थे। प्रमुख प्राकृतिक शक्तियों की प्रसन्नता के लिये विशिष्ट अथवा काल में विशिष्ट पदार्थो (सोम, पुरोडश हवि, गवाशिर यवाशिर, करम्भ आदि) को बड़ी श्रद्धापूर्वक समर्पित किया जाता था। (पुरोडश प्रतीत होता है दूध या घृत में पकाया हुआ यव है, जो खीर या हलुए की भाँति तैयार किया जाता था) हिन्दू समाज में प्राचीन काल से ही यज्ञों का प्रचलन हो गया था किन्तु कालान्तर में यज्ञों की इतनी जटिलता बढ़ गई जिसमें पशुबलि भी दी जाने लगी इसका परिणाम यह हुआ कि धीरे–धीरे यज्ञों के प्रति लोगों की आस्था कम हो गयी। जिसका परिणाम यह हुआ कि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने लगा और जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मनुष्य विभिन्न रोगों से ग्रस्त हो गया। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ्य मन का वास होता है, इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुये वर्तमान समय में यज्ञों का स्वरूप बदल गया। इस समय भी गाँव एवं नगरों में समय–समय पर बड़े–बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाता है। गाँवों में इसके आयोजन को भव्य रूप प्रदान किया जाता है, ये यज्ञ सात दिन या ग्यारह दिन तक चलते हैं।

;K dk vFk ,o ifjHkk"kk %

''यज'' धातु से यज्ञ शब्द बना है जिसका अर्थ देव पूजा, संगतिकरण और दान है। यज्ञ परमार्थ प्रयोजन के लिये किया गया एक उच्चस्तरीय पुरूषार्थ है। अन्तर्जगत में दिव्यता का समावेश कर प्राण की अपान में और अपान की प्राण में आहुति देकर जीवन रूपी समिधा को समाज रूपी यज्ञ में होम करना ही यज्ञ है। भावनाओं में यदि सद् प्रवृत्ति का समावेश होता चला जाये तो यही वास्तविक यज्ञ है। युग ऋषि प0 श्रीराम शर्मा आचार्य ने यज्ञ की ऐसी विलक्षण परिभाषा देकर वैदिक वाड़मय के मूलभूत स्वर को ही गुंजायमान किया है। यज धातु से बना यज्ञ शब्द देव पूजन, परमार्थ के बाद तीसरे अन्तिम अर्थ संगतिकरण, सज्जनों के संगठन, राष्ट्र को समर्थ, सशक्त बनाने वाली सत्ताओं के एकीकरण के अर्थ में परिभाषित करता है।[1]

यज्ञ के उपर्युक्त अर्थ में यज्ञ का वैज्ञानिक पक्ष यह है कि सृष्टि सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये यज्ञ प्रक्रिया अतिमहत्वपूर्ण है। देवताओं की तुष्टि से अर्थ है – सृष्टि बनाये रखने वाली शक्तियों का पारस्परिक सन्तुलन यज्ञ एक प्रकार का टैक्स (कर) है जो देव सत्ताओं के प्रति दिया जाता है, इसे न देने पर जैसे राज्य प्रशासन, जन समुदाय को दण्डित करता है, उसी प्रकार पर्यावरणीय विभीषिकाएँ भिन्न–भिन्न रूपों में आकर सम्पूर्ण विश्व में अपना प्रकोप मचा देती हैं। दैवी या पर्यावरणीय प्रकोपों से बचने का एक मात्र वैज्ञानिक आधार यज्ञ है।

;K dk egRo %

इस सम्पूर्ण संसार के क्रियाकलाप ''यज्ञ'' रूपी धुरी के चारों ओर ही चल रहे हैं। ऋषियों ने ^^v ; ;Kk HkouL; ukfHk%^^[2] कहकर यज्ञ को इस विश्व की सृष्टि का आधार बिन्दु कहा है। श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है&

lg;Kk% ijtk% l"Vok iqjkokp iktkifr%] vuu iqlfo';/oe'k ck)·fLRo'Vdke/kqdA[3]

*प्रवक्ता, डी0 ए0 वी0 इन्टर कॉलेज, महोबा, उ0 प्र0

यज्ञ भारतीय संस्कृति के विद्वान ऋषियों द्वारा वसुन्धरा को दी गयी ऐसी महत्वपूर्ण देन है, जिसे सर्वाधिक फलदायी एवं समग्र पर्यावरण केन्द्र इकोसिस्टम के ठीक बने रहने का आधार माना जा सकता है। भारतीय संस्कृत साहित्य में यज्ञ के महत्व में कहे गये निम्नलिखित कथनों से यज्ञ की महत्ता प्रकट होती है –

1. ''यज्ञो वै श्रेष्ठतमम् कर्म'' –यज्ञ निश्चित रूप से श्रेष्ठतम कर्म है।[4]
2. ''यज्ञाः कल्याण हेतवः''– यज्ञ कल्याण का हेतु है।[5]
3. ''सर्वेषां देवानां आत्मा यद् यज्ञः''– सब देवताओं की आत्मा यज्ञ ही है।[6]
4. ''यज्ञेन ध्रियते पृथ्वी यज्ञस्तारयाति प्रजाः''–यज्ञ ही पृथ्वी को धारण किये हुये है और इससे ही जनता का निस्तार होता है।[7]

यज्ञों में सर्वाधिक महत्व अग्नि का होता है। यज्ञ के बिना अग्नि देवता प्रसन्न नही होते, अग्नि में दी हुई आहुति देवताओं तक पहुँचती है।[8] इसलिये अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है।[9] वास्तव में अग्नि का मानव समाज में विशेष महत्व है। मनुष्य अग्नि द्वारा बहुत से कार्यों को पूर्ण करता है। अर्वाचीन जड़ विज्ञान जिन बाधाओं को दूर करने में सर्वदा असमर्थ है, प्राच्य विज्ञान उन बाधाओं को यज्ञ द्वारा हटाने में समर्थ है।[10]

यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है कि प्राचीन हिन्दू संस्कृति में यज्ञ का महत्व सर्वोपरि था और यहाँ से संसार भर में उसका प्रचार हुआ। देश और समाजभेद से यज्ञ की विधियाँ, क्रियायें, सामग्री आदि सर्वत्र एक सी नही रह सकतीं, पर मूल रूप में यज्ञ की भावना सब देशों और जातियों में पायी जाती है। जैनियों और बौद्धों में भी धूप दीप यज्ञ का ही सूक्ष्म रूप है, यहूदी, ईसाई, मुसलमान, आदि सेमेटिक जातियों में धूप बत्ती, लोहवान आदि जलाने की प्रथा है। चीनी यज्ञ को धोम कहते हैं जो होम अपभ्रंश है। मिश्र के प्राचीन निवासियों और अमेरिका के रेड इण्डियन लोगों में भी यज्ञ की प्रथा थी। इससे सिद्ध होता है कि यज्ञ मनुष्य का जाति का मूल धर्म रहा है।[11]

;Kk dk i;ktu ,o mnns'; ¼

यज्ञ करने के पीछे बहुत से प्रयोजन छिपे रहते हैं। पुराणों में यज्ञ के सोउद्देश्य होने का प्रतिपादन किया गया है। प्राचीन हिन्दू समाज में यज्ञ से निम्न प्रयोजन सिद्ध किये जाते थे– रोग निवृत्ति, बलिष्ठता व दीर्घायु प्राप्ति हेतु, परिपूर्ण वर्षा की प्राप्ति, उत्तम सन्तान की प्राप्ति, पशुओं की परिपुष्टि हेतु, अक्षय कीर्ति के विस्तार हेतु, मानसिक पवितत्रा की प्राप्ति हेतु ,श्रद्धा और मेधा बुद्धि की प्राप्ति ,स्वर्ग प्राप्ति हेतु,, परमात्मा दर्शन,मोक्ष प्राप्ति ,शत्रु संहार,समस्त सुखों की प्राप्ति। पापों का प्रायश्चित,आत्म शान्ति हेतु,तीनों ऋणों से मुक्ति, अनिष्ट निवारण, विश्व शान्ति हेतु, वायु शुद्धि हेतु, जल शुद्धि हेतु, वर्षा हेतु।[12]

;Kk d i;dkj :

यज्ञ विविध प्रकार के होते थे। गीता के चतुर्थाध्याय के निरूपण प्रकरण में यज्ञ के 15 मुख्य भेद बताये गये हैं, यदि इनकी विभिन्न शाखाओं की गणना की जाये तो यज्ञ क्षेत्र को अनन्त कहकर ही विश्राम करना पड़ेगा। अतएव इन भेदों की ओर न जाकर यज्ञ के कुछ प्रमुख प्रकारों का ही उल्लेख करेंगे। यज्ञ मुख्य रूप से चार प्रकार के होते है–

d- Jkr ¼ofnd½ ;K][k&LekRr ¼rkf=d½ ;K] x&ikjkf.kd ;K]?k& vU; ¼vk/;kfRed½ ;K

d- Jkr ¼ofnd½ ;K & श्रौत यज्ञ दो प्रकार के होते है –

1- lke;K & अग्निष्टोम, उक्थ, षोडसी, वाजपेय, अतिरात्र, अत्यग्निष्टोम, आप्तोर्याम आदि सोमयज्ञ हैं।

2- ipegk;K& राजसूय यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, पुरूषमेघ यज्ञ, सर्वमेघ यज्ञ, पितृमेघ यज्ञ आदि पंच महायज्ञ हैं।

[k- LekRr ¼rkfU=d½ ;K – यह तीन प्रकार के होते हैं –

1- ikd ;K & ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, नृयज्ञ, भूतबलि यज्ञ, ये पाँच पाक यज्ञ हैं।

2- gfo;K& अष्टका, श्रावण स्थालीपाक, श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी व चैत्री आश्वयुजी ये छः हर्वियज्ञ है।

3- vU; ;K & अग्निहोत्र, दर्शपूर्ण मास, आग्रहायण, चातुर्मास्य, सौत्रामणी यज्ञ, पिण्डपिष्ट यज्ञ आदि अन्य यज्ञ है।

4- ikjkf.kd ;K & आध्यात्मिक यज्ञ में आत्मा–यजमान, श्रद्धा–यजमान की पत्नी, हृदयवेद, शिक्षा–वाणी, होता–प्राण, उद्गाता–चक्षु, अध्वर्यु–मन ब्रह्मा, कान–अग्नीध्र, मुख– आहवनीय अग्नि है।

okXo ;KL; gkrkA p{kos ;KL;k?o;¼

ik.kk o ;KL;kn xkrkA euk o;KL; cãkA[13]

5- vk/;kfRed ;K& देवयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, संयमयज्ञ, इन्द्रियज्ञ, आत्मयज्ञ, दृव्ययज्ञ, तपयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञानयोग यज्ञ, प्राणयज्ञ, आहारयज्ञ आदि आध्यात्मिक यज्ञ हैं।

;K ifØ;k d lk;koj.kh; ifj.kke %

पारिस्थितिकी विकास एवं पर्यावरण के सम्बन्ध में प्राचीन भारतीयों का चिन्तन एवं सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित यज्ञ अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यज्ञों के द्वारा हम पारिस्थितिकी विकास एवं पर्यावरणीय संकट का समाधान कर सकते हैं। वर्तमान में विकास का तरीका बहुत खर्चीला है, जो अल्प एवं नितान्त आस्थाई होता है। इसमें लाभ के साथ हानि अधिक है, जैसे रासायनिक खाद देकर कृषि उपज में वृद्धि करके जो खाद्य पैदा किया जाता है, वह हानिकारक होता है और स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। कल कारखानों में वस्तुएँ बड़ी मात्रा में निर्मित होती हैं, परन्तु उनके धुएं, शोर एवं अपशिष्ट पदार्थों से पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्राचीन संस्कृति में ज्ञान और विज्ञान तथा विकास की प्राप्ति का आधार यज्ञ थे। इससे पर्यावरण शुद्ध होता था, वर्षा होती थी, अन्न उत्पादन, निरोगता एवं प्राणी की आयु में वृद्धि होती थी। राष्ट्रीय जीवन के उत्कर्ष, उत्थान एवं चतुर्दिक विकास में यज्ञ –संजीवनी शक्ति के रूप में काम करते थे। यज्ञ के मुख्य पर्यावरणीय परिणाम निम्नलिखित हैं –

;K ,o lk;koj.k 'kk/ku %

वेदों में पर्यावरण के घटक तत्वों पृथ्वी, जल, वायु आदि की शुद्धता पर पर्याप्त बल दिया गया है। समस्त प्राणी वायु मण्डल से प्राणवायु (ऑक्सीजन), पृथ्वीमण्डल तथा जलमण्डल से भोजन व जल ग्रहण करते हैं, इन्हीं के ऊपर हमारा जीवन निर्भर करता है। वर्तमान समय में तीनों मण्डल प्रदूषित हो गये हैं, परिणामस्वरूप पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होने से जीवन दूभर हो गया है, इन्हें प्रदूषण मुक्त रखने का सर्वव्यापी एक ही उपाय यज्ञ है। अथर्ववेद के अनुसार यज्ञ से वायु तथा वातावरण शुद्ध होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि यज्ञ, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश तथा वायु को पुष्ट (परिशोधन) करता है।[14]

वर्तमान समय में वायु तथा नदियों के प्रदूषण को दूर करने के लिये करोड़ों रूपये व्यय करके प्रयत्न किये जा रहे हैं तथापि ये शुद्ध नहीं हो पा रही हैं, इनकी शुद्धि का एक मात्र उपाय यज्ञ है। विश्व संस्कृति की अमूल्य निधि ऋग्वेद में यज्ञ द्वारा प्रवाहित जल के शोधन की बात की गयी है। यज्ञ में डाली गयी आहुति, अग्नि मे पड़कर सूक्ष्म स्वरूप धारण कर पृथ्वी, जल, अग्नि, अंतरिक्ष, वायु वनस्पति, औषधि आदि सभी को शुद्ध कर देती है। इस सम्बन्ध में विविध यज्ञों के साथ दैनिक अग्निहोत्र सभी के लिये अनिवार्य घोषित करते हुये इसे महायज्ञ की संज्ञा दी गयी है, क्योंकि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अपने शरीर से श्वास, स्वेद, मल–मूत्र, तथा अन्य कायिक प्रदूषित द्रव्यों के रूप में जितनी गन्दगी उत्पन्न करता है, उसका शोधन तो उसे करना ही चाहिये। दैनिक अग्नि होत्र से 800 वर्ग मीटर का क्षेत्र शुद्ध हो जाता है।[15]

यज्ञ में प्रयुक्त गोघृत विषनाशक होता है। वर्तमान समय में विज्ञान में सर्प के जहर को दूर करने के लिये नवीनतम औषाधियाँ एवं उपाय भले ही खोजे गये हो, किन्तु प्राचीन काल में सर्पादि विषैले जन्तुओं के काटने पर गोघृत पिलाकर विषशमन का उपाय प्रचलित रहा है और आज भी यह पूरे क्षेत्र में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। इसलिये संस्कृत भाषा में भी घी को ''सर्पि'' भी कहा गया है। जिस प्रकार सर्पणशील सर्व वातावरण के समस्त विष को अपने में समा लेता है, उसी प्रकार सर्पि (गोघृत) भी विष को खींचकर अपने में समा लेता है।[16] गोघष्त का हवन करने से वातावरण एटामिक रेडियेशन से बचता है।

यज्ञ भूमि को गोबर से लीपे जाने का भी वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जिस भूमितल को गोबर से लीपा जाता है, उस पर किरणोत्सर्ग का कोई प्रभाव नहीं पडता है। गोबर में एक्टिनोमाइसिटीज नामक सूक्ष्म जीव काफी मात्रा में पाये जाते हैं। इसके धुएँ से रोग तो नष्ट होते ही हैं, पौधों को भी प्राण ऊर्जा मिलती है। गोबर में अमोनियॉ, फार्मेलिन, मिंथाल, इंडाल, फास्फोरिक एसिड व पोटाश आदि पाया जाता है। इसकी राख कीट संहारक होती है, सन्धिकाल में घण्टा वादन क्रिया भी विषाणुओं का नाश करती है।[17]

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि उपासना स्वरूप यज्ञ महत्वपूर्ण है। यज्ञ के द्वारा पर्यावरण सन्तुलन बनाया जा सकता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि अद्वितीय स्तर के दूरदर्शी वैज्ञानिक थे जिन्होंने यज्ञ की उपयोगिता को समझकर कर उसको धर्म से जोड़ दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बुन्देलखण्ड ही में नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत में यज्ञों का प्राचीनकाल में बहुत महत्व रहा है। किन्तु यज्ञों में कर्मकाण्ड तथा पशुबलि आदि देने का प्रचलन हो जाने से लोग यज्ञों से विमुख होने लगे तथा यज्ञ बहुत कम मात्रा में होने लगे जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि पर्यावरण सन्तुलन बिगड़ने लगा। अकाल, अनावृत्ति, जैसी भयावह आपदायें पर्यावरण असन्तुलन का ही परिणाम हैं। अतः आवश्यकता है यज्ञों के महत्व को समझते हुये पुनः यज्ञों को बढ़ावा देना चाहिये। भारत के प्राचीन विज्ञान में रूचि रखने वाले शोधार्थियों का कर्तव्य है कि यज्ञ के रहस्यमय विधानों का वैज्ञानिक रीति से अनुसंधान करें और पूर्वजों के रत्न भण्डार को जन सामान्य के कल्याणार्थ सांगोपांग विधि व्यवस्था के साथ उपस्थित करे, जिससे

सूखा, अकाल, दुर्भिक्ष, महामारी, पर्यावरणीय प्रकोपों, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण व विविध रोगों के निवारण का सही तथा स्थाई अल्पव्ययी समाधान खोजा जा सकें।

lUnHkZ %

1. सिंह, सी. (2013) ;यज्ञ विज्ञान, कानपुर, पृ. 10
2. अथर्ववेद – 9.15.14
3. श्रीमद भागवत गीता 3.10
4. शतपथ ब्राह्मण 1.7.3.5
5. विष्णु पुराण 6.1.18
6. कलिका पुराण 32.7.2
7. ऋग्वेद संहिता 1.1.4
8. शतपथ ब्राह्मण – 3.7.4.10
9. ब्रह्मवर्चस (1998); (सम्पादन) यज्ञ का ज्ञान विज्ञान, 4.18, मथुरा
10. वही 2.67
11. सिंह, सी. (2013) ; यज्ञ विज्ञान कानपुर , पृ. 15 से 26 तक
12. यजुर्वेद 8.38
13. ऋग्वेद 1.23.18
14. सिंह, सी. (1989); श्रीमद्भागवत पुराण का भौगोलिक विवेचन, अप्रकाशित शोध प्रबन्ध, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, पृ. 301–307
15. सिंह, सी. (2013); वैदिक यज्ञः पर्यावरण शुद्धीकरण की जैव प्रौद्योगिकी, सारास्वत साधना के मनीषी एवं संस्कृतवाङमय में विज्ञान, ज्ञानपुर, पृ. 167
16. जे0सी0 नारायण (1997); आधुनिक पर्यावरण समस्या का वैदिक समाधान, (सम्पादक) आर. के. गुर्जर, पर्यावरण प्रबन्ध एवं विकास,, जयपुर, पृ.1 88
17. दैनिक जागरण 6 अप्रैल 2008, कानपुर, पृ. 1 व 19

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 5-7

vfHkKku'kkdUrye e okD;kfpR;

MkO verk f}onh*

'निखिलकविचक्रचूडामणि' 'कविकुलगुरु कालिदास' भारतीय साहित्य के जाज्वल्यमान रत्न हैं। काव्य मर्मज्ञों ने उन्हें कविता कामिनी का विलास कहा है और प्राचीन कवियों की गणना के विषय में उन्हें 'कनिष्ठका–धिष्ठित' बताकर उनकी तुलना में ठहरने वाले किसी अन्य प्रतिस्पर्धी कवि के अस्तित्त्व की सम्भावना का प्रत्याख्यान किया है–

ijk dohuk x.kuk i l x dfuf"Bdkf/kf"Brdkfynkl%A
v|kfi rŸkY;dojHkkoknukfedk lkFkorh cHkoAA

कालिदास सर्वाधिक प्रतिभा सम्पन्न कवि हैं उन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का वर्णन साहित्य की श्रव्य एवं दृष्य दोनों विधाओं में किया है, किन्तु दृश्य काव्य विशेष प्रभावपूर्ण होता है। कालिदास के रूपकों में कथानक की कौतूहलपूर्ण योजना, कोमलकान्त पदावली का प्रयोग, भावों की सरस एवं मार्मिक अभिव्यक्ति, भाषा का सुन्दर विन्यास, अलंकारों की रमणीय योजना, रस का परिपाक, औचित्य की योजना आदि सभी काव्य तत्त्वों का उचित रूप से निर्वहन किया गया है।

'औचित्य' की सर्वातिषायिनी महत्ता का प्रतिपादन क्षेमेन्द्र ने ही किया है। इन्होंने ही 'औचित्यविचारचर्चा' लिखकर औचित्य रूप काव्य तत्त्व का व्यापक रूप स्पष्ट किया है। कविकुलकलाधर कालिदास की काव्यमयी सर्वतोमुखी प्रतिभा इसी शाकुन्तल में प्रत्यक्ष रूपेण परिलक्षित होती है। महाकवि के अभिज्ञानशाकुन्तलम् में वाक्यौचित्य के अनेक सन्दर्भ प्राप्त होते हैं।

वाक्यौचित्यः– आचार्य क्षेमेन्द्र ने वाक्यौचित्य का लक्षण प्रदर्शित करते हुए लिखा है–

vkfpR;jfpr okD; lrr lEer lrkeA
R;kxknxfeo"o; 'khykTToyfeo JreAA

जैसे दान आदि के द्वारा सम्पत्ति की उदात्तता और दाक्षिण्यादि गुणों के द्वारा विद्या की उज्जवलता सज्जनों के लिये विशिष्ट स्थान रखती है वैसे ही औचित्य को ध्यान में रखकर की गई वाक्य रचना काव्यालोचकों के लिये सर्वदा स्पृहणीय बनी रहती है।

महाकवि कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तलम् में भी वाक्यौचित्य के सुन्दर उदाहरण प्राप्त होते हैं। यथा –

दुष्यन्त शकुन्तला के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कहता है –

vuk?kkr i"i fdly;eyu dj:gk&
jukfo) jRu e/k uoeukLokfnrjleA
v[k.M i.;kuk Qyfeo p rnieu?k
u tku HkkDrkj dfeg leiLFkkL;fr fof/k%AA

उसका निष्कलंक सौन्दर्य न सूँघा गया फूल है, नाखूनों से न काटा हुआ कोमल पत्ता है, न बिंधा हुआ रत्न है जिसके रस का रसास्वादन नहीं किया गया ऐसा अभिनव है और पुण्यों का अखण्ड फल सा है। यह समझ में नहीं आता है कि परमात्मा किसको उसका उपभोक्ता बनायेगा।

प्रस्तुत प्रसंग में दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तला के निष्कलंक सौन्दर्य का वर्णन उसके रूप के अनुकूल किया है। प्रस्तुत पद्य में कवि ने अनाघ्रातम्, अलूने, अनाविद्धम्, अनास्वादितरसम् मधु, अखण्डं पुण्यानाम्, फले अनघम

*स्वराज कालोनी, बान्दा, उत्तर प्रदेश

आदि जिन पदों का प्रयोग किया है वे अत्यन्त समीचीन हैं। अनेक पदव्यापी होने के कारण यह वाक्यगत औचित्य का उदाहरण है।

अन्यत्र भी कवि ने वाक्यौचित्य के सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किये हैं।

vuojr/kuT;kLQkyuØjioi
jfofdj.klfg".k Lonny'kjfHkUueA
vifprefi xk= 0;k;rRokny{;
fxfjpj bo ukx ik.klkj foHkfr'AA

महाराज पहाड़ी हाथी के तुल्य शरीर को धारण करते हैं जिसका अग्रभाग निरन्तर धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से कठोर हो गया है, जो सूर्य की किरणों को सहन कर सकता है, जो पसीनों की बूँदों से रहित है कृश होने पर भी पुष्टता के कारण कृश दिखाई नहीं देता है और जो बलरूपी सारभाग से युक्त है।

प्रस्तुत पद्य इस भाव को व्यंजित कर रहा है कि यद्यपि महाराज दुष्यन्त शकुन्तला के प्रेम में व्याकुल हैं, किन्तु व्याकुलता के कारण भी दुष्यन्त सामान्य विरही प्रेमियों के समान दुर्बल नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कवि ने विरह व्याकुल दुष्यन्त के लिये 'रविकिरणसहिष्णु' आदि जिन वाक्यगत पदों का प्रयोग किया है वे पूर्णतया औचित्ययुक्त परिलक्षित होते हैं।

इसी रूपक के षष्ठ अंक में दुष्यन्त चित्रफलक में शकुन्तला को देख रहा था लेकिन विदुषक उसे पहचान नहीं रहा था क्योंकि उसमें वह तीन स्त्रियों को देख रहा था तभी राजा ने पूँछा तुम इन तीनों में से किसको शकुन्तला समझ रहे हो, तब विदूषक ने जवाब दिया –

विदूषक– तर्कयामि यैषा शिथिलबन्धनोद्वान्तकुसुमेन केशान्तेनोद्भिन्नस्वेदबिन्दुना वदनेन विशेषतोऽपसृताभ्यां बाहुभ्यामवसेस्निग्धतरूणपल्लवस्य रसालपादपस्य पार्श्व ईषत्परिश्रान्तेवालिखिता सा शकुन्तला।

मैं समझता हूँ कि जो यह ढीली हुई गाँठ से गिरे हुए फूलों वाले जूड़ों से युक्त, प्रकट हुई पसीने की बूँदों वाले मुख से युक्त अत्यधिक झुकी भुजाओं वाली सींचनें से चिकने नवीन पत्तों वाले आम्रवृक्ष के समीप कुछ परिश्रान्त सी चित्रित की गयी है, वह शकुन्तला है दूसरी दो सखियाँ हैं।

प्रस्तुत उद्धरण में वृक्षों को जल से सींचती हुई शकुन्तला के लिये जिन पदोच्चय अर्थात् जिन वाक्यों का प्रयोग किया गया है उसमें औचित्य का रमणीय प्रवाह परिलक्षित होता है।

इसी प्रकार षष्ठ अंक में ही शकुन्तला की स्मृति में व्याकुल दृष्यन्त का चित्रण किया गया है।

iR;kfn"Vfo'k"ke.Mufof/kokeidk"Bkfir
fcHkRdkpuedeo oy; Üoklkijdrk/kj%A
fpUrktkxj.k irkUru;uLrtkx.kknkReu%
lLdkjkfYyf[krk egkef.kfjo {kh.kk·fi uky{;rAA

उन्होंने विशेष रूप से अलंकार पहनने का कार्य बन्द कर दिया है, बाईं कलाई में पड़े हुए एक ही सुवर्ण कंकण को पहने हुए है, उनके ओठ साँसों से अधिक लाल पड़ गये हैं, चिन्ता के कारण जागते रहने से उनकी आँखें बहुत भारी हो रही हैं, कसौटी पर घिसे हुए बहुमूल्य रत्न के तुल्य कृश होने पर भी वे अपनी तेजस्विता के कारण कृश नहीं दिखाई पड़ रहे हैं।

उपर्युक्त पद्य में शकुन्तला की स्मृति में भी व्याकुल राजा देखने में जिस प्रकार सुन्दर दिख रहे हैं उनके लिये जिन वाक्यगत पदों का प्रयोग किया गया है उनमें पूर्णरूपेण औचित्य विद्यमान है।

इसी प्रकार पंचम अंक में राजा के दरबार में आई हुई शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त ने जिन वाक्यों का प्रयोग किया है वे उचित है–

dk fLonox.Buorh ukfrifjLQV'kjhjyko.;kA
e/; rik/kukuk fdly;feo ik.Mi=k.keeAA

घूँघट को धारण किये हुए, अतः जिसके शरीर का सौन्दर्य अधिक स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है ऐसी यह कौन युवती है, जो तपस्वियों के मध्य में स्थित होकर पीले पड़े हुए पत्तों के मध्य में किसलय के समान है।

प्रस्तुत पद्य में राजा द्वारा शकुन्तला के लिये स्विदवगुण्ठनवती, किसलयमिवं पाण्डुपत्राणाम् आदि जिन वाक्यगत पदों का प्रयोग किया है वे उचित हैं। सप्तम अंक में राजा द्वारा अदिति और मारीचि के वर्णन में प्रकृति के अनुकूल जिन पदों का प्रयोग किया गया है वे उचित हैं।

ikg}kn'k/kk fLFkrL; eu;k ;Ÿkt l% dkj.k
Hkrkj Hkou=;L; l"ko ;|KHkkxÜojeA
;fLeUukReHko% ijk·fi i#ÜpØ Hkok;kLin
}U} n{kejhfpl EHkofen rRl"Vj dkUrjeAA

मातलि मुनि लोग जिसको बारह रूपों में विद्यमान कहते हैं, जिसमें तीनों लोगों के पालक और यज्ञ देवों के स्वामी को जन्म दिया है, स्वयंभू विष्णु ने मलैन के लिये जिसको आश्रय बनाया, दक्ष और मारीचि से उत्पन्न ब्रह्मा से केवल एक पुरुष के व्यवधान वाला यह जोड़ा है।

प्रस्तुत पद्य में अदिति और मारीचि के चरित के वर्णन के लिये जिन द्वादशधा स्थितस्य तेजसः, भुवनत्रयस्य भर्तारं, यज्ञभागेश्वरम्, सुषुवे आदि वाक्यगत पदों का प्रयोग किया गया है वे औचित्यपूर्ण हैं।

इस प्रकार अभिज्ञानशाकुन्तलम में महाकवि कालिदास द्वारा औचित्य को दृष्टिगत कर की गयी 'वाक्ययोजना' सहृदयों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न करती है।

अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक भारत का ही नहीं अपितु विश्व का सर्वश्रेष्ठ नाटक रत्न माना गया है। यह सर्वथा सत्य है कि महाकवि कालिदास की काव्यमयी सर्वतोमुखी प्रतिभा इसी शाकुन्तल में प्रत्यक्ष रूपेण परिलक्षित होती है। अभिज्ञानशाकुन्तलम् नाटक में प्रारम्भ से लेकर अन्त तक नाट्यकला के दर्शन होते हैं। इसमें केवल नाट्यशास्त्रीय तत्त्वों का ही प्रस्तुतीकरण नहीं है। अपितु नाट्यकला की भावभूमि पर हृदय के सरस भावों को अत्यन्त स्वाभाविकता सरलता एवं मौलिकता के साथ प्रस्तुत किया गया है। कवि का सर्वाधिक कला चातुर्य यह है कि सर्वत्र औचित्य को ध्यान में रखकर किसी भी वृत्त को उसके मार्मिक भाव को उभारते हुए सहज रूप में प्रस्तुत कर दिया है। नाट्यशास्त्र के सूक्ष्म तत्त्वों का समावेश कर अपनी इस नाट्यकृति में कालिदास ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है।

lUnHk %

1. विजयकुमार, व्या0—कपिलदेव द्विवेदी, अभिज्ञानशाकुन्तलम्, कालिदास, रामनारायणलाल, कटरा रोड, इलाहाबाद
2. क्षेमेन्द्र; 1992, औचित्यविचारचर्चा, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी
3. सम्पा.— आचार्य सीताराम; 1980, कालिदास ग्रन्थावली, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी
4. डॉ0 प्रभुदयालु अग्निहोत्री; 1997, महाकवि कालिदास, ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्ली (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय 1998 खण्ड)
5. महाकवि कालिदास और डॉ0 कृष्णकान्त त्रिपाठी; 1966, अभिज्ञानशाकुन्तलम्, साहित्य निकेतन कानपुर

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 8-10

^c/ku* % cky eu dh 0;Fkk dFkk

b'kk oek*

आज के युग में जहाँ समाज विकास की ओर उन्मुख है, वहीं परिवार की स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। समाज के साथ आगे बढ़ने की होड़ में परिवार और उनके सम्बन्ध बहुत पीछे छूट चुके हैं, जिसके फलस्वरूप पारिवारिक सम्बन्धों में तनाव की स्थिति बढ़ गई है। एकल परिवार की परम्परा ने व्यक्ति को अपने परिवार से और माता–पिता को अपने बच्चों से दूर कर दिया है। संयुक्त परिवार में जहाँ बच्चों को परिवार के सभी सदस्यों का भरपूर स्नेह और अपनापन मिलता था, वहीं एकल परिवार में उनकी दुनिया केवल माता–पिता और खुद तक ही सीमित रह गई है। ऐसी स्थिति में यदि माता–पिता में से कोई एक मानसिक रूप से असंतुलित हो जाए तो बच्चों की मानसिक अवस्था पर असर पड़ना स्वाभाविक ही है। ''इस तरह के बीमार परिवार के बीमार वातावरण में सिसकती है मासूम ज़िंदगी। भविष्य का मानव बचपन में ही असुरक्षित हो जाता है। समय के कालचक्र में यही बालक बड़ा होकर नया मानसिक रोगी बनता है।''[1]

मनोज सिंह कृत 'बंधन' उपन्यास बाल मन की इसी स्थिति को मनोवैज्ञानिक ढंग से उजागर करता है। माँ (निकिता) के मानसिक असंतुलन के कारण दोनों बच्चे–आकांक्षा और अनिरुद्ध किस प्रकार बचपन से ही तनाव और घुटन भरे माहौल में ज़िंदगी जीने को विवश हैं, इसका मार्मिक वर्णन उपन्यास में मिलता है।

बच्चों के प्रारम्भिक जीवन में पाँच छह वर्षों तक उनके माता–पिता या अन्य संरक्षकों का जो प्रभाव पड़ता है, उसी के फलस्वरूप उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। निकिता की मानसिक अवस्था के कारण आकांक्षा को बचपन में भय का माहौल मिलता है, जिससे उसका व्यक्तित्व अन्तर्मुखी बन जाता है। ''हीन भावना घर कर गई थी। ज़रा–ज़रा सी बात पर रोने लगना। फैशन का तो सवाल ही नहीं, कपड़ों तक का ध्यान नहीं रहता था। कहाँ आजकल की लड़कियाँ इतनी तेज़ और आधुनिक, पर वह एकदम घर घिस्सु...।''[2] इस तरह के घुटन भरे माहौल में रहकर बच्चे का व्यक्तित्व उभर भी कैसे सकता है? बचपन में माँ के प्यार की बच्चे को सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसकी छाँव में वह स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, परन्तु आकांक्षा की स्थिति इस प्रकार की है कि वह अपनी माँ के सामने ही खुद को सबसे अधिक असुरक्षित महसूस करती है। इस प्रकार की पारिवारिक स्थिति में उसकी मानसिक अवस्था का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

माँ अपने बच्चे की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को समझती है और समय–समय पर उसे पूर्ण भी करती है। यही कारण है कि जन्म के बाद बच्चा माँ को एक पल छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार शिशुकाल में यदि बच्चे को माँ का प्यार न मिले तो वह निराशा का शिकार होता है। उसमें निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होता है और वह अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पाता। आकांक्षा और अनिरुद्ध का बचपन इसी प्रकार का है। प्यार तो दूर, निकिता का सहारा तक उन्हें नहीं मिलता, जिससे वे दोनों तनाव का शिकार होते हैं।

माता–पिता के आपसी सम्बन्धों का भी बच्चों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। उनके व्यवहार, बोलचाल के तरीके से वे सीखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। अतः माता–पिता द्वारा अपने बच्चों के समक्ष एक आदर्श रूप प्रस्तुत करना बच्चों के सही मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। निकिता की मानसिक स्थिति असंतुलित रहने के कारण अमित भी उससे सामान्य व्यवहार नहीं कर पाता। माता–पिता के इस तरह के सम्बन्धों को देखते हुए आकांक्षा और अनिरुद्ध किस प्रकार सामान्य रह सकते हैं। अनिरुद्ध के ये शब्द इस ओर संकेत करते हैं– ''अब दिनभर सुनते रहेंगे, घुटते रहेंगे, तो यही होगा। कितनी बार बताया कि माँ की तबीयत को आप इस तरह से करके बढ़ा रहे हो और खुद भी परेशान हो रहे हो। मगर कहाँ माने! हम लोगों की भी साली क्या ज़िंदगी है...।''[3] इन

*शोध छात्रा, हिन्दी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू– 180006

शब्दों में दुःख के साथ–साथ अनिरुद्ध के मन में अपनी स्थिति को लेकर क्रोध साफ झलकता है। ऐसी स्थिति में वे दोनों एक–दूसरे का सहारा बनते हैं।

आकांक्षा के लंदन चले जाने पर अनिरुद्ध की मनः स्थिति भी स्पष्ट है। हालांकि उसे इस बात की खुशी है कि कम से कम वह तो इस घुटन से बाहर चली गई है, परन्तु उसकी खुद की ज़िंदगी पर अकेलापन हावी हो जाता है। ''एक रात उसके अकेलेपन में बेचैनी भी थी। अचानक उसे लगने लगा कि यह कमरा उसे निगल जाएगा। घबराहट इतनी बढ़ चुकी थी कि ठंड के मौसम में माथे पर पसीना टपकने लगा था।''[4] लेखक ने यहाँ मानसिक विकारों की शुरुआती अवस्था का संकेत दिया है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार मानसिक रोग होने के कई कारण हैं, जिनमें से 'हेरिडिटी' अर्थात् वंशानुक्रम भी एक कारण है। निकिता को यह रोग अपने पिता से मिला और अब यही लक्षण अनिरुद्ध में भी देखे जा सकते हैं। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए वह लंदन चला जाता है परन्तु वहाँ पर भी हॉस्टल में अकेले रहने पर उस पर भ्रम, विभ्रम, भय आदि हावी हो जाते हैं। जिस प्रकार मानसिक रोगियों में नकारात्मक सोच का प्रभाव हावी होता है, वो हर चीज़ में कुछ बुरा सोचते हैं, उसी प्रकार अनिरुद्ध में भी नकारात्मक सोच हावी होने लगती है। एक मानसिक रोगी के शुरुआती दौर के सारे लक्षण उसमें दिखाए गए हैं। साये का भ्रम, कुछ गलत होने का अंदेशा, आत्मविश्वास में कमी, नकारात्मक सोच, अशान्ति, डर, दम घुटना आदि मनोरोग के शुरुआती लक्षण अनिरुद्ध में भी देखने को मिलते हैं।

स्पष्ट है कि माता–पिता में से किसी एक का मानसिक संतुलन बिगड़ने से बच्चों की मासूम ज़िंदगी असुरक्षित हो जाती है। समय के कालचक्र में यही बालक बड़ा होकर मानसिक रोगी बनता है, परन्तु इसका ईलाज भी सम्भव है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि परिवार के सहयोग, प्यार, अपनेपन और सकारात्मक वातावरण के द्वारा आरम्भिक अवस्था में ही इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। उपन्यास में अदिति और आकांक्षा के प्रेम और सहयोग से अनिरुद्ध की मानसिक बीमारी का आरम्भ में ही ईलाज सम्भव हो पाता है।

डॉक्टर के परामर्श से विभिन्न थेरेपी जैसे कि 'टॉकिंग थेरेपी', 'बिहेवियर थेरेपी', 'सॉइको डायनामिक थेरेपी' के द्वारा उसे ठीक करने का प्रयत्न किया जाता है। उसे मेडिटेशन और योग के लिए भी प्रेरित किया जाता है क्योंकि मानसिक रोग को ठीक करने में योग और मेडिटेशन का अपना अलग महत्व है। अनिरुद्ध अपनी मासी अदिति और बहन के सहयोग से थोड़े दिनों में ही पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है।

मरीज के ठीक होने में स्वयं उसकी इच्छाशक्ति की भी आवश्यकता होती है। जिस मरीज को अपने रोग के विषय में ज्ञान हो और वह उसे ठीक करने का प्रयत्न करे तो डॉक्टरी परामर्श से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। अनिरुद्ध ने अपनी माँ को इस दौर से गुजरते देखा था। अतः उसे इस विषय में ज्ञान तो था, मगर एहसास नहीं था, परन्तु स्वयं इस दौर से गुजरने के बाद वह ''अब तक स्वीकार कर चुका था कि वह एक बेहद संकीर्ण और अंधेरे रास्ते में जाने से बच गया था।''[5] अब उसे अपनी माँ की स्थिति पर दया आती है और पिता पर प्यार और गर्व होता है कि उन्होंने माँ की इस हालत के बावजूद उसका साथ नहीं छोड़ा।

लेखक ने अनिरुद्ध के दिल में मानसिक रोग के प्रति दृष्टिकोण को बदलते हुए दिखाकर यह सिद्ध किया है कि वह व्यक्ति मरीज की मानसिक स्थिति को अच्छी तरह समझ सकता है, जो स्वयं इस दौर से गुजर चुका है। यही कारण है कि उन्होंने अनिरुद्ध को इसी क्षेत्र में आगे स्पेशिलिस्ट कोर्स करते दिखाया है। अनिरुद्ध अपनी और अपनी माँ की परिस्थिति को समझते हुए अदिति से इस विषय में कहता है– ''मैं साइकॉलॉजी एवं साइकाइट्रिस्ट विभाग में साइकोथेरेपी में आगे स्पेशिलिस्ट कोर्स करना चाहता हूँ। मुझे खुशी होगी कि मैं इस क्षेत्र में कुछ कर पाऊँ। मुझे अपने स्वयं के अनुभव से फायदा होगा। मैं रोगी को बेहतर तरीके से समझ सकूँगा और उनके रोग का शायद इस तरह से बेहतर निदान कर पाऊँ।''[6]

यह उपन्यास मुख्यतः एक मानसिक रोगी और उसके साथ रह रहे लोगों की स्थिति का मनोवैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। लेखक का मानना है कि व्यक्ति पर उन परिस्थितियों का बेहद असर होता है, जिनमें यह विशेष व्यक्ति पला–बढ़ा हो। उसके घर का वातावरण, माता–पिता के आपसी सम्बन्ध, माता–पिता का उससे व्यवहार आदि अनेक बिन्दु उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बच्चों पर माता–पिता और परिवार का विशेष प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक वातावरण जहाँ उन्हें एक बेहतर नागरिक बना सकता है, वहीं नकारात्मक वातावरण उन्हें अंधेरे में धकेल सकता है। अनिरुद्ध और आकांक्षा उन्हीं बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनका बचपन अंधेरे की कैद में गुज़रा हो। मानसिक तनाव के इस दौर से गुज़रते हुए उनका जीवन कैसे प्रभावित होता है यह उपन्यास में स्पष्ट है। वास्तव में यह उपन्यास उन सभी मासूम बच्चों को समर्पित है, जो अपना बचपन घुटन भरे वातावरण में व्यतीत करते हैं।

निष्कर्षतः इस उपन्यास में मासूम बचपन को खोए हुए उन बच्चों की मानसिक स्थिति को स्पष्ट किया है जो अपने पूरे जीवन में बचपन की तनावपूर्ण स्थिति का बोझ ढोते रहते हैं और आगे चलकर मानसिक रोगी के रूप में सामने आते हैं। अनिरुद्ध ऐसा ही उदाहरण है। दूसरी तरफ आकांक्षा के रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे अपने बचपन का एहसास ही नहीं होता। कम उम्र में ही परिवार की स्थिति को समझते हुए ज़िम्मेदारी उठाते–उठाते वह स्वयं परिपक्व हो जाती है। कुल मिलाकर दोनों पात्रों को परिस्थितियों की कैद में रहना पड़ता है। ये परिस्थितियाँ उनके जीवन में उनकी किसी गलती की वजह से नहीं आतीं, फिर भी उन्हें इसके परिणाम को भुगतना पड़ता है। अनिरुद्ध और आकांक्षा ने पाठक वर्ग को यह सोचने पर विवश किया है कि यदि बच्चों के भविष्य की डोर संभालने वाले माता–पिता में से कोई एक भी मानसिक तौर पर विकलांग हो तो बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर अग्रसर हो सकता है।

I UnHk: %

1. मनोज सिंह. बंधन. नई दिल्ली : राजकमल प्रकाशन, 2010, प्राक्कथन, पृ0 11
2. वही, पृ0 191
3. वही, पृ0 136
4. वही, पृ0 228
5. वही, पृ0 255
6. वही, पृ0 255

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 11-13

xIr dkyhu Ñ"kdk ,o Jfedk dh lkekftd fLFkfr

æin dekj*

कृषक समाज का अध्ययन इतिहास, समाजशास्त्र एवं नृतत्वशास्त्र में विशेष रूप से किया जाता है, किन्तु कृषक समाज की कोई निश्चित परिभाषा देना संभव नहीं है। भारतीय कृषि व्यवस्था का अध्ययन करने वाले विद्वान प्रायः पाश्चात्य समाज के अध्ययनों के प्रतिमानों के माध्यम से भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते हैं, किन्तु वर्ण एवं जाति व्यवस्था के आधार पर विकसित होने वाला समाज इन प्रतिमानों के अनुकूल नहीं है। प्रायः कृषक समाज का अर्थ सीमित रूप में छोटे किसानों एवं मजदूरों से लिया जाता है, परन्तु भारतीय सन्दर्भ में इसे व्यापक अर्थ में लेना पड़ेगा। इसमें एक तरफ बड़े–बड़े भूखण्डों के स्वामी आते हैं, जो स्वयं कृषि कर्म न करके मजदूरों पर आश्रित हैं, तो दूसरी ओर छोटे–छोटे किसान हैं, जो अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते हैं। इन्हीं के साथ बटांई पर कृषि करने वाले एवं केवल मजदूरी पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। मौर्य काल के पूर्व कृषि कार्य केवल वैश्यों का ही कर्म निर्धारण कर दिया गया था। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय भी बड़े भूखण्डों के स्वामी थे, जो स्वयं कृषि न करके वे छोटे किसानों से करवाते थे। किन्तु वास्तविकता यह है कि इस काल में सभी वर्ण कृषि से सम्बन्धित हो गये थे। यहाँ हमारा उद्देश्य छोटे किसानों एवं मजदूरों की स्थिति से है, जो श्रमिक थे।

ऋग्वेद में 'कीनाश' शब्द का प्रयोग मिलता है जो हल चलाने वाले या खेती करने वाले लोग थे। 'विश'[1] का प्रयोग संभवतः खेती करने वाले किसान के रूप में किया गया जो बाद में तीसरे वर्ण के रूप में स्थापित हुआ। वैदिक युग के पश्चात् मुद्रा का प्रचुर मात्रा में प्रचलन हो गया था, जिसके कारण धनी व्यापारियों तथा बड़े क्षेत्रपतियों के साथ छोटे कारीगरों तथा खेतिहर मजदूरों में महत्वपूर्ण अन्तर उत्पन्न हो गया, जिसके फलस्वरूप कृषकों की स्थिति में गिरावट आई।

बौद्ध ग्रन्थों एवं जातकों से स्पष्ट होता है कि धनाढ्य कृषक (कुटुम्बिक और गृहपति) धनाढ्य व्यापारियों (सेट्ठि) के समान थे, किन्तु छोटे किसान बड़ी कठिनाई से जीवन यापन कर पाते थे। इनकी स्थिति दासों के समान हो गई थी।[2] मौर्य काल में तीनों उच्च वर्ण किसी न किसी रूप में कृषि से सम्बन्धित हो गये थे और इस समय शूद्र भी इससे जुड़ गये थे। पहले शूद्र मजदूरों के रूप में ही थे, परन्तु अब वे वैश्यों के समान खेती के कार्य व्यापार और पशुपालन से सम्बद्ध हो गये।

मौर्योत्तर काल में लघु कृषकों एवं कृषि मजदूरों की स्थिति में निश्चित रूप से गिरावट आ गई थी। इसका मुख्य कारण सर्वप्रथम भू–राजस्व एवं अन्य कर, छोटे किसानों के लिये सदैव हानिकारक होते रहे। कृषि ही आय का मुख्य साधन थी। राजा, सामन्त एवं बड़े क्षेत्रपति अधिक से अधिक कर उगाही करना चाहते थे। कृषि के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के कर लगाये जाते थे, जिससे कृषक और भी निर्धन होते चले गये जैसे कि प्रो0 लल्लन जी गोपाल के अनुसार किसान दिन भर भूखा रह कर खेती का कार्य करते थे।[3] छोटे किसान एवं मजदूर अकाल, युद्धों, शासकों एवं अधिकारियों के अत्याचारों तथा ऋण एवं बेगार से निरन्तर पीड़ित रहते थे, जिससे उनकी स्थिति में कभी सुधार नहीं हुआ। दासता का आरम्भ युद्धों से हुआ और मजदूरों का निर्धनता से।

मौर्य काल के बाद केन्द्रीय शासन व्यवस्था में बिखराव आया, जिसके कारण आर्थिक दशाओं में परिवर्तन आये। तत्पश्चात दास प्रथा में भी स्वाभाविक रूप से गिरावट आई। गुप्तकाल में राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमिदान दी जिस पर वह स्वयं खेती न करके बल्कि बटांई, काश्त या भाग के रूप में छोटे किसान व श्रमिकों को दे कर करवाते थे। ह्वेन्सांग के समय तक शूद्र छोटे–छोटे किसानों के रूप में व्यवस्थित हो गये थे। गुप्तकाल में उच्चवर्णो के लिए कृषि कर्म का निषेध किया गया है। वैश्य व्यापार में लग गये थे, अतः निर्धन वैश्य एवं शूद्र ही कृषि से सम्बन्धित हुये।

*शोध छात्र, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ0प्र0

इनकी स्थिति काश्तकारों एवं मजदूरों की थी। इसी से कृषकों की निम्न सामाजिक स्थिति का आभास मिलता है। राम शरण शर्मा के अनुसार खेतों में विभाजन के कारण भी शूद्र एवं अन्य साधारण लोग आश्रित किसान हो गये।[4]

इस काल में कृषक लोहे के उन्नत किस्म के उपकरणों का व्यापक प्रयोग कर सघन कृषि कर रहे थे, इस प्रकार सामाजिक परिर्वतन के लिये अपरोक्ष रूप से नई तकनीक का प्रभाव पड़ा था। उपकरणों की प्रचुर और सहज उपलब्धि के कारण ही यह और भी संभव हो गया कि दास, मजदूर, आदिवासी जन तथा उच्च वणों के लोग कृषि कार्य में संलग्न हो गये थे। याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति में उल्लेख है कि मजदूरों को कार्य हेतु औजार दिये जाते थे जो कार्य के बाद वापस कर देने पड़ते थे।[5]

नारद स्मृति और वृहस्पति स्मृति में कृषक श्रमिकों के प्रचुर उल्लेख मिलते है।[6] कृषक एवं श्रमिकों का अधिकांश भाग शूद्रवर्ण का ही होता था। अनुशासन पर्व मे कहा गया है कि शूद्र वर्ण मजदूर हैं[7] और यदि शूद्र न हो तो कर्मकार नहीं होंगे।[8] अमरकोश में भी मजदूरी के ग्यारहों पर्याय शूद्र वर्ण के लिय है।[9]

कृषक श्रमिकों का समाज में स्थान बताते हुये वृहस्पति कहते हैं कि श्रमिको में कृषक श्रमिक मध्यम कोटि के होते हैं, सैन्य श्रमिक उत्तम कोटि तथा घरेलू श्रमिक निम्न कोटि के होते है।[10]

कृषक श्रमिकों को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते थे जैसे हल चलाना, भूमि को समतल करना, धान के पौधों की रोपने और काटने का कार्य, गुड़ाई करना, पशुओं की सहायता से धान की मड़ाई करना, धान, गेहूँ ओसाना आदि।[11] इसी तरह संगम युगीन ग्रन्थ पट्टनपिल्लई और सिलपादिदकारम में श्रमिकों को धनी बेल्लाल (बड़े कृषक) जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते बल्कि मजदूरों से करवाते थे, तो वही बेल्लार निम्न कृषक था जो स्वयं खेती करते थे।

वृहस्पति ने कृषक श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार इनके तथा नियोक्ता के बीच बनाये गये नियमों के निर्धारण से भी होता है। पूर्वकाल में कौटिल्य ने कार्य पूरा न करने पर 12 पण का दण्ड विहित किया है, जो श्रमिक की वृत्ति का लगभग पाँच से बीस गुना तक है।[12] परन्तु बाद के काल के स्मृतिकारों ने नियम बनाया कि मजदूरी लेकर कार्य पूरा न करने वाले श्रमिक से पारिश्रमिक का दोगुना दण्ड लिया जाये।[13] वृहस्पति ने श्रमिकों से अतिरिक्त अर्थदण्ड का भी विधान किया है। विष्णु स्मृतिकार के अनुसार यदि मजदूर कार्य न करे तो अपनी पूरी मजदूरी नियोक्ता को देने के साथ ही राजा को भी 100 पण जुर्माना दे।[14]

यदि स्वामी श्रमिक के कार्य पूरा करने पर भी मजदूरी न दे तो राजा को उचित दण्ड देना चाहिये।[15] नारद का कहना है कि नियोक्ता को श्रमिक को निर्धारित पारिश्रमिक नियमित रूप से देना चाहिये[16] किन्तु वह ऐसा न करे तो श्रमिक को ब्याज सहित मजदूरी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ मजदूरी न करने वाले श्रमिकों पर बड़े–बड़े दण्ड विधान हैं परन्तु मालिक द्वारा मजदूरी न दिये जाने पर कोई निश्चित दण्ड विधान नहीं है।

इस काल में अनुमानतः ब्राह्मणों, क्षत्रियों को भूमिदान देने की प्रथा बढ़ी, जिससे एक तो उच्च वर्गों की आजीविका की व्यवस्था हो सके दूसरे वे दान के क्षेत्र में स्थानीय रूप से अधिक संशक्त नियत्रंण व व्यवस्था बना सकें। इसी क्रम में शूद्रों को संतुष्ट करने के लिय कुछ भूमि सम्बन्धी अधिकार दिये गये व श्रमिको की वृत्ति में बढोत्तरी की गयी।[17] जैसे कि नारद[18] और वृहस्पति स्मृतियों में ही भूमि बँटवारे का उल्लेख प्राप्त होता है।

सामंत कृषक–मजदूर आधारित त्रिस्तरीय प्रणाली विकसित हुई जो प्रबल केन्द्रीय नियंत्रण वाली विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली में कृषि विकास में सहायक बनी। किन्तु इससे कृषकों की स्थिती में कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता है। दुर्भिक्ष, बाढ़, भूकम्प, महामारी ने तो कृषकों जीवन की और ही प्रभावित किया। गुप्तोत्तर काल में स्थिति और ही विलासिता एवं कृषक शोषण का प्रतीक बनकर कृषि के उन्नयन में बाधक ही बनी, जिससे कृषकों एवं श्रमिकों की स्थिति में और ही गिरवाट आई।

प्रो0 बी0एन0एस0 यादव का मत है कि गुप्तोत्तर काल में प्रशासन के विघटन एवं विकेन्द्रीकरण के कारण शासकों ने रिश्तेदारों परिवारों के सदस्यों, सामन्तों एवं अधिकारियों को उनकी सेवाओं के बदले भूमिदान देना आरम्भ कर दिया था। दान दिये हुये गाँवों के किसानों को नये स्वामियों को भूराजस्व देना पड़ता था एवं उनके आदेशों का पालन करना पड़ता था।[19]

गुप्त काल कृषकों की स्थिति के लिये प्रमुख कारणों में राज्य द्वारा भूमिदान दिया जाना है, जिससे मध्यवर्ती भूस्वामियों का उदय हुआ, किसानों की स्वतन्त्रता और उनके भूमि छोड़कर जाने पर प्रतिबन्ध लगे। विशिष्ट प्रथा का प्रचलन बढ़ा। एक ही भूखण्ड पर कई स्तरों में स्वामित्व होने से कृषक पर करों का असहनीय भार बढ़ा और अन्ततः भूमि जोतने वाले कृषक कृषिदास के समान हो गये।

प्राचीन भारत के कृषि अर्थव्यवस्था में कृषकों एवं श्रमिकों का महत्वपूर्ण स्थान था, जिन्होंने अपने श्रम बल का उपयोग कर अधिशेष उत्पन्न किया, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, मानवीय, राजनीतिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ। लेकिन कृषकों के सामाजिक जीवन में कोई क्रान्ति न हो सकी। गुप्तकाल में भी कृषि का विकास होता रहा, पर भारतीय कृषकों की दशा में समानुपातिक और सभी के लिए समान विकास नहीं हो सका। अधिकांश कृषकों एवं श्रमिकों को गंभीर सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ा।

lUnHk% %

1. वैदिक इन्डेक्स्, पृ0 159
2. ए0एन0 बोस; सोशल एण्ड रुरल इकॉनमी ऑफ नार्दन इंडिया, जि0 1, पृ0 63
3. एल0 गोपाल; इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ नार्दन इंडिया, पृ0 244
4. आर0एस0 शर्मा; इंडियन युडेलिज्म, पृ0 61
5. याज्ञवलक्य स्मृति, II 193, नारद स्मृति, VI 4
6. नारद स्मृति, VI. 3
7. अनुशान पर्व, 208, 34
8. अमरकोश–2.10, 38. 39
9. बृहस्पति स्मृति, XVI, 10
10. रन्धावा; एम0एस0 एग्रीकल्चर इन ऐन्श्येण्ट इण्डिया, पृ 407
11. अर्थशास्त्र III, 14
12. याज्ञवल्क्य II, 193, बृहस्पति ग्टप 5–6
13. विष्णु स्मृति, V153–54
14. वृहस्पति XVI, 11
15. नारद, VI, भृत्याय वेतनं रघात् कर्मस्वामी यथाकृतम्
16. शर्मा आर0एस0, ''शूद्रों का प्राचीन इतिहास'', पृ, 226
17. नारद स्मृति XIII, 38
18. वृहस्पति स्मृति, 10, 28
19. यादव, बी0एन0एस0; सेक्यलुर ग्रान्ट्स ऑफ द पोस्टगुप्त पीरियड एण्ड सम आस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ युडल कॉम्वेलक्स इन नार्दन इंडिया, लैण्ड सिस्टम एण्ड युडैलिज्म इन ऐंशियन्ट इंडिया, सं सरकार, डी0सी0, पृ0 72.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 14-16

uxjh; fgUnw ukjh esa /keZ % ,d lekt'kkL=h; v/;;u

ctjkuh frokjh*

धर्म एवं धार्मिकता का हिन्दू–नारियों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। धर्म के द्वारा ही इनके जीवन प्रणाली में शुद्धता एवं कर्तव्यपरायणता प्रस्फुटित होती है। धर्म नारियों के जीवन के समस्त पक्षों को प्रभावित करते हैं। सम–सामयिक समाज में नगरीय नारियों के जीवन में आधुनिकता का पुट परिलक्षित हो रहा है और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया जा रहा है।

नगरीय हिन्दू–नारियों के जीवन में धर्म की महत्ता के अध्ययन से स्पष्ट है कि हिन्दू समाज धर्म और आस्था मूलक समाज रहा है। हिन्दू–नारियाँ धर्म और आस्था की प्रतिमूर्ति रही हैं। कालान्तर से ही धर्म भारतीय नारी के जीवन का सम्पोषक रहा है। परम्परागत भारतीय–धर्म अथवा हिन्दू–धर्म अंग्रेजी के Religion शब्द से भिन्न है। Religion शब्द की मानवशास्त्रीय अवधारणा केवल कुछ अलौकिक विश्वासों और अधिप्राकृतिक शक्तियों से ही सम्बद्ध है, जबकि हिन्दू–धर्म कोई अलौकिक विश्वास नहीं है, बल्कि जीवन की एक विधि है, जो व्यक्ति को उसके वास्तविक कर्तव्यों का बोध कराती है। परिस्थिति और सामाजिक स्थिति के अनुसार व्यक्ति का जो भी कर्तव्य है, उसी को हम व्यक्ति का धर्म कहते हैं। भारतीय धराधाम पर तो धर्म शब्द में जाति विशेष की सभ्यता, संस्कृति, आचार–विचार, रहन–सहन, रीति–रिवाज तथा जीवन प्रणाली की प्रक्रिया और निदर्शन प्रस्तुत होता है। भारतीय–धर्म और हिन्दू–जाति की अपनी विशेष महत्ता और सत्ता है। प्रख्यात समाज वैज्ञानिक लेवान का मत है कि मनुष्य केवल तार्किक प्राणी ही नहीं है, वह अपने संवेगों और भावनाओं के अनुरूप अनेक अतार्किक एवं अविवेकपूर्ण वस्तुओं में विश्वास करता है। हमारे यहाँ यह माना जाता है कि मानव बिना ईश्वर के नहीं रह सकता है, वह ईश्वर के बिना शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए यह स्वीकार करना होगा कि मानव किसी न किसी धर्म को अवश्य ही अपनाता है, चाहे वह ईश्वरवादी हो या विज्ञानवादी ही क्यों न हो। विश्व में भारत जैसा कोई देश नहीं है जहाँ धर्म का इतना प्रयोग हुआ और जिसने जन–जीवन के प्रत्येक पहलू को अनुप्राणित किया हो। निःसन्देह भारतीय संस्कृति में जीवन का मूल आधार धर्म है। हिन्दू समाज में नियमबद्ध, संयमित और सात्विक जीवन ही धार्मिक जीवन है। वास्तव में धर्म व्यक्ति के आचरण और व्यवहार की एक संहिता है जो उसके कार्यों को व्यवस्थित, नियमित, संयमित और नियंत्रित करता है तथा स्वस्थ और उज्वल जीवन व्यतीत करने के निमित्त मार्ग प्रशस्त करता है, सदाचार ही धर्म में फलदायक बताया गया है। धर्म के मूल में लोक कल्याण की भावना निहित होती है, भारतीय संस्कृति सदा से ही धर्मपरायण रही है, अपने इसी विशेषता के कारण उसका विशेष सम्मान है।

धर्म जीवन को सम्पूर्णता प्रदान करने की एक विधि है। वेदों का उद्देश्य 'तमसो मा ज्योर्तिगमय' है। हिन्दू–धर्म में यह मान्यता है, वेद ही सम्पूर्ण धर्म का मूल है।

वेदोऽखिलो धर्ममूलं स्मृतिशीले तद्विराम। आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च।।

वेदों में ज्ञान की ऋचायें हैं जो मनुष्य को कर्म की ओर प्रेरित करती है। कर्म ही व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि कर्म के बिना धर्म को पूर्णता प्राप्त नहीं होती है। जहाँ धर्म होता है, वहीं ईश्वर भी निवास करते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं– जहाँ भगवान कृष्ण हैं वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है, वहाँ विजय है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि 'धर्म विरूद्धों भूतेशु कामोघस्मि भरतर्शभ'। हिन्दू–धर्म आचरण को समाजोपयोगी बनाने की बात कहता है। धर्म के विपरीत जहाँ कर्म होता है वहाँ घृणा, द्वेष ही फैलता है, मनुष्यत्व के सारे गुण वहाँ आदर्शहीन हो जाते हैं। धर्म, कर्म और ज्ञान सापेक्ष है। धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है, दया, दान से यह बढ़ता है, क्षमा में वह निवास करता है, और क्रोध से उसका नाश होता है।

'सत्याज्जायते दयया दानेन च वर्धते। क्षमाया तिष्ठति कोधान्नश्यति'।।

*समाजशास्त्र विभाग, सन्त गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ, उ0प्र0

हिन्दू–धर्म किसी दूसरे धर्म की आलोचना नहीं करता वास्तव में धर्म का शाश्वत लक्षण यही है जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा दे वह धर्म नहीं बल्कि कुधर्म है। जो धर्म समस्त धर्मों का अविरोधी है, वही यथार्थ धर्म है।

/kek ;k ck/kr /ke u l% /ke d/ke rrA vfojk/kh r ;k /ke% l /ke% lR;foØe%AA

हिन्दू–धर्म में कर्म को प्रधानता दी गयी है, मनुष्य का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है, कर्म भी सत्कर्म होना चाहिए, हिन्दू–धर्म व्यक्ति के अन्दर नैतिक विकास करता है, और उसे धर्मानुशासन का पाठ पढ़ाता है।

हिन्दू–धर्म में नारियों को महत्वपूर्ण माना गया है, हिन्दू समाज में स्त्री और पुरूष एक प्राण दो शरीर माने जाते हैं। नगरीय हिन्दू–नारियों में धर्म के विविध पक्षों– धार्मिक मान्यताओं, धर्म के प्रति श्रद्धा, व्रत के स्वरूपों एवं धर्म पालन में परिवार का महत्व, राष्ट्रीय–एकता एवं धर्म आदि पक्षों पर विचार करने के बाद यह बात मुख्य रूप से स्पष्ट हो जाती है कि आज भी नगरीय हिन्दू–नारियों में दो तिहाई से अधिक नारियाँ धार्मिक मान्यताओं का पूरा पालन करती है और इन धार्मिक मान्यताओं के पीछे एक तरफ परिवार की सुख–शान्ति की कामना एवं दूसरी तरफ अपने पूर्वजों की मान्यताओं का संरक्षण, का प्रयास करती हैं। जहाँ तक धार्मिक संस्कारों में व्रत तथा त्यौहारों का मानना है, उसमें दो तिहाई हिन्दू नारियाँ आज भी व्रत पर विश्वास करती हैं और विभिन्न प्रकार के व्रत तथा संस्कारों का पालन करती हैं। ये नारियाँ एक तरफ धर्म को शान्ति का कारक बताती हैं तथा दूसरी तरफ धर्म को जीवन का आधार बताती हैं, आधे से अधिक नारियों का यह मानना है कि धर्म के बिना तो जीवन ही अपूर्ण है। धर्म को जीवन से अलग कर देने का अर्थ होगा सामाजिक सम्बन्धों की मनचाही परिभाषा कर देना, जिसका परिणाम केवल विनाश होगा। हिन्दू–नारियों में धर्म और परिवार की प्रगाढ़ सम्बद्धता है, लगभग 90 प्रतिशत महिलाओं का मानना है कि धर्म व्यवहार नियंत्रण का प्रमुख कारक है और इसी आस्था पर घर परिवार का नियंत्रण चलता है। आधे से अधिक नारियाँ धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेती हैं। मेरे शोध के द्वारा यह स्पष्ट है कि 68 प्रतिशत नारियों के घरों में पूजा स्थान है, और 90 प्रतिशत परिवारों में धार्मिक पुस्तकों की उपलब्धता है।

जब हम धर्म एवं संस्कारों के भाग्यवादी पक्ष पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि आधे से अधिक महिलायें कार्यों की सफलता के लिए भगवान पर विश्वास करती हैं। शिक्षित होने के बाद भी भाग्यवाद में उनका पूरा विश्वास है इसलिए वे अपने बच्चों को सदैव धार्मिक शिक्षा देती हैं, और मानती है कि धार्मिक व्यक्ति संतुष्ट रहता है, और इससे उनके कार्य–व्यवसाय में वृद्धि होती है। जहाँ तक धार्मिक विश्वास और नैतिकता का सम्बन्ध है, आधी महिलाओं का मानना है कि धर्म में विश्वास के बिना नैतिक हुआ ही नहीं जा सकता है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट है कि हिन्दू–नारियों में पुरूषों की तुलना में धार्मिक भावना अधिक होती है। धर्म की जीवन्तता हिन्दू समाज में आज जो कुछ भी है, उसमें नारियों का योगदान है। आज चाहे जितना वैज्ञानिक आविष्कार तथा नई सामाजिक अवधारणायें तथा वैश्वीकरण, उत्तर आधुनिकता आदि जो भी सामाजिक प्रक्रिया के रूप में समाज में व्याप्त है, परन्तु आज भी हिन्दू नारियाँ धर्म को मानती हैं और बावजूद इसके निश्चय ही इसमें परिवर्तन आया है, और धर्म का ह्रास हुआ है। आज भी वैज्ञानिक पुट पर धर्म एवं संस्कारों का पुट प्रभावकारी है।

यह आम धारणा है कि हिन्दू–धर्म के प्रति आस्था और विश्वास नारियों में अधिक है। नगरीय परिवेश की हिन्दू नारियाँ मान्यताओं के पूर्णतया पालन का विचार रखती हैं, उनके विचार प्रगतिशील नारी के विचार हैं, और उनमें बदलाव की स्थिति स्पष्ट होती है लेकिन फिर भी वे धार्मिक हैं। यही हिन्दू–धर्म की विशेषता है, 65 प्रतिशत नारियाँ धार्मिक मान्यताओं का पूर्णतया पालन करती हैं। 23 प्रतिशत नारियाँ कुछ मान्यताओं को मानती है, कुछ को नहीं जबकि 8 प्रतिशत नारियाँ धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानती हैं और 4 प्रतिशत तटस्थ रहती हैं।

हिन्दू–नारियाँ अपने जीवन को तनावपूर्ण ढ़ंग से नहीं बल्कि शान्ति के वातावरण में जीना चाहती हैं, शोध परिणाम से स्पष्ट हुआ कि 80 प्रतिशत हिन्दू नारियाँ सुख एवं शान्ति के लिए धार्मिक मान्यतायें मानती हैं, 4 प्रतिशत पुरखों की मान्यताओं के कारण 6 प्रतिशत परिवार के दूसरे सदस्यों के कारण 10 प्रतिशत ऐसी हैं जो अपने व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के लिए, धर्म के प्रति आस्था रखती हैं।

नगरीय हिन्दू–नारियों में धर्म के प्रति लगाव आज की बदली परिस्थिति में भी है। मेरे स्वयं के शोध परिणाम बताते हैं कि 74 प्रतिशत नारियाँ व्रत करती हैं, जबकि 26 प्रतिशत नारियाँ नहीं करती हैं। हिन्दू–नारियों के जीवन में धार्मिक प्रयोजनों का अपना विशिष्ट महत्व है। हिन्दू जीवन संस्कारों से भी जुड़ा होता है। अमंगल जनक प्रभावों से बचने के लिए धार्मिक प्रयोजन किये जाते हैं, धार्मिक आयोजनों के प्रयोजन का एक रूप मोक्ष की प्राप्ति भी है। 52 प्रतिशत नारियाँ केवल पर्वों और उत्सवों के समय पूजा और धार्मिक आयोजन करती हैं 8 प्रतिशत नारियाँ देवी–देवताओं का व्रत करती हैं, 25 प्रतिशत कथा आदि सुनती हैं तथा 10 प्रतिशत नारियाँ कोई आयोजन नहीं करती हैं। शोध के परिणामों से स्पष्ट है कि 65 प्रतिशत नारियाँ मन्दिर जाने से मन को शान्ति मिलती है, ऐसा

कहती हैं। 17 प्रतिशत ईश्वरीय श्रद्धा के वशीभूत होकर मंदिर जाती हैं तथा 2 प्रतिशत का मत है कि घूमने फिरने के लिए मंदिर जाती हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण शान्त स्वच्छ और धार्मिक होता है।

हिन्दू–नारियों का विश्वास है कि धर्म मन को शान्ति देने वाला होता है, ऐसा मानना 35 प्रतिशत हिन्दू–नारियों का है। विपरीत एवं असफल परिस्थितियों में सतत् प्रयत्न की अभिप्रेरणा एवं आगामी प्रयास में सफलता का आश्वासन देने वाला तथ्य धर्म है। 19 प्रतिशत का मत है कि जीवन के सिद्धान्तों को आधार देने वाला तथ्य धर्म है। जीवन कुछ मूलभूत दर्शन पर खड़ा रहता है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 33 प्रतिशत का मत है कि धर्म व्यक्ति व समाज को नियंत्रित करने वाला होता है। 13 प्रतिशत की धारणा है कि धर्म एकता व सच्चाई का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता है। धर्म के प्रति नगरीय हिन्दू–नारियों में सकारात्मक सम्मान है। ऐसे विचारों से सामाजिक एवं जीवन मूल्यों की रक्षा होती है। हिन्दू नारियाँ धार्मिक होते हुए भी प्रगतिवादी विचारधारा की हैं। धार्मिक क्रियाकलापों के सम्पादन में भी हिन्दू–नारियों की प्रवृत्ति सुस्पष्ट होती है। पति के विरोध के बाद भी 35 प्रतिशत नारियाँ धार्मिक कार्य करने को उद्यत हैं। 31 प्रतिशत का उत्तर नहीं में है। यह प्रवृत्ति नगरीय हिन्दू–नारियों की उस स्वतंत्र विचारधारा को स्पष्ट करती है जो रूढ़िवादी मान्यताओं को दरकिनार करते हुए जन्म ले रही हैं। इस प्रकार हिन्दू नारियाँ धर्म के प्रति काफी सजग और सचेष्ट दिखाई पड़ती हैं।

धर्म में एकीकरण के भाव होते हैं, हिन्दू नारियाँ भी धर्म को राष्ट्रीय हितों से जोड़ती हैं। मैंने अपने स्वयं के शोध परिणामों में पाया कि 42 प्रतिशत नारियाँ धर्म से अलगाववाद दूर कर समृद्धिशाली राष्ट्र के निर्माण की पक्षधर हैं। 41 प्रतिशत नारियों का मत है कि धर्म राष्ट्र और समाज में समानता की भावना विकसित करता है। 4 प्रतिशत का मत है कि धर्म सभी सम्प्रदायों को आदर देने की बात सिखाता है। हिन्दू नारियाँ धर्म को व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के जीवन से जोड़ती हैं। भारतीय समाज सहिष्णुतावादी समाज रहा है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, जहाँ भिन्न–भिन्न जाति धर्म एवं वेषभूषा वाले लोग रहते हैं। इतनी सारी विविधताओं के बाद भी यहाँ लोगों में समन्वयवादिता देखने को मिलती है। हिन्दू–नारियों में धार्मिक सद्भावना के भाव भी हैं। वे दूसरे सम्प्रदाय के उत्सवों, रीति–रिवाजों में भी भाग लेती हैं, शोध परिणामों से स्पष्ट है कि 61 प्रतिशत हिन्दू नारियाँ किसी अन्य धर्म से लगाव नहीं रखती हैं, लेकिन 12 प्रतिशत सिक्ख धर्म के साथ, 10 प्रतिशत ईसाई धर्म के साथ, 17 प्रतिशत मुस्लिम धर्म के साथ आत्मीय धार्मिक लगाव रखती हैं, तथा उनके उत्सवों में भी भाग लेती हैं। यही हिन्दू–धर्म के विराट स्वरूप का चिन्तन है जो सर्व धर्म समभाव से शुरू होकर मानवता के कल्याण को अभिप्रेरित करता है जहाँ सिर्फ मानवता का दर्शन होता है, धार्मिक सीमाओं की बाध्यतायें संतुलित हो जाती हैं, और श्रेष्ठ मानवीय कल्याण का मार्ग प्रशस्त होने लगता है। हिन्दू–धर्म का यह विराट दर्शन नारी अर्थात् आधी दुनिया की आबादी के उस उदात्त, अविरल संस्कृति सम्पोषण की गाथा का यशगान है जहाँ केवल मानवता की सम्पोषिका के रूप में नारी को प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ न तो लिंग, जाति, उम्र आदि का बन्धन है, सिर्फ है तो मानवता का दर्शन है। धर्मचरिता नारी स्वकेन्द्रित हो रही मानव कल्याण की भावना के संकुचन को तोड़ती हुयी वसुधैव कुटुम्बकम् आधारित भाव भूमि को सम्पोषित करती है। भारत जैसे धर्म, संस्कृति प्रधान देश में हिन्दू नारी ध्वज वाहिका बनकर वर्तमान के विषमता भरे समाज का एकीकरण, कल्याण करने का रास्ता दिखाकर अपने त्याग के माध्यम से विश्व के लिए आदर्श प्रस्तुत कर रही है।

lUnHk% %

1. अग्रवाल, वासुदेव शरण; 1979, भारतीय धर्म मीमांसा, पृथ्वी प्रकाशन, वाराणसी,
2. अमेल्लै, एल.एम.एस.; 1941, फेमिली एण्ड रेलिजन
3. ऋग्वेद : 10/63, 10/82, 10/125
4. सम्पादक, वासुदेव शर्मा एवं कृष्ण भट्ट निर्णय सागर; 1925, ऐतरेय ब्राह्मण
5. गीता : अध्याय– 4, 6–8, 7/11
6. गोयनका, जय दयाल; 1974, धर्म से लाभ और अधर्म से हानि, गीता प्रेस, गोरखपुर
7. जोशी पं0 हरिवंश : धर्म और संस्कृति, लेख–कल्याण, हिन्दू संस्कृति अंक
8. तिवारी, बृजरानी; 2005, नगरीय हिन्दू–नारी में धर्म एवं संस्कारों के बदलते स्वरूप, शोध–प्रबन्ध, बी0ब0 सिं0पू0वि0वि0, जौनपुर
9. राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली; 1966, रेलिजन एण्ड सोसायटी
10. लेबान, जी0 : साइकालोजी ऑफ सोसियलिज्म, अध्याय–1

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 17-19

efgyk l'kfDrdj.k ,o dkedkth efgyk

MkO v'kkd dqekj*

आधुनिक समाज में नारी किसी भी क्षेत्र में पुरूष से सर्वथा पीछे नहीं है। गगन की ऊँचाई से लेकर समुद्र की गहराई तक महिलाओं की भूमिका पुरूषों की तुलना में किसी भी मायने में अंशमात्र भी कम नही है। इधर समाज में नारी सशक्तिकरण का आग्रह जोर पकड़ चुका था। 21वीं सदी का प्रारम्भिक वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत आज महिलाओं का पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त हो गया है। वे हर क्षेत्र में आत्मोत्कर्ष की चिंता करने लगी हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नारी विकास पर विशेष बल दिया गया है।

एक साधारण सा सवाल है कि किसी महिला के लिए विकास अधिक महत्वपूर्ण है या सशक्तिकरण ज्यादा जरूरी है। जवाब है, दोनों ही जरूरी है और दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। सशक्तिकरण के बिना महिला विकास की बात तक सोचना फिजूल है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्तिशाली बनाना, महिलाओं को वे सारे उपकरण उपलब्ध करवाना जिनकी सहायता से 'आधी दुनिया' उन्नति कर सकती है, आगे बढ़ सकती है, भारत ही नहीं समूची दुनिया में आज महिला सशक्तिकरण का दौर है। इस विषय पर सेमिनार हो रहे है, कार्यशालायें आयोजित की जा रही है और महिलाओं के लिए विभिन्न नियम, कायदे, कानून बनाये जा रहे है। प्रश्न है कि महिला सशक्तिकरण के मामले में हम कितना सफल हुए हैं ? क्या हम महिला सशक्तिकरण के अर्थ को समझ पाये हैं ? महिला सशक्तिकरण के प्रतिमान क्या हैं ? और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है ? 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में सारी दुनिया में सुधारवादी आन्दोलनों का जोर था, तो भारतीय समाज भी भला इससे कैसे बचा रह सकता था। उस दौर में सुधारवादी आन्दोलनों नें भारतीय समाज की संरचना को गहराई तक प्रभावित किया। इस सामाजिक चेतना की बदौलत दलित, पिछड़े व महिलायें बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आन्दोलनों में सम्मिलित हुईं। महिलाओं नें भारत की आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि महिलायें सभी क्षेत्रों में आगे आने लगीं।

कामकाजी महिलाओं को विकास का प्रतीक माना जाता है। महानगरों के कार्यालयों, कम्पनियों में महिलाओं को देखकर महिलावादी खुश होते हैं, कि देखो महिला–सशक्तिकरण सफल हुआ। जीविकोपार्जन में लगी महिलाओं को कामकाजी कहा जाता है, तो इसका अर्थ क्या है कि घर में रहकर परिवार की जिम्मेदारी सम्भालने वाली महिलायें काम ही नहीं करती। दरअसल विडम्बना है कि घर–परिवार के काम को कभी अहमियत ही नहीं दी गयी, उसे तो इसका कर्तव्य मानकर भुला दिया जाता है।

हमारे सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का हिस्सा आज भी लगभग एक चौथाई है। कभी किसी ने सोचा है कि गाँवों में अधिकांश काम कौन करता है ? ग्रामीण महिलायें दिन–रात काम में लगी रहती है। घर–परिवार के अलावा खेतों और पशुओं की देख–भाल का काम भी उन्हें ही करना पड़ता है। लेकिन अफसोस है कि ग्रामीण महिलाओं को कामकाजी माना ही नहीं जाता है।

दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और यह बदलाव कई दिशाओं में हो रहा है। पढ़ लिख कर विकास की दौड़ में आ खड़ी हुई महिलायें अब घर की चारदीवारियों से निकल कर काम–काज की दुनिया में शामिल हो रही हैं। बदली हुई सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में महिलाओं को शिक्षा और रोजगार के अवसर आसानी से मिलने लगे हैं, जिस कारण उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी मिली है। समाज में स्वयं अर्जित प्रतिष्ठा पाने के साधन मिले है। जीवन को अपने तरीके से जीने की आजादी मिली है। जैसे–जैसे महिलायें घरों से निकल कर कार्यस्थल तक पहुँच रही हैं, वैसे–वैसे उनकी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में

*असि0 प्रो0 (समाजशास्त्र), राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मगरहॉ, मीरजापुर,उ0प्र0:

घर व कार्यालय के बीच बँटी कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर शोध हो रहे हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो कामकाजी महिलाओं के प्रति समाज के नजरिये में रेखांकित करने योग्य बदलाव आया है।

यह सर्वविदित है कि हमारे देश की जनसंख्या का आधा हिस्सा महिलायें हैं। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को स्वीकार किया गया है क्योंकि महिला व पुरूष विकास रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। महिलायें राष्ट्र के विकास में उतना ही महत्व रखती हैं जितना पुरूषों का है। अतः देश का समग्र विकास महिलाओं की भागीदारी के बगैर सम्भव नहीं है। आधी आबादी यानी भारतीय महिलाओं के विकास की ओर बढ़ते कदम आज पूरी दुनिया के लिये मिसाल बन चुके हैं। आज भारतीय महिलाओं नें देश दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में अपना सम्मानित स्थान बनाया है। आज महिलायें बेहतर रोजगार के लिये दुनिया के किसी भी कोनें में जाने के लिये तैयार हैं। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ महिलाओं नें अपनी उपस्थित दर्ज न करायी हो। राष्ट्र के विकास की अग्रदूत बनी महिलाओं द्वारा देश ही नहीं विदेशों में भी अपने राष्ट्र का परचम लहराया है। समुद्र की गहराई से लेकर पहाड़ों की ऊचाइयाँ भी इन कदमों के सामने छोटी पड़ गयी हैं। राष्ट्र की आंतरिक एवं वाह्य गतिविधियॉ भी इनसे अछूती नहीं रह पायी।

स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय बनी हुई थीं। वह शोषण का शिकार व कुप्रथा जैसी विसंगतियों का शिकार थीं। समाज में कई प्रकार की रूढ़ियाँ, अंधविश्वास व्याप्त थे, जिनमें बाल–विवाह, सती–प्रथा आदि अन्य कुप्रथा प्रमुख थीं। नारी को भोग की वस्तु माना गया।

स्वतंत्रता के बाद से ही नारी के स्वरूप में तेजी से परिवर्तन आया है। जिस देश में नारी को घर की दहलीज से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं थी, उसी देश में आज नारी पुरूषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। वह घर की चारदीवारी से निकलकर अंतरिक्ष तक जा पहुँची हैं। जिस देश में नारी शिक्षित व गुणवती होती हैं, वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नति कर सकता है। इसी विचारधारा को ध्यान में रखकर हमारे यहॉ स्त्रियों को पुरूषों के बराबर अधिकार प्रदान किये गये हैं तथा इनके लिये शिक्षा की समुचित व्यवस्था की गई है। तब किसी नें सोचा भी न था कि यह पिछड़ा हुआ नारीवर्ग पुरूषों से भी आगे निकल जायेगा।

हाल ही के कुछ दशकों से महिलाओं नें बड़ी तादाद में घरेलू दायित्व के अतिरिक्त कारखानों, बागानों, खादानों, सरकारी कार्यालयों, छोटे व बड़े पैमानों के उद्योगों, विनिर्माण एवं असंगठित क्षेत्र की उत्पादनशील गतिविधियों में अपनी पहचान बनाना प्रारम्भ कर दिया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कृषि एक जीवन पद्धति है। जनसंख्या के दो–तिहाई लोगों को जीविका प्रदान करने वाली कृषि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। कृषि कार्य में जहाँ शारीरिक श्रम का प्रश्न है, वहाँ 80% कार्य महिलायें ही करती हैं। कृषि में प्रत्यक्ष योगदान के बावजूद महिलाओं को कृषक की श्रेणी में नहीं रखा गया है। पुरूष भले ही कुछ समय तक हल चला लेता है, लेकिन खेती के हर चरण में बुवाई, निराई से लेकर कटाई और अनाज को घर ले आने तक हर काम महिलायें ही करती हैं। फसल एवं पशुओं की बीमारियों की रोक–थाम, पशुधन के चारे–पानी की व्यवस्था के अलावा जब पुरूष खेत–खलिहान में काम करते हैं तब घर की देख–भाल का काम स्त्रियाँ ही करती है।

विगत् कुछ वर्षों में महिलाओं की जीवनशैली में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है जिनसे उनके व्यवहार, मूल्य, संवेदनाओं एवं प्रेरणा शक्ति ही प्रभावित नही हुई है। बल्कि आज वे जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पुरूषों के कंधे से कंधा मिलाकर भागीदारी कर रही हैं। सामाजिक परिवर्तन के घूमते चक्र के कारण ही महिलाओं को परम्परागत रूढ़िवादी भूमिका से काफी हद तक मुक्ति मिल गयी है। हाँलाकि इस प्रक्रिया में विभिन्न कानूनी प्राविधानों नें भी सकारात्मक भूमिका निभाई है। अब महिलायें मात्र गृहिणी की ही भूमिका तक सिमटी नहीं हैं बल्कि आधिपत्य जवाबी और परिपक्व स्त्री के रूप में सहज देखी जा सकती है।

इन सामाजिक परिवर्तनों का असर शहरी शिक्षित महिलाओं में और उसमें भी विशेष रूप से मध्यमवर्गीय महिलाओं पर अधिक पड़ा है। शहरीकरण शिक्षा और रोजगार जो कि वस्तुतः इस सामाजिक बदलाव की देन है, उन्हें अपने व्यक्तित्व को निखारने तथा अधिकार जताने की वाबत नये आयाम दिखाये हैं।

भारतीय शहरी महिला अपनी ग्रामीण बहनों को जो न सिर्फ घरेलू कामकाज की जिम्मेदारी का निर्वाह करती हैं बल्कि पुरूषों के साथ खेतों में भी हॉथ बॅटाती हैं। इससे उनकी व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। जितनी भी आर्थिक प्रणाली है, उन सब में स्त्रियों से काम लिया जाता रहा है बल्कि शायद उनसे काम लेने की जरूरत भी महसूस की जाती रही है और लगभग सभी ऐसी प्रणालियों में वे अपना जीवन–यापन के लिये और मनुष्य के नाते तथा समाज का सदस्य होने के नाते अपने सन्तोष के लिये काम करती रही हैं।

राष्ट्र के निर्माण में स्त्रियों का योगदान काफी महत्व रखता है लेकिन राष्ट्र की आर्थिक प्रगति ओर विकास में भी स्त्रियों की भूमिका कुछ कम महत्व नहीं रखती। इस महान और मजबूत स्त्री शक्ति की ओर उचित ध्यान देनें की जरूरत है जिसमें कि खुद स्त्रियों से ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और साथ ही राष्ट्र के विकास और आर्थिक प्रगति के मामले में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सके। यह तभी सम्भव होगा जब स्त्रियों को सम्मान दिया जाय और इसके साथ ही उनकी शक्ति को राष्ट्र के लाभ के लिये व स्त्रियों का दर्जा उठाने के लिये सही रास्ते पर लाया जाये। शहरों में कामकाजी महिलाओं की स्थिति और संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन छोटे कस्बों और गाँवों में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आज की इस पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में लगभग हर काम की एक कीमत देखी जाती है। राष्ट्रीय आय में समस्त व्यक्तियों की आय को जोड़कर ऑका जाता है। इसमें लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। व्यक्तिगत आय का स्तर अधिक है तो आर्थिक कल्याण भी अधिक माना जाता है। अतः प्रत्येक महिला कुछ भी कार्य करती है तो वह आर्थिक विकास में बराबरी की भागीदार है। यदि वह किसी सेवा व व्यवसाय में कार्यरत नहीं है और घर पर ही जिम्मेदारियाँ सम्भालती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं, तो भी वह पुरूष को बाहर के विकास कार्यों के लिये मुक्ति प्रदान कर, उचित और अनुकूल वातावरण देकर प्रेरित और प्रोत्साहित कर, भावी पीढ़ी को शिक्षित कर देश की आर्थिक विकास में अपनी भागीदरी का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रही है। आर्थिक जगत में महिलाओं के इस प्रवेश नें सूक्ष्म स्तर पर परिवार निर्माण एवं व्यापक स्तर पर राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की है। आज सरकार भी महिलाओं के उत्थान, विकास और उन्हें सशक्त बनाने वाले सारे प्रयासों पर जोर दे रही है।

स्पष्ट है कि कामकाजी महिलाओं के साथ दिक्कतों का एक अम्बार सा लगा है। अभी जरूरत है कि महिलाओं को और सशक्त बनाया जाये, उसके लिये सबसे प्राथमिक शर्त उनकी शिक्षा ही है। यदि महिलाओं के बीच शिक्षा होगी, जागरूकता होगी तो उन्हें अपने अधिकारों का भी ज्ञान होगा। ऐसी जागरूक व शिक्षित महिला को फिर दबाने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर महिलाओं के बीच शिक्षा होगी तो फिर वे आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनेंगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई कारण नही कि महिलायें विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह जाय। इस प्रकार जरूरत है आज महिलाओं को शिक्षित बनाने की तथा उन्हें जागरूक करने की। यदि महिलाओं को शिक्षित बना दिया जाय तो वे अपने सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक अधिकारों के प्रति स्वतः जागरूक हो जायेंगी और फिर ऐसी महिलाओं को दबाना किसी के लिये सम्भव नहीं हो पायेगा। इस दशा में गैर सरकारी संगठन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

lUnHkZ%

1. सिंह, मीनाक्षी निशांत (2006); महिला सशक्तिकरण का सच, ओमेगा प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0 176
2. भारती, ममता (2008); कृषि कार्यों में महिलाओं की भूमिका, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली पृ0 12
3. तिवारी, निलेश कुमार (2017); ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में पशुपालन की भूमिका, कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली पृ0 33
4. कान्त, अंजनी (2005); महिला एवं बाल कानून, सेन्ट्रल लॉ पब्लीकेशन्स, इलाहाबाद, पृ0 82
5. सिंह, प्रदीप कुमार (2010); संगठित महिलायें सशक्त समाज कुरूक्षेत्र, नई दिल्ली पृ0 03

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 20-22

efgyk dfe;k d lo/kkfud rFkk dkuuh vf/kdkj

MkO vHk; irki flg*

प्रस्तुत शोध पत्र अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है। इस शोध पत्र में बच्चों के संवैधानिक अधिकार और उनके विविध पक्षों को स्पर्श किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्वों में उपबन्धित है कि राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रुप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को सामान रुप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो तथा इन कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो एवं आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो इसी प्रकार अनुच्छेद 42 काम न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबन्ध करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 43स्त्री एवं पुरुष कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था करने का निर्देश देता है, क्योंकि राष्ट्र के आर्थिक विकास में भागीदार स्त्री–पुरुष श्रमिकों की गरिमा एवं उनके व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए उन्हें निर्वाह योग्य मजदूरी दिया जाना तथा उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना अपरिहार्य है. अभी हाल ही में जोड़े गए अनुच्छेद 43–क के अनुसार उद्योगों के प्रबन्ध में स्त्री–पुरुष कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने का राज्य को निर्देश है।

राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों के अनुपालन में संघ तथा राज्य सरकारों ने विभिन्न अधिनियम पारित किए हैं जिनमें स्त्री–पुरुष कर्मियों की कार्यदशा सुधारने का प्रयास किया गया है इनमें प्रसूति प्रसुविधा अधि–नियम, मजदूरी संदाय अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम; बोनस संदाय अधिनियम तथा कारखाना अधिनियम आदि प्रमुख हैं कुछ अधिनियम स्त्री–पुरुष कर्मकारों के मध्य बराबरी लाने के इरादे से पारित किए गए जिनमें सामान पारिश्रमिक अधिनियम प्रमुख हैं प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम केवल स्त्री कर्मकारों की विशिष्ट लैंगिक स्थिति के कारण उपबन्ध बनाने के लिए पारित किया गया है।

स्त्री की शारीरिक संरचना और मातृक–कृत्यों का पालन जीवन–निर्वाह के लिए उसे अलाभ की स्थिति में रखते है तथा उसकी शारीरिक भलाई, लोकहित और सावधानी का विषय हो जाती है, ताकि उसके परिवार की क्षमता और उत्साह का परिरक्षण किया जा सके इस कारण स्त्रियों के पक्ष में विशेष उपबन्ध आवश्यक है विधायिका ने इन वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर स्त्री कर्मकारों के कार्य के घण्टे स्वास्थ्य व सुरक्षा हेतु उपबन्ध तथा शिशु–गृह आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित विधि पारित की है जो विभिन्न अधिनियमों से परिलक्षित होती है. LokLF;] lj{kk rFkk dke d ?k.V

कारखाना आधिनयम 1948 में कर्मकारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण काम के घण्टे तथा अल्पवयस्कों को नियोजित करने के लिए कानून बनाए गए है इन नियमों में महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। कारखाना अधिनियम के अध्याय 5 में कर्मकारों के कल्याण के लिए उपबन्ध हैं तथा धारा 42 पुरुष और महिला कर्मकारों के लिए पृथक् और समुचित धुलाई की सुविधाएँ प्रदान करने की व्यवस्था करता हैं। इस प्रकार कपड़ों को इकट्ठा करने और सुखाने के सम्बन्ध में सुविधाएं मुहैया करने विश्राम के समय में बैठने की जगह प्रदान करने, प्राथमिक चिकित्सा उपकरण रखने, कैन्टीन, शरण–गृह, विश्राम–गृह आदि व्यवस्था करने के आदेशात्मक उपबन्ध हैं।

अनेक कारखानों में ऐसी स्त्रियाँ नियोजित होती है जिनके गोद खेलते बच्चे होते है। स्त्रियाँ ऐसे बच्चों को अपने साथ लाती हैं जिन्हें शिशु–गृहों के अभाव में इधर–उधर खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है। मिलों में ये बच्चे आवाज की खड़खड़ाहट और चलती मशीनों के खतरे और धूल से भरे हुए वातावरण के शिकार बनते

*समाजशास्त्र विभाग, आर0एस0के0डी0 पी0जी0 कालेज, जौनपुर, उ0प्र0

है। अतः धारा 48 हर ऐसे कारखाने में, जिसमें साधारणतया 30या इससे अधिक स्त्रियाँ नियोजित है, छःवर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए उपयुक्त कमरा या कमरे उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है जिसे सार्वजनिक शिशु–गृह में तब्दील किया जा सके। ऐसे शिशु–गृहों में समुचित स्थान प्रदान किया जाएगा, इन्हें पर्याप्त रुप से प्रकाश और हवा से युक्त रखा जाएगा तथा ऐसा बाल गृह, बालकों एवं शिशुओं की देख रेख के कार्य में प्रशिक्षित,महिला के प्रभार के अन्तर्गत रखा जाएगा।इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को यह भी शक्ति दी गई है कि वह नियमावली बनाकर ऐसे शिशु–गृहों के लिए स्थान नियत करने और उन गृहों के निर्माण,उनमें उपलब्ध स्थान,फर्नीचर और उचित साज–सज्जा के मानक स्थिर करे ऐसे कारखानों में महिला कर्मकारों के शिशुओं की देख–रेख के लिए अन्य अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान करने, धुलाई के लिए स्थान एवं पानी आदि की समुचित सुविधाए और स्त्रियों के वस्त्र बदलने के लिए उचित एवं सुरक्षित व्यवस्था करने, ऐसे शिशुओं के लिए निःशुल्क दूध या नाश्ता या दोनों के लिए व्यवस्था कारखानें में ही करने तथा आवश्यक अन्तरालों पर ऐसे बच्चों की माताओं को उन्हें अपना दूध पिलाने की सुविधा देने की व्यवस्था करने का आदेशात्मक उपबन्ध करता है।

इसी अधिनियम के अध्याय 6में वयस्कों के काम के घण्टों के सम्बन्ध में विशद विवेचन है कि इनसे अधिकतम कितने घण्टे काम लिया जा सकता है तथा ओवर–टाइम लेने पर मजदूरी की दर क्या होगी? श्रम विषयक रायल कमीशान ने अपने प्रतिवेदन में यह संकेत किया था कि स्त्रियों के लिए पुरुषों की अपेक्षा काम के घण्टों की अधिकतम सीमा कम निर्धारित करने का प्रमुख आधार यह है कि स्त्रियों को घरेलू काम भी करने पड़ते हैं, अतः धारा 66यह प्रावधान करती है कि स्त्रियों को किसी भी कारखाने में 6 बजे प्रातः से 7 बजे सायं तक की अवधि के उपरान्त की अवधि में काम करने की न तो अपेक्षा की जाएगी और न ही आज्ञा दी जाएगी, लेकिन राज्य सरकार को कतिपय परिस्थितियों में इसमें ढ़ील देने की अनुमति है जैसे मत्स्य–उपचार या मत्स्य कैनिग के कारोबार में जहाँ कि कथित निर्बन्धनों की सीमा से बाहर की अवधियों में काम करना आवश्यक हो ताकि कच्चे माल को बिगड़ने या क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके यह छूट सिर्फ एक सीमा तक दी जा सकती है तथा महिलाओं को 10 बजे रात्रि से 5 बजे प्रातः तक के नियोजन से मुक्त रखना आवश्यक है इस प्रसंग में ओमान वूमेन बनाम ए.सी.टी.लिमिटेड (1991)के वाद उल्लेखनीय है जिसमें कर्मचारियों को नियमित रुप से आत्मसात्करण हेतु ली जा रही आन्तरिक परीक्षा में महिला कर्मकारों को शामिल किए जाने से इस कारण मना कर दिया गया कि वे स्त्रियाँ थीं तथा कारखाने की रात समेत सभी पालियों में काम करने में अक्षम थीं लिंग भेद के आधार पर महिलाओं को परीक्षा से वंचित किया जाना संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 15 का उल्लंघन करार देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि स्त्रियाँ केवल रात दस बजे से प्रातः 5 बजे तक ही उपलब्ध नहीं हैं, बाकी पालियों में वे पुरुषों के साथ काम करने में सक्षम हैं अतः उन्हें परीक्षा में बैठने का अधिकार हैं।

मार्च 2005 में केन्द्रीय सरकार ने महिलाओं को फक्टरी में रात की पाली में काम करने की अनुमति प्रदान करने हेतु कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। वर्तमान संदर्भ में सूचना तकनीक आधारित कार्यों के कारण अनेक कार्य रात की पाली में ही सम्पन्न होते हैं। अतः महिलाओं को रात की पाली में कार्य करना आवश्यक होता जा रहा है महिलाओं को रात में कार्य करने एवं आवागमन की सुरक्षित एवं समुचित दशाएँ प्रदान करने का प्रावधान करने की घोषणा भी सरकार ने की है।

ekrRo ,oa izlfr vodk'k % कारखाना अधिनियम की धारा 79 मजदूरी सहित छुट्टी की गणना में किसी स्त्री कर्मकार द्वारा ली गई बारह सप्ताह से अधिक की प्रसूति छुट्टी का आकलन करने का प्रावधान करती है। अध्याय 9 की धारा 87 में राज्य सरकार को यह शक्ति दी गई है। कि खतरनाक या जोखिम भरी क्रियाओं वाले कारखानों में स्त्रियों तथा बच्चों के नियोजन पर रोक लगा सकती है।

मातृत्व प्रत्येक स्त्री का पवित्र अधिकार तथा ईश्वर द्वारा दिया गया दायित्व है जिसकी पूर्ति करते हुए वह स्वयं को धन्य मानती है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 शिशु–प्रसव से पूर्व और उसके बाद की कुछ अवधि में स्त्रियों के नियोजन को विनिमित करने के उद्देश्य से बनाया गया है इसका उद्देश्य महिला कर्मकारों को सामाजिक न्याय प्रदान करना है। उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चयों में कहा है कि इस अधिनियम के उपबन्धों का निर्वचन करने में न्यायालय को उदारवादी नियम का पालन करना चाहिए जिससे कि न केवल महिला कर्मकारों का भरण–पोषण हो सके। बल्कि वे अपनी क्षीण शक्ति को पुनः प्राप्त कर सकें। शिशुओं का पालन–पोषण हो सके तथा अपनी पूर्ण कार्य क्षमता को बनाए भी रख सकें।

i:lfr i:lfo/kk vf/kfu;e dh /kkjk 4 % के अनुसार उद्योग में नियोजित प्रत्येक महिला को प्रसव तथा गर्भपात के लिए सब मिलाकर 12सप्ताह का विश्राम पाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। कई राज्यों में तथा कई सेवाओं में प्रसूति अवकाश बढ़ाकर 135दिन कर दिया गया है इस अधिकार को प्रदान करना नियोजक के लिए बन्धनकारी है, क्योंकि यह प्रावधान आदेशात्मक है। अधिकारों को प्रदान न करने पर उसे दोषसिद्ध किया जा सकता है। कोई भी नियोजक जानबूझकर ऐसी महिला को काम पर नहीं लगाएगा जिसे 6सप्ताह के अन्दर ही बच्चे को जन्म देने की सम्भावना है।

इसी से जुड़ा हुआ दूसरा अधिकार है कि प्रसव से 6सप्ताह की छुटटी पर जाने के एक माह पूर्व यदि वह स्वामी से लिखित प्रार्थना करती है कि उसे अधिक और भारी काम न लिया जाए जिससे उसको तथा होने वाले बच्चे पर कुप्रभाव का ड़र या स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की सम्भावना है।तो नियोजक उसकी प्रार्थना पर कार्य करने तथा उसे श्रम साध्य कार्य न देने के लिए अपेक्षित है।

मातृत्व लाभ के आकलन विधि पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि सप्ताह में बिना मजदूरी वाली छुटिटयाँ भी सम्मिलित होंगी 6 सप्ताह की अवधि में आने वाले रविवार तथा अन्य अवैतनिक अवकाश सम्मिलित माने जाएंगे यदि वह स्त्री प्रसव–कार्य के पूर्व ही मर जाती है, तो उसकी मृत्यु के दिन तक का मातृत्व लाभ देय होगा। यदि स्त्री बच्चे को जन्म देने के बाद मर जाती है और बच्चा जीवित रहता है, तो प्रसव के 6 सप्ताह का मातृत्व–लाभ देय होगा, लेकिन यदि जच्चा–बच्चा दोनों ही काल–कलवित हो जाते हैं,तो उनके जीवित रहने के अन्तिम दिन तक का लाभ दिया जाएगा यदि माता की मृत्यु के समय नवजात शिशु जीवित है और माँ के मरने के बाद मरता है, तो जितने दिन वह जीवित रहा उस समय तक का मातृत्व–लाभ स्त्री के नामित व्यक्ति या उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को देना होगा मातृत्व–लाभ देने का उत्तरदायित्व नियोजक का होता है यदि वह मातृत्व–लाभ बोनस अनुचित ढंग से रोकता है, तो दोषसिद्ध किया जा सकता है तथा दण्ड का भागीदार हो सकते है। बी0 शाह बनाम प्रिसाइडिंग लेबर कोर्ट, कोयम्बटूर (1977) के मामले में उच्चतम न्यायालय में यह मत व्यक्त किया है कि संविधान के अनुच्छेद 42 में अभिव्यक्त निर्देशों की बहुत उपयोगिता है तथा यह अनुच्छेद महिला कर्मचारियों को अपने नवजात शिशु की देख–देख, कार्यकर्मी के रुप में अपनी कार्यकुशलता का पोषण,अपनी कार्य क्षमता व उत्पादन शक्ति का पुनः संग्रह करने का अवसर करने की नीति प्रस्तुत करता है।

भारतीय सविधान के मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में स्त्रियों के लिए विशिष्ट व्यवस्था करने का प्रावधान है. अनुच्छेद 51(ङ) प्रत्येक नागरिक पर एक मौलिक दायित्व अधिरोपित करता है कि ऐसी प्रथाओं का परित्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो स्त्री कर्मकारों को दी गई वैधानिक सुरक्षा इसी दायित्व की सम्पूर्ति है।

lUnHkZ %

1. इंडियन लेडीज; न्यूज एंड नोट्स, वर्ष 7, अंक 10, अप्रैल 1993 पृ0 233
2. कृआर0 के0 शर्मा; नेशनलिज्म, सोशलरिफॉर्म एंड वूमन, दिल्ली, पृ0 61
3. अवस्थी, डॉ. अशोक कुमार,प्रतियोगिता दर्पण, अगस्त, 2005, पृ0 68–70
4. मीरा देसाई व उषा ढक्कर, 2009; 'भारतीय समाज में महिलायें', नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, दिल्ली

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 23-25

ekU lkekftd ifjorZu&ckfydk f'k{kk

MkW0 edjUn tk;loky*

शिक्षा प्रत्येक मानव के लिए अत्यन्त आवश्यक है, शिक्षा के अभाव में मनुष्य पशु के समान है, शिक्षा ही मानव एवं पशु के बीच भेद का प्रमुख तत्व है, शिक्षा एक प्रकाश है, जो मनुष्य को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, एक निर्धन से निर्धन व्यक्ति को यह उठाने में एक अहम् भूमिका निभाती है, जब स्त्री शिक्षा की बात आती है तो आज भी ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएगें जिससे शिक्षा में असमानता देखने को मिलेगा, प्राचीन काल में नारी शिक्षा या बालिका शिक्षा का विशेष प्रबन्ध था, लेकिन कुछ वर्ष पूर्व एक बालिका शिक्षा की स्थिति अत्यन्त सोचनीय थी। बालिका शिक्षा का हमारे देश में विशेष महत्व है क्योंकि इसे समाज में एक मौन क्रांति लाई जा सकती है, राष्ट्र का विकास इसी पर निर्भर है इसलिए इसे अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आज भी हमारे देश में लड़के और लड़कियों में भेद भाव किया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो यह स्थिति अत्यन्त सोचनीय है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग शिक्षा के महत्व से परिचित नहीं है। उनकी दृष्टि में बालक की शिक्षा आवश्यक है क्योंकि वे नौकरी या बाहर काम करने जाते हैं। जबकि लड़कियाँ घर में रहती है तथा शादी के बाद बच्चों का तथा परिवार की जिम्मेदारी ही उन्हें देखनी है। भारत की महिलाओं के लिए वैदिक काल में जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, का उद्घोष हुआ करता था, वहीं मध्य काल में भारत में महिलाओं को दासता की बेड़ियों में जकड़ दिया गया और उसे पैर की जूती माना जाने लगा। मध्यकालीन महिलाओं की दासता और दुर्दशा आज तक अनवरत रूप से चली आ रही है, आज आजादी के 70 वर्ष बाद भी भारत की महिलाओं का संविधान प्रदत्त समानता का अधिकार प्राप्त नहीं है और तो और देश की सर्वोच्च संस्था संसद भी बराबरी का 50 प्रतिशत हिस्सा तो दूर उन्हें 33 प्रतिशत आरक्षण भी देने को तैयार नहीं है।

पुरूषों का यह एकाधिकारीवादी सोच स्पष्ट रूप से महिलाओं को समानता का दर्जा दिलाने में सबसे बड़ा बाधक है। इसके लिए अब स्वयं महिला वर्ग को अपने आप को समर्थ बताकर संघर्ष करना और बराबरी का हक प्राप्त करना होगा। महिलाओं के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उनका अशिक्षित होना रहा है।

v/;;u dk mn~ns'; प्रस्तुत अध्ययन मीरजापुर शहर के निम्न आय वर्ग के बालिकाओं का अध्ययन कर यह ज्ञात करना है कि शहर में समस्त सरकारी सुविधाओं के बाद भी उनकी क्या मजबूरी है कि वे शिक्षा ग्रहण करने से वंचित है।

v/;;u fof/k अध्ययन के लिए मीरजापुर के 100 निम्न आय वर्ग के परिवारो का चयन कर, अनुसूची के माध्यम से विभिन्न प्रश्नों के संदर्भ में उनके विचारों को जानने का प्रयत्न किया गया है, इसके लिए अन्वेषणात्मक शोध प्रारूप का चयन किया गया है।

lk{kjrk esa efgykvksa dh vc rd dh fLFkfr lkj.kh&1 esa n'kkZ;h x;h gSA

o"kZ	lk{kjrk dk izfr'kr
1951	8.56
1961	13.35
1971	21.97
1981	29.76
1991	39.29
2001	54.16
2011	65.46

*असि0 प्रोफेसर (समाजशास्त्र), के0बी0पी0जी0 कालेज, मीरजापुर, उ0प्र0

सारणी को देखने से स्पष्ट होता है कि आजादी के समय महिलाओं की साक्षरता की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। वर्ष 1951 में देश में मात्र 8.86 प्रतिशत महिलाएँ ही साक्षर थी।
आज आजादी के 70 वर्ष बाद भी 2011 की जनगणना के बाद भी 65.46 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हो सकी है, महिलाओं के पिछड़ेपन, शोषण तथा उत्पीड़न का मुख्य कारण यही है।

इसके लिए देश में बालिका शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान दिया जाना आवश्यक है, अब तक बालिका शिक्षा के बारे में जितनी समानता सामाजिक स्तर पर होनी चाहिए थी, उतनी हुई नहीं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों ने साक्षरता के सम्बन्ध में प्रयास किए हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार–2009 विधयेक पारित भी किया गया है, किन्तु ये पूर्ण रूप से सफल नहीं पाए हैं। बालिका शिक्षा की प्रमुख कठिनाईयों के संदर्भ में उत्तर दाताओं ने निम्न प्रश्न किए गए जो प्रतिशत में व्यक्त किए गए है–

i:'u	mRrj ifr'kr e:
बालिका शिक्षा की प्रमुख बाधा गरीबी	80
पति पत्नी दोनों का काम करना	90
छोटे भाई बहनों की देखभाल करना	85
उपयोगी नहीं समझते	50
शिक्षा से नौकरी कठिन	60
सरकारी स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं	70
घरेलू कार्यों में सहयोग	80

प्रस्तुत अध्ययन में जब यह जानने का प्रयत्न किया गया कि बालिका शिक्षा की प्रमुख बाधा क्या है तो 80 प्रतिशत लोगों ने निर्धनता को इसका प्रमुख कारण बताया, 90 प्रतिशत लोगों ने पति–पत्नी दोनों को ही काम पर जाने के कारण लड़कियों को स्कूल भेजने अपने को असमर्थ पाया।, 85 प्रतिशत लोगों ने छोटे भाई–बहनों की देख रेख करने के कारण अपनी लड़कियों को शिक्षा हेतु स्कूल भेजने में असमर्थ है, 50 प्रतिशत लोगों ने बालिका शिक्षा को अनिवार्य नहीं मानते है, इसी प्रकार 60 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने शिक्षा द्वारा नौकरी मिलना कठिन बताया, 70 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सरकारी स्कूल में ठीक पढ़ाई न होने के कारण विद्यालय नहीं भेजते है तथा 80 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने घरेलू कार्यों में सहयोग के फलस्वरूप बालिकाओं को स्कूल भेजने मे असमर्थ अपने आपको पाया। इस प्रकार आज तेजी से बदलते दौर में भी जहाँ पुरूषों के बराबर स्त्रियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है, सरकार द्वारा ऐसे अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयं सेवी संगठन कार्य कर रहे हैं। इस सब के बाद भी आज कुछ लोग बालिका शिक्षा को आवश्यक नहीं समझते है।

ckfydk f'k{kk de gku d dkj.k %

1. बालिका तथा महिलाओं की सामाजिक भूमिका निश्चित है, जिसके कारण उन्हें शिक्षा के लिए कम अवकाश मिलता है।
2. बालिका और महिलाएँ दैनिक जीवन के कामों जैसे– लकड़ी, घास, चारा, पानी लाना और अन्य कामों में इतनी व्यस्त रहती है कि अन्य कामों के लिए वे समय नहीं निकाल पातीं।
3. सामाजिक मान्यताओं की वजह से शिक्षा, आरोग्य और रोजगार की जरूरत के संदर्भ में महिला और बालिकाओं के लिए सबसे अंतिम चरण में विचार–विमर्श किया जाता है।
4. निर्णय प्रक्रिया से अलग होने के कारण सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी नहीं के बराबर हो पाती है।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला और पुरूषों के बीच समानता लाने के साधन के तौर पर शिक्षा की भूमिका की चर्चा से एक नई सम्भावना का उदय हुआ। इस नीति के लिए महिला/बालिकाओं के समानता के लिए शिक्षा का अलग प्रकरण रखा गया। इस नीति के मुख्य मुद्दे इस प्रकार है–

- महिलाओं की स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने के साधन के तौर पर शिक्षा का उपयोग किया जाए। सामाजिक विकृतियों का असर मिटाने के लिए महिलाओं के लिए लाभदायी और सुगठित शिक्षा व्यवस्था का विकास किया जाए।
- महिलाओं में सामाजिक आर्थिक सक्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था विधेयक मध्यस्थता की भूमिका निभाएं।

- प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने और उसे चालू रखने में जो अवरोध है उन्हें दूर करने, महिलाओं में निरक्षरता निवारण की विशेष सेवाएं, समयबद्ध लक्ष्य प्राप्त करने और असरदार देख–रेख को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाए।
- गरीबी के कारण मजदूरी करने वाली बालिकाओं/महिलाओं के लिए सामान्य और व्यवसायी शिक्षा विकसित की जाए। विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्त पर शिक्षा का विकास करना आवश्यक है। एक ऐसा मद या स्थायी रकम होनी चाहिए जिसमें महिला और बालिकाओं को छात्रवृत्ति अथवा अन्य मदद प्रदान की जा सके।
- बालिकाओं के माता–पिता को शिक्षा का महत्व समझाने के लिए समुदाय की समानता को बढ़ावा देना या जागृत करना आवश्यक है।
- शिक्षा के प्रसार–प्रचार के लिए समय–समय पर भारत में अलग–अलग समितियाँ गठित की गई है। इन समितियों ने जो सुझाव दिए हैं वे इस प्रकार है–
- पाठशाला दूर हो तो बालिकाओं को घर से लाने और घर छोड़ने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए अर्थात् प्रदेश तथा स्थानीय वातावरण के अनुसार समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए और उन्हें आदर्श निवास की समुचित सुविधा उपलब्ध करवाई जाय।
- अस्तित्व के लिए जूझने वाली गरीब महिलाओं की जिन्दगी के लिए जीवनपयोगी अभ्यास क्रम तैयार करना आवश्यक है।
- बाल मजदूरों की समस्याओं को पहचान कर उनके लिए विशिष्ट सुविधाएँ प्रदान की जाएं।
- पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों को फिर से पाठशाला में पढ़ाई शुरू करवाने के लिए अल्पकालीन कार्यक्रम तैयार किए जाएं।
- पढ़ाई/अभ्यास क्रम सुचारू रूप से चले तथा उबाऊ न रहे उसके लिए अध्यापकों/शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाए।
- ग्राम–शिक्षा समिति गठित कर पाठशाला संचालन में स्थानीय समुदाय को सम्मिलित किया जाए एवं उसका सहयोग लिया जाए।
- महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पंच 1988 की श्रमशक्ति की रिपोर्ट में शिक्षा के बारे में सुझाव/सिफारिश इस प्रकार थे–
- प्राथमिक पाठशाला में नियमित रूप से शिशु पालन गृह चलाना।
- प्राथमिक पाठशाला स्तर पर सभी बालिकाओं को निःशुल्क वर्दियाँ, पाठ्य पुस्तकें, स्वाध्याय सामग्री देना, जो वर्तमान में दिया भी जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए पशुपालन, जमीन संरक्षण, खेती और सामाजिक वनीकरण, गृह विज्ञान, डेरी विज्ञान, दूध उत्पादन जैसे व्यावहारिक और जीवनोपयोगी विषयों को समाविष्ट करना और इतिहास, विज्ञान, रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र जैसे वैकल्पिक विषयों को भी सम्मिलित करना।
- महिला शिक्षिकाओं को उनके गाँव या निकट के गाँव में नियुक्त करना।
- ग्रामीण क्षेत्रामें में महिला शिक्षिकाओं के लिए शिक्षा प्रशिक्षण, आवास और भोजन की व्यवस्था निःशुल्क करना।

यदि बालिका शिक्षा के बारे में सरकार और समाज रचनात्मक सोच के साथ प्रयत्न करें तो बालिका शिक्षा की प्रगति निकट भविष्य में निश्चित रूप से देश में महिला समानता के स्वप्न को साकार कर सकती है।

lUnHkZ %

1. Bandura A. Aqqression : A Social Analysis, Prentice Hall, New Jersey-1973
2. Shard Neel K.- The Legal economics and social status of the Indian Child, National Book organization, New Delhi-1988.
3. Ahmed. M et al (1991) : Basic Education & National Development : Lessons from China & India : New York : UNICEF.
4. Bhattacharya's (2001) : Education of women in India, New Delhi- Kanishka Publishers
5. Chalan K.S. (1987) : Education of weaker sections, New Delhi : Inter- India Publications.
6. Dass S.K. (1996) : The educational system of Ancient Hindus, New Delhi, Giyan Publisher.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 26-29

bfrgkl dh ikphu Hkkjrh; vo/kkj.kk ds fofo/k vk;ke

MkO fouhr dqekj xqIr*

भारतीय इतिहास का आधुनिक अध्ययन पाश्चात्य विद्वानों द्वारा आरंभ हुआ। पाश्चात्य विद्वान यह स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं थे कि अति प्राचीन संस्कृतियों में इतिहास बोध था। किंतु अब यह स्वीकार नहीं किया जाता। अब अपनी ऐतिहासिक परम्पराओं के नियमों के आधार पर इतिहास के अध्ययन के प्रयास किये जा रहे हैं। इतिहास की प्राचीन भारतीय अवधारणा को समझने से पहले दो बातें समझना आवश्यक है। पहली तो यह कि विलियम हार्वे 1629 ई. में पहली बार रक्त परिसंचरण की खोज का श्रेय दिया जाता है, जो कि उचित है। किंतु यह कहना कि रक्त परिसंचरण 1628 ई. से ही आरंभ हुआ, अनुचित के साथ साथ हास्यास्पद भी होगा। इसी तरह इतिहास की अवधारणा और इतिहास लेखन भले ही एक आधुनिक प्रपंच है किंतु प्राचीन संस्कृतियों की इतिहास चेतना को न समझना एक गंभीर भूल होगी। दूसरी बात यह है कि प्राचीन भारतीय इतिहास विषयक विभिन्न अवधारणाएँ आरंभिक युग में लिखित विवरणों के बजाय मौखिक परम्पराओं पर आधारित हैं। अतः प्राचीन भारतीय इतिहास विषयक अवधारणाओं को समझने के लिए हमें मौखिक परम्पराओं पर ध्यान देना होगा। यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि सही मायने में सच्चा और वस्तुनिष्ठ इतिहास तभी सामने आता है जब हम अतीत के किसी युग का मूल्यांकन उसी युग के परिवेश में करें। इसी पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोधपत्र में इतिहास की प्राचीन भारतीय अवधारणा के विविध आयामों को समझने का प्रयास किया जा रहा है। इतिहास की प्राचीन भारतीय अवधारणा में युगचक्रवाद, अवतारवाद, कर्म का सिद्धांत, पुनर्जन्म का सिद्धांत, मोक्ष प्राप्ति आदि शामिल हैं।

भारतीय चिन्तन परम्परा में युगचक्रवादी सिद्धांत सर्व स्वीकृत सिद्धांत है। इस दृष्टिकोण का सबसे बड़ा और आवश्यक गुण यह है कि यह भौतिक घटनाओं को अच्छे और बुरे दोनों रूपों को ही अस्थायी मानता है। यह इतिहास का विशेष दृष्टिकोण है जिसमें उत्थान और पतन दोनों शामिल है, पतन के बाद उत्थान भी यह मानता है।[1] युगचक्रवादी सिद्धांत का आशय जहाँ से आरंभ हुआ था, वहीं पर पुनः वापसी से है। भारतीय अवधारणा के अनुसार इतिहास एक निरंतर चलने वाला युग चक्र है।ब्रह्मा इस युग चक्र की रचना करते हैं। मानव का जीवन तथा उसका सुख दुख इसी चक्र द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय अवधारणा में चार युग स्वीकार किए गए हैं।

1½ Ñr ;qx & कृतयुग को मानव इतिहास का स्वर्णिम युग माना गया है। इस युग का समाज सुख, शांति और हर प्रकार के वैभव से संपन्न था तथा लोगों में परस्पर प्रेम और सहानुभूति थी।

2½ =rk ;qx & यह युगचक्र का द्वितीय चरण है। इस युग में कृत की अपेक्षा मानवीय सुखों एवं सुखमय जीवन के साधनों तथा उपकरणों में अभाव का अहसास होने लगता है।

3½ }kij ;qx & युगचक्र का यह तीसरा चरण है। इस युग में मानवीय दुःखों का आरंभ होता है। अब मानव रोगों एवं व्याधियों से पीड़ित होने लगता है। समाज की बिगड़ती हुई स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। यह युग संस्कार एवं नियम प्रधान युग माना जाता है।

4½ dfy ;qx & युगचक्र का यह अंतिम भाग है। इस युग में मानव जीवन दुख और निराशा की चरम स्थिति तक पहुँच जाता है। समाज में पारस्परिक संघर्ष और स्वार्थमय वातावरण से मानव जीवन अत्यंत दुखमय हो जाता है। दुःख और अन्याय के कारण मानव धर्म की उपेक्षा करने लगता है। कलियुग की चरमस्थिति आने पर मानव जगत का सर्वनाश होता है और युगचक्र नष्ट होकर परम ब्रह्म में विलीन हो जाता है।

वस्तुतः प्राचीन भारतीय अवधारणाओं पर धर्म का गंभीर प्रभाव रहा है। श्री गोविन्द चन्द्र पाण्डेय के अनुसार युगचक्र की व्याख्या में धर्म को एक गाय के रूप में उपकल्पित किया गया जो प्रथम अथवा कृत युग

*लखनलाल गुप्ता, राजा का तालाब के सामने, तहसील– बिजावर, जिला – छतरपुर (म.प्र.)

में अपने चारों पैरों पर खड़ी रहती है। किंतु प्रत्येक अनुवर्ती युग में इसके एक पैर का ह्रास होता रहता है और अंततः कलियुग में वह केवल एक पैर पर खड़ी रहती है।[2] किंतु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक अनुवर्ति युग में अधर्म की अपेक्षाकृत वृद्धि की मान्यता के कारण युग सिद्धांत को मानव नियति की निराशावादी व्याख्या नहीं मानना चाहिए। कलियुग में केवल धर्म का ह्रास बताया गया है, भौतिक सुख साधनों तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपलब्धियों का नहीं।[3]

vorkjokn & जब धर्म की उपेक्षा होने लगती है तथा मानव जीवन का कष्ट अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है तो मानव जाति के उद्धार के लिए ईश्वर का अवतार होता है। अवतारवाद भारतीय इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा रही है। प्रत्येक व्यक्ति इतिहास का सृष्टा नहीं होता। प्रत्येक युग और प्रत्येक समाज में इतिहास निर्माण केवल कुछ लोगों द्वारा सम्पन्न होता है। ऐतिहासिक शब्दावली में उन्हें महान व्यक्ति (जन नायक) की संज्ञा दी जाती है। भारतीय चिन्तन परम्परा में यदि अवतारवाद के सिद्धांत से धार्मिक परिच्छाया को हटा दिया जाए तो विविध अवतारों को इस प्रकार के महान व्यक्तियों के रूप में समझा जा सकता है जो विभिन्न कालों में उत्पन्न होकर अपने समाज और परिवेश के अवांछनीय तत्वों को दूर कर उन्हें एक नया रूप प्रदान करते हैं। श्रीमद्भगवतगीता के अनुसार मानव इतिहास में जब जब नैतिक और सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तब तब साधु जनों की रक्षा और दुष्ट जनों के विनाश के लिए ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता है।[4] अवतार का अर्थ है उतरना अर्थात वह जो नीचे उतरा है। दिव्य भगवान संसार को एक ऊँचे स्तर तक उठाने के लिए धार्मिक स्तर पर उतर आता है।[5] अवतार का उद्देश्य एक नए संसार का, नये धर्म का उद्घाटन करना है। अपने उपदेश और उदाहरण द्वारा वह यह प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार मनुष्य अपने आपको जीवन के उच्चतर स्तर तक उठा सकता है।[6] इतिहास दार्शनिकों के एक वर्ग के अनुसार ये महान व्यक्ति ही इतिहास के सृष्टा होते हैं। किंतु इतिहास दर्शन के इस सम्प्रदाय के विरूद्ध एक अन्य विचार भी है जो ऐसे महान व्यक्तियों को इतना महत्व नहीं देता और जिसके अनुसार स्वयं ये महान व्यक्ति अपने युग की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। यह एक निर्विवाद सत्य है कि अवतारवाद ने कभी कभी भारतीय मस्तिष्क में एक भाग्यवादी प्रकृति को जन्म दिया। विपत्ति के अवसर पर अकर्मण्य होकर ईश्वर के अवतार द्वारा विपत्ति निवारण की आशा इसी प्रकृति की देन है। किंतु इस सिद्धांत ने भारतीयों को एक विशिष्ट जीवनी शक्ति तथा आशावादिता भी प्रदान की, जिसके कारण वे विभिन्न संकटों तथा विपत्तियों को यह विश्वास रखते हुए झेल सके कि वर्तमान विपत्ति की घड़ी कुछ ही काल के लिए है और उपयुक्त समय पर कोई दैवीय सत्ता उत्पन्न होने वाली है। इस प्रकार इतिहास की भारतीय अवधारणा में अवतारवाद का सिद्धांत महत्त्वपूर्ण रहा है।

de dk fl)kr & महाकाव्य युग में कर्मवाद तथा पुनर्जन्मवाद के सिद्धांतों का विकास हो रहा था। यह विश्वास व्याप्त था कि मनुष्य को अपने कर्मानुसार ही मोक्ष, स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। मृत्योपरांत प्राणियों का निर्णय इसी जन्म के सत्कर्म अथवा दुष्कर्म पर निर्भर है अतः मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए।[7] वस्तुतः इतिहास की भारतीय अवधारणा में मनुष्य के सभी कार्य व्यापारों एवं उसके जीवन की घटनाओं को पूर्व नियोजित नहीं माना गया है। क्योंकि सृजन में कर्म स्वातंत्र्य की अपेक्षा निहित होती है। इसीलिए भारत की प्रमुख दार्शनिक अवधारणाओं में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। इस सिद्धांत की चर्चा में स्पष्टतः ऐतिहासिक काल में मनुष्य के स्थान का प्रश्न सन्निहित है अतः इतिहास बोध के प्रसंग में इस सिद्धांत का एक विशिष्ट महत्त्व है।

सामान्य रूप से कर्म के सिद्धांत का अर्थ है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसी के अनुसार फल प्राप्त करता है। प्रत्येक कर्म के पीछे एक शक्ति होती है जो भविष्य में तदनुरूप फल की प्राप्ति कराती है। उपनिषद काल में यह सिद्धांत अस्तित्व में आ गया था और छठी शताब्दि के सभी चिन्तकों ने इस सिद्धांत पर विमर्श किया है। वस्तुतः भारतीयों द्वारा मानव के अस्तित्व के संबंध में दो स्तरों की कल्पना की गई है। माया का स्तर या दिखने वाली दुनिया तथा परम सत्य या मोक्ष प्राप्ति। प्रथम स्तर पर मानव किसी अन्य प्राकृतिक पदार्थों के समान एक निश्चित ऐतिहासिक काल में रहता है। मानव संसार में जहाँ भी मनुष्य अपनी भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने से बाहर किसी अन्य सत्ता पर निर्भर करता है, उसे अनिवार्यतः उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। अब वह पूर्णतः अपना स्वामी नहीं रहता। स्वाधीनता का अंश उन सत्ताओं को समर्पित करना पड़ता है, जो धरती पर उसका जीवन संभव बनाती हैं। बदले में ये सत्ताएं उसके लिए एक पूरा नीति विधान और नियम संहिता बनाती है जो उसके जीवन के समस्त पक्षों को प्रभावित करता है। मनुष्य वह अब भी रहता है, परंतु अब उसका मनुष्यत्व सामाजिक आर्थिक और ऐतिहासिक इकाईयों में विभाजित होने लगता है।[8] श्रीमद्भागवतगीता में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कार्य करना पड़ता है। अतः कोई भी

एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता।[9] सिद्धांत से ध्वनित होता है कि भारतीयों को अत्यंत प्राचीन काल से ही कारण कार्य संबंधों का ज्ञान था। कर्म सिद्धांत पर ही आगे चलकर मनीषियों ने मानव जीवन को चार आश्रमों – ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास में विभक्त किया। प्रत्येक आश्रम में मानव को अपने कर्त्तव्यों का पालन करना था। भारत में सामाजिक विभाजन का आधार भी कर्म रहा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्णों का विभाजन कर्म के आधार पर हुआ है।[10]

iqutZUe dk fl)kar & भारतीयों का प्राचीन काल से ऐसा विश्वास रहा है कि व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। वृहदारण्यक उपनिषद में पुनर्जन्म सिद्धांत के प्रथम रूप का उल्लेख है। वस्तुतः उपनिषदों की रचना के समय इस सिद्धांत को सार्वभौम मान्यता प्राप्त नहीं थी। बौद्ध काल में संभव है पुनर्जन्म प्रत्येक की आस्था का विषय न रहा हो किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि ईसा से पूर्व सातवीं या छठी शताब्दि में शीघ्रता से इस मान्यता की प्रतिष्ठा हो गई थी।[11] जिस रूप में भी पुनर्जन्म के सिद्धांत को विकसित किया गया उसमें एक जन्म से अगले जन्म तक की निरंतर यात्रा का विश्वास सन्निहित था। इसने जीवन के समस्त रूपों को एक प्रणाली में संबद्ध कर दिया।[12] महाभारत में काशी की राजकुमारी अम्बा द्वारा शिखण्डी के रूप में पुनर्जन्म लेने का उल्लेख किया गया है। श्रीमद्भागवतगीता में श्रीकृष्ण ने भी अर्जुन से कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा होऊं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे।[13] वस्तुतः प्राचीन भारतीय मनीषीयों का मन्तव्य यह था कि वर्तमान जीवन में व्यक्ति ने जैसा आचरण किया है, जीवन सत्ता के क्रम में आगे उसकी वही नियति होगी अच्छी या बुरी। पुनर्जन्म का सिद्धांत इस बात का परिचायक था। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में ऐसी मान्यता प्रचलित थी कि मृत्यु के बाद जीवन का अंत नहीं होता। आत्मा शरीर की मृत्यु के उपरांत नष्ट नहीं होती तथा पुनः जन्म लेती है। यद्यपि जीव को इस जन्म के पहले का वृतांत स्मरण नहीं होता।

ekf{k ikfIr pje y{; & इतिहास की भारतीय अवधारणा के अनुसार ऐतिहासिक योजना की एक मात्र उद्देश्य जीवन मृत्यु अथवा संसार से मुक्ति प्राप्त करना है। इसी को मोक्ष कहा गया है। इतिहास इस उद्देश्य की प्राप्ति में सतत् क्रियाशील है और विश्वास है कि अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति में सदैव अग्रसर रहेगा।[14] उपनिषदों के अनुसार आत्म साक्षात्कार या ज्ञान ही मोक्ष है, जिसमें भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। आत्म ज्ञान को अपरा विद्या कहा गया है। यही मोक्ष का एकमात्र साधन है। आत्मज्ञान के उपाय श्रवण, मनन और निदिध्यासन है। सम्यक ज्ञान की प्रथम अवस्था वैराग्य है जिसके उत्पन्न हुए बिना इसकी प्राप्ति संभव नहीं हो सकती।[15] जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के तीन साधन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र बतलाए गए हैं। इसी तरह बौद्ध धर्म में जीवन को दुःखमय माना गया है तथा दुःख निरोध को निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है। जिसकी प्राप्ति जीवन काल में भी संभव है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उपनिषदों में तथा जैन एवं बौद्ध धर्म में मोक्ष विषयक अवधारणा दर्शाई गई है। मोक्ष या निर्वाण का तात्पर्य जहां जन्म–मरण के बंधन से छुटकारा पाना है, वहीं मोक्ष दुखों के पूर्णतः अंत तथा अनंत शांति एवं सुख का परिचायक है।

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सभी प्राचीन संस्कृतियों की तरह भारतीय संस्कृति भी अपने पूर्वजों को अपने से अधिक समर्थ और आदरणीय मानती रही है। यह प्राचीन गाथाओं और परम्पराओं से स्पष्ट होता है। प्राचीन भारतीय परम्परा इतिहास बोध से परिपूर्ण थी। यह निम्न बिन्दुओं में दर्शाया जा सकता है –

1. इतिहास की अवधारणा और इतिहास लेखन भले ही आधुनिक प्रपंच है किंतु समस्त प्राचीन संस्कृतियों की तरह भारतीय संस्कृति में इतिहास बोध एवं इतिहास चेतना रही है।
2. प्राचीन भारतीय इतिहास की विभिन्न अवधारणाएँ आरंभिक युग में लिखित विवरणों के बजाय मौखिक परम्पराओं पर आधारित रही है। अतः प्राचीन भारतीय इतिहास विषयक अवधारणाओं को समझने हेतु मौखिक परम्पराओं पर ध्यान देना आवश्यक है।
3. आधुनिक इतिहास चिन्तन मात्र व्यवहारिक सत्ता के विवेचन तक सीमित है जबकि प्राचीन भारतीय मनीषी व्यवहारिक या लौकिक सत्ता के बजाय परमार्थिक सत्ता या परम सत्य के विवेचन का प्रयास करते थे।
4. इतिहास की प्राचीन भारतीय अवधारणा यह स्वीकार करती है कि मानव अपने समस्त गुणों के साथ संसार में अवतरित हुआ।
5. इतिहास की प्राचीन भारतीय अवधारणा यह भी स्वीकार करती है कि समस्त मानव जाति एक ही जाति है, जो एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेकर मोक्ष की ओर अग्रसर है।
6. प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अवधारणा में प्रागैतिहासिक काल की अवधारणा शामिल नहीं है।

7. भारतीय चिन्तन परम्परा में युगचक्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। यह सिद्धांत भौतिक जीवन की अच्छी और बुरी दोनों घटनाओं को अस्थायी मानता है। यह वस्तुतः मानव नियति की निराशावादी व्याख्या नहीं है। इस सिद्धांत के तहत कलियुग में केवल धर्म का हाथ माना गया है।
8. भारतीय चिन्तन परम्परा में अवतारवाद की अवधारणा को महान व्यक्तियों के अवतरण के रूप में समझा जा सकता है जो विभिन्न कालों में उत्पन्न होकर अपने परिवेश के अवान्छनीय तत्वों को दूर कर उन्हें एक नया रूप प्रदान करते हैं।
9. भारतीय चिन्तन परम्परा में कर्म का सिद्धांत महत्त्वपूर्ण रहा है जो मानव के क्रिया स्वातंत्र्य का परिचायक है।
10. भारतीय परम्परा में पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इस सिद्धांत का आशय यह है कि मानव जीवन मात्र जन्म से मृत्यु तक की यात्रा नहीं है वरन् आत्मा की निरन्तर मात्रा है जो जन्म और मृत्यु से आरंभ और समाप्त नहीं होती।
11. इतिहास की भारतीय अवधारणा के अनुसार ऐतिहासिक योजना का एकमात्र उद्देश्य जीवन मृत्यु अथवा संसार से मुक्ति पाना है। इसी को मोक्ष कहा गया है।

lUnHkZ %

1. लोहिया, राम मनोहर; इतिहास चक्र, इलाहाबाद, पृ. 15
2. पाण्डेय, गोविन्द चन्द्र; इतिहास स्वरूप और सिद्धांत, पृ. 229
3. राय, कौलेश्वर; इतिहास दर्शन, दिल्ली, 2005, पृ. 159
4. मिश्र, गिरजा शंकर प्रसाद; ''प्राचीन भारतीय इतिहास दर्शन तथा इतिहास लेखन'', (सं.) पाण्डेय, गोविन्द चन्द्र, पूर्वोल्लिखित, पृ. 57
5. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली; भगवतगीता, दिल्ली, 2004, पृ. 186
6. वही, पृ. 187
7. पाण्डेय, बी. के.; प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, इलाहाबाद, 2013, पृ. 1003
8. वर्मा, निर्मल; ''मनुष्यत्व से साक्षात्कार'' इंडिया टुडे, साहित्य वार्षिकी, 1997, नई दिल्ली, पृ. 07
9. श्रीमद्भागवतगीता यथारूप, अध्याय 3, कर्मयोग, श्लोक क्र. 5, ए.सी. भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, (हिन्दी अनुवाद डॉ. शिवगोपाल मिश्रा), मुम्बई, 1990, पृ. 114
10. चौबे, झारखण्डे; इतिहास दर्शन, वाराणसी, 1984, पृ. 45
11. बाशम, ए. एल; अद्भुत भारत, व्यंकटेश चन्द्र पाण्डेय–हिन्दी अनुवाद, आगरा
12. वही, पृ. 175
13. भगवत्गीता, डॉ. राधाकृष्णन, पूर्वोल्लिखित, पृ. 126
14. चौबे, झारखण्डे; पूर्वोल्लिखित, पृ. 45
15. श्रीवास्तव, के. सी.; प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, इलाहाबाद, 2015, पृ. 852

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 30-32

Hkkjrh; lekt esa efgykvksa dk l'kfDrdj.k esa foKkiu o fefM;k txr dh c<+rh gqbZ Hkkxhnkjh

vt; izdk'k tk;loky*

भारतीय समाज के वर्तमान समय में सशक्तिकरण एक प्रकार से फैशनेबल धारणा बनती जा रही है। आज यह शब्द राजनीतिक शास्त्रियों के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। इससे पूर्व इस शब्द का राजनैतिक विज्ञान में सीमित प्रयोग किया जाता रहा है, क्योंकि इस वैज्ञानिक दृष्टि में सशक्तिकरण शब्द का अर्थ उस राजनैतिक शक्ति शब्द से है जो राजनैतिक रूप में किसी संस्था को संवैधानिक या प्रशासनिक दृष्टि के प्रभाव में लाया गया हो। इसी के साथ–साथ सशक्तिकरण शब्द की अवधारणा का प्रयोग विभिन्न विज्ञानों में बढ़ा है।

भारतीय समाज में शक्ति संस्तरण व्यवस्था में पुरुषों के पास महिलाओं की अपेक्षा अधिक शक्ति रही है। संभवतः भारतीय समाज में पूर्ण रूप से पैतृक प्रभाव समाज बनाया जाता रहा है। इसी के साथ भारतीय समाज में जाति एवं लिंग पर आधारित योग्यताएँ विद्यमान रही है, लेकिन भारतीय समाज में जब प्रजातांत्रिक सामाजिक व्यवस्था को अंगीयकार किया तो मानव संरचनाओं के तहत लोगों को लिंगभेद रहित समानता का अधिकार प्राप्त हुआ। जिसके परिणामस्वरूप, लिंग पर आधारित असमान शक्ति को समाप्त किया गया। किन्तु यह केवल इतिहास एवं सिद्धान्तो की बात रही है। शायद इसीलिए महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच असमान शक्ति वितरण को समाप्त करने का एक प्रयास सरकार द्वारा किया गया। इससे पूर्व सामान्यतौर पर सशक्तिकरण की अवधारणाओं का उपयोग ज्यादातर काले लोगों, पिछड़े दलित लोगों के लिए 1960 से महिलाओं के सन्दर्भ में प्रयोग किया जाता रहा है, और 1960 से 1970 के दशक में सशक्तिकरण के सन्दर्भ में महिलावाद की विचारधाराओं का तेजी से विकास हुआ।

भारत सहित पूरे विश्व में गैर सरकारी संगठनों का आंदोलन इन दिनों महिला सशक्तिकरण के लिए विज्ञापन एवं मिडिया जगत् भी पूरी तरह से सक्रिय है। मिडिया ने महिलाओं को जिस प्रकार जागरुक किया है, उनमें अधीक से अधीक क्षमताओं का निर्माण किया है। वहीं विज्ञापनों के द्वारा उनके संवैधानिक प्रावधान, मानवाधिकार व विभिन्न संगठनों के द्वारा संसाधनों से प्रबल बनाया है। भारतीय समाज में विज्ञापन व मिडिया जगत् ने महिला समाज को शक्ति प्रदान किया है। प्राचीन भारत में विकृत समाज ने महिला को निर्बल बनाया है, भारतीय समाज में महिलाओं के ज्ञान वृद्धि में विज्ञापन व मिडिया जगत् को एक उपकरण के रूप में सहायक माना जाता है। जहाँ मिडिया ने महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि की है, तो वहीं विज्ञापन जगत् ने महिलाओं को पहले की अपेक्षा और अधिक प्रबल बनाया है, और साथ ही साथ उनमें अपने जीवन के प्रति आत्मनिर्भरता भी जगाया है। ''आज विज्ञापन व मिडिया के माध्यम से ही महिलाओं में राजनैतिक, कला, व्यापार, चिकित्सा एवं खेल जैसे विधाओं में उनकी भागीदारी को बढ़ावा दिया है, एवं उनकी रुचि में भी वृद्धि हुई।'' आज महिलाओं में उनके शक्ति, सम्मान और यश को फैलाने में विज्ञापन व मिडिया जगत् ने अहम् भूमिकाओं का निर्वाहन किया है। जिसके उदाहरणस्वरुप इमराना व निर्भया बालात्कार जैसे काण्डों के प्रति मिडिया जगत् ने महिलाओं को पूरी तरह से झंकझोर दिया है, और उन्हें अपने शक्ति का पहचान कराया है। आज भारतीय समाज के वर्तमान समय में महिलाओं के जीवन की ऐसी कोई विधा नहीं बची है, जहाँ विज्ञापन व मिडिया जगत् का सहज भागीदारी न पायी जाए। विज्ञापन व मिडिया जगत् ने महिलाओं को पुरुषात्मक समाज में उनसे बहुत आगे पहुँचा दिया है। उन्हें पुनः अपने गौरव

*शोध छात्र, व्यावहारिक कला विभाग, दृश्य कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, उ0प्र0

व सम्मान को हासिल करने के लिए नित नए–नए राह दिखलाएँ है। आज महिलाएँ विज्ञापन व मिडिया के सहयोग से अपनी अस्मिता को पुनः मातृसत्तात्मक समाज में स्थापित किया है।

भारतीय समाज में भूमंडलीकरण, उदारवादी नीतियों, बाजारवाद और उपभोक्तावाद से समाज में जो क्रान्ति आयी है, उसके पीछे विज्ञापन एवं मिडिया की अहम् भूमिका रही है। मिडिया ने समाज के जमीनी सोच व मानसिकता को बदला है, जिसका परिणाम आज की महिलाओं के सोच में बदलाव के रूप में देखने को मिलता है। मिडिया का मनोविज्ञान समाज के अनुभवों से ही सृजन हुआ और समाज की प्रमुख इकाई महिलाएँ ही है।[1] समाज की इकाई को दृढ़ता प्रदान करने में आज के महिलाओं की क्रियाशीलता ही सहभागी हैं। इस सन्दर्भ में भारत के बुद्धि जीवियों का मानना है कि आज़ादी के बाद भारतीय महिलाओं की साक्षरता दर एवं आत्मनिर्भरता बढ़ी है। आज नौकरियों, रोज़गार, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में महिलाओं का बढ़–चढ़ कर हिस्सा लेना कोई आश्चर्य की बात प्रतीत नहीं होती हैं। भारत देश में भूमंडलीकरण व बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के आने के बाद महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। ''संचार के इस विस्फोट के बाद महिलाओं को शिक्षा में योगदान के साथ–साथ'' फिल्मों, विज्ञापनों, व मॉडलिंग आदि में नया आयाम और एक नई दिशा मीली है। इन सभी मनोरंजक और सेवा उद्योग में उन्हें एक नर्स से लेकर एयर हॉस्टेज़ तक रिशेप्सनिष्ट से लेकर फैशन डिज़ाइनर तक, ''फैशन मॉडल से लेकर एक फिल्म अभिनेत्री'' तक के पूरी छवि को भारतीय विज्ञापनों व मिडिया ने ही बढ़ावा दिया है। आज महिलाएँ समाज में निरंतर रोल मॉडल के रुप में उभर कर सामने आ रहीं, और उनके भीतर भी अपने हक को जानने और उन्हें जताने की इच्छा बढ़ती ही जा रही है। इस प्रगती में भी विज्ञापन व मिडिया जगत् ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।[2]

भारतीय समाज में विज्ञापन एवं मिडिया ने नगर, महानगर को शिक्षित, प्रगतिशील, माध्यम और उच्च वर्ग जैसी भावनाओं से प्रेरित कर अपनी सहभागिता समय–समय पर निभाया है। आज विज्ञापन व मिडिया का ही कमाल है कि आज समाज में महिलाएँ किसी भी वर्ग हो– छोटे कामकाजी वर्ग की या बड़े औधोगिक वर्ग की महिलाएँ वे अपने सौन्दर्य के प्रति बहुत ही ललायीत होती हैं। वे अपने साज–सज्जा से सम्बन्धित सारी वस्तुओं का चुनाव स्वयं करती हैं, यही कारण है कि विज्ञापन व मिडिया ने समाज की महिलाओं को प्रभावित किया है।[3] भारतीय समाज के 21वीं सदी में विज्ञापन व मिडिया इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली बन गया है, कि महिलाओं के जमीन से आकाश तक के सफर को बहुत ही आसान बना दिया है। आज महिलाएँ लक्ष्यान्वीत होती जा रहीं, और वे पुरुषों द्वारा बनाई गईं सीमाओं को लाँघ रहीं तथा परम्पराओं को नकार भी रहीं है। इस कार्य में विज्ञापन व मिडिया की सकारात्मक भूमिका दिखायी पड़ती है। और वो उन्हीं परम्पराओं से दूर हट रहीं हैं, जो उनके प्रगति मार्ग में बाधक हैं और अंधविश्वास को बढ़ाती हों।

महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया महिलाओं में विकास से है, इस प्रक्रिया को विज्ञापन व मिडिया ने बखूबी निभाया है। मिडिया ने भारतीय समुदाय में महिलाओं की सहभागिता के स्तर को और भी बढ़ाया है, इसके आलावाँ भौतिक संसाधनों तक उनकी पहुँच तथा उन पर नियंत्रण रखने की क्षमता में विकास किया है। आज समाज में महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से उन्हें आत्मसम्मान व स्वाभिमान युक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। महिला सशक्तिकरण के प्रक्रिया में विज्ञापन व मिडिया ने उन्हें वैधानिक शक्ति प्रदान किया है।4

महिला सशक्तिकरण के माध्यम से और विज्ञापन के सहयोग से महिलाओं का समय–समय पर हर क्षेत्र में विकास हुआ है। जिससे यह कहा जा सकता है, कि महिला सशक्तिकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। जिसका लक्ष्य समाज में सामाजिक समानता व सामाजिक न्याय की स्थापना को स्थापित करना है। जिसकी पहुँच विज्ञापन व मिडिया ने संभव बनाया है। महिला सशक्तिकरण के प्रमुख दो आयाम हैं–पहला पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा उसकी स्वीकृति, जिसका अर्थ परिवार, शिक्षा, परिवेश, कानून, संविधान–सबकी भूमिका सम्मिलित है। दूसरा स्वयं के द्वारा स्वयं की स्वीकृति, जिसका तात्पर्य आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय की क्षमता का विकास है। ये सभी क्षेत्र इतिहास, संस्कृति, धर्म, नैतिकता और अर्थ के विभिन्न स्तरों से जुड़े हैं।[5] इन पहलूओं को विज्ञापन व मिडिया ने बखूबी से प्रभावित किया है। यही नहीं किसी महिला को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के जरिये, आर्थिक

हस्तक्षेप के माध्यम से जागरूकता व महिलाओं को संगठित करके और शोध, प्रशिक्षण व संसाधनों के तैयारी के माध्यम से विज्ञापन व मिडिया ने महिलाओं को सशक्त बनाया है। जिससे महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न होती है और क्रियाशीलता के लिए अभिप्रेरणा भी मिलती है। जिसके माध्यम से महिलाएँ अपनी भूमिका को निर्णायक दिशा में सिद्ध कर पाती हैं।[6]

समानता, न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित किसी समाज की स्थापना के लिए विकास की प्रक्रिया में महिलाओं का भागीदारी आवश्यक है। किसी भी राष्ट्र की परम्परा और संस्कृति उस राष्ट्र की महिलाओं से परिलक्षित होती है। किसी भी समाज की रचनात्मक शक्ति महिलाएँ ही होती हैं और इसी रचनात्मक शक्ति को हम विज्ञापन एवं मिडिया के सहयोग से ''महिला सशक्तिकरण को एक विकासात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं,'' और आज के इस दौर में मिडिया ने ही समाज में पैर पसार चुके रूढ़ीवादी परम्पराओं को तोड़ा है और हमारे देश की महिलाओं को सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक शक्ति से समृद्ध करने में भागीदारी दिया है। भारतीय मिडिया ने महिला को आचरण और नैतिकता को सार्वभौमिक रूप से बोधशक्ति बतलाया है। महिलाओं के कानूनी अधिकार के प्रति मिडिया ने बड़ी ही सजगता से अपनी भागीदारी निभाया है। भारतीय समाज के कुछ बुद्धिजीवी महिलाओं को प्रोत्साहन के सन्दर्भ में अपने मत कुछ इस प्रकार दिया है–''वह व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति क्या संघर्ष करेगा जिसे अपने अधिकार पाने का रास्ता ही मालूम नहीं।'' ऐसे ही तथ्यों से महिलाओं को प्रोत्साहित व सम्मानित कर उन्हें समाज में एक सही और सम्मानित स्थान दिलाया जा सकता हैं।

I UnHk% %

1. सिंह, वी0एन0 एवं सिंह, जनमेजय; आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन, नयी दिल्ली
2. सिंह, वी0एन0 एवं सिंह, जनमेजय; आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन, नयी दिल्ली, पृ0 74
3. सिंह, वी0एन0 एवं सिंह, जनमेजय; आधुनिकता एवं महिला सशक्तिकरण, रावत पब्लिकेशन, नयी दिल्ली, पृ0 75
4. व्यास, डॉ0 मिनाक्षी; 2008, नारी चेतना और सामाजिक विधान, रोशनी पब्लिकेशन्स, कानपुर,
5. श्रीवास्तव, छवि; सूचना का अधिकार और महिला सशक्तीकरण, सोसाइटी फॉर मीडिया एण्ड सोशल डेवलपमेन्ट, भरत मिलाप कालोनी, वाराणसी, प्रथम संस्करण–2007 पेज नं0 21
6. श्रीवास्तव, छवि; सूचना का अधिकार और महिला सशक्तीकरण, सोसाइटी फॉर मीडिया एण्ड सोशल डेवलपमेन्ट, भरत मिलाप कालोनी, वाराणसी, प्रथम संस्करण–2007 पेज नं0 57

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 33-35

onk e foKku

jek'kdj i lkn*

जो उन्नति एवं प्रगति का मार्ग बताता है तथा दुष्कर्मों से होने वाले कुपरिणामों से बचने का उपाय बताता है, उसे वेद कहते हैं। वेदों के विषय में मनु का यह कथन सारगर्भित है कि– 'सर्वज्ञानमयो हि सः'[1] अर्थात् वेदो में सभी विद्याओं के सूत्र विद्यमान हैं।

वेदों में जहाँ धर्म, नीतिशिक्षा, सामाजिक जीवन, राजनीतिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद आदि से संबन्धित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है, वहीं पर विज्ञान के विभिन्न अंगों भौतिकी, वनस्पतिशास्त्र, जन्तुविज्ञान, कृषि, गणितशास्त्र, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, भूगर्भविज्ञान एवं रसायन–विज्ञान से संबन्धित पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

आधुनिक युग के महान समाज सुधारक 'स्वामी दयानन्द सरस्वती' ने वेद को सत्य विद्याओं की पुस्तक कहा। 'श्री अरविन्दों जी' ने स्वामी जी के बातों को पुष्ट करते हुए कहा– 'वेदों में केवल धर्म ही नहीं, अपितु विज्ञान भी है।' वेद का उद्देश्य सत्य का अन्वेषण करना एवं उसकी प्राप्ति है। विज्ञान का उद्देश्य सत्य का अन्वेषण करना है।

वेदों में विज्ञान से संबन्धित सामग्री कुछ विशेष सूक्तों में ही प्राप्त नहीं होते है, अपितु विज्ञान के अधिक सूत्र वेदों में विखरे पड़े हैं। यहाँ उनमें से कुछ विशेष सूत्रों के सन्दर्भ दियो जा रहे है–

ऋग्वेद के एक मन्त्र में जल बनाने का सूत्र दिया गया है कि मित्र एवं वरुण के संयोग से जल बनता है। यहाँ मित्र एवं वरुण शब्दों से क्रमशः Oxygen (ऑक्सीजन) तथा Hydrogen (हाइड्रोजन) का ग्रहण होता है। जल का सूत्र H_2O है। विज्ञान के अनुसार Hydrogen के 2 अणु (Molecule) और Oxygen के 1 अणु (Molecule) को एक पात्र में रखकर उसमें विद्युत तरंग प्रवाहित करने पर जल बनता है।

^fe= gO i rn{k o#.k p fj'kknle A
f/k; ?krkph lk/kUrk*A[2]

विज्ञान के अनुसार–

$$2H_2 + O_2 \longrightarrow 2H_2O$$

अथर्ववेद का कथन है कि जल में अग्नि (Oxygen) और सोम (Hydrogen) दोनों हैं। वेदों में आक्सीजन के लिए अग्नि, मित्र, वैश्वानर अग्नि, और मातरिश्वा आदि शब्दों का प्रयोगा हुआ है। Hydrogen के लिए सोम, वरूण, जल, आपढ़ सलिल आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है।

अथर्ववेद के एक मत्र में कहा गया है कि जल में मातरिश्वा वायु (Oxygen) प्रविष्ट है।

^vll&vklhu&ekrfj'ok i fo"V%A*[3]

ऋग्वेद और अथर्ववेद में भूमि के चारों ओर विद्यमान ओजोन परत का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ओजोन परत के लिए 'महत् उल्ब' शब्द आया है। अथर्ववेद में इसका रंग सुनहरी बताया गया है। गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए बनी झिल्ली (Membrane) के लिए उल्ब शब्द है। पृथ्वीरूपी गर्भस्थ बालक के लिए यह ओजोन (O3) परत है।

^^egr rnYc LFkfoj rnlhnA
;ukfof"Vr% i foof'kFkki%AA**[4]
^^rL;kr tk;ekuL;&mYc vklhn fgj.;;%A**[5]

प्रो. आइनस्टाइन ने एक सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए कहते है कि द्रव्य (Mass) और ऊर्जा में कोई भी चीज न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। केवल उसका एक रूप से दूसरे रूप

*शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग, कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0

में रूपान्तरण किया जा सकता है अर्थात् ऊर्जा द्रव्य में और द्रव्य ऊर्जा में रूपान्तरित होती है। इसके लिए उन्होंने ऊर्जा समीकरण का सूत्र दिया है–

$$E = mc2$$

जहाँ E ऊर्जा, m- द्रव्यमान तथा C-प्रकाश की गति है।

ऋग्वेद के एक मंत्र में अदिति (अनश्वर प्रकृति, द्रव्य) से दक्ष (ऊर्जा) उत्पन्न होती है तथा दक्ष (ऊर्जा) से अदिति।

vfnrsn{kk vtk;r] n{kkn m&vfnfr% ifjA[6]

ब्राह्मण ग्रन्थों[7] में सूर्य के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गयी है कि सूर्य न कभी उदय होता है और न ही अस्त होता है। वह अपने स्थान पर रूका है, पृथ्वी उसका चक्कर काटती है, उसी से दिन–रात होते है। दिन के अन्त को सूर्यास्त और रात्रि के अन्त को सूर्योदय कहा जाता है।

^l ok ,"k ¼vkfnR;½ u dnkpukLrefr] uknfrA*

^l ok ,"k *¼vkfnR;½ u dnkpukLre;fr] ukn;frA*[8]

सूर्य की किरणों में सात रंग होते है, जिन्हें सप्तरश्मि, सप्ताश्व, सप्तसप्ति आदि कहते है। वैज्ञानिक दृष्टि से सात रंगो का बहुत महत्व हैं प्रत्येक किरणों का अलग–अलग प्रभाव है। इनसे ही संसार के सभी पदार्थों को रूप–रंग प्राप्त होता है। ये रंग अनेक प्रकार से विभिन्न रोगों को दूर करती हैं। ये 7×3=21 प्रकार की हैं अर्थात् 7 किरणें उच्च (गहरा) मध्यम और निम्न (हल्का) होकर 21 प्रकार की हो जाता है। इसी से सभी रंग बनते है।

^;s f="kIrk% ifj;fUr fo'ok: ikf.k foHkzr%A*[9]

अवितत्त्व (रक्षक–तत्त्व) के कारण वृक्षों में हरियाली रहती है। मंत्र में Chlorophyll के लिए अवि शब्द है। यह रक्षार्थक अव् धातु से बना है। इसका अर्थ है–रक्षक–तत्त्व। अवितत्त्व ऋतु (Tissues) से घिरा है। इसके कारण वृक्ष–वनस्पतियाँ हरे रहते हैं।

^^vfoos uke nsork&_rukLrs ijhoirkA

rL;k :i.kesa o{kk gfjrk gfjrL=t%AA**[10]

शिव को वनस्पति, वन, औषधि आदि का स्वामी बताया गया है। शिव विषपान करते। वृक्ष–वनस्पति Carbon di-Oxide (Co2) रूपी विष पीते है और Oxygen (O2) प्रदान करते है। संसार को जीवन–रक्षक प्राणवायु (O2) देने वाले वृक्ष ही है।

^o{kk.kka ir;s ue% vk"k/khukaa ir;s ue%A*[11]

वेदों में वनों और वृक्षों के संरक्षण पर बहुत अधिक बल दिया गया है। यजुर्वेद के अनुसार–वृक्ष–वनस्पतियों को नहीं काटना चाहिए। इनको जल से सींचकर पुष्ट करें। ऋग्वेद में कहा गया है कि वृक्षों को न काटो, क्योंकि ये प्रदुषण को नष्ट करते हैं।

^ek&vk"k/khfgalh%A*[12]

^vi% fiUo vk"k/khftUo*[13]

^ek dkdEchje mn ogk ouLifreA

v'kLrhfoa fg uhu'k%A**[14]

सूर्य सभी रोगों और खून की कमी को दूर करता है। यदि उदय होते हुए सूर्य की किरणें 15 मिनट तक छाती पर ली जाएँ तो सभी हृदय रोग, सिरदर्द, रक्ताल्पता, पीलिया आदि रोग दूर हो जाते हैं।

^^m|u vã fe=eg]vkjkgu mÙkjk fnoeA

àn;jkxa ee l;] gfjek.k p uk'k;AA[15]

तैत्तिरीय संहिता में अनेक यंत्रो का उल्लेख मिलता है।–

1– वातयंत्र

2– ऋतयंत्र

3– दिग्–यंत्र

4– तेजो–यंत्र

5– ओजो–यंत्र

^okrkuka ;U=k;] _rukaa ;U=k;] fn'kka ;U=k;]

rsta ;U=k;] vkta ;U=k;A*[16]

वेदों में मानव जीवन का मुख्य आधार कृषि बताया गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही अन्न की समस्या उत्पन्न हुई। इसके निवारण के लिए कृषि का आविष्कार हुआ। कृषि कार्य गौरव का कार्य है इसलिए इन्द्र और पूषा देवो को इसमें लगाया गया। कवि और विद्वान भी कृषि कार्य करते थे। अथर्ववेद में वर्णन है कि विराट ब्रह्म जब मनुष्यों के पास पहुँचा तो उन्होंने उसे इरावती (अन्नसमृद्धि) कहा। इस इरावती को दुहकर उन्होनें कृषि और सस्य (अन्न) प्राप्त किया।

^bUn% lhrk fuxg.kkr A*[17]

^r df"k p lL; p eu";k mi thofUrA*[18]

गणित समस्त विज्ञान का मूल है। यह सृष्टि–रचना के मूल में है। संसार की प्रत्येक वस्तु किसी नियम से बद्ध है, उसमें कोई क्रम है। उस नियम का सम्बन्ध गणना से है जिसका ज्ञान गणित विषय है। सूर्य, चन्द्र, पृथिवी, नक्षत्र , ग्रह की गति के ज्ञान से ही सूर्योदय , सूर्यास्त सूर्य–ग्रहण पूरा ज्योतिषशास्त्र गणित पर निर्भर है। स्थान एवं समय का निर्धारण गणित के आधार पर होता है।

वेदांग–ज्योतिष में गणितशास्त्र का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मयूरों की शिखाएँ और नागों (सर्पों) की मणियाँ सर्वोच्च स्थान पर रहती है, उसी प्रकार सारे वेदांगो में गणित का स्थान सर्वोपरि है।

^^;Fkk f'k[kk e;jk.kk ukxkuk e.k;k ;FkkA

rnon onkx'kkL=k.kk xf.kr e/kfu fLFkreAA[19]

अतः उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट विदित हो जाता है कि वेद वह अगाध ज्ञानार्णव है, जिसमें ज्ञान एवं विज्ञान के अनेक बहुमूल्य रत्न भरे पड़े है। जिसकी खोज, अनुसंधान रूपी अवगाहन से हो सकती है। विज्ञान भौतिक एवं रसायनिक उपकरणों द्वारा सत्य का अनुसधान कराता है तो वेद सत्य का साक्षात् कराता है। विज्ञान की सिद्धि के लिए बाह्य साधन की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु वेद द्वारा निर्दिष्ट धर्म के साक्षात्कार के लिए साधना की आवश्यकता पड़ती है अर्थात् जब सत्य को तर्क द्वारा परिमार्जित कर दिया जाता है, तो सत्य और अधिक स्पृहणीय हो जाता है।

lUnHk %

1. मनु॰ 2.7
2. ऋग्वेद 1.2.7
3. अथर्व 10.8.40
4. ऋग्वेद 10.51.1
5. अथर्ववेद 4.2.8
6. ऋग्वेद 10.72.4
7. ऐत॰ ब्रा॰ 3.44
8. गो॰ ब्रा॰ 4.10
9. अथर्ववेद 1.1.1
10. अथर्ववेद 10.8.31
11. यजुर्वेद 16.17
12. यजुर्वेद 6.22
13. यजुर्वेद 14.8
14. ऋग्वेद 6.48.17
15. ऋग्वेद 1.50.51
16. तै॰ स॰ 1.6.1.2
17. अथर्ववेद 3.17.4
18. अथर्ववेद 8.10.24
19. वेदांगज्योतिष (याजुष) 4

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 36-38

^re&le* % lkLdfrd ijiijkvk dh lkFkdrk dh ryk'k

MkO "kEl v[rj*

अधिक प्रचलन एवं बहुल प्रयोग के कारण सभ्यता और संस्कृति की अवधारणा में अबूझ किस्म की दुरुहता आ गई है। फिर भी संस्कृति पर सांस्कृतिक परम्पराओं पर निरंतर गंभीर सोचा भी जाता रहा है। विशेषकर साहित्यकार अपने ऐतिहासिक बोध के बल पर संस्कृति एवं उस के निष्ठापूर्ण निर्वहण की आवश्यता को व्यक्त करते आये है। डॉ. हजारी प्रसाद 'द्विवेदी' ने भारत के अपने गहरे ऐतिहासिक बोध के बल पर अबूझ संस्कृति की व्याख्या करने की कोशिश की है। उनका विचार है कि 'मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएँ ही संस्कृति है। श्रेष्ठ साधनाओं की श्रेष्ठ परिणति संस्कृति हैं। मनुष्य की सामान्य संस्कृति बहुत–कुछ 'अनूठी वस्तु' है। उनका विश्वास है कि प्रत्येक देश और जाति ने अपनी ऐतिहासिक परम्पराओं और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जीवन के महान लक्ष्य के किसी न किसी पहलू का अवश्य साक्षात्कार किया है।[1] मनुष्य के अंतस को परिमार्जित करने अथवा सुसंस्करित करने के लिए प्रयुक्त साधनाओं और उनकी श्रेष्ठ परिणतियों के समग्र प्रभाव को हम संस्कृति मान सकते है। इस अर्थ में मानवीय औचित्य का निष्कलंक निर्वहरण संस्कृति का महत्वपूर्ण तत्व कहा जा सकता है। इसलिए सत्यता की तरह मनुष्य के बाह्य प्रयोजनों को सहज करने का विधान न होकर निष्काम या फलासक्ति रहित आंतरिक आनंद की अभिव्यक्ति संस्कृति है। मानवीय औचित्य एवं शुद्ध आनंद की अभिव्यति साहित्य,विशेषकर भारतीय साहित्य का परम लक्ष्य रहा है।

हिन्दी की प्रतिष्ठित समकालीन उपन्यास लेखिका राजी सेठ ने अपने 'तत– सम' उपन्यास के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्व 'मानवीय औचित्य' के निर्वहरण की आवश्यकता को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करने की कोशिश की है। भारतीय विधवा के साथ जुड़ी हुई परम्पराओं तथा वर्जनाश्रित रुढ़ रीति–प्रथाओं के संदर्भ में मानवीय औचित्य के निर्वहन की सांस्कृति आवश्यकता को व्यंजित करने की उन की यह कोशिश जरुर ही उपन्यास को कला के उच्च स्तर पर पहुँचाने में कामयाब हुई है।

धर्म प्रधान देश होने के नाते भारत में विधि –निषेधों, रीति–प्रथाओं और रुढ़ियों का अधिक प्रचलन हैं इनका अंधाअनुकरण किया जाता है बौद्धिकता की प्रबलता और वैज्ञानिक दृष्टि के विकास के कारण इनका महत्व घट तो अवश्य गया है। लेकिन नारी के साथ जुड़ी हुई ऐसी रुढ़ परम्पराओं और रीति–प्रथाओं का अनुसरण अब भी किया जाता देखा जाता है। दहेज प्रथा विधवा के पुनर्विवाह का निषेध आदि को आज भी हम देखते है। इन के कारण नारी का जीवन ही प्रत्यक्ष प्रभावित होता है। वह संतप्त होती जाती है। स्त्री–पुरुष के संबन्धों और मानव–व्यवहार के प्रसंगों में प्रथाओं का महत्व अधिक ही देखा जाता है। देखने के लिए इनका प्रत्यक्ष प्रभाव नारी के जीवन पर पड़ता है; लेकिन पूरा समाज ही इस से प्रभावित होता है।

'तत–सम' की वसुधा जवान विधवा है। वह आर्थिक स्वावलंबन रखती है। वह सुरक्षित भी हैं। लेकिन विधवा होने के नाते वह पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। इसलिए द्विधाग्रस्त हो जाती है। लेकिन वह सोचती है कि ऐसी परम्परा निरर्थक है। इसलिए इस परम्परा को वह तिरस्कृत करती है। जीवन के सही और सुरक्षित विकास के लिए अपनी इच्छा के अनुसार, बोध और चेतना के बल पर आनंद को

*हिन्दी, प्राध्यापिका, शुभाराम शासकीय महाविद्यालय, पुंगनुर, आन्ध्र प्रदेश

पुनर्विवाह के लिए उपयुक्त मानती है। वह नियति का निर्धारण आप करती है। किसी 'रुढ़ि'या परा' के हवाले कर रोती–अकुलाती नहीं । 'जो मेरी नियति है वह हर कदम पर मेरे सामने है और वह एक कदम भी अपने में एक पूरी यात्रा है। चुनौतियाँ देता। खण्ड़ित करता । मैं आतंकित हूँ, पूरी तरह विस्थापित।[2] भविष्य के प्रति वह निश्चिंत और आश्वस्त है। वसुधा रुढ़ियों और परम्पराओं से मुक्त हो वरेण्य को चुनने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता का परिचय देती है जो उसकी और आजकल की नारी की प्रंगतिचेतना का परिचायक है।

इस तरह राजी सेठ ने वर्जनाश्रित प्रथाओं के संदर्भ में नारी के जीवन में व्याप्त विसंगतियों का चित्रण किया है और यह बोध जगाया है कि परम्पराओं और रुढ़ियों के नाम पर नारी को अपने जीवन को संकटपूर्ण बनाने की जरुरत नहीं है। क्योंकि ये प्रथाएँ पुरुष की सुविधाओं की दृष्टि में रखकर चलायी जा रही हैं । इसलिए जीवन के सही विकास के लिए आवश्यक प्रथाओं को चुनकर, उनका निर्वहण करता अपेक्षित है। अन्य प्रथाओं का तिरस्कार ही वांछनीय हैं।

इस संदर्भ में डॉ. कश्मीरी लाल का मंतव्य उल्लेखनीय है–'प्रथाओं के संदर्भ में लेखिका (राजी सेठ)की स्पष्ट मान्यता यह है कि स्वस्थ प्रथाओं को अपने व्यवहार एवं संस्कारों में सहर्ष अपनाया जाना चाहिए परन्तु कुत्सित व अप्रासंगिक गली–सड़ी प्रथाओं के मानव विरोधी मारक प्रहार को नहीं सहना चाहिए। आज के युग की माँग है कि स्वस्थ दृष्टिकोण को स्थान मिले। जिस 'प्राचीन' में किसी का हित न हो कर अहित बंधा हो, उस प्राचीन को न प्रथा माना जा सकता है और न ही आदर्श।[3]

जीवन की मजबूरियों के कारण नारी आजकल परम्पराजन्य स्थितियों को तर्क संगत आधार पर जाँचने–परखने लगी है। केवल भावुकता के आवेग में आकर वह उन्हें अपनी स्वीकृति नहीं देती है। लेकिन प्रेम और मातृसंवेदना जैसे निहायत भावुकता के मामलों में वह तर्क का आश्रय छोड़कर भावना के आवेष्टन में आ जाती है और उसका निष्ठापूर्ण निर्वहण करने का संकल्प करती हैं। इसलिए राजी सेठ ने भावुकता और बौद्धिकता दोनों के संतुलित निर्वहण के माध्यम से नारी की चतना को एक अलग ही धरातल प्रदान किया है।

'तत–सम' उपन्यास की वसुधा बुद्धिजीवी नारी है। वह पारम्परिक पारिवारिक संबन्धों के प्रति की भावुकता के आवेग में आकर उनका अंधा अनुकरण नहीं करती है। जवानी में प्राप्त विधवापन को अंध ा भावुकता में आकर पर पराचरित नारियों की तरह ढोती और अकुलाती नहीं रह जाती है। संबन्धों के प्रति की भावुकता को लेकर वह प्रेमचन्दीय परम्परा की नारी की तरह नीरस जीवन गुजारती नहीं है। वह एक शिक्षित और आधुनिक युगबोध से संपन्न कामकाजी महिला है। उसकी बौद्धिकता तरोताज है। वह गुजरे हुए पति निखिल की स्मृतियों के जाल से मुक्त होकर वर्तमान को पूरा जी लेने की सोचती है। विवेक के निकट आती भी है तो वह बौद्धिकता से काम लेती है और तय कर लेती है कि वह उसका वरेण्य पुरुष नहीं है। क्योंकि विवेक अपनी गुजरी हुई पत्नी की स्मृतियों से मुक्त नहीं हैं, वह वर्तमान से जुड़ा हुआ नहीं है। वसुधा इसलिए विवेक को, यद्यपि हर तरह से लायक है, अपने समान वर्तमान में जीनेवाला नहीं पाती है। वह अपनी बुद्धि के बल पर आनंद के जीवन की जाँच करती है और पाती है कि वही तत–सम है; वह उसके सामान वर्तमान से जुड़कर चलने वाला है। इसलिए वसुधा भारत की विधवा के साथ जुड़ी हुई सारी रूढ़ी सापेक्ष्य वीभत्सताओं से मुक्त होकर, विधवा के साथ अनिवार्य रुप में जुड़कर चलने वाली समस्याओं से परे होकर जीवन को तर्क संगत आधार प्रदान करती है और तत–सम के आनंद के साथ जुड़ने का संकल्प करती है। क्योंकि वह जानती है –'एक व्यक्ति क्या गया किसी अपराधी के जीवन ब्यौरों की तरह उघड़ गई जिन्दगी। हक मिल गया हर किसी को टिप्पणी करने का। चादर में पड़े छेद को इस अटपटे ढँग से छेद देने का।'[4] वह यह भी जानती है– 'कुछ' था तो सब कुछ थी वह। सार्थकता–अपनी भी– इतनी बेगानी है क्या? मात्र ओढ़ी हुई। एक दोशाला थी जैसे।[5] वसुधा विधवापन के दुर्भाग्य में जीना नहीं चाहती हैं। भावुकता को ओढ़ कर घुट–घुट कर जीना नहीं चाहती है। हास–परिहास, आमोद–प्रमोद, चहक–चुहल से वंचित रह जाना नहीं चाहती है। एक पति के उखड़जाने मात्र से अपने जीवन का उखड़ने

देने की भावुक बेवकूफी वह करना नहीं चाहती है। बीच सड़क पर चलने की सामान्यता के अधिकार से अपने को खुद बरखास्त कर देना नहीं चाहती है। वह अपनी सारी हिम्मत को सहने के लिए खुला छोड़ना नहीं चाहती है। अपने जीवन की चादर को मनमाने ढँग से छेद डालने का मौका वह पारम्परिक स्त्री–आदर्शों के नाम पर कतई देती नहीं है। वह अपने ढँग से अपनी सुविधा और इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाने की पटुता रखती है।

वसुधा भावना के अतिरेक के कारण नारी के जीवन में उठ खड़ी होने वाली समस्याओं और उनकी विषम परिणतियों का अंदाजा लगाती है और पूरी बुद्धिकुशलता के साथ आनंद के रुप में अपने तत्सम को ढूँढ़ लेती है। विधवा के पुनर्विवाह की पुरानी समस्या को राजी सेठ ने परम्परा से भिन्न एक अलग ही धरातल पर प्रस्तुत किया है। स्त्री–विमर्श का नवीन रुप में ग्रहण करते हुए राजी सेठ ने नारी की समस्या, और इस प्रकार नारी की चेतना को सर्वग्राहय रुप दिया है। वसुधा का चरित्र औचित्य संगत एवं सर्वग्राहय बन गया है जो भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता भी है।

I UnHk% %

1. डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी;भारतीय संस्कृति की देन (निबन्ध):
2. तत–सम; पृ.112
3. डॉ0 कश्मीरी लाल; राजी सेठः कथा–सृष्टि और दृष्टि,पृ.12
4. तत–सम;पृ.38
5. तत–सम0, पृ.38

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 39-41

ubZ lnh ds igys n'kd dk ruko % ,d v/;;u

lrh'k pUnz JhokLro*

आज हम सभी इक्कीसवीं सदी में प्रवेश कर गये है जिसे हम अतिभौतिकता एवं अति बौद्धिकता की सदी भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक समाज में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। पुराने अवस्थापित मूल्य अब नष्ट हो चुके हैं। द्रुत तकनीकी एवं सामाजिक परिवर्तन के कारण परिवार, सामाजिक स्थिति, अभिवृत्ति, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक जीवन आदि में परिवर्तन दिखाई दे रहा है। आज का व्यक्ति मंहगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के वातावरण में बहुत बदल गया है। वह शारीरिक रूप से इतना द्रुत एवं गतिशील हो गया है कि उसकी मानसिक चेतना लगभग नगण्य हो गयी है और मानसिक अस्थिरता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार, धार्मिक मतभेद, जातिभेद, पक्षपात, वैमनस्यता, गरीबी, जनसंख्या, सामाजिक एवं राष्ट्रीय मूल्यों का ह्रास, व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार के प्रतिबल, संवेगात्मक तनाव, अन्तर्द्वन्द्व, चिन्ता, भग्नाशा आदि का कारण बन रहे हैं। और असामान्य लक्षणों, व्यवहारों के पनपने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दुर्बल व्यक्तित्व का व्यक्ति इन परेशानियों के साथ समायोजित न होकर घुटने टेक रहा है और अपने को दीन–हीन, तनावपूर्ण एवं चिन्ताग्रस्त देख रहा है।

प्रतिबलों, तनावों, कुण्ठाओं को झेल रहा है उनका सही ढंग से समाधान करना तो दूर बल्कि अनुपयुक्त खाना खाकर, अधिक काम करके, ड्रग्स और विभिन्न मादक पदार्थों के अधीन रहकर एवं विश्राम न करके अपने तनावों, प्रतिबलों आदि को बढ़ावा दे रहा है।

इसी प्रकार की कुछ प्रमुख अन्तर्द्वन्द्वात्मक मनोदशाएं निम्नलिखित हैं– 1. प्रेम बनाम घृणा (Love V/s hate), 2. आश्रितता बनाम स्वतन्त्रता (Dependence V/s Independence), 3. सामना करना बनाम पलायन करना (Facing V/s Ecsaping), इसमें व्यक्ति किसी परिस्थिति का सामना करने के साथ–साथ बचना भी चाहता है। 4. सेक्स इच्छा बनाम दूर हटाना (Sex desires V/s Restraints) इस सभी परिस्थितियों में असंतुलन उत्पन्न होने पर मानसिक तनाव का उत्पन्न होना अवश्यम्भावी है।

व्यक्ति ऐसे समाज में रहता है जहाँ उसे हर समय प्रतियोगिता (Competition) करना पड़ता है। आज के इस भौतिकतावादी समाज में विभिन्न विषादों, तनावों, प्रतिबलों के प्रति जो मुख्य कारक हैं वे निम्नलिखित प्रकार से हैं– अवास्तविक आकांक्षाएं (Unrealistic Aspiration), अवांछित इच्छाएं (Unacceptable Desires), असम्भव चुनाव (Impossible Choice), त्रुटिपूर्ण बोध (Wrong Cognition), जीवन की सार्थकता और आशा का अभाव (Lack of Meaning and Hope), अव्यवस्थित अन्तःवैयक्तिक सम्बन्ध (Disturbed interpersonal relationship), अन्तर्दृष्टि का अभाव एवं अनन्यता (Lack of Insight and Rigidity) असंतोष और अप्रसन्नता (Disatisfaction and Unhappyness),सतत् असमन्वित व्यवहार (Persistent non Integrative Behaviour), आर्थिक एवं व्यावसायिक समस्यएँ (Economic and Occupational Problems), विकृत परिवार (अनैतिक परिवार, सौतेली मां, भग्न परिवार (Broken Homes), माता–पिता का तिरस्कार, द्वेषपूर्ण अनुशासन तथा माता पिता का पक्षपातपूर्ण रवैया आदि), आत्म सम्मान की अधिक इच्छा (More Desire of Self Esteem), समाज का प्रतियोगी वातावरण (Competitive Environment of Society), खर्चीला स्वभाव (Expanssive Nature) आदि।

vokLrfod vkdk{kk,a % आत्म स्वीकृति का अभाव तथा आकांक्षा का आवास्तविक स्तर व्यक्ति में मनस्ताप का लक्षण उत्पन्न कर सकता है। बहुधा यह देखा गया है कि कुछ व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य निर्धारित करते हैं और असफल होते हैं। इनमें हीनता की भावना एवं दोषपूर्ण संवेग विकसित होते हैं। आवास्तविक आकांक्षा स्तर के कारण हीनता की भावना और एवं दोषपूर्ण संवेग विकसित होते हैं। अवास्तविक आकांक्षा स्तर के कारण हीनता की भावना और हीनता ग्रन्थियाँ (Inferiorty Complex Glands) सक्रिय होकर मानसिक तनाव का कारण बन सकती हैं।

*असि0प्रोफेसर, इन्दिरा गाँधी पी0जी0कालेज, गौरीगंज, अमेठी, उ0प्र0

vokfNr bPNk,a % अवांछित इच्छाएं भी मनस्ताप एवं तनाव के लक्षण उत्पन्न करती हैं। वे इच्छाएँ जो व्यक्ति की योग्यताओं से परे होती हैं वे व्यक्ति के असफल होने पर हीनता की भावनाएं उत्पन्न करती हैं। ऐसे व्यक्ति अधिकांशतः अपनी अवांछित इच्छाओं की पूर्ति में लगा रहता है और असफलता आत्म स्वीकृति नहीं कर पाता और तनाव ग्रस्त रहता है।

vlEHko puko % व्यक्ति कुछ ऐसी इच्छाओं का चुनाव करता है जिनकी पूर्ति सम्भव नहीं होती है। तब ऐसी स्थिति में मनस्ताप के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण तनाव और नींद में कमी जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं।

=fVi.k ck/k % कार्ल रोजर्स (1961) का विचार है कि व्यक्ति में प्रत्यक्षीकृत भय की मात्रा जितनी ही अधिक होती है, व्यक्ति उतनी ही अधिक अपनी सुरक्षा करता है। फलस्वरूप व्यक्ति की आत्म प्रतिभा वास्तविकता से मेल नहीं खाती है और इस स्थिति में व्यक्ति की आत्म, वाह्य, और आन्तरिक अनुभवों से असम्बद्ध हो जाती है जिससे व्यक्ति में तनाव एवं चिन्ता उत्पन्न हो जाती है।

thou dh lkFkdrk ,oa vk'kk dk vHkko % सुलीवन (1953) के अनुसार व्यक्ति के अन्तःवैयक्तिक सम्बन्ध व्यक्ति में चिन्ता एवं तनाव उत्पन्न करते हैं। थोर्न (1963) का सुझाव है कि जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण असफलता चाहे वास्तविक हो अथवा काल्पनिक, चिन्ता उत्पन्न करती है। थोर्न और सुलीवन के द्वारा वर्णित चिन्ता व्यक्ति के जीवन की सार्थकता को भयावह (Threatening) बना देती है। यह देखा गया है कि जब सफलता की अपेक्षा असफलता की मात्रा बढ़ जाती है तब व्यक्ति अपने आपको असहाय महसूस करता है और तनावग्रस्त रहता है। उदाहरण– किसी भी छात्र का राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद कम्पनियों के लगातार साक्षात्कार के बाद सफल न हो पाने पर व्यक्ति अपने जीवन की सार्थकता एवं आशा के अभाव को महसूस कर चिन्ता, तनावग्रस्त हो जाता है।

v0;;ofLFkr vUr%oS;fDrd lEcU/k % व्यक्ति का आत्म केन्द्रित रहने के कारण अपनी समस्याओं में ही उलझा रहने के कारण अपनी समस्याओं में ही उलझे रहना लोगों के साथ सम्बन्ध एवं सम्पर्क न स्थापित कर पाना। उदाहरण– बहुत से व्यक्तियों को देखा गया है कि वे अर्न्तमुखी स्वभाव के होते हैं। अपनी समस्याओं को दूसरे के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। स्वयं ही उधेड़बुन में लगे रहते हैं। इस प्रकार उनकी समस्याएं अनसुलझी ही रह जाती है और तनाव उत्पन्न हो जाता है।

vUrnZf"V dk vHkko ,oa vuU;rk % मनस्तापी व्यक्ति में अपनी कठिनाइयों और अन्तर्द्वन्द्वों के समाधान के लिए सूझ का अभाव होता है। वह अनुभव करता है कि उसमें कुछ असामान्य लक्षण हैं। फिर भी वह अपने इन लक्षणों से मुक्त नहीं हो पाता है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कभी–कभी वह अच्छी अन्तर्दृष्टि का प्रदर्शन करता है। फिर भी वह विचलित रहता है और समस्या का समाधान नहीं कर पाता है तनाव का मुख्य कारण अनम्य होना भी है क्यों कि वह अपने व्यवहार को परिस्थिति के अनुसार लचीला नहीं बना पाता है। सामंजस्य एवं तालमेल की सर्वथा कमी रहती है।

vlUrks"k ,oa vilUurk % तनाव का मुख्य कारण व्यक्ति का संतोषी न होना और चिड़चिड़े स्वभाव का होना है। संतोष धन की महत्ता को कभी नहीं भूलना चाहिए। मनस्तापी व्यक्ति का जीवन तनावपूर्ण एवं असन्तोषपूर्ण होता है। वह हर समय भय, आशंकाओं और अन्तर्द्वन्द्व से घिरा रहता है। अतः वह निराशावादी और अपनी परिस्थितियों से असंतुष्ट रहता है। इस प्रकार का व्यक्ति अपने आप को अनुपयुक्त एवं असहाय भी समझता है वह अस्पष्ट भ्रम और आत्मग्लानि के कारण अनुभव करता है कि वह एक अपूर्ण व्यक्ति है और इसी कारण वह अप्रसन्न रहता है।

lrr vlefUor 0;ogkj % व्यक्ति यदि अपनी समस्याओं के समाधान में आवश्यकताओं से अधिक मनोरचनाओं (Defence Machanism) का उपयोग करता है तो इससे उसकी समस्याओं का सही ढंग से समाधान तो दूर चिन्ता एवं तनाव की मात्रा बढ़ती जाती है। इस परिस्थिति में व्यक्ति आवश्यकता से अधिक या कम प्रतिक्रिया करता है और इस सतत् असमन्वित व्यवहार से व्यक्ति तनावग्रस्त भी रहता है। उदाहरण– किसी व्यक्ति द्वारा गलत कार्य सम्पन्न किये जाने पर उसके बचाव में विभिन्न अतार्किक कथनों द्वारा कम या ज्यादा स्पष्टीकरण।

vkRe lEeku dh vf/kd bPNk % प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी ढंग से अपने अहं (Ego) की रक्षा करता है। वह दूसरों से सम्मान और आदर के योग्य कई आधारों पर मान सकता है। जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त करके, शारीरिक आकर्षण और अधिक धन के आधार पर। लेकिन जब किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान की आवश्यकता की तृप्ति नहीं होती है तब आत्मग्लानि एवं असुरक्षा का अनुभव करता है उसमें हीनता की भावना जागृत होकर मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है।

lekt dk ifr;kxh okrkoj.k % सामाजिक प्राणी के रूप में व्यक्ति को जो सुविधाएँ एवं साधन अपनब्ध होते हैं वह सभी व्यक्तियों के लिए समान नहीं होते हैं। समाज के अधिकांश व्यक्ति अपने पद, प्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्तर

आदि को दूसरों के बराबर रखने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्द्धा या होड़ करते हैं।। प्रतिस्पर्द्धा में अक्सर एक व्यक्ति आगे निकल जाता है तथा दूसरा पीछे रह जाने वाला व्यक्ति जब बाधाओं पर सफलता पाने में अपने को असमर्थ समझता है तब वह उस अवस्था में कुण्ठा उत्पन्न होती है। सफलता की आशा में असफलता की स्थिति व्यक्ति में मानसिक तनाव उत्पन्न कर देती है।

ekufld rukok e [ky eukjatu lxhr dk fpfdRlh; egRo % सामान्य स्वाभाविक प्रवृत्तियों में खेल की प्रवृत्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। खेल का सामान्य अर्थ है– चित्त की उमंगता या मन बहलाव, व्यायाम के लिए इधर–उधर उछलकूद, दौड़–धूप या कोई साधारण कृत्य एवं शारीरिक क्रियाएं (नालन्दा विशाल शब्द सागर)। खेल की क्रिया परिस्कार (शुद्धि... रेचन) करती है। यह कुछ अवरुद्ध प्रवृत्तियों और संवेगों को बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त करता है। खेल की प्रक्रियाएं ही ऐसा प्रबल एवं सशक्त माध्यम हैं जो मानव जीवन के भीतर छिपी मूल प्रवृत्तियों को उन्मादित संवेगों का खुलकर प्रदर्शन करती हैं और इन्हीं संवेगों का जब खुलकर प्रदर्शन हो जाता है तब चित्त, मन शान्त हो जाता है और व्यक्ति का बोझिल दिमाग हल्का महसूस करने लगता है।

क्रो एवं क्रो के अनुसार मानसिक तनाव को दूर करने के लिए खेल का महत्व खेल द्वारा चिकित्सा के प्रयोग से सिद्ध हो जाता है। उनका विश्वास है कि खेल द्वारा निम्नलिखित प्रकार की चिकिस्सा होती है–

1. मानसिक एवं संवेगात्मक संतुलन खोने वाले लोगों की खेल द्वारा चिकित्सा (Play Therapy)।
2. बालकों को भय, क्रोध, निराशा, मानसिक द्वन्द्व आदि से मुक्त करने हेतु ऐच्छिक खेलों द्वारा चिकित्सा।
3. मानसिक रोगियों की संगीत एवं मनोरंजन द्वारा चिकित्सा (Recreational and Music Therapy)।

[ky fpfdRlk (Play Therapy) : शारीरिक क्रियाओं एवं खेलकूद का असर अप्रत्याशित एवं प्रत्यक्ष रूप से मानव के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर देखा जाता है। जो मानव को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थता प्रदान करती है, बहुत सी शारीरिक विधाएं (खेल विधाएँ) जिसमें हम मुख्यतया एरोविक शारीरिक अभ्यास की बात करते हैं, जिसको करने से मनुष्य को ज्यादा तीव्र गति से मांसपेशियों एवं हृदय को भार देने की आवश्यकता नहीं होती है। व्यायाम हमारे तंत्रिका तंत्र को फिजूल में तनाव पैदा करने वाली ऊर्जा को कम ही नहीं करता बल्कि तुरन्त मानसिक शिथलन (Mental Relaxation) के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एरोविक व्यायाम जिसको करने से हमारे शरीर के भीतर ऊतकों को आक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति होती रहती है, ये कठिन व्यायाम नहीं होते हैं। स्ट्रेस, तनाव को उत्पन्न करने वाले हारमोन्स को तुरन्त खत्म कर न्यूट्रल कर देते हैं और उनको शरीर की चयापचयी क्रियाओं की तरफ उन्मुख कर जैविक अंगों और प्रतिरक्षा तन्त्र (Immune System) की स्वस्थता को कमजोर करने से बचाते हैं।

नियमित व्यायाम करने से व्यक्ति के दैनिक जीवन में उत्पन्न हुई विभिन्न परेशानियों, तनाव, गुस्सा, भय, आशंका आदि मनोवैज्ञानिक विकारों के प्रति उत्तरदायी हारमोन्स के स्तर को कम करके उत्पन्न शारीरिक उद्वेग, भग्नाशा, मतिभ्रम, मनस्ताप, कुंठा को संतुलित अवस्था में शीघ्र ही लाने का प्रयास करता है।

सन् 1980 के आस पास मस्तिष्क में पाये जाने वाले एक रसायन ''न्यूरोपेप्टाइड'' की खोज हुई जो मारफीन की तरह गुण वाला होता है। ''वीटा–इन्डोरफिन'' केमिकल भी शरीर के अन्दर पाया जाता है जो दर्द, पीड़ा, स्ट्रेस, डीप्रेशन, एन्जाइटी, मूड डिस्आर्डर को कम करके सुखानुभूति प्रदान करता है। ऐरोविक व्यायामों को करने इन दोनों हारमोन्स का निर्माण शरीर में स्वतः होने लगता है यह हमारे रक्त के साथ समायोजित होकर पूरे शरीर के प्रतिरक्षातन्त्र और संवेगात्मक असंतुलन को संतुलित दशा में लाता है और तनाव को दूर करने के लिए किसी भी दर्द निवारक , तनाव निवारक, तथा भ्रम निवारक आदि गोलियों को लेने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी प्रकार के मूड डिस्आर्डर को ठीक करने में सक्षम होते हैं।

lUnHkZ %

1- डी0एन0 श्रीवास्तव ; आधुनिक असामान्य मनोविज्ञान, साहित्य प्रकाशन ,आगरा।

2- स्पोर्ट्स मेडीसिन (2002), डा0एन0वी0 शुक्ला, इण्डियन एसोसियेशन आफ स्पोर्ट्स एन्थ्रोपोमेट्री, 32–टीचर्स फ्लैट, बी0एच0यू0, वाराणसी।

3- यू0जी0सी0 NET/SLET सोनिया सहगल, कासमोस बुक हाइव प्रा0लि0,गुड़गांव।

4- होल्ट, रिने हर्ट और विन्सटन; 1969, प्रिंसिपल आफ विहेवियर मोडीफिकेशन न्यूयार्क

5- गायत्री तीर्थ, शांतिकुंज, हरिद्वार, उत्तराखंड।

6- मादक दृव्य संदर्शिनी (उपयोग, दुरुपयोग एवं प्रभाव) कमल नारायण टंडन, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली–110015।

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 42-45

t;'kdj i:lkn d: ukVdk e: ;xhu lnHk

xkjo dekj tk;loky*

नवजागरण एक ऐसी अवधारणा है जिसका सम्बन्ध आधुनिक काल की नवीन चेतना से है। यह नवीन चेतना मध्यकालीन चेतना से भिन्नता लिए हुए है। ऐसी स्थिति में नवजागरण की चेतना का स्वरूप क्या है, जानने के लिए नवजागरण, पुनरुत्थान और सुधार जैसे शब्दों पर विचार करना भी आवश्यक है। कारण यह है कि इनमें पर्याप्त अन्तर है, जबकि अधिकांश लोग इन्हें एक ही अर्थ में प्रयुक्त करते रहते हैं। कतिपय विद्वानों ने आधुनिक काल के नवजागरण को पुनर्जागरण भी कहा है। ये वे लोग हैं जो यह मानते हैं कि भारत का भक्ति–आंदोलन नवजागरण का सूचक था। जब ऐसा है तो आधुनिकयुग में घटित होने वाला जागरण उसी की अगली शृंखला के रूप में पुनर्जागरण कहा जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भक्ति–आंदोलन एक व्यापक सांस्कृतिक–आंदोलन का द्योतक था। उसमें जनसाधारण की सृजन–शक्ति मध्यकालीन बहुत सी जकड़नों को तोड़कर आगे बढ़ने लगी थी। ध्यान देने की बात यह है कि मध्यकालीन सामंतवादी व्यवस्था के भीतर ही यह हुआ था, अतः लोगों के चिन्तन और संवेदना की कितनी ही कमियों और कमजोरियों को दूर करने में उसे सफलता नहीं मिली। एक तथ्य यह भी है कि तत्कालीन व्यवस्था ने इसके प्रगतिशील तत्त्वों को कुण्ठित करते हुए अपने अन्दर पचा लिया था। इस भक्ति–आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि यह और इसका स्वरूप ईश्वर–केन्द्रित था और धर्म से जुड़ा हुआ था। इससे स्पष्ट है कि भक्ति–आंदोलन नवजागरण नहीं कहा जा सकता है। हाँ, नवजागरण के लिए उसने भूमिका अवश्य तैयार की थी।

भारतेन्दु युग में लिखा गया साहित्य पुनर्जागरण का साहित्य है। आधुनिक काल का प्रथम चरण जागरण की भावना से आंदोलित है। परम्परा से प्रचलित आदर्श, धारणाएँ और जीवन–सूष जीवित तो थे, किन्तु अपनी विशिष्टता और मौलिकता का रंग खो चुके थे। कोई भी ऐसी शक्ति, धारणा और विश्वासमयी सत्ता उभर नहीं पा रही थी जो तत्कालीन जीवन के प्रवाह का रुख मोड़ पाती। धीरे–धीरे स्थिति बदली, सामाजिक चेतना प्रबुद्ध हुई। विक्टोरिया का शासनकाल आया। अंग्रेजी सभ्यता, भाषा और साहित्य के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा मिला। इसी समय जहाँ प्रबुद्ध मनीषियों ने अपनी सोयी हुई चेतना को जागृत किया वहीं साहित्यसर्जकों में भारतेन्दु ने पुनर्जागरण का संदेश भी दिया और उसे व्यापक रूप देने का बीड़ा भी उठाया।

संस्कृति प्राण है और अतीत का गौरवशाली वैभवपूर्ण इतिहास उसका स्वस्थ शरीर। अतीत की आर्य–संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए जयशंकर प्रसाद ने भारतीय इतिहास को चुना। इतिहास की सबल बुनियादों पर उन्होंने संस्कृति का भव्य भवन निर्माण किया। प्रसादजी को अपने पूर्वजों के इतिहास पर विश्वासपूर्ण गर्व था– उससे उन्हें मोह था। प्रसादजी के 'एक घूँट' और 'कामना' को छोड़कर) सभी नाटक भारतीय इतिहास के चमकते रत्न हैं। प्रसादजी ने भारत का वह इतिहास लिया है, जब आर्य–सभ्यता, संस्कृति और शक्ति वैभव–शैल के सर्वोच्च शिखरपर आसीन थी। प्रसाद के नाटकों का ऐतिहासिक काल भारतीय पराक्रम का चमकता युग है। आर्य–साम्राज्य–विस्तार का वह समय था। विदेशी आक्रमणकारियों को पराजित करके भारतीय गौरव का अभिषेक करने का अवसर था। हमारा राजनीतिक प्रभुत्व व्यापक था। व्यापार–व्यवसाय, कला–कौशल, साहित्य–सृजन आदि सभी दृष्टियों से वह काल 'स्वर्ण–युग' था।

प्रसाद के नाटकों का समय भारत–युग (महाभारत) के बाद से आरम्भ होकर सम्राट् हर्ष तक आता है। ऐतिहासिक दृष्टि से 'आर्य–स्वर्ण–युग' का आभास 'जन्मेजय का नागयज्ञ' से होने लगता है। 'अजातशत्रु' में साम्राज्य–विस्तार के प्रयत्न के रूप में वह स्पष्ट होता हुआ दीखता है। 'चन्द्रगुप्त' में समस्त भारत में मगध के आर्य साम्राज्य का विस्तार हो जाता है। पराजय स्वीकार कर सेल्यूकस को अपनी पुत्री का विवाह भारतीय सम्राट

*शोध छात्र, हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0

चन्द्रगुप्त से करना पड़ता है। 'ध्रुवस्वामिनी' में विदेशी हूणों के नेता का वध करके रामगुप्त–जैसे क्लीव को मार्ग से हटाकर चन्द्रगुप्त सम्राट् बनता है और 'स्कन्दगुप्त' में भारत पर आक्रमण करने वाले हूणों का नाश करके गुप्त–साम्राज्य को सुरक्षित और सबल बना दिया जाता है– गुप्त साम्राज्य का उद्धार विदेशी आततायियों के हाथों से कर लिया जाता है। बौद्धकाल (अजातशत्रु), मौर्य–काल (चन्द्रगुप्त), गुप्तकाल (ध्रुव स्वामिनी और स्कन्दगुप्त), वर्धनकाल (राज्य–श्री) सभी प्रसाद जी के नाटकों में आ जाते हैं।

इस सम्बन्ध में विशाख की प्रथम संस्करण की भूमिका में वे लिखते है :–''इतिहास का अनुशीलन किसी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यन्त आवश्यक होता है। हमारी जलवायु के अनुकूल जो हमारी सभ्यता है उससे बढ़कर उपयुक्त कोई भी आदर्श हमारे अनुकूल होगा की नहीं इसमें मुझे पूर्ण संदेह है।..... मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है, जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है और जिन पर वर्तमान साहित्यकारों की दृष्टि कम पड़ी है।''1

प्रसाद के नाटकों के नायक इतिहास के विश्व–विख्यात पुरुष हैं। 'जन्मेजय का नागयज्ञ' का नायक जन्मेजय महाभारत–काल के बाद भारत का शासक बना। यह परीक्षित का सबसे बड़ा पुत्र था– श्रुतसेन, उग्रसेन, भीमसेन तीन इसके छोटे भाई थे। इसने नागजाति से भयंकर युद्ध किया और नागों को नष्ट करके सुदृढ़ आर्य–राज्य की स्थापना की। यह नाटक शुद्ध ऐतिहासिक होते हुए भी पौराणिक भी गिना जा सकता है।

'अजातशत्रु' से 'ध्रुवस्वामिनी' तक सभी नाटक शुद्ध ऐतहासिक हैं। उनके प्रसिद्ध पाष इतिहास की गोद में प्रकाश–स्तम्भ के समान खड़े हैं। 'अजातशत्रु' का बिम्बसार शिशुनाग वंशीय सम्राट था। वह बुद्ध के जीवन–काल (567 से 480 ई0 पूर्व) में ही मगध पर शासन करता था। राजगह (राजगृह) उसकी राजधानी थी। उसने कौशल की राजकुमारी कोशलदेवी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी छलना, पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। छलना से अजातशत्रु का जन्म हुआ। गौतम, बिम्बसार, अजातशत्रु प्रसेनजित (कोशल–नरेश) विरूद्धक, पद्मावती, आम्रपाली उदयन सभी इतिहास–प्रसिद्ध व्यक्ति हैं और इसमें वर्णित घटनाएँ– आम्रपाली द्वारा बुद्ध को भोजन कराना, कोशल–मगध का युद्ध, प्रसेनजित का विरुद्धक से विरोध आदि भी इतिहास–परिचित घटनाएँ हैं।

'चन्द्रगुप्त' के चाणक्य, चन्द्रगुप्त, नन्द, राक्षस, पर्वतेश्वर, सिकन्दर, सेल्यूकस, आम्भी, दाण्ड्यायन– सभी ऐतिहासिक व्यक्ति हैं। क्षूद्रकों और सिकन्दर का युद्ध और सिकन्दर का बुरी तरह घायल होना, यूनानी इतिहास तक में मिलता है। दाण्ड्यायन–सिकन्दर की भेंट और दाण्ड्यायन (दण्डमिस) द्वारा सिकन्दर का फटकारा जाना भी इतिहास का सत्य है। चन्द्रगुप्त–सेल्यूकस का युद्ध (305 ई0 पूर्व) भी सत्य घटना है और कार्नेलिया–चन्द्रगुप्त–विवाह भी इतिहास मानता है। इतिहास के द्वारा यह भी सिद्ध हो चुका है कि चन्द्रगुप्त क्षत्रिय था। गोरखपुर के उत्तर–पूर्व में मौर्यों का एक प्रजातंष राज्य था– उसी मौर्य–क्षषिय–शाखा में चन्द्रगुप्त का जन्म पिप्पली कानन में हुआ था।

'ध्रुवस्वामिनी' और 'स्कन्दगुप्त' के नाटक हैं। सम्राट् समुद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र रामगुप्त सम्राट् बना। वह कायर और विलासी था। 'ध्रुवस्वामिनी' उसी को पत्नी– गुप्त–कुल की राज्य–लक्ष्मी थी। रामगुप्त की कायरता का लाभ उठाकर शकराज खिंगिल ने ध्रुवस्वामिनी की माँग की। रामगुप्त द्वारा ध्रुवस्वामिनी खिंगिल की भेंट कर दी गई। अपने कुल की मान–रक्षा के लिए चन्द्रगुप्त, (रामगुप्त का छोटा भाई) ध्रुवस्वामिनी के वेश में खिंगिल के शिविर में गया और उसने उसका वध कर दिया। सभी सेनानायकों और सरदारों ने चन्द्रगुप्त को सम्राट बनाया और रामगुप्त को मार डाला। चन्द्रगुप्त (द्वितीय) की पत्नी ध्रुवस्वामिनी से कुमारगुप्त गोविन्द दो पुत्र हुए, कुमारगुप्त नियमानुसार सम्राट बना। कुमारगुप्त के भी दो पुत्र हुए– एक स्कन्दगुप्त और दूसरा पुरगुप्त। स्कन्दगुप्त नियमानुसार युवराज बनाया गया।

'ध्रुवस्वामिनी' और 'स्कन्दगुप्त' में गुप्त–वंश के साम्राज्य–काल का इतिहास है। इन दोनों नाटकों के सभी व्यक्ति इतिहास में प्रसिद्ध हैं। बंगाल से सौराष्ट्र तक और दक्षिण में मैसोर तक गुप्त साम्राज्य का विस्तार था।

'राज्यश्री' में हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के शासन–काल का इतिहास है। इसमें वर्णित भी सभी घटनाएँ ऐतिहासिक हैं। हर्ष द्वारा धर्म–सभा की योजना, राज्यवर्धन का गौड़–नरेश नरेन्द्रगुप्त द्वारा वध, हर्ष का पुलकेशिन से युद्ध आदि इतिहास की साक्षी है।

जहाँ तक हो सका है, प्रसादजी ने घटनाओं और चरित्रों की नई कल्पना कम ही की है– उनका रूप शुद्ध ऐतिहासिक रखने की चेष्टा की है, फिर भी नाटकों को सफल बनाने और रस–निष्पत्ति के लिए कल्पना से काम–अवश्य लिया गया है।

केवल इतिहास को ज्यों–का–त्यों ही रखकर उन्होनें भ्रमों को सत्य सिद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया। इतिहास और पुरातत्त्व की गम्भीर खोज भी उन्होंने की। अजातशत्रु, चन्द्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कन्दगुप्त, राज्यश्री आदि की भूमिकाएँ इसकी साक्षी हैं। यूनानी इतिहासों की गलती से चन्द्रगुप्त को क्षुद्र मानने की नासमझी अभी तक की जा रही थी, वह प्रसादजी ने दूर की 'चन्द्रगुप्त' की विशाल भूमिका में चन्द्रगुप्त को सबल प्रमाणों और खोजों द्वारा क्षत्रिय सिद्ध किया और नन्द को शूद्र। राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, ध्रुवस्वामिनी–सभी का, जो ऐतिहासिक परिचय प्रसाद जी ने दिया है, उससे उनकी गम्भीर इतिहास–चेतना का पता चलता है। जातक, पुराण, यूनानी इतिहास, चीनी यात्री सुएनच्वांग के वर्णन आदि सभी में से उन्होनें अपने प्रमाणों के लिए सामग्री प्रस्तुत की है। इस प्रकार प्रसादजी ने दो प्रकार से इतिहास की सेवा की। एक तो प्राचीन इतिहास सामने रखा, दूसरे नवीन खोजें भी की और सच्चा इतिहास अपने नाटकों द्वारा प्रस्तुत करने का स्तुस्य प्रयत्न किया।

जयशंकरप्रसाद की नाट्य–साधना का काल 1910 से लेकर 1933 तक चला। इन नाटकों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए संघर्षों की पृष्ठभूमि में सन् 1933 तक का भारतीय परिवेश अपनी प्राचीन गरिमामय संस्कृति को समेटे हुए न केवल वर्तमान युगबोध को स्वर देता है। बल्कि भविष्य निर्माण का संकेत भी करता है। प्रसाद का अतीत दर्शन वर्तमान से पलायन नहीं है बल्कि वर्तमान दर्शन की ही एक पद्धति है। नाटककार होने के साथ ही प्रसाद छायावादी कवि भी थे। जिसके कारण उनका अनुभव जगत् विस्तृत था और अभिव्यक्ति की क्षमता भी विलक्षण थी। प्रसाद भारतीय संस्कृति के प्रबल समर्थक थे और तत्कालीन समय में भारतीय संस्कृति के विकृत रूप के होते उनका मन क्षुब्ध हो उठा। इसी क्षुब्धता ने प्रसाद के नाटकों के लिए धरातल तैयार किया जिसने उन्हें राष्ट्रीय–सांस्कृतिक पुननिर्माण तथा मिथकीय कथा संदर्भों के समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया।

प्रसाद के युग परिवेश पर विचार करने के परिणामस्वरूप यह तथ्य उद्घाटित होता है कि प्रसाद ने अपने नाटकों में इतिहास के जीवंत सांस्कृतिक–संघटना के रूप में अभिव्यक्त किया है और उसके माध्यम से न केवल अपने युग के संकट एवं संघर्ष को स्वर दिया है बल्कि ऐसे कुछ मानवीय मूल्यों की स्थापना भी की है जो आज भी प्रासंगिक व अर्थवान हैं।

वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। आज समूचा विश्व पूंजीवाद तथा तकनीक आदि में उलझकर रह गया है। संपूर्ण विश्व बाजारीकरण की चपेट में आ रहा है। विश्व आज 21वीं सदी में कदम रख चुका है। जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियों हैं, मीडिया है, उपभोक्तावादी सभ्यता अपने पाँव फैला रही है, नैतिक मूल्य ध्वस्त हो रहे हैं, राष्ट्र की अस्मिता का प्रश्न और भी चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। संस्कृति का निरंतर क्षरण होकर उसका अपसंस्कृतिकरण होता जा रहा है। ऐसी विषय परिस्थिति में राष्ट्रीयता, सांस्कृतिक चेतना एवं मानवीय–मूल्यों की रक्षा एवं निर्वाह के साथ–साथ नवनिर्माण की समस्या भी और ज्यादा भीषण होती जा रही है। इसलिए इन संदर्भों में प्रसाद के नाटक और भी अधिक प्रासंगिक और अर्थवान हो उठते हैं।

प्रसाद का प्रत्येक नाटक युगीन संदर्भ में सार्थक और उद्देश्यपूर्ण है। प्रसाद जिस राष्ट्रीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को लेकर चले वह उनके प्रायः सभी नाटकों में परिलक्षित होता है। भारत के गरिमामय अतीत का वर्तमान के साथ सामंजस्य दिखाकर अपने राष्ट्रधर्म और संस्कृति के प्रति आस्था उत्पन्न करने का अविस्मरणीय प्रयास प्रसाद के नाटकों में देखने को मिलता है। अपनी सांस्कृतिक चेतना में निहित इतिहास का जैसा उपयोग प्रसाद ने किया वह तत्कालीन प्रासंगिकता से जुड़कर हमारे समय के संदर्भों को उद्घाटित करती चलती है।

प्रसाद को अपने युगीन परिवेश घटनादि का गहन ज्ञान था, और राष्ट्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृति चिंतनधारा से पूरे मनोयोग से जुड़े थे। प्रसाद–साहित्य राष्ट्रीय भावना से संपृक्त है। राष्ट्र उनके लिए न भूमि का टुकड़ा (भू–भाग) है और न ही नागरिकों की एक संस्था मात्र। राष्ट्र संबंधी उनकी सोच को एक निश्चित परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। भौगोलिक रूप से राष्ट्र की सीमाएँ घटती–बढ़ती, विस्तृत और संकुचित होती रहती हैं।

देश–प्रेम राष्ट्रीयता का अनिवार्य तत्व होने के कारण मूलतः राग–प्रेरित है। इस भावना का प्रसार जब परिवार, ग्राम, प्रान्त से आगे राष्ट्र तक विकसित हो जाता है, तब इसे राष्ट्र–प्रेम की संज्ञा दी जाती है। प्रसाद के अधिकांश पात्रों में यह भावना प्रस्फुटित होती दिखाई पड़ती है। उनके मुख से बार–बार उच्चरित होने वाली जन्मभूमि के गौरव–गान, देश के प्रति स्वाभिमान और देश–भक्ति की अटूट भावना देश–प्रेम की ही भावना है। देश–प्रेम की अनुगूंज प्रसाद के पात्रों में कई रूपों में सुनने को मिलती है।

एक राष्ट्र में एक होकर जीने की भावना प्रसाद साहित्य की मूल राष्ट्रीय भवना है। वे मानसिक रूप से देश या राष्ट्र को अपना समझने की भवना पर बल देते हैं। प्रसाद ने पराधीनता के युग में साहित्य–सर्जना की। अतः उनके नाटक में उन स्वरों की अनुगूंज मुख्य रूप से सुनाई पड़ती है जो देश को स्वाधीन बनाने की भूमिका निभा सके और तत्कालीन जनता को इस दिशा में आगे बढ़ने को प्रेरित कर सकें। उनके नाटक में उदित देश के प्रति स्वाधीनता का स्वर केवल अपने समय तक सीमित नहीं प्रत्युत उसकी सार्थकता प्रत्येक आने वाले समय के लिए एक समान रूप से आंकी जा सकती है।

प्रसाद देश में भेद–भाव और विघटन फैलाने वाली शक्तियों को आड़े हाथों लेते हैं। वे देशवासियों को प्रांतीयता, जातीयता, सांप्रदायिकता जैसी अलगाववादी और मानवतावादी कुवृत्तियों से अपना नाता तोड़ एक देश के रूप में खड़े होने का संदेश देते हैं। एक्य भावना ही उनका मुख्य राष्ट्रीय स्वर है। मानव–धर्म ही उनका राष्ट्रीय धर्म है। उनकी राष्ट्रीयता की भावना मानवता की भवना से संयुक्त हो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली है। वे किसी भी रूप में राष्ट्रीयता की भावना से कटी मानवता और मानवता की भावना से कटी राष्टत्रयता को स्वीकारने को तैयार नहीं। राष्ट्रीय भावना को बल प्रदान करने वाले उनके स्वरों की प्रासंगिकता विगत की अपेक्षा आज अधिक सार्थक जान पड़ती है।

प्रसाद भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के मर्मज्ञ थे। प्रसाद की यह निष्ठा थी कि यदि भारतवर्ष को भारतवर्ष ही रहना है, तो उसे अपने दर्शन और संस्कृति का अनुगमन करते हुए युगानुरूप विज्ञान आदि का संकलन करना चाहिए। यही कारण है कि अपनी नाट्य–रचना के माध्यम से उन्होंने दार्शनिक एवं सांस्कृतिक उद्देश्यों को मौलिक रूप में प्रस्तुत किया है। उनके नाटकों का सबसे प्रबल स्वर राष्ट्रीयता का है। राष्ट्रीय जीवन से सम्बद्ध अनेकानेक समस्याओं का राष्ट्रीय दृष्टिकोण से गंभीर विचार का जो वे समाधान प्रस्तुत करते हैं वह केवल बुद्धिगम्य ही नहीं है अपितु हमारे हृदयगत शुद्ध संस्कारों को भी स्पर्श करने के कारण भावोद्रेक करने में भी सक्षम है। उनकी राष्ट्रीय भावना किसी विदेशी तत्व ज्ञान पर आधारित न होकर पूर्णतः स्वदेशी है किन्तु साथ ही साथ प्रसाद ने राष्ट्रीयता का विनाशकारी रूप ग्रहण न करके उसे विश्व शांति का माध्यम बनाया है।

lnÒ ¼

1. जयशंकर प्रसाद, विशाख भूमिका, उद्धृत किशोरीलाल गुप्त : प्रसाद का विकासात्मक अध्ययन, पृ0 168

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 46-48

cgqvk;keh 0;fDrRo ds /kuh lQy f'k{kk'kkL=h jktk jkeekgu jk;

MkW0 jktuk flag*

अंधविश्वास और कई कष्टकारी कुरीतियों जैसे अभिशापों से अभिशप्त भारतीय जनजीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले राजा राममोहन राय भारतीय विभूतियों के दैदीप्यमान नक्षत्रों में एक थे। ऐसे महापुरुष का जन्म पश्चिम बंगाल के बर्द्धवान जिलान्तर्गत राधा नगर ग्राम में एक संभ्रान्त कट्टर ब्राह्मण परिवार में 22 मई, 1774 को हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा के दौरान उन्होंने संस्कृत और बंगला की शिक्षा प्राप्त की तथा 12 वर्ष की उम्र में वे फारसी और अरबी पढ़ने पटना चले गए। वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेवा में लगभग 14 वर्ष–1814 ई. तक रहे इस बीच उन्होंने डिग्बी नामक अंग्रेज से अंग्रेजी भी सीख ली तथा ईसाई धर्म ग्रन्थों के अध्ययन हेतु ग्रीक, लैटिन और हिबु भाषा सीखी।

उनके नाम के साथ प्रयुक्त 'राजा' शब्द वंशानुगत न होकर बहुआयामी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से अर्जित उपाधि था, जिसे इंगलैण्ड जाते वक्त मुगल सम्राट ने प्रदान किया था। वाह्याडम्बर, पारस्परिक वैमनस्यता, अस्पृश्यता, गुलामी, सामाजिक व धार्मिक कुप्रथाओं की भयावह काली कोठरी में जागरण–दीप प्रज्वलित कर उस तम को भगाने तथा भारत को एक नवयुग के पथ पर अग्रसर करने हेतु प्रयत्नशील आप प्रथम महापुरुष थे। इसी कारण ''भारतीय पुनर्जागरण के जनक'' कहलाने का गौरव आपको प्राप्त हुआ. जैसाकि नन्दलाल चटर्जी ने भी कहा है– 'राजा राममोहन राय प्रतिक्रिया तथा प्रगति के मध्य बिन्दु थे। वस्तुतः वे भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात तारा थे। राजा राममोहन राय के बहुआयामी व्यक्तित्व का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है–

/kekZ l/kkjd % एक साथ कई भाषाओं के जानकार होने के कारण सभी धर्म ग्रन्थों का अध्ययन कर पाने में वे समर्थ हो सके। तत्पश्चात् वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सभी धर्मों में एकेश्वरवाद का ही प्रचलन है, इसीलिए वे धर्मों की मौलिक एकता पर विश्वास करते थे। सम्भवतः उनकी दृष्टि में धर्म एक प्रकाश पुंज है जिससे दो रश्मियाँ प्रस्फुटित होती है– 1. त्याज्य और 2. स्वीकार्य. सभी धर्मो में व्याप्त आडम्बर और अंधविश्वास त्याज्य हैं, जबकि सभी धर्मों के सार स्वीकार्य इस आधार पर उन्होंने हिन्दू धर्म के मूर्ति पूजा व अंधविश्वास का खुलकर विरोध किया, जिसके परिणामस्वरुप कट्टर माँ–बाप के साथ ही पत्नी के कोप का भी शिकार होना पड़ा। इसी तरह उन्होंने ईसा मसीह के दैवी होने तथा मानव को अभिव्यक्ति व अभिशापित में विभाजित करने वाली इस्लाम की अनन्यता की भी आलोचना की, परन्तु उनहोंने हिन्दू धर्म के 'आत्मा वय ब्रहमः (मनुष्य देवता तुल्य है) जैसे पवित्र सिद्धान्त को स्वीकार किया। अपनी प्रसिद्ध रचना 'तुहफत उल मुवाहिछीन' में उन्होंने ऐकेश्वरवाद का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए बुद्धिवाद अथवा तर्कवाद पर विशेष प्रकाश डाला। इन सभी उदेश्यों को लेकर राजा साहब ने धार्मिक एकता के आइने के रुप में 20 अगस्त, 1828 ई. को 'ब्रह्म समाज' की स्थापना की थी। इस प्रकार यह कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि वे धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल पक्षधर थे और उनके हृदय सागर में पवित्र और सिर्फ पवित्र भावधारा की कई नदियाँ आकर मिली थीं। धर्म के संदर्भ में उनके बारे में मॉनियर विलियम्स ने लिखा है–'राजा राममोहन राय सम्भवतः तुलनात्मक धर्मशास्त्र के प्रथम सच्चे अन्वेषक थे।

lekt l/kkjd % समाज सुधारक के रुप में राजा साहब विशेष रुप से याद किए जाते हैं। सती प्रथा, बालाविवाह, जाति प्रथा,अस्पृश्यता जैसे दुःख सहय संक्रामक रोगों से ग्रसित और विकृत भारतीय समाज में नवचेतना का संचार कर उसे सुधारने के जो प्रयास उन्होंने किए वह सिर्फ सराहनीय ही नहीं, स्तुत्य भी हैं। उनके ही अथक प्रयास

*असि. प्रो., बद्रीविशाल पी.जी. कालेज, फारुखाबाद, उ0प्र0

के परिणामस्वरुप सती प्रथा जैसी अमानुषिक दानवी का संहार सम्भव हो सका, क्योंकि लॉर्ड विलियम बैटिंक ने इसे 1829 ई. में गैर–कानूनी घोषित कर दिया था। यद्यपि हाल ही में दिवराला में रुपकुंवर के सती होने के साथ दफनाए जा चुके इस शव को पुनःजीवित करने का प्रयास किया गया, परन्तु उनके प्रयास से जाग्रत भारतीय मानसिकता ने पुनः इस प्रथा को किसी गहरी घाटी में फेंक दिया। उन्होंने बालविवाह को सामाजिक अभिशाप बतलाते हुए उसका डटकर विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। मनु स्मृति का संदर्भ पेश करते हुए आपने भारतीय विधवाओं को दहकती चिता से उठाकर सादगी का जीवन व्यतीत करने को प्रेरित किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता व अखंडता पर तीखा प्रहार करने वाली जाति प्रथा के उन्मूलनार्थ वे एक समर्पित कर्मवीर थे। ऊँच–नीच व अस्पृ–श्यता की भावना को भी उन्होंने मानवता का महान शत्रु बताया। इससे मुक्ति हेतु वे अंतर्जातीय विवाह के पूर्ण हिमायती थे। स्वयं उनके ही शब्दों में–जाति भेद, जिससे हिन्दू समाज अनेक जाति – उपजाति में बँट गया है, हमारी गुलामी का प्रमुख कारण रहा है। एकता के अभाव में ही हम दासता की जंजीर में जकड़े रहें।'

jktuhfrd fopkjd % राजनीतिक चिन्तन से ओत–प्रोत राजा साहब भारत की स्वतंत्रता के प्रबल हिमायती थे और उनके राजनीतिक विचार बेंथम के विचारों के विचारों से अधिक मेल खाते थे। उनका प्रतिपादन था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान है, जिससे भारतीय अधिक सभ्य और सुसंस्कृत हों तथा बाद में आजादी हासिल कर लेंगे। ब्रिटिश शासन का भय होने के बावजूद भी वे उसकी विसंगतियों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करते रहे और विधि सर्वोपरिता, विचारा–अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक व धार्मिक स्वतंत्रता के लिए तथा नागरिकों के जीवन, सम्पति सह–अधिकार रक्षार्थ सदैव प्रयत्नशील रहे। उचित न्याय व्यवस्था हेतु वे स्वतंत्र न्यायपालिका पर बल देते थे तथा इसके लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धान्त को अत्यावश्यक समझते थे। भारतीय परम्पराओं के प्रतिकूल तथा भ्रष्ट ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से क्षुब्ध राजा साहब ने उसमें पर्याप्त सुधार हेतु निम्नलिखित शर्तों को रखा– (i) जूरा प्रथा प्रारम्भ की जाए, (ii) न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट के पद पृथक किए जाएं, (iii) न्यायालय की कार्यवाही लोगों के लिए खुली हो, (iv) उच्च पदों पर अधिकाधिक भारतीयों की नियुक्ति हो, (v) पंचायतों को पुनर्जीवित किया जाए तथा (vi) भारतीय परम्पराओं की अनुकूलता हेतु भारतीय जनमत पर आधारित विधि निर्माण हो, 1833 ई. में होने वाले कम्पनी के चार्टर के नवीनीकरण का समाचार सुनकर भारतीयों की दुर्दशा से अवगत कराने, कम्पनी के दोष को उजागर करने तथा ब्रिटिश जन–मानस को भारतीय जनता की माँगो के पक्ष में करने के लिए प्रथम भारतीय प्रतिनिधि के रुप में उन्होंने 1830 में इंगलैण्ड की यात्रा की जहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ पेशानभोक्ता मुगल सम्राट के आवेदन–पत्र के साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण सुधारों से युक्त स्मरण पत्र भी पेश किया आप ही प्रथम भारतीय थे, जिनसे ब्रिटिश संसद शासन के मामले मे सलाह लिया करती थी।

Ekgku n'kHkDr % राजा राममोहन राय एक महान देश भक्त थे जिनकी रगों में देश भक्ति की पवित्र भावना प्रवाहित हो रही थी अशिक्षितों व निर्धनों की जर्जर दशा देखकर वह दयार्द्र हो उठते थे और हृदय सागर में उनके कल्याणार्थ संकल्प की लहरे हिलोरें मारने लगती थीं। इसी भावना से प्रेरित होकर 1830 में उन्होंने माफी की भूमि अथवा दान स्वरुप दी गई भूमि को पुनः हड़प लेने के विरोध में आंदोलन चलाया वे पवित्र हृदय से भारतवासियों को सर्वतोन्मुखी स्वंतत्रता और भलाई के हिमायती थे उनमें राजनीतिक जागरण लाने के लिए ही उन्होने संवाद कौमुदी और मिशन उल अखबार' का संपादन किया तथा प्रशासन में सुधार लाने के लिए आदोलन चलाया ।

fgUn&eqfLye ,drk d i.krk %

राजा साहब भारत की आजादी हेतु हिन्दू –मुस्लिम एकता को अत्यावश्यक समझते थे और ब्रिटिश सरकार के ऐसे किसी भी कार्य का विरोध करने को तत्पर रहते थे, जो इन दोनो धर्मों के बीच विष घोलकर वैमनस्यता की खाई को पैदा करने वाला होता था। उदाहरणार्थ 1827 ई में उन्होंने हिन्दू–मुसलमान में विश्रृंखलता पैदा करने वाला जूरी एक्ट का विरोध किया और इसके विरुद्ध ब्रिटिश संसद में आवदेन भी किया उनकी जन्म शताब्दी के शुभावसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए रबीन्द्र नाथ टैगोंर ने सही ही कहा था–उनके हृदय में हिन्दू मुस्लिम, ईसाई आदि सबके लिए जगह थी वस्तुतः उनकी आत्मा भारत की आत्मा थी।

i l Lor=rk d leFkd %

राजा राममोहर राय प्रेस की स्वतंत्रता को किसी भी तरह के सुधार के लिए अत्यावश्यक समझते थे समाचार–पत्रों पर वे किसी भी तरह का प्रतिबंध स्वीकारने को कतई तैयार नहीं थे। यही कारण है कि प्रेस की आजादी छिनने वाला 1823ई. के एडास के प्रेस अध्यादेश के विरोध में उन्होंने संवैधनिक आंदोलन चलाया सर्व–प्रथम इसके विरुद्ध उन्होने कलकता के सुप्रीम कोर्ट में स्मरण पत्र पेश किया वहाँ से अस्वीकृत होने पर

उन्होंने प्रिवी कौंसिल में भी स्मरण पत्र दिया। यद्यपि वहाँ भी उसे अस्वीकृत कर दिया गया, फिर भी उनका आदोलन जारी रहा। अंततः उनका प्रयास सार्थक सिद्ध हुआ और इसके दो वर्ष बाद गवर्नर चार्ल्स मेटफॉक को 1835 में प्रेस की स्वतंत्रता को मान्यता देनी पड़ी है।

vrjk"Vh;rkoknh vkj ekuorkoknh %

राजा साहब अंतर्राष्ट्रीयता के अन्यतत्र पुजारी और महान मानवतावादी थे भारतीय संस्कृति के मूलमंत्र– वसुधैव कुटुम्बकम् में उनकी पूर्ण आस्था थी यही कारण है कि आस्ट्रिया द्वरा नेपुल्स के विद्रोह दमन की खबर से उन्हें निराशा और स्पेन मे संवैधानिक सरकार की स्थापना की खबर से प्रसन्नता हुई साथ ही 1830में फ्राँस की जुलाई क्रान्ति तथा 1832 के इंगलैण्ड के सुधार विधेयक का उन्होंने स्वागत किया महान मानवतावादी होने का परिचय उनके इसी कथन से मिल जाता है–सम्पूर्ण मानव जाति एक बड़ा परिवार है जिसके अनेक राष्ट्र और प्रजातियों इसकी शाखा मात्र है।' उनकी इसी भावना से मुग्ध होकर बी. एन. सील ने कहा है –वे सच्चे और विशुद्ध मानवतावादी थे और उनकी नजर के सामने विश्व मानवता का चित्र नाचता रहता था। इसके साथ ही वे अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए युद्ध को नहीं, शान्तिपूर्ण समझौते को आवश्यक समझते थे और इसकी सफलता हेतु वे प्रत्येक देश की संसदों से एक–एक सदस्य लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पक्षधर थे। सभवतः आज संयुक्त राष्ट्र संघ गुट निरपेक्ष आंदोलन आदि अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके ही स्वप्न की पवित्र परिणति है।

lQy f'k{kk'kkL=h %

राजा राममोहन राय एक महान शिक्षा–शास्त्री भी थे। वे भारत के विकास के लिए पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजी को आवश्यक मानते थे। इतना होते हुए भी उन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य व भाषा से पूर्ण लगाव रहा,जिसका परिचायक 'सवाद कौमुदी' का सम्पादन है। इसके साथ ही 1825ई. में उन्होंने कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज की स्थापना की।

ऐसे सर्वतोन्मुखी प्रतिभाशाली महापुरुष का निधन 27 दिसम्बर, 1883 को ब्रिस्टल में तब हुआ था, जब वे इंगलैण्ड में भारतवासियों के कल्याण कार्य में संलग्न थे यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनका स्मृति–दीपक आज भी हमारे हृदय में जल रहा है और आने वाली पीढ़ियों के हृदय में भी जलता रहेगा, क्योंकि उनके द्वारा प्रज्वलित कई ज्योतियाँ आज भी प्रदीप्त होकर सम्पूर्ण भारत को प्रकाशित कर रही है। जैसा कि मैकनिकोल ने भी लिखा है–'राजा राममोहन राय एक नए युग के प्रवर्तक थे और उन्होंने जो ज्योति जलाई, वह आज भी अनवरत जल रही है,वास्तव में उनके कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर यह कहना पड़ता है कि उनके योगदान रुपी जल से सिंचित भारत आज गर्व से प्रगति के शिखर पर विहँस रहा है निष्कर्ष के तौर पर यह कहना कोई अनुपयुक्त नहीं है कि भारतीय समाज रुपी रथ को अन्यान्य विसंगतियों और कु– प्रथाओं, पिछड़ापन, अशिक्षा आदि के धुंध से निकालकर प्रकाश सह प्रगति के पथ पर अग्रसरित करने वाले राजा साहब सफल सारथी थे।

lUnHkZ %

1. भगवानदास,दी डेवलपमेंट आफ माडर्न इंडियन एजूकेशन, पृ. 333
2. जे.वी. विलानिलम; स्वतन्त्र भारत में उच्च शिक्षा, योजना भवन,योजना, फरवरी 1997,नई दिल्ली, पृ. 27
3. बरनवाल, विनय कुमार; बहुआयामी व्यक्तित्व के धनीः राजा राममोहन राय प्रतियोगिता दर्पण,अगस्त 1990, पृ0 45
4. डॉ. पूरण मल, 2002; दलित संघर्ष और सामाजिक न्याय, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर, राजस्थान

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 49-52

ijEijkvk e ifjorlu dh ifd;k % jktLFkku d chdkuj d ijdkVk ;Dr 'kgj dh ijEijkvk d lekt'kkL=h; v/;;u d lnHk e

MkO jktUn tk'kh*

परम्पराएँ समाज का इतिहास, वर्तमान का आधार और भविष्य का दर्पण मानी जाती है। आस्था और विश्वास, लक्ष्य और मुल्य, साधन और क्रिया मे अतित से वर्तमान तक चली आ रही निरंतरता की धाराओं को हम परम्परा कहते है। ये धाराएं समय द्वारा परिक्षित होती है उपयोगी और उपादेय भी। इसमें समय के साथ एक रहस्यमयता भी आ जाती है जो उनकी सर्वस्वीकृती को सशक्त करती है। परम्पराओं से समाज की पहचान बनती है लेकिन परम्पराएँ समय के साथ अप्रासंगीकता और विसंगतीयो को भी जन्म देती है। तब परम्पराओं का मुल्यांकन भी किया जाता है। आधुनिकता, व्यक्तिवादिता, धर्मनिरपेक्षीकरण आदि प्रक्रियाओं का जन्म होता है। लेकिन परम्पराएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती हैं। ये समूह की आदतें हैं। व्यक्ति–विशेष की कोई परम्परा नहीं होती। उसके संसार से विदा लेने के बाद उसकी आदतें भी संसार से विदा ले लेती हैं। लेकिन समूह या समाज बराबर चलते रहते हैं और इसलिए परम्पराएँ भी चलती रहती हैं। पुरानी परम्पराएँ नई परम्पराओं को स्थान देती हैं।

डॉ0 डी.एन.मजूमदार ने परम्पराओं के सन्दर्भ में लिखा है : ''हमें अतीत (परम्पराओं) को वर्तमान के सन्दर्भ में समझना चाहिये और वर्तमान को अतीत के सन्दर्भ में। कभी स्वर्ण युग नहीं था और न भविष्य में यह कभी होगा। जीवन तो समंजन की एक प्रक्रिया है और यह बराबर प्रकट या उघड़ती रहती है। वे लोग, जो इस समंजन को नहीं पाते, समाज उन्हें फेंक देता है और जो नई व्यवस्था के साथ अपना जोड़ बैठा लेते हैं, वे आगे निकल जाते हैं।''

मजूमदार ने परम्पराओं की जो व्याख्या की है उसमें निम्नलिखित तत्त्व समाहित हैं :

1. परम्पराएँ अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं। वर्तमान की कोई भी व्याख्या अधूरी है। जब–तब वह परम्पराओं को अपना केन्द्र नहीं मानता।
2. परम्परा को वर्तमान के साथ समायोजन करना पड़ता है। परम्परा में परिवर्तन निहित है।
3. परम्परा यदि जड़ हो जाती है तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
4. परम्परा वस्तुतः नृजातीयता यानी एथनिसिटी है।
5. परम्पराएँ हमारे सांस्कृतिक इतिहास की कड़ियाँ है, अव्यव हैं।

इस तरह मजूमदार का मानना है कि परम्पराएँ हमेशा आधुनिकता के साथ अनुकूलन करती हैं। वहीं दूसरी तरफ श्री एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारतीय परम्पराओं में होने वाले परिवर्तन को समझाने का प्रचार किया तो डॉ. धुरिये ने परम्परा की व्याख्या आधुनिकता के सन्दर्भ में नहीं की है। हिन्दू सभ्यता की निर्माणक इकाई के रूप में की है। इसके लिए उन्होंने प्राच्य विद्याशास्त्र के स्रोतों का प्रयोग किया है। जैसे 1965 में धार्मिक चेतना तथा 1972 में दो ब्राह्मणवादी संस्थाओं के रूप में गोत्र एवं चरण नामक अध्ययनों में उन्होंने भारतीय परम्पराओं के स्रोत की खोज की। डॉ. धुरिये ने परम्परा को हिन्दू धर्म एवं पवित्रता का इतिहास माना।

भारतीय मार्क्सवादी विचारक डी.पी. मुकर्जी ने परम्पराओं में परिवर्तन की प्रक्रिया को मार्क्स की ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद विधि के माध्यम से वाद–प्रतिवाद व संवाद की प्रक्रिया द्वारा समझाने का प्रयास

*व्याख्याता, समाजशास्त्र, श्री जैन कन्या पी जी महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान

किया, मैकिम मेरियट ने लघु परम्परा एवं वृहत् परम्परा में अन्तःक्रिया के रूप में सार्वभौमिकता एवं स्थानीयकरण की प्रक्रिया के रूप में परम्पराओं में परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया।

उपर्युक्त विद्वानों के विचारों एवं परम्पराओं में परिवर्तन की प्रक्रियाओं को आधार मानकर सबसे पहले परकोटायुक्त शहर की परम्पराओं में परिवर्तन को निम्नलिखित प्रचलित प्रक्रिया के आधार पर स्पष्ट करेंगे।

ijdkVk;Dr 'kgj dh ijEijkvk e ifjoru dh ifØ;k %

राजस्थान के मरूक्षेत्र में स्थित बीकानेर का रियासतकालीन शहर जिसे परकोटायुक्त शहर कहा जाता है। यह एक लघु शहरी समाज है जो अनेक सामाजिक इकाईयो व समूहों के प्रकार्यात्मक संबधों से निर्मित है। जिसके अपने मौलिक सामाजिक प्रतिमान और मूल्य है। इस शहर की परम्पराओं के निर्माण, निरंतरता का केन्द्र पाटा संस्कृति है। पाटा सामान्य तौर पर लकड़ी या लोहे से निर्मित बैठक या चौपाल है। जिस पर मोहल्ले के निवासी बैठकर सामाजिक अन्तक्रियाएँ यानी सुख–दुख बाँटते है। लेकिन पाटा संस्कृति का एक भाग है। यह एक जटिल सामाजिक सांस्कृतिक संकुल है जिस पर अनेक परम्पराएँ रिती–रिवाज सम्पन्न होते है। मानवशास्त्र दृष्टि से पाटा एक टोटम है और सामाजशास्त्र दृष्टि से सामाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण की संस्था के साथ साथ लघु संस्कृति का केन्द्र है। इन्ही पाटों के आस–पास के क्षेत्रों में विकसित परम्पराओं एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों का प्रचलित समाजशास्त्रीय अवधारणा के आधार समाजशास्त्रीय अध्ययन किया गया है। यहाँ की परम्पराओं का संगठन द्वि–ध्रुवीय (लघु–दीर्घ या सार्वभौमिक–स्थानीय) नहीं है बल्कि बहु–ध्रुवीय है, विशेषकर परकोटायुक्त शहर के अन्दर की परम्पराओं को 5 भागों में बाँटा जा सकता है।

ijEijkvk d idkj %

1. शास्त्रीय परम्पराएँ : दीपावली, दशहरा, होली, उपनयन संस्कार,
2. क्षेत्रीय परम्पराएँ : गणगौर, तीज–त्यौहार, अक्षय तृतीया, बाजरी की रोटी, खेजड़ी–पूजा आदि,
3. स्थानीय परम्परा : पाटों की परम्परा, रम्मत लोकनाट्य, गेवर परम्परा, धींगा गवर पूजा,
4. सामाजिक समूहों की उपसांस्कृतिक परम्पराएँ : पुष्करणा समाज में सामूहिक विवाह ''सावा',माहेश्वरी समाज में बागबाड़ी लूटने की प्रथा,राजपूतों में तोरण मारने की प्रथा,हर्ष एवं व्यास जाति में पानी मारने की परम्परा,जोवटिया जोशी जाति में होलका के आठ दिन तक घर के अन्दर रसोई में छोंक र्नाना।
5. आधुनिक परम्परा : नववर्ष मनाना,जन्म दिवस पर केक काटना, विवाह में खड़ा भोजन (बफे), आधुनिक वेश–भूषा, शादी एवं जन्मोत्सव पर कार्ड बाँटना, खड़ी रसोई।

इस तरह सम्पूर्ण शहर की परम्पराओं को पाँच भागों में बाँटने के बाद उनको किसी एक कारक द्वारा स्पष्ट न करके उनमें होने वाले परिवर्तनों को सामाजिक परिस्थितीकरण की अवधारणा के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है।

lkekftd ifjfLFkrhdj.k dh ifØ;k %

सामाजिक परिस्थितिकरण का अर्थ है परिस्थितियो के साथ अनुकुलन की प्रक्रिया अर्थात समय, आवश्यकता, चुनौतियों के अनुसार परम्पराएँ स्वतः अपने आप को बदल लेती है। ये बदलाव व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है जब परिस्थिति व्यक्तिगत चेतना को प्रभावित करती है तो व्यक्तिगत चेतनाओं में परस्पर अन्तःक्रिया होती है जिससे सामूहिक चेतना का जन्म होता है और सामुहिक चेतना के आधार पर पंरम्पराओ मे परिवर्तन स्वीकार कर लिया जाता है और इस परम्पराएँ आधुनिकता के साथ समन्वय करती हुई पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। परकोटायुक्त शहर में पाटों पर केन्द्रित एवं पाटों द्वारा अभिव्यक्त स्थानीय परम्परा, क्षेत्रीय परम्परा, सामाजिक समूहों की उपसांस्कृतिक परम्पराएँ तथा पश्चिमीकरण के पीछे सामाजिक परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं। परम्पराओं में परिवर्तन के लिए परम्पराओं के निर्माणक तत्त्वों में परिवर्तन आवश्यक है। किसी परम्परा के चार आवश्यक तत्त्व होते हैं :

1.	भूमिका	2.	सम्बन्ध
3.	अन्तःक्रियाएँ	4.	अनुभव

इन चार नियामक तत्वों मे परिवर्तन से परम्पराओं मे परिवर्तन होता है और इन्ही तत्वों के आधार पर परम्पराएँ निरन्तरता को प्राप्त करती है। अध्ययन क्षेत्र की परम्पराओं में परिवर्तन का इन्ही तत्वों के आधार पर अध्ययन किया तो निम्न प्रमाण सामने आए।

1- Hkfedk %

भूमिका का अर्थ है पंरम्पराओ के द्वारा किये जाने वाले कार्य यानि पंरम्परा के द्वारा क्या कार्य किया जा रहे है? हमारे समाज में पाई जाने वाली परम्परा सुरक्षा, मनोरंजन, भौतिक आवश्यकता, मानसिक आवश्यकता, सामूहिक कल्पना आदि प्रकार्यों से अन्तःसम्बन्धित होती है। यदि वह परम्परा अपनी भूमिका निरन्तर निभा रही है तो उसमें परिवर्तन बहुत कम होगा। यदि उसे अपनी भूमिका निभाने में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो वह स्वतः परिवर्तन की ओर अग्रसर हो जाती है। जैसे परिवार में स्त्रियों पर नियन्त्रण की परम्पराएं, जैसे अशिक्षा, घूँघट तथा घर के बाहर अकेले न जाना आदि परम्पराएँ अपनी वर्तमान भूमिका निभाने में असफल रही, क्योंकि पुरुष सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। इस बीच घर की सामग्री, सब्जी, बच्चों को स्कूल भेजना व लाना आदि कार्य कौन करेगा? ऐसी स्थिति में पुरुषों को न चाहते हुए भी अपने व्यवहारों एवं नियन्त्रण की परम्पराओं में बदलाव लाना पड़ा।

2- lEcU/k %

यहाँ सम्बन्ध का अर्थ है पंरम्पराओं का विस्तार या फैलाव से है। यानि परम्पराओं की लघुता एवं वृहद्ता का कारण सम्बन्ध अर्थात विस्तार है कि उस परम्परा का फैलाव समाज के कितने समूहों तक है। जिस परम्परा का सम्बन्ध समाज के अधिक से अधिक समूहों तक होगा, वह परम्परा ज्यादा सशक्त एवं कम परिवर्तनशील होगी। जो परम्परा एक छोटे समुदाय या क्षेत्र तक सीमित होगी, उसमें परिवर्तन सीधे हो जाता है। यहाँ तक्र दिया जा सकता है कि आदर्श समाज छोटे होते हैं, फिर भी परिवर्तन वहाँ कम होता है। वास्तव में इसका कारण बाहरी समाजों के सम्पक्र से उनका दूर रहना है। जो आदिम समाज सभ्य समाजों के सम्पक्र में हैं, उन्होंने कुछ ही वर्षों में धर्म–परिवर्तन कर लिया लेकिन मुस्लिम शासकों एवं अंग्रेजों की लाख कोशिशों के बावजूद हिन्दुओं ने अपना धर्म–परिवर्तन नहीं किया। उसी तरह परकोटायुक्त शहर में होली, दीपावली, दशहरा, अक्षयतृतीया, तीज, गणगौर के पर्व आज भी पूर्ण निष्ठा से मनाये जाते हैं। लेकिन कुछ स्थानीय परम्पराएँ, जैसे आढौ, ढोर पूजा, श्रवण पूजा, कुओं की पूजा आदि परम्पराएँ धीरे–धीरे कमजोर पड़ रही हैं। उनके प्रति निष्ठा भी समाप्त हो रही है। क्योंकि यह कुछ जातियों तक सीमित थी।

3- vUr%fØ;k,¡ %

अन्तःक्रियाएँ का अर्थ है कि लोग कितनी अधिक परम्पराओं में भागीदारिता निभाते हैं। जिस परम्परा में समाज के अधिक से अधिक लोग भाग लेंगे, उस परम्परा के प्रति सामूहिक चेतना उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और परम्परा के प्रति निष्ठा एवं समर्पण निरन्तर बढ़ता जाएगा। धर्म की परम्पराओं में सबसे ज्यादा जनभावना एवं निष्ठा लोगों में होती है। इतनी ज्यादा भक्ति सामाजिक परम्पराओं के प्रति नहीं होती है। इसलिए परकोटायुक्त शहर की परम्पराओं के पीछे धर्म को जोड़ दिया गया है। यही कारण है कि पिछले 500 वर्षों से यहाँ पाटा परम्परा, रम्मत परम्परा, होली पर गेवर परम्परा, व्रत, उत्सव, मेले जो किसी देवता से जुड़े हुए हैं। इनको मनाना प्रत्येक सदस्य अपना कर्तव्य मानता है क्योंकि इन परम्पराओं के पीछे धर्म टोटम की भावना छिपी है। धर्म के नाम पर साम्प्रदायिकता, दंगे, मोक्ष के नाम पर जीवित समाधि आदि का मूल कारण परम्परा के पीछे अधिक अन्तःक्रियाएं, जनभावना एवं जनमत हैं। राजस्थान में वीर पुत्र की माता को समाज में सबसे ज्यादा इज्जत दी जाती थी। इसलिए राजस्थान की माताएँ शूरवीर पुत्रों की कामना करती और उन्हें शूरवीर बनने की शिक्षा देती थी। भारत के परिवारों में प्रत्येक लड़की को शिक्षा दी जाती है कि उसे ससुराल जाना है और वह लड़की प्रत्येक स्त्री को अपने पिता घर छोड़ ससुराल मे जाते देखती है। इस तरह यह परम्परा प्रत्येक स्त्री द्वारा निभाई जा रही है। इसलिए भारत की कोई भी लड़की ससुराल जाने से मना नहीं करती बल्कि बचपन से अच्छा ससुराल मिलने की कामना करती है।

4- vuHko %

अनुभव शब्द का तात्पर्य है परम्परा के बारे में लोग क्या सोचते हैं। सामान्य तौर पर परम्परा को सामाजिक विरासत कहते है। क्या लोग परम्परा को विरासत मानते हैं ? यदि मानते हैं तब तो परम्परा चलेगी, चाहे पश्चिमीकरण जैसी सशक्त परिवर्तन की प्रक्रिया भी सामने क्यों न हो। जिस दिन लोगों में परम्परा के प्रति निष्ठा एवं लगाव कम होने लगेगा उसी दिन परम्परा में परिवर्तन प्रारम्भ हो जायेगा लेकिन परम्परा समाप्त नहीं होगी। बल्कि समाज अपने अनुभव एवं परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करेगा। जैसे परकोटायुक्त शहर में विवाह के दौरान तीन भोज होते थे जिन्हें ''जान'' कहा जाता था। लेकिन लोगों ने अनुभव किया कि वर्तमान परिस्थिति में वधू पक्ष से तीन भोज लेना उस पर आवश्यकता से अधिक व आर्थिक बोझ डालना है और समय की बरबादी है। ऐसे में

समाज में धीरे–धीरे केवल विवाह के दिन एक ही भोज (जान) की परम्परा प्रारम्भ कर दी और दो भोज समाप्त कर दिये। लेकिन संकल्प में तीनों भोज देने की बात की जाती है। उसी तरह पाटों के आगे से स्त्रियों का चप्पल हाथ में उठाकर चलना, पाटों पर बैठने वालों के सिर पर पाग या पगड़ी का होना आदि परम्पराओं का औचित्य समाप्त होने के साथ धीरे–धीरे यह परम्परा बाध्यकारी न होकर स्वैच्छिक हो गई अर्थात् पालन करो तो सही और न करो तो भी कोई विरोध करने वाला नहीं। केवल शादी के समय लोकगीतों में नंगे सिर व बिना मूँछों वाले पुरुष की स्त्रियाँ मजाक जरूर उड़ाती हैं।

इस तरह आवश्यकता पूर्ति, जनभावना, सामूहिक हित, भौगोलिक एवं जनसंख्यात्मक परिस्थितियाँ आदि कारकों के कारण परम्पराओं के प्रति लोगों के अनुभव एवं निष्ठा में कमी के कारण परम्पराओं में परिवर्तन होता है। कुछ परम्पराओं की भूमिका में कमी आ जाती है तो कुछ परम्पराओं से सम्बद्ध क्षेत्र छोटा हो जाता है या लोगों की भागीदारिता कम हो जाती है तो स्वतः परम्पराओं में परिवर्तन होने लगता है।

अतः निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि परम्पराओं में परिवर्तन का गुण पाया जाता है। साथ ही परिस्थितियाँ परम्परा को परिवर्तन के लिए बाध्य करती हैं। लेकिन कोई परम्परा तब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती जब तक उसके चारों तत्त्वों भूमिका, सम्बन्ध, अन्तःक्रिया और अनुभव में पूर्ण परिवर्तन न हो।

lUnHkZ %

1. Majumdar and Madan ,1956; Social anthropology
2. Marriot, Mackim,1956; Little Communities in an indigenous civilzation in village india
3. Mackim Marriot;Village india, p.196,205-206,212
4. Singh, Yogendra, 2000; Modertization of Indian tradition, p. 62,87
5. Singer ,Miltan; Tradition Indian structure and change, p.72
6. Dr. Rajendra Joshi, 2004 ;Tradition and change in desert city,Gajraj publication,Bikaner, Rajasthan

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 53-55

dk;jr efgykvk e Hkfedk }Un

MkO jtuh frokjh*

सम्पूर्ण दुनियाँ में नूतन वर्षों में महिलाओं के जीवन में परिवर्तनों की एक श्रृंखला को जन्म दिया है जिसने इनके दृष्टिकोणों मूल्यों,प्रेरणाओं करने के ढ़गों एवं जीवन के सम्पूर्ण क्षेत्र में तथा क्रियाओं में प्रभावशाली भागीदारी को प्रभावित किया है। भारतवर्ष में इन परिवर्तनों ने सामान्य रुप से शिक्षित जनसंख्या एवं विशेष तौर पर मध्यमवर्गीय महिलाओं को प्रभावित किया हैं। इसने महिलाओं को परम्परा से आबद्ध विचारों से बाहर लाकर खड़ा कर दिया है। आज महिलाएँ साधारण गृहपत्नी की भूमिका को बढ़ाकर एक प्रभावशाली एवं परिपक्व स्त्रियोंचित भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। मध्यम श्रेणी की विवाहित महिलाओं का लाभकारी नौकरी में जाना चाहे यह स्वयं को अभिव्यक्त करना हो या अपनी प्रतिभा का उपयोग करना हो अथवा आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होना अथवा पारिवारिक आय में पूरक बनना हो, आज विस्तृत रुप से स्वीकार करने योग्य है।

घर के बाहर काम करने की दोहरी माँग जो स्वभावतः एक दूसरे का विरोधी हैं,विवाहित कार्यरत महिलाओं का भूमिका द्वन्द अनुभव करने लायक है। लैंगिक विशेषता के कारण उन्हें जैविकीय कार्यो को पूरा करना पड़ता है। इनको सांस्कृतिक रुप से परिभाषित किया गया हैं कि महिलाओं की वह भूमिका जिसमें उसको कार्य करना हैं कभी–कभी वह अपने रोजगार के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्यों से कभी–कभी भटक जाती हैं।[1] इस मामले में कार्यरत महिलाओं का भाग्य अनके विकसित देशों के महिलाओं पतियों की अपेक्षा अधिक कठोर हैं। वह अपने काम से घर लौटते समय तैयार भोजन के पैकेट्स को घर नहीं ला सकती हैं और कुछ समय और श्रम नहीं बचा सकती। भारत में बच्चों के पालन–पोषण या उन्हें छोड़ने के लिए कोई अच्छा बाल घर नहीं है वह अपनें बच्चों को रख सकें और देखरेख की अपेक्षा कर सकें जब तक कि वह अपने काम पर से लौटें और देखरेख में न लगें। पूरे समय तक काम करनें वाले नौकर मध्यम श्रेणी के परिवारों की पहुँच से बाहर हैं। इस तरह विवाहित कार्यरत महिला अपने घर को रखने का बोझ एवं नौकरी के बोझ को ढ़ोती हैं। इससे प्रतीत होता है कि शिक्षा के विकास के कारण और विशेषतौर पर महिला शिक्षा के विकास एवं घर के बाहर नौकरी करने से स्त्री के गृहस्थ की परम्परागत भूमिकाएँ बदली हैं।महिलाएँ आय सहप्रदाता की भूमिकाओं को स्वीकार कर रही है। किन्तु पति एवं पिता की भूमिका अपरिवर्तित है। परम्पराओं के कारण गृहस्थी के कार्य को काम करने वाली महिला की अपेक्षा पुरुष के काम कम हैं। इस प्रकार पारिश्रमिक कमाने वाली महिला की दोहरी भूमिकाएँ हैं जिससे वे न केवल बोझिल हैं बल्कि उनका विवाह भी उचित तरीके से करने में अक्षम हैं। सीमित समय एवं दोहरी भूमिकाओं की अधिक माँग के कारण कार्यरत महिलाएँ अधिक से अधिक भूमिका द्वन्द का अनुभव कर रहीं हैं।

भूमिका द्वन्द परिस्थितियों में घटित होता है जो इतनी संरचनात्मक होती हैं कि एक कर्ता को दो या दो से अधिक भूमिकाओं को क्रमशः पूरा करना पड़ता है। ये भूमिकाएँ परस्पर विरोध पैदा करती हैं एवं यहाँ तक कि अलगाव भी पैदा करती हैं। जब कोई कर्ता असफल होता है तो वह भूमिका द्वन्द में फँस जाता हैं। भूमिका द्वन्द के अवसर तब बहुत होते है जब एक कर्ता से परम्परागत विचारों एवं नये पेशों अथवा व्यवसायों दोनों के अनुसार उन्हें कार्य करना पड़ता है जो परस्पर विरोधी हैं। ऐसा प्रायः तब होता है जब काम करने वाली महिलाओं को गृहपत्नी, माँ एवं एक कार्यरत महिला की भूमिकाओं को क्रमशः निभाना पड़ता हैं।घर के बाहर नौकरी में लगना पति के साथ संबंध को प्रभावित करता है। उन दशाओं में जबकि कार्यरत महिलाओं की कठिनाइयों का कोई अनुभव नहीं करता और उससे सब कार्य करने की अपेक्षा रखता है। व्यक्तित्व में विभिन्नता एवं वैयक्तिक विशेषताओं के कारण भूमिका द्वन्द उत्पन्न हो सकता हैं। दूसरे शब्दों में, एक कर्ता के गुण एवं सामाजिक विशेषताएँ भूमिका द्वन्द की मात्रा को निर्धारित करते है जिन्हें एक कर्ता को सामना करना पड़ता है। आयु सेवा की अवधि परिवार की आर्थिक

*प्रवक्ता, समाजशास्त्र, जे.बी. महाजन महिला पी.जी. कालेज, चौरी चौरा, गोरखपुर, उ0प्र0

परिस्थिति, कार्य परिवेश, कार्य सन्तुष्टि आदि कारक ऐसे है जो कार्यरत महिलाओं में भूमिका द्वन्द की प्रकृति एवं सीमा को निर्धारित कर सकते हैं।

le; dkjd ,o HkfEkdk }Un %

एक विवाहित कार्यरत महिला को एक ही समय में घर नौकरी दोनों उत्तरदायित्तवों का निर्वहन करना पड़ता है जिसमें एक पूर्ण गृहिणी महिला को अपने घर के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है। विभिन्न भूमिकाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य एक दिन में निश्चित समयाअवधि की आवश्यकता होती हैं। कार्यरत महिलाओं में समय की सीमा सदा भूमिका द्वन्द को पैदा करती हैं।[2] कपूर[3] के द्वारा किया गया अध्ययन यह संकेत करता हैं कि वह महिला जो अपने विवाह को अपने कैरियर के साथ जोड़ने को चुनती है वह लगभग असामान परिस्थितियों का समान करती हैं और वह दो मुख्य उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए कठिनाई से समय और स्त्रोत ढूँढ पाती हैं। इससे वे संघर्ष,तनाव एवं मानसिक दबाव अनुभव करतीं हैं तथा उसका सामना करती हैं। गुडे[4] ने भी उल्लेख किया हैं कि विभिन्न भूमिकाओं से संबंधित विभिन्न प्रकार की अपेक्षाओं एवं कार्यों का अनुभव करते समय कार्य स्थान एवं स्त्रोतों के कारण द्वन्द का अनुभव करती है। उनके अनुसार इस प्रकार का द्वन्द भूमिकाओं के बँटवारे का द्वन्द है।

cPpk dh n[k Hkky ,o Hkfedkvk }Un %

माताओं का निरन्तर ध्यान एवं उनकी शारीरिक उपस्थिति एक बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वस्थ मनोवैज्ञानिक परिवेश देने में महत्वपूर्ण समझा जाता है। जब विधालय में जाने वाले बच्चे की माँ काम करने के लिए बाहर जाती हैं वे तब स्वभावतः वह अपने बच्चों को किसी के देख–रेख में छोड़ जाती हैं जिसका मतलब कोई अतिरिक्त व्यय नहीं है किन्तु यह माताओं के लिए इस भावना को पैदा कर सकता है कि वे बच्चों की उपेक्षा कर रहीं है।

efgykvk dh ukdjh vkj mud ookfgd thou e lkEktL; %

वैवाहिक सामंजस्य किसी विशेष समाज में किसी समय प्रचलित विवाह की अवधारणा एवं सामंजस्य के स्तर पर निर्भर करता है। रेड्डी[5] वैवाहिक संबंध को परिभाषित किया है।'' विवाह में इस प्रकार की विशेषताओं की उपस्थिति द्वन्द को समाप्त करने एवं इस प्रवृत्ति से बचने के लिए विवाह की संतुष्टि की भावना ,समाप्त रुचि एवं कार्यों में हिस्सेदारी और पति–पत्नी की वैवाहिक अपेक्षाओं की पूर्ति आवश्यक है।'' कपूर ने कहा है, वैवाहिक सामांजस्य को वैवाहिक संबंधों में अभियोजन की स्थिति एवं परिवेश के रुप में समझा जा सकता है। जो पति–पत्नी के मध्य उत्पन्न प्रवृति के द्वारा जाना जाता है जिससे द्वन्द उत्पन्न होना और समस्या का समाधान होना और विवाह में एक दूसरे के साथ संतुष्टि एवं प्रसन्नता की अनुभूति के द्वारा इनका समाधान किया जाता है। वैवाहिक सामंजस्य के विचार का मूल्यांकन करते समय सांस्कृतिक संदर्भों को अपने मस्तिष्क में सदा रखना चाहिए।

dk;l djus dk ifjo'k %

कपूर (1974)ने अनुभव किया है कि महिलाएँ क्लर्क हो, अपना बड़ी प्रशासनिक सेवा में हो, अपने कार्यालय में एक बड़े अधिकारी के रुप में हों, उनकों केवल एक महिला ही समझा जाता है। इससे यह केवल उनकों कुंठित ही नहीं करता है बल्कि कभी–कभी उनमें घृणा एवं ईर्ष्या पैदा करता है और इस प्रकार वे यह चाहती है कि उनको अपने व्यक्तित्व, प्रतिभा,क्षमता एवं कार्यालयी पद के साथ उन्हें एक व्यक्ति के रुप में समझा जाए न कि केवल एक महिला। कार्यरत महिलाओं को इससे कुछ कठिन दशाओं एवं श्रम का सामना करना पड़ता है जब वे पुरुष के साथ काम करती है। यदि महिला एक पुरुष अधिकारी के अधीन रहकर कार्य कर रही है तो उसकी प्रवृति से मनोवैज्ञानिक समस्या उत्पन्न होती है कि यह एक सक्षम कर्मचारी नहीं हो सकती बल्कि उसको मुख्य रुप से एक महिला ही समझा जाता है। संक्षेप में, एक कार्यरत महिला अपने को पुरुष के समान ही समान योग्य एवं सम्मानित समझे जाने की इच्छा करती है केवल उसे एक महिला के रुप में समझा जाए उसे स्वीकार्य नहीं है।

dk;jr efgyk&ifjokj cuke jktxkj %

विवाहित कार्यरत महिला को पत्नी, माता एवं कर्मचारी दोनों प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता हैं।उन्हें घर एवं बाहर दोनों जगह से संबंधित कार्य करने पड़ते है। ऐसा हमेशा नहीं है कि उनकों सभी घरेलू कार्यो को अकेले करना पड़े अपितु उनका वैयक्तिक ध्यान सावधानीपूर्वक प्रत्येक मामले को देखना घर को आबाध गति से चलाने के लिए जरुरी होता है। दूसरी तरफ अपने बाहर के कार्यस्थल पर वे कर्तव्यों से बँधी होती है और वहाँ का कार्य व्यापारिक दृष्टिकोण से करती है। उनको कर्तव्यपरायण नियमित होना पड़ता है और अपने कार्या को कुशलता से निभाना पड़ता है। इस प्रकार की दशाओं में कार्यरत महिला शारीरिक दृष्टि

से अधिक कार्य करती है और सामान दशाओं में बहुत थक जाती हैं। दो विभिन्नताओं के बीच उसे आगे आना पड़ता है और जान बूझ कर दोहरी भूमिका को स्वीकार करना पड़ना है एवं एक रुपात्मक विचारों का अपने अन्दर निर्माण करना पड़ता है।

dk;Zjr efgykvk e Hkfedk }U n %

पुष्पा सिन्हा[6] ने कहा है'' भूमिका द्वन्द वह अवधारणा है जिसका सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं समाजशास्त्रियों के द्वारा समस्याग्रस्त प्रस्थिति को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा जो कर्ता के द्वारा वे प्रस्थातियों को धारण करने के कारण उत्पन्न होता है। ये दशायें विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। जिसमें भूमिकाओं का निर्वाह किया जाना है। जिसमें परिस्थितियाँ एवं सन्दर्भ महत्वपूर्ण निर्धारक होते है। प्रायःक्या होता है जब एक कार्यरत महिला को गृहिणी एवं नौकरी की भूमिकाओं को क्रमशः निर्वाह करना होता है विभिन्न प्रकार की प्रस्थितियों को धारण करने वालों में परिवर्तनीय अपेक्षाओं में बहुलता एवं भ्रम होने से परिणामतः भूमिका द्वन्द पैदा होता है।

टालकाट पार्सन्स[7] के अनुसार, भूमिका द्वन्द जो भूमिका प्राप्त किये है एवं जो इस किसी संगठन के सदस्य है दोनों पर बुरा प्रभाव डालता है एवं विघटनात्मक एवं तनावयुक्त बुरा प्रभाव डालता है। एक व्यक्ति के द्वारा भूमिका द्वन्द कुछ उद्दश्यों को त्यागने एवं समर्पण को कम करने का परिणाम होता है जो विशेष दशा में भूमिका के साथ संतुष्टि को घटाता है तथा वैयक्तिक चिन्ता एवं दबाव को बढ़ाता है।

LkUnHk %

1. कपूर, प्रोमिला, 1970; मैरिज एण्ड वर्किंग वोमेन इन इण्डिया,विकास पब्लिकेशन्स, न्यू दिल्ली
2. भट्टी, आई.एण्ड भट्टी,1971; डेमोग्रेफिक पोट्रेट ऑफ प्रोफेशनल वोमेन इम्प्लाइड इन इंडिया, इन एजुकेटेड वोमेन इंडियन सोसाइटी टुडे,टाटा मैक्ग्राहिल , बाम्बे
3. कपूर,प्रोमिला, 1986; द चेन्जिंग स्टेटस ऑफ द वर्किंग वोमेन इन इंडिया, विकास पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देलही, पेज 98–99
4. गुडे, विलियम जे0 1965; द फेमिली, प्रेन्टिस–हाल इंडिया, न्यू दलही
5. रेड्डी, सी0 रघुनाथ, 1986; चेन्जिंग स्टेटस ऑफ द एजुकेटेड वर्किंग वोमने, वी0 आर0 पब्लिशिंग कार्पोरेशन, न्यू देहली
6. सिन्हा, पुष्पा, 1987; रोल कनफिलक्ट एमंग द वर्किंग वोमन, जानकी प्रकाशन, पटना
7. पार्सन्स, टॉलकाट, 1957; द सोशल सिस्टम, द फ्री प्रेस ग्लेनको, पेज.111

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 56-58

mÙkj&vk/kqfudrkoknh fpUru esa Hkwxksy dh Hkwfedk

Mkå jkekJ; flag*

प्रस्तुत शोध पत्र उत्तर–आधुनिकतावादी चिन्तन में भूगोल की भूमिका अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोंतों का प्रयोग किया गया है। इस शोध पत्र में उत्तर–आधुनिकतावादी चिन्तन में भूगोल की भूमिका की सोच और उनके विविध पक्षों को स्पर्श किया गया है।

उत्तर–आधुनिकतावादी चिन्तन में भूगोल की भूमिका वस्तुतः प्रायः तीन प्रकार का हुआ करता है–

(i) {ks=h;&fo'ys"k.k xfHkZr Hkwxksy] जो प्रत्यक्षवादियों के नियमों को आत्मार्पित करता है और अवस्थिति निर्धारण का माध्यम भी बनता है। अन्ततः सामान्य सूचना तंत्रों को व्यवहारिक स्वरूप देने में समस्याओं का तकनीकी हल भी ढूंढ़ता हैं।

(ii) ekuookn Hkwxksy– जो मानव एजेन्सी को केन्द्रीय भूमिका प्रदत्त करता है।

(iii) vfrokn **(Radical)** vFkok ØkfUrdkjh Hkwxksy– जिसका उद्देश्य, उस सम्बन्धित समाज तथा उसकी पुनर्संरचना करने में निहित होता है।

स्टोडार्ट (Stoddart) ने व्यवहारवादी भूगोलवेत्ताओं के कार्यों की आलोचना करते हुए कहा था–'ये कुछ विचार वस्तुओं पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। वस्तुतः भूगोलवेत्ताओं को इसके बजाय कतिपय अर्थों में वास्तविक भूगोल का निर्माण करना चाहिये और पर्यावरणीय सम्बन्धों के महत्वपूर्ण विचारवस्तु पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।'

mÙkj&vk/kqfudrkokn (Post modernism)

उत्तर–आधुनिकतावाद, मानविकी दर्शन, कला और सामाजिक विज्ञानों में एक साथ, एक आधुनिक आन्दोलन की भाँति अपना स्वरूप धारण करके उपस्थित हुआ है।

असल; में आधुनिक भौगोलिक विचारधारा की ऐतिहासिकतावाद (Historical) की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्तर–आधुनिकतावाद उपस्थित एवं अवतरित हुआ। ऐतिहासिक जीवन चरित्र (Biography) अर्थात् व्यक्ति और सामूहिक घटनाओं का काल–क्रमिक वर्णन, जिसके परिणामस्वरूप यह स्थानिकता की उपेक्षा करता है।

सोजा (Soja, 1989) के विचार से ऐतिहासिकतावाद, सामाजिक जीवन और सामाजिक सिद्धान्त, जो वस्तुतः भौगोलिक अथवा क्षेत्रीय कल्पना को उपान्तीय (Marginalized) कर देते हैं, ऐतिहासिक प्रासंगिकता पर आधारित है, जिसके परिणामस्वरूप स्थान को समय के अधीनस्थ कर दिया जाता है; फलतः जो सामाजिक विश्व की परिवर्तनीयता की भौगोलिकतावाद को छाया मार देने की अभिक्रिया में संलग्न हो जाता है।

उत्तर–आधुनिकतावाद का उपयोग भिन्न–भिन्न विद्वानों ने भिन्न–भिन्न विषयों में भिन्न–भिन्न प्रकार से किया है। भूगोल में उत्तर–आधुनिकतावाद सामाजिक तथा भौगोलिक जाँच में खुलेपन में कलात्मक प्रयोग के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्रदान करने का माध्यम है। कभी– कभी आधुनिकतावाद और उत्तर–आधुनिकतावाद में उत्पत्ति की दृष्टि से स्पष्ट विभेद नजर नहीं आता। असल में उपयोग में आते समय उत्तर–आधुनिकतावाद एक विषमांग (Heterogeneous) आन्दोलन हेतु एक आशुलिपि (Shorthand) की तरह होता है जिसका उद्‌गम वास्तुकला और साहित्यों में छुपा होता है जैसे– फणीश्वर नाथ रेणु का 'मैला आँचल' नामक 'आंचलिक हिन्दी उपन्यास'। तथापि उत्तर आधुनिकतावादी भूगोल का विस्तृत और स्पष्ट अन्तर्निहित अर्थ हुआ करता है जिसके मूल (जड़) को पहचान पाना सहसा आसान नहीं होता है।

*एसोसिएट प्रोफेसर, (भूगोल), एच० आर० पी० जी० कालेज, खलीलाबाद, संतकबीर नगर,उ0 प्र0

डीयर (Dear, 1994) ने कहा है–

''उत्तर–आधुनिकता, साहित्य, अभिकल्प (Design), कला, वस्तुकला, दर्शन, जन–माध्यम, वस्त्र, फैशन, संगीत और दूरदर्शन सभी स्थान पर है। उत्तर–आधुनिकतावाद सामाजिक जीवन के निमार्ण में प्रदेश, स्थान तथा भूदृष्य के विषय में आवश्यक प्रश्नों को उठाता है।''

उत्तर–आधुनिकतावाद के समर्थकों का तर्क है कि सामाजिक और ऐतिहासिक प्रक्रियायें भिन्न–भिन्न स्थानों और प्रदेशों में भिन्न–भिन्न प्रकार से रचित होती हैं और इसीलिए ऐतिहासिकता का प्रवाह सभी स्थानों पर एक जैसा नहीं होता।

सम्भाविकता (Syndronicity) की समस्या की पहचान दीर्घावधि से भूगोलवेत्ताओं में चर्चा की विषय रही है। डार्बी (Darby) ने यह कहा भी है–

''ऐतिहासिक तथ्यों को एक अनुक्रम (Sequence) में दिखलाने की अपेक्षा भौगोलिक तथ्यों की एक प्रभावी श्रृंखला को प्रदर्शित करना बहुत कठिन कार्य है। घटनायें अन्तर्निहित रूप से आकस्मिक तौर पर घटित होती रहती है जो स्थान में सानिध्य (Juxtaposition) की अपेक्षा समय के सानिध्य में अधिक होती है। ऐतिहासिक वर्णनात्मकता की अपेक्षा भौगोलिक वर्णनात्मकता को अनिवार्यता देना प्रायः अधिक कठिन होता है।''

डीयर ने उत्तर आधुनिकतावाद को निम्न शब्दों में परिभाषिता करते हुए इसके तीन घटक बताये हैं–

(i) उत्तर–आधुनिक शैली (Post-modern style)

(ii) उत्तर–आधुनिक विधि (Post-modern method)

(iii) उत्तर–आधुनिक युग (Post-modern Epoch)

(i) ^,d "kSyh^ d :i e mÙkj&vk/kfud rkn (Post-modernism as a Style)

शैली के रूप में उत्तर–आधुनिकतावाद की उत्पत्ति साहित्य और साहित्यिक आलोचना से हुई और अन्य कलात्मक क्षेत्रों जैसे अभिकल्प (Design), फिल्म, फोटोग्राफी, कला और वास्तुकला में इसका विस्तार हुआ। वास्तुकला की उत्तर–आधुनिक शैली की आलोचना, रूपान्तरण, रंगों की विभिन्नता और मूर्तिकला वर्णन पर ध्यान हेतु की जाती है जो मात्र सतही उपहार वेस्टन (Warpping) से कदापि नहीं।

(ii) ^fof/k^ d :i e mÙkj&vk/kfud rkokn (Post-modernism as a 'Method')

डीयर (Dear) ने विधि के रूप में उत्तर–आधुनिकतावाद तीनों को प्रवृत्तियों में से सर्वाधिक प्रभावशाली बताया है। यह सार्वभौम सत्य तथा विचारों पर चिन्तन करता है जो सारी वस्तुओं के ऊपर लागू होता है। कोई भी चित्र किसी अन्य चित्र पर आधिपत्य का दावा नहीं कर सकता। ये भिन्न–भिन्न होते हैं और आपस में अतुलनीय भी होंना इनका विशेष लक्षण होता है। इसीलिए उनमें परस्पर कोई प्रतिस्पर्धा भी नहीं होती है। मानव भूगोल में ओलसन (Olsson- 1980) अपरचना के प्रारम्भिक प्रचारक थे जिन्होंने
विधि (Method) को अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रस्ताविका माना था।

(iii) mÙkj&vk/kfud rkokn&^;qx^ d :i e (Post-modernism as a 'Epoch')

कतिपय विद्वान उत्तर–आधुनिकतावाद को एक ऐतिहासिक काल का दर्जा देने हेतु तर्क देते हैं क्योंकि इसमें संस्कृति तथा दर्शन में परिवर्तन एक सार्वभौम अर्थ व्यवस्था तथा भू–राजनीति के विकास में स्वयं अवस्थित होता है। इस तरह उत्तर– आधुनिकतावाद पूँजीवाद के पश्चात् की एक संस्कृति है जो पूँजीवाद की प्रतिक्रिया की देन है। उत्तर–आधुनिकतावाद एक युग के रूप में समाज में भूतकाल में एक प्रमुख मूलभूत विचारों के रूप के वर्तमान विकास को चित्रित करता है। अतः पूर्व के युग की आधुनिकता के विपरीत उत्तर–आधुनिकता 'शब्दावली' का प्रयोग किया जाता है।

आधुनिक काल (New Times) का अंतर इसकी खासियत है।

ग्रेगरी (1989) ने विषमांगता (Heterogenity), विशिष्टता (Peculiarity) और अद्वितीयता (Uniqueness) जैसे शब्दों को उत्तर–आधुनिकतावाद के लिए उपयोग करके इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कर दिया जिससे कतिपय मानव–भूगोलवेत्ता भी उत्तर–आधुनिकतावाद की तरफ आकृष्ट होने लगे।

डीयर (Dear- 1993) ने कहा कि ''बीसवीं सदी की सबसे बड़ी सीख यह है कि समस्त 'महान सत्य' 'झूठ' होते हैं। इस तरह उत्तर–आधुनिकतावाद को उन्होंनें एक दार्शनिक खूँटी प्रदान किया। ग्रेगरी (1989) ने कहा कि–

'विश्व में प्रथम दृष्टि जैसा दिखाई पड़ता है उससे कहीं अधिक आकस्मिक है। इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक कि इसे ढूंढा न जाये। हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय विभेदीकरण प्रश्न के मार्ग पर पीछे जाना परन्तु

विश्व के प्रति नवीन सैद्धान्ति अतिसंवेदनशीलता से मुक्त होकर 'जिसमें हम रहते हैं' और उन तरीकों से 'जिसमें हम उसे प्रस्तुत करते हैं'।''

उत्तर–आधुनिकतावाद वस्तुतः उत्तर–निदर्श (Post-Paradigm) है अर्थात् उत्तर– आधुनिक लेखक ऐसे किसी भी विचार तंत्र का निर्माण करने में अत्यन्त संदेह व्यक्त करते हैं जिसमें सम्पूर्णता और व्यापकता का दावा किया जाता है। जिनका उत्तर–

आधुनिकतावाद में विश्वास है उनके द्वारा पर्यावरण नियतिवाद, संभववाद, प्रत्यक्षवाद, संरचनावाद, व्यवहारवाद, मानववाद और तंत्र–पद्धति के निदर्शन (Paradigm) को नकारा गया।

संक्षिप्त रूप में कहा जाय तो उत्तर–आधुनिकतावाद उन सभी पद्धतियों का, जिनका भूगोल पर 1950 के दशक से 1980 के दशक तक प्रभुत्व रहा; उनके प्रति वास्तविक आलोचना प्रस्तुत करता हुआ एक पक्ष है। इस प्रकार उत्तर–आधुनिक के साथ परम्परावादी सामाजिक, वैज्ञानिक लेखकों के विरोधी रहे हैं। इसीलिए व्यापक सामंजस्य (Global-Coherence) उत्तर–आधुनिकतावादियों की आलोचना प्रमुख विषय रहा है। इससे भी आगे बढ़कर संरचनावादी विचारकों का भी विरोध उत्तर–आधुनिकतावादियों ने हमेशा किया है।

उत्तर–आधुनिकतावादी नारीवाद का भी समर्थन करते हैं। उनका मत है कि महिलाओं के प्रति नर–समाज हमेशा भेदभाव पूर्ण व्यवहार करता आया है। महिलाओं की कुछ एकदम से पृथक् आवश्यकतायें भी होती हैं जिनका समाधान मानव समुदाय उस स्तर पर कत्तई नहीं करता आया है जैसा कि 'किया जाना चाहिये'। समाज के शक्तिशाली समूह के रूप में मनुष्य, नारियों के प्रवृत्ति पर कभी उतना सहयोगात्मक दृष्टिकोण नहीं रखता है 'जैसा' और 'जितना' रखा जाना चाहिये। पुरुष–महिला विभेदन एक कटु सत्य रहा है। इसके अलावा प्रजाति, वर्ग, लैंगिक अनुकूलन जैसे विभेदनकारी /शोषणकारी पक्ष भी उत्तर–आधुनिकतावादी अध्ययन की विषयवस्तु अब बनने लगे हैं।

उत्तर–आधुनिक मानव भूगोलवेत्ताओं ने निम्नवत प्रमुख प्रकार के (Themes) को खोजने की रूपरेखा प्रस्तुत की है।

(i) ufrdrkoknh v/;;u] n'ku rFkk ufrd Hkxky l gkr g, HkxkyoÙkkvk dh ufrd 0;ogkjokfnrkA

(ii) lkekftd foHknhdj.k ifØ;k;s ;Fkk प्रजाति (Races) नृजातीयता, वर्ग, आयु, स्वास्थ्य आदि हेतु समादन स्थापित करना।

(iii) Lo;s dk l tu rFkk lhek;s fu/kkfjr djuk – इसके अनुसार मनुष्य समाज में प्रयुक्त विभिन्न वर्गो के सन्दर्भ में दूसरों से सम्बन्ध बनाता है जो पूर्ववर्ती काल में भूगोलवेत्ताओं द्वारा नहीं किया गया।

(iv) 0;kidrk vkj {k=h; rk& व्यक्तियों और समूहों की अवस्थितिगत स्थानबद्धता जिसमें सांस्कृतिक प्रथायें भी शामिल रहती हैं।

(v) lekt] lLÑfr rFkk ikÑfrd i;koj.k] जिसमें अंततः मनुष्य ही लाभान्वित और सुसंस्कारित होता है।

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि 'उत्तर–आधुनिक भूगोल एक नहीं वरन् अनेक हैं'। कैस्टेल्स भी यह मानते हैं कि–

''क्षेत्र, समाज का मात्र प्रतिबिम्ब नहीं अपितु स्वयं समाज है "(Space is not a reflection of Society, it is society.)".

अतः क्षेत्रीय स्वरूप मानव द्वारा प्रस्तुत किये जाते हैं और भविष्य में भी किये जाते रहेंगे। जोसेफ स्टीग्लीत्स ने Transformation of Society में उत्तर–आधुनिकतावाद की झलक देखते हैं जबकि नोबेल पुरस्कार विजेता श्री अमर्त्य सेन ''विकास को स्वतंत्रता का पर्याय'' "Development is freedom" कहते हैं।

इस प्रकार अब तक का चिन्तनफलक अत्यन्त व्यापकता पाते हुए संविकास (Holistic development) में परिणत हो गया है जिसका लक्ष्य अछुण्ण विकास है।

lUnHkZ %

1. हुसैन, माजिद. 1992; भौगोलिक विचारधारा का इतिहास, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
2. लाल, डी0एस0; भौगोलिक विचारधारा, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ
3. दोशी, एस.एल. 2002; आधुनिकता, उत्तर–आधुनिकता एवं नव–समाजषास्त्रीय सिद्धान्त, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
4. गुप्ता, एम0एल0 और डी0डी0 शर्मा, 2002; सामाजिक विचारक, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 59-61

Hkkjr e jk"Vh; pruk ,o jk"Vokn dk fodkl

MkO Hkuu'oj yky lkg*

Hkfedk % राष्ट्रवाद लोगो के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परम्परा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एक जुट मानते है। इन्ही बन्धनों के कारण वे आत्म निर्णय के आधार पर अपने सम्प्रभु राजनीतिक समुदाय अर्थात राष्ट्र की स्थापना करते है। राष्ट्रवाद के आधार पर बना राष्ट्र उस समय तक कल्पनाओं में ही रहता है जब तक उसे एक राष्ट्र–राज्य का रुप नही दें दिया जाता। हांलाकि दूनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नही है जो इन कसौटियों पर पूरी तरह से फिट बैठता हो इसके बावजूद अगर विश्व की एटलस उठा कर देखी जाए तो धरती की एक–एक इंच जमीन राष्ट्रों की सीमाओं के बीच बंटी हुई मिलेगी। राष्ट्रवाद का उदय 18वीं और 19वीं सदी के युरोप में हुआ था। लेकिन अपने सिर्फ दो ढाई सौ साल पुराने ज्ञात इतिहास के बाद भी यह विचार बेहद शक्तिशाली और टिकाऊ साबित हुआ है।

राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर रहने वाले लोगो को अपने अपने राष्ट्र का अस्तित्व स्वाभाविक प्राचीन, चिरंतन और स्थिर लगता है। इस विचार की ताकत का अंदाजा इस हकीकत से भी लगाया जा सकता है कि इसके आधार पर बने राष्ट्रीय समुदाय वर्गीय, जातीगत और धार्मिक विभाजनों को भी लांघ जाते है। राष्ट्रवाद के आधार पर बने कार्यक्रम और राजनीतिक परियोजना के हिसाब से जब किसी राष्ट्र–राज्य की स्थापना हो जाती है तो उसकी सीमाओं में रहने वालों से अपेक्षा की जाती है की वे अपनी विभिन्न अस्मिताओं के ऊपर राष्ट्र के प्रति निष्ठा को ही अहमियत देंगे। वे राष्ट्र के कानून का पालन करेंगे और उसकी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने प्राणो का बलिदान भी दे देंगे। राष्ट्रवाद अनिवार्य तौर पर किसी न किसी कार्यक्रम और परियोजना का वाहक होता है जबकि देशभक्ति की भावना ऐसी किसी शर्त की मोहताज नही है।

राष्ट्रवाद एक विश्वास पन्थ या राजनीतिक विचारधारा है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने गृह राष्ट्र के साथ अपनी पहचान बनाता या लगाव व्यक्त करता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राष्ट्र को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है।

jk"Vokn % राष्ट्र एक ऐसे जन समूह के रुप में की जा सकती है जो कि एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो, समान परम्परा समान हितों तथा समान भावनाओं से बंधा हो और जिसमें एकता के सूत्र में बांधने की उत्सुकता तथा समान राजनैतिक महत्वकांक्षाए पाई जाती हो इसमें राष्ट्रवाद में राष्ट्रीयता की भावना सबसे अधिक होती है।

राष्ट्रीयता की भावना किसी राष्ट्र के सदस्यों में पायी जाने वाली सामुदायिक भावना है जो उनका संगठन सुदृढ़ करती है। भारत में अंग्रेजो के शासनकाल में राष्ट्रीयता की भावना का विशेष रुप से विकास हुआ इस विकास विशिष्ट बौद्धिक वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से एक ऐसे विशिष्ट वर्ग का निर्माण हुआ जो स्वतंत्रता को मूल अधिकार समझता था और जिसमें अपने देश को अन्य पाश्चात्य देशों का इतिहास पढ़कर उसमें राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ।

Hkkjr e jk"Vokn d mn; d dkj.k % भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा का अंकुर 17वीं शताब्दी के मध्य से प्रारम्भ हुआ था किन्तु यह धीरे–धीरे विकसित होता रहा अन्त में 1857 ई. में पूर्ण हो गया। अतः भारतीय राष्ट्रीय जागृति का काल 19वीं शताब्दी का मध्य मानना उचित ही होगा। वास्तव में सामाजिक तथा धार्मिक जागृति के परिणामस्वरुप राजनीति जागृति का उदय हुआ। डॉ. जकारिया का मत भारत का पुनर्जागरण मुख्यतः आध्यात्मिक था। इसने राष्ट्र के राजनीतिक उद्धार के आन्दोलन का रुप धारण करने से बहुत पहले अनेक धार्मिक और सामाजिक सुधारों का सुत्रपात किया। भारत में राष्ट्रवादी विचारों का उदय निम्नलिखित कारण माने जाते है–

*सहायक प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान), बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर, छ.ग.

1- lkekftd rFkk /kkfeZd vkUnksyu % भारत में राष्ट्रीय जागृति पैदा करने में 19वीं शताब्दी में हुए सामाजिक तथा धार्मिक आन्दोलनों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इस प्रकार के आन्दोलनों में ब्रम्ह समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, एवं थियोसोफिकल सोसायटी आदि जिसके प्रवर्तक क्रमशः राजाराम मोहनराय, स्वामी दयानंद स्वामी, विवेकानन्द एवं श्रीमति एनी बेसेन्ट आदि थे। इन सुधारकों ने भारतीयों में आत्मविश्वास जागृत किया तथा उन्हें भारतीय संस्कृति की गौरव गरिमा का ज्ञान कराया।

स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है "विदेशी राज्य चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी भी अच्छा नही हो सकता।"

स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले यह नारा लगाया था कि "भारत भारतीयों के लिए है"। विवेकानंद भारत का नाम लेकर जीते थे वे मातृभूमि के अनन्य भक्त थे और उन्होनें भारतीय युवकों को उसकी पूजा करना सिखाया।

थियोसोफिकल सोसायटी की नेता श्रीमति एनी बेसेन्ट ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपुर्ण योगदान दिया। जब भारतीयों की अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का ज्ञान हुआ तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता की प्राप्ति हेतु आन्दोलन आरम्भ कर दिया।

2- Hkkjr dh jktuhfrd ,drk % अंग्रेजो के समय लगभग सम्पूर्ण भारत का प्रशासन एक केन्द्रीय सत्ता के अधीन आ गया था। समस्त भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन होने से भारत एकता के सुत्र में बंध गया। इस प्रकार देश में राजनीतिक एकता स्थापित हुई। यातायात के साधनों तथा अंग्रेजी शिक्षा से इस एकता की नींव को बल मिला। भारत राजनीतिक दृष्टि से हिमालय से कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारत एक सरकार के अधीन था और इसने जनता में राजनीतिक एकता को जन्म दिया।

3- if'peh f'k{kk dk iHkko % भारतीय राष्ट्रीयधारा में पश्चिमी शिक्षा ने सराहनीय योगदान दिया। 1825 ई. में लार्ड मैकाले के सुझाव पर भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को निश्चित किया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय चेतना को जड़ से नष्ट करना था । परन्तु पाश्चात्य शिक्षा से भारत को हानि की अपेक्षा लाभ अधिक हुआ इससे भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई अतः पाश्चात्य शिक्षा भारत के लिए एक वरदान सिद्ध हुई।

अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय नेताओं के दृष्टिकोण का विकास हुआ जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोजशाह मेहता, गोपालकृष्ण गोखले, उमेश चन्द्र बनर्जी आदि नेता अंग्रेजी शिक्षा की ही देन है।

4- Hkkjrh; lekpkj i= rFkk lkfgR; % राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति तथा विकास में भारतीय साहित्य तथा समाचार पत्रों को भी काफी हाथ था। इसके माध्यम से राष्ट्रवादी तत्वों को सतत् प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता रहा। उस समय प्रसिद्ध समाचार पत्रों में संवाद कौमुदी बाम्बे समाचार (1882), बंगदूत (1831), गस्तगुतार (1851), अमृत बाजार पत्रिका (1868) इण्डियन मिरर, हिन्दु, पैट्रियार, बंगलौर, न्यु इण्डियन केसरी आदि के नाम विशेष रुप से उल्लेखनीय है।

भारतीय साहित्यकारों ने भी देश की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री बंकिमचन्द्र चटर्जी ने वन्देमातरम के रुप में देशवासियों को राष्ट्रीय गीत दिया। इसी प्रकार केशवचन्द्र सेन रवीन्द्रनाथ टैगोर, आर. सी. दत्त रानाडे आदि ने अपने विद्वतापूर्ण साहित्य के माध्यम से भारत में राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण उत्कृष्ट साहित्य का सजृन किया। इन साहित्यक कृतियों ने भारतवासियों के हृदयों में सुधार एवं जागृति की अपूर्ण उमंग उत्पन्न कर दी।

5- Hkkjr dk vkfFkZd 'kks"k.k % ब्रिटीश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति ने भारतीय उद्योगो को बिल्कुल नष्ट कर दिया था यहाँ के व्यापार पर अंग्रेजों का पूर्ण अधिकार हो गया था। भारतीय वस्तुओं पर जो बाहर जाती थी भारी कर लगा दिया गया और भारत में आने वाले पर ब्रिटिश सरकार ने आयात पर बहुत छूट दे दी। इसके अतिरिक्त अंग्रेज भारत से कच्चामाल ले जाते थे इंग्लैण्ड से मशीनी द्वारा निर्मित माल भारत में बेचते थे जो लघु एवं कुटीर उद्योग धंधों के निर्मित माल से बहुत सस्ता होता था परिणामस्वरुप भारतीय बाजार युरोपियन माल से भर गये एवं कुटीर उद्योग धंधों के पतन हो जाने से करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गये। भारत का धन विदेशों में जा रहा था।

अतः भारत दिन प्रतिदिन निर्धन होता गया अंग्रेजों के इस आर्थिक शोषण के विरुद्ध भारतीय जनता में असन्तोष था। वह इस शोषण से मुक्त होना चाहती थी इसलिए भारतीयों ने राष्ट्रीय आन्दोलन में सक्रिय रुप से भाग लेना प्रारम्भ कर दिया।

6- tkfr foHkn uhfr % 1957 ई.के बाद ब्रिटिश शासको जाति विभेद की नीति अपनायी। इस नीति के अनुसार वे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे। भारतीयों को ऐसा जन्तु समझते थे जो आधा वनमानुष और आधानीग्रों था, जिसे केवल भय द्वारा ही समझाया जा सकता था। और जिसके लिए जनरल नील तथा उसके साथियों का घृणा और आतंक का व्यवहार ही उपयुक्त था।

अंग्रेजों की इस जाति भेदभाव की नीति का भारतीयों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अब उनके हृदय में ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। इस तथ्य से राष्ट्रीयता की भावना का तीव्र गति से संचार हुआ। गैरेट के अनूसार भारतीय राष्ट्रीयता की बढ़ोत्तरी में उपरोक्त कटुता की भावना एक बहुत कारण थी।

7- ;krk;kr vkSj lapkj lk/kuksa dk fodkl % यातायात तथा संचार के साधनों के विकास में भी राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रिटिश सरकार ने देश में रेलों तथा सड़कों का जाल बिछा दिया। डाक, तार, टेलीविजन आदि की व्यवस्था हुई। इसके पीछे अंग्रेज सरकार का मुख्य उद्देश्य यह था कि विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी सेनाएं शीघ्रता से भेजा जा सकेगी एवं दूर–दूर के प्रान्तों की सूचना शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। इस विकास से भारतीयों को काफी लाभ हुआ। अब वे एक स्थान सक दूसरे स्थान का भ्रमण कर आन्दोलन को और अधिक उग्र बनाने लगे जिनसे जन साधारण में जागृति आई। परिणामस्वरुप एकता की भावना अधिक प्रबल हो गई और राष्ट्रीय आन्दोलन की बल प्राप्त हो गया। गुरुमुख निहाल सिंह के शब्दों में संचार के इन साधनों ने सारे देश को एक कर दिया और भौगोलिक एकता एक मूर्तरुप वास्तविकता में बदल दिया।

8- fonsZ'kh vkUnksyu dk ÁHkko % 19वीं. शताब्दी में युरोप में जो स्वाधीनता संग्राम लड़े गए उन्होंने भी भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को काफी प्रभावित किया। फ्रांस की 1848 ई. की क्रांति ने भारतीयों में बलिदान की भावना जागृत की इटली तथा युनान की स्वाधीनता ने उनके उत्साह में साधारण वृद्धि की एवं अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आदि ने भी भारतीयों को उत्साहित किया तथा उनमें साहस पैदा किया। परिणामस्वरुप वे स्वाधीनता प्राप्त करने के संघर्ष में जुट गए।

fu"d"kZ % उक्त आधार पर राष्ट्रवाद के जन्म के लिए ब्रिटिश सरकार की नीति ब्रिटिश सरकार की विरोधी नीति राष्ट्रवाद के जन्म में सहायता प्रदान की। ब्रिटिश शासन में ही भारत में राजनीतिक एकता स्थापित हुई पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ और यातायात के साधनों का विकास हुआ। इनसे यदि एक ओर ब्रिटिश शासन को लाभ हुआ तो दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रुप से राष्ट्रवाद के जन्म में भी योगदान मिला।

ब्रिटिश शासन के विकासशील स्वरुप ने यदि राष्ट्रवाद के जन्म के लिए अप्रत्यक्ष से योगदान किया तो उसके प्रतिक्रियावादी स्वरुप ने इस प्रक्रिया को तेज किया। ब्रिटिश शासन द्वारा भारत का आर्थिक शोषण भारतीयों के साथ भेदभाव उन्हें सरकारी नौकरियों में स्थान न मिलना प्रेस पर प्रतिबंध, हथियार रखने पर प्रतिबंध। साम्राज्यवाद के विस्तार के लिए युद्ध लड़ना जैसे कामों ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में नही है। अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं का मत था कि भारत की आर्थिक दुर्दशा का मूल कारण भारत में अंग्रेजी शासन है। यही कारण है कि भारत में देश प्रेम व राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ।

lUnHkZ %

1. सुनलिनी कुमार (2008); नैशनलिजम, राजीव भार्गव और अशोक आचार्य (सम्पा),पॉलिटिकल थियरी : ऐन इंट्रोडक्शन, पियर्सन लोंगमेन, नयी दिल्ली।
2. एस. सेठ (1995); मार्म्सिस्ट थियरी ऐंड नैशनलिस्ट पॉलिटिक्स,सेज, नयी दिल्ली।
3. मेजर जनरल इयान कारजोडो भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास।
4. विद्या धर महाजन और सावित्री महाजन (1971); constitutional history of india includinr the nationalist movement (6th edition) दिल्ली एस. चंद
5. Jain, Girilal. 1994: The hindu phenomenon, UBS Publishers Distributors, New Delhi

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 62-64

Jfed efgykvk dh leL;k,¡ % ,d v/;;u

Nk;k dqekjh*

इस शोध पत्र में श्रमिक महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक दशा और उनके विविध पक्षों को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोंतों का प्रयोग किया गया है। यह अध्ययन महत्वपूर्ण परिवर्तन का सूचक है।

कार्य के आधार पर महिलाओं को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है–1.घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं, 2. नौकरी–पेशा करने वाली महिलाएं, 3. श्रमिक कार्य घरेलू कार्य करने वाली महिलाएं, महिलाओं में श्रम करने की प्रवृत्ति जन्म से ही होती है, ग्रामीण महिलाओं में तो यह संस्कार जन्मजात् ही होते हैं।

भारत की कुल जनसंख्या में से लगभग 40करोड़ से अधिक महिलाएं है। इनमें से यदि बालिकाओं और वृद्धाओं को निकाल दिया जाए तो लगभग 20 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो श्रम करने योग्य हैं,इनमें से शहरी महिलाएं केवल 10 ही है। लगभग 17–18 करोड़ ग्रामीण महिलाएं ऐसी हैं, जो अपनी श्रम–शक्ति द्वारा राष्ट्र की उन्नति में सक्रिय योगदान प्रदान कर रही है। एक रिपोर्टें अनुसार वर्ष 1981 से 1991के दशक में रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। इस दशक में रोजगार में पुरुषों की संख्या 21.4 बढ़ी हैं, जबकि महिलाओं के आँकड़ों में 42.66 की वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारोन्मुख महिलाओं की संख्या में 40.25 बढ़ोत्तरी दर्ज की गई।

आज श्रमिक महिलाएं पुरुषों के समान या उससे अधिक श्रम करते हुए भी निरन्तर उपेक्षा और व्यक्तित्वहीनता की शिकार बनी हुई है। मूल कारण है–इनमें शिक्षा का अभाव, सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक पिछड़ापन,प्राचीन रुढ़िवादी परम्पराएं आदि है। इनके कारण वे अपने अधिकारों को प्राप्त करने में सर्वथा असहाय एवं असमर्थ रही है तथा आज इन्हें बंधुआ मजदूरों की भाँति जीवन बसर करना पड़ रहा है। इनके मार्ग में आने वाली समस्याओं का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है–

1- etnjh e vlekurk& भारतीय संविधान में महिलाओं व पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 16 (2) के अन्तर्गत ''लिंग के आधार पर कोई नागरिक किसी नौकरी के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा और न ही उसके साथ इस आधार पर भेदभाव किया जाएगा। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत महिला श्रमिकों के लिए समान पारिश्रमिक के भुगतान का प्रावधान हैं। इस अधिनियम के तहत समान कार्य करते वाले पुरुष एवं महिला श्रमिकों के पारिश्रमिक में विभेद करता दण्डनीय अपराध है, परन्तु व्यावहारिक रुप में इस अधिनियम का पालन कहीं भी नहीं किया जाता है, पुरुष तो दूर, समान कार्य में महिला–महिला की मजदूरी में भी अंतर पाया जाता है। इस रुप में श्रमिक महिलाओं का शोषण सबसे अधिक बीड़ी व अन्य लघु, कुटीर व घरेलू उद्योग, दिहाड़ी कार्यों में हो रहा हैं इतने आधुनिकीकरण के पश्चात् भी आजकल बीड़ी उद्योग में सारा कार्य महिला श्रमिकों द्वारा किया जाता है। इस उद्योग में लगभग 20लाख महिला श्रमिक कार्यरत है, जो पत्तों को इकठ्ठा करने सें लेकर उनमें तम्बाकू भरना, धागा लपेटना, बंडल में भरना व उन पर लेबल लगाने तक का सम्पूर्ण कार्य हाथों से करती है। न्यूनतम मजदूरी परिश्रमिक अधिनियम कें अनुसार इन श्रमिकों कों 22रुपए दिये जाने का प्रावधान है, परंतु इन महिला श्रमिकों कों केवल 8–10 रुपए ही दिये जाते है। बीड़ी के मूल्य में पिछले वर्षों में काफी वृद्धि हुई है, परन्तु इन श्रमिकों की मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसके अलावा पत्थर तोड़ने, पीसने, क्रेशर, मशीन पर कार्य करने आदि कार्यों में भी महिला श्रमिकों का शोषण हो रहा है, इन कार्यों में भी इनकों 10–11रुपये प्रतिदिन मजदूरी दी जाती है व घर पर कार्य करने वाली महिलाओं को, जोकि कपड़े की गुड़िया बनाने, लाख की चूड़ियाँ, बिन्दी पैकेट, सिलाई, कढ़ाई, पापड़, अगरबत्ती, मसाले बनाने के कार्यों

*शोध छात्रा, गृह विज्ञान, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार

में लगी है, में भी बाजार से कम मजदूरी का भुगतान किया जाता है। दूसरी तरफ से अशिक्षित होने के कारण ठेकेदारों द्वारा इन पर अपना उल्लू सीधा किया जाता है। कम मजदूरी का भुगतान कर अधिक राशि पर अँगूठा लगवाना आदि आम बात होती है।

2- lj{kk dk vHkko& लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट (खदानों में कामगार महिलाओं की सामाजिक आर्थिक दशा) के अनुसार खदान कार्यों में लगी महिलाओं में से 56 कामगार महिलाएं अस्थायी तौर पर काम करती हैं और अस्थायी पुरुषों की संख्या केवल 21 ही है। सर्वेक्षण के अनुसार कोयला के अलावा अनेक खदानों में एक भी महिला ऐसी नहीं थी,जो स्थायी हो। ये खदानें ज्यादातर मैंगनीज, पत्थर, चाइनाक्ले,जिप्सम आदि की हैं, इन खदानों में लगभग 46 कामगार महिलाएं केजुअल पाई गईं। कोयला खादानों में केजुअल महिलाओं की संख्या 27 है जबकि महिला' श्रमिकों का खदानों में कार्य करना असंवैधानिक है। इन महिलाओं को कार्य, सुरक्षा आदि के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था नियोक्ता /ठेकेदारों द्वारा नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा किट आदि भी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, ये महिलाएं बिना इनके अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करती हैं। इसके अलावा निर्माण व अन्य कार्य में लगी महिला श्रमिकों की सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है सुरक्षा का अभाव होता हुए भी यह महिलाएं बहुमंजिली इमारतों, भवनों,कारखानों आदि में कार्य करती है एवं यदि कार्य करते समय किसी श्रमिक का अंग कट जाए या दुर्घटना में अपंग हो जाएं तो मालिकों, ठेकेदारों द्वारा किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी जाती है,जिससे कईयों को अपाहिज ही नहीं होना पड़ता है, बल्कि बड़ी दुर्घटना में तो इन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है इस प्रकार इन श्रमिकों का मालिक, ठेकेदारों द्वारा पूर्ण रुप ही शोषण किया जाता है। इसके साथ– साथ दूषित परिवेश में काम करने वाली महिलाओं को दूषित वातावरण का शिकार पग–पग होना पड़ता है। अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा भी इन्हें स्वयं ही करनी होती है।

3- nkgjh Hkfedk& श्रमिक महिलाएं उन नौकरी–पेशा महिलाओ की कार्य क्षमता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती हैं, जो केवल सुविधा– जनक नौकरी व अच्छी तनख्वाह पाकर घरेलू कामों से छुटकारा पा लेती हैं। इन्हें घर के सदस्यों का सहयोग मिल सकती है, घरेलू कार्यों हेतु नौकर मिल सकता है,बच्चों को रखने के लिए आया मिल कसती है, परन्तु क्या यह एक श्रमिक महिला के लिए यह सम्भव है? कदाचित नहीं यह इन सभी सुविधाओं से वंचित रहती है। बच्चों के पालन से लेकर सम्पूर्ण घरेलू कार्य इन श्रमिक महिलाओं द्वारा किया जाता हैं। इनमें अनेक महिलाएं घर के काम के लिए 8–10 किलोमीटर से पानी लाती हुई देखी जा सकती हैं। इसके साथ–साथ सामाजिक कार्य में भी इनकी अहम् भूमिका रहती है। इस प्रकार इन महिलाओं को विभिन्न भूमिकाओं का निर्वाह करने से कभी मुक्ति नहीं मिल पाती है।

4- cPpk dk Hkfo"; vU/kdkj e& गरीबी की दशा में जीवनयापन कर रही इन महिलाओं के बच्चों का क्या भविष्य है? इन बच्चों को पैदा होते ही उन्हें मजदूरी पर साथ ले जाया जाता है, जिन्हें दूर सुलाकर यह अपना कार्य करती हैं और बड़े होने पर आर्थिक अभाव, अशिक्षा के कारण इनका भविष्य अनिश्चित होता है, और अन्ततोगत्वा इन्हें भी इसी कार्य पर लगा दिया जाता है, संविधान में उल्लिखित है कि 14 वर्ष से काम उम्र के बच्चों से काम लेना अथवा व्यवसाय करवाना भी खतरनाक है, परन्तु स्थिति इसके विपरीत है। यूनिसेफ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार इस समय 1 करोड़ 73 लाख 60 हजार बाल श्रमिक, जोकि शेष विश्व की तुलना में कही ज्यादा है यही कार्य कर रहें है, जबकि गैर सरकारी सूत्रों के अनुसार देश में इस समय 11 करोड़ 10 लाख बाल श्रमिक कार्य कर रहे है जोकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में 20 से अधिक योगदान देते है। इस प्रकार जहाँ इनके पढ़ने–लिखने, खेलने– कूदने के दिन होते है, वहाँ गरीबी की विभीषिका द्वारा इन्हें बचपन से ही काम–धन्धा करने पर मजबूर होना पड़ता है।

5- ;ku 'kk"k.k& आज यौन शोषण की शिकार सबसे ज्यादा श्रमिक महिलाएं होती हैं। आए दिन इनके साथ होने वाले बलात्कार, उत्पीड़न, अपहरण आदि की घटनाएं समाचार–पत्रों में मुख्य समाचार के रुप में प्रकाशित होती है जोकि इसका प्रमाण है कि मजबूरी, पेट की आग, अज्ञानता,गरीबी, लाचारी आदि का फायदा इनके नियोक्ता द्वारा पूर्ण रुप से उठाया जाता है। असंगठित,सहयोग की कमी के कारण ये सभी अत्याचार इनको सहने करने पड़ते है। इनके इस अबलापन का फायदा ठेकेदारो, मालिकों प्रभावी लोगों द्वारा बखूबी उठाया जाता है।

6- dk;Z dh vfuf'prrk& अधिकांश श्रमिक महिलाएं 10–15 किलोमीटर की दूरी से श्रम करने हेतु शहर में आती है जिन्हें दिहाड़ी श्रमिक कहा जाता है। इनको प्रत्येक दिन अलग–अलग स्थान पर कार्य करना पड़ता है, जैसे कि–निर्माण कार्य,बोझ ढोने के कार्य आदि जोकि स्थायी नहीं होता है एवं वर्ष भर भी इन्हें रोजगार नहीं मिलता है, जिससे इन श्रमिक महिलाओं को कई बार खाली हाथ अपने घरों को लौटना पड़ता है।

7- Je dk 'kk"k.k & कई कार्यों में महिलाओं के कार्य के घण्टे निश्चित नहीं होते हैं। वैस श्रम कानून के अन्तर्गत किसी भी श्रमिक से 8 घण्टे काम लिया जा सकता है। इस प्रकार यदि श्रमिक 8 घण्टे काम करता है तो मजदूरी कहलती है,लेकिन8 घंटे से ज्यादा काम बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए लिया जाता है तो वह शोषण होगा, यदि 10घण्टे से अधिक काम बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक दिए लिया जाता है तो दोहन कहलाता है इस प्रकार हमारे देश में श्रमिक वर्ग शोषण –दोहन का शिकार है। यदि इसका कारण खोजा जाए तो मूल में श्रमिक वर्ग का असंगठित होना रहा है, जिससे जो भी चाहे जिस दिशा में इन्हें हाँक सकता है प्रायः देखा जाता है कि श्रमिक महिलाएं संगठन के अभाव में अपने गाँवों से दूरदराज के क्षेत्रों में काम ढूँढ़ने जाती है और छोटे–मोंटे उद्योग, फैक्टरी,मिलों में काम कर अपना गुजारा करती हैं। वहाँ इन्हें मालिकों व ठेकेदारों की मनमानी शर्तों पर काम करने पर विवश होना पड़ता है, फलस्वरुप वह 12–14 घंटे काम करती हैं। इस प्रकार इनका पूर्ण रुप से शोषण किया जाता है।

8- ikfjokfjd leL;k,& आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के कारण ही इन महिलाओं को श्रम करने के लिए विवश होना पड़ता है। प्रायः इनके परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है और कई परिवारों में पति बेरोजगार होते है या उनकी मजदूरी कम होती है एवं कई शराबी,कुमार्गी, जुआरी होते है, जिससे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार के भरण–पोषण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इन महिलाओं पर होती है। कम आय के कारण भोजन व स्वास्थ्य सुविधा भी इन परिवारों को नहीं मिल पाती है, जिससे इनको घातक बीमारियाँ घेर लेती है तथा अर्थाभाव के कारण उचित इलाज मुहैया न होने से इन्हें अकाल मृत्यु का कोपभाजन भी होना पड़ता है।

9- vU; lfo/kkvk dk vHkko & इन श्रमिक महिलाओं को अन्य कामकाजी,महिलाओं की भाँति किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा नहीं मिलती है। जिसमें प्रसुति अवकाश, स्वास्थ्य, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, बाल गृह,बोनस आदि मुख्य है। अधिकाँश श्रमिक महिलाएं अस्थाई, दिहाड़ी आदि रुप में कार्य करती है, जिससे नियोक्ता द्वारा भी यह सुविधाए उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसके अभाव में इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कार्यां के लिए उसे आर्थिक, शारीरिक रुप से बहुत हानि पहुँचती है, जोकि इन्हें निम्न जीवन स्तर जीने के लिए मजबूर करती है। कभी–कभी तो यह भी मुश्किल होता है।

इस प्रकार सरकार व अन्य संगठनों द्वारा महिलाओं की समस्याओं के बारे में सोचते समय अपना क्षेंत्र केवल दफ्तरों में कार्य करने वाली महिलाओं तक ही सीमित रखा जाता है। श्रमिक महिलाओं की समस्याओं की ओर तो किसी की दृष्टि ही नहीं जाती है। आज हर महिला अन्नपूर्णा कहलाती है, लेकिन जो महिला खुद अर्थोपार्जन करके अपने परिवार का पालन–पोषण करे, सच्चे अर्थों में अन्नपूर्णा तो वही है और वह रुप आज श्रमिक महिलाओं में देखा जा सकता है। इन श्रमिक महिलाओं को केवल बनती हुई इमारतों में ही नहीं, बल्कि सड़क मिटटी की ढुलाई, गलीचे बुनाई यहाँ तक की बारातों में रोशनी के हंडे सिर पर उठाए देखा जा सकता है। 24 घण्टे काम और हर क्षण आर्थिक अभाव–ये दो तत्व इनके जीवन को तनावयुक्त रखते है। फलतः ये महिलाएँ अभिशप्त जीवन जीती है।

lUnHkZ %

1. राजोरा, सुरेश चन्द्र. 2010; समकालीन भारत की सामाजिक समस्याएँ, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान
2. राजकुमार, आनन्दधर. 2004; फीमेल चाइल्ड लेबर, ए0पी0एच0 पब्लिकेशन, दिल्ली
3. पाण्डेय, बालेश्वर, 2011; श्रम कल्याण, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 65-66

iwoZe/;dkyhu lekt esa 'kwnzksa dh fLFkfr

M,0 Á'kkar d';i*

पूर्वमध्यकाल में जातियों की सबसे अधिक संख्या शूद्रों की थी। पूर्वतम विधि–ग्रन्थों में इनकी संख्या दस से पंद्रह तक कही गई है। लेकिन मनु के विधि–ग्रन्थ में, जो ईस्वी सन् की प्रथम शताब्दी की रचना है, इकसठ मिश्रित जातियाँ गिनायी गई हैं।[1] यदि ब्रह्मवैवर्तपुराण[2] में दी गई अतिरिक्त जातियाँ भी जोड़ दी जाएं तो यह संख्या सौ से ऊपर चली जाती है। यादव प्रकाश की वैजयन्ती और हेमचन्द्र की अभिधानचिंतामणि नामक पुस्तकों से शुद्र जाति की संख्या में भारी वृद्धि का अनुमान लगाया जा सकता है। ईस्वी सन् की करीब आठवीं शताब्दी के विष्णुर्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि वैश्य स्त्रियों और निम्न श्रेणियों के पुरूषों के सम्पर्क से हजारों मिश्रित जातियाँ उत्पन्न होती हैं[3] हाँलाकि उनके नाम नहीं गिनाए गए हैं।

जंगल, वन आदि में रहने वाले पिछड़े लोगों पर कृषि से उन्नत इलाकों के ब्राह्मणीकृत राजाओं की विजय से शूद्र जाति की संख्या और प्रदेश (वेराइटी) में अपार वृद्धि हुई। मध्य भारत के एक मध्यकालीन अभिलेख में शबर, भिल्ल, पुलिंद आदि के दमन का निर्देश है।[4] नवीं शताब्दी से पाँच सौ वर्षों तक दक्कन की प्रायः सभी राजसत्ताएँ आभीरों से लडतीं[5] रहीं जिन्हें आसानी से ब्राह्मणिक व्यवस्था में खपाया नहीं जा सका। ईस्वी सन् 861 के एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रतिहार राजा कक्कुक ने जोधपुर के निकट आभीरों के एक गाँव को नष्ट कर जीत लिया। इससे ब्राह्मणों और वैश्यों के हाथ बंदोबस्त किया गया। इन्हें सुरक्षा व जीविका का आश्वासन भी दिया गया।[6] बारहवीं शताब्दी के एक कलचुरि अभिलेख में थिरू नामक आदिमजनों के चंगुल से रतनपुर के राजा जाज्जल्लदेव द्वितीय की मुक्ति का उल्लेख है। इसका उत्सव उसने दो ब्राह्मणों को एक गाँव दान में देकर मनाया।[7] यह स्पष्ट नहीं है कि यह गाँव थिरू क्षेत्र में पड़ता था या नहीं। लेकिन पुरोहितों को अनेक विजित क्षेत्रों में भूमिदान दिया गया था जहाँ के स्थानीय आदिम जनजातीय लोगों को ये अपनी संस्कृति में ले आए। यह प्रक्रिया शान्तिपूर्ण भी रही होगी। यह शान्तिपूर्ण रही हो या नहीं, इसकी सफलता उन ब्राह्मणों की उत्कृष्ट भौतिक संस्कृति के कारण हुई होगी जिन्होंने उन निरक्षर लोगों को न केवल नयी लिपि, भाषा और कर्मकाण्ड ही सिखाया होगा वरन् उन्हें हल से खेती, नयी फसल, मौसम, पंचांग, पशुधन की रक्षा आदि से भी अवगत कराया होगा। जनजाति के लोगों को सदा ही ब्राह्मणिक व्यवस्था में समान स्थान नहीं दिया गया और एक ही जनजाति अनेक वर्णों और जातियों में विभाजित हो गई। हम आभीर ब्राह्मण,आभीर क्षत्रिय, आभीर वैश्य, आभीर महाशूद्र तथा आभीर बढ़ई और सोनार[8] के बारे में भी सुनते हैं, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश आभीर समाज में शूद्र के रूप में ही स्वीकार किए गए होंगे। लेकिन इनमें ''जातिधर्म'' के प्रति पूर्ण श्रद्धा के रूप में ही स्वीकार किए गए होंगे। लेकिन इनमें ''जातिधर्म'' के प्रति पूर्ण श्रद्धा थी। आभीर, अंगारी, अम्बष्ठ, भिल्ल, चांडाल, कोंच, आदि जिनका ब्रह्मवैवर्त पुराण[9] और अन्य ग्रन्थों में मिश्रित जाति के रूप में उल्लेख है, मूलतः जनजातीय लोग थे जिन्हें ब्राह्मणिक सामाजिक ढाँचे में सत् या असत् शूद्र के रूप में स्थान दिया गया।

मध्यकाल में अशुद्ध शूद्रों अर्थात् अछूतों की संख्या में अपूर्व वृद्धि हुई। इनका प्रथम उल्लेख पाणिनि द्वारा ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में हुआ था। मध्यकालीन विधि–ग्रन्थों में अछूतों का वर्णन गोभक्षक के रूप में हुआ है। इन्हें अत्यंत, बराट, बरूड़, भिल्ल, चांडाल, चर्मकार, दाश, नट, रजक, आदि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।[10] इनमें से कुछ ईस्वी सन् के आसपास दिखलाई पडते हैं। अलबरूनी ने भेद तंतुवाय, भधतु, चांडाल, डोम, हाड़ी आदि के भी जिक्र किए हैं।[11] पूर्वकालीन विधिग्रन्थों में बारह प्रकार के अछूत बताए गए हैं हाँलाकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक रही होगी। पराशर स्मृति में उल्लिखित विस्तृत नियमों से चांडालों और श्वपाकों की संख्या में वृद्धि के संकेत मिलते हैं।

*असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विभाग, डी0ए0वी0 पी0जी0 कॉलेज (बी0एच0यू0), वाराणसी, उ0प्र0

अछूतों की संख्या में वृद्धि क्यों हुई इसका कारण बताना कठिन है। अधिकतर अछूत जातियाँ पिछड़ी जनजातियाँ थीं। हिन्दू पद्धति में इनका प्रवेश ब्राह्मणीकरण द्वारा और हिन्दूकृत बौद्धधर्म के प्रसार द्वारा हुआ था। इस बात का अनुमान ब्राह्मण–ग्रन्थों और बौद्ध चर्यापदों से लगाया जा सकता है। बौद्ध चर्यापदों में डोम, निषाद, उनकी स्त्रियाँ और कापालिकों का निर्देश है। ये सभी सामान्यतः गाँव के बाहर टीलों पर रहते थे। ब्राह्मणों के लिए ये अस्पृश्य थे।[12] जाहिर है कि कुछ जनजातीय लोग, बहुत पिछड़े होने के कारण, हिन्दू समाज में पूरी तरह नहीं खपाए जा सके और इसलिए अछूतों की कोटि में ढ़केल दिए गए या यह भी हो सकता है कि जिन्होंने विजय की प्रक्रिया और हिन्दूकरण का कड़ा मुकाबला किया, उन्हें गाँव की जमीन से वंचित कर, बाहर बसने को विवश किया गया। संभवतः कैवर्तों के साथ यही बात हुई जिन्हें, ग्याहरवीं शताब्दी में, पाल राजाओं ने अंतिम रूप से पराजित किया। यह बात डोम्ब जनजाति के साथ भी सही हो सकती है जो पादचर्या से एक महत्त्वपूर्ण जन प्रतीत होते हैं।[13] पूर्व मध्यकाल में बहुत बड़े पैमाने पर ब्राह्मणीकरण हुआ इसलिए अछूत जातियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई। पूर्वकाल में कुछ खास प्रकार के शिकारी और कारीगर अछूत बना डाले गए, किन्तु अब कुछ कृषिकर्मी जातियाँ भी इस स्थिति में ला दी गई। यह बात राजाओं और पुरोहितों के कृषि के प्रति घृणा के कारण उतनी ही नहीं हुई होगी जितनी कि उन पिछड़े कृषक लोगों के प्रति घृणा के कारण हुई होगी जिन्होंने नई व्यवस्था का विरोध किया होगा। दूसरी ओर, इस बात से कि काफी संख्या में शूद्र अछूतों की स्थिति में ला दिए गए हैं, उन शेष शूद्रों को भी संतोष हुआ होगा जो अब सामाजिक स्तरावली में वस्तुतः वैश्यों का स्थान ले चुके थे।

एक अन्य महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया जिसके कारण शूद्र जातियों का बहुगुणन हुआ यह थी कि शिल्प (क्राट) जाति का आधार हो गया था। उत्तर गुप्तकाल में ज्यों–ज्यों व्यापार और वाणिज्य मंद पड़ने लगे त्यों–त्यों शिल्पिसंघ अवरूद्ध, गतिहीन, अधिक से अधिक वंशानुगामी और अधिक से अधिक स्थानीय होने लगे। व्यापारियों और शिल्पियों ने धीरे–धीरे अपना एक विशिष्ट बंद वर्ग बना लिया जिसका रूप सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए, जाति जैसा मालूम पड़ता था। अपरार्क वृहस्पति, से उद्धरण देकर सिद्ध करता है कि इन संघों का प्रधान गलत काम करने वालों को अपमानित, निन्दित और जाति बहिष्कृत भी कर सकता था।[14] ऐसा प्रतीत होता है कि नापित, मोदक, तांबू, कलिक, स्वर्णकार, मालाकार, शंखकार, सर्पकार, चित्रकार आदि, जिन्हें मध्यकालीन ग्रन्थों में[15], आदिम जातियों की तरह, मिश्रित जातियाँ कहा गया है, स्पष्टतः विभिन्न शिल्पियों से निकलने वाली जातियाँ हैं। प्राचीन ग्रन्थों में शिल्पी–ग्राम के उल्लेख आए हैं, लेकिन बाद में उनका उल्लेख मध्यकालीन अभिलेखों में भी मिलता है। हम 'कुम्भापद्रक[16] नामक दो गाँवों के बारे में सुनते हैं, जिनमें स्पष्टतया कुम्हार जाति के लोग रहते होंगे। आधुनिक काल में विशेषज्ञता का अर्थ है जहाँ कहीं से भी और जब कभी संभव हो, शिल्प में कुशलता और प्रवीणता अर्जित करना। लेकिन मध्यकाल में विशेषज्ञता का अर्थ था–मालिक के साथ, अपने स्थान के साथ और उस शिल्प का पेशा करने वाले परिवार के साथ लगाव।

I UnÒ: %

1. डी0आर0 भंडारकर, 'फारेन एलिमेंट्स इन द हिन्दू पापुलेशन, जर्नल ऑफ द एन्शेंट इण्डियन हिस्ट्री, 301–03
2. ब्रह्म खण्ड, X, 14–136
3. II 81–2
4. ए0ई0, पृ, 38, ii, पद 22
5. भगवानसिंह सूर्यवंशी, द आभीराज : देयर हिस्ट्री एण्ड कल्चर (बड़ौदा, 1922), पृ0 39–40
6. वही
7. का0इं0, इं0, पअ, सं0 99, 1.28
8. डी0आर0 भंडारकर, पूर्वोद्धृत, पृ0 286–88
9. ब्रह्मखण्ड, गए 17–136
10. वासुदेव उपाध्याय, सोशियो–रेलिजस कंडीशन ऑफ नार्थ इण्डिया (700–200) वाराणसी 1964, पृ0 92, पा0टि0 3 और 4 में उद्धृत।
11. साचू, प, 101–2
12. अतीन्द्र मजुमदार, द चर्यापादाज (कलकत्ता, 1967), पृ0 10
13. वही, पृ0 48–49
14. वी0पी0 मजुमदार, सोशियो–इकॉनामिक हिस्ट्री ऑफ नार्दर्न इण्डिया, (1030–1194 ई0)
15. ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म खण्ड, 17–136
16. पुष्पा नियोगी, पूर्वोद्धृत, पृ0 53

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 67-68

;x ifjor d egkRek xk/kh ,o vLi';rk mUeyu

vk'krk"k dekj f=ikBh*

भारत को ब्रिटिश राज्य के दमन से मुक्ति दिला कर भारत को उन्होंने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महात्मा गाँधी के अथक संघर्ष का ही परिणाम है कि हम आज आजादी की खुली हवा में साँस ले रहे हैं। गाँधी जी के विचार आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रासंगिक है। वे सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे। राजनीतिक आंदोलनों के अतिरिक्त, सामाजिक क्षेत्र में व्याप्त अनेक कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने अनेकों प्रयास किये। इसलिए वह अपने समाज सुधारों के लिए भी जाने जाते हैं। गाँधी जी सामाजिक समानता के पक्षधर थे। जब तक वह महात्मा गाँधी इस सत्य से अवगत थे कि राष्ट्र की स्वतंत्रता स्वयं में तब तक पूर्णत्व नहीं प्राप्त कर सकती जब त कवह सामाजिक समानता के लक्ष्य को न प्राप्त कर ले। महात्मा गाँधी का मानना था कि भारतवर्ष की दासता हेतु केवल ब्रिटिश ही नहीं अपितु हम सब भी समान रूप से उत्तरदायी हैं। उनका मानना था कि जब तक राष्ट्रीय चरित्र समुन्नत नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होगा। हमारा भारतीय समाज प्राचीन काल से वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। हमारा समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्गों में बटा हुआ था। वर्ण व्यवस्था हिन्दू सामाजिक व्यवस्था का आधार रही है। महात्मा गाँधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। महात्मा गाँधी के मतानुसार वर्ण व्यवस्था पारिवारिक सिद्धान्तों का विकास मात्र है। महात्मा गाँधी का मत था कि आनुवंशिक रूप से किया जाने वाला व्यवसाय अर्थोपार्जन का अनुमोदन का न हो कर सामाजिक दायित्व समझा जाना चाहिये। चारों वर्णों की एक समान प्रतिष्ठा होनी चाहिए। गाँधी जी का मानना है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण हो सकता है किन्तु ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण वह है जिसने ईश्वर को जान लिया है। इसी प्रकार आदर्श क्षत्रीय तो वह है जो बिना तलवार का उपयोग किये सुरक्षा करे। वैश्य का कर्त्तव्य धनोपार्जन कर उसमें से अपने जीविकोपार्जन हेतु रख कर शेष जन कल्याण हेतु प्रयोग करना है। शूद्र वह व्यक्ति है जो सेवा अथवा नौकरी के माध्यम से अपनी जीविका चलाता है। अर्थात वे सभी व्यक्ति जो नौकरी करके जीविकोपार्जन करते हैं, शूद्र हैं। गाँधी जी इस मत का खण्डन करते थे कि वेद, पुराणों का अध्ययन ब्राह्मण मात्र का अधिकार है। उनका मानना है कि एक शिल्पकार अथवा बढ़ई अपने व्यवसाय को करते हुए भी संस्कृत का विद्वान हो सकता है। गाँधी जी का मानना था कि लोग यह विचार व्यक्त करते हैं, कि शूद्र अछूत हैं, अस्पृश्य हें, सेवा मात्र ही उन का धर्म है। ऐसे लोग धर्म के विषय में नहीं जानते। इस प्रकार के विचार वेदसम्मत नहीं हैं। ऐसे लोग वेद, पुराण का भयमूलक भ्रम फैलाकर अपने हितों की पूर्ति करते हैं। उनका मत है कि शूद्रों को अस्पृश्य कहना वेदसम्मत नहीं है।

महात्मा गाँधी अस्पृश्यता के प्रखर विरोधी थे। अस्पृश्यता को वह भारतीय समाज हेतु अभिशाप मानते थे। उनका मानना था कि अस्पृश्यता एक मानसिक स्थिति है, कोई पदार्थ नहीं। अस्पृश्यता हमारे हिन्दू धर्म के ऊपर एक गंभीर व्याधि के रूप में आबद्ध है जो हिन्दू धर्म को नष्ट कर रहा है और यदि अस्पृश्यता की इस व्याधि से शीघ्र ही मुक्ति नहीं पायी गई तो यह हिन्दू धर्म को पूर्णरूपेण नष्ट कर देगा। यदि वास्तव में हमारे समाज अस्पृश्यता व्याप्त है तो यह हमारे कलुषित विचारों एवं कर्मों में है। गाँधी जी ने अस्पृश्यता का विरोध करते हुए कहा है कि हिन्दूओं का यह मत कि मनुष्य जाति को एक वर्ग को स्पर्श करना इसलिए पाप है क्योंकि उसने किसी विशिष्ट परिवेश में जन्म लिया है, अतः मैं स्वयं एक हिन्दू होने के कारण यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि यह पाप नहीं हैं। पाप यह समझना है कि इन लोगों के स्पर्श से पाप लगता है। अस्पृश्यता एक अमानवीय विचार है, हमारी उन्नति में बाधक है एवं हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। यह हिन्दू धर्म में व्याप्त एक घृणित दोष है और जो धर्म अन्याय और असत्य पर आधारित होता है उसका विलुप्त हो जाना अवश्यंभावी

*पत्रकारिता एवं जन्सम्प्रेषण विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0

है और यदि यह सत्य है कि अस्पृश्यता हिन्दू धर्म का अंग है तो मैं हिन्दू धर्म में बना नहीं रह सकता हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र नहीं अपितु अतिशूद्र के रूप में जन्म लूँ जिससे मैं उनके कष्ट एवं त्रासदी का साक्षी बनते हुए उन्हें इस स्थिति से मुक्त कराने का सार्थक प्रयत्न कर सकूँ। गाँधी जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अस्पृश्यता उस सर्प की भाँति है जिसका विष हमारे हिन्दू समाज को विषाक्त एवं जर्जरीभूत कर रहा है और इस सर्प को मारे बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। यह हमारे एवं हमारे राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। ईश्वर का कोई भक्त किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं से निम्न नहीं समझ सकता है। उसे तो प्रत्येक मनुष्य को स्वयं के भ्राता तूल्य समझना चाहिये। हिन्दू धर्म में दृष्टिगत होने वाली अस्पृश्यता का वर्तमान स्वरूप मानवता के विरूद्ध किया गया एक गंभीर अपराध है। यह एक ऐसी विषाक्त व्याधि है जो शनैः शनैः हिन्दू धर्म की प्राणवायु को हर रही है। यह एक ऐसी बुराई है जिसका यथाशीघ्र निर्मूलन किया जाना चाहिए, जो भारतवर्ष, संपूर्ण मानव जाति एवं हिन्दू धर्म के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। उच्च वर्णीय हिन्दुओं के लिए यह एक प्रायश्चित के कार्य जैसा है। अस्पृश्यता निवारण का कार्य मंदिर निर्माण की भाँति है। अस्पृश्यता के निवारण हेतु गाँधी जी के हृदय में एक गंभीर पीड़ा थी। जिसे एक आंदोलन का रूप देने के लिए गाँधी जी ने सभी जातियों तथा सवर्ण हिन्दुओं का भी आह्वाहन किया और कहा कि शुद्ध अंतःकरण से एवं निष्ठापूर्वक किये गये प्रयास से ही इसका अंत होगा। महात्मा गाँधी ने इन अस्पृश्य व्यक्तियों को 'हरिजन' नाम दिया। गाँधी जी ने इस दलितोद्धार आंदोलन में रत सभी व्यक्तियों से कहा कि प्रत्येक हिन्दू एक हरिजन को परिवार का सदस्य माने तथा प्रत्येक संपन्न हिन्दू एक हरिजन युवक या युवती को उच्च शिक्षा दिलाने का प्रयत्न करे जिससे उनके अंदर जागरूकता आ सके। गाँधी जी ने स्वयं भी इस व्यावहारिक आचरण का अनुशरण करते हुए कई हरिजन परिवारों को अपने आश्रय में आश्रय दिया था तथा उनकी संतानों को पुत्रवत स्नेह दिया। गाँधी जी ने हरिजनों के कल्याणर्थ 1932 में 'हरिजन सेवक संघ' नामक संस्था की स्थापना। 'हरिजन सेवक संघ' के माध्यम से इसके सदस्य अस्पृश्यों के हितों तथा उनके उत्थान के लिए कार्य करते थे। महात्मा गाँधी ने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन के प्रचार हेतु सन् 1933 में ''हरिजन'' नामक साप्ताहिक पत्र आंग्ल भाषा में निकालना प्रारम्भ किया। महात्मा गाँधी ने अस्पृश्यता के निवारण हेतु कई कार्यक्रम चलाये भारत की स्वतंत्रता के पश्चात हमारे संविधान निर्माताओं ने अस्पृश्यता निवारण हेतु जो विधि–विधान निर्मित किये उसमे गाँधी जी द्वारा चलाये गये अस्पृश्यता उद्धार आंदोलन की महती भूमिका है।

गाँधी जी द्वारा अस्पृश्यता के निवारण हेतु एक अत्यंत ही सराहनीय प्रयास किया गया। गाँधी जी ने जिन्हें 'हरिजन' कहा, सरकार ने उन्हें कुछ सुविधाएँ एवं संरक्षण प्रदान करने के लिए एक सूची निर्मित की जिसे 'अनुसूचित जाति' के रूप में जाना जाता है। गाँधी जी अछूत वर्ग से न होते हुए भी उनकी वेदना का अनुभव करते थे तथा उन्हें शान्तिपूर्ण एवं सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए तथा जीवन के समान अवसर सुलभ कराने के लिए जीवनपर्यन्त अग्रसर रहे। गाँधी जी के द्वारा किया गया यह प्रयास अभी भी पूर्णता की ओर अग्रसर है तथा बदलते भारतीय समाज में इस कुप्रथा के प्रति संघर्ष जारी हैं।

lanHk%

1. मुकर्जी, रवींद्र नाथ, भारतीय समाज एवं संस्कृति, विवेक प्रकाशन नई दिल्ली, 2009
2. शाह, घनश्याम, अस्मिताओं का सहअस्तित्व, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007
3. सिंह, योगेंद्र, कल्चरल चेंज इन इंडिया, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000
4. गुप्ता, राजेश, भारत में आरक्षण नीति, मानक पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000
5. यंग इंडिया, अंग्रेजी साप्ताहिक विचार पत्र, 25 मई, 1921, जीवत राय, भगवान दास कृपलानी, महात्मा गाँधी : जीवन और चिंतन, प्रकाशन विभाग, 1978

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 69-72

onkUr n'ku vkj Lokeh foosdkuUn

ikO vkfnR; ukjk;.k f=ikBh*

वेदों के अन्त में जिस दर्शन का उद्भव हुआ उसे औपनिषदिक या वेदान्त दर्शन कहते है। स्वामी विवेकानन्द के विचारों पर उपनिषदों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। कुछ उपनिषद तो ब्राह्मण ग्रन्थों के अन्तर्गत आते है। स्वामी जी ने उपनिषदो का अध्ययन ही नहीं किया अपितु उनके प्रतिपाद्य को आत्मसात करने का यत्न किया है। बृहदारण्यक उपनिषद का कथन है कि ''सन्मात्र हि ब्रह्म'' अर्थात् ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ईशोपनिषद को उद्धत करते हुये स्वामी जी कहते है कि ब्रह्म अनन्त आनन्द और अनन्त ज्ञान का स्त्रोत है। स्वामी विवेकानन्द आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध अभेद्य मानते थे। उन्होंने एक उद्धरण मुण्डकोपनिषद से लिया है जिसके द्वारा यह समझाने का प्रयास किया है कि जब निर्मल और पवित्र मनुष्य ईश्वर दर्शन कर इसी जन्म में धन्य हो जाता है तो उसकी सम्पूर्ण कुटिलता नष्ट हो जाती है और सन्देह दूर हो जाता है। डॉ0 वी0एस0 नरवणे के शब्दों में '' विवेकानन्द उपनिषद और गीता के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में '' विवेकानन्द वह समुन्द्र है जिसमें धर्म और राजनीति राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता, उपनिषद और विज्ञान सब समाहित होते है। स्वामी विवेकानन्द ने कठोपनिषद के उद्धरण के माध्यम से समझाते हुये कहा है कि अल्पबुद्धि मनुष्य वाह्य काम्य वस्तुओं के पीछे दौड़ता है, इसलिए चतुर्दिक व्याप्त मृत्यु के पाश में बंध जाता है किन्तु ज्ञानी मनुष्य बन्धनों के अधीन नहीं रहता है। स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार एक ही अग्नि जगत में प्रविष्ट होकर वाहय वस्तु के भेदरूप से पृथक्–पृथक् रूप धारण करती है, उसी प्रकार सब भूतों की एक अन्तरात्मा नाना वस्तुओं के भेद से तद्रूप हो गई है। सभी वेदान्ती वेदों के श्रुतरूप सृष्टि चक्र तथा ईश्वर सम्बन्धी विचारों में साम्य रखते है। स्वामी जी ने संसार के सभी धर्मों की नींव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वेदान्त पर निर्भर माना है। स्वामी जी ने वेदान्त दर्शन के वैशिष्ट्य का उल्लेख निम्न ढ़ंग से किया है–

1- mfÙk"Br tkxr ikI; ojkfUuck/kr& स्वामी जी के शब्दों में वेदान्त दर्शन हमें लक्ष्य तक पहुँचने की शक्ति प्रदान करता है। हमारे अज्ञानता और दुर्बलता को दूर भगाता है और अच्छे कार्य की ओर अग्रसर करने हेतु हमें शक्ति देता है।

2- ,d ln foik cgq/kk onfUr & सत्य एक है किन्तु ज्ञानी लोग उसी को नाना रूप में वर्णन करते है। स्वामी जी कहते है,कि इस महान सत्य का अन्वेषण सर्वप्रथम भारत में हुआ। यह एक वास्तविक तथ्य है कि व्यक्ति विभिन्न साधनों से उसी तत्व की खोज करता है। इसकी जानकारी वेदान्त के द्वारा होती है।

3- fHkUurk e ,drk & संसार के समस्त प्राणी एक–दूसरे से भिन्न है किन्तु उनके अन्दर व्याप्त आत्मा परमात्मा का ही अंश है। इस प्रकार भिन्नता में एकता का दर्शन वेदान्त से प्राप्त होता है।

4- mnkjrk ,o 0;kidrk & स्वामी जी का मानना है कि वेदान्त दर्शन को छोड़कर संसार के सभी धर्म दूसरे धर्म को हेय समझते है जबकि वेदान्त दर्शन समस्त प्राणियों को एक समान मानता है। वेदान्त दर्शन सभी प्राणियों में तथा सर्वत्र ईश्वर को उपस्थित मानता है।

5- /ke gh 0;fDr d thou dk e :n.M& स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात धर्म का थोड़ा भी कार्य महान भय से छुटकारा दिलाता है। स्वामी जी ने कहा यद्यपि कही राजनीति कही विज्ञान और कही मांसिक उन्नति मेरूदण्ड का कार्य करती है किन्तु भारत भूमि का मेरूदण्ड धर्म ही है।

6- v}rokn dk leFku& स्वामी जी ने विश्व के अनेक देशों में अद्वैतवाद का ही प्रचार किया। उनका मानना था कि परमात्मा पर विश्वास का तात्पर्य है अपने आप पर विश्वास करना और अपने आप पर विश्वास का अर्थ है परमात्मा पर विश्वास करना। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा एक दूसरे पृथक् से नहीं अपितु एक है।

*अध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग, सन्त तुलसीदास पी0जी कालेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, शोध अध्येता शिक्षाशास्त्र, श्री वेंकटेश्वर गजरौला, अमरोहा, उ0प्र0

7- }rHkkouk vfo|k dk irhd & वेदान्त के अनुसार द्वैतभावना ही अविद्या को प्रतिबिम्बत करता है। जब आत्मा और परमात्मा के ऐक्य का ज्ञान होता है तो उसी को मोक्ष कहते है और वही विद्या है।

8- lklkfjd l[k thou dk y{; ugh& वेदान्तदर्शन सांसारिक सुख के प्रति उदासीन है। वह संसार को हेय और तुच्छ समझता है। वेदान्त के अनुसार ईश्वर ही सत्य है और जगत् मिथ्या है। स्वामी जी अपने प्रवचनों में प्रायः यह कहा करते थे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भोग, विलास की इच्छा व्यक्ति को पतन की ओर तथा त्याग की भावना उसे अभीष्ट की ओर ले जाती है।

9- onkUr ofod /ke g & स्वामी जी का मानना है कि विश्व के जितने भी धर्म है, वे अपने सस्थापकों से पूर्णरूपेण सम्बद्ध है किन्तु वेदान्त दर्शन किसी व्यक्ति के जीवन पर आधारित नही है। इसकी रचना अनन्त काल से स्थायी सिद्वान्तों के आधार पर हुई है। इसलिए यह सार्वभौमिक है।

Lokeh fooekuUn dk n'kZu vkSj fo'k"krk;s %

स्वामी विवेकानन्द ने किसी दर्शन का प्रणयन नही किया अपितु वे वेदान्त दर्शन के आधुनिक युग के अग्रदूत एवं विचारक थे। उन्होने अपने विचारों को जिसप्रकार वेदान्त के सन्दर्भ में लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया वह श्लाघ्य है। स्वामी जी की प्रतिभा का लोहा सम्पूर्ण विश्व मानता था। उनके विचार तर्क सम्मत समयानुकूल तथा वैज्ञानिकता से ओतप्रोत होते थे। उनके दार्शनिक विचार भारत यूरोप तथा अमेरिका में दिये गये भाषणों में दृष्टिगोचर होते है। भारत में वेदान्त की व्याख्या में तीन सम्प्रदाय प्रमुख स्थान रखते है– द्वैतवाद के समर्थक मध्वाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद् के रामानुजाचार्य एव अद्वैतवाद के मुखर पोषक शंकराचार्य जी थे। स्वामी विवेकानन्द अपने समय के अद्वैतवाद के पोषक और प्रमुख विचारक थे।

स्वामी विवेकानन्द के विचारों को अधोलिखित बिन्दुओं के माध्यम से अच्छे ढ़ंग से समझा जा सकता है–

1- Lkf"V& स्वामी जी का मानना है कि सृष्टि उद्भव के समय आदिशक्ति का प्रभाव आकाश पर पड़ता है जिससे वह क्रियाशील होने लगता है और जैसे–2 वह क्रियाशील होता है स्थूल पदार्थो की उत्पति होती है। स्वामी जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जगत की रचना तभी होती है जब आकाश पर आदिशक्ति का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक दशा का जन्म उत्थान और पतन होता है। यही सृष्टि का रहस्य है। आत्मा के बारे में स्वामी विवेकानन्द जी ने गाता का उद्धरण देते हुये बताया कि :–

uSu fNUnfUr 'kL=kf.k uSu ngfr ikod%A
u pSu Dyn;UR;ki% u 'kks"k;fr ek:r%AA

अर्थात् आत्मा अविनाशी है न तो शस्त्र से काटा जा सकता जा है। न अग्नि से जलाया जा सकता है और पानी इसे आर्द्र नही कर सकता तथा वायु इसे सुखा नहीं सकता यह आत्मा प्रत्येक जीवधारी में व्याप्त है। आत्मा परमात्मा का अंश है। इसलिए यह न तो स्त्री है और न पुरूष। आत्मा की प्राचीनता एवं नवीनता तथा लिंग भेद करना केवल भ्रम है।

स्वामी जी का मानना है कि प्रत्येक मनुष्य में शरीर और मन से भिन्न, दोनों को गतिशील बनाये रखने में जो समर्थ है, उसे आत्मा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक आत्मा में सहानुभूति धारणा तथा भाव पाया जाता है। यही गुण एक आत्मा के बन्धन का मुख्य कारण है अज्ञानता, इससे छुटकारा पाने के लिए ईश्वर की आराधना भक्तिपूर्वक आवश्यक है।

2- bZ'oj& स्वामी विवेकानन्द जी ईश्वर को सर्वव्यापी और सर्वगुण सम्पन्न मानते थे। स्वामी जी के अनुसार– ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षर परम ओमित्येकाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्।

अर्थात ऊँ ही ब्रह्म है, ऊँ ही परमसत्ता है जो ऊँकार का रहस्य जानते है, वे जो चाहते है उन्हें वह प्राप्त होता है। अद्वैतवादी जीवात्मा के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार नही करते अपितु माया ही जीवात्मा के अस्तित्व का कारण है। यथार्थ में जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। निम्न से निम्न प्राणवान तथा मनुष्य तक में एक ही ईश्वर का वास है। स्वामी जी के शब्दों में –

leSo lk';uq fg loZe le;kfLrehZ'ojeA
u fg u gRokRekuk ekuq rrks ;kfr ijka xfreAA

जो व्यक्ति अपनी आत्मा को सभी प्राणियों में तथा सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में स्थित देखता है, वह सब तरह ईश्वर को सर्वत्र समभाव से अवस्थित देखता हुआ, आत्मा, परमात्मा की हिंसा नही करता। और व्यक्ति में जब ऐसी भावना आ जाती है तो उस पर से अज्ञान का आवरण हट जाता है। स्वामी जी के अनुसार ईश्वर न तो प्रकृति के बाहर है। और न तो भीतर ही अपितु ईश्वर आत्मा प्रकृति संसार ये सब पर्यायवाची है।

3- vkRekuHkfr& स्वामी जी इसे ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते है। ज्ञान वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसने अपने मन को नियन्त्रित कर लिया है तथा इन्द्रियों के साधनों का निग्रह कर लिया है। आत्मानुभूति के लिए शम और दम के बाद उपरति की आवश्यकता होती है। भोग्य विषयों का चिन्तन न करना ही उपरति है। इसके पश्चात तितिक्षा की स्थिति आती है। आये हुये दुःख या अनुतापों के सम्बन्ध में न सोचना, न ही उस पर विचार करना। यहाँ तक कि अनुताप को मन में उत्पन्न न होने देना ही तितिक्षा है। और ज्ञानी होने के लिए चौथा गुण श्रद्धा है। स्वामी जी के अनुसार ईश्वर में अटूट विश्वास और उसको पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा को ही श्रद्धा कहते है। इसके उपरान्त की उपस्थिति को समाधान कहते है। समाधान के अन्तर्गत व्यक्ति अपने चित्त को अनवरत् ईश्वर में लगाने का यत्न करता है। निरन्तर अभ्यास से मन को नियन्त्रण में लाया जा सकता है। ज्ञान प्राप्ति का एक सोपान मुमुक्षत्व है, अर्थात् मुक्त होने की उत्कट अभिलाषा। ज्ञान प्राप्ति की अन्तिम प्रक्रिया को नित्यानित्य विवके कहा जाता है। सत्य–असत्य शाश्वत परिवर्तनशील सुख–दुःख में अन्तर का ज्ञान ही नित्यानित्य विवेक है। स्वामी जी का मानना है कि शुद्ध हृदय ही सत्य के प्रतिबिम्बन के लिए सर्वोत्तम दर्पण है।

4- ;kx& मानव जीवन का उद्देश्य है, जीवन–मरण के बन्धन से मुक्त होना। और मुक्ति तभी मिल सकती है। जब योग द्वारा ब्रह्म की अनुभूति करें। योग का तात्पर्य है, अपने को वास्तविकता से जोड़ना। अर्थात् योग आत्मा को ब्रह्म से मिलाता है। स्वामी जी ने योग को चार भागों में विभक्त किया है।

A- HkfDr ;kx & प्रेम भक्ति योग का सुखद एवं स्वाभाविक मार्ग है क्योंकि इस ब्रह्माण्ड का प्रत्येक प्राणी ईश्वरमय है। अतः पूज्य प्रार्थना के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

B- Kku ;kx& स्वामी जी के अनुसार सत् और असत् में भेद न कर पाना अज्ञान है और इसका भेद कर लेना ज्ञान है। ज्ञान योग के अन्तर्गत आत्मा को वास्तविक माना जाता है और अन्य को माया। ज्ञान योग की अंतिम अवस्था में समस्त भेद समाप्त हो जाते है।

C- de;kx& श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा मन को शुद्ध करना ही कर्म योग है। शुभ कर्म मन को स्वच्छ करता है और यही विद्या है इसी से ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। स्वामी जी ने कर्मयोग को जीवन का मंत्र बताया तथा निष्काम कर्म को सर्वोच्च स्थान दिया।

D- jkt ;kx& अमरता प्राप्त करने के लिए मन और शरीर पर कठोर अनुशासन की आवश्यकता है। यह मोक्ष प्राप्ति का सबसे निश्चित एवं सत्वर फलदायक पथ है। इसीकारण इसे योगों का राजा मानकर राजयोग कहते है। राजयोग के मुख्य अंग प्राणायाम ध्यान और धारणा है। शरीर एवं मन में निहित सामान्य प्रवृत्तियों के द्वारा विचलित, शक्ति का अपव्यय हाने से आत्मा शिथिल और निर्बल हो जाता है। अतः इस अवव्यय को कठोर साधना एवं अभ्यास द्वारा रोककर शक्ति को संचित किया जाता है जो हमें ईश्वर की ओर प्रेरित करती है।

5- vkRel;e& जो कार्य एवं विचार आत्मा की अभिव्यक्ति में सहायक हों एवं शक्ति को प्रकाशित करते हों वही व्यक्ति को करना चाहिये– यही आत्मसंयम है। स्वामी जी ने आत्मसंयम के बारे कहा कि, वासनाओ का दास न बनना, किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में असकी निन्दा न करना, किसी की बुराई न सुनना, दूसरों के साथ नम्रता एवं सहानुभूति का व्यवहार करना कथनी एवं करनी में एकरूपता स्थापित करना, इसप्रकार जो भी व्यक्ति अपने को संयमित कर लिया है, उसे कोई भी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती।

6- HkfDr& ईश्वर के प्रति अतिशय प्रेम को भक्ति कहते है। स्वामी जी ने कहा कि भक्ति की भावना सभी धर्मों में पाई जाती है। भक्ति भावना से चित्त शुद्व होता है। प्राकृतिक रूप से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। कोई ज्ञान के माध्यम से तो कोई भक्ति के माध्यम से ब्रह्म की अनुभूति कर सकता है। स्वामी जी ने अहेतुकी भक्ति को सर्वोत्तम बताया है।

7- txr& स्वामी जी ने दो प्रकार के जगत को स्वीकार किया है– एक वाहय या वहिर्जगत, जिसमें समस्त प्राणी एवं जड़ वस्तुयें पाई जाती है। यह दृश्यमान संसार नाशवान है। ईश्वर की इच्छा होने पर इस जगत की पुनः सृष्टि होती है। स्वामी जी की मान्यता है कि यह संसार कार्य–कारण सिद्धान्त के आधार पर विकास और विनाश को प्राप्त करता है। दूसरा जगत है अन्तर्जगत्। इस जगत को समझना बहुत ही कठिन है। इसको तभी जाना जा सकता है जब हम यह विचार करें कि शरीर का अन्त क्यों होता है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य का क्या होता है। इस सम्बन्ध में स्वामी जी का विचार है कि शरीर के पीछे सूक्ष्म शरीर या मन होता है और उसके भी पीछे आत्मा विद्यमान है। स्थूल शरीर को मन से तथा मन को आत्मा से शक्ति मिलती है और आत्मा के और आगे परमात्मा है। इस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्मतम क्रम में अन्तर्जगत है।

8- i|u tUe& स्वामी जी ने पुनर्जन्म को सत्य माना है। उन्होंने कहा कि जब आत्मा यह देखता है कि इस वर्तमान शरीर से कार्य कर पाना सम्भव नही है और वह पूरा कार्य सम्पादित करना चाहता है तो वह इस शरीर को त्यागकर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। स्वामी जी गीता के इस उद्धरण मे विश्वास करते है यथा :–

okl|kfl th.kkfu ;Fkk fogk; uokfu xg.kkfr ujk·ijkf.kA
rFkk 'kjhjkf.k fogk; th.kkU; U;kfu l;kfr uokfu nghAA

स्वामी जी ने पुनर्जन्म की पुष्टि में भौतिकशास्त्रियों और पुनर्जन्मवादियों के मत को भी उद्धत किया है। भौतिकवादी मस्तिष्क को सभी कर्मों का आधार होने और वीजाणुओं के द्वारा उनके संक्रमण का सिद्धान्त मानते है। तथा पुनर्जन्मवादी यह मानते है कि सभी अनुभव प्रवृत्तियों के रूप में अनुभव करने वाले जीवात्मा में संगृहीत रहते है। और उसे अविनाशी जीवात्मा के पुनर्जन्म द्वारा संक्रमित किये जाते है। उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि स्वामी जी ने वेदान्त दर्शन को जीवन में आत्मसात ही नहीं किया, अपितु उसे देश–विदेश में अपने वक्तव्यों के माध्यम से लोकप्रिय भी बनाया।

LkUnHk%

1. स्वामी विवेकानन्द : वेदान्त, श्री रामकृष्ण मठ, धन्तौली, नागपुर, 1975, पृ0 4–5
2. स्वामी भाष्करेश्वरानन्द : विवेकानन्द संचयन, श्री रामकृष्ण आश्रम, धन्तौली, नागपुर, 1974, पृ0 230
3. स्वामी बुधानन्द : विवेकानन्द साहित्य, षष्ठ खण्ड, अद्वैत आश्रम, कलकत्ता–4, 1973, पृ0 312
4. लक्ष्मी नारायण गुप्त महान भारतीय शिक्षाशास्त्री, कैलास प्रकाशन, इलाहाबाद, 1972, पृ0 269
5. श्रीमती आशा प्रसाद : स्वामी विवेकानन्द एक जीवनी, सिंधु पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 1973, पृ0 108,
6. सरयू प्रसाद चौबे : भारतीय और पाश्चात्य शिक्षाशास्त्री, रामप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा–3, 1969, पृ0 17
7. स्वामी विवेकानन्द : वर्तमान भारत, प्रकाशक स्वामी ब्रह्मस्थानन्द, रामकृष्ण मठ, नागपुर, पन्द्रहवाँ संस्करण
8. डॉ0 वैद्यनाथ प्रसाद वर्मा : विश्व के महान शिक्षाशास्त्री, बिहारी हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना–3, 1972, पृ0 127
9. स्वामी व्योम कृपा नन्द (प्रकाशक) विवेकानन्द जी के उद्गार, श्री रामकृष्ण आश्रम, धन्तौली, नागपुर, 1978, पृ0 34–35

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 73-76

lpuk iks|kfxdh vkj xzkeh.k fodkl

fot; dqekj xqIrk*

lkjka'k % प्रस्तुत शोध प्रलेख के अर्न्तगत सूचना प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास के बीच अन्तर्निहित भूमिका का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया। वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी विकास की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान किया है। नवाचारों के प्रोत्साहन एवं कृषि के आधुनिक साधन से लेकर फसल सुरक्षा, जनधन, आधार, ई बस्ता, ई–चौपाल, जनसेवा केन्द्र आदि जागरूकता के प्रचार प्रसार से जुड़ी ग्रामीण विकास एवं ग्रामीणों की तमाम समस्याओं के समाधान में सूचना प्रौद्योगिकी उपयोगी साबित हो रही है। प्रस्तुत शोध प्रलेख उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के काशी विद्यापीठ विकासखण्ड के सीरगोर्वधनपुर गाँव के अध्ययन पर आधारित है, जो अन्वेषणात्म्क एवं वर्णानात्मक शोध प्रारूप पर आधारित है। इसके अर्न्तगत सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों, उनके अभिलक्षणों व स्वरूपों का प्रस्तुतीकरण, उत्तरदाताओं का सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति उन्मेषों का विश्लेषण किया गया है।

e|[; 'kCn % सूचना प्रौद्योगिकी, विकास, ग्रामीण, संचार माध्यम।

गाँवों के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे आस–पास की दुनियाँ बड़ी तेजी से बदलती जा रही है। आज जब सम्पूर्ण विश्व में वैश्वीकरण उदारीकरण तथा निजिकरण की लहर दौड़ रही है, ऐसे में मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से प्रचार–प्रसार के चलते इसने एक क्रान्ति का रूप ले लिया है। यही नहीं सूचना प्रौद्योगिकी की इस क्रान्ति के कारण आज सम्पूर्ण विष्व का 'ग्लोबल विलेज' के रूप में परिवर्तित हो गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया की बदौलत ही व्यक्ति पलक झपकते ही सारी दुनिया से सम्पर्क स्थापित कर रहा है। अतः यह कहना अतिश्योक्तिपूर्ण नही है कि सूचना प्रौद्योगिकी वर्तमान में मानव जीवन का एक अहम व अभिन्न हिस्सा बनता जा रहा है। जिसके बिना विकास की कल्पना को साकार करना सम्भव नहीं है।

यद्यपि भारत गाँवों का देश है तथा देश की आत्मा गाँवों में निवास करती है। अतः देश के लिए प्रगति व विकास के पथ पर अग्रसर होना सम्भव है, जब उसके गाँव के विकास की दौड़ में समावेषित हो, गाँव सम्पन्न, खुशहाल व विकसित हो गाँवों को विकास पथ पर अग्रसर करने में मीडिया, सूचना, प्रौद्योगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण है। ज्ञातव्य है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। सूचना क्रान्ति के इस युग में यह जरूरी है कि गांवों में भी कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा एवं यातायात आदि में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास किया जाये। जिस प्रकार सामाजिक–सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन सूचना क्रान्ति से प्रभावित और परिवर्तित हो रहा है। उसी प्रकार शासन की कार्यशैली भी परिवर्तित हो रही है। विगत पिछले कुछ वर्शो में सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया के प्रसार से जो नए युग का सूत्रपात हुआ उससे हमे ईमेल, इण्टरनेट जैसे महत्वपूर्ण उपकरण एवं प्रणालियाँ मिली। आज हम कई प्रकार के शब्द जैसे– ई–मेल, ई–विजनेस, ई–बैकिंग, ई–शिक्षा, ई–चैट, ई–कामर्स वीडियो कान्फ्रेसिंग आदि सुनते रहते है, जिससे समाज में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बढ़ते प्रभाव का सहज अनुमान लगा सकते है।

सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढाँचे के इस विस्तार के फलस्वरूप गाँवों में ई–क्रान्ति की लहर और तेजी से चलने लगी है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए 'डिजिटल इण्डिया' के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक अभिनव योजनायें चलाई गई है जो स्थानीय स्तर पर उपयोगी भूमिका निभा रही है। जैसे– ई–प्रशासन, ई–चौपाल, जन सेवा केन्द्र, किसानों को कृषि सम्बन्धी, किसान काल सेण्टर, रूरल नालेज सेण्टर, भू–अभिलेखों का रख रखाव, विशिष्ट पहचान संख्या (आधार कार्ड), सोलर प्लेट, साइबर कैंफे, ई–साक्षरता आदि। इन प्रमुख ई–सेवाओं के अलावा सूचना प्रौद्योगिकी की अनेक सेवाऐं चल रही है और हर वर्ष अन्य नई–नई सेवाऐं भी सामने आ रही है। ये सभी सेवाऐं एवं योजनाएँ इस आशा को बाँधती है कि ग्रामीण पुननिर्माण में गति प्रदान करेगी।

*शोधछात्र, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0

प्रस्तुत शोध पत्र से सम्बन्धित कुछ प्रमुख पूर्ववर्ती अध्ययन जिसमें रूद्र दत्त एवं सुन्दरम (2009), कुमार व वेस्ट (2010), जीमेलउन्नी, एवं नायक (2011), संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम प्रोजेक्ट के निदेशक जैफ्री सैप्श "The end of Poverty" स्वामीनाथन, एम0 एस0 इत्यादि के अध्ययन महत्वपूर्ण है।

प्रस्तुत शोध प्रपत्र के मुख्य उद्देश्य निम्न है – सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया के अभिलक्षणों, स्वरूपों का प्रस्तुतीकरण करना, उत्तरदाताओं का सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया के प्रति रूचि का पता करना तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया का ग्रामीण विकास में इनकी भूमिका का विश्लेषण करना है। इससे सम्बन्धित कुछ शोध प्रश्नों के माध्यम से शोध प्रपत्र को वैज्ञानिकता प्रदान की गई है, जो निम्न है–सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया के आधुनिक साधन क्या है? सामाजिक गतिविधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बीच सम्बन्ध? सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया का ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है?

प्रस्तुत शोध प्रपत्र उ0प्र0 के वाराणसी जनपद के काशी विद्यापीठ विकासखण्ड के सीरगोवर्द्धनपुर गाँव पर आधारित है। इस गाँव की आवासीय संख्या 295 है, जिसमें से 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का चयन आनुपातिक दैवनिदर्शन के आधार पर किया गया है। इस प्रकार कुल 29 उत्तरदाताओं का चयन किया गया, जिसमें 4 उत्तरदाताओं के अनुपस्थित रहने के कारण कुल 25 उत्तरदाताओं को ही निदर्श के रूप में लिया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रपत्र में अन्वेषणात्मक सह वर्णनात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया गया है। इस शोध प्रपत्र के अर्न्तगत प्राथमिक एवं द्वितीय स्त्रोतों से तथ्यों का संकलन किया गया है। प्राथमिक स्त्रोत के रूप में साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से चयनित परिवारों के मुखियाँ से वांछित सूचनाओं को संकलित किया गया है।

इस शोध प्रपत्र का सामान्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया का ग्रामीण विकास में भूमिका का विश्लेषण किया गया है। इसमें आँकड़ों को नियमित तथा सुव्यवस्थित रूप से रखते हुये सरल सारणी में प्रतिशत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात तथ्यों के विश्लेषण एवं निवर्चन के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में सामान्यीकरण की स्थापना गयी है। जिसके आधार पर तथ्यों को विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष निम्न है– उत्तरदाताओं की आयु, जाति, धार्मिक स्थिति, आवासीय पृष्ठभूमि, परिवार का स्वरूप, आय–भू–स्वामित्व से सम्बन्धित तथ्यों का विवेचन किया गया है।

तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि आयु की दृष्टि से अध्ययन के अधिकांश उत्तरदाता (35 प्रतिशत) 40 से 50 वर्ष के बीच आयु समूह के है जो ग्रामीण समाज में परिपक्वता का द्योतक है। ग्रामीण सांस्कृतिक परिवेश के कारण शत प्रतिशत उत्तरदाता पुरुष है, इसलिए महिलाओं का सहयोग प्राप्त नहीं हो सका।

जातिगत स्थिति के संदर्भ में अधिकांशत (49 प्रतिशत) उत्तरदाता पिछड़ी जाति से सम्बन्धित है। जिसमें मुख्यतः यादव, कुर्मी लोहार इत्यादि है जो इस क्षेत्र में उनकी बहुलता को प्रदर्शित करता है। (100 प्रतिशत) उत्तरदाता हिन्दू धर्मावलम्बी है। उत्तरदाताओं की शैक्षिक स्थिति के सम्बन्ध में देखा गया है कि अध्ययन के उत्तरदाता अधिकांशतः (90.67 प्रतिशत) शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते है जबकि (9.33 प्रतिशत) उत्तरदाता अशिक्षित है, अर्थात् परिवार के कर्ता के रूप में परम्परागत अशिक्षित लोगों का वर्चस्व समाप्त हो रहा है।

उत्तरदाताओं की व्यवसायिक पृष्ठभूमि पर विचार करते हुये स्पष्ट हुआ है कि निदर्शन में सर्वाधिक संख्या (40.67 प्रतिशत) कृषि करने वाले उत्तरदाताओं की तथा (19.67 प्रतिशत) मजदूरी एवं (19.33 प्रतिशत) नौकरी करने वाले उत्तरदाताओं के है, किन्तु निदर्शन में कृषि और मजदूरी करने वाले उत्तरदाताओं का प्रभुत्व है।

उत्तरदाताओं के परिवार के स्वरूप के सम्बन्ध में तथ्य अवगत कराते है कि अधिकांश (52.67 प्रतिशत) उत्तरदाता संयुक्त परिवार के है। परिवार के आकार के सम्बन्ध में सर्वाधिक (52.67 प्रतिशत) उत्तरदाता 6–10 सदस्य वाले परिवार से सम्बन्धित है, जबकि सबसे कम (2.67 प्रतिशत) उत्तरदाता 16–20 सदस्य वाले परिवार से सम्बन्धित है। सर्वाधिक (39.7 प्रतिशत) उत्तरदाताओं की पारिवारिक मासिक आय 6001 से 10000 तक के बीच है। 41.00 प्रतिशत उत्तरदाता ऐसे है, जिनके पास अधिक से अधिक 0–5 बीघे तक जमीन है।

''ग्रामीण विकास में सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया के परम्परागत एवं आधुनिक साधनों के प्रति रूचि'' के अर्न्तगत आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया के साधनों का अस्तित्व उनके प्रति ग्रामीण व्यक्तियों की रूचि, उत्तरदाताओं का सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के उपयोग की प्रवृत्ति तथा उससे लाभ के स्वरूप से सम्बन्धित तथ्यों को विवेचित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी के आधुनिक साधनों के सम्बन्ध में लोगों का क्या विचार है, से सम्बन्धित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः (75.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया के प्रति रूचि

रखते है। आयु के आधार पर सर्वाधिक (97.62 प्रतिशत) 25–35 आयु वर्ग के उत्तरदाता और आय के आधार पर सर्वाधिक (94.96 प्रतिशत) 6000–10000 रूपये मासिक आय वाले उत्तरदाता सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया के आधुनिक साधनों के सम्पर्क में है।

सामाजिक गतिविधि एवं सूचना प्रौद्योगिकी के अर्न्तगत विकास कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता, शिक्षा के प्रति जागरूकता, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता से सम्बन्धित तथ्यों को विवेचित किया गया है। जिसका विवरण निम्न है–

सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों के फलस्वरूप विकास कार्यक्रम के सम्बन्ध देखने से स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः (90.00 प्रतिशत) उत्तरदाता यह स्वीकार करते है कि विकास कार्यक्रम के प्रति जागरूकता आयी है। जबकि कुछ (10 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि कोई विशेष जागरूकता नहीं आयी है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया में शैक्षिक जागरूकता वाले कार्यक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों के प्रभाव को स्वीकार करने वालों में सर्वाधिक (68.33 प्रतिशत) उत्तरदाता है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने में मीडिया एवं सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों को महत्वपूर्ण मानने वाले उत्तरदाता सर्वाधिक (88.67 प्रतिशत) है। अधिकारों के प्रति जागरूकता के प्रति राय व्यक्त करने के सम्बन्ध में अधिकांशत (73.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं का मानना है कि जागरूकता आयी है।

''सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया का ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है'' से सम्बन्धित तथ्यों को देखने से स्पश्ट होता है कि ई–प्रशासन, सूचना की भूमिका, कृषि प्रौद्योगिकी जातिगत प्रभाव में कमी पर प्रभाव इत्यादि को विश्लेषित किया गया है।

चयनित क्षेत्र के अध्ययन से प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि ई–प्रशासन के माध्यम से भ्रष्टाचार तथा लालफीताशाही में कमी आयी है ऐसा अधिकांशतः (83.67 प्रतिशत) उत्तरदाता मानते है। राष्ट्रीय विकास में ''सूचना'' की भूमिका महत्वपूर्ण है। सूचना के अभाव में बेरोजगार युवक रोजगार से वंचित हो जाते है। किसान अच्छी फसल, अच्छे बीज, अच्छे प्रतिफल से वंचित रह जाते है। ऐसे में अधिकांशतः (80.67 प्रतिशत) उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है कि ''सूचना'' की भूमिका महत्वपूर्ण है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया के साधनों के फलस्वरूप जातिगत भेदभाव एवं अशिक्षा में कमी आयी है। इस तथ्य को अधिकांशतः (90.33 प्रतिशत) उत्तरदाता स्वीकार करते है।

ieq[k miyfC/k;k&

- सूचना प्रौद्योगिकी तथा मीडिया के साधनों में युवा आयु वर्ग तथा 6001 से 10000 मासिक आय वाले व्यक्तियों की रूचि अधिक है।
- सूचना

प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय के जीवन में रहन–सहन के स्तर, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, जातिगत भेदभाव में कमी तथा जागरूकता में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया के साधनों के फलस्वरूप अपने अधिकारो के प्रति जागरूकता आयी है।
- सूचना प्रौद्योगिकी तथा मीडिया के फलस्वरूप ग्रामीण विकास के नये आयाम स्थापित हो रहे है, भ्रष्टाचार में कमी आयी तथा समय की बचत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

xkeh.k {k=k e lpuk ik|kfxdh dh pukfr;k ग्रामीण क्षेत्रो में निरक्षरता, सूचना प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग, आधारभूत सुविधाओं तथा प्रशिक्षित कर्मचारियों का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर, इण्टरनेट, बिजली आदि की कमी उपलब्धता, ग्रामीणजनों की सोच परम्परावादी तथा रूढ़िवादी होना, तकनीकी भाषा व आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के साधनों के उपयोग से अनभिज्ञता आदि।

l>ko &

- सूचना प्रौद्योगिकी व मीडिया की महत्वपूर्ण प्रभावकारी भूमिका को देखते हुये साधनों को ऐसा चाहिए कि वह किसी भी देश या समय के निचले स्तर के लोगों की समस्याओं को दूर करने में उपयोगी हो।
- ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अशिक्षा को समाप्त किया जाये।
- आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाया जाये तथा इण्टरनेट और बिजली की सुनिश्चितता स्थापित की जाये।
- सूचना प्रौद्योगिकी एवं मीडिया के साधनों द्वारा उनके अधिकारो दायित्वों तथा उनकी सामाजिक सहभागिता इत्यादि के प्रति जागरूक बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

I UnHk% %

1. आम्टे, डी0 पी0 2006; 'सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण की प्रविधि', विश्वभारती पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,
2. आहूजा, राम 2008; 'सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान', रावत पब्लिकेसन, जयपुर,
3. अहमद, मेराज 2007; 'विकास का समाजशास्त्र', विश्व प्रकाशन (न्यू एज इण्टरनेशनल प्रा0 लि0 प्रभाग), नई दिल्ली,
4. कार्णिक, किरण ; 'भारत में सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा–बी0 पी0 ओ0 परिदष्श्य, योजना, अक्टूबर 2005, पेज संख्या–59
5. गौतम, नीरज : 'मोबाइल क्रांति ने दी ग्रामीण विकास की दिशा', कुरूक्षेत्र प्रकाशन विभाग, सूचना और मंत्रालय, नई दिल्ली, फरवरी–2014, पेज संख्या–14–20।
6. देसाई, ए0 आर0 : 'भारतीय ग्रामीण–समाजशास्त्र', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पुर्नमुद्रण 2010।
7. दूबे, श्यामचरण : 'भारतीय ग्राम', वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पुर्नमुद्रण 2013।
8. जोशी, हेमन्त : 'ग्रामीण क्षेत्र में जारी प्रौद्योगिकी का नवप्रवर्तन', कुरूक्षेत्र प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, नई दिल्ली, जुलाई, पेज संख्या 3–6।
9. पाण्डेय, पी0 एन0 : 'ग्रामीण विकास एवं संरचनात्मक परिवर्तन', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2000।
10. भण्डारी, जयन्तीलाल : 'भारतीय अर्थव्यवस्था और सूचना प्रौद्योगिकी, योजना, मार्च 2006, पेज संख्या–43–48।
11. भारत (2016), सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
12. रहमान, ए0 : 'सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक संरचना', ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2013।
13. राजगडिया, विष्णु : 'जनसंचार सिद्धांत एवं अनुप्रयोग', राधाकष्ष्ण पब्लिकेशन्स दरियागंज, नई दिल्ली, 2013।
14. राय, नीरज : 'सूचना प्रौद्योगिकी और सामाजिक संरचना', ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2013।
15. रावत, हरिकृष्ण, : सामाजिक शोध की विधियाँ', रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2013।
16. गुप्ता, एस0 वी0 : 'अनुसंधान संदर्शिका', सम्प्रत्यय कार्यविधि एवं प्रविधि, शारदा प्रकाशन, इलाहाबाद 2015।
17. राय, पारसनाथ : 'अनुसंधान परिचय', जनरल बुक एजेन्सी, पटना, तृतीय संशोधित संस्करण–2006।

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 77-79

dVhj m|kxk e dk;jr cky Jfedk dh lkekftd&vkfFkd leL;k dk lekt'kkL=h; fo'y"k.k

MkO lnhi dekj*

आज बाल श्रम एक वैश्विक समस्या है। विकसित एवं विकासशील दोनों ही समाजों में चौदह वर्ष या उससे कम आयु के बच्चे संगठित और असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं। वर्ष 1998 के मानव विकास प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1983 से 1990 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल श्रम संबधित कानूनों के उल्लंघन में 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और मात्र न्यूयॉर्क सिटी के वस्त्र उद्योग में 1.50 लाख बच्चे कार्य करते हैं।

यद्यपि विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिये यह समस्या एक गंभीर चुनौती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में बाल श्रमिकों की समस्या उनकी संख्या है। इनकी संख्या एक करोड़ अस्सी लाख से कम नहीं है, परन्तु गैर–सरकारी संस्थाओं का आकलन है कि यह संख्या चार करोड़ से कम नहीं है। जनवरी 2000 में प्रकाशित विश्व बैंक के प्रतिवेदन में कहा गया है कि भारत में बाल श्रमिकों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है।

भारत में बाल श्रमिकों का एक बहुत बड़ा भाग 91.4 प्रतिशत कृषि एवं पशुपालन में संलग्न है। इनके द्वारा किया जाने वाला कार्य कठोर नही है। ये बच्चे जिन परिस्थितियों में कार्य करते हैं, वे पूर्णतः अमानवीय और कठोर नहीं होती है। कार्य–स्थल पर जलवायु एवं ध्वनि प्रदूषण का स्तर काफी निम्न होता है। प्रायः बच्चे कार्य करने के दौरान अपने परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीण–जनों के साथ ही कार्य में सहयोग करते हैं।

भारत वर्ष में जहाँ पर्याप्त मात्रा में मानव संसाधन उपलब्ध हैं, वहाँ कुटीर एवं घरेलू उद्योगों का मशीनीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण विशेषतः डिजाइनिंग एवं कण्ट्रोल या उस जैसे उत्पाद बनाने वाले आधुनिक उद्योगों की स्थापाना करने की अनुमति देना, स्थापना करने देना या उसको स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन देना एक प्रकार से उन लोगों के हाथों से रोजगार छिनने के बराबर है जो लोग घरेलू एवं कुटीर उद्योगों में हस्तशिल्पी कार्य करते हैं।

इन सभी कारणों से घरेलू एवं कुटीर उद्योगों में कार्यरत हस्तशिल्पियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस आर्थिक समस्याओं के परिणामस्वरूप इन लोगों को सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धन की कमी के कारण सामाजिक आवश्यकताएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। ऐसी स्थिति में ये कारीगर या हस्तशिल्पी माता–पिता, परिवार का मुखिया या अभिभावक अपने आर्थिक समस्याओं तथा उससे उत्पन्न सामाजिक समस्याओं को हल करने तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अपने बच्चों को अपने साथ या कहीं अन्यत्र काम पर लगा देते हैं।

इस प्रकार जब ऐसे बच्चे अपनी तथा अपने परिवार की दैनिक आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आर्थोपार्जन के लिए काम करते हैं तो उनका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। बाद में यही बच्चे समूह, समुदाय, समाज, राज्य एवं राष्ट्र के विकास में भी बाधा उत्पन्न करते हैं।

यद्यपि ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकों के विपरीत नगरीय औद्यौगिक क्षेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों की संख्या कम है, परन्तु ये बाल श्रमिक प्रत्येक दृष्टि से अत्याधिक असुरक्षित होते हैं। घरेलू औद्यौगिक इकाइयों, रासायनिक कारखानों और निर्माण कार्यों में लिप्त बाल श्रमिकों को कठोर कार्य दूषित परिवेश में सम्पादित करना होता है। कार्य–स्थल पर जलवायु एवं ध्वनि प्रदूषण का स्तर अत्यन्त उच्च होता है। इनके मालिकों तथा इनके साथ कार्य करने वाले वयस्क श्रमिकों का व्यवहार भी इनके प्रति अच्छा नहीं होता है। कम वेतन पर इन्हें अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है।

*असि0 प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग), इ0सि0स्व0सं0से0 राजकीय महाविद्यालय, पचवस, बस्ती (उ0प्र0)

भारत सरकार ने बाल श्रम की प्रथा को समाप्त करने के लिये समय–समय पर अनेक संवैधानिक और विधिक उपाय किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 (क) के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालक अथवा बालिका को किसी कार्य हेतु नियुक्त नहीं किया जा सकता है। सर्वाधिक अद्यतन विधिक उपाय 'बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम 1986' है। बच्चों को हानिकारक और खतरनाक कार्यों में नियुक्त होने से बचाने तथा गैर–खतरनाक कार्यों में नियुक्त बच्चों के कार्य करने की दशाओं में नियमन हेतु इस विद्यान को पारित किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश वह विधान बच्चों को पारिवारिक आधार पर संचालित इकाइयों में कार्य करने से नहीं रोकता। इतना ही नहीं, अनेक हानिकारक कार्यों और प्रक्रियाओं को यह अधिनियम हानिकारक कार्यों की सूचनी में सम्मिलित नहीं करता है। फलतः इस अधिनियम की खुलकर अवहेलना हो रही है और बाल श्रम की निरन्तरता बनी हुई है।

बाल श्रमिक गरीब और मजदूर परिवार के हैं जो आर्थोपार्जन कर पूरे परिवार का खर्च चलाते हैं। भारत सरकार बाल श्रम को खत्म करने का कारगर कदम उठा तो रही हैं।

लेकिन इन बाल मजदूरों का काम छूटने के बाद इनका तथा इनके परिवार का जीवन निर्वहन जैसी समस्या पर सरकार मौन है। विगत वर्षों में जिन बाल श्रमिकों को उद्योगों, खेतों, भट्ठों और अन्य स्थानों से हटाया गया। उनमें से अधिकांश का पुनर्वास नहीं हो पाया है। इसलिए सरकार को इस समस्या को हल करने के लिए सर्वसमावेशी कदम उठाना चाहिए।

सरकार के अलावा बाल श्रम बंधुआ मजदूरी और बाल–शोषण के खिलाफ देश में अनेक संस्थाएं और संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन दूर–दराज के गाँवों, कस्बों में बड़ी तादात में बाल श्रमिक लगे हुए हैं उनके तक इन संस्थाओं की पहँच नहीं हो पाई है, इसलिए बाल श्रमिकों की सही स्थिति, परिस्थिति तथा संख्या का पता लगाना मुश्किल है। सरकार व स्वयंसेवी संस्थाओं की सक्रियता से इस दिशा में सार्थक परिणाम आ सकते है।

भारतीय संविधान बच्चों को आर्थिक गतिविधियों या उनकी आयु के अनुपयुक्त कार्यों से बचाव का प्रावधान उपलब्ध कराता है। संविधान में राज्यों के लिए यह एक कठोर नीति है कि वे बच्चों को मौलिक अधिकार प्रदान करें। इसमें यह महसूस किया गया है कि बाल श्रम की समस्या बहुआयामी है। सरकार ने समस्या की प्रकृति तथा आकार को ध्यान में रखते हुए बच्चों को खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में काम करने से हटाने एवं उनके पुनवार्स करने हेतु एक सतत् और क्रमिक प्रक्रिया की शुरूआत की है। इस नीति के अंतर्गत कार्य योजना बहुमुखी है जिसमें यह मुख्य रूप से कानूनी कार्यवाही, बच्चों के परिवारों के लाभ के लिए सामान्य विकास कार्यक्रम पर जोर देना तथा बाल श्रम की अधिकता वाले क्षेत्रों में परियोजना के आधार पर कार्य करना सम्मिलित है।

समय–समय पर भारत सरकार ने बाल श्रम की समस्या के समाधान हेतु नीतियाँ बनाई है तथा अनेक कार्यक्रम भी प्रारम्भ किए हैं। बाल श्रमिकों की बेहतरी के बारे में सार्थक कदम 1995 में 'दिल्ली घोषणा–पत्र' के माध्यम से उठाया गया। भारत सरकार द्वारा आमंत्रित गुट–निरपेक्ष एवं अन्य विकासशील देशों में श्रम मंत्रियों का सम्मेलन 19–23 फरवरी 1995 में ऐसे वक्त पर सम्पन्न हुआ। जब संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा था, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 75वीं वर्षगांठ मना रहा था। ऐसे मौके पर बाल श्रम के लिए समुचित उपाय अथवा सुझाव आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बाल श्रमिकों की बदतर स्थिति, उनका रहन–सहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा विकास के लिए हम निम्न उपाय कर सकते हैं–

- पहले तो बाल श्रमिकों की वास्तविक संख्या के बारे में पता लगाया जाए।
- इनकी संख्या का पता लगाने के पश्चात खतरनाक नियाजनों को चिन्हित कर वहाँ से बाल श्रमिकों को तत्काल हटाया जाना चाहिए।
- बाल श्रमिकों के लिए विशेष विद्यालय स्थापित कर वहाँ ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे यहाँ से शिक्षित किए बच्चे औपचारिक विद्यालयों के मुख्य धारा में प्रवेश ले सकें।
- इन बाल श्रमिकों के माता–पिता की पहचान कर इन्हें ऐसे कार्य सिखाएं जाए, जिससे वे स्वरोजगार या मजदूरी कर परिवार का पालन कर सके।
- बाल श्रमिकों के संरक्षण से संबंधित कानूनों की संगत धाराओं के कार्यान्वयन को बाध्यकारी बनाया जाए।
- गैर–सरकारी संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए जिससे बाल श्रम उन्मूलन की परियोजना और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण हो सके।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शासकीय कानूनी व्यवस्था का कोई विशेष प्रभाव बाल श्रमिकों की कार्य प्रणाली पर परीलक्षित नहीं होता है। बाल श्रम शोषण को आज मात्र कानूनी प्रावधानों द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी आशा की जा रही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम बाल श्रम की समस्या के समाधान में सहायक सिद्ध होगा। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009, पहली अप्रैल 2010 से अस्तित्व में आ गया है। यद्यपि इससे बाल श्रम उन्मूलन की दिशा में बहुत उन्नति की संभावना है, तथापि आज आवश्यकता इस बात की है कि बाल श्रमिकों की स्थिति में कोई भी सार्थक परिवर्तन उनके माता–पिता के वैचारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के साथ ही साथ सम्पूर्ण जनमानस में इन बाल श्रमिकों के नन्हें–नन्हें हाथों के प्रति सहानुभुति तथा नैतिकता के संरक्षण की भावना को जाग्रत करने की आवश्यकता है तब जाकर हमारा समाज इस सामाजिक बुराई या समस्या से निजात पाया जा सकेगा।

lUnHk%

1. जे0सी0 कुलश्रेष्ठ, चाइल्ड लेबर इन इण्डिया, नई दिल्लीः एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1978
2. आर0सी0 सक्सेना, श्रम समस्याएँ एवं समाज कल्याण, मेरठ : जय प्रकाश एण्ड कम्पनी, 1962
3. आई0एल0ओ0, रिपोर्ट ऑ डायरेक्टर जनरल इण्टरनेशनल लेबर कान्फ्रेंस (6 सेक्शन) जेनेवा : इण्टरनेशनल लेबर आफिस।
4. योजना, : 'कुटीर उद्योग की समस्याएं, अंक 4 मई 2012, सूचना प्रसारण मंत्रालय, दिल्ली
5. प्रतियोगिता दर्पण, 'बाल श्रम समस्या व समाधान', आगरा : उपकार प्रकाशन, 2011

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 80-82

fgUnh e nfyr lkfgR;

MkO jktho dekj flg*

दलित साहित्य की अवधारणा का जन्म सर्वप्रथम मराठी साहित्य में हुआ है। दलितों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों,खानाबदोश और आदिवासियों के साथ भूमिहीन मजदूरों और गरीब किसानों को भी समाविष्ट किया जा सकता है। वस्तुतः दलित संबोधन से समाज के पददलित अधिकारविहीन और सामाजिक–धार्मिक उपेक्षा के शिकार असवर्ण का बोध होता है। आजकल प्रचलित डिप्रैस्ड क्लास, शिड्यूल्डकास्ट, गुलाम वर्ग, हरिजन आदि इन्हीं पददलितों के लिए प्रयुक्त किए जाते है इस दलित वर्ग के सामाजिक–राजनीतिक उत्थान, समानता व सम्मान के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने आन्दोलन चलाया था। दलित साहित्य आन्दोलन की प्रेरणा ज्योतिबा फुले की विचारधारा, डॉ.भीमराव अम्बेडकर, दलित मुक्ति आन्दोलन बने हैं। हाल के कुछ वर्षों से मराठी के बाद हिन्दी में भी दलित साहित्य का स्वर ऊँचा हुआ है। ओमप्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिशराय, डॉ.ए.एन.सिंह, कँवल भारती, डॉ. धर्मवीर भारतीय अनेक दलित साहित्य–कारों ने हिन्दी में दलित साहित्य की विशेष स्थिति और आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए प्रतिपादित किया है कि दलितों के द्वारा दलितों के जीवन पर लिखा गया साहित्य दलित साहित्य है। किसी गैर–दलित या सवर्ण द्वारा लिखें गए दलित सम्बन्धी साहित्य को वे दलित साहित्य मानने को तैयार नहीं है उनकी दृष्टि में ऐसा साहित्य सहानुभूति या दया का साहित्य है चेतना का नहीं, वह चाहे प्रेमचंद या निराला का ही दलित साहित्य क्यों न हो।

प्रेमकुमार मणि के अनुसार –''दलितों के द्वारा दलितों के लिए लिखा जा रहा साहित्य दलित–साहित्य है।'' दलित–साहित्य को लेकर दो अभिमत हैं। आलोचकों का एक वर्ग दलितों की नियति पर रचित साहित्य को दलित–साहित्य मानता है, चाहे उसका लेखक सवर्ण ही क्यों न हो। इसके विपरीत कुछ दलित लेखक दलितों द्वारा दलितों के लिए रचित साहित्य को दलित–विमर्श की संज्ञा देते है यह मत आज अधिक प्रचलित है दलित–साहित्य पर आलोंचको द्वारा तरह–तरह के प्रश्न लगाए जाते रहे हैं। क्या साहित्य भी दलित हो सकता है? साहित्य में आरक्षण क्यों ? दलित–साहित्य में साहित्य कितना? आदि ब्राह्मण–वादी आलोचकीय प्रश्न दलित साहित्य पर उठाए जाते रहे हैं। दलित–साहित्य को समाज को विभाजित करने वाला जातिवादी साहित्य मानने वाला जातिवादी साहित्य मानने वाले आलोचकों के विरुद्ध डॉ. तेजसिंह (आज का दलित–साहित्यकार) का कहना है कि–''दलित–साहित्य मानवतावादी साहित्य हैं, जो लोग उसे मानवतावादी न मानकर समाज को विभाजित करने वाला जातिवादी साहित्य बताकर अपनी हठधर्मिता का परिचय दे रहे हैं, उन्हें इन दलित कहानियों को पढ़ लेना चाहिए। बिना पढ़े फतवे देना कठमुल्लापन हैं, जो उनके ब्राह्मणवादी सोच और संस्कारों को दिखाता है क्या सवर्ण लेखकों द्वारा सहानुभूतिपूर्वक दलितों की समस्याओं को लेकर लिखा गया साहित्य दलित–साहित्य नहीं है? इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सवर्णों द्वारा जो यथार्थ भोगा ही नहीं गया उसकी प्रामाणिक अनुभूति को वह कैसे अभिव्यक्ति दे पाएगा? मोहनदास नैमिशराय का कहना है कि–''दलित–साहित्य दलितों का ही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जो नारकीय उपेक्षापूर्ण जीवन भोगा है, वह कल्पना की वस्तु नहीं वह उनका भोगा हुआ यथार्थ और जख्मी लोगों का दस्तावेज हैं। वह उनकी मुक्ति का सन्देश है, वह चेतना का उगता हुआ सूरज है उसमें गुस्सा और नफरत अनुभूति प्रेरित है। उसे कला के लिए छल की जरुरत नहीं।'' मराठी लेखक डॉ.खांडेकर दलित–साहित्य का मूल स्वर हिन्दू धर्म पर आधारित परम्पराओं, रुढ़ियों और विचारों के विरुद्ध मानते हुए लिखते है कि–''दलित–साहित्य केवल विद्रोह प्रतिकार या प्रतिशोध नहीं है या केवल नकार या निषेध नहीं है, बल्कि जो कुछ मंगल और शुभ है उन सबकी निर्मिति के लिए यह पूर्व परम्पराओं से विद्रोह है। यह विद्रोह हिन्दू धर्म पर आधारित परम्पराओं, रुढ़ियों और विचारों से है और उस समाज के विरुद्ध जिसने उन्हें पददलित,शुद्र और अस्पृश्य

*पूर्व शोधछात्र, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, म0प्र0

नाम देकर अन्याय,अत्याचारों के द्वारा अपने मन में छिपी बर्बरता का पूरा–पूरा परिचय दिया यह कहना उचित होगा कि 'विद्रोह' ही दलित–साहित्य का मूल धर्म और उसकी विशिष्टता है।''

दलित साहित्य की परम्परा कबीर, रैदास बाल्मीकि या व्यास से मानकर आधुनिक चेतना जनित मानते हुए श्यौराज सिंह बेचेन लिखते हैं कि–''दलित–साहित्य का सम्बन्ध कबीर, रैदास जैसे दलितों के साहित्य से भी नहीं है और न व्यास और बाल्मीकि के साहित्य से। कबीर और रैदास उन्हें ईश्वर के सहारे छोड़ देते है और बाल्मीकि और व्यास तो ब्राह्मणवाद को ही मजबूत करते हैं। आज का दलित– साहित्यकार अपने अनुभव से अपना रास्ता निकालने का हिमायती है, उसमें क्रोध नफरत, नकार और आत्म–पहचान का तत्व प्रमुख है वह इतिहास धारा में बहने के लिए नहीं उसकी ज्यादतियों के विरुद्ध संघर्ष करने और उसे पलटने के लिए कटिबद्ध है वह बाबा साहेब अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले का अनुयायी है।'' दलित साहित्य वेदनामय अहसास, भोगे हुए यथार्थ का प्रामाणिक दस्तावेज है यह समाज में हो रहे परिवर्तनों का परिणाम है जिसकी प्रेरणा है। स्वतंत्रता दलित–साहित्यकार का अनुभव मौलिक है और मुख्य स्वर विद्रोह एवं आक्रोश का है यह साहित्य दया या सहानुभूति की भीख नहीं है। दलितों में पैदा हुई आत्मविश्वास की जागृति इसकी मुख्य शक्ति है, जिसके केन्द्र में 'मनुष्य' है। दलित–साहित्य धर्म की साजिश का भण्डा–फोड़ करता है। यह किसी विशिष्ट जाति या व्यक्ति के विरुद्ध न होकर 'स्व' की खोज में निकलकर परम्पराओं से विद्रोह और अपने अस्तित्व की स्थापना का प्रयास है, जिसका स्वर बड़ा तीखा है, इसमें गुस्सा वह नफरत अनुभूति प्रेरित है। इसमें संदेह नहीं कि जिसने यातनाएं भोगी हैं वह उनका बयान अधिक प्रामाणिक और मार्मिक ढ़ंग से कर सकता है यथार्थ के अंगारे को चिमटे से छूने के अनुभव अलग–अलग होते हैं। हिन्दी कथा साहित्य में सवर्ण लेखकों द्वारा दलित समस्याओं को उठाने की एक सुदीर्घ परम्परा रही है हालांकि वह दलित लेखन का मुख्य स्वर तो नहीं है, परन्तु इस परम्परा का भी अपना योगदान है हिन्दी में दलित चेतना से जुड़ी हुई मार्मिक कहानियों की परम्परा में अग्रणी लेखक है–प्रेमचंद। उनकी 'सदगति','ठाकुर का कुआ', 'दूध का दाम','बाबाजी का भोग','सवा सेर 'कफन' जैसी कहानियाँ आज भी विषमता, उत्पीड़न, शोषण और अमानवीय आचरण का जो रुप प्रस्तुत करती हैं, वह भोगें हुए यथार्थ के दलित लेखकों की कहानियों की बराबरी करती है। प्रेमचंद ने वर्ण–विभक्त समाज में दीन–हीन दलितों का पक्ष लेकर अपनी जनचेतना और जनपक्षधरता का स्वाभाविक परिचय दिया है। वस्तुतः प्रेमचंद को नकारकर जाति को श्रेष्ठता का मानक बनाकर एक नए तरह के ब्राह्मणवाद को गढ़ा जा रहा है। यदि प्रेमचंद दलितों के पक्षधर रचनाकार नहीं हैं, उनकी सहानुभुति नकली है,तो जाहिर हैं। बीसवीं सदी के अतिम दशकों में अपनी पहचान बनाने वाला दलित–साहित्य एकदम अवतरित हुआ है। यही सिद्ध करना इन दलित लेखकों का उद्देश्य जान पड़ता है वास्तविकता यह है कि आधुनिक हिन्दी साहित्य में दलित–लेखन की कलम देर से लगने का कारण ही यही है कि कथित सवर्ण किन्तु प्रगतिशील लेखकों ने निरंतर न केवल दलित चेतना को रेखांकित किया, अपितु उसकी मुखर वकालत भी की नाच्यौ बहुत गोपाल (अमृतलाल नागर), धरती धन न अपना, नरक कुंड़ में वास (जगदीश चन्द्र), एक टुकड़ा इतिहास (गोपाल उपाध्याय), परिशिष्ट (गिरिराज किशोर), उत्तरगाथा (मधुकर सिंह), दण्डविधान (मुद्राराक्षस), बंधुआ रामदास (नीलकांत), महाभोज (मन्नू भण्डारी), गगन घटा घहरानी (मनमोहन पाठक), पाथर घाटी का शोर (पुन्नी सिंह) आदि उपन्यासों में दलित जीवन पर जो प्रकाश डाला गया है, वह अनुभूत यथार्थ लिखने वाले दलित– लेखकों के साहित्य की बराबरी करता है। इन उपन्यासों में सदियों के सताए, उपेक्षित,शोषित और दलित लोगों का जीवन अंकित करते समय न केवल सामाजिक जीवन की जड़ता, क्रूरता और अमानवीयता को रेखांकित किया गया है, बल्कि दलितों में अपने हक के लिए संघर्ष और सबके समान जीवन जीने की भावना को प्रेरित किया है दलित जीवन का पीड़ा बोध और उनका सामाजिक त्रासदिक भयावह यथार्थ इसमें अभिव्यक्ति पाता है। साथ ही दलितों में संघर्ष चेतना को अभिव्यक्ति देना इस साहित्य की शक्ति है, प्राण है। यदि दलितों की साहित्य–धारा इस चेतना में योग देकर या उससे जुड़कर विकास का मार्ग तलाशे तो इससे एक स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण होगा और समाज की वास्तविक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आठवें नवें दशक में कविता, कहानी उपन्यास,आत्मकथा आदि के माध्यम से दलित–चेतना की प्रखर अभिव्यक्ति हुई है।

कविताओं में – माताप्रसाद (राजनीति की अर्द्ध सतसई), लालाचंद राही (मूक नहीं मेरी कविताएं),पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी(सवालों के सूरज),सोहनपाल सुमनाक्षर (अंधा समाज बहरे लोग),मोहनदास नैमिशराय (सफदर का बयान), जयप्रकाश कर्दम (गूँगा नहीं था मैं), मनोज सोनकर (शोषितनामा), मलखान सिंह (सुनो ब्राह्मण), डॉ. एन. सिंह (सतह से उठते हुए), ओमप्रकाश बाल्मीकि (बस्स,बहुत हो चुका) आदि उल्लेखनीय हैं।

उपन्यासों में– 'छप्पर' (जय प्रकाश कर्दम),जस तस भई सवेर' (सत्य प्रकाश), 'मुक्ति–पूर्व' (मोहनदास नैमिशराय) 'घर की राह' (इन्द्र बसावड़ा), जूठन' (ओमप्रकाश वाल्मीकि) का आत्मकथात्मक उपन्यास प्रमुख हैं। दलित कहानी लेखकों में – दयानन्द बटोही (सुरंग), सुशीला टाकभौरे (टूटता वहम),सूरजपाल चौहान (हैरी कब आएगा), ओम प्रकाश बाल्मीकि (पुनर्वास), कुसुम वियोगी (चार इंच की कलम) आदि चर्चित है हिन्दी दलित लेखन में कई आत्मकथाएं पठनीय और विचारोत्तेजक बन पड़ी है हिन्दी की पहली दलित आत्मकथा 'मै भंगी हूँ' (ड़ॉ. भगवानदास) है। 'जूठन' (ओम प्रकाश बाल्मीकि), 'दोहरा अभिशाप' (कौशल्या बैसंत्री),'तिरस्कृत' (सूरजपाल चौहान), 'अपने –अपने पिंजरे' (मोहनदास नैमिशराय) आदि उल्लेखनीय आत्मकथाएं हैं। दलित नाटककारों में माताप्रसाद (तड़प मुक्ति की प्रतिशोध), इतिहास की पहली घटना), डॉ.एन. सिंह ललित मैंदौला (कठौती में गंगा) आदि ध्यान आकर्षित करते हैं। वस्तुतः हिन्दी का दलित–साहित्य अभी निर्माण की प्रक्रिया में है और अपने आपको पूरी तरह स्थापित नहीं कर पाया है, किन्तु फिर भी जो भी लेखन हुआ है, वह भोगा हुआ (प्रामाणिक),धधकता दस्तावेज है अनुभव की आँच पर तपकर निकला हुआ सत्य है दलित–साहित्य में दलितो के तमाम कष्टों, यातनाओं, को भोगे हुए यथार्थ के आधार पर प्रामाणिक एवं मार्मिक अभिव्यक्ति मिली है दरअसल दलितों को किसी प्रकार की सहानुभुति नहीं उनकी आत्मचेतना की जागृति ही उठाएगी। इसकी सफलता के लिए एकता और संघर्ष करने की शक्ति की जरुरत की ओर संकेत किया है। दलित–साहित्य की मूलभूत चेतना भी यही है और सारे दलित विमर्श का केन्द्र बिन्दु भी। यद्यपि हिन्दी दलित–साहित्य आर्थिक–सामाजिक शोषण का विरोधी है। धार्मिक अन्याय को अस्वीकार करता है,फिर भी आश्र्चजनक है कि मार्क्सवादी चिन्तन से इसका तालमेल नहीं बैठा। यह अजीब है कि दलित–साहित्य को गौतम बुद्ध के चिंतन से जोड़ा गया है, लेकिन बौद्ध चिंतन में प्राणिमात्र के प्रति करुणा का जो भाव प्रमुखता प्राप्त किए हुए है, उसके दर्शन दलित–लेखन में कम होते हैं होते है यह भी लगता है कि कुछ साहित्यकार तत्काल इतिहास में दर्ज हो जाने की होड़ में हैं। इसीलिए डॉ. नामवर सिंह को कभी–कभी संदेह होता है कि साहित्य में भी 'आरक्षण' की स्थिति बनाई जा रही है। आज जरुरत इस बात की है कि अपनी मौलिकता पर जोर देते हुए भी दलित लेखक प्रेमचन्द्र, गिरिराज किशोर, रामदरश मिश्र, विवेकीराय आदि गैर दलित हिन्दी लेखकों और महाश्वेता देवी की सर्जनात्मक विरात्मक विरासत से जुड़े तो उनके लेखन को एक अतिरिक्त उन्हीं लोंगों द्वारा ज्यादा कारगर ढ़ंग से हुई है। हाँलाकि यह अवश्य ही कहा जा सकता हे कि गैर–दलित लेखकों में प्रेमचंद आदि ने दलित जीवन को जो मार्मिक और यथार्थ अभिव्यक्ति दी है, उसे गैर–दलित लेखन के नाम पर उपेक्षित नहीं कर देना चाहिए यदि दलितों की साहित्यधारा इस चेतना में योग देकर या उससे जुड़कर विकास का मार्ग तलाशे तो इससे एक स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्माण होगा और समाज के लिए वास्तविक रुप से उपादेय हो सकेगा।

एक सकारात्मक पहलू यह है कि संत–साहित्य का आक्रोश और वेदना का स्वर ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने दबा दिया था, क्योंकि वहीं मध्यकालीन ईश्वरवाद की सीमा थी किन्तु मानव केन्द्रित चिंतन की यह दलित चेतना अब दबने वाली नहीं वरन् अधिक फलीभूत होने वाली है।

I UnHkZ %

1. सोनी, सुश्री ममता, 2005;हिन्दीं में दलित साहित्य, प्रतियोगिता दर्पण,नवम्बर, पृ.815
2. ओमप्रकाश वाल्मिकी,दलित–साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र,राधाकृष्ण प्रकाशन, पृ.38
3. साहित्य और संस्कृति में दलित अस्मिता की पहचान का सवालः नया पथ, अंक–25, सितबंर, 1997, पृ0 104
4. जगजीवन राम;भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या, पृ043

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 83-85

ekuokf/kdkjk d ifjik{; e efgykvk d vf/kdkj % ,d l{e nf"V

Mk0 food dekj feJ*

lkjk'k %

वैश्विक पटल पर कोई भी सभ्य देश आज स्त्री के अधिकारों के प्रश्न की उपेक्षा नहीं कर सकता है। नारी समाज का एक अभिन्न अंग है। परन्तु गत वर्षों में महिलाओं के मानव अधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ है शायद उतना पहले कभी नहीं हुआ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यदि देखा जाए तो न्याय, समानता एवं अधिकारों के लिए ''प्रथम महिला अधिकार'' सम्मेलन 1848 में अमेरिका में सम्पन्न हुआ।

यदि राजनीतिक अधिकारों का अवलोकन किया जाए तो इनका प्रारम्भ महिलाओं के मताधिकार आन्दोलन 1849 से माना जाता है। महिलाओं के लिए सामाजिक अधिकारों की चर्चा करते हुए संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1979 के अनुच्छेद 11 में कई प्रकार के अधिकारों पर बल दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के अन्तर्गत भी महिलाओं को कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान में भी कई अनुच्छेदों के अन्तर्गत महिलाओं को बहुत प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

किसी भी राष्ट्र अथवा क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में वहाँ की श्रमशक्ति, मानव संसाधन के आकार तथा कार्य में नियमितता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस प्रकार का समग्र विकास तभी सम्भव है जब उस समाज में महिलाओं को पुरुषों से समानता प्राप्त हो। वैश्विक पटल पर कोई भी सभ्य देश आज स्त्री के अधिकारों के प्रश्न की उपेक्षा नहीं कर सकता है। यह भी निर्विवाद सत्य है कि सामाजिक जीवन में स्त्री–पुरुष के समान अधिकारों के औचित्य को स्वीकार न करने वाले कभी भी स्वयं को प्रगतिशील नहीं कह सकते। नारी समाज का एक अभिन्न अंग है। अतीत में नारी को समाज में सर्वोपरि स्थान प्राप्त था व उसे सुख एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। परन्तु गत वर्षों में महिलाओं के मानवाधिकारों का जितना उल्लंघन हुआ है शायद पहले कभी नहीं हुआ।

गाँधी जी ने कहा था, ''भारत गाँव में बसता है।'' लेकिन आज के इस लोकतन्त्र में ऐसा लगता है कि मानो गाँधी जी के सपनों का भारत कहीं खो गया है। गांव की महिलाओं पर हुए कुछ शोध में यह पाया गया है कि अधिकांश ग्रामीण महिलाओं को अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं है, वे घूँघट में रहने को विवश है। कई महिलाएं तो ऐसी हैं जिन्होंने वर्षों से घर के बाहर कदम नहीं रखा व कुछ महिलाएं चार दिवारी में कैद होकर जीवनयापन कर रही हैं। महिलाओं के विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 10 दिसम्बर 1979 को महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव। भेदभाव समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव पारित किया जो 3 दिसम्बर 1981 से प्रभावी हुआ। प्रस्ताव में ग्रामीण महिलाओं की विशेष समस्याओं और अपने परिवार का अस्तित्व बनाए रखने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित किया गया।

भारत में 72 प्रतिशत आबादी गाँवों में निवास करती हैं और इसमें से आधी आबादी तो महिलाओं की है। भारतीय परिस्थितियों में यदि देखा जाए तो यहाँ ग्रामीण महिलाओं की भूमिका अहम होती है व इसे नकारा नहीं जा सकता। परन्तु आज का पुरुष प्रधान समाज नारी को कोई अधिकार देना ही नहीं चाहता व उसे दासी के समान जीने का अधिकार देता है। वैसे तो ग्रामीण महिलाओं के पिछड़ेपन के कई कारण हैं परन्तु उनमें से सबसे बड़ा कारण है उसका अशिक्षित होना और यही कारण शोषण तथा उत्पीड़न का भी रहा है। ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रहती हैं उन्हें इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि अधिकार क्या होते हैं? किसी ने कहा भी है

*प्रवक्ता बी.एड. विभाग, राजकीय महाविद्यालय जयहरीखाल, लैन्सडौन, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड

– ''दस पुरुषों की तुलना में एक महिला को शिक्षित करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।'' भारत में 7 वर्ष से अधिक आयु की ग्रामीण महिलाओं की साक्षरता दर 30.4 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र में, पंचायती राज संस्थान महिला अधिकारिता की दिशा में पहले से कार्यरत है, जहाँ तीनों स्तरों पर सदस्यों और अध्यक्षों के कम से कम एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें लागू करने का दायित्व पंचायतों को सौंपा गया है।

ऐतिहासिक पष्ठभूमि में यदि देखा जाए तो न्याय, समानता एवं अधिकारों के लिए ''प्रथम महिला अधिकार'' सम्मेलन वर्ष 1848 में अमेरिका में सम्पन्न हुआ, यद्यपि इससे पूर्व गर्भपात निरोधक अधिनियम (1803 ब्रिटेन), सतीप्रथा का समापन (1829 भारत), विधवाओं का पुनर्विवाह (1856 भारत) जैसे प्रयास किए जा चुके थे। किन्तु इन प्रयासों में समाज सुधारकों एवं जन आन्दोलनो का प्रत्यक्ष प्रभाव था, न कि स्वयं महिलाओं का। वर्ष 1840 से ब्रिट्रेन एवं अमेरिका में मताधिकार हेतु महिलाओं के आन्दोलन की परिणति नेशनल वुमेन, सफरेज, एसोसिएशन (1869 अमेरिका) के रूप में हुई, जिसका विश्वव्यापी प्रभाव यह रहा कि महिलाओं को प्रथम बार मताधिकार का अधिकार (न्यूजीलैण्ड–1893, अमेरिका–1920, ब्रिटेन–1928) प्राप्त हुआ। वस्तुतः औद्योगिक क्रान्ति और दो विश्व युद्धों में महिलाओं की दयनीय स्थिति से विश्व समुदाय का भी मन व्यथित हुआ, अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की (1945) स्थापना के साथ महिलाओं के लिए क्रान्तिकारी प्रयास भी प्रारम्भ हुए। यह संयुक्त राष्ट्र संघ ही था, जिसने सर्वप्रथम महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए एक महिला आयोग (कमीशन ऑन द स्टटेस ऑफ वुमेन, 1946) की स्थापना की।

यदि राजनीतिक अधिकारों (नागरिक अधिकारों) का अवलोकन किया जाए तो इनका प्रारम्भ महिलाओं के मताधिकार आन्दोलन (1849) से माना जा सकता है, अब विश्व के प्रायः सभी देशों, अपवाद की स्थिति में कुछ मुस्लिम राष्ट्रों को छोड़कर, महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को स्वीकार कर लिया है। इस सन्दर्भ में भारत की चर्चा करना भी आवश्यक है, जहाँ महिलाओं राजनीति में 33 प्रतिशत आरक्षण सम्बन्धी विधेयक संसद में पेश किये जाने का प्रयास गत कई वर्षों से हो रहा है। यद्यपि संसार के किसी भी देश में इस तरह का प्राविधान नहीं हैं। भारत ने इसका श्री गणेश 72वाँ एवं 74वाँ संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों एवं नगर निगमों के चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर कर दिया है। इस आरक्षण का प्रभाव यह हुआ है कि पूरे देश में आज लाखों महिलाएं पंचायत या नगर निगम में सफलतापूर्वक चुनकर कार्य कर रही हैं।

दूसरी ओर महिलाओं के 'सामाजिक अधिकार भी महत्वपूर्ण हैं। संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1979 के अनुच्छेद 11 के अन्तर्गत कहा गया है कि महिलाओं और पुरुषों की समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को निम्नलिखित अधिकारों/कार्यों को अपनी विधिक व्यवस्था में स्थान देकर उन्हें क्रियान्वित करना होगा – (1) काम करने का अधिकार (2) रोजगार के समान अवसरों का अधिकार (3) व्यवसाय या नौकरी के स्वतन्त्र चुनाव का अधिकार (4) समान कार्य के समान पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार (5) स्वास्थ्य के संरक्षण का अधिकार। इसके पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948 के अन्तर्गत महिलाओं को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किया जाना एक अनिवार्य आवश्यकता माना गया है –

1. गरिमा, जीवन, स्वतन्त्रता और सुरक्षा (अनुच्छेद 1 एवं 3)
2. विधिक समानता (अनुच्छेद 1, 6, 7)
3. विभेदकारी प्रावधानों से सुरक्षा (अनुच्छेद – 2)
4. पारिवारिक व्यवस्था व राज्य तथा समाज से सुरक्षा (अनुच्छेद – 16(3))
5. व्यक्तिगत जीवन परिवार, घर, पत्राचार आदि की एकान्तता का अधिकार (अनु.–12)

इसी प्रकार आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों की घोषणा, 16 दिसम्बर, 1966 के द्वारा महिलाओं के पक्ष में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं–

1. रोजगार का अधिकार (अनु.–4)
2. समान कार्य के लिए समान वेतन (अनु.–5)
3. सामाजिक सुरक्षा (अनु.–10)
4. शिशु मृत्युदर में कमी तथा बच्चों का स्वास्थ्य विकास (अनु.–13)
5. प्राथमिक शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था (अनु.–16)

यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय संविधान में भी महिलाओं को अनेक प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद–15(3) के ही प्रावधानों का सहारा लेकर संसद ने 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था करता है। इस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए संसद ने प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 पारित किया। संविधान का अनुच्छेद 43, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के निर्देश के अनुपालन में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 39(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोंनो के लिए समान वेतन दिए जाने का उपबंध करता है।, इसके अनुपालन में समान पारिश्रमिक 1976 पारित किया। संविधानिक प्रावधानों की कड़ी में संविधान का 73वाँ और 74वाँ संशोधन जो 1992 में किया गया है। इसके माध्यम में जहाँ तक महिलाओं के अधिकार का प्रश्न है, पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है।

lUnHk %

1. कौशिक, आशा (2004), 'नारी सशक्तीकरण विमर्श एवं यथार्थ,' पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर।
2. पाठक इन्दु (2007), 'राजनीतिक सहभागिता एवं महिला सशक्तीकरण', कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. सिंह, मीनाक्षी निशांन्त (2006), 'महिला सशक्तीकरण का सच', ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।
4. गुप्ता, कुमार कमलेश (2005), 'भारतीय महिलाएँ शोषण, उत्पीड़न एवं अधिकार' बुक एनक्लेव, जयपुर।
5. छापड़िया, डॉ0 मनोज (2008), 'स्त्री शिक्षा और सामाजिक गतिशीलता', सीरियल्स पब्लिकेशन्स।
6. दीक्षित, सोना और अरुण कुमार दीक्षित (2005), 'महिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, नई दिल्ली।

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 86-89

^lân;kuUne* egkdk0; e fpf=r ukf;dk&lkUn;

euk t dekj*

सहृदयों को आनन्द प्रदान करने वाला और आकर्षित करने वाला तत्त्व ही सौन्दर्य है। वस्तुतः काव्य में सौन्दर्योत्कर्ष विधायक तत्त्व रस है, किन्तु इसकी व्युत्पत्ति पर दृष्टिपात करें तो यह ज्ञात होता है– ^l"B mufÙk fpÙk nohdjkrhfr lkUn;e* अर्थात् चित्त को द्रवीभूत कर देने वाला तत्त्व ही सौन्दर्य है। सौन्दर्य के सामान्यतः पर्याय है–

lUnj #fpj pk# l'ke lk/k 'kkHkueA
dkUr eukje #P; eukK e>t e>t yeAA[1]

आचार्यों ने सौन्दर्य की परिभाषा इस प्रकार की है–

v³xiR;³xdkuk ;% lfUuo'kk ;Fkkfpre A
lf'y"VlfU/kcU/kk ;LrRlkUn;ferh;rAA

महाकवि माघ ने अपने ग्रन्थ शिशुपालवध में सौन्दर्य को क्षण–प्रतिक्षण नवीन बताया है–^{k.k&{k.k ;Uuorkeifr rno: i je.kh;rk;k%*A[2] दण्डी, वामन, अभिनवगुप्त, भोज, अप्पयदीक्षित आदि आचार्यों ने काव्य में सौन्दर्य की अनिवार्यता को प्रतिपादित किया है। दण्डी ने काव्य में उन्हीं तत्वों को अलङ्कार माना हैं, जो सौन्दर्य का आधान करते हैं–^dk0;'kkHkkdjku /kekuy³dkjku ip{krA*[3] वामन का कथन है कि अलङ्कार के कारण ही काव्य ग्राह्य होता है तथा काव्य में सौन्दर्य ही अलङ्कार है। वामन ने अलङ्कार का लक्षण ही सौन्दर्य किया है। अर्थात् सौन्दर्य का दूसरा नाम ही अलङ्कार है–^dk0; xkáey³dkjkrA lkUn;ey³dkj%A*[4] अभिनवगुप्त अलङ्कारों को सौन्दर्य का वास्तविक उपकरण नहीं मानते, अपितु ध्वनि में ही सौन्दर्य की अपेक्षा करते हैं। सौन्दर्य से विहीन प्रतीयमान अर्थ कभी भी ध्वनि का विषय नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ध्वनन व्यापार होने पर भी गुण और अलङ्कार के औचित्य से सम्पन्न सुन्दर शब्द और अर्थ वाले वाक्य को काव्य कहा जाता है–^x.kky³dkjkfpR;lUnj'kCnkFk'kjhjL; lfr /oU;kRefu vkRefu dk0;:irk0;ogkj%A*[5] भोज ने भी काव्य में सौन्दर्य की अनिवार्यता को प्रतिपादित किया है। वे अलङ्कार उसी को मानते हैं, जो काव्य में सौन्दर्य का आधान करता है।

महाकवि श्रीकृष्णानन्द विरचित सहृदयानन्द महाकाव्य 15 सर्गों में निबद्ध कृति है, जिसमें कवि ने नल और दमयन्ती के सौन्दर्य का मनोहारी निरूपण किया है। नल और दमयन्ती की कथा को लेकर अनेक रचनाएँ जैसे– नैषधीयचरितम्, नलचम्पू आदि हुई हैं। जहाँ नैषध के 22 सर्गों में नल के विवाह पर्यन्त ही कथा वर्णित है, वहाँ सहृदयानन्द के पन्द्रह सर्गों में ही उनकी सम्पूर्ण कथा निबद्ध है। जहाँ नैषधकार ने एक–एक प्रसंगों के वर्णन में समूचा सर्ग लगा डाला है, वहाँ इन्होंने संक्षिप्त सरणि अपनाकर काव्य को बोझिल नहीं बनाया तथा नैषध की अपेक्षा इसकी भाषा सरल, मधुर रोचक एवं सजीव है, जो कवि की अपनी एक अलग विशेषता है। नैषधीयचरितम् की विशिष्टता एवं ख्याति जानकर भी कवि निरुत्साहित नहीं हुआ।

महाकवि श्रीकृष्णनन्द जी ने अपने ग्रन्थ 'सहृदयानन्दम्' महाकाव्य में नायिका दमयन्ती के रमणीय एवं उत्कष्ट सौन्दर्य का जो चित्रण किया है, वह अद्वितीय है। महाकवि ने अपने महाकाव्य में सभी क्षेत्रों

*शोधच्छात्र, संस्कृत विभाग, कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

में अपनी कुशलता का परिचय तो दिया ही है, पर नायिका के सौन्दर्य चित्रांकन में उनको अभूतपूर्व सफलता मिली है। नारी सौन्दर्य को नवीन चमत्कारी शब्द विन्यास के माध्यम से उद्घाटित करना कवि की विशिष्टता ही है। नारी चारुता जो मानव मन को आनन्दित कर देने वाली है, कवि की प्रतिभा से निबद्ध श्लोकों के माध्यम से उस सुषमा का वर्णन किया जा रहा है। दमयन्ती एक नवयौवना, परमसुन्दरी, लज्जाशीला तथा स्थिरचित्त मुग्धा नायिका है। इसकी प्राप्ति के विषय में कवि कहते है कि– 'राजा भीम ने दमन नामक मुनि को प्रसन्न कर सुन्दर अवयवों वाली पुत्री को प्राप्त किया। इस पर ही नाम रखे जाने से लोगों के द्वारा 'दमयन्ती' कही जाती है–

l rk l yHk deuh;fox gk i lk| HkDR;k neuk°o; efueA
vrk·L; ukEuo Ñrk iy{k.kk tuu lkHkn ne;UR;nhfjrkAA[6]

दमयन्ती तीनों लोकों के चकोर की चन्द्रिका है, फैले हुए सौन्दर्यरूपी तरङ्ग की वापी है। अभी ही वह कृशोदरी मेरे एक बन्धु यौवन से अलङ्कृत हुई है–

vlk txUu=pdkjpfUn dk folkfjyko.;rjxnhf?kdkA
vy³Ñrk ukfrfpjkRÑ"kknjh o;kfo'k.k endcU/kukAA[7]

दमयन्ती का शरीर इतना कोमल था इसकी तुलना शिरीष के पुष्प से करता हुआ कवि कहता है कि– यदि ब्रह्मा शिरीष पुष्प से कोमलता लेकर स्वर्णयष्टि के समान दिखायी पड़ने वाले शरीर को बनाये तब कहीं इस दमयन्ती के शरीर की तुलना हो सकती है–

d rgy ukÙkjyk ;nk fof/k% f'kjh'ki"ikniØ·; ekn oeA
dfj';r dk>pu;f"Vxkpj oiLrnkL;kLr yuke i';frAA[8]

चन्द्रमा में कलङ्क होने से और रात में कमलों के संकुचित हो जाने से अपने शिल्प पर गर्वित कुशल ब्रह्मा ने लज्जित होकर इस दमयन्ती के सुन्दर मुख को बनाया–

l /kke;[k·fi dy³dnf'kr i nk'kl dkfp'k i³dt 'ofiA
foyfTtr% f'kYienkn/kjk fof/k0;/kÙk rL;k% deuh;ekuueAA[9]

दमयन्ती के मुख की सुन्दरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है– यदि शरद्कालीन चन्द्रमा, गोद में सोये हुए मृग को हटाकर उसकी आँखें धारण करें तब इस मृगनयनी के चंचल नेत्रों से युक्त मुख की तुलना प्राप्त कर सकता है अर्थात् दमयन्ती का मुख इतना सुन्दर है कि शरद्कालीन चन्द्रमा की शोभा भी इसके सामने मंद पड़ जाती है।

dj³xeRl³x'k; 'kjf}/kfo/k; /kÙk ;fn rnn'kk ijeA
ex{k.kk;k'pVyk{kekuu rnk fudke r yuke i';frAA[10]

नायिका दमयन्ती के अधर सौन्दर्य का उपस्थापन करते हुए कवि श्रीकष्ष्णानन्द जी कहते है कि लाल रत्नों की कान्ति को मंद करती हुयी, नवपल्लव के सौन्दर्य को लज्जित करती हुयी अपने अधरों की कान्ति से उल्लसित उस दमयन्ती से बन्धूक पुष्प की भी सुषमा फीकी पड़ जाती है–

fuehy;UR;k#.kjRunhf/kfr foyTt;UR;k uoiYyofJ;eA
leYylUR;k/kjdkfUrl ink fodkflcU/kde/k% djkfr lkAA[11]

उसके लालवर्ण के करकिसलय शिरीष पुष्प की माला के समान दोनों भुजाएं मष्णालदण्ड के ऊपर खिले हुए कमल की शोभा को हंसते हुए शोभित हो रहे हैं–

rnh;ekykfgrikf.kiYyo f'kjh'kekyke ny Hkt};eA
foMEc;UHkkfr e.kkydk.M;kj/kke[kLejljkt;k% fJ;eAA[12]

कवि कहता है कि विधाता ने भी इस अद्वितीय सुन्दरी को बहुत ही समय देकर बनाया है कि उसकी कमर इतनी कमजोर बना दिया कि वह टूट न जाये विधाता को भी इसका डर सताने लगा कि मेरी बनाई गयी वस्तु को संसार में संदेह होने लगेगा कि विधाता को इतनी सुन्दरता देने की क्या आवश्यकता थी कि कमर ही टूट जाये इसलिए विधाता ने उसकी मजबूती के लिए त्रिवली के बहाने सोने के तीन वलयों से घेर दिया–

fo/kk; e/; l rukLrFkk ru cHko rnHk³xHk;kdyk fof/k%A
;n'k i'pkfR=oyhfe"kkne pdkj geoy;or f=fHk%AA[13]

नितम्बों के पष्थुलता के सम्बन्ध में क्या कहा जाए? शरीर सौन्दर्य देखने में देर तक घूमने से अत्यन्त थकी हुयी विलासियों की दृष्टि इस पर पड़ते ही अन्यत्र जाने का नाम ही नहीं लेती। दमयन्ती के शरीर का सौन्दर्य कुछ ऐसा ही था जो कोई देखता मनमुग्ध ही हो जाता था। उसके इस सौन्दर्य का वर्णन कवि इन पद्यों में कर रहे हैं–

fdeP;r·L;k% ifFkek furEc;k;n= nf"V% ifrrk foykfluke A
fpj ifjHkE; drgyknHk'k Hkekfnok U;= u xUrfePNfrAA[14]

केले के वृक्ष की रमणीयता को जीतने वाले उसके उरुओं के विषय में सोचता हुआ मैं दूसरे का ध्यान करने से, ईर्ष्यावश तिरछी आँखों से देखती हुई रति का मैं बार–बार अपमान कर रहा हूँ–

fujLrjEHkkr#jke.kh;d rnh;e#f}r; fofpUr;uA
vuknjk·g fo"k;kUrj eg% djkE; l;kdfVy{k.kk jfreAA[15]

खिले हुए कमल के समान दमयन्ती के दोनों पैर देखकर कुछ अधिक वैशिष्ट्य लिए विधाता ने मोतियों का नख बनाया–

fodLoj ykfgri³dtLryk foykD; iknf}r; neLol%A
x.kkf/kd drfen leRlÑpdkj /kkrk u[ke ¼ek½ fDrdk³fdreAA[16]

कामदेव ने दमयन्ती की सुन्दरता का निरूपण करते हुए कहा कि मुझे उसका शरीर, सम्पूर्ण सौन्दर्य निधि का स्थान अर्थात् सृष्टि का समस्त सौन्दर्य उस दमयन्ती में ही समाहित है। उसका सौन्दर्य तीनों लोकों को मोहित करने वाली सिद्ध औषधि प्रजा के सृष्टा ब्रह्मा के शिल्प रूपी वृक्ष का फल प्रतीत हो रहा है–

v'k"kyko.;fu/kkuHkktu txR=;hekgufl)Hk"kteA
itkl't% f'kYiegh#g% Qy oiLrnh; ifrHkkfr e âfnAA[17]

हंस के द्वारा दमयन्ती के अद्वितीय सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि जिसके अधिक गुणों की प्रशंसा कामदेव से सुन चुका था, ऐसा प्रसाधन से शून्य होती हुयी भी आंखो की शोभा बढ़ाने वाली दमयन्ती को देखकर स्त्रियों के सौन्दर्य वर्णन में कामदेव की गणना एवं अल्पज्ञता का मैंने अपने मन में विचार किया–

vkdf.krkf/kdx.kkeoykD; Hkeh Hk"kk foukfi u;ukRloekogUrheA
lHkkfor âfn e;k enuL; tk³;; yko.;o.kufo/kk ojof.kuhukeAA[18]

हंस ने दमयन्ती के हृदयगत उदारता को भी बहुत ही कुशलपूर्वक बताया है कि मधुरभाषिणी क्रीड़ाशुकों की उपेक्षा करती हुई कबूतर, मैना आदि में कुतूहल रहित होकर मनुष्य के समान मेरी वाणी सुनकर वह मेरे विषय में उत्कण्ठित हुई–

eUnknjk e/kjHkkf"kf.k dfydhj fu"dkrdk dy#rkLofi lkfjdkl A
vklk| ek opfl eku"kfufo'k"k fdf¥pRdrgyorh ef; lk rnklhrAA[19]

दमयन्ती के प्रेमगत सौन्दर्य का प्रस्फुटन स्वयं नल ने अपने मुख से बताया कि हे कोमलांगी, मेरे लिए तुम सुदूर मार्ग को लांघ कर जो शीघ्र यहाँ आयी, वह आचरण तुम्हारे प्रेम के अनुकूल ही था–

ee Ñr enyk³fxnoh; lh ljf.kek'k foy³?k; ;nkxreA
rfnnekpfjr lnfr Ro;k lefpr i.k;L; xjh; l%AA[20]

दमयन्ती ने स्नान विधि के बाद बालरवि के समान लालरंग का वस्त्र धारण किया। वर्षा के जल से अभिसिक्त सघन पल्लवों से युक्त लता के समान शोभित हुई–

vUkUrj Lukufo/kuikRetk fiu)ckykdfuHkk'kdk cHkkA
?kukEco"k.k ÑrkfHk'kpuk yro uhjU/kenh.kiYyokAA[21]

अपने लम्बे बालों से कालागुरु का धूप देने के लिए फैलाती हुई वह स्वर्णमयी कामदेव की पताका के समान दमयन्ती, हवा से हिलती हुई श्यामवर्ण के बुरका के समान शोभित हो रही थी–

jjkt dkykx#/kifyll;k fo/kUorh dUryHkkjek;reA
fgj.e;h eUeFkdr;f"Vdk e#PpyUuhyfupkfydo lkAA[22]

दमयन्ती के नेत्र इतने सुन्दर थे मानों वह स्वयं ही नीलकमल हो, कवि उसके नेत्र की सुन्दरता को जो अद्भुत चित्रण किया है वह प्रशंसनीय है। दमयन्ती ने जब अपने नेत्रों में काजल लगाया तो उन नेत्रों की शोभा ने, कानों में लगाये गये नीलकमल की शोभा को तिरस्कृत कर दिया–

pdkj dkyk~tuy[k;kf~pr foykpu ;RifFkohUnufUnuhA
rrLr;k% Jhjor lrkt"kkfujkl uhykEct;kLrykdFkkeAA[23]

मंगलसूत्र धारण किये हुई दमयन्ती जब वैवाहिक वस्त्राभूषण से सुशोभित की गयी तो अन्तःपुर की सुन्दरियों ने उसे समुपस्थित मंगल देवता के समान समझा–

o/kfookgkfpro"ki'ky i lkf/krk dkrdl=/kkfj.khA
veU;rkUr% ijlUnjhtu#ifLFkrk exynoro lkAA[24]

fu"d"k&

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि महाकवि श्रीकृष्णानन्द की प्रतिभा अंजलि से निःसृत सहृदयानन्दम् महाकाव्य की नायिका के सौन्दर्य–निरूपण में कवि को पर्याप्त सफलता मिली है। दमयन्ती के शारीरिक सौन्दर्य के निरूपण के साथ ही उसके चारित्रिक सौन्दर्य का चित्रांकन कर कवि द्वारा सौन्दर्य के अन्तः एवं बाह्य उभयविध रूपों का चित्रण अत्यन्त हृदयावर्जक है। वास्तविक सौन्दर्य के रूप में सर्वमान्य अन्तः सौन्दर्य का निदर्शन हमें दमयन्ती के गुणानुवाद में सर्वत्र दर्शनीय है। इस प्रकार कवि ने नायिका सौन्दर्य का जो वर्णन अपने ग्रन्थ में किया है, वह मानव मन को मुग्ध कर देने वाला है तथा सहृदय को चित्रलिखित कर देने में पूर्णतः समर्थ है।

lUnHk %

1. अमरकोष 3/1/52
2. शिशुपालवध 4/17
3. काव्यादर्श 2/11
4. काव्यालङ्कारसूत्र 1/1/2
5. ध्वन्यालोक–लोचन टीका
6. सहृदयानन्द 2/46
7. सहृदयानन्द 2/47
8. सहृदयानन्द 2/48
9. सहृदयानन्द 2/50
10. सहृदयानन्द 2/52
11. सहृदयानन्द 2/53
12. सहृदयानन्द 2/55
13. सहृदयानन्द 2/56
14. सहृदयानन्द 2/58
15. सहृदयानन्द 2/59
16. सहृदयानन्द 2/60
17. सहृदयानन्द 2/61
18. सहृदयानन्द 3/4
19. सहृदयानन्द 3/6
20. सहृदयानन्द 4/27
21. सहृदयानन्द 6/11
22. सहृदयानन्द 6/12
23. सहृदयानन्द 6/15
24. सहृदयानन्द 6/19

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 90-92

JhenHkxonxhrk esa fu"dke deZ;kx

bUn*

संस्कृत–साहित्य की अमूल्यनिधि श्रीमद्भगवद्गीता 'महाभारत' महाकाव्य के भीष्मपर्व का ही उपपर्व है। महाभारत युद्ध के प्रथम दिन ही भगवान् श्रीकृष्ण के मुख से इसका प्रादुर्भाव हुआ। भगवान् के द्वारा गायी जाने के कारण इसका नाम 'श्रीमद्भगवद्गीता' है।

महाभारत युद्ध में मोहग्रस्त अर्जुन को भगवान् श्रीकृष्ण ने ज्ञानोपदेश दिया। इसी उपदेश का नाम गीता है। गीता का मुख्य लक्ष्य 'अज्ञान का नाश' एवं ज्ञान की प्राप्ति है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर समस्त विश्व को गीता के रूप में जो महान् उपदेश दिया है, यह अध्याय उसकी अवतारणा के रूप में है। गीता के 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक है।

xhrk esa ;kx dk Lo:i % गीता में योग शब्द के अनेक अर्थ हैं। उनके हम तीन विभाग कर सकते हैं।

1. 'युजिर् योगे' धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है– समरूप परमात्मा के साथ नित्य सम्बन्ध, जैसे– 'समत्वं योग उच्यते' (गीता 2/48)
2. 'युज् समाधौ' धातु से बना 'योग' शब्द का अर्थ है– चित्त की स्थिरता अर्थात् समाधि में स्थिति, जैसे– यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योग सेवया (गीता 6/20)।
3. 'युज् संयमने' धातु से बना 'योग' शब्द जिसका अर्थ है– संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव, जैसे–पश्य मे योगमैश्वरम् (गीता 9/5) आदि।

गीता में जहाँ कहीं येाग शब्द आया है, उसमें उपर्युक्त तीनों से एक अर्थ की मुख्यता और शेष दो अर्थों की गौणता है, जैसे–'युजिर् योगे' वाले योग शब्द में समता (सम्बन्ध) की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। 'युज् समाधौ' वाले 'योग' शब्द से स्थिरता की मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य स्वतः आ जाती हैं।

समता अर्थात् योग का अनुभव कराने के लिए गीता में तीन योग–मार्गों का वर्णन किया गया है– कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न सम्बन्ध है। अतः इन तीनों को दूसरों की सेवा में लगा दें– यह कर्मयोग हुआ, स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए– यह ज्ञानयोग हुआ, और स्वयं भगवान् के प्रति समर्पित हो जाए– यह भक्तियोग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए मनुष्य को तीन शक्तियाँ प्राप्त हैं– (1) करने की शक्ति (बल) (2) जानने की शक्ति (ज्ञान) और (3) माने की शक्ति (विश्वास)।

करने की शक्ति निःस्वार्थभाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्मयोग है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो ज्ञानयोग है, और मानने की शक्ति ईश्वर को अपना और अपने को ईश्वर का मानकर सर्वथा ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए है, जो भक्तियोग है।

xhrk esa lka[;;kx ¼Kku;kx½ % गीता में सांख्ययोग (ज्ञानयोग) के महत्व को स्वीकार करते हुए उसे अन्य ज्ञानमार्ग से विलक्षण बताया गया है। यद्यपि सांख्यदर्शन में प्रकृति–पुरुष के विवेकज्ञान को परमज्ञान कहा गया है, किन्तु गीता में आत्मा के एकत्व के अनुभव को ज्ञान कहा गया है। आशय यह है कि समस्त प्राणियों में आत्मा का और आत्मा में समस्त प्राणियों का दर्शन करना ही सच्चा ज्ञान है। गीता में ज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि एक ही वस्तु को सबकुछ समझना सबसे निकृष्ट 'तामस' ज्ञान है। इससे कुछ ऊँचा ज्ञान भिन्न–भिन्न वस्तुओं को अलग–अलग समझना 'राजस ज्ञान' है और भी अधिक ऊँचे जाकर समस्त प्राणियों में एक ही अव्यय आत्मा (परमात्मा) का ज्ञान सात्विक तथा पूर्ण सच्चा ज्ञान है–

*शोधच्छात्रा, संहिता एवं संस्कृति विभाग, आयुर्वेद संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0

loHkr"k ;ud Hkkoe0;;eh{krA vfoHkä foHkä"k rTKku fof) lkfŸodeAA[1]

iFkDRou r ;TKku ukukHkkokUiFkfXo/kkuAA ofŸk lo"k Hkr"k rTKku fof) jktleAA[2]

;Ÿk ÑRLuondfLeUdk; läegrdeA vrŸokFkonYi p rŸkkelenkâreAA[3]

xhrk e fu"dke de;kx % मानव जीव जगत् में कोई भी मनुष्य क्षणमात्र भी निष्क्रिय नहीं रह सकता प्रतिक्षण कुछ न कुछ कर्म करता रहता है। उठना–बैठना, सोना–जागना, खाना–पीना, चलना–फिरना या अन्य कोई न कोई कर्म करता रहता है। कुछ नहीं तो श्वास प्रश्वास तो लेता ही रहता है। प्रकृति के गुण प्रत्येक जीव को कर्म करने के लिए विवश करते रहते हैं। गीता की स्पष्ट घोषणा है कि प्रकृति के गुणों से परतंत्र होकर मनुष्य को कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है।

u fg df'pR{k.kefi tkr fr"BR;deÑrA dk;r áo'k% de lo% iÑfrtx.k%AA[4]

प्रकृति के गुणों से मंत्रमुग्ध पुरुष गुण–कर्म में आसक्त होने के कारण कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं कर सकता। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को अवश्यमेव कोई न कोई कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कुछ न कुछ कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म किये बिना शरीर निर्वाह भी संभव नहीं है।

fu;r d# de Ro de T;k;k g;de.k%] 'kjhj;k=kfi p r u ifl);nde.k%AA[5]

मनुस्मृति में आया है कि मनुष्य को वेदोक्त स्वकीय कर्म आलस्य का त्याग करके करना चाहिए क्योंकि शक्ति के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करने वाला परमगति को प्राप्त कर लेता है :–

**onkfnr Lod de fuR; d;knrfUnr%] rf) dou ;Fkk'kfä ikluk fr ijek xfreAA[6]

ईशावास्योपनिषद् में इसका समर्थन करते हुए कहा गया है कि जीवन–पर्यन्त कर्म करते रहना चाहिए–''कुर्वन्नैवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।'' कर्म के द्वारा हम जगत् के साथ सम्बन्ध बनाते हैं। यदि हम कर्म न करें, तो सृष्टि चक्र गतिहीन हो जायेगा। अतएव मनुष्य को सदैव कर्म करते रहना चाहिए।

de'kCn dk vfHkik; % गीता में यज्ञ को भी कर्म कहा गया है। यज्ञादि के लिए कृत–कर्म मनुष्य को बन्धन में नहीं डालता । इसके विपरीत कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है। अस्तु, यज्ञरूप कर्म करने से मनुष्य कर्मबन्धन से मुक्त हो जाता है। गीता में कर्म शब्द का आशय क्रमागत प्राप्त वर्णों के लिए निश्चित कर्त्तव्यों के लिए आया है–

Kku K; ifjKkrk f=fo/kk depknukA dj.kde drfr f=fo/k% delxg%AA[7]

गीता में पूजा, पाठ, भजन, व्रत आदि अर्थ में भी कर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः गीता में कर्म शब्द का प्रयोग सामाजिक कर्त्तव्य के अर्थ में हुआ है। अतः अपने वर्ण, आश्रम, धर्म के अनुसार निर्धारित कर्म को अवश्य करना चाहिए।

संसार में मनुष्य जो भी कर्म करता है, उसका कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य रहता है। निष्प्रयोजन कोई भी कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होता। किन्तु गीता का आदेश है कि हम जो भी कर्म करें, वह इस तरह करें कि कर्म हमें बन्धन में न डाल सकें। क्योंकि निष्काम भाव से किया गया कर्म हमें बन्धन में नहीं डालता। हमें उसके फल का भागी नहीं होना पड़ता, अपितु वह भुने हुए बीज के समान फलदायी ही नहीं होता है। अतः निष्काम कर्म वह है, जो हमारे चित्त को फलों से उपरत (विरत) करके सत्य मार्ग पर लगा देता है। निष्काम का अर्थ लक्ष्य विहीन कथमपि नहीं है। गीता में निष्काम शब्द के दो लक्ष्य बताये गये हैं– 1. आत्मलाभ, 2. परमात्मा की प्राप्ति।

आत्मलाभ का तात्पर्य ब्रह्मभाव को प्राप्त होना है। यही ब्राह्मी स्थिति कर्मयोग की पराकाष्ठा है, अत्युत्तम स्थिति है। इसे प्राप्त करने वाला पुनः संसार में मुग्ध नहीं होता और अन्त में ब्रह्मनिर्वाण रूप (ब्रह्मरूप) होकर मोक्ष का भागी बन जाता है–

,'kk ckãh fLFkfr% ikFk uuk ikl; foeáfrA fLFkRokL;keUrdky·fi cãfuok.kePNfrAA[8]

ईश्वर प्राप्ति का आशय उनके समीप पहुँचना है। गीता में आया है कि अन्तकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करता है, वह मुझे प्राप्त हो जाता है–

vUrdky p ekeo LejUeDRok dyojeA ;% i;kfr l enHkko ;kfr ukLR;= l'k;%AA[9]

इस प्रकार ईश्वर को प्राप्त कर लेना ही ब्राह्मी स्थिति है। अस्तु आत्मलाभ ज्ञानप्रधान है और ईश्वर प्राप्ति भक्ति प्रधान लक्ष्य दोनों का एक है।

गीता में कर्मयोग को मोक्ष प्राप्ति का उत्तम साधन कहा गया है। निष्काम से तात्पर्य है कि कर्म करने या न करने में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग होना अनिवार्य है। यद्यपि कर्मसंन्यास और कर्मयोग

दोनें ही मोक्ष प्राप्ति के साधन है, किन्तु कर्मसंन्यास की अपेक्षा कर्मयोग विशेष है, क्योंकि विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि से रहित केवल कर्म–संन्यास से कर्मयोग मोक्ष का श्रेष्ठ साधन कहा गया है।

lU;kl% de;kx'p fu%Js;ldjkoHkkkA r;kLrq deZlU;klkRde;kxks fof'k";rsAA[10]

वस्तुतः स्वरूप से कर्म का त्याग वास्तविक कर्मत्याग नहीं है, अपितु अनासक्त भाव से फल–त्यागपूर्वक किया जाने वाला कर्म ही निष्काम कर्म है और जब कामना, ममता, आसक्ति से रहित होकर कोई कर्म किया जाता है, तब उसे निष्काम कर्मयोग कहते हैं–

^^dk;sZfeR;o ;Rdes fu;rs fØ;rs·tqZuA l³xa R;DRok Qys pSo l R;kx% lkfÙodks erZ%AA**[11]

गीता का आदेश है कि आसक्ति रहित होकर मनुष्य को निष्काम कर्म करना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने वाला पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेता है–

^^rLekn lä% lrrq dk;Z de lekpjA vlä~ks ákpjUde ijekIuksfr iq#"kZAA[12]

इतना ही नहीं अपितु ज्ञानयोग को प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनि के लिए ज्ञानयोग की प्राप्ति में कर्म को ही कारण बताया गया है–

^^vk##{kkeqZu;ksxa de dkj.keqP;rsA ;kxk:<L; rL;S o 'ke% dkj.keqP;rsAA[13]

योगीजन अन्तःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। गीता में आया है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल और उसकी प्राप्ति में उसे कामना नहीं करनी चाहिए।

^^de..;qokf/kdkjLrs ek Qy"kq dnkpuA ek deZQygsrqHkwZek rs lxks·LRodeZf.kAA[14]

गीता में फल की इच्छा का त्याग करके कर्म करने को 'सन्यास कहा गया है और सभी कर्मो के फलों के त्याग को 'योग'। मनुस्मृति में इसे प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग कहा गया है। शरीरधारी मनुष्य के लिए समस्त कर्मों का त्याग संभव नहीं है, अतः ईश्वरार्पण बुद्धि से समस्त कर्मों के फलों का त्याग करने वाला ही सच्चा संन्यासी है–

^^;L; ukgZÑrks HkkokS cf);L; u fyI;rsA gRokfi l bekYyksdkUu gfUr u fuc/;rsAA[15]

इस प्रकार 'समस्त प्राणियों में एक ही आत्मा है।' इस प्रकार के ज्ञान से समन्वित बुद्धि से जो निष्काम कर्म किया जाता है, वही गीता का निष्काम कर्मयोग है–

^^;kxLFk% d#q dekZf.k lxa R;DRok /kuatq;A fl)·;kfl);k% lek HkwRok leRo ;kx mP;rsAA[16]

fu"d"kZ % गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान् ने अर्जुन को समता का आश्रय लेने की आज्ञा दी है तथा 'योगः कर्मसु कौशलम्' कहकर कर्मयोग के अनुष्ठान का फल बताया है–

^^cqf);qä tgkrhg mHks lqÑrqn'ÑrsA rLek|kxk; ;qT;Lo ;kx% deZlqdkS'kyeAA[17]

आशय है कि समबुद्धि युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। पाप–पुण्य से मुक्त हो जाता है। इसलिए (हे अर्जुन) तुम समत्व बुद्धि रूप योग में संलग्न हो जाओ, क्योंकि समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है।

इससे यह भाव दिखाया गया है कि जन्म जन्मातर में और इस जन्म में किये हुए जितने भी पुण्यकर्म और पापकर्म संस्कार रूप में अन्तःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्मयोगी इसी लोक में त्याग देता है। इस वर्तमान जीवन में ही वह उन समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसका उन कर्मों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पुनर्जन्म रूप फल नहीं दे सकते। क्योंकि निःस्वार्थ भाव से केवल लोकहितार्थ किये हुए कर्मों से उनके समस्त कर्म विलीन हो जाते हैं–

^^xrl³xL; eqäL; KkukofLFkrpsrlk% ;Kk;kpjr% deZ lexa izfoyh;rsAA[18]

lUnHkZ %

1. श्रीमद्भगवद्गीता 18/20
2. श्रीमद्भगवद्गीता 18/21
3. श्रीमद्भगवद्गीता 18/22
4. श्रीमद्भगवद्गीता 3/5
5. श्रीमद्भगवद्गीता 3/8
6. मनुस्मृति 4/14
7. श्रीमद्भगवद्गीता 18/18
8. श्रीमद्भगवद्गीता 2/72
9. श्रीमद्भगवद्गीता 8/5
10. श्रीमद्भगवद्गीता 5/2
11. श्रीमद्भगवद्गीता 18/9
12. श्रीमद्भगवद्गीता 3/19
13. श्रीमद्भगवद्गीता 6/3
14. श्रीमद्भगवद्गीता 2/47
15. श्रीमद्भगवद्गीता 18/17
16. श्रीमद्भगवद्गीता 2/48
17. श्रीमद्भगवद्गीता 2/50
18. श्रीमद्भगवद्गीता 4/23

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 93-95

ekuoh; pruk d l=k/kj % lr dchj

MkO deys'k jkuh*

संत कबीर हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधरा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के तत्कालीन भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। कबीर का युग आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व का था। किंतु उनकी वाणियों की लोकप्रियता आज तक बनी हुई है। उनकी वाणियाँ आज भी गाई जाती हैं। वस्तुतः कबीर का जन्म संवत् 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सोमवार के दिन हुआ। कबीर जाति से जुलाहा थे। उन्होंने अनेक पदों में अपने जुलाहा जाति से संबंधित होने की बात की है–

^^r ckã.k] e dklh dk tykgk] phfUg u ekj fx;kukA r lc ekxs Hkifr jktk] ekjs jke f/;kukAA
ijc tue ge ckã.k gkr] vkNs dje ri ghukA jkeno dh lok pdk] idfj tykgk dhUgkA*[1]

एक जनश्रुति के अनुसार वे जन्म से तो हिंदू थे, किंतु इनका पालन–पोषण मुसलमान के घर में हुआ था। इसी कारण, वे पूर्णतः न तो मुसलमान ही प्रमाणित हुए और न ही उनके माता–पिता का हिंदू धर्म से कोई सूत्रों का पता लगा। कबीरदास का संबंध दोनों धर्मों से था। इसीलिए उन्होंने समान रूप से दोनों धर्मों की धार्मिक कट्टरता, बाह्याडंबरों एवं पाखंडों को नकारते हुए पंडित–मुल्ला–मौलवी सभी को एक समान खरी–खोटी सुनाई है। संभवतः दोनों धर्मावलंबियों के क्रोध की मार उन्हें झेलनी पड़ी तथा हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही धर्मों के कट्टरपंथियों ने इनका जमकर विरोध किया था। तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोधी ने भी उन्हें दंडित कराया था। रामानन्द जी को कबीर के गुरु रूप में मान्यता मिली है। किंतु उन्होंने कहीं भी विधिवत् शिक्षा ग्रहण नहीं की। वे निरक्षर थे, फिर भी उनकी वाणियों में निहित भाव इतना सशक्त था जिसके कारण भाषा एवं शैली का दोष स्वतः ही गौण हो जाता है। वे निर्गुण व निराकार ब्रह्म के उपासक थे। उनके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा प्रतिध्वनित होती है। उनकी मृत्यु के संबंध में मतभेद है। किंतु उनके मतावलंबी उन्हें दीर्घायु मानते हैं। उनके अनुसार उनका निधन संवत् 1575 विक्रमी को हुआ।

संत कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब भारतीय समाज एवं धर्म का स्वरूप पूर्णतः विकृत हो चुका था। राजनीतिक परिस्थितियाँ भी अनुकूल नहीं थी। मुस्लिम शासकों के शासनरूढ़ होने के कारण भारतीय समाज शसोन्मुख होने लगा। ब्राह्मणों ने भी जो तत्कालीन धर्मिक कार्यों के अधिष्ठाता थे, धर्म के व्यापक स्वरूप को संकुचित करना आरंभ कर दिया। जिसके प्रभावस्वरूप हिंदू धर्म का व्यापक स्वरूप कर्मकांडों में बंधकर उत्तरोत्तर विकृत होता चला गया। आम जनता हीनता एवं निराशा की भावना में दबकर जीने लगी। मुसलमानों में अपने धर्म के प्रति कट्टरवादी दृष्टिकोण पहले से ही था। हिंदू धर्म के समान इस्लाम में भी बाह्याडंबरों एवं कर्मकांडों का प्रचलन होने लगा था। नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज–यात्रा, जीव–हत्या, बाँग देना आदि प्रचलित होने लगे थे। कर्मकांडों एवं आडंबरों को प्रधनता वाले समाज को व्यावहारिक ज्ञान देकर जागरूक करना अत्यंत आवश्यक था। इसी आवश्यकता की पूर्ति संत कबीर ने अपनी वाणियों के माध्यम से की। उन्होंने अपनी वाणियों का प्रणयन समाज–सुधर के कार्य तथा समाज में फैले पाखण्डों एवं आडंबरों को दूर करने के उद्देश्य से किया।

भारत में जाति–पाँति रूपी सर्प जैसे वर्तमान काल में समाज को डँस रहा है। संभवतः वैसे ही हालात मध्यकालीन भारतीय समाज में भी थे। वैसे भी भारत में वर्ण एवं जाति का इतिहास अत्यंत प्राचीन रहा है। प्राचीन काल में कर्म के आधर पर ही वर्ण एवं जाति का निर्धारण किया जाता था, किंतु समय के साथ–साथ ये बंधन दृढ़ व कठोर होते चले गये। भारतीय समाज जिन चार वर्णों में विभक्त था, वे हैं– ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्णों में उत्तरोत्तर अनेक जातियाँ एवं उपजातियाँ विकसित हुई। प्रारंभ में जो वर्गीकरण कर्म के आधार पर किया गया था, आगे चलकर वह उँच–नीच की भावना से जन्म एवं सामाजिक श्रेणी के आधार पर हो गया। शूद्रों को

*म.नं.459/31 अशोक विहार, सोनीपत–131001

समाज में घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। कबीरकालीन समाज तक स्थिति और भी जटिल हो गई। संत कबीर से यह सब कुछ नहीं देखा गया। इसीलिए तो उन्होंने वर्ण–विभाजन की कट्टरता एवं जातीय मिथ्याभिमान के विरुद्ध आवाज उठाई तथा जन–जन को प्रेम, सौहार्द, भाईचारे एवं सहनशीलता का संदेश भी दिया। इसी कारण इनकी वाणियाँ समाज पर एक अमिट छाप छोड़ने में सक्षम हो सकी हैं। इनकी वाणियों में समाज की विकृत मानसिकता एवं जड़ता को बदलने की जो क्रांतिकारी चेतना दिखलाई पड़ती है, वह मात्रा अराजकता नहीं है, क्योंकि उनकी वाणियाँ रूढ़ियों, अंधविश्वासों एवं शोषण के प्रति विद्रोही होते हुए भी समाज के बीच नए संतुलन को उभार रहे थे। उन्होंने मनुष्य को उँच–नीच, जाति, वर्ग आदि भेदभाव एवं विद्वेष भावना को त्याग कर प्रेमपूर्वक रहने की प्रेरणा दी। उनकी दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव उन्हें स्वीकृत नहीं। वे मुख्यतः जातिगत सौमनस्य एवं एकता की ज्योति को ही लेकर प्रादुर्भूत हुए थे। उनका विश्वास था कि जातिगत वैमनस्य को दूर कर ही समग्र मानवता को एकता के सूत्रा में पिरोया जा सकता है। इसी भाव के कारण ही उन्होंने ब्राह्मण और शूद्र दोनों की जातीय विद्वेष की भावना पर तीव्र आघात करते हुए उन्हें चेताया है कि ब्राह्मण एवं शूद्र में तत्त्वतः कोई भेद नहीं है। एक ही ज्योति से सभी उत्पन्न हुए हैं। जब सभी परमात्मा के अंश हैं तो फिर कौन अपना? कौन पराया? सभी ममता एवं स्नेह के पात्र हैं। इस रहस्य को जो भी मनुष्य जान लेता है, वही श्रेयस्कर है। तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिवाद की भावना को कबीर ने कितने तीखे शब्दों में व्यक्त किया है–

^^,d cn ,d ey erj] ,d pke ,d xnkA ,d tkfr Fk lc mriuk] dku ckã.k dk lnkAA**2

जाति–पाँति की अमानवीय भावना ने संत कबीर को भीतर तक झकझोर दिया था। इसीलिए तो उन्होंने इसके मूल कारणों पर इतने तीव्र प्रहार किए। उनके अनुसार किसी को शूद्र जाति में जन्म लेने के कारण नीच मानना पूर्णतया गलत है और किसी को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने भर से ही ज्ञानी समझ लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। मनुष्य की असली पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्मों से होती है, उसके हृदय से होती है। कबीर ब्राह्मणों एवं तुर्कों की अपने–अपने को श्रेष्ठ मानने की नीति पर कड़ा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यदि तू ब्राह्मण है तो तूने दूसरे रास्ते जन्म क्यों नहीं लिया, यदि तू श्रेष्ठ तुर्क है तो माँ के पेट से ही ''खतना'' क्यों नहीं करवाकर आया–

^^ugh dkb mpk ugh dkb uhpkA tkdk l;m rkgh dk lhpkAA
t r ckHku cHkuh tk;kA rk vku ckV à dkg u vk;kAA
t r rjd rjduh tk;kA rk Hkhrfj [kruk D; u djk;kAA
dg dchj ef/e ugh dkbA lk ef/e tk ef[k jke u gkbAA**3

कबीर का धर्म संबंधी दृष्टिकोण पूर्णतः मौलिक एवं स्वतंत्र था। वह सभी धर्मों से संबंधित होते हुए भी सबसे विलक्षण था। उन सभी अनुचित एवं पाखंडपूर्ण क्रियाकलापों एवं आडंबरों का खण्डन कबीर ने किया जो कि मानव को अपने भ्रमजाल में फँसाकर उसको दिग्भ्रमित कर रहे थे। उन्होंने धर्म के नाम पर सभी पाखंडों का अत्यंत कठोर शब्दों में खण्डन किया है तथा अपने समय की धर्मिक स्थिति का यथार्थ रूप जनता के सामने स्पष्ट किया है–

^^lUrk n[kmQ tx ckjkukA lkp dgk rk ekju /ko] >B tx ifr;kukAA
ueh n[k /kjeh n[k ikr djfg vlukukA vkre ekfV i[kkufg it mue dN u KkukAA
cgrd n[k ihj vkfy;k] i< fdrkc djkukA d ejhn rnchj crko] mue mg fxvkukAA
vklu ekfj fMHk/fj cB] eu e cgr xekukA ihrj ikFkj itu ykx] rhjFk xjc HkykukAA
ekyk ifgj Vkfi fnUg] Nki fryd vuekukA lk[kh lcn xkor Hky vkre [kcfj u tkukAA
dg] fgn ekfg jke fi;kjk rjd dg jfgekukA vkil e nkm yfj yfj e,] jke u dkg tkukAA
?kj&?kj erj t nr fiQjr g efgek d vfHkekukA x#ok lfgr f'k"; lc cM] vrdky iNrkukAA**4

उनका मानना है कि समाज में भेदभाव फैलाना एवं पाखण्डों को प्रोत्साहित करने में इन पंडितों, पुरोहितों और मुल्लाओं का हाथ है। अबोध जनता को उनके चुंगल से निकालना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए वे उन दोनों को फटकार लगाते हुए निर्गुण राम के जपने पर ही बल देते हैं:–

^^ifMr on ijku i<] vk ekykuk i< djkukA dg dchj o ujd tk;] ftu gfjn; jke u tkukAA**5

उपर्युक्त दोहे से यह बात स्पष्ट है कि कबीर ने वेद–पुरान व कुरान आदि धर्मिक ग्रंथों की जी खोल कर निंदा की है। किंतु इस शास्त्रा–निंदा के पीछे उनका एकमात्रा लक्ष्य था–जनकल्याण एवं मानव की सुप्त चेतना को जागृत करना। वे इन वेद–पुराणों में छिपे गूढ़ तत्त्वों को जन–जन तक पहुँचाना चाहते थे। इनकी जो व्याख्या पंडित, मुल्लाओं, काजियों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि हेतु की है, उनका तीव्र विरोध इन्होंने किया है तथा पोथियों का त्यागकर प्रेम का पाठ पढ़ने पर ही बल दिया है–

^^ikfFk if<&if< tx eok] ifMr Hk;k u dkbA ,d vkf"kj iho dk] i< l ifMr gkbAA**6

कबीर अपने युग की आर्थिक परिस्थितियों के दबाव में जिए ही नहीं थे, अपितु उन्होंने उनके कारणों को भी समझा है। इसीलिए तो उन्होंने भेदभाव को पूर्णतः नकार दिया है। इनके अन्दर एक ऐसे समाज–निर्माण की भावना निहित थी, जिसमें रहकर सभी मनुष्य शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें, इसीलिए तो उन्होंने धन संचय करने वाले पूंजीपतियों को चेतावनी देते हुए कहा है–

^^dchj lk /ku lfp;] tk vkx d gkbA lhl p<k, ikVyh] y tkr u n[;k dkbAA**7

वे अपने समय में फैली आर्थिक विषमता को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कैसी अजीब विडंबना है, निर्धन का कोई भी आदर नहीं करता। घर में प्रवेश करने पर धनी उससे सीधे मुँह बात तक नहीं करता, जबकि निर्धन अपने घर में धनी व्यक्ति का आदर–सत्कार पूरे मन से करता है–

^^fu/ku vknj dkb u nbA yk[k tru dj vkg fpÙk u /kjbAA
tk fu/ku lj/ku d tkbA vkx cBk ihB fiQjkbAA
tk lj/ku fu/ku d tkbA nh;k vknj fy;k cykbAA
fu/ku lj/ku nkuk HkkbA iHk dh dyk u eVh tkbAA
dfg dchj fu/ku g lkbA tkd fgjn jke u gkbAA**8

कबीरदास को इस आर्थिक विषमता ने अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने इस आर्थिक विषमता के विरुद्ध कोई बाहरी आंदोलन तो खड़ा नहीं किया किंतु उनके इस आंतरिक आंदोलन का पर्यवसान भौतिक विरक्ति में अवश्य ही हुआ है। इनकी मानवीय चेतना ने आर्थिक दृष्टि से विपन्न लोगों को अपनी करुणा से आप्लावित किया है। आत्म–संयम द्वारा अर्थव्यवस्था को नियंत्रित तथा संतुलित रखने का उदाहरण उन्होंने अपने कर्मठ जीवन द्वारा प्रस्तुत किया। उन्होंने तो साँई से केवल इतना धन देने की प्रार्थना की है जिससे परिवार भी भूखा न रहे और द्वार पर आया कोई साधु भी भूखा न जाए। इनके शब्दों में –

^^lkb bruk nhft;] tke dVEc lek;A e Hkh Hk[kk uk jg] lk/k u Hk[kk tk;AA**9

समाज को इस महान संत की सर्वप्रमुख देन मानवीय एकता एवं समानता का विचार है। उन्होंने सभी भेदभावों एवं विद्वेष भावना को त्याग कर प्रेमपूर्वक रहने की प्रेरणा दी। उनकी दृष्टि में सभी समान हैं। रूढ़ियों के वे घोर विरोधी थे। इसी कारण सामाजिक–विषमता एवं जातिगत भेदभावों, कर्मकांडों के प्रति उनकी उक्तियाँ अध्कि विद्रोहमूलक रही हैं। समाज में जो अनेक प्रकार के आचारिक एवं मानसिक विकार व्याप्त थे, उनको निर्मूल करना तथा आदर्श समाज स्थापना ही उनका लक्ष्य था।

स्पष्टतः संत कबीर हिंदी के उन कालजयी संतों में सर्वप्रथम एवं अग्रणी माने जाते हैं जिन्होंने विशाल दोहों का अक्षय भण्डार हिंदी साहित्य को प्रदान किया। कबीर का हिंदी साहित्य में जो योगदान है वह हिंदी साहित्य की अमूल्य अक्षय निधि है। वे अपनी रचनाओं के कारण एक युगांतकारी कवि हैं। उनकी वाणियों ने मनुष्य की विचार–शक्ति को एक नई दिशा प्रदान की तथा उनमें अंध परंपराओं, विषमताओं को निर्मूल करने और जन–जीवन में जागरण लाने की अपूर्व क्षमता है।

lUnHk %

1. कबीर–ग्रंथावली, सं. श्यामसुंदर दास, पृ. 222
2. वही, पृ. 64
3. वही, पृ. 180
4. कबीर–वचनावली, सं. अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔंध', पृ. 185–186
5. वही, पृ. 139
6. कबीर–ग्रंथावली, सं. श्यामसुंदर दास, पृ. 375
7. वही, पृ. 98
8. कबीर–समग्र, सं. डॉ. युगेश्वर, पृ. 725
9. संत सुध–सार, सं. वियोगी हरि, पृ. 140

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 96-99

lkekftd fodkl dh ekDlokn vo/kkj.kk vkj jkefoykl 'kek

MkO deykdkr ;kno*

जिस समय रामविलास शर्मा आलोचना के क्षेत्र में प्रवृत्त हुए उस समय मार्क्सवादी आलोचना के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती प्रगतिशील साहित्य के मान–मूल्य निर्धारित करने की और समकालीन रचनाशीलता के महत्व को रेखांकित करने की थी। साथ ही साथ आरम्भिक मार्क्सवादी आलोचकों की परम्परा के प्रति नकारवादी दृष्टिकोण के बरख्श हिन्दी साहित्य की पूरी परम्परा के समग्र मूल्यांकन का महती कार्य भी था। जिस प्रकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने अपने लेखन से हिन्दी साहित्य का एक व्यवस्थित ढांचा खड़ा किया। कुछ उसी प्रकार का कार्य रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी आलोचना और साहित्य के लिए किया।

इस कार्य की शुरुवात वे अपने प्रिय कवि निराला की रचनाओं की व्याख्या करने और उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में समझाने के क्रम में करते हैं, उन्होंने अपनी सैद्धान्तिक और व्यावहारिक आलोचना के द्वारा हिन्दी साहित्य की पूरी परम्परा का मूल्यांकन किया और परम्परा के प्रगतिशील तत्वों की पहचान की, उन्होंने हिन्दी साहित्य के इतर भाषा विज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र व संस्कृति के प्रश्नों पर विस्तार से लिखा। ऐसा नहीं कि उन्होंने भक्तिकाल के बारे में बात न की हो लेकिन रामविलास शर्मा के हिन्दी आलोचना में सक्रिय होने से आलोचना के केन्द्र से भक्तिकाल निर्णायक रूप से विस्थापित हो गया। रामविलास शर्मा की सभी स्थापनाओं से सहमति अन्य मार्क्सवादी आलोचकों की भी नहीं है किन्तु मार्क्सवादी आलोचना को वाद–विवाद के माध्यम से विकसित करने में उनका बड़ा योगदान है।

रामविलास शर्मा ने हिन्दी जाति की अवधारणा प्रस्तुत की और कहा कि लेखक के लिए मूल समस्या यह है कि हम अपने साहित्य की जातीय विशेषताओं की रक्षा करते हुए किस तरह उन्हें विकसित करें कि हमारी जनता की चेतना निखरे और वह आज के दुःखों और अभावों की दुनिया से निकलकर सुख और स्वाधीनता के प्रकाश में सांस ले सके।''[1] रामविलास शर्मा 'जाति' को राष्ट्र से भिन्न मानते हैं और इसके लिए 'नेशन' शब्द का प्रयोग अधिक उचित समझते हैं। उन्होंने लिखा कि ''मार्क्सवादी साहित्य में नेशन शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त होता है उसके लिए हिन्दी–बंगला के परिचित पुराने शब्द 'जाति' का प्रयोग करना अधिक उचित है, राष्ट्र शब्द से भूमि का भी बोध होता है, जबकि नेशन शब्द से केवल किसी भूमि खण्ड के निवासियों का बोध होता है। दोनों शब्दों–जाति और राष्ट्र को – अलग–अलग रखने से हम उस उलझन से बच सकते हैं जो नेशन शब्द के व्यवहार से उत्पन्न होती है।''[2] रामविलास जी ने भारत के संदर्भ में यह स्थापित किया है कि हिन्दी जाति के निर्माण में मुगल काल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे साामजिक विकास की मार्क्सवादी अवधारणा, कि उत्पादन की शक्तियों में होने वाले परिवर्तन अनिवार्यतः उत्पादन सम्बन्धों में परिवर्तन करते हैं और समाज नए चरण में प्रवेश करता है, में संसोधन करते हुए कहते हैं कि उत्पादन के अलावा सामाजिक–व्यवस्था का नियमन करने वाला तत्व है–वितरण, वितरण–व्यवस्था उत्पादन पद्धति को प्रभावित करती है। वे लिखते हैं कि ''जिस बाजार के आधार पर जाति का निर्माण संभव होता है वह बाजार सौदागरी पूंजी द्वारा पहले कायम होता है, उसमें वस्तुओं की बढ़ती हुई खपत को पूरा करने के लिए उत्पादन की पद्धति में तब्दील बाद को होती है। इसलिए हर देश के आर्थिक इतिहास में हम देखते हैं कि सौदागरी पूंजी का अभ्युदय पहले होता है और पूंजीवादी उत्पादन पद्धति का बाद में, इस सौदागरी पूंजी का अभ्युदय किसी भी उत्पादन पद्धति में हो सकता है।''[3] अर्थात् रामविलास शर्मा की मान्यता है कि पूंजीवाद के अभ्युदय के पहले सौदागरी पूंजी उस बाजार को निर्मित करती है जिसकी मांग को पुरानी उत्पादन पद्धति से पूरा नहीं किया जा सकता और जातियों का निर्माण इसी सौदागरी पूंजी के दौर में होता है। वीर भारत तलवार रामविलास शर्मा की इस स्थापना से असहमति प्रकट करते हुए लिखते हैं कि, ''सच बात तो यह है कि व्यापारिक पूंजी के विकास का पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली से कोई विशेष सम्बन्ध तो दूर रहा उत्पादन की प्रणाली मात्रा से भी कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं होता। बिकाऊ माल का उत्पादन किस प्रणाली से हुआ, इससे व्यापारिक पूंजी का

*प्राध्यापक, हिन्दी, केंद्रीय विद्यालय, झलवा, इलहाबाद, उ0प्र0

कोई अनिवार्य सम्बन्ध नहीं होता। उसका सम्बन्ध तो उत्पादन हो जाने के बाद अस्तित्व में आए माल से होता है, इसलिए यह जरा भी जरूरी नहीं है कि अगर व्यापारिक पूंजी का विकास हो रहा हो तो उसके फलस्वरूप उत्पादन प्रणाली में भी कोई विकास हो रहा हो, व्यापारिक पूंजी सिर्फ बने हुए माल को खरीदने बेचने का काम करती है, उसकी सारी गतिशीलता इन्हीं के बीच होती है। इसलिए कभी–कभी उत्पादन प्रणाली तो बहुत ही पिछड़ी हुई बनी रहती है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं आता, लेकिन व्यापार का विकास होता रहता है। इस सिलसिले में मार्क्स ने लिखा कि ''व्यापारिक पूंजी का विकास उत्पादन के विकास की मात्राा के ठीक उल्टे क्रम में भी होता है।''[4] हिन्दी जाति के निर्माण और गठन सम्बन्धी रामविलास शर्मा के विवेचन का निष्कर्ष यह है कि वे प्राक् औपनिवेशिक भारत के बारे में यूरोपीय अवधारणा का खण्डन करना चाहते थे। वे एक देश के औपनिवेशिक अनुभवों के बाद सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी श्रेय औपनिवेशिक शासकों को नहीं देना चाहते।

यही रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक विवेक का प्रस्थान बिन्दु है जहाँ पर खड़े होकर वे आधुनिक हिन्दी साहित्य को उपनिवेशवाद–विरोधी राष्ट्रीय जागरण के साहित्य के रूप में पढ़े जाने के हिमायती हैं। मानववाद, वैज्ञानिकता, प्रगति और विकास, इहलौकिकता, स्वतन्त्रता, आर्थिक सामाजिक बराबरी आदि तमाम मूल्यों को वे पश्चिम का अवदान नहीं बल्कि सार्वभौम मूल्य मानते हैं। आजादी के बाद के अपने आलोचनात्मक लेखन में उन्होंने 'साम्राज्यवाद विरोध' और 'सामंतवाद विरोध' को साहित्यिक मूल्यांकन का निकर्ष बनाया। किसी रचनाकार की प्रगतिशीलता और प्रतिगामिता का आधार बनाया। इसी कारण कई रचनाकार जो स्वंय को घोषित रूप से मार्क्सवादी कह रहे थे रामविलास शर्मा के कोपभाजन दृष्टि के शिकार बने। उनका मानना है था कि औपनिवेशिक पूंजीवाद ने सामंतवाद के साथ समझौता किया और वह बकायदा ग्रामीण भारत में साम्राज्यवादी शोषण का प्रमुख स्तम्भ बना रहा। आजाद भारत में भी देशी शासकों ने मजबूत सामंती अवशेषों के हित में ही काम किया। अतः 'साम्राज्यवाद' अैर 'सामंतवाद' दोनों भारतीय परिस्थितियों में अन्योन्याश्रित हैं और दोनों का एक साथ विरोध सच्ची राष्ट्रीयता चेतना के लिए जरूरी है। यहाँ उपनिवेशवाद–विरोधी राष्ट्रवाद नवजागरण के मुहावरे में अभिव्यक्त होता है।

अपनी इन मान्यताओं को वे भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, प्रेमचन्द और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पर लिखी गयी पुस्तकों से प्रमाणित करते हैं और अपने प्रतिमानों को स्पष्ट आधार देते हैं।

राम विलास शर्मा हिन्दी साहित्य को नवजागरण को अभिव्यक्त करने वाला साहित्य की बजाय उसे नवजागरण का हिस्सा मानते हैं। 1977 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण' में उन्होंने हिन्दी नवजागरण की संकल्पना प्रस्तुत की और कहा, ''गदर, सन् 57 का स्वाधीनता संग्राम, हिन्दी प्रदेश के नवजागरण की पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का युग है.... हिन्दी नवजागरण का तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगियों का कार्य काल है... हिन्दी नवजागरण के सन्दर्भ में निराला का यह लेखन महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही कार्य की अगली कड़ी है।''[5] रामविलास शर्मा इस नवजागरण की विशिष्टता के रूप में सामंतवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी चेतना, इतिहास और परम्परा का नया मूल्यांकन, रूढ़िवाद का विरोध अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष, खड़ी बोली हिन्दी का जातीय भाषा के रूप में विकास, आधुनिक बुद्धिवादी दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक चेतना का प्रसार, साहित्य में रीतिवाद विरोध, वस्तुवादी चिंतन का विकास, स्वच्छन्दतावादी और यथार्थवादी रचना प्रवृत्तियों का विकास आदि को चिन्हित करते हैं।

रामविलास शर्मा द्वारा प्रस्तुत हिन्दी नवजागरण की अवधारणा ने हिन्दी आलोचना में एक बहस को जन्म दिया। मैनेजर पाण्डेय, शिवकुमार, मिश्र और वीर भारत तलवार जैसे आलोचकों ने रामविलास शर्मा के नवजागरण सम्बन्धी स्थापनाओं पर प्रश्न उठाये और उनसे असहमति प्रकट की। अपनी पुस्तक 'सामना' में वीर भारत तलवार प्रश्न करते हैं कि ''1. भारत के दूसरे प्रदेशों की तुलना में हिन्दी नवजागरण की स्थिति कैसी थी? 2. हिन्दी नवजागरण की अभिव्यक्ति के क्षेत्र कौन–कौन से हैं?... चित्रकला में इसकी क्या स्थिति थी? 3. धार्मिक–सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार के आन्दोलन के प्रभाव में कौन–कौन वर्ण और वर्ग आए और क्यों आए? इसमें प्रभाव क्षेत्र का भी विश्लेषण करना जरूरी है, जैसे आर्य समाज का आन्दोलन कलकत्ता या बम्बई को क्यों प्रभावित नहीं कर पाया जहाँ पहले से नवजागरण चल रहा था? पंजाब में इसका प्रभाव खासकर पड़ा इसकी वजह क्या है? क्यों हिन्दी प्रदेश में इसने ऐसा प्रभाव पंजाब से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर डाला, जैसा पूर्वी, उत्तर प्रदेश पर नहीं? फिर अतीत की जिन चीजों से ये प्रेरणा लेते हैं, जैसे वेद, वेदांत या बौद्ध धर्म से, उसका सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणाम क्या निकला? 4. उपनिवेशिक प्रभुओं के साथ नवजागरण के नेताओं के सम्बन्ध किस प्रकार के थे? किसानों, मजदूरों, अछूतों और स्त्रियों के आन्दोलन के प्रति उनका रवैया क्या था? 5. हिन्दी जवजागरण के अन्दर क्या एक से अधिक धराएँ थी? 6. हिन्दी नवजागरण क्या सिर्फ शहरों के शिक्षित मध्यवर्ग

तक सीमित रहा या समाज के देहाती इलाकों और निम्नवर्गों में भी यह पहुंचा? 7. हिन्दी नवजागरण की क्या कोई ऐसी परम्परा या परम्पराएँ भी हैं जो शिक्षित मध्यवर्ग से बाहर निम्न वर्गों की रही हों और जो शिक्षित मध्यवर्गीय नवजागरण की परम्परा से भिन्न और स्वतन्त्र रही हों? आखिर में एक सवाल हिन्दी नवजागरण की धारणा और ढांचे का भी है, हिन्दी नवजागरण से क्या मतलब है? क्या इसका मतलब हिन्दी भाषा के माध्यम से हुए नवजागरण से है या हिन्दी साहित्य में हुए नवजागरण से है? अथवा इसका मतलब पूरे हिन्दी प्रदेश में हुए नवजागरण से है या तथाकथित हिन्दी जाति के नवजागरण से है? इसके अध्ययन के ढांचे को किस आधार पर तय किया जाए? इसका सम्बन्ध यूरोपीय पुनर्जागरण से और बंगाल या महाराष्ट्र के नवजागरण की धारणा और उनके अध्ययन के ढांचे से किस तरह का होगा?''[6]

वीरभारत तलवार द्वारा रामविलास शर्मा की हिन्दी जाति और नवजागरण सम्बन्धी स्थापनाओं पर उठाये गए प्रश्न इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि वे रामविलास शर्मा द्वारा अनछुए रह गये हैं, लेकिन इससे उनका महत्व कम नहीं हो जाता। एक ऐसे समय में जब मार्क्सवादी आलोचना के समक्ष सौन्दर्यशास्त्र निर्मित करने की चुनौती खड़ी हो गयी थी रामविलास शर्मा का लेखन मायने रखता है। कमी रामविलास शर्मा द्वारा निर्मित 'साम्राज्यवाद विरोध' और 'सामांतवाद विरोध' के मानक में नहीं है बल्कि वहाँ है जहाँ वे इन मानकों द्वारा कुछ रचनाकारों का अति मूल्यांकन करते हैं। जिस प्रकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल अपने कथात्मक काव्य के आग्रह के कारण कुछ रचनाकारों के साथ अन्याय और कुछ का अधिमूल्यांकन कर बैठे थे, ठीक उसी प्रकार रामविलास शर्मा कर बैठे हैं। लेकिन इससे न शुक्ल जी की महत्ता कम हुई न रामविलास शर्मा की।

रामविलास शर्मा के निराला और प्रेमचन्द पर के लेखन को प्रायः सभी ने स्वीकार किया है किन्तु भारतेन्दु का का 'साम्राज्यवाद–विरोध' आचार्य शुक्ल का सामंतवाद विरोध लगातार सवालों के दायरे में रहा है। साथ ही उनके आलोचनात्मक प्रतिमानों की सीमाएँ मुक्तिबोध के मूल्यांकन में भी उजागर हुई हैं।

भारतेन्दु का मूल्यांकन करते समय रामविलास शर्मा उन्हें हिन्दी नवजागरण का अग्रदूत घोषित करते हैं। उनकी इस स्थापना को शिव कुमार मिश्र और वीरभारत तलवार चुनौती देते हैं। शिव कुमार मिश्र जहाँ भारतेन्दु में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति के समवेत स्वरों का होना रेखांकित करते हैं वहीं वीर भारत तलवार भारतेन्दु के बरख्श शिवप्रसाद सितारे हिन्द को स्थापित करते हैं और स्त्री शिक्षा से लेकर उर्दू के सवाल तक भारतेन्दु के अन्तर्विरोधों को रेखांकित करते हैं। इसी तरह रामविलास शर्मा की आचार्य शुक्ल सम्बन्धी यह स्थापना कि ''हिन्दी साहित्य में शुक्ल जी का वही महत्व है जो उपन्यासकार प्रेमचन्द या कवि निराला का। उन्होंने आलोचना के माध्यम से उसी सामंती संस्कृति का विरोध किया जिसका उपन्यास और कविता के माध्यम से प्रेमचन्द और निराला ने। शुक्ल जी ने न तो भारत को रूढ़िवाद को स्वीकार किया न पश्चिम के व्यक्तिवाद को। उन्होंने बाह्य जगत ओर मानव जीवन की आवश्यकता के आधार पर नये–नये साहित्य सिद्धान्तों की स्थापना की और उनके आधार पर सामंती साहित्य का विरोध किया और देशभक्ति और जनतंत्र की साहित्यिक परम्परा का समर्थन किया।''[7] पर आलोचकों में असहमति है।

यद्यपि रामविलास शर्मा ने 'आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना' लिखकर आचार्य शुक्ल पर आरम्भिक मार्क्सवादी आलोचकों द्वारा लगाये जा रहे आरोपों का प्रतिकार किया। शिवदान सिंह चौहान ने आचार्य शुक्ल के बारे में लिखा था कि ''शुद्धकलावादी दृष्टिकोण से तो इतिहास नहीं लिखे गए लेकिन न्यूनाधिक मात्रा में एकांगी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण आचार्य शुक्ल से लेकर आज तक अपनाये जाते रहे हैं।''[8] कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य शुक्ल पर उस समय हमले कलावादी और मार्क्सवादी दोनों कर रहे थे। ऐसे समय में रामविलास शर्मा ने आचार्य शुक्ल की दृष्टि को भौतिकवादी सिद्ध किया, और यह स्थापित करते हैं कि शुक्ल जी ने ब्रह्मानन्द सदोहर कहे जा रहे रस की लौकिक व्याख्या करके आनन्द को काव्य का लक्ष्य मानने वाली सामंती विचारधारा को ध्वस्त किया और श्रृंगार की जगह करूणा को मूल भाव घोषित किया। करूणा से प्रेरित अन्याय का प्रतिरोध करने वाले नायकों को आदर्श माना। रामविलास शर्मा आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के लेखन को तत्कालीन स्वाधीनता आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं। ऐसा करने पर निश्चित रूप से आचार्य शुक्ल सामंतवाद और साम्राज्यवाद विरोधी दिखाई देंगे। क्योंकि आन्दोलन को ऐसे नायकों की जरूरत थी जो साम्राज्यवाद के विरुद्ध खड़े हो सके, इसलिए शुक्ल जी ने तुलसी के 'मानस' का चयन किया था। तुलसी के काव्य की सीमाओं को आचार्य शुक्ल की आलोचना की सीमा नहीं मानना चाहिए। यही बात रामविलास शर्मा के बारे में भी सत्य है। वे उपनिवेशवाद विरोधी आलोचक हैं। जिस तरह से अफ्रीकी लेखकों ने यह मानने से इंकार कर दिया कि उपनिवेशवाद के जुए तले जुतने से पहले उनका कोई इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, उसी तरह राम विलास

शर्मा ने भी उपनिवेशों के संदर्भ में मार्क्सवादी व्याख्याओं की अपर्याप्तता की ओर इंगित किया ओर उसे भारतीय संदर्भ में विकसित किया।

यदि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के आलोचना की सबसे बड़ी कमी अपने समय के काव्य आन्दोलन छायावाद को सही ढंग से न समझ पाने में है तो रामविलास शर्मा के आलोचना कर्म की सीमा भी नयी कविता और मुक्तिबोध के मूल्यांकन से जुड़ी हुई है। आचार्य शुक्ल जिस प्रकार तुलसी को लेकर कई बार यांत्रिक हो जाते हैं, उसी तरह रामविलास शर्मा छायावादी काव्य संस्कारों के प्रति। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि रामविलास शर्मा के प्रेमचन्द, और निराला सम्बन्धी मूल्यांकन को लेकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है किन्तु जब इन रचनाकारों के रचनाकर्म के आधार पर निर्मित प्रतिमानों का उपयोग रामविलास शर्मा नयी कविता और मुक्तिबोध पर करते हैं तो उनके आलाचनों की सीमा उजागर हो जाती है। उन्हें नयी कविता में सब कुछ अस्तित्ववादी नजर आने लगता है। प्रयोगवादी कविता या नयी कविता भयानक विद्रूप और प्रतिक्रियावादी जान पड़ती है।

मुक्तिबोध के सदंर्भ में उनकी मुख्य आपत्ति मुक्तिबोध के आभ्यंतर जगत से है जिसे वे किसी न किसी तरह भाववाद से जोड़ देते हैं। मुक्तिबोध की 'एक स्वप्न कथा', 'ओ काव्यांत्मक 'फणिधर', 'अँधेर में' आदि कविताओं का विश्लेषण करते हुए रामविलास शर्मा निष्कर्ष निकालते हैं कि मुक्तिबोध, अस्तित्ववाद, रहस्यवाद और मार्क्सवाद का समन्वय करते हैं। इस समन्वय में कई बातें स्पष्ट नहीं है। अनस्तित्व का विकास क्या होता है? जिसका अस्तित्व ही नही, उसका विकास कैसा? यह विकास भी किस काम का जब उसकी परिणति है पूर्ण विनाश? इससे पीड़ित जनों को क्या लाभ होगा? टीले के टूटने की कहानी हर आदमी की कहानी क्यों बनेगी? शोषण से मुक्ति पाने के लिए आदमी का टूटना क्यों जरूरी है।''[9] रामलिवास शर्मा के मन में उभरने वाले ये प्रश्न मार्क्सवाद को लेकर मुक्तिबोध और उनके (रामविलास शर्मा) समझ में अन्तर के परिणाम हैं। आरम्भिक मार्क्सवादी आलोचकों की जिस यांत्रिकता का विरोध रामविलास शर्मा करते हैं नयी कविता तक आते–आते वे स्वयं उसका शिकार हो जाते हैं। तभी तो वे कहते हैं, कि ''एक स्वप्न कथा'' में मुक्तिबोध फिर मनोविश्लेषण शास्त्र, रहस्यवाद, अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं,''[10] रामविलास शर्मा के इस विश्लेषण पर टिप्पणी करते हुए नामवर सिंह कहते हैं, ''इस कविता में मनोविश्लेषण–शास्त्र और रहस्यवाद देखना उतना ही गलत है जितना अस्तित्वाद देखना। डॉ. शर्मा ने जिन क्रियाकलापों के आधार पर अस्तित्वाद का निरूपण किया है, उससे लगता है कि उनकी दृष्टि में अस्तित्ववाद कोई निश्चित जीवन दृष्टि नहीं बल्कि भाव जगत के कुछ क्रियाकलापों की रूढ़ियों का सामूहिक नाम है। उन्हें जब मुक्तिबोध में दुनिया को लिजलिजी कहते, उसे देखकर उबकाई आने, सड़ने कनखजूरे रेगनें आदि की क्रियाएँ नहीं मिलती तो वे कह उठते हैं कि मुक्तिबोध का अस्तित्ववाद सार्त्र की भावभूमि से अलग है।''[11] वस्तुतः शीत युद्ध के समय आलोचना में जो राजनीति चल रही थी उसके अनुसार रामविलास शर्मा का यह विवेचन आधुनिकता और उसके रास्ते कलावाद का विरोध था। रामविलास शर्मा जी अपने सामंतवाद–विरोध और साम्राज्यवाद विरोध के निकर्ष का इतना यांत्रिक प्रयोग करते हैं कि नए सामाजिक गतिविज्ञानों की अभिव्यक्ति कर रही मुक्तिबोध की कविता उनकी पकड़ से छूट जाती है। मुक्तिबोध का आत्मसंघर्ष जिसको कि रामविलास जी ने अस्तित्ववादी खांचे में फिट करके देखा, मध्यवर्ग की वे परिस्थितियाँ हैं, वे द्वन्द्व हैं जो एक तरफ उसे बदलाव की राजनीति के लिए लड़ रही निम्नवर्गीय विचारधारा की तरफ धकेलते हैं और दूसरी तरफ अपनी सामाजिक महत्वाकांक्षाओं की रूढ़ियाँ चढ़ने का प्रलोभन भी दिखाते हैं।

lUnHkZ %

1. रामविलास शर्मा – प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ, पृष्ठ–8–9
2. रामविलास शर्मा – भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएँ, पृष्ठ–14
3. रामविलास शर्मा – भाषा और समाज, पृष्ठ–260
4. वीरभारत तलवार–सामना, पृष्ठ–92
5. रामविलास शर्मा – महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिन्दी नवजागरण, पृष्ठ–13–14
6. वीर भारत तलवार – सामना, पृष्ठ–257–258.
7. रामविलास शर्मा – आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना, पृष्ठ–27
8. रामविलास शर्मा – प्रगतिशील साहित्य की समस्याएँ पृष्ठ–10 पर उद्धृत
9. रामविलास शर्मा – नयी कविता और अस्तित्ववाद पृष्ठ–141
10. वही पृष्ठ–141
11. नामवर सिंह, कविता के नये प्रतिमान पृष्ठ–242

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 100-102

mŸkj izns'k esa uDlyokn dh fLFkfr

MkW0 lk{kh tk;loky*

lkjka'k% प्रस्तुत शोध पत्र अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है और इसमें द्वितीयक स्रोत प्रणाली का प्रयोग किया गया है प्रस्तुत शोध अन्य शोध से अलग प्रकृति का विश्लेषण है जो कि भारतीय समाज में नए परिवर्तन को रेखांकित करता है।

भारत दुनियाँ का सबसे विशाल लोकतान्त्रिक देश है। 15 अगस्त 1947 को मिली आजादी के बाद से ही यहाँ लोकतन्त्र लगातार मजबूत हुआ है। गणतान्त्रिक व्यवस्था पर जनता के मजबूत विश्वास ने यहाँ लोकतान्त्रिक संस्कार पैदा किए हैं, लेकिन ये विडम्बना है कि भारत की आजादी में छिपी आधुनिक विकास और प्रगति व उन्नति की रोशनी आजादी के सालों बाद भी जब देश के कई इलाकों में नहीं पहुँच पाई तो रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जनसंख्या का बड़ा तबका बागी होने लगा।

जब विकास की लहर एकतरफा चली तब संसाधनों के अभाव तथा लालफीताशाही में फँसी भावना में बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण व अधिकारों का हनन हुआ, जिसका नतीजा व्यवस्था से नाराजगी के रूप में सामने आया और आगे चलकर इसने विद्रोह का रूप ले लिया, जिसकी परिणति हिंसा के रूप में हुई। व्यवस्था के खिलाफ अपने अधिकारों की जंग में ऐसे लोगों ने हिंसा का रास्ता चुना और उनकी इस हिंसा ने नक्सलवाद का रूप अख्तियार कर लिया।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज देश जिस नक्सलवाद से जूझ रहा है उसकी शुरूआत पश्चिम बंगाल के छोटे से गाँव नक्सलवाड़ी से हुई। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने 1967 ई0 में एक सशस्त्र आन्दोलन को नक्सलवाड़ी से शुरू किया इसीलिए इसका नाम नक्सलवाद हो गया। बहरहाल, उनका मानना था कि भारतीय नीतियाँ और पूरा लोकतान्त्रिक व्यवस्था जिम्मेदार है। सिलिगुड़ी में पैदा हुए चारू और मजूमदार आन्ध्रप्रदेश के तेलंगाना आन्दोलन से व्यवस्था से बागी हुए। इसी के चलते 1962 ई0 में उन्हें जेल में रहना पड़ा।

वैसे नक्सलवाद के असली जनक कानू ही माने जाते हैं। कानू का जन्म दार्जिलिंग में हुआ था। वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्री विधानचन्द्र राय को काला झण्डा दिखाने के आरोप में जेल गए थे। कानू और चारू मजूमदार जब बाहर आए तो उन्होंने सरकार और व्यवस्था के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का रास्ता चुना। आगे चलकर कानू और चारू के बीच वैचारिक मतभेद बढ़ गए और दोनों ने अलग राहें, अलग पार्टियों के साथ बना ली। 1972 ई0 में चारू मजूमदार की मृत्यु हो गयी जबकि कानू सान्याल ने 23 मार्च 2010 को फांसी लगा लिया। इस प्रकार दोनों के मृत्यु के बाद नक्सलबाड़ी आन्दोलन भटक गया, लेकिन यह भारत के कई राज्यों उत्तर प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखण्ड और बिहार तक फैलता गया, पर जिन वंचितों, दलितों, शोशितों के अधिकारों की लड़ाई के लिए यह शुरू हुआ, न तो उनके हाथ कुछ आया, न ही नक्सलवादियों के। हिंसा की बुनियाद पर रखी इस आन्दोलन की भटकाव ही परिणति थी।

भारत में पिछले एक दशक से नक्सलवाद की हिंसक गतिविधियों में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिलती है। आज नक्सलवाद की जद में देश के 13 से अधिक राज्य शामिल हो चुके हैं और देश के कई राज्य आज भी लम्बे समय से इसे झेल रहे हैं। नक्सलवादी हिंसा में सैकड़ों बेगुनाहों की मौत हो चुकी हैं जबकि देश का आदिवासी समुदाय भी अप्रत्यक्ष रूप से इस हिंसा का शिकार है। उत्तर प्रदेश एवं उससे जुड़े कई जिलों में सामाजिक व आर्थिक विषमता के आधार पर उपजी इस विचारधारा का रूप अब काफी विकराल हो चुका है। यद्यपि भारत के पूर्वी व मध्य क्षेत्र में पिछले कुछ दकों से नक्सलवाद के कई समूह सक्रिय हैं लेकिन पिछले दशक या इसके

*राजनीति विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विभाग, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी,उ0प्र0

आस–पास की अवधि के दौरान समस्या का एक गम्भीर स्वरूप दिखाई दिया है। देश में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा व बिहार सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। इसके परिणामस्वरूप नक्सलवाद से जुड़ी घटनाओं को भारतीय मीडिया ने हर क्षेत्र में दर्शाना शुरू कर दिया है।

यह सच है कि नक्सलवाद एक बड़ी समस्या है जिसके कारण उत्तरप्रदेश का विकास प्रभावित हो रहा है। बहुत से उद्योग धन्धे फलने–फूलने से डरते हैं जबकि प्रकृति ने इस राज्य को अपनी भरपूर नेमतों से नवाजा है, जिसका उपयोग किया जाए तो न सिर्फ यह राज्य बल्कि देश के अन्य राज्य भी कहीं ज्यादा विकसित हो जाएगें और देश की आर्थिक प्रगति में भी इसका सबसे बड़ा योगदान माना जाएगा, लेकिन नक्सल समस्या के कारण इसके विकास का पहिया धीमा ही रहता है। ऐसे में यदि कोई इस बात से इन्कार करता है कि नक्सलवाद यहाँ कोई समस्या नहीं है तो यकीनन वह इस विषय से भटकता हुआ नजर आयेगा, लेकिन सिर्फ नक्सलवाद ही यहाँ एक समस्या है तो यह सोच भी गलत है। नक्सलवाद के अलावा और भी कई समस्यायें मौजूद है। यह समस्या आम आदमी की समस्या है जो उसके जीवन में रोजमर्रा के साथ जुड़ी हुई है। अन्य राज्यों की तरह यहाँ भी शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, रोजगार, प्रदूषण, सड़क, बिजली, पानी और आजीविका जैसे कई तरह के सामाजिक मुद्दे सिर उठाए खड़े रहते हैं जिनसे एक आम आदमी को दो चार होना पड़ता है।

आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल आदि सहित भारत के लगभग 16 राज्यों के 170 जिले नक्सलवाद से प्रभावित हो चुके हैं। रु0 30000 करोड़ के सालाना बजट के साथ 25 हजार हथियारबन्द और 50 हजार सदस्यों वाला यह उग्रवादी संगठन सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से बना यह संगठन आज हिंसक होकर लोकतन्त्र के कानूनी ढाँचे को ध्वस्त करना चाहता है।

नक्सलवाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में नेताओं के हित साधन का दुषपरिणाम है। आज वोट बैंक के लिए मुस्लिम, दलित आदि को लक्ष्य बनाकर इनके मुद्दे उठाए जाते हैं लेकिन जंगल, पहाड़ और दुर्गम इलाके में रहने वाले आदिवासियों के विषय में कोई आवाज नहीं उठाता। आदिवासी आखिर नक्सली क्यों न बनें? आदिवासियों को विकास चाहिए, जरूरत है विकास और भोजन उपलब्ध कराकर नक्सली प्रवृत्ति से मोहभंग करने की।

अधिकांश नक्सलवादियों को इस बात का पता भी नहीं होता है कि वह किस उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन नक्सलवादियों में से कुछ तो बेरोजगार हैं जिन्हें बरगला–फुसला कर हिंसक अभियान में शामिल कर लिया गया है और कुछ गरीब मजदूर जिन्हें कुछ थोड़े से रुपये का लालच देकर गुमराह कर लिया गया है। नक्सल आन्दोलन आज अपने निहितार्थ को काफी हद तक हो चुका पवित्र उद्देश्यों के साथ आरम्भ किया गया यह आन्दोलन उसी समय बदनाम होने लगा, जबकि धनसत्ता की चाहत में इसे शान्तिगत प्राक्रियाओं से बहुत दूर कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश के जो नक्सली नेता वाकई समाधान के तलाश में थे, उन्हें उपेक्षित करने का परिणाम और भी खतरनाक सिद्ध हुआ। उत्तर प्रदेश के नक्सली संगठनों पर उन नेताओं की पकड़ कायम होने लगी जो अधिकाधिक रूप से धाक जमाने के लिए केवल हिंसा द्वारा हल किए जाने के क्रम में उत्तर प्रदेश की जनता और उनके अपने समर्थकों के बीच भी अलोकप्रिय बना दिया। ऐसे में इन नक्सल नेताओं के पास नफरत की राजनीति के अलावा विकल्प ही क्या था? फिर इन नेताओं ने हठ (जिद) और दबाव की नीति चली, लेकिन इस तरह की अपनी बात मनवाने की नीति प्रदेश के हालात को और जटिल बना रही हैं।

leL;k lek/kku %

नक्सलवाद भारत की सबसे प्रभावी चुनौती बनकर उभरा है। यह केवल भारत की ही समस्या नहीं है, बल्कि देश–विदेश की भी समस्या है। नक्सलवाड़ी गाँव भारत को ही नहीं बल्कि विश्व के तीन देशों को जोड़े हुए हैं। वस्तुतः भारत में नक्सलवाद एक सामाजिक–आर्थिक समस्या है। भारत में जब तक आर्थिक असमानताओं को पूरा नहीं किया जायेगा। जब तक नक्सलवादियों से भारतीय अशान्ति और अस्थिरता की स्थिति बनी रहेगी। नक्सलवादियों की समस्या नक्सलवाड़ी नामक एक छोटे से गाँव से शुरू हुआ है जो विश्व के तीन देशों– भारत, नेपाल तथा पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) की सीमा पर स्थित नक्सलवादी कोई आतंकवादी नहीं बल्कि देश के कुछ निर्धन लोग हैं, जो अपने जल, जीवन और जमीन के लिए लड़ रहे हैं। भारत में नक्सलवाद प्रभावित पट्टी नेपाल से सटे बिहार से लेकर आन्ध्रप्रदेश के रॉयल सीमा तक का क्षेत्र हैं।

वर्तमान में भारत के कई राज्य नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मुख्य हैं। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र, एवं मीरजापुर जिला विशेशरूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्र है।

नक्सलवादियों की अपनी समस्यायें है, अपनी शिकायतें हैं। जब तक उनके शिकायतों का त्वरित निपटारा नहीं किया जाएगा, तब तक उनका असन्तोष और आक्रोश उन्हें ऊर्जा प्रदान करता रहेगा। नक्सलवादियों के असन्तोश को दूर करने के लिए सरकार को उनके विकास के लिए सुसंगठित कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे। उन्हें सैन्यीकरण और पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है बल्कि उन्हें प्रेम, विश्वास और उनके इलाके से त्वरित गति से आर्थिक विकास की आवश्यकता है जिससे उन्हें लाभ पहुँचाया जा सके और उनका विकास हो सके। इसके साथ ही साथ सरकार को चाहिए कि –

1. आदिवासियों की जमीनें ली जा रही, उनके साथ सरकार समेत इण्डस्ट्री उनके हितों को ध्यान में रखते हुए रोजगार और आवास उपलब्ध करवाएँ।
2. देश के बाहर से आदिवासियों को जिस तरह से हथियार उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, सरकार को अपनी राजनीति और कूटनीति दोनों पर गहन विचार करने की जरूरत है।
3. गरीब और अमीर के बीच न्याय और उसके अधिकारों को लेकर जो भेदभाव चला आ रहा है उसे खत्म करें।
4. बन्दूक के बल पर नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जा सकता इसके लिए सरकार की नीतियाँ और नीयत दोनों में फर्क नहीं होना चाहिए क्योंकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है।
5. सरकार के लिए जरूरी है कि सभी राज्यों एवं क्षेत्रों में पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल और सड़क जैसी बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखें।
6. वहाँ के बेहतर प्रशासन के लिए ईमानदार, जिम्मेदार और निडर अधिकारियों को नियुक्त करें।
7. सरकार को रेड कॉरीडोर क्षेत्र में विकास के साथ–साथ लोककल्याण, समस्याओं और उनके मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखना जरूरी है।

fu"d"k %

देखा जाए तो जंगलों, पहाड़ों आदि पर रहने वाली ये जातियाँ, जनजातियाँ शुरू से ही इतनी आक्रामक नहीं रही हैं। कहीं न कहीं सबल एवं सम्पन्न लोगों ने इन्हें इतना मजबूर किया कि ये हथियार उठाने के लिए और खून के प्यासे हो गए। जैसे गाँव के गाँव विस्थापित करना और उनके पुनर्वास की व्यवस्था न करना, अकारण ही उनके परिवार या रिश्तेदारों को प्रताड़ित करना, उनके द्वारा जंगल की बनायी हुई भूमि पर कब्जा कर लेना आदि के कारण इनमें विद्रोह की भावना भड़की है।

यूँ तो नक्सलवाद एक विचारधारा है और अनायास ही ये किसी को अपना शिकार नहीं बनाते हैं। इनके भी सीने में दिल धड़कता है और आँखों में पानी होता है। इनका मानना है कि वे सभी हमारे मित्र है जिनके साथ सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक अन्याय हो रहा है। इसलिए इनकी विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका अलग है। इनकी न्याय व्यवस्था के बारे में कहा जाए तो जिन समस्याओं को हमारी प्रशासनिक व्यवस्था वर्शों में नहीं सुलझा पाती उसे नक्सली पलभर में दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। ऐसे में नक्सलवाद अन्तरद्वन्द का विशयवस्तु बना हुआ है।

lUnHkZ %

1. दास गुप्ता, विपलब 1974; द नक्सलाइट मूवमेण्ट एलाइट पब्लिकेशन, बाम्बे,
2. गुहा रामचन्द : आदिवासी नक्सलाइट्स, एवं इण्डियन डेमोक्रेसी, इकनॉमिक एवं पॉलीटिकल वीकली, अंक 43, संख्या 32, 11 अगस्त 2007
3. इयूकर, एडवर्ड 1987; द ट्राईबल गुरिल्लास, द संथाल ऑफ वेस्ट बंगाल एण्ड द नक्सलाइट मूवमेण्ट, आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, दिल्ली
4. एन0के0एस0, 1983; ट्राइबल मूवमेण्ट इन इण्डिया, मनोहर पब्लिशर, दिल्ली
5. तलवार, वीर भारत, 2007; नक्सलबाड़ी के दौर में, अनामिका पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यटर्स, नई दिल्ली
6. गुप्ता, प्रमोद सेन : नक्सलवादी एण्ड इण्डिया रिवोल्यूशन रिसर्च, इण्डिया पब्लिकेशन, कलकत्ता, 1983।
7. पंथी, जगन्नाथ : ट्राईबल पिजेण्ट्री डायनामिक्स ऑफ डेवलपमेण्ट, इण्टर–इण्डिया पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1984।

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 103-104

tgk ckl Qyrs gSa mxokn dh leL;k

fxjt'k dqekj*

श्रीप्रकाश मिश्र जी के उपन्यास ''जहाँ बाँस फूलते हैं'' एक ऐसा उपन्यास है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यतः मिजोरम में व्याप्त विद्रोह की समस्या और कारणों को प्रकट करने का प्रयास है। इस क्षेत्र में विकास के नाम पर एक दल का परिणाम लक्षित करके इस उपन्यास के संबंध में लिखे एक लेख में देवराज लिखते हैं ''विकास जो कागजों पर एक खुशहाल जिन्दगी खड़ी करते हुए वास्तविक जीवन को वैषम्य और अभावों के मगरमच्छ के मुँह में धकेलता है पहले मिजोरम में असंतोषक को जन्म देने वाला सिद्ध हुआ, फिर इसी ने उस असन्तोष को उग्रवाद में, उग्रवाद से आतंकवाद में बदला और सबके देखते–देखते उसका स्वाद पानी भी बनता रहा। अधिक चिन्ताजनक स्थिति तब बनी जब उग्रवाद की संधि अलगाववाद के साथ हुए और पेट की भूख के लिए संघर्ष की भावना सम्प्रभु शब्द के निर्माण की भावना के साथ मिलकर अलगाव में तब्दील हो गई।''[1]

इस उपन्यास में मिजोरम के उग्रवाद तथा उसके पीछे के कारणों को गहराई से खोजा जाता है। मिजोरम में जनश्रुति है कि हर पचास साल की आवृत्ति पर वहाँ के बाँस फूलते हैं। उनके बीजों को खाकर चूहे बहुत बच्चे पैदा करते हैं जो फसल खा जाते हैं और मिजोरम में अकाल पड़ जाता है। ऐसा ही अकाल 1958 में पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप 1966 का विद्रोह हुआ। यानि विद्रोह का एक मूल कारण भोजन का न मिलना था जो उग्र रूप धारण करता हुआ राजनीति के रंग में रंग गया। अकाल के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई, जिसे भरपेट भोजन नहीं मिलता उसके लिए अन्य सभी बातें बेमानी हो जाती हैं।

वास्तव में भूख से फूटे इस हिंसक उपद्रव का अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति साधन बनाने वाली शक्तियाँ पहले से ही सावधान थी। अशिक्षित और भूखे लोगों को समझाना आसान था कि उनके सामने करो या मरो के अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं था। इन भूखे लोगों की भूख के लिए जिम्मेदार शोषक वर्ग भी कम चालाक नहीं था लालडेंगा कहता है– ''मीजो बन्धुओं बहुत दिनों से ये धनी लोग वाई लोगों का सुख अपनी तिजोरियों में कैद कर चुके हैं। गरीबों का आहार इनके गोदामों में मूल्य वृद्धि की प्रतीक्षा करते–करते सड़ रहा है। समय आ गया है कि वे अब अपनी तिजोरियों और गोदामों से मरहूम हो उनकी अट्टालिकाओं को गिरा दिया जाये तथा उनका वृत्त छीनकर भूखे लोगों में बाँट दिया जाय।''[2]

यदि मीजो लोग उग्रवादी बन रहे है तो उसका एक बड़ा कारण वहाँ के आम लोग और सैन्य अधिकारी भी रहे हैं जो अपने प्रभाव के बल पर दबी कुचली जनता से हरी सब्जियाँ और मछलियाँ तक मुफ्त में प्राप्त कर लेते हैं जिसकी वजह से इन लोगों में असन्तोष व्याप्त हो जाता है धीर–धीरे वह उग्रवाद का रूप ले लेता है। एक दिन रूआलखूमा हवासिंह के पास पहुँचा और कहा– ''कपू हम कामकाजी लोग हैं, बैठे–बैठे सरकारी अनाज के भोजन से शर्मसार हो रहे हैं। अनुमति हो तो इस साल अपना झूम लगाये। एवज में उनका लासा ठीक से बना देने का वादा ले हवासिंह ने अनुमति दे दी। कोई एक माह में फौज के लिए पूरा कैंटोमेंट बना गया जो पैसा सरकार से आया वह कुछ अधिकारियों के जेब में चला गया, कुछ गाँव वालों जो बतौर मजदूरी मिला। फसल लहराए तो भी खाने के लिए हरी सब्जी और मछलियाँ मिलने लगी।''[3]

सैन्य बल साधारण लोगों की वस्तुओं पर भी अपना हक जमाते हैं। छानबीन के नाम पर जब वे गाँवों में घुसते हैं। जबरदस्ती खाना बनवाते हैं और बिना पूछे ही उनके पशुओं को मार डालते हैं। जब तलाशी अभियान शुरू होता है तो उस तलाशी का दृश्य कुछ इस प्रकार होता है– ''हवासिंह ने गुस्से में होठ काट लिया। एक एक घर की तलाशी लेने का हुक्म दिया। एक टुकड़ी गाँव घेरे रही। दूसरी तलाशी लेने लगी और तलाशी के दौरान बर्तन फोड़ दिए गए, संदूक तोड़ दिए गए। प्रौढ़ाओं के कपड़े फाड़ दिए गए मर्दों की बुलबुली हिलाकर कुंदों से

*शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गुना (म0प्र0)

पीट दिया गया। जानवरों की हलार और मनुष्यों की चीत्कार में कोई मूलभूत भेद नहीं होता–इसे वे तमाम लोग जान पाए जो इस स्थिति से गुजरे। लोगों को घसीट–घसीट कर मैदान में लाया गया। सोते मासूम बच्चे, अस्सी साल के कमजोर बीमार बूढ़े, नुची प्रौढ़ाएँ, पिटे युवक। फिर गाँव में आग लगा दी गई। औरतें अपने घरों की ओर दौड़ पड़ी। बच्चे खामोश हो मुँह खोल दिए। बूढ़े लाश की तरह लाहराकर हो गए। नुकील संगीनों और भारी बूटों के लाये उनकी आत्मा पर एक थब्बा लगाकर रह गया।''[4]

जहाँ बाँस फूलते हैं उग्रवाद और आतंकवाद के उस पूरे सच के बयान के साथ ही एक ऐसा प्रसंग भी उठाता है। उग्रवादी संगठन के साथ काई समझौता होता है तो शासन सत्ता उसे अपने पक्ष में लाने की कोशिश करती है। इससे अलग हटकर एक दूसरा पर्याय शांति–समझौते के प्रदर्शन, घोषणा और आयोजन से जुड़ा हुआ है। प्रायः वे शर्तें जनता को कभी पता नहीं चलती जो बंद कमरों में समझौते की मेज पर तय होती है। जनता को केवल यह पता चलता है कि एक समझौता हुआ है जिसमें दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है और जिसके बने कालीन पर शांति आने वाली है। इस समझौते की घोषणा के लिए अक्सर भव्य आयोजन होते हैं।

उपन्यास में यह सब मिजोरम के बहाने दर्शाया गया है किन्तु यह तथ्य सभी क्षेत्रों में फैले उग्रवाद और उसे समाप्त करने के लिए किए जाने वाले समझौते पर समान रूप से लागू होता है। 'जहाँ बांस फूलते हैं' में पहली बार एक ऐसे विषय को व्यापक दृष्टि से साहित्य में स्थान दिया गया है। जो प्रायः रचनात्मक लेखन का ध्यान आकर्षित नहीं करता। इसमें समकालीन उपन्यास साहित्य विचार और विश्लेषण दोनों ही धरातलों पर समृद्ध हुआ है।

I UnHk% %

1. (सम्पा0) सुरेश चन्द्र, श्रीप्रकाश मिश्र के काव्य में संघर्ष चेतना, सबद प्रकाशन, इलाहाबाद।
2. श्रीप्रकाश मिश्र 'जहाँ बाँस फूलते हैं, यश पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1998, पृ0 43
3. श्रीप्रकाश मिश्र 'जहाँ बाँस फूलते हैं, यश पब्लिकेशन्स, दिल्ली, पृ0 137
4. श्रीप्रकाश मिश्र 'जहाँ बाँस फूलते हैं, यश पब्लिकेशन्स, दिल्ली, प्रकाशन 1998, पृ0 252

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 105-106

ofnd dkyhu f'k{kk 0;oLFkk % ,d v/;;u

enyk flg*

iLrkouk % वैदिक कालीन सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह सभ्यता ईषापूर्व 2500 से 500 के आस–पास मानी जाती है। इस सभ्यता का मूल आधार वेद है। वेद में वर्णित व्यवस्था, धर्म एवं संस्कृति के अनुसार ही वैदिक कालीन सभ्यता संचालित एवं अग्रसित होती रही है। 'वेद' से तात्पर्य संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद् से लगाया जाता है। इन ग्रन्थों में एक अच्छी सभ्यता को कैसे संचालित किया जा सकता है, का सुन्दर एवं विस्तृत वर्णन है।

वैदिक काल में समाज को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने हेतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र चार भागों में विभक्त कर दिया गया था। ब्राह्मण शिक्षा–दीक्षा आदि का कार्य, क्षत्रिय को समाज की सुरक्षा का कार्य, वैश्य को व्यापार एवं उद्योग का कार्य तथा शूद्र को कृषि एवं कला कौशल के कार्यों को सम्पन्न कराना होता था। समाज एक–दूसरे के ऊपर पूरी तरह से निर्भर था। आपस में अत्यन्त ही समरसता थी। सादा जीवन उच्च विचार–जीवन का उद्देश्य हुआ करता था। ऐसे में समाज के सबल, सक्षम व समृद्धिशाली बनाने हेतु आवश्यक था कि उत्तम शिक्षा प्रदान की जाय। इस काल में शिक्षा गुरूकुलों में प्रदान की जाती थी। प्रवेश का आधार छात्र की योग्यता हुआ करती थी। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। महिलायें भी शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। शिक्षा प्राप्त करते समय शिष्य को गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। गुरूकुल के नियमों एवं गुरू के आदेशों का उसे पालन करना होता था। भिक्षाटन आदि के माध्यम से गुरुकुल का खर्च चलता था। ये गुरूकुल शिष्यों के लिए घर की तरह होते थे। गुरू और उनकी पत्नी शिष्यों को माता–पिता के रूप में हुआ करते थे। प्रकृति के सुरम्य वातावरण में रहकर शिक्षा प्राप्त करने से शिष्यों में प्रकृति प्रेम, पशु–पक्षियों के प्रति प्रेम आदि भावनायें विकसित की जाती थी। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि गुरूकुल में शिक्षा प्राप्त करने से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगिक विकास हो जाता था।

वास्तव में शिक्षा मानव समाज की नैसर्गिक आवश्यकता है। इसके अभाव में बालक का सर्वांगिक विकास सम्भव नहीं है। वैदिक कालीन शिक्षा मनुष्य के नैतिकता की आधारशिला थी। आज नैतिकता का अधिकाधिक पतन हो रहा है, समाज में प्रेम एवं सहयोग की भावना का लोप हो रहा है, राजनीतिक जीवन में त्याग, तपस्या तथा बलिदान के स्थान पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। आज राजनीति देश भक्ति नहीं बल्कि स्वार्थ भक्ति से की जाती है। इन स्थितियों में स्पष्टतः यह कहा जा सकता है कि जिस देश की शिक्षा नयी पीढ़ी में स्वाभिमान, सहयोग तथा सहकारिता के लिए अपना योगदान नहीं दे सकती, उससे और अधिक आशा करना व्यर्थ है। अतः आज आवश्यकता है कि वैदिक कालीन सभ्यता एवं शिक्षा का अध्ययन कर वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता को ज्ञात किया जाय।

v/;;u dh vko';drk & वैदिक कालीन समाज एवं शिक्षा धर्म आधारित थी। जीवन के चार पुरुषार्थ हुआ करते थे – धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में धर्म एवं मोक्ष की प्रमुखता हुआ करती थी, जिसके आधार पर वह जीवन व्यतीत करता था। जीवन में अर्थ और काम का भी महत्व था,परन्तु उसे वह स्थान प्राप्त नहीं था जो धर्म और मोक्ष को।

जीवन को चार भागों – ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं सन्यास में विभक्त किया गया था। इस प्रकार समाज चार वर्ण, जीवन के चार भागों तथा जीवन के प्रमुखतः चार लक्ष्यों पर आधारित था। फलस्वरूप समाज में सुख–शान्ति परिलक्षित होता था और वर्तमान समाज में उपरोक्त व्यवस्थाओं का पूरी तरह से अभाव है। यद्यपि आज तक इस संदर्भ में अन्यान्य शोध हो चुके हैं और फिर भी आज आवश्यकता है कि वैदिक कालीन सभ्यता

*शोध छात्रा, प्राचीन इतिहास विभाग, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जौनपुर, उ0प्र0

एवं शिक्षा पर शोध कर वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता को जाना जाय। इसी उद्देश्य से शोधार्थिनी से उपरोक्त बिन्दु पर शोध पत्र पूर्ण किया गया है।

mnn; & वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करना।

'kk/k fof/k & शोध कार्य को सम्पन्न करने हेतु ऐतिहासिक शोध विधि का उपयोग किया गया है। शोध के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथ्यों का विश्लेषण करते समय शोधार्थिनी द्वारा वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा आलोचनात्मक तरीके को अपनाया गया है। शोध में प्रमुखतः प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक स्रोत के अन्तर्गत मूल ग्रन्थों एवं द्वितीयक स्रोत के अन्तर्गत सहायक ग्रन्थों का प्रयोग किया गया है।

fu"d"k & भारतीय–साहित्य में वेदों का विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान है, मनुष्यों के सनातन कर्त्तव्य का विधि–विधान तथा इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का परिहार आदि के वर्णन का कोष वेद है। लौकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिए जिस प्रकार नेत्र की उपयोगिता है, उसी प्रकार अलौकिक तत्त्वों के रहस्य को जानने के लिए वेद की उपादेयता है। साथ ही प्राचीन वैदिक आर्यों की संस्कृति क्या थी, वे किस प्रकार रहते थे तथा अपने कार्यों का सम्पादन कैसे करते थे। इसका विषद् वर्णन 'ऋग्वेद' में प्राप्त होता है। ऋतु–परिवर्तन का कारण या प्रज्ञापराध आदि के कारण खराब हुए स्वास्थ्य आदि के संरक्षण का भी उपाय ऋषियों से छिपा नहीं था। इसे मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने ध्यानमार्ग से देखकर तथा अन्वेषण कर उसे भी वेदों में संग्रहित किया है, ज्ञान से सामाजिक, राजनैतिक, धर्म, शिक्षा, मनोरंजन, आयु आदि से संरक्षण आदि के ज्ञान के लिए ऋग्वेद का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। प्राचीन भारत में वास्तविक अध्ययन–अध्यापन का आरम्भ, उपनयन–संस्कार के पश्चात् होता था, तभी से विद्यार्थी का ब्रह्मचर्य आरम्भ होता था। विद्यार्थी की साधारण उपाधि ब्रह्मचारी थी। उनका प्रमुख उद्देश्य था, वेद–विद्या या ब्रह्म–विद्या में पारंगत होना। तत्कालीन धारणा के अनुसार इन्हीं के द्वारा मानव–जीवन सार्थक हो सकता है। ज्ञान अपनी आधिभौतिक उपादेयता के बल पर तो विश्व में सदैव प्रतिष्ठित रहा है और रहेगा। प्राचीन भारत में इसके अतिरिक्त ज्ञान की प्रतिष्ठा के कुछ विशेष कारण थे। वैदिक धारणा के अनुसार ज्ञान के द्वारा मानव का व्यक्तित्व दिव्य हो जाता है। वह ज्ञान से सम्पन्न होने पर देवता बन जाता है। ऐसे विद्वान् को समाज में सर्वोच्च आदर प्राप्त होता था। मानव के जन्मजात तीन ऋणों में ऋषि–ऋण से मुक्ति विद्या प्राप्त करने के द्वारा सम्भव मानी जाती थी। अथर्ववेद का मन्तव्य है कि ज्ञान से चक्षु, प्राण एवं प्रजा प्राप्त होती थी। वेद व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठतर बनाने के लिए व्यक्ति के रूपान्तरण पर बल देता है। सामाजिक कर्तव्यों के अन्तर्गत विहित संस्कारों का महत्व आज भी प्रासंगिक है। शिक्षा का आदर्श मनुष्य को उसकी पाश्वीवृत्तियों से मुक्त करके उसे सही अर्थों में मानवोचित गुणों से युक्त करना है। वैदिक कालीन शिक्षा–व्यवस्था का इस दृष्टि से अनुपम अवदान है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि वैदिक कालीन शिक्षा–व्यवस्था सभी धर्म एवं दर्शनों आदि का मूल है, उसे यदि सार्वभौमिक एवं सार्वकालिक शिक्षा दर्शन कहा जाये तो अत्युक्ति नहीं होगी। आज हम जिस वर्गहीन, धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी व्यवस्था की बात करते हैं, वह वैदिक कालीन शिक्षा–व्यवस्था की अभेद दृष्टि के द्वारा प्राप्त की जा सकती है।

lUnHkZ %

1. त्यागी, गुरुसरनदास (2012) : भारत में शिक्षा का विकास, अग्रवाल प्रकाशन, हास्पिटल रोड, आगरा।
2. लाल, रमन बिहारी (2006) : भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्या, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, गंगोत्री, शिवाजी रोड, मेरठ
3. शरतेन्दु, सत्यनारायण दुबे (2006) : भारत में शिक्षा–व्यवस्था का विकास, साहित्य–सुजन संस्थान, जौनपुर
4. शर्मा, श्रीमती आर०के० : भारत में शैक्षिक व्यवस्था का विकास, राधा प्रकाशन मन्दिर, आगरा।
5. शुक्ला, डॉ० सी०एस० (2007) : भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, इण्टरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
6. श्रीवास्तव, डॉ० डी०एस० (2006) : भारत में शिक्षा का विकास, साहित्य प्रकाशन, आगरा।

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 107-110

tul[;k e ifjokj fu;ktu

Jherh fu'kk flg*

lf{kIr lkjk'k% शोधकर्त्री व्यक्तिगत प्रतिचयन सर्वेक्षण द्वारा पल्हनी ब्लॉक आजमगढ़ के विद्यालयों तथा अशिक्षित परिवारों का अध्ययन किया जिसमें सरकार द्वारा चलायी गई योजनाओं के प्रति सकारात्मक रुचि प्राप्त हुई थी।

e[; 'kCn%& जनसंख्या, परिवार नियोजन, जलवायु तथा सरकारी प्रयास।

iLrkouk %& निरन्तर बढ़ती हुई जनसंख्या एवं सीमित साधनों में सामन्जस्य स्थापित करने के लिए जनसंख्या नियन्त्रण आवश्यक है। जिस प्रकार शरीर के लिये अधिक भोजन हानिकारक है उसी प्रकार क्षेत्र एवं देश के त्वरित आर्थिक विकास हेतु जनसंख्या की अधिकता हानिकारक है। देश एवं क्षेत्र में सीमित जनसंख्या से ही आदर्श विकास सम्भव है। विकासशील एवं अविकसित देशों के लोग अपने संसाधन के आधार पर परिवार के आकार के विषय में न तो सोचते हैं और न ही गम्भीरता से परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करते हैं। साथ ही साथ शिक्षा का अभाव अर्थात् निरक्षता भी प्रति व्यक्ति आय एवं रहन– सहन के निम्न स्तर का मुख्य कारण है। भारतीय समाज में बच्चा ईश्वरीय देन माना जाता है। अन्धविश्वास यहाँ तक है कि पुत्रियाँ चाहें जितनी पैदा हो जाये, जब तक बेटा नहीं पैदा हो जाता तब तक परिवार नियोजन के विषय में सोचा भी नहीं जाता। इस प्रकार अन्धविश्वास, निम्न आर्थिक स्तर तथा निरक्षता के कारण सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद जन्मदर पर आशातीत नियन्त्रण नहीं हो पाया है। देश में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु परिवार नियोजन अपरिहार्य है। जनसंख्या वृद्धि में भौगोलिक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। भौगोलिक कारकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है। गर्म जलवायु के क्षेत्रों में प्रजनन क्षमता कुछ पहले विकसित हो जाती है, परिणामतः बच्चों की संख्या बढ़ जाती है, तथा जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। इसके विपरीत ठण्डे क्षेत्रों में प्रजनन क्षमता देर से आती है, विवाह भी देर से होता है, अतः बच्चे कम पैदा होते हैं। इसलिये इन क्षेत्रों की जनसंख्या कम रहती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद का पल्हनी विकासखण्ड क्षेत्र भी अपेक्षाकृत गर्म जलवायु का क्षेत्र है। इस विकास खण्ड में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन ही शोध पत्र का अभीष्ट है।

विकासखण्ड पल्हनी पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद के दक्षिण भाग में स्थित है। इसका विस्तार $25^0$57′7′′ उत्तरी से $26^0$7′6′′ उत्तरी अक्षांशों के बीच तथा $83^0$6′33′′ पूर्वी से $83^0$15′45′′ पूर्वी देशान्तरों के मध्य स्थित है। अध्ययन क्षेत्र के उत्तर में विकास खण्ड बिलरियागंज, दक्षिण में विकास खण्ड रानी की सराय तथा पश्चिम में कोयलसा विकास खण्ड स्थित है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 127.56 किलोमीटर^2 है। अध्ययन क्षेत्र मध्य गंगा के समतल मैदान में स्थित है, जिसके कारण इसका भूगर्भिक इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इस भूभाग का सम्पूर्ण क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित एक समतल मैदान है। यह घाघरा एवं टोंस नदियों अवसादों से निक्षेपित है, जिसमें सिल्ट, चीका, कंकड़, बालू एवं कांग्लोमिरेट आदि शैलें पायी जाती हैं। भूगर्भशास्त्री एडवर्ड श्वेस के अनुसार, ''गंगा का मैदानी भाग हिमालय के अत्यन्त बलन के कारण निर्मित एक मैदानी भूभाग है, जिसमें बहुत अधिक गहराई तक जलोढ़ मृदा पायी जाती है, परन्तु अन्ततोगत्वा आधारगत शैल के रूप में ग्रेनाइट शैल पायी जाती है।

ifjokj fu;ktu dk;Øe dh :ij[kk %

देश के संसाधन एवं सेवाओं पर जनसंख्या के दबाव से उत्पन्न समस्याओं के समाधान एवं आर्थिक विकास को तीव्र करने हेतु भारत सरकार ने सर्वप्रथम 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारम्भ किया। बीसवीं सदी के आरम्भ से ही बुद्धिजीवियों ने भारत की जनसंख्या की तीव्र वृद्धि माँ तथा बच्चे के स्वास्थ को उच्चस्तरीय बनाने

*शोध छात्रा, भूगोल विभाग, श्री महन्थ रामाश्रयदास पी0जी0कॉलेज, भुड़कुड़ा, गाजीपुर,उ0प्र0

तथा देश के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिये बढ़ती जनसंख्या को रोकने के बारे में अपने–अपने विचार व्यक्त किये।

भारत में परिवार नियोजन के पक्ष में सर्वप्रथम पी0के0 बाटल ने अपनी पुस्तक ''पापुलेशन प्राब्लम इन इण्डिया'' में अपना तर्क व्यक्त किया तथा परिवार कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला प्रो0 आर0डी0 कर्वे वह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होनें 1925 में मुम्बई नियोजन क्लिनिक की सर्वप्रथम स्थापना की। उस समय इस बात की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि परिवार नियोजन का यह प्रयोग राष्ट्रव्यापी आन्दोलन का सूत्रपात करेगा। 11 जून, 1930 में मैसूर सरकार द्वारा संसार की सर्वप्रथम ''बर्थ कन्ट्रोल क्लिनिक'' की स्थापना हुयी, जो भारत के लिए सदैव गौरव का विषय बना रहेगा। सन् 1932 में ''ऑल इण्डिया वीमेन्स कान्फ्रेन्स'', लखनऊ में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके अध्यक्ष स्व0 पं0 जवाहर लाल नेहरू थे, एक राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। इस समिति ने परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता स्वीकार करते हुए इसे योजना का अभिन्न अंग बना दिया।

तत्पश्चात् 1936 में लखनऊ में सम्पन्न प्रथम भारतीय जनसंख्या कान्फ्रेन्स तथा 1938 में मुम्बई में द्वितीय कान्फ्रेन्स ऑफ स्टेट्स में भारत के सभी प्रान्तों में जन्म नियन्त्रण क्लिनिक खोले जाने का प्रस्ताव रखा, जो बहुमत से पास हुआ। इन सभी प्रयासों का यह परिणाम हुआ कि भारत सरकार ने जनसंख्या के क्षेत्र में अपना विशेष ध्यान केन्द्रित किया। 1943 में ब्रिटिश सरकार ने 'हेल्थ सर्वे एण्ड डेवलपमेण्ट कमेटी' जिसे 'भोर कमेटी' के नाम से जाना जाता हैं, का सृजन किया, जिसके अध्यक्ष जोसेफ भोर थे। इस कमेटी का मुख्य कार्य भारत की स्वास्थ सम्बन्धी आवश्यकताएं जानना तथा जनसंख्या सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन करना था। सन् 1946 में इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

'kks/k vfHkdYi ¼fof/krU=½ % प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयुक्त समंकों का संचयन व्यक्तिगत प्रतिचयन सर्वेक्षण के आधार पर किया गया। प्राप्त समंकों को सारिणीबद्ध किया गया। विभिन्न स्तर पर शिक्षा के उन्नयन को परिवार कल्याण कार्यक्रमों से सहसम्बन्ध स्थापित किया गया। क्षेत्रीय स्तर पर परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को अपनाने में विधिक स्तरीय शिक्षित लोगों के समंक संचयित किये गये और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता की क्षेत्रीय विषमता का पता लगाने के लिये जनसंख्या वृद्धि, बच्चों की संख्या और जनघनत्व से सहसम्बन्धित करके सार्थक शोध परिणाम तक पहुँचने का प्रयास किया गया। शोध अध्ययन की प्रमाणिकता के लिये समय–समय पर गहन क्षेत्र सर्वेक्षण किया गया।

vkdMk dk fo'y"k.k ,o 0;k[;k % परिकल्पना है–यदि शिक्षित परिवार है, तो वह परिवार नियोजन के प्रति सक्रिय रहेगा, जबकि अशिक्षित परिवारों में यह अनुपात निश्चय की कम होगा। अतः इस हेतु संकलित आँकड़ों का सारणीयन, विश्लेषण एवं व्याख्या आवश्यक हैं। पल्हनी ब्लाक में 935 शिक्षित एवं 65 अशिक्षित दम्पतियों के परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत प्रतिचयन विधि से चुना गया जो सारणी–1 में दृष्टव्य है–

lkj.kh&1

क्र.सं.	शिक्षा का स्तर	बन्ध्याकरण		निरोध कण्डोम	गर्भ निरोधक गोलियाँ	आई.यू. डी. लूप	उत्तरदाताओं की संख्या
		पुरूष	स्त्री				
1	स्नातकोत्तर	–	3	75	5	5	88
2	स्नातक	–	6	127	16	17	166
3	इण्टर	–	12	200	32	5	249
4	हाईस्कूल	–	16	149	23	1	189
5	जूनियर	–	22	190	3	2	157
6	प्राथमिक	–	5	71	11	–	87
(अ)	योग शिक्षित	–	64	752	90	30	935
(ब)	योग अशिक्षित	–	18	32	10	4	65
	महायोग	–	83	784	100	34	1000

स्त्रोतः व्यक्तिगत प्रतिचयन सर्वेक्षण(2008–09)

अशिक्षित परिवारों में भी परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता आयी है। नसबन्दी के इन साधनों का एक कारण यह है कि इन महिलाओं के पति शिक्षित हैं।

स्नातकोत्तर स्तर पर मात्र 88 दम्पतियों का चयन हुआ है जिसमें महिला नसबन्दी 3, 75 निरोध का प्रयोग एंव गर्भ निरोधक गोलियाँ तथा आई0यू0डी0 का प्रयोग क्रमशः 5 एवं 3 महिलायें ही कर रहीं हैं।

स्नातक स्तर पर 166 दम्पतियों ने परिवार नियोजन को अपनाया है। जिसमें 127 निरोध का उपयोग की है जबकि गर्भ निरोधक गोलियाँ एवं आई0यू0डी0 का प्रयोग क्रमशः 16 एवं 17 महिलायें की है।

इण्टर स्तर 12 महिलाओं ने नसबन्दी करायी है जबकि 200 पुरूषों ने निरोध का उपयोग किया है, 32 महिलायें गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग तथा 5 महिलायें आई0यू0डी0 का प्रयोग कर रहीं हैं।

हाईस्कूल स्तर पर नसबन्दी 16 स्त्री निरोध, 149 गर्भ निरोधक गोलियाँ 23 एवं एक स्त्री आई0यू0डी0 का प्रयोग कर रहीं हैं।

जूनियर हाईस्कूल स्तर पर शिक्षा के इस स्तर पर स्त्री नसबन्दी 22, निरोध 130, गर्भ निरोधक गोलियाँ 03 तथा आई0यू0डी0 का प्रयोग 02 महिलाओं ने किया।

प्राथमिक स्तर पर अध्ययन वर्ष 2008–09 में स्त्री नसबन्दी 05, निरोध का उपाय 71, गर्भ निरोधक गोलियाँ का प्रयोग 11 महिलाओं ने किया जबकि आई0यू0डी0 का प्रयोग करने वाली एक महिला नहीं मिली।

lkj.kh&2

क्र.सं.	शिक्षा का स्तर	बन्ध्याकरण		निरोध कण्डोम	गर्भ निरोधक गोलियाँ	आई.यू. डी. लूप	उत्तरदाताओं की संख्या
		पुरूष	स्त्री				
अ	शिक्षित	–	64	752	90	30	935
1	प्राथमिक	–	5	71	11	–	87
2	जूनियर	–	22	190	3	2	157
3	हाईस्कूल	–	16	149	23	1	189
4	इण्टरमीडिएट	–	12	200	32	5	249
5	स्नातक	–	6	127	16	17	166
6	स्नातकोत्तर	–	3	75	5	5	88
ब	अशिक्षित	–	18	32	10	4	65
	योग	–	82	784	100	34	1000

स्त्रोतः व्यक्तिगत प्रतिचयन सर्वेक्षण(2008–09)

हाईस्कूल स्तर – हाइस्कूल स्तर पर नसबन्दी 16 स्त्री, निरोध 149, गर्भ निरोधक गोलियाँ 23 एव आइ0यू0डी0 1 स्त्री प्रयोग की थी।

इण्टर स्तर – इण्टर स्तर पर 12 स्त्रियों ने नसबन्दी करायी है, जबकि 200 पुरूषों ने निरोध का उपयोग किया। 32 महिलायें गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग तथा 5 स्त्रियाँ आई0यू0डी0 का प्रयोग कर रही हैं।

स्नातक स्तर – स्नातक स्तर पर 166 दम्पतियों ने परिवार नियोजन को अपनाया है। जिसमें 127 निरोध का उपयोग की है, जबकि गर्भ निरोधक गोलियाँ एवं आई0यू0डी0 का प्रयोग क्रमशः 16 एवं 17 स्त्रियाँ की हैं।

स्नातकोत्तर स्तर–स्नातकोत्तर स्तर पर मात्र 88 दम्पतियों का चयन किया जा सका है, जिसमें स्त्री नसबन्दी 3, 75 व्यक्ति निरोध का प्रयोग एवं गर्भ निरोधक गोलियाँ तथा आई0यू0डी0 का प्रयोग क्रमशः 5 एवं 5 स्त्रियाँ ही कर रहीं हैं। इसके कम होने का प्रमुख कारण समीप में महाविद्यालय का न होना ही है। क्रमशः 16 एवं 17 स्त्रियाँ की हैं।

अशिक्षित स्तर – अशिक्षित परिवारों में भी परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता आयी है, जिसमें 18 स्त्री नसबन्दी, 32 व्यक्तियों ने निरोध का उपयोग, गर्भ निरोधक गोलियाँ, 10 स्त्री और आई0यू0डी0 का उपयोग 4 महिलायें कर रही हैं। इन महिलाओं के उपयोग करने का प्रमुख कारण यह है कि इनके पति शिक्षित हैं जो तालिका से स्पष्ट होता है।

'kks/k ifj.kke % अध्ययन क्षेत्र एवं देश में उचित जनसंख्या से त्वरित आर्थिक विकास सम्भव है। पाश्चात्य विकसित देशों के लोग अपने साधन के आधार पर परिवार के आकार के विषय में विचार–विमर्श करते हैं, जबकि विकासशील एवं अविकसित देशों में परिवार के विषय पर बच्चों की संख्या पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ शिक्षा का अभाव प्रति व्यक्ति आय एवं रहन–सहन के निम्न स्तर का प्रतिफल है। भारतीय समाज में बच्चा ईश्वरीय देन माना जाता है। अन्धविश्वास तथा भारतीय समाज में लड़कियों की अपेक्षा दो लड़कों का होना अनिवार्य समझा जाता है। इस प्रकार अन्धविश्वास निम्न आर्थिक स्तर तथा शिक्षा की कमी के कारण सरकार के अथक प्रयासों के बावजूद जन्मदर पर आशातीत नियन्त्रण नहीं पाया है। देश में जनसंख्या नियन्त्रण हेतु परिवार नियोजन अपरिहार्य हैं।

अतः इस शोध प्रपत्र की परिकल्पना का परीक्षण उपर्युक्त आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के आधार पर किया गया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षित दम्पतियाँ, अशिक्षित दम्पतियों की तुलना में परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रति ज्यादा जागरूक हैं।

lUnHkZ %

1. ओझा, रघुनाथ (1983); जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन, आचार्य नगर, कानपुर, पृ0 354
2. ओझा, रघुनाथ (1983); जनसंख्या भूगोल, प्रतिभा प्रकाशन, आचार्य नगर, कानपुर, पृ0 36
3. उदित ओछा; जनसंख्या भूगोल, पृ0 354
4. केशरी, राकेश कुमार (मार्च 2003); योजना पत्रिका, पृ0 28
5. कुमार, मिथिलेश पाण्डेय, सूर्य कुमार, सहानी, निर्मल (1985); जनसंख्या शिक्षा : सिद्धान्त एवं तत्व ''जनसंख्या केन्द्र'', इन्दिरा नगर, लखनऊ, पृ0 19
6. दूबे, कमलाकान्त एवं सिंह, महेन्द्र कुमार (1991–2001); ''जनसंख्या भूगोल'', रावत पब्लिकेशन ,जयपुर, पृ0 288.
7. माल्येस टी0आर0; ''ऐन एसे आन दि प्रिन्सपुल ऑफ पापुलेशन'', पृ0 24.
8. यादव, चौथी सिंह (2005); उत्तर भारत भूगोल पत्रिका, वाल्यूम–35, नं0 1+2, जून–सितम्बर, पृ0 23.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 111-113

cVh cpkvk&cVh i<kvk % ,d lekt'kkL=h; fo'y"k.k

lR;Un dkUr ek;*

आजादी के बाद के 67 वर्षों में देश ने काफी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक प्रगति की है। इस विकास में महिलाओं का योगदान किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं रहा है। मगर महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाने का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का सपना अधुरा हैं। समाज में अब भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। देश में कन्या भ्रूण हत्या, झूठी शान की खातिर बेटियों का हत्या कर दी जाति है। पोषण और शिक्षा के मामलों में भी लड़कियों के खिलाफ भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। यहाँ तक कि किसी महिला का घर से बाहर जाकर रोजगार करने का फैसला भी उसका नहीं होकर उसके परिवार वालों का होता हैं।

अब केन्द्र सरकार ने हर बेटी को पढ़ाने के लिए एक मुकम्मल योजना बनाई है और इसे नाम दिया है 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओं' इसे पूरे देश में एक आन्दोलन का रुप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस अभियान की शुरुआत की। इस योजना में प्रारम्भ में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के 100 चुनिंदा जिलों को शामिल किया जा रहा है। खासकर उन जिलों को शामिल किया गया है, जहाँ बालक–बालिकाओं का अनुपात बेहद कम है। इस अभियान के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने (बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं) अभियान के जरिए आधी आबादी को उसका मूलभूत अधिकार दिलाने की दिशा में एक नई पहल की है। विभिन्न प्रदेशों मे महिला जन्म दर की स्थिति देखें तो चौकाने वाली है। सबसे खराब हालत हरियाणा की है। इस संकट से निबटने के लिए ही 'बेटी बचाओं,बेटी पढ़ाओं अभियान की शुरुआत की गई है।

हम भारत की साक्षरता की बात करें तो 2011 में महिला साक्षरता दर 65.46 फीसदी तथा पुरुष साक्षरता दर 82.14 फीसदी दर्ज की गयी है। बिहार में यह दर सबसे कम यानी 46.40 फीसदी, उत्तर प्रदेश में 51.36 फीसदी, हरियाणा में 56.91 फीसदी तथा राजस्थान में 47.76 फीसदी है। खुशी की बात यह है कि केरल में महिला साक्षरता दर 100 यानी शतप्रतिशत है। सूत्रों के अनुसार इस योजना की मुख्य रणनीतियों में सामाजिक लामबंदी एवं संवाद अभियान के बढ़ावा देना भी शामिल है ताकि सामाजिक मानदण्डों में बदलाव लाने को साथ–साथ बालिकाओं को समान महत्व दिलाया जा सके। इसी तरह सरकारी आंकड़े बताते है कि 6 से 10 साल की करीब 25 प्रतिशत लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। वहीं 10 से 13 साल की 50 प्रतिशत से भी ज्यादा लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। 2008 के एक सरकारी सर्वेक्षण में 42 प्रतिशत लड़कियों ने यह बताया कि वे स्कूल इसलिए छोड़ देती है क्योंकि उनके माता–पिता उन्हें घर संभालने और अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल करने को कहते है। 'बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं' अभियान के तहत फैलाई जा रही जागरुकता की वजह से इस संकट से भी मुक्ति मिलेगी।

बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं कार्यक्रम के तहत 100 जिलों का चयन किया गया है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पहल है। इस कार्यक्रम के अर्न्तगत अलग–अलग विभागों की अलग–2 जिम्मेदारी तय की गयी है। इसके तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क जिम्मेदारी होगी कि वह आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भावस्था के पंजीकरण को प्रोत्साहित कराए। इसके तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जायेगा ताकि उनके जरिए दूसरे लोग भी प्रोत्साहित हो और अभियान में भागीदारी करें। दूसरी संस्था के रुप में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की शामिल किया गया है। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी की वह गर्भधारण पूर्व और जन्मपूर्व जाँच तकनीकों का निगरानी क्रियान्वयन कानून 1994 का पालन कराए। अस्पतालों में प्रसव की संख्या बढ़ाने के साथ ही निगरानी समितियों के गठन पर भी जोड़ दिया जायेगा। तीसरी संस्था होगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरुक किया जाए। उनका पंजीकरण करने के बाद विभिन्न कक्षाओं में होने वाले ड्राप आउट को दर को कम किया जाए।

*शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0

gfj;k.kk l 'k#vkr d igy dh ;ktuk % प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'बेटी बचाओं बेटी बढ़ाओं योजना का शुभारंभ हरियाणा के पानीपत से करके एक नया संदेश दिया है।क्योंकि इसी राज्य में बालक–बालिका अनुपात सबसे कम है। तमाम कानूनी कार्यवाई के बाद भी यहाँ कन्या भ्रूण हत्या के सर्वाधिक मामले आए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय बाल लिंगानुपात 914 की तुलना में यहाँ 1000 बेटी पर महज 830 बेटियाँ है। एक हिन्दी दैनिक में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा का एक भी जिला ऐसा नहीं है, जिसे लिंगानुपात को लेकर आदर्श कहा जा सके।

djhfr;k l fey xh efDr] cfV;k gkxh Lokoych % 'बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं' के तहत फैलाई जा रही जागरुकता से तमाम कुरीतियों का भी खात्मा होगी। यह ऐसी कुरीतियाँ है जो देश के विकास में बाँधा बनी हुई है। आज बालिका हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। लेकिन आज भी वह अनेक कुरीतियों का शिकार है। ये कुरीतियाँ उसके आगे बढ़ने मे बाधाएँ उत्पन्न करती है। पढ़े–लिखे लोग और जागरुक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। आज हजारों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। आज भी समाज में कई घर ऐसे है, जहाँ बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। भारत में 14 से 20 साल की शादीशुदा औरतों में से 44.5 प्रतिशत ऐसी है जिनकी शादियाँ 18साल के पहले हुई है। इन 20से 24 साल की शादीशुदा औरतों में से 22 प्रतिशत ऐसी है जो 18 साल के पहले माँ बनी है। इन कम उम्र में लड़कियों से 73 प्रतिशत बच्चें पैदा हुए है। इन बच्चों में 67 प्रतिशत कुपोषित है। बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान के जरिए इस चुनौती का भी सामना किया जा सकेगा। क्योंकि जब बेटियाँ शिक्षित होगी तो उसमें स्वालंबन आएगा। फिर न तो कन्या भ्रूण हत्या जैसी वारदातें होगी और नहीं बाल विवाह ऐसे मे कुपोषण का संकट अपने आप मे खत्म होता नजर आएगा। 'नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रनस राइटस' यानी 'एनसीपीसीआर 'की एक रिपोर्ट मे बताया गया था कि भारत में 6 से 14 साल तक की ज्यादातर लड़कियों को हर दिन औसतन 8 घण्टे से भी ज्यादा समय केवल अपने घर के छोटे बच्चों को संभालने में बिताना पड़ता हैं।

सामूहिक भागीदारी से कम होगी चुनौतियाँः इसमें कोई संदेह नहीं कि इस अभियान में तमाम चुनौतियाँ है लेकिन इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक भागीदारी बढ़ानी होगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस अभियान में विभिन्न स्तरों पर ग्राम पंचायतों, शैक्षिक संस्थानों को शामिल किया गया है। इससे निपटने और हालात का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय ने योजना पर विशेष निगरानी रखने का निर्णय लिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भी समय–समय पर अपनी समीक्षात्मक रिपोर्ट पीएमओ को पेश करने को कहा गया है। इस अभियान का सबसे अधिक फायदा यह होगा कि बालिकाओं की साक्षरता दर में तेजी से बढ़ोतरी होगी। भारत में साक्षरता दर की बात करें तो 1991 में भारत में साक्षरता दर 48 प्रतिशत थी जो 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गयी है। इसी तरह से 1990–91 में देश में प्राथमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल छोड़ने के दर 59.1 प्रतिशत थी। जो कि 2010–11 में 40.3 प्रतिशत हो गई आर0टी0आई0 जून 2014 के अनुसार 2009–10 में प्राथमिक स्तर पर वार्षिक ड्राप आउट दर 9.1 थी। जो 2013–14 में घट कर 4.7 हो गई है। ऐसे में यदि इस अभियान का प्रचार–प्रसार होगा तो यह दर और गिरेगी और वह दिन दूर नहीं जब देश में बालक–बालिका साक्षरता दर का शत–प्रतिशत लक्ष्य हासिल हो जाएगा।

ckfydk f'k{kk vkfFkd l'kDrhdj.k dk vk/kkj % किसी देश की प्रगति और वास्तविक स्थिति का यदि अध्ययन करना हो तो वहीं महिलाओं की शिक्षा का स्तर देखना चाहिए। एक शिक्षित नागरिक से जो अपेक्षाएँ की जाती हैं उसी के आधार पर समाज का विकास निर्भर करता है। यदि किसी समाज या राष्ट्र में पर्याप्त संसाधान हों किन्तु वहाँ एक दक्ष और परिष्कृत मानव संसाधन नहीं हो तो उसकी प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध हो सकते है। आज भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर करीब 65 प्रतिशत है। जिसमें ग्रामीण महिलाओं का हिस्सा और भी कम है। जब हम एक महिला को साक्षर करते है तो इसका मतलब होता है कि हम एक परिवार को भी साक्षर करते है। किसी भी समाज को नष्ट करने का यदि कोई उपाय है तो वह है वहाँ से शिक्षा को सामान कर दिया जाना। सामान्य रुप से देखें तो महिलाओं को शिक्षित करने से उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण मिलेगा। उनमें वैज्ञानिकता, वस्तुनिष्ठता आएगी, उनमें अच्छे व बुरे की पहचान करने की क्षमता का विकास होगा और इसके माध्यम से वे परिवार और समाज में समान दर्जा प्राप्त करने में सफल होगी। इसके साथ ही उन्हें बेहतर रोजगार, आजिविका के साधन और आर्थिक निर्भरता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस प्रकार जब वे आर्थिक रुप से सशक्त होंगी तो यह न केवल उनके लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी एक बेहतर अनुभव होगा। आज महिलाओं के सामने जो भी समस्याएँ है उसके पिछे अज्ञानता अशिक्षा ही कारक है। एक सामान्य महिला को अपने सामान्य कानूनी अधिकार तक पता नहीं

होते है। महिला हेल्पलाईन, महिला आयोग,घरेलू हिंसा कानून सहित तमाम कानून जो महिला सुरक्षा के लिए बने है। उन्हें उनकी जानकारी भी नहीं है। उनकी अज्ञानता का लाभ उठाकर उन्हें समाज में दोयम दर्जा दे दिया जाता है। और इसी वजह से उनका शोषण होता रहता है। पिछले वर्ष यूनिसेफ की एक रिपोर्ट,''द स्टटे ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रेन 2012''शीर्षक से आई थी जो कि वर्ष 2000 से 2010 तक के आँकड़ों में भारत में बालिकाओं की स्थिति पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की 54 प्रतिशत महिलाएँ अपने पति द्वारा पिटाई किये जाने को उचित मानती हैं। जबकि 57 प्रतिशत किशोर इसे उचित मानते है। क्या कारण है कि आज की नारी और समाज के किशोर भी इस तरह की मध्यकालीन सोच से ग्रसित हैं। इसके मूल में है उनका पारंपरिक समाजीकरण और शिक्षा आज महिलाओं को अपने सामान्य सामाजिक कानूनी वित्तिय अधिकारों की जानकारी नहीं है। भाग्यवादी और पुरुष नियंत्रण का अपने व्यक्तित्व से समायोजन रखते हुए व अपने पिटाई को उचित मानती है।

ckfydkvk dh f'k{kk vkj vkfFkd dY;k.k d i;kl % केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने विगत वर्षों मे कई ऐसी योजनाएँ और कार्यक्रम संचालित किये हैं जो बालिका शिक्षा और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिहाज से महत्वपूर्ण और अनिवार्य रहे है। इनमें अर्ली चाईल्ड केयर, कस्तूरबा बालिका विद्यालय प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम ,माध्यमिक और उच्चतर स्कूलों की छात्राओं के लिए छात्रावास, माध्यमिक शिक्षा के लिए सहायता हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम सहित कई तरह की छात्रवृत्ति योजना संचालित है। लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक लड़की के लिए पोस्ट स्नातक कार्यक्रम के लिए इंदिरा गाँधी स्कालरशिप, महिला समाख्या योजना आदि प्रमुख हैं। स्कूली किशोरियों के लिए इसी तरह की एक योजना राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना (सबला) है। जिसे वर्ष 2010–2011 में प्रारम्भ किया गया था। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम सहायता (एस0टी0ई0 पी0) इसी तरह की एक अन्य योजना है जो महिलाओं को रोजगार व प्रशिक्षण देने के लिए सहायता देने के कार्यक्रम के रुप में 1987 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रुप में शुरु की गई थी। महिलाओं के रोजगार, प्रशिक्षण और आर्थिक सशक्तिकरण की अन्य योजनाएं हैं। स्वयंसिद्धा, स्वावलंबन, स्वशक्ति योजना आदि।

कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य वर्गो तथा अल्पसंख्यक वर्गों की लड़कियों की छठी से आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई के लिए आवासीय स्कूल के रुप में खुली हैं। इस समय कुल 3600 बालिका विद्यालय है। जिनमें 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, जनजाति की तथा 25 प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की लड़कियाँ अध्ययनरत हैं।

अभी हाल में बेटियों की उच्च शिक्षा और उनके विवाह के लिए केन्द्र सरकार ने लघु बचत की एक योजना 'सुकन्या समृद्धि योजना'' शुरु की है। इस योजना के तहत लोग अपनी बेटी के जन्म के समय से लेकर 10 वर्ष को आयु के दौरान कभी भी सरकार द्वारा अधिसूचित बैंक शाखा या डाकघरों मे बचत खाता खोल सकेंगें। योजना के तहत एक हजार रुपये से खाता खोला जा सकेगा तथा प्रतिवर्ष इसमें न्यूनतम एक हजार और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये जमा कराए जा सकेंगे। बेटियों के लिए बनाए गए इस विशिष्ट खाते में चौदह वर्ष तक धन जमा कराया जाएगा। इस खाते को कर से भी छूट प्रदान की गई है। इस योजना की घोषणा 10 जुलाई 2014 को प्रस्तुत बजट में की गई थी, उसी दौरान 'बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं योजना का ऐलान भी किया गया था।

fu"d"k % आजादी के बाद देश ने काफी विकास किया है। भारत सरकार ने बेटियों को आगे लाने के नए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। यह योजना ग्राम पंचायतों और सामाजिक सहभागिता से चलेगा। जो इस पर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन कल्याण मंत्रालय परस्पर मिलकर इस योजना पर कार्य कर रहे है।

lUnHkZ %

1. कुमार, पार्थिव, मार्च, 2015, कुरुक्षेत्र, अंक 05
2. हसनैन, नदीम, 2011; समकालीन भारतीय समाजः एक समाजशास्त्रीय परिदृश्य, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।
3. देसाई, नीरा;वुमेन इन मार्डन इण्डिया, बोरा एण्ड कं पब्लिशर्स प्रा0लि0, मुम्बई
4. अहूजा, राम; भारतीय सामाजिक व्यवस्था, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर
5. चन्ना, एस0 एम0; वुमेन्स रोल एण्ड स्टैटस,कास्मो पब्लिकेशन
6. सिंह, मौर्य, बलवंत; मार्च 2015 ,कुरुक्षेत्र, अंक 05

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 114-116

xkeh.k fodkl dk vk/kkj eujxk

f'ko dqekj ek;;*

भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ–साथ गाँवों का देश है। जहाँ अधिसंख्य लोग गावों में रहते है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने भारतीय ग्रामीण समुदाय की, देश और समाज के विकास में उपयोगिता को सुनिश्चित करते हुये कहा था कि यदि हमें भारत को उन्नत करना है तो गाँवों कि दशा सुधारनी होगी। उन्होंने नारा दिया, ''गाँवों को वापस चलों '। इसी बात को ध्यान में रखते हुये विकास की लड़ाई हमें गाँवों तक पहुँचाना होगा। (Pankaj 2012)

ऐतिहासिकता के आधार पर देखा जाए तो यह ज्ञात होता है कि विकास एवं परिवर्तन क लिए भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात समाजवादी मॉडल को अपनाया जिसमें ग्रामीण विकास करने हेतु नियोजित परिवर्तन का मार्ग चुना गया। इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के तहत विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का सृजन एवं क्रियान्वयन किया गया। इस विकास कार्यक्रमों का सफर सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) से शुरु हो करके वर्तमान में मनरेगा तक पहुँच चुका हैं। (Thomas 2014)

इस विभिन्न कार्यक्रमों से हमने अपने उद्देश्यों को शामिल तो कर लिया लेकिन विकास एवं परिवर्तन के सन्दर्भ में हमें आशातीत सफलता नही प्राप्त हुई। कार्यक्रमों की खामियों का पता हमारे नीति निर्माताओं को ज्ञात हुआ। जिसके फलस्वरुप एक ऐसे विकास कार्यक्रम (नरेगा NREGA) का सृजन किया गया जिसके माध्यम से विकास के द्वारा विभिन्न समस्याओं जैसे–गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी आदि से निजात पाकर परिवर्तन के मार्ग को विकास के संदर्भ में लाया जा सके।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी कानून 'मनरेगा' 2 सितंबर , 2005 को अस्तित्व में आया और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2 फरवरी, 2006 को लागू हो गया। प्रारंभ मे यह कार्यक्रम देश के 200 जिलों में लागू किया गया। वर्ष 2007–2008 में इसका क्रियान्वयन 330 जिलों तक बढ़ाया गया और 1अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में इस लागू कर दिया गया इस कार्यक्रम का उद्देश्य गाँवों के उन परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार दिलाना है जिनके वयस्क सदस्य बेरोजगार है और मेहनत मजदूरी करने को तैयार हैं।

मनरेगा का मूल मकसद गाँवों में रोजगार की व्यवस्था करना है। लेकिन इसका प्रभाव के बल रोजगार के अवसर सृजित करने तक नही है। यह कार्यक्रम ग्रामीण जीवन में क्रांति का अग्रदूत साबित हो रहा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मनरेगा हरित क्रांति तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे उपायों के सामान सामाजिक परिवर्तनकारी कार्यक्रम सिद्ध हो रहा हैं। बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के साथ–साथ यह गाँवों में बुनियादी सोच में भी बदलाव ला रहा है। इससें ग्रामीणों में नये तरह का विश्वास और आत्मबल पैदा हो रहा हैं। जिन राज्यों में इसे कुशलता और ईमानदारी से लागू किया गया हैं। वहाँ गावाँ से शहरों को पलायन कि प्रवृत्ति पर काफी हद तक रोक लग गयी है। इससे समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिय सामाजिक सुरक्षा का पुख्ता ढ़ाँचा विकसित हो रहा है और न्यूनतम रोजगार का आश्वासन मिल जाने से ग्रामीण लोग बच्चों की शिक्षा, शिशुओं व महिलाओं के स्वास्थ, सफाई जैसे पहलुओं पर ध्यान देने लगे हैं, जो पहले प्रायः उपेक्षित रहते थे। (Dreze and Kheda 2011)

मनरेगा की सफलता का एक आयाम यह हैं कि इसकी बदौलत गाँवों मे विकास कार्यो तथा स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण को नई गति मिल रही हैं। इसे चलाने में पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भूमिका के चलते ग्रामीण प्रशासन का विकेंद्रीकरण हो रहा हैं और इस तरह से लोकतंत्र और पारदर्शिता की जड़ें मजबूत

*शोध छात्र, समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उ0प्र0

हो रही है मनरेगा में ऐसे काम हाथ में लिए जाते है जिनमें श्रम की अधिक आवश्यकता होती हैं, इसके अंतर्गत सिंचाई का कार्यक्रम, पशुपालन भी शामिल कर लिया गया है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की 33% भागीदारी को सुनिश्चित किया गया हैं। बैंकों और डाकघरों के माध्यम से मजदूरी की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है।

मनरेगा में रोजगार की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया किया गया हैं ताकि लोगों को नियमों के जंजाल से बचाया जा सके प्रत्येक ग्रामीण वयस्क जो मजदूरी करना चाहता हैं उन्हें ग्राम पंचायत में अपना नाम दर्ज कराना होता हैं। उम्मीदवारों की योग्यता के जाँच के पश्चात पंचायत कार्यालय से 'जाब कार्ड' जारी किया जाता है। जाब कार्ड श्रमिकों की रोजगार पासबुक है, जिसमें मिलने वाले रोजगार का ब्यौरा दर्ज रहता है। जब कार्डधारी पंचायत में आवेदन करके सूचित करते है कि उन्हें कब और कितने दिन का रोजगार चाहिए। इस प्रकार रोजगार गारंटी की व्यवस्था की गई हैं 15 दिन के भीतर रोजगार मुहैया न कराने पर बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया हैं, यह भी प्रावधान किया गया है कि रोजगार 5 किलोमीटर की दूरी से अधिक दूरी पर लगाए जाने पर 10% अधिक वेतन देना होगा।

रोजगार की प्रक्रिया में सरलता और पारदर्शिता के बावजूद भी समय–समय पर कई तरह की कमियों और खामियों की शिकायतें मिलती रहती है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी बाधा–भ्रष्टाचार हैं। श्रमिकों के चयन और धन के भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के उपाय किए गए हैं, लेकिन नौकरशाहों और पंचायतों के कर्मचारियों की भ्रष्ट गतिविधियों के समाचार मिलते रहते हैं। कई बार बेनामी श्रमिकों के मस्टर रोल बनाकर उनके नाम से वेतन का भुगतान कराके ये अधिकारी वेतन हड़प जाते हैं ऐसा भी देखने में आया हैं कि श्रमिकों से हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान कोरे कागज पर लिया जाता हैं और श्रमिक के काम पर न आने पर भी उसके नाम पर भुगतान ले लिया जाता हैं वैसे तो इस तरह का भ्रष्टाचार अन्य सरकारी योजनाओं में चल रहा हैं लेकिन इस पर रोक लगाए बिना यह कार्यक्रम अपने उद्देश्य से भटक जाएगा और देश के गाँवों से गरीबी मिटाने का यह सुनहरा प्रयास विफल हो जाएगा। मनरेगा कार्यक्रम कि इस बात से भी आलोचना कि जाती हैं कि इससे ग्रामीण लोग निठल्ले बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पता चला हैं कि साल में 100 दिन काम की गारंटी तो है इसलिए मेहनत करके कमाई करने की जरुरत नहीं है। इसलिए कार्यक्रम में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिए उपाय किए गए है इसके लिए सूचना के अधिकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। सूचना के इस्तेमाल से इस लागू करने वाले कर्मियों और पंचायतों के अधिकारियों पर अंकुश लग सकता है।

इसके अंतर्गत सामाजिक निरीक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या संस्था मनरेगा के रिकार्ड की जाँच कर सकता है। पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि सोशल आडिट करने वाली संस्थाओं को अपनी बैठकों में बुलाए। ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले कई स्वयंसेवी संगठनों ने सक्रिय भूमिका निभाते हुये भ्रष्टाचार तथा महिलाओं को काम पर न रखने के मुद्दॉ का पर्दाफाश किया है। सामाजिक निरीक्षण दलों में राज्य सरकार के अधिकारी तथा स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य अथवा समाज के जिम्मेदार लोग शामिल रहते है।

मनरेगा तथा ग्रामीण रोजगार के अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर नजर रखने तथा ग्रामवासियों को इन योजनाओं से लाभ उठाने के कायदे–कानूनों को समझने के लिए भारत निर्माण सेवकों का कैडर तैयार किया गया है। ये स्वयंसेवी कार्यकर्ता गरीब ग्रामीण परिवारों तथा कार्यक्रमों को लागू करने के तंत्र के बीच कड़ी बनते है। भारत निर्माण सेवक ग्रामीण विकास व रोजगार विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जनचेतना जागृत करने की दिशा में भी काम करते हैं। अनेक राज्यों में इन सेवकों से ग्रामीण विकास की राह सरल बनाती दिखाई दे रही है जिससे प्रेरित होकर इनकी संख्या बढ़ाने का निर्णय किया गया है। इन सेवकों को ग्रामीण क्षेत्रों में रहन–सहन, सामाजिक जीवन तथा विकास के बारे में बाकायदा प्रशिक्षण देने के बाद काम पर रखा जाता है।ये गाँव वालों को लाभ पँहुचाने के साथ सरकार को साथ–साथ सरकार को फीडबैक भी देते हैं जिससे रोजगार तथा अन्य कल्याण कार्यक्रमों में आवश्यक बदलाव व सुधार लाना संभव हो जाता है। (Kumar and Chakarborty 2016)

fu"d"k ,o pukfr;k % अदृश्य, मौसमी एवं ग्रामीण बेरोजगारी दूर करने , गरीबी दूर करने, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने की अद्भुत महत्वाकांक्षी, व्यापक वित्तीय योजना 'मनरेगा अपने उद्देश्य में बहुत हद तक सफल रही है जैसा कि संपूर्ण अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनूसूचित जाति एवं जनजाति के जिए कोई निर्धारित प्रतिशत लाभ व्यवस्था नहीं होने के बावजूद उन्हें अच्छा लाभ मिला है। महिलाओं के लिए 33% भागीदारी सुनिश्चित होने के बावजूद उससे अधिक महिलाओं की भागीदारी महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जहाँ भारत

में इस योजना में उपलब्धियों का ग्राफ ऊपर की ओर गया है वहीं मध्य प्रदेश में उपलब्धियों का ग्राफ नीचे की ओर गया है। वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं जैसे– इसको लागू करने की लागत अत्यधिक होना, स्फीतिकारी शक्तियों का बढ़ना, दोषपूर्ण कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार इत्यादि जिन्हें दूर करना होगा। योजना में पूर्ण पारदर्शिता एवं ईमानदारी रखनी होगी, तभी यह योजना अपने स्वर्णिम उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी। निश्चिती यह योजना अनुसूचित जाति एवं जनजाति की गरीबी एवं बेरोजगारी दूर कर उनका आर्थिक उत्थान कर सकेगी।इस संदर्भ में आर. एस. गोपाल का मत. महत्वपूर्ण है की– ''सरकारी दावों के बावजूद यह एक ऐतिहासिक योजना है, इससे संभावित लाभों के बारे में संदेह है। यदि सही प्रभावी कदम नहीं उठाए जाते तो ग्रामीण निर्धनों को इस कार्यक्रम से बहुत कम फायदा ही मिल पाएगा।

I UnHk %

1. Pankaj,Ashok (2012) ;Right To Work And Rural India, SAGE Publication, India, P.155-157
2. Thomas Bigi (2014); NREGA and Quality of Life of Beneficiaries , Allied Publishers Pvt.Ltd., New Delhi ,P. 15-17
3. Dreze, Jean and Kheda Reetka (2011); The Battle for Employment Guarantee,Oxford University Press, Newyork, P. 75-80
4. Ranjan, Annita, (2016) ;MGNREGA and Women Empowerment, Ocean Book Pvt.Ltd. New Delhi ,P. 110-112
5. Shah, Mihir (2007); Employment Guarantee, Civil society and Indian Democracy, Economic and Political Weekly, Mumbai. P.43-47.
6. Kumar,Dr.Sanjeev(2015); Mahatma Gandhi National Rural Employment In Rural Development, Laxmi Book Publication, Solapur, Maharastra , P. 201-205
7. Kumar, Pramod and Chakraborty, Dipanwita 2-16 MGNREGA Employment, Wages and Migration in Rural India, Routledge Taylor and Fransis group, London , P.25-29.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 117-118

ekDlokn ,o xk/khokn % ,d rqyukRed v/;;u

MkO vuh'k dqekj oek*

प्रस्तुत शोध पत्र अन्वेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध प्रणाली पर आधारित है। इस अध्ययन में द्वितीयक स्त्रोंतों का प्रयोग किया गया है। इस शोध पत्र में मार्क्सवाद एवं गांधीवाद की सोच और उनके विविध पक्षों को स्पर्श किया गया है।

मार्क्सवाद वर्ग–संघर्ष एवं द्वंद्वात्मक सिद्धान्त पर आधारित है. मार्क्स का सिद्धान्त हेगल के द्वंद्वात्मक सिद्धान्त पर आधारित है,किन्तु जहाँ हेगल विज्ञानों के मध्य द्वंद्वात्मक संघर्ष को स्वीकार करते है वहाँ मार्क्स दो वर्ग के मध्य संघर्ष को मान्यता देते हैं. इसलिए मार्क्स ने कहा कि 'हेगल सिर के बल खड़ा था मैंने उसे पैरों पर खड़ा कर दिया मार्क्स के अनुसार भौतिक वस्तुएँ मनुष्य के व्यवहार को निर्धारित करती हैं, प्रायः समाज दो भागों में विभाजित रहता है पहला अभिजात्य वर्ग, दूसरा मजदूर वर्ग, अभिजात्य वर्ग के हाथ में पूँजी एवं सत्ता केन्द्रीयकृत रहती है, वह सत्ता एवं धर्म का दुरुपयोग करता है तथा अधिकाधिक धनी होता जाता है. दूसरी तरफ मजदूर वर्ग और निर्धन होता जाता है, पूँजीपति वर्ग मजदूर वर्ग का शोषण करता है वह उसे केवल उतना देता है जिससे उसका जीवन चलता रहे एवं वह अभिजात्य वर्ग के काम आ सके. वह इतना कम भी नहीं देता कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाए।

वास्तव में पूँजीपति वर्ग का लाभ अतिरिक्त मूल्य पर आधारित है.वह उत्पादन के लागत मूल्य से अधिक अतिरिक्त मूल्य लगा देता है, जिससे वह अधिकाधिक धनी होते जाते हैं. पूँजी एक हाथ में केन्द्रित होती है,जिसके कारण वे अन्य वर्ग का शोषण करने में सक्षम होते हैं. राजनीतिक शक्तियाँ भी उनके हाथ की कठपूतली बन जाती हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ धन के लिए उन पर आश्रित होती हैं. इस प्रकार पूँजीपति वर्ग संप्रभु हो जाता है तथा श्रमिक वर्ग का अत्यधिक शोषण करता है।

श्रमिक वर्ग में वास्तविक शक्ति निहित होती है, यद्यपि वह निर्धन होते हैं, किन्तु उन्हीं की शक्ति के प्रयोग के द्वारा पूँजीपति वर्ग धनी बनता है। जब श्रमिक वर्ग अत्यधिक उत्पीड़ित हो जाता है, तो वह पूँजीपति वर्ग का विरोध कर देता है, क्योंकि वास्तविक शक्ति उसमें पुनः शक्ति केन्द्रित हो जाती है और धीरे–धीरे वह अभिजात्य हो जाता है तथा पुनः श्रमिक वर्ग का शोषण प्रारम्भ कर देता है. इस प्रकार वर्ग संघर्ष क्रमिक रुप से चलता रहता है।

मार्क्स की क्रान्ति वर्ग–संघर्ष पर आधारित क्रान्ति है,जिसका साध्य सामंजस्यपूर्ण राज्य है। वर्ग–संघर्ष होते–होते श्रमिक वर्ग अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो जाता है तथा शोषण की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। अंततः एक सामंजस्यपूर्ण राज्य की स्थापना होती है। मार्क्स समाजवादी आदर्शवादी एवं अराजकतावादी है। मार्क्स पूँजी एवं शक्ति के पूर्णतः विकेन्द्रीकरण में विश्वास करता है, क्योंकि पूँजी एवं शक्ति का केन्द्रीयकरण शोषण का कारण बनता है। मार्क्स आदर्शवादी है.क्योंकि वह अंततः सामंजस्यपूर्ण राज्य में विश्वास करता है। सामंजस्यपूर्ण राज्य में पूँजी एवं शक्ति का समान रुप से वितरण होता हैं। मार्क्स अंततः अराजकतावादी है वह राज्य की अवधारणा का निषेध करता है, क्योंकि शक्तिशाली राज्य व्यक्तियों का शोषण करता है। राज्य जितना शक्तिशाली होता है व्यक्तियों के अधिकार उतने ही सीमित हो जाते हैं।

गांधीवाद सर्वोदय पर आधारित है सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ है सबका उदय, यद्यपि गांधी स्वयं गांधीवाद का निषेध करता है। गांधी ने स्वयं कहा था गांधीवाद जैसा कोई सिद्धान्त नहीं है, बल्कि यह एक जीवन–पद्धति है, जिसे हम सिद्धान्त एवं व्यवहारतः अंगीकार करते हैं. गांधी भी क्रान्ति–दृष्टा थे, किन्तु मार्क्स की क्रान्ति जहाँ संघर्ष पर आधारित है वहाँ गांधी की क्रान्ति हृदय परिवर्तन पर आधारित है। गांधी सत्ता एवं शक्ति के विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते हैं। गांधी आदर्शवादी होते हुए भी वास्तविक अर्थों में समाजवादी थे। गांधी बड़े उद्योगों के विरुद्ध थे, क्योंकि बड़े उद्योगों से पूँजी एवं सत्ता का केन्द्रीकरण होता है. जिससे पूँजीपति वर्ग विकसित होता है तथा वह शेष राज्य का शोषण करता है इसलिए गांधी लघु उद्योगों की वकालत करते थे।

*असिस्टेन्ट प्रो0, समाजशास्त्र विभाग, मड़ियाहूँ पी0 जी0 कालेज, मड़ियाहूँ, जौनपुर, उ0 प्र0

गांधी सत्ता एवं पूँजी के पूर्ण विकेन्द्री–करण में विश्वास करते थे इसलिए उन्होंने कहा आर्थिक समता ही स्वतन्त्रता की कुंजी है। जब तक पूँजी का समान वितरण नहीं होगा तब तक न तो व्यक्ति का शोषण समाप्त होगा और न ही राज्य अहिंसक होगा। न्याय एवं शक्ति के समान वितरण के लिए गांधी ने पंचायती राज्य की अवधारणा दी तथा उन्होंने कहा कि चूँकि भारत गाँव में बसता है, इसलिए जब तक गाँव विकसित नहीं होंगे तब तक देश अविकसित रहेगा गाँव एक सम्प्रभु इकाई होना चाहिए। जिससे सभी आवश्यकताएं गाँव के स्तर पर ही पूरी हो जाए। इसके लिए उन्होंने लघु उद्योग एवं पंचायती राज्य की अवधारणा दी। गांधी का नारा था सब वस्तुओं का बराबर, सब ईश्वर का, हम अपनी सम्पत्ति के सिर्फ ट्रस्टी हैं, किन्तु वास्तविक मालिक नहीं।अतः हम व्यक्तियों को अपनी आवश्यकताएं न्यून कर लेनी चाहिए। अधिकाधिक वस्तुओं का प्रयोग हमें कमजोर एवं निर्भर बनाता है।इसलिए गांधी ने कहा कि आधुनिक मानव की आत्मा पर वस्तुओं का बोझ है, परन्तु गांधीजी का ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त छद्म रुप में पूँजीवादी व्यवस्था की ही हिमायत करता है।

गांधी ने राजनीति को भी धर्म से अनुप्राणित किया, उनके अनुसार र्धमविहीन राजनीति निरर्थक चित्कार मात्र है जिसका कोई साध्य नहीं है इसमें भ्रष्टाचार तथा अनैतिकता को प्रश्रय मिलता है। गांधी अंततः अराजकतावादी हैं। वह शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध है। राज्य केवल ट्रस्टीशिप होना चाहिए। शक्तिशाली राज्य व्यक्तियों का शोषण करता है एवं व्यक्तियों को न्यूनतम अधिकार देता है, जिससे व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। चूँकि गांधी अहिंसावादी थे इसलिए सैन्य बल का भी विरोध करते थे। राज्य स्वयं सैन्यबल पर निर्भर रहता है अतः राज्य का स्वतः ही निषेध हो जाता है। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था एवं पूँजीपतियों में ट्रस्टीशिप का उनका सिद्धान्त उन्हें पूँजीवादी व्यवस्था का हिमायती ठहराता है।

मार्क्स एवं गांधीवाद में प्रमुख रुप से तुलना की जा सकती है जिसके कुछ प्रमुख बिन्दु निम्न प्रकार हैं–

1. मार्क्स की क्रान्ति वर्ग–संघर्ष पर आधारित है जो एक वर्ग के उत्थान की वकालत करता है। जबकि गांधी का सिद्धान्त सर्वोदय पर आधारित है जो सभी के उत्थान की वकालत करता है। परन्तु ट्रस्टीशिप और सर्वोदय साथ–साथ नहीं चल सकते, ऊपर से गांधी वर्णवादी भी हैं, जिससे वर्ग–सिद्धान्त को बल मिलता है। वर्ग–विहीनता में ही सर्वोदय सम्भव है। 2. मार्क्स की क्रान्ति का केन्द्र बिन्दु समाज है, जबकि गांधी का केन्द्र बिन्दु व्यक्ति है। 3.मार्क्स की क्रान्ति संधर्ष पर आधारित है। जबकि गांधी की क्रान्ति आध्यात्मिक क्रान्ति है, क्योंकि गांधी मनुष्य को नैतिक प्राणी मानते है तथा उसके हृदय परिवर्तन में विश्वास करते हैं। हृदय परिवर्तन संयोग से ही किसी का होता है सामान्यतौर पर नहीं, गाँधीजी के जीवनकाल में किसी भी पूँजीपति का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। 4. गांधी एवं मार्क्स दोनों ही अराजकतावादी हैं मार्क्स का अराजकतावाद वर्ग–संघर्ष का प्रतिफल हैं, जबकि गांधी का अराजकतावाद अहिंसक समाज हैं। 5. गांधी एवं मार्क्स दोनों के साध्य एक हैं, किन्तु जहाँ मार्क्स का साधन अशुभ है, वहाँ गांधी के साधन एवं साध्य दोनों ही शुभ है. मार्क्स का साधन स्वाभाविक तथा व्यावहारिक है, जबकि गांधी का साधन अव्यावहारिक, अस्वाभाविक तथा आदर्श मात्र है। 6. मार्क्स का अराजकतावाद राज्य का निषेध द्वन्द्वात्मक सिद्धान्त के आधार पर करता है तथा विश्व को एक इकाई मानता है, जबकि गांधी का अराजकतावाद ग्राम केन्द्रित है। यद्यपि गांधी राज्य को वैधानिक सत्ता स्वीकार करते हैं. राज्य के हाथ में सीमित अधिकार होने चाहिए। गांधी का विरोध शक्तिशाली राज्य से है न कि संवैधानिक। 7. मार्क्स की क्रान्ति वर्ग–संघर्ष पर आधारित है जो हिंसा का भी रुप अख्तयार कर सकती है एवं उसका केन्द्र–बिन्दु समाज है। गांधी की क्रान्ति सत्य एवं अहिंसा पर आंधारित होते हुए व्यक्ति पर केन्द्रित हैं। गांधी की क्रान्ति मूलतः आध्यात्मिक है। क्योंकि यह हृदय परिवर्तन पर आधारित है। मनुष्य मूलतः नैतिक प्राणी है जिसका उत्तरोत्तर विकास होता रहता हैं। 8.गांधी एवं मार्क्स में उत्कृष्ट अन्तर साध्य एवं साधन की दृष्टि से हैं। दोनों के साध्य लगभग एक समान हैं गांधी का साध्य एवं साधन दोनों अभिन्न हैं तथा गांधी के अनुसार साध्य साधन के औचित्य को प्रमाणित करता है, जबकि मार्क्स का साधन अशुभ है। यहाँ गांधी का स्पष्ट प्रतिवाद है कि अशुभ साधन से शुभ साध्य की प्राप्ति सम्भव नहीं है। इससे अशुभ ही उत्पन्न होता है। अतःसाध्य एवं साधन दोनों ही शुभ होने चाहिए इससे स्पष्ट है कि गांधी की दृष्टि मार्क्स की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। गांधी की दृष्टि शुद्ध आदर्शवादी दृष्टि है।

I UnHk' %

1. गुप्ता,एम.एल.और डी.डी.शर्मा, 2002; सामाजिक विचारक, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा
2. मुकर्जी, रविन्द्रनाथ,2002; सामाजिक विचारक, विवेक प्रकाशन, दिल्ली
3. महीप, मनीष वेणुपाल;मार्क्सवाद एवं गाँधीवाद का तुलनात्मक अध्ययन,प्रतियोगिता दर्पण, 2007, पृ01626
4. दोषी,एस.एल.2002; सामाजिक विचारक, रावत पब्लिकेशन, जयपुर

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 119-122

Relation between Environmental Awareness and Scientific Attitude

Dr. Narendra Kumar Singh*

Abstract:

This study has conducted the survey type of research in Jaunpur district at secondary level. In which population was taken from U.P. board running schools class 10th only. Sample size has been selected 300 through random technique in which half-half(50-50)% based on locality and sexes. For data collection standardized tools have been taken from market (Rupa psychology center) Varanasi in which Environmental Awareness Ability Measure (EAAM) was developed by Jha. P.K. (2005) and scientific attitude scale was developed by Greval. A. (1990). C R Value was computed for analysis and found the results that more Environmental awareness correlates with high scientific attitude.

Key words: Environmental awareness, Scientific attitude, Population, Standard errors, Randomization.

Background of the study: Environment has become the concern of all the scientists, academians, intellectuals, policy makers and government all over the World. Widespread and systematic concern for environmental issues has grown the world over particularly after the 1960s, as a fall out of hazardous effects of the developmental activities initiated the world over a number of environmental problems erupted in critical sectors like climatic changes, depletion of forests, pollution, shortage of water etc. These particularly threatened human health, energy resources, soil productivity, rains and water resources. In fact the nature, its forces and equilibrium all put together were disturbed, which posed an imminent danger to earth's life sustaining systems.

Today the world is facing rather passing through many crises but the most dangerous crisis is that of gross and constantly increasing pollution of environment. Ironically and probably unknowingly, it is human beings themselves who are responsible for degrading, destroying and polluting environment. The future generations will have to reap the crop of unplanned and insensitive approach that has irreparably damaged the relationship and harmony of human beings with nature. The ill effects are evident and future potentialities of destruction are immense

The UN world conference on the Environment in Stochhom(1972), the earth summit held in Rio de Janeiro(1992), the Global Forum(1992) show that environment is on agenda of the international community. The environmental movement has focused attention on the quality of the air we breathe and water we drink, how new dam construction harms wildlife and how strip mining devastates the landscape and causes floods. Today human race stands at crossroads in choosing the options it has in the areas of environment and development. The industriel countries having enjoyed more than their of development, have achieved descend standard of living. This has given to the biosphere, pollution and ecodegradation, as a result of affluence and underlying greed. It has now become clear that such pattern of development, life styles and quality of life are unsustainable. On the otherhand, the developing countries struggling to attain the minimum level of sustenance. No doubt, they also have contributed to the ecodegradation and pollution, but this is essentially need and poverty based issue.

Thus, both overdevelopment in the industrialized world and underdevelopment in the developing countries polute and ecodegrade the environment; former out of greed and luxury, and the latter for the existence . The developing countries need abundant material growth to fulfill the basic need of their people, but they can not afford to repeat the mistakes of industrial countries. Decades ago, when environment was not a buzz word, Mahatma Gandhi said, "the earth provides enough to satisfyeveryman's needs, but not everymsn's greed." This is the statement profound social, economic, cultural and ethical ramifications.

*H.O.D., Faculty of Education, RHSPG College, Singaramu, Jaunpur, U.P. Pin-222002

The educational system in Ancient India was quiet rich in its understanding and appreciation of environmental studies. Further more, non-violence towards both animate and inanimate components of biosphere has been ingrained as a guiding principle in the Indian psyche. Therefore, awareness and education of environment is the paramount concern of all the citizens of society. For the sustainable future of our planet, we should shift towards the nation "Think globally, Act locally" (Steel 1996). Environment protection starts by creating an awareness among the people so that it becomes part of their lifestyle. The key to achieve this goal lies in environmental education and its related programmes. The objective of environmental education includes awareness, knowledge, attitudes, skills and participation of people in protecting the environment.

Rationale of the study:- The environment which sustains life is in peril at present. Human activities are responsible for this. Rapid industrialization, further advancement in science and technology and the abuse of this advancement in an arbitrary way as well as the fast growth of urbanization have posed danger to man himself. Man's life, in terms of quality and sustainability, is dependent on the interrelationships among the natural environment, social environment and technological environment. As proposed by the sociologist William Ogburn, a change in any one of the environments will lead to changes in every other part of the total complex. These changes will have a tremendous impact on the life of human being. The most threatening aspect is the uncertainity prevailing about the fate of our future generations.

Generally people are indifferent to their environment. Newton's third law states, " Every action has an equal and opposite reaction." This also applies to man's relationship with nature as it relates to application of force on inanimate objects. While man sought domination over nature in five thousand years of recorded history, he has begun to realize that his welfare and his every existence are deeply intertwined with the natural cycles and systems.

The main obstacle in protecting the environment in India today is that there is lack of scientific knowledge and the will to act. In such a position society needs to be convinced of the importance of environment and we have to realize the fact that the way we live, will determine our future. Therefore, the awareness regarding the environment and proper awareness towards the worsening of the environmental condition of the world is imperative.

After review of related literature, it was felt that environmental awareness and its relation to scientific attitudes is not well covered area. It was also realized that cognitive and attitudinal developments may affect each other. It was thought that these two variables i.e. environmental awareness and scientific attitude, may be correlated so they may be important from education point of view for improving environmental awareness. Therefore it is imperative to study the environmental awareness and its relationship with scientific attitude.

Reviews: The present problem attracted the invistigator realizing the importance and value of environmental awareness which essentially concerned with existence of human being and other living beings residing on blue planet. To explore the relation of the present problem in which Moyer (1977), Brown(1979) and Read(2000) studied in UK public awareness of environment. Josef Maria(2007) studied the role of secondary scholl geography curriculum in imparting the environmental education in Kenya Barr(2007) carried a case study of house hold waste management as a factor influencing environmental awareness in U.K. gellisen J.(2007) , Karpic C.P.(2008), Spark(2008) as predicted rural and urban participants differed significantly along the measured variables. Sharma(1997), Rani(1997), Maurya(2009), Yadav(2011) and Singh. N. K. (2015) had studied an environmental awareness as teachingcourse of environmental education as degradation of environment on project work. Sampath(2004) surveyed the environmental knowledge and attitude of preservice teacher trainees who were doing diploma in teacher education and found that their knowledge of environmental concepts was not remarkable. Udai Jain and Janak Pandey(2008), Singh R.P.(2010) , Maurya (2012) and Sushma amd Janak Pandey(2008), Singh R.P. (2010), Maurya(2012) and Sushma(2016) studied the scientific attitude do not differ based on the religion.

Methodology: This is a descriptive survey type study conducted on high school U.P. Board class-10th students from Jaunpur district with size of 300 sample selected through randomly based on sexes and locality for measuring the environment awareness and scientific attitude tools has been used standardized readymade EAAM was developed by Jha,P.K. (2005) which is reliability 0.71 and

validity 0.83 respectively whereas science attitude scale (SAS) was developed by Crewal, A.(1990) with0.765 reliability coefficient and highly significant a2 value 6.62 for data analysis C.R. Value and coefficient of correlation were computed.

Objectives of the study: Present study has been determined the following objectives-"To study the relationship between the environmental awareness and scientific attitude.

Hypothesis of the study: For achieving the objective there is one null hypothesis was formulated-
1-There is no significant relationship between Environmental awareness and scientific attitude based on sexes and locality.

Analysis and Interpretation: Present study analysis based on sexes and localities are tabulated in following way:

Table-1

S.N.	No. of Students	Sum total of environmental awareness score (∑x)	Sum total of scientific attitude score (∑y)	$\sum x^2$	$\sum y^2$	∑xy	Correlation
1	204	7227	263911	10731	575183	383906	+0.40

After the analysis of correlation between environmental awareness and scientific attitude of boys student , it is evident from the table 5 , that the total number of students was 204 , the sum total of environmental awareness score(?x) was 7227 , the ?x2 value was 263911, the sum total of scientific attitude score (?y) was found 10731, ?y2 was 575183, ?xy was 383906 and correlation was found +0.40, which was low positive correlation so it can be said that there exist a low positive correlation between environmental awareness and scientific attitude of high school boys students.

Table-2

S.N.	No. of Students	Sum total of environmental awareness score(∑x)	Sum total of scientific attitude score(∑y)	$\sum x^2$	$\sum y^2$	∑xy	Correlation
1	96	3251	4757	113887	240101	161883	+0.13

After the analysis of correlation between environmental awareness and scientific attitude of boys student , it is evident from the table 6 , that the total number of students was 96 , the sum total of environmental awareness score(?x) was 3251 , the ?x2 value was 113887, the sum total of scientific attitude score (?y) was found 4757, ?y2 was 240101, ?xy was 161883 and correlation was found +0.13, which was very low positive correlation. So the null hypothesis i.e., " there is no relationship between environmental awareness and scientific attitude of high school girls students", was accepted.

Table-3

S.N.	No. of Students	Sum total of environmental awareness score(∑x)	Sum total of scientific attitude score(∑y)	$\sum x^2$	$\sum y^2$	∑xy	Correlation
1	153	5325	8020	191821	428380	281668	+0.35

After the analysis of correlation between environmental awareness and scientific attitude of boys student , it is evident from the table 7 , that the total number of students was 153 , the sum total of environmental awareness score(?x) was 5325 , the ?x2 value was 191821, the sum total of scientific attitude score (?y) was found 8020, ?y2 was 428380, ?xy was 281668 and correlation was found +0.35, which was low positive correlation. So the null hypothesis i.e. , " There is no relationship between environmental awareness and scientific attitude of high school rural students"' was rejected and it can be said that there is low positive correlation.

Table-4

S.N.	No. of Students	Sum total of environmental awareness score(∑x)	Sum total of scientific attitude score(∑y)	$\sum x^2$	$\sum y^2$	∑xy	Correlation
1	147	5153	7468	185977	386964	264121	+0.36

After the analysis of correlation between environmental awareness and scientific attitude of boys student , it is evident from the table 8 , that the total number of students was 147 , the sum total of environmental awareness score(?x) was 5153 , the ?x2 value was 185977, the sum total of scientific attitude score (?y) was found 7468, ?y2 was 386964, ?xy was 264121 and correlation was found +0.36, which was low positive correlation so the null hypothesis, " There is no relationship between environmental awareness and scientific attitude of high school urban students", was rejected.

Conclusion: Researcher has been concluded based on above analysis that sex and locality cause no role play in environmental awareness according to results they are not differ significantly. On scientific attitude boys are higher than girls where as localities rural students had more attitude in scientifically than their counterfants . Coefficient of correlation between environmental awareness and scientific attitude is positive shows both groups. It is clear that environment is positively related with scientific attitude . For environmental awareness all stage of schooling is exist as separate discipline. Present study would be mile stone for future to aware the ability to adopt nature and save our earth and environment. This study will help to develop the concept of environmental education that's importance in classes of science at secondary school to adopt the performancive activities such as project work, practicals , field visit and quiz competition etc.

References :

1. Ambast, R.S.(1990) : Environment and Pollution: An Ecological Approach. Student Friends and Company, Varanasi, First Edition, p.4.
2. Bhattacharya, G.C. (1997, March): Environmental awareness among higher secondary students of science and Non science stream; School Science,35,(1), pp.24-32.
3. Dewey,J.(1993) How we think. D.C. Health and Company, Boston, p.3.
4. Golwalker, S.(1978) : A study of scientific attitudes of higher secondary schools students offering different options. Unpublished M.Ed. dissertation. Udaipur University.
5. Hinds. J. and Sparks,P.(2008) : Engaging with the natural environment : The role of an affective connection and identity. Journal of Environmental Psychology, Vol.28, pp. 109-120
6. Singh, P.N.(1988): Construction and standardization of the test of scientific attitudes. Ph.D. Thesis in Education, B.H.U. , Varanasi.
7. UNESCO 1971-80 New Trends in Integrated science teaching, % Vols, UNESCO, Paris.
8. Vernon P E 1979 Intelligence: Heredity and Environment Freeman, san Fransisco, California.
9. Zigler E F, Valentine J(eds.) 1979 Project head start: A Legacy of the war on Poverty. Macmillan, New York.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 123-125

Psycho-Social Needs and Problems of People Associated with Tuberculosis Patients Care

Ganesh Narayan Choudhary* Dr. Atiq Ahmed**

Abstract :

Tuberculosis (TB) is one of the most ancient diseases of mankind and has co-evolved with humans for many thousands of years. TB is caused by a group of closely related bacterial species termed mycobacterium tuberculosis complex. Tuberculosis is a potentially serious infectious and life-threatening disease and require more care for patient. TB enters the body by inhalation and usually affects the lungs, therefore, caring for tuberculosis patients is very stressfull responsibility because there is a risk of getting infection of TB. Caregivers are those individuals engaged in day to day care of TB patients. Caregivers performs various roles at a time and this type of situation creates psycho-social problems. This study has been done to understand psycho-social needs and problems of caregivers through focus group discussions and interview method with a sample of 32 informal caregivers with the selection of purposive sampling method in TB wards, Institute of Respiratory Diseases, Jaipur. The results of the study indicates that most of the caregivers are females and belongs to rural rajasthan. Half of caregivers are their spouses and 70 % of caregivers are literate. Often psycho-social needs of caregivers are unmet. These unment needs leads to psycho-social problem for caregivers. Tuberculosis is life-threatening disease and caregivers very prone to get infection of tuberculosis so this pathetic situation creates stress and they stated that they always in stress due to routine deaths in tuberculosis ward. Tuberculosis cause distress, uncertainty and fear in patients and caregivers both. This study provides a holistic understanding about caregivers needs and psycho-social problems which is perceived by caregivers during treatment of tuberculosis.

Introduction :

Tuberculosis (TB) is a potentially serious infectious disease which enters the body by inhalation and usually affects the lungs (Flynn, 2004). There are a significant number of tuberculosis patients in India and it affects whole family, family is a group of people who are related to one another either by blood, marriage or adoption and who live together for long periods of time. The father, mother and children form the nuclear family and adults in the family assume the responsibility of caring for the younger members. Some members of the family take care of those who are incapable of caring for themselves because they suffer from TB and other. When a patient receives treatment at hospital, he or she expects practical support from any member of the family who is responsible enough to take care of the sick. The patient expects emotional support and guidance from these family members and considers hospital to be the haven for rest and recuperation.

As a caregiver, the family member plays many roles when caring for a TB patient, including the assessment of adverse effects of medication, such as deafness, gastrointestinal upset, skin rashes, hypotension and many other medical problems. In addition, the caregiver should monitor the patient's adherence to his or her medication regimen and should keep a schedule of the patient's medication. The caregiver should also ensure that the patient practices safe hygiene and consumes a nutritious diet (Schubart et al.,2008). Caregivers should also supervise the patient's levels of activity and ensure that scheduled appointments with primary health care providers are kept. These duties and experiences pose challenges and exert pressure on family members who are caring for TB patients at hospital.

Living with and caring for a TB patient may cause problems within the family that are difficult to deal with. Besides the pain of watching a loved one suffer, family members may experience shame, resentment and guilt. It may be very difficult for family members to accept the illness and adjust to the fact that despite their efforts to care for them, the condition of their loved ones might

*Research Scholar, Department of Social Work, Central University of Rajasthan - 305817
**Assistant Professor, Department of Social Work, Central University of Rajasthan - 305817

become worse (Chambers et al.,2001). Members of the family have an important role to play in caring for patients when they are discharged from hospital, and in maintaining the continuity of care required by the hospital.The duties of family members may include caring for the patient after early discharge from hospital, providing social support, and carrying out other activities such as leaving for work every morning despite the fact that they are also acting as caregivers . In support of the above statement, family care practices, coping mechanisms and family care systems have been the foundation of communities for generations.

Tuberculosis spread easily from one to other, and patients need a long and continue care. Mostly family caregivers associated with the TB patients provide them care at home or professional settings are at highest risk. Social and cultural taboos linked with the Tuberculosis, create more pathetic and depressive situation for the caregivers (Das et al.,2012). Studies found that the most of the caregivers are patients spouses. Studies evident that people associated with the formal and informal care of Tuberculosis are having many psychological, financial, social, and occupation problems. These caregivers to Tuberculosis patients are highly prone to feelings of frustration, anger, anxiety and depression.(Janda et al.,2008).

Aim:

The present study was conducted aims to access the needs and psycho- social problems of caregivers, the basic availability of amenities and needs of the caregivers of TB patients.

Research objectives :

The objectives of this study were to:

1. Explore the experiences of family members caring for TB patient at hospital.
2. Identify and describe the caring behaviour of family members when caring for TB patients at hospital.
3. Identify and describe the challenges faced by family members whilst caring for TB patients at hospital.

Methodology :

The present study was done among caregivers of tuberculosis patients in Institute of Respiratory Diseases, Jaipur. An Exploratory cum phenomenological approach was adopted. FGD was conducted focused towards access the availability of basic amenities, needs and psycho-social problems of caregivers. Entire qualitative data collected from respondents were analyzed according to the needs and objectives of study(Hennink, M. M. 2013).

Data collection :

Data were collected using the unstructured interview method and focus group discussion (FGD). The interviews and FGD were conducted as normal conversations with the purpose of producing more in-depth information on the subjects concerned (Brink et al., 2006). The unstructured interview is also called a non-scheduled interview. The interviews were prearranged. The researcher established rapport with the participants by paying attention to what they were saying. He did not interrupt the participants, was non-judgemental and developed a healthy appreciation for silence. Discussions proceeded in a relaxed, conversational manner, with questions asked such as:

Can you tell me about your experiences in caring for the patient with TB at hospital? How can you describe your caring behaviours towards your patients? What challenges do you experience when caring for the TB patient?

The conversations were tape recorded and transcribed verbatim. The researcher also observed the participants for non-verbal cues. The interviews and FGD were conducted in the hospital. Data collection was terminated when saturation was reached.

Findings :

This study was conducted with a sample of 32 informal caregivers. The age of caregivers is 20 to 50 years and they are male-females, and most of caregivers are females and belongs to rural Rajasthan. Half of caregivers are their spouses and 70 % of caregivers are literate. A larger number of caregivers stated that they are staying at TB Hospital with their patients from 4 months to 1 year and more. Basic amenities at hospital are satisfactory and caregiver find these useful. However, the accommodation facilities are not good. Hospital provides food for patients, but facilities for caregivers are lacking.

Various psychosocial issues emerged out which complicate the treatment and contribute the spread of Pulmonary Tuberculosis. The psychosocial issues were -

Lack of happiness : Caregivers reported that they feel mood swings and sometimes they feel hoplesss and sad for their patients and find difficult to concentrate.

Financial problems : Financial problem create most of the social and psychological problems, a TB patients need long care and treatment hence managing financial problems sometimes became difficult.

Adjustment in professional live : It is hard for the caregivers to adjust their daily routine, patient care and the adjustment problem lead many mental and physical breakdown.

Social isolation : Being in hospital with patients cut down the social and family contact of a care givers and that lead towards the problem and hoplesssness.

Mental stress and depression : People find difficult to manage their stress and depression due to certain changes and responsibility of patients care.

Fear of being infected : lack of aweanress and prevention of tb lead care givers in a state where they always fear to be infected by the virus.

Lack of awareness : people especially caregivers and a patients family members are need to receive a formal awareness.

Discussion and Conclusions :

Tuberculosis cause distress, uncertainty and fear in patients and caregivers both. This study provides a holistic understanding about caregiver's needs and psycho social problems which is perceived by caregivers during treatment of TB. During discussion with caregivers finds that TB is a life-threatening disease that's why they always in stress and fear. Unavailability of basic amenities also causes psycho social problems. The results of the study revealed that family members experienced difficulties when they care for TB patients at hospital. These difficulties included providing food, attending to hygiene needs, the lack of equipment, financial constraints as well as physical and psychological exhaustion. Recommendations were made concerning the provision food, attending to hygiene needs, assisting in the administration of medication, nursing practice and policy making.

References:

1. Janda, M., Steginga, S., Dunn, J., Langbecker, D., Walker, D., & Eakin, E. (2008). Unmet supportive care needs and interest in services among patients with a brain tumour and their carers. Patient education and counseling, 71(2), 251-258.
2. Flynn, J. L. (2004). Immunology of tuberculosis and implications in vaccine development. Tuberculosis, 84(1), 93-101.
3. Brink, H., Van der Walt, C., & Van Rensburg, G. (2006). Fundamentals of research methodology for health care professionals. Juta and Company Ltd.
4. Schubart, J. R., Kinzie, M. B., & Farace, E. (2008). Caring for the brain tumor patient: family caregiver burden and unmet needs. Neuro-oncology, 10(1), 61-72.
5. Chambers, M., Ryan, A. A., & Connor, S. L. (2001). Exploring the emotional support needs and coping strategies of family carers. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 8(2), 99-106.
6. Hennink, M. M. (2013). Focus group discussions. Oxford University Press.
7. Das, P., Basu, M., Dutta, S., & Das, D. (2012). Perception of tuberculosis among general patients of tertiary care hospitals of Bengal. Lung India: official organ of Indian Chest Society, 29(4), 319.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 126-129

Girl Child Participation in School Education of India- Issues and Challenges

Kandagatla Sravan Kumar*

Abstract:

Education, the fulcrum of sustainable development, holds the key to 'social inclusion'. It is one of the necessary conditions for advancing quality of life and freedom. In other words, universal access to quality knowledge and skills ensures that everybody has an equal opportunity to play a full part in work and society. It is thus essential for integrating the marginalised and vulnerable in society into the development process. Promoting equity and active citizenship through a well-developed education and training system, therefore, needs to occupy the centre-stage of the development agenda in every society.

Concern for girl education in last few years has lead to a considerable expansion of access at the primary level. But a great number of girls especially in the rural areas drop out before they reach secondary or higher stages of education. Many enter in to matrimony and become young mothers before having the opportunity to realize their full potential. Removed from formal schools at the onset of puberty, those who are not married, take on household responsibilities. The ones who are able to resist social and pedagogic pressures to drop out and reach the level of college or university, take studies seriously as they know this privilege will vanish after matrimony. Many are not even able to peruse their goals of further education or choice of vocation. There is a need to develop gender -specific pedagogy and provide flexibility in the system of education, in which women could fulfil their aspirations, overcoming their domestic obligations. School education should prepare them to face a world of opportunities and challenges

This paper is tried to delineate the present picture of girl child participation of school education in India. Also mention the necessity and factors, issues and Challenges responsible for girl participation in school education. Finally effort will be made to give some suggestions which can accelerate girl participation in school education in India.

Key Words: Girl Child, School Education, Participation, Challenges, India.

Introduction:

Education is a fundamental right of every human being but the gender bias pervades all spheres of life and society and informs political decision-making as well as intra-familial attitudes and values. The nature and intensity of this bias varies across economic systems and religious and over the life cycle of individuals within households. This bias has been variously explained by culture and religious factors as also by the position occupied by women in the labour market. Whatever the particular combinations of causes may be the cycle of disadvantage starts before birth and continues from neglect of female children through to widowhood. The problem in exacerbated further when gender disadvantages are compounded by class, caste and religious discrimination. Women have much lower literacy rate, compared to boys, far fewer girls are enrolled in schools and many of them drop out. The gender gap in education can be understood only in the wider context of female disadvantage in India.

The human rights of women and of the girl-child are an inalienable, integral and indivisible part of universal human rights. The full and equal participation of women in political, civil, economic, social and cultural life, at the national, regional and international levels, and the eradication of all forms of discrimination on grounds of sex are priority objectives of the international community. India is home to the largest number of children in the world, significantly larger than the number in China (UNICEF, 2011). In our country the Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy directs the State to ensure that all children are provided with services and opportunities to grow and develop in a safe and secure environment for all citizens, including children. However, inadequate impact of programming investment and achievement in overall development of the child, and the

*UGC - Junior Research Fellow, Department of Sociology, Kakatiya University, Warangal, Telangana State, India

adverse influence of negative social attitudes towards women and girls have left girl children in India disadvantaged. Growing insecurity of girls and increasing violence against them, adolescent pregnancy resulting from sexual ignorance and neglect, increasing drop-outs from post-primary schooling due to various reasons, and deep neglect of the physical and cultural development of girls, with no provisions for games/ sports, healthy entertainment and reading facilities. Girl child life is a constant fight for survival, growth and development from the time she is conceived till she attains 18 years.

Methodology:

This paper focus on girl child participation of school education in India based on secondary source. Data are drawn classified from the Publications of books, Censes reports, mhrd data monthly journals, articles, websites, news papers.

Girl Child in School Education - Status :

The importance of education for empowerment of girls is undeniable. A large number of initiatives and measures taken up by the government have resulted in a rise in percentage of women in education. But women and girls are still perceived to be playing greater roles in domestic and non-public domains. Women, irrespective of their caste, religion and status, are disadvantaged in terms of enjoying the benefits of general growth and development in society

Table 1: Level Wise enrolment in School Education

Level of Education	Male	Female	Total
Primary(I-V)	67223	62769	129992
Upper Primary (VI-VIII)	33746	32035	65780
Elementary (I-VIII)	100963	94804	195773
Secondary(IX-X)	19484	17477	36961
I-X	120453	112281	232734
Senior Secondary (XI-XII)	11747	10406	22153
I-XII	132199	122688	254887

Source: http://mhrd.gov.in

A thorough analysis of these figures presented in Table 1 indicates a scenario enrolment of boys and girls in different levels of education.

Table: 2 No Of Girls per Hundred Boys Enrolled up to Secondary Education

Level	**Primary (I-V)**	**Upper Primary (VI-VIII)**	**Secondary (IX-X)**
1950-51	39	19	NA
1960-61	48	31	NA
1970-71	60	41	NA
1980-81	63	49	NA
1990-91	71	58	NA
2000-01	78	69	63
2005-06	87	81	73
2006-07	88	83	73
2007-08	91	84	77
2008-09	92	86	79
2009-10	92	88	82
2010-11	92	89	82
2011-12	93	90	84
2012-13	94	95	89
2013-14	93	95	90

Source: http://mhrd.gov.in

Although from the data presented in Table 1 and 2, one can notice a positive change in the enrolment of girls for education at the primary level up to the secondary school level, however, social discrimination and economic exploitation continues to be one of the main hurdles in education of

girls. Because of the engagement of the girls in the domestic chores or household responsibilities, often educating girls is not a priority or their education is
ignored by the family or they themselves neglect their studies due to other responsibilities,
Lack of concentration .The Social Environment around with girls and family becomes both a cause and consequence for low enrolment rate of girls in the school education and high dropout rate among the girls.

Table 3: Level wise Girl Dropout Rates in School Education (In Percentage)

Level	ALL	SC	ST
I-V	18.3	15.4	30.7
I-VIII	32.9	34.4	46.4
I-X	46.7	48.0	61.4

Data Source: Source: http://mhrd.gov.in

The above Table 3 indicate the rate of drop outs among girls in early stages of schooling for all categories of students including all reservation categories in the present scenario.

Issues and Challenges of Girl Education:

India has the challenge of helping every girl child continue her education until the end of secondary education, and the RMSA needs to gear up to its tough task. In next decade, it can achieve same wonders that Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) has achieved for access to primary education. Importantly, there needs to be a focus on learning, as even SSA has not been that impressive to achieve satisfactory learning levels among the children at the primary level.

In summary, some of the key issues that face secondary education in India include:

a) While female enrolment has increased rapidly since the 1990s, there is still a substantial gap in upper primary and secondary schooling. Increased female enrolment is, however, compromised by persistently high rates of drop-out and poor attendance of girls relative to boys. Girls constitute a large proportion of out-of school children.
b) Gender inequalities interlock with other forms of social inequality, notably caste, ethnicity and religion; girls from scheduled castes, scheduled tribes and Muslim minorities largely constitute the population of out-of-school and drop-out children.
c) There are considerable variations in gender party between states. While the greatest surges in female enrolment have been achieved in the most educationally disadvantaged states such as Bihar and Rajasthan, these states still have a long way to go to catch up with the better performing states of Kerala, Tamil Nadu and Himachal Pradesh.

Conclusion:

The institutional landscape of secondary education must be taken into consideration while trying to develop any strategy to address the challenges facing secondary education in India. Secondary education in India has a landscape that is very different from that of primary education and more than half of students in secondary education study in privately managed schools. In addition to institutional realities, one needs to take into consideration the different social realities that come into play while discussing primary education and secondary education. A case in point is the education of girl children who are more likely to be prevented from attending secondary school due to social practices like early marriage. These realities vary from one state to another, as do other factors such as school infrastructure. All these complexities imply that a single solution that will be relevant for the entire secondary education sector is highly unlikely. To adequately handle the problems confronting secondary education, projects will need to employ a combination of innovation and experimentation, along with a strong monitoring and evaluation framework.

Suggestions and Recommendations :

Engendering educational system involves not just establishing girl friendly schools but also creating gender awareness in the educational system so that the entire educational environment is sensitive to the special needs of girls. Gender Sensitization and gender awareness programmes should be organized and conducted to Community Vigilance Groups along with Self-Help Groups and Youth Groups should ensure that girl children in their community especially in rural areas on the rights of the girl child, social problems faced by them and to provide counselling or help if required.

Based on the above discussion, this paper provides a few important recommendations which the policy planners may adopt for future intervention. Governments should plan some special polices to improve girl education like introducing special stipends for female students and also making education free for them. Although some countries have already taken some steps in this regard, it is important to expand it further for other countries. It is also necessary for governments to invest more money in making the environment favourable and sensitive for girls. Governments should also provide school supplies adequately according to the demands of the students. In both primary and secondary schools, trained and qualified female teachers especially during the developmental stage of girls should be made available which can also prevent pregnancy problem among girls leading to early dropout.

Reference:

1. Census Report (2011) www.censusindia.gov.in
2. Sharma Sheethal.(2016) 'Girl Child : Educate to Empower', Kurukshetra, P.13-17
3. http://mhrd.gov.in
4. http://www.nuepa.org
5. Linden, T. (2012). Chapter 12: Secondary education. IDFC Report,
6. The Situation of Children in India-A Profile, United Nations Children's Fund (UNICEF) May 2011

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 130-133

Impact of Five-Year Plans and Agricultural Policies Upon Floricultural Development in Himachal Pradesh

Mr. Praveen Singh*

Abstract : *Government policy, Liberalisation of industrial and trade policies has opened up several avenues for growing floricultural products for exports. Combined with this, the availability of credit and incentives for taking up floriculture business would help us to emerge as an important supplier to global markets. Government has taken various steps for the development and promotion of floriculture. The agro-climatic conditions of Himachal Pradesh are best suited for the development of floriculture. Year by year area production and productivity farmers are increasing in this segment. Thus, this paper tries to access the access the impact of Five-year plans and Agricultural policies upon the various aspects of floricultural development in Himachal Pradesh. The study reveals that there is immense scope of floriculture in Himachal Pradesh and govt doesn't leave any stone unturned to tap the potential of this hilly state in the segment of horticulture.*

Keywords: Liberalisation, Five-year plans, Agricultural policies, Floriculture and Sustainable livelihood.

Introduction : The state of Himachal Pradesh is blessed with many natural advantages which place it in an ideal position and environment to grow a wide variety of flowers. These unique advantages possessed by the state favours flower cultivation as a viable diversification option for enchasing the existing extensive floriculture potentials. The area under floriculture in the state was 10 hectares during 1992-93, which increased to 812.904 hectares on 31st March 2011 and some decrease in the area has been noticed in 2015-16 i.e. 719.05 hectares. Sirmaur district having the maximum area under floriculture i.e. 377.55 ha and out of this maximum area (174.13 ha) is comes under the Chrysanthemum (Loose) flowers. After Sirmaur, Second place is occupied by the Kangra District, which has 117.80 ha area under floriculture and Marigold (43.63 ha) is the flower which is preferred in this district.[1] Important flower crops presently being grown in the state are Chrysanthemum, Marigold, Carnation, Gladiolus, Lilium, Daffodil, Rose, Alstroemeria, Tulip, Gerbera, Seasonal, Flower Seeds, Potted Plants, And Other Flowers.[2]

Several significant initiatives have been taken in recent years by the Government of India and Government of Himachal Pradesh in order to reverse the downward trend in agricultural and Horticultural production including Floriculture. Some of these important initiatives include:-

National Horticultural Board (NHB)[3], National Bank For Agriculture And Rural Development (NABARD)[4], National Commission On Farmers,Research And Extensio,Agriculture & Processed Food Products Export Development Authority (APEDA),National Horticultural Mission (NHM),Horti-Expos / Agri-Fairs / Flower Shows /Publications,Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY),Back-Ended Subsidy Programmes,Watershed Development and Micro Irrigation Programmes.,Reforms in Agricultural Marketing and Development of Market Infrastructure,Revitalisation of Cooperative Sector, Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (PPVFR) Act, 2001.[5] Expansion of Institutional Credit to Farmers, Establishment of the National Rainfed Area Authority.[6] Etc.

For Year 2011-12, budget allocation of Rs.17122.87 crore has been proposed in BE 2011-12. Allocation for RKVY is proposed to be increased to Rs. 7810.87 crore. Targets for NHM comprises of 1.55 lakh ha., revival of 0.5 lakh ha., new nurseries-175 nos. an additional 1050 water harvesting structures. Under NHB, 5900 units are projected to be developed for commercial horticulture through production and post harvest management. Under Micro Irrigation scheme, 7 lakh ha. is proposed to be covered under drip/sprinkler irrigation.[7]

FIVE-YEAR PLAN (FYP) : India's future planning for economic growth was initiated by the Parliament of India in 1951 through Five-Year Plans (FYPs) developed, executed and monitored by Planning

*Research Scholar, Department of Economics, Himachal Pradesh University, Summer Hill, Shimla, Himachal Pradesh-171005.

Commission. FYPs generally allocate budgets in different thrust areas.[8] Currently the 12th FYP is underway. Agriculture was constantly an essential sector but in the first three FYPs the significance of horticulture was neglected until the 4th FYP (1969- 1974) when a sum of Rs.34.78 million was allocated for this sector. During the 8th FYP horticulture including floriculture was identified as a thrust area for the development of infrastructure and research and received Rs.1,047 million for its full exploitation. In the 11th FYP (2007-2012), an allocation of Rs.1,200 million has been made.[9]

2.1 Program for Development of Floriculture during X Plan[10]

Sr. No	Component	Physical	Total (Rs in million)
1.	Data Base Generation	Collection data from different parts of the country	2.50
2.	Developmental activities a) MFCs in public sector b) Strengthening of existing MFCs	10 11	100.00 11.00
3.	c) Area expansion i) Protected ii) Open cultivation iii) Other inputs	100 Ha Green House 100 Ha shade net 25,000 Ha 40 % seed grown crops 20% bulb grown 30 % grafted plants 10 % foliage ornamental plants Farm equipment, fertilizers, chemicals etc 100 ha	20.00 5.00 625.00 1.00 1.00 1.00 0.50 1.50
4.	Infrastructure development	Setting up of Pack house (Five units) Provision of refrigerated wagon in railways (Three units) Setting up of Co-operative markets (Five units)	1.00 1.50 2.50
5.	Market Promotion and advertisement	Flower festivals / Workshops (10) Advertisements/ Publication/Audio/ Video	5.00 4.00
6.	Monitoring and Evaluation	Technical services External Evaluation	1.00 1.50
7.	Value addition	Pigment extraction Dry flower production Etc. (50)	5.00
8.	R & D activities	Development of New products, Packages (Region specific packaging including Post Harvest Techniques)	10.00
Total			800.00

Source:- Report Of The Working Group On Horticulture Development (fruits, vegetables, tuber crops, floriculture, medicinal & aromatic plants, spices, plantation crops including tea, coffee and rubber) for the 10th five year plan(main report), government of India, Planning Commission, June – 2001.

An annual growth rate of 5% in area and 10% in production of flowers are achievable during X Plan.[12]

2.2 PROGRAMME FOR DEVELOPMENT OF FLORICULTURE DURING XI PLAN : Eleventh Five Year Plan increased over Plan periods to attain a production of 1952 million flowers during the Tenth Plan period from 615 million cut flowers during the end of Eighth Plan period.[12]

2.2.1 INTEGRATED DEVELOPMENT OF COMMERCIAL FLORICULTURE : With the objectives of improvement in human resource capabilities; Promote production of off season and quality flowers through protected cultivation, production and productivity of traditional as well as cut flowers through availability of quality planting material and transfer technology; and improvement on farm post harvest handling of flowers this plan initiated.[13] Pattern of Assistance is specifically focused on

the strengthening of Model Floriculture centre's and improvement in productivity and production through higher use of inputs and area expansion.[14]

2.2.2 ASSISTANCE AND SUPPORT POLICIES OF THE CENTRAL GOVERNMENT : Floriculture development is very high on the agenda of the Central Government a number of incentives and facilities are offered by the Government. These include: Zero Import Duty on Seeds, Bulbs, Cuttings,Procedure Simplification,Phyto-sanitary Certificate and Certificate of Origin, Flower Seed and Tissue Culture material on OGL, Lower Import Duties on Machinery, 50% of Sale in Domestic Market ,Cold Storage Facilities at International Airports, Air-freight Subsidy, Customs Bonding, Encouragement for the use of Plastics. In order to improve productivity of horticulture crops, the Government is encouraging the use of plastics in the form of drip-irrigation, green houses and plastic mulches. An investment of Rs. 250 crore has been allocated in the Eighth Plan period (1992-97). Of this, Rs. 200 crore is earmarked for drip irrigation alone. The earlier restriction of permitting assistance for only one hectare per beneficiary for drip irrigation has been re-moved during 1995-96 and assistance is now provided for the entire holding of the beneficiary for growing horticultural crops, as permitted under the State Land Ceiling laws. Green houses are being encouraged for export-oriented floriculture projects.[15]

3. AGRICULTURAL POLICIES : Floriculture is very important and acknowledged thrust area in India. National policies, budgetary allocation, diversification of horticultural products, liberalized imports are clearly an indication that the country is committed to rapid development in the field of horticulture including floriculture. It is a good sign that the choice is also shifting internationally towards tropical flowers such as anthurium, heliconia, amaryllis, lily (Asiatic) and orchid. Therefore, India and other Asian countries are in a position to exploit the prevailing opportunities and take advantage of their varied agro-climate, diverse flora, cheap labour and huge land area. If the research-to-development continuum, and maintaining a "pro-poor" focus to improve nutrition, food safety and job creation.[16]

The traditional flower sector registered an impressive growth during the Eighth, Ninth, and Tenth Plan periods and grew from 71000 hectares at the end of the Eighth Plan period to 106000 hectares by the end of the Ninth Plan. During the Tenth Plan an additional 10000 hectares has been brought under the traditional flowers sector by the end of 2004-05 to register an overall area of 115921 hectares. The productivity per hectare is the highest in Bihar (17.05 mt) followed by Haryana (11.55 mt). On the other hand, the productivity of flowers is the least in Rajasthan (0.59 mt). The overall productivity of the country during 2004-05 was recorded at 5.64 mt. Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Haryana, Uttar Pradesh, and Delhi are having around 77% of area under floricultural crops.[17]

4. TECHNOLOGY MISSION (TMNE) : Scheme was launched in 2001-02 with objective of harnessing potential for horticulture in all eight North Eastern States including Sikkim and in States of Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand is being implemented in Mission mode, with four Mini Missions, to address various issues related to development of horticulture in these eleven States. Implementation of Mission since inception up to 2009-10 has helped in bringing in an additional area of 528748 ha. Infrastructure facilities such as model nurseries (1017), community tanks (11177), tube wells (14583), greenhouses (3449777 sqm.), model floriculture centres (27), herbal gardens (57), tissue culture units (27), disease forecasting units (22) and 27 mushroom units have been set up. Besides, wholesale (47), rural primary markets (278), apni mandis (67), state grading laboratories (18) and 65 processing units have been established.[18]

5. CONCLUSION : Himachal Pradesh is a late entrant into global floriculture business yet it has immense Export potential for floricultural products. Mindset of the Government, industry and trade today is much better than ever before. The process of economic reforms initiated in July 1991 is continuing with greater vigour and they are surely irreversible irrespective of the political philosophies of the Government in power. Floricultural industry in the state being at a nascent stage of development, there are a number of constraints. With proper policy framework by the Government it is opportune for Himachal Pradesh to harness the production potential and exploit the overseas market opportunities. By a proper blend of policy support and incentives and facilities, our state can achieve the heights in this particular business, which will gave boom to employment opportunities, revenue and income of the people of the state.

Books :

1. H.P.Singh and R.C.Upadhyaya, "Exploring floricultural potential in Asia for domestic and overseas markets", Indian Horticulture 52(5):1, 31-37, 2007.
2. Report Of The Working Group On Horticulture Development (fruits, vegetables, tuber crops, floriculture, medicinal & aromatic plants, spices, plantation crops including tea, coffee and rubber) for the 10th five year plan(main report), government of India, Planning Commission, June - 2001.
3. Department of Horticulture, Navbahar, Shimla, Himachal Pradesh, 2015-16.
4. Eleventh Five Year Plan(2007-2012), Agriculture, Rural Development, Industry, Services and Physical Infrastructure, Volume III, Planning Commission, Government of India, 2008.
5. G.D.Banerjee," Poised for a golden revolution", Times Agricultural J. (Nov. - Dec.) 2002.
6. G.L.Kaul, and N.K.Dadlani , "State profiles: Himachal Pradesh; In prospects of floriculture in India, New Delhi, Ministry of Agriculture, Govt. of India,pp 263-265, , 1995.
7. H.P Singh, "Growing Floriculture Industry: Opportunities for India", National Conference on Recent Trends and Future Prospects in Floriculture, 5-8 March 2011, pp1-8.
8. J.P.Negi, and B.Singh, "Role of NHB in promotion of commercial horticulture including floriculture", Indian Horticulture 46(4):1, 26-28, 2002.
9. M. Dahatreyulu , "Export Potential of Fruits, Vegetables and Flowers From India", National Bank for Agriculture and Rural Development Mumbai 1997, Published by National Bank for Agriculture and Rural Development, Department of Economic Analysis artd Research, Jeevan Seva Complex (Annexe), S.V. Road, Santacrui (W), mumbai - 400 054 and Printed at Karnatak Orion Press, Fort, Mumbai - 400 001, 1997.
10. Outcome Budget, 2011-12, Ministry Of Agriculture, Department Of Agriculture And Cooperation, 2011.
11. planningcommission.nic.in/aboutus/committee/.../horticulture.pdf
12. Raj. Gopal. Sud,, "Present Stats and Future Prospects of Floriculture in Himachal Pradesh", vidhanmala, Vol.-IV, No.-I, June, 2010.
13. www.expo-india.com
14 www.flowersofindia.com.
15. www.indiaagronet.com/indiaagronet/.../Ornamental_horticultue.HTM
16 www.nabard.gov.in.
" www.techno-preneur.net/information-desk/.../Export_prospects.pdf

References :

1. Department of Horticulture, Navbahar, Shimla, Himachal Pradesh, 2015-16.
2. Raj. Gopal. Sud,, "Present Stats and Future Prospects of Floriculture in Himachal Pradesh", vidhanmala, Vol.-IV, No.-I, June, 2010.
3. J.P.Negi, and B.Singh, "Role of NHB in promotion of commercial horticulture including floriculture", Indian Horticulture 46(4):1, 26-28, 2002.
4. www.nabard.gov.in.
5. www.expo-india.com
6. www.flowersofindia.com.
7. Outcome Budget, 2011 - 12, Ministry Of Agriculture, Department Of Agriculture And Cooperation, 2011.
8. Planningcommission.nic.in/aboutus/committee/.../horticulture.pdf
9. G.D.Banerjee," Poised for a golden revolution", Times Agricultural J. (Nov. - Dec.) 2002.
10. Report Of The Working Group On Horticulture Development (fruits, vegetables, tuber crops, floriculture, medicinal & aromatic plants, spices, plantation crops including tea, coffee and rubber) for the 10th five year plan(main report), government of India, Planning Commission, June - 2001.
11. Planningcommission.nic.in/aboutus/committee/.../horticulture.pdf
12. Eleventh Five Year Plan(2007-2012), Agriculture, Rural Development, Industry, Services and Physical Infrastructure, Volume III, Planning Commission, Government of India, 2008.
13. www.indiaagronet.com/indiaagronet/.../Ornamental_horticultue.HTM
14. G.L.Kaul, and N.K.Dadlani , "State profiles: Himachal Pradesh; In prospects of floriculture in India, New Delhi, Ministry of Agriculture, Govt. of India,pp 263-265, , 1995.
15. M. Dahatreyulu , "Export Potential of Fruits, Vegetables and Flowers From India", National Bank for Agriculture and Rural Development Mumbai 1997, Published by National Bank for Agriculture and Rural Development, Department of Economic Analysis artd Research, Jeevan Seva Complex (Annexe), S.V. Road, Santacrui (W), mumbai - 400 054 and Printed at Karnatak Orion Press, Fort, Mumbai - 400 001, 1997.
16. H.P.Singh and R.C.Upadhyaya, "Exploring floricultural potential in Asia for domestic and overseas markets", Indian Horticulture 52(5):1, 31-37, 2007.
17. Eleventh Five Year Plan(2007-2012), Agriculture, Rural Development, Industry, Services and Physical Infrastructure, Volume III, Planning Commission, Government of India, 2008.
18. H.P Singh, "Growing Floriculture Industry: Opportunities for India", National Conference on Recent Trends and Future Prospects in Floriculture, 5-8 March 2011, pp1-8.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 134-135

The Urban Transition and Shift in Nutritional Vulnerability

Mihir Kumar Thakur*

Introduction :

Increasing level of urbanization is not only unfolding newer forms of vulnerability, but is displaying a shift in existing vulnerabilities to the urban loci. While congestion, access to public space, growth of slums etc are visible concerns co-terminus with urbanization in less developed context (Athreya et al 2010), issues of hunger and malnutrition continue to get predominately rural considerations by policy processes. Not to say that the rural vulnerability is less than the urban, in fact majority of population in developing and less developed countries still reside in the country side and so does the majority of malnourished population. The emerging trends however, do reflect a tendency in incidences of malnutrition towards urban centres and this is likely to be striking in the long run. This emerging trend is increasingly being recognized in mainstream academic and development literature and urban malnutrition and its dynamics has begun to receive considerable attention (Sonnino, 2014). This paper may be seen as a contribution in this direction. Using the latest available data it attempts to establish the shift in malnutrition to urban spheres in the context of both the least and the most urbanized states of India, wherein the states of Bihar and Maharashtra represent the two contexts respectively. The paper further tries to explain this shifting trend by looking at the issue from the perspective of horizontal inequality. In this regard, the paper draws upon the author's earlier field work on malnutrition in Mumbai city and aligns with the argument that even though rural malnutrition is higher than urban, there are pockets of extreme vulnerability in urban areas that fare miserable than the countryside. Although socio-economic inequality in malnutrition has been studied at several places (Garcia 2012), the focus is primarily on vertical inequality, [or inter-personal inequality in wealth class]. Given that the urban poor is not a homogeneous category (Sen 1981), especially when seen horizontally, at similar levels of income poverty, non - income dimensions of deprivation such as that of nutrition may vary significantly among the poor- delineated along lines of caste, religion, location and so on. Associated group dynamics is ostensibly likely to be more prominent in urban context, due to inherently greater demographic and cultural diversity as it attracts population from varying context in search of growth and livelihood. Accordingly, the paper pursues following three inter-related questions, viz.:

i. Whether there is a trend of shift in malnutrition towards urban loci in India
ii. What is the extent of this shift and how does it vary with varying contexts of urbanization, and
iii. Why is there the shift, even though urbanization is associated with improved standard of living and quality of life?

A note on methodology :

The paper is primarily quantitative in nature but it expands beyond through triangulation with other existing studies including the author's own work (see Choudhary 2015). Secondary data has been obtained from the latest (2015-16) and earlier rounds of Demographic and Health Survey (2015-16) and the Rapid Survey on Children (2013-14) for India and the states. There are several measures of child malnutrition viz. underweight, stunting and wasting. This paper makes a conscious decision to use 'stunting' as malnutrition indicators due to its recognition as a standard measure as well as its implications for long term development of children.

Overview of findings :

India is urbanizing fast and as per the Census of India 2011, six of the states in India have above 40 % of their population residing in urban areas. The level of urbanization is above 50% in two

*Associate Professor, D S College, Katihar, B.N. Mandal University, Bihar

of states and many others are in the phase of transition to urban from rural dominated population structure. This ongoing urban transition provides important opportunities for reducing poverty and enhancing sustainability (UNDP 2011). As the transition is progressing, signs of urban deprivation and vulnerability are accumulating, which must be accommodated in policy processes upfront. This is established in this paper with three key findings - first, while the level of malnutrition has been declining over last 20 years, the magnitude of decline in urban malnutrition is invariably less than the decline in rural malnutrition across states of India. This is true in the longer run as well as in recent past. Secondly, it is found that the greater extent of urbanization continues to be associated with relatively lower level of malnutrition, yet with every percentage increase in level of urbanization, the decreases in stunting goes on declining. This in turn is indicative of an increased propensity of vulnerability as level of urbanization increases. Thus, consequent narrowing of the rural-urban inequality in nutritional vulnerability while appears to be positive development, it is also indicative of growing rigidity in urban food and nutrition systems to respond to the needs of the population transitioning from the countryside to urban centres. These trends have been evident from the data in the most urbanized states of India such as Maharashtra. Unfortunately, the review of data in this paper reflects similar pattern in least urbanized states such as Bihar. This consistency in pattern of nutrition deprivation questions the sustainability of urbanization taking place in countries like India. Thirdly, the analysis identifies that even in urban areas higher level of stunting remains associated with the socially backward communities of India, which represents urban reproduction of rural vulnerabilities. States such as Tamil Nadu and Kerala, which have considerably reduced child malnutrition levels, still have unacceptably high nutritional deprivations in backward caste communities. The most threatening part is that this concentration of malnutrition amidst specific groups remains more or less intact over two different rounds of DHS vis. 2005-06 and 2015-16. That is, any improvement in nutritional status of population bypasses certain groups. Such isolated forms of acute vulnerabilities are particularly observed in larger urban centres such as Mumbai in Maharashtra and are typically associated with migrants' communities especially of rural-urban migrants.

Thus, urbanization even though offers better quality of life on average, also puts a question mark on the extent to which it is co-terminus with sustained improvement in non-income well being as well as with upward mobility of traditionally vulnerable groups. It has found that certain vulnerable groups remain deprived due to cultural rigidities and difficulty in assimilation into the local society and institutions (Choudhary 2015). Hidden biases and informal influences have often been found to be subtle but disempowering for selected groups. An important finding to sum up with, is that irrespective of weak initial endowments, groups which are supported by state-sponsored transfers and a favourable environment may be able to escape the poverty trap.

References :

1. Athreya et al (2010). Report on the State of Food Insecurity in Urban India, M S Swaminathan Research Foundation, India
2. Choudhary, Neetu (2015). Malnutrition in Greater Mumbai Slums: An Entitlement Analysis of Group Differentials in Basic Capabilities, South Asia Research, 35(3): 280-297
3. Demographic and Health Surveys for India, Various Rounds
4. Garcia, Viridiana. 2012. Children malnutrition and horizontal inequalities in Sub-Saharan Africa: a focus on contrasting domestic trajectories, UNDP Working Paper No. 2012-019, (available on undp.org)
5. Sen, Amartya (1981). Poverty and Famine, Oxford University Press
6. United Nations (2011). Population Distribution, Urbanization, Internal Migration and Development: An International Perspective, ESA/P/WP/223

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 136-138

Prospects for ICT Integration: Designing Innovative Techno-pedagogic Strategies for In-service and Pre-service Teacher Education Programmes

Ashish Samuel Huri*

Abstract: *ICT is an important tool for teaching as it helps in facilitating teaching and increases better understanding of the subjects for the students. However, it is not a substitute for teaching. In our university we have utilizing ICT technology to bring changes in our curriculum and also make our teachers technology friendly. ICT enables students with special needs or difficulties. It also helps to reduce the social disparities between pupils, since they work in teams in order to achieve a given task. Students also assume responsibilities when they use ICT to organize their work through digital portfolios or projects. In addition, the study showed that ICT has significant impact on teachers and teaching processes. Incompetency in using ICT in education can create several hindrances in the daily teaching and learning processes of Pre service as well as In service teachers. This paper discusses with some basic issues challenges and aims for the use of ICT in education and training.*

Keywords: ICT, Educomp, Equity, Reciprocal, Mentoring.

ICT: "ICTs stand for information and communication technologies and are defined, for the purposes of this primer, as a "diverse set of technological tools and resources used to communicate, and to create, disseminate, store, and manage information."(Wikipedia)

ICT is an extended term for information technology (IT) which stresses the role of unified communications and the integration of telecommunications (telephone lines and wireless signals) as well as necessary enterprise software, middleware, storage and audio visual systems which enable users to access, store, transmit and manipulate information. (Wikipedia.org/ICT)

ICT has also been used as the powerful tool for the interaction to the world. ICT includes the range of hardware and software devices and programs such as personal computers, assistive technologies, scanners, digital cameras, multimedia programs, and image editing software, spreadsheet and database programs. ICT includes communication technologies such as computers, video chats and video conferencing. Today in every field it may be banking, business, medical and most important education etc. The literacy of ICT has become very important for people's work, social and personal lives. ICT includes the range of hardware and software devices and programs such as personal computers, assistive technologies, scanners, digital cameras, multimedia programs, image editing software, spreadsheets and database programs. It includes the communication technologies such as computer, video chat and video conferencing.

Internet nowadays playing the most important role in our life. On our smartphones the internet lets you connect to the world and the most important factor which internet is playing is that it provides each and every type of information on your fingertips whether it may be of any area of the world or continent.

Impact of ICT in Education: In the field of education the use of ICT is also a very important factor. While teaching learning process the auditory and visual presence of a student is very important. Through the use of this ICT we create an interest in the students towards learning. ICT makes learning more interesting and joyful. Many schools have inherited the e learning system. Many of the schools have the educomp classes which are called digital classes. In the field of education ICT has changed the method of learning. ICT use in teaching makes teaching learning process more interesting. We all know studying anything visually helps us to remember it for a long term than traditional method of teaching. By the use of ICT teachers can teach the chapter easily and make teaching learning process joyful. The concept of smart classes is based on the same. But in some areas smart classes are adopted because teachers are incompetent of teaching with the help of ICT.

*Research Scholar, S.H.U.A.T.S. Allahabad, U.P.

By the use of ICT : E-learning gets real, Bringing the world closer, Presenting creative options, A good source of knowledge

Objectives of ICT in Education: (a) The utilitarian aims of ICT in Teacher education are:

i. Teachers can make the learners become competent and confident users of ICT who can make efficient, effective and creative use of basic application software in their everyday activities; and the teaching of the teachers may improve.
ii. Teachers can encourage the learners to become critical and reflective users of ICT who can evaluate the capabilities and limitations of the technology and of social, technical, political, ethical, organisational and economical principles associated with its use.
iii. Teachers can prepare the learners for the society of tomorrow by making them adaptable users of ICT who have the necessary openness and flexibility of mind to be able to adjust to future changes in the technology.

(b) The social aims of ICT in Teacher education are:

i. Teachers can develop the appropriate social skills that are essential for co-operative and collaborative learning based around ICT; and,
ii. To facilitate better communication between the colleagues thereby promoting greater social understanding and harmony; and,
iii. To ensure equity between all learners by providing appropriate qualitative and quantitative opportunities to overcome social and learning disadvantages.

(c) The personal aims of ICT in Teacher education are:

i. To encourage the Teachers to develop the appropriate personal skills that are essential for independent teaching-learning based around ICT
ii. To assist the teachers to develop their potential to their fullest by facilitating the acquisition of knowledge; by helping the learner concentrate on higher order cognitive tasks rather than on lower order routine tasks and by positively affecting the attitude of the learner towards further learning.

Measures to improve pre service teacher's competencies in ICT: Technology should be introduced in context. Teaching trainee students basic computer literacy-the traditional operating system, word processor, spreadsheet and database topics are not enough. As with any profession, there is a level of literacy beyond general computer literacy. This more specific or professional literacy involves learning to use technology to enhance the educational growth of students. Professional literacy is best learned in context. Pre-service students should learn many uses of technology because they are involve it into their coursework and field experiences. They should see their professors and mentor teachers model innovative uses of technology; they should use it in their own teaching, and they should explore creative uses of technology in their teaching.

Technology should be infused into the entire teacher education programme: Throughout their teacher education sessions, students should learn about and with technology and how to use ICT into their own teaching to make it teaching more interesting and joyful. Limited technology experiences to a single course or to a single area of teacher education, such as methods courses, will not prepare student teachers to be technology-using teachers. Trainee teacher education students should learn about a wide range of latest educational technologies across their professional preparation, from introductory and foundations courses to student teaching and professional development experiences.

Students should experience innovative technology-supported learning environments in their programme. A PowerPoint presentation, for example, can improve a traditional lecture, but it does not necessarily transform the learning experience. On the other hand, using multimedia cases to teach topics that have previously been addressed through lectures may well be an example of a learning experience transformed by technology. Students should experience both types of uses of technology in their programme; however, the brightest promise of technology in education is as a support for new, innovative, and creative forms of teaching and learning (SITE, 2002).

The planning and implementation of ICT-related professional development of teacher educators should be led by a planning group that includes representation and expertise from teacher educators, programme administrators, teachers, school administrators, technology experts, and business leaders. The diverse perspectives of the group should provide an understanding of the realities of the classroom, new views of the teaching-learning process, knowledge of the array of technologies that may be used to enhance learning, and community opinions. It is important for a

planning group to negotiate a shared understanding of the role of ICTs in the agenda for educational renewal based on their individual cares and concerns It is also helpful to have a larger advisory or liaison group that may facilitate collaborative professional development efforts and sharing of resources across related organizations, for example, between the university and the partner schools where students are placed for teaching practice.

Measures to improve In service teachers competencies in ICT: Strategically supported workshops: Several workshops can be designed that focused on a few useful applications that faculty could incorporate into their instruction. The teacher educators should learn how to post these materials online in Web CT and set up online class discussions. After the teacher educators had time to see how this worked in practice with their students, a second workshop was provided to help them consider appropriate ways to facilitate collaboration and networking, along with the social issues that might arise in using these methods. These redesigned workshops were highly successful and led to ongoing faculty development.

Reciprocal Mentoring: During weekly meetings, the graduate students learn about mentoring and a variety of approaches to infusing technology into education. These meetings foster collaboration and networking among the graduate students, lend moral support, provide opportunities for the development of technical skills, and engage students with relevant literature. Each student also meets with his or her teacher educator mentor weekly and responds to their needs at an appropriate pace. In the early stages of this process, many teacher educators develop confidence with ICTs very slowly, often starting with word processing of scholarly work or with the creation of slides using software. Technical competence is purposefully developed slowly, to keep pace with the emerging confidence and autonomy levels of the teacher educator. This process will be very helpful if we incorporate it in the teaching learning process in the field of teacher education. The teacher mentor and the student mentor both computer and ICT competencies can be developed through this.

Conclusion: The information generated highlights about the current state of ICT usage in India and the future expectations from the teachers to use ICT and integrate their teaching with the new innovations. Lack of computer used by teachers were a barrier for the adoption of ICT use in the classes as an teaching aid.In service teachers encounter these problems daily in their classrooms the problems such as ineffective presentation, lack of interest in the subject, uses of traditional methods, and less use of new trends in their teaching. This study indicated that introduction of ICTs in teaching and learning process could create significant changes in both teaching and learning. ICT also plays a crucial role in socio-economic development. And could create the educated people who can compete according to the requirement of the world.

References:

1. Bonsu K. A., Duodu A. , J.A.Ansere and Djang-Fordjour K.T. (2013) The Challenges and Prospects of ICTs in Teaching and Learning in Sunyani Polytechnic, Ghana: CAPA SCIENTIFIC JOURNAL November 2013 VOL 1. No. 1
2. Carr, N.M. (2013) Graduate Teachers and ICT: The Prospect of Transformative Integration. Melbourne Graduate School of Education .The University of Melbourne. August 2013
3. Devi, S. Rizwaan, M.Chander,S.(2012) ICT for Quality of Education in India, IJPSS Volume 2, Issue 6 ISSN: 2249-5894.
4. Jhuree, V.K. (2005) Technology integration in education in developing countries: Guidelines to policy makers. International Education Journal, 2005, 6(4), 467-483. ISSN 1443-1475 © 2005 Shannon Research Press.
5. Pelgrum, W.J. and Law, N. (2003) ICT in education around the world: trends problems and prospects. UNESCO International institute of Educational Planning .ISBN 92-803-1244-8.
6. Shah, R.A. and Pansare.R.R. (2015) :- Information technology act 2000 &cyber crimes: implications, consequences & control in Maharashtra. Advances in Computational Research ISSN: 0975-3273 & E-ISSN: 0975-9085, Volume 7, Issue 1, 2015, PP.-256-258.
7. Thomas, O.O. , Babatope , K.O., Johnathan , O.O. (2013) Teacher Education, Information and Communication Technology: Prospects and Challenges of E-Teaching Profession in Nigeria. American Journal of Humanities and Social Sciences Vo1. 1, No, 2, 2013, 87-91 DOI: 10.11634/232907811301314.
8. http://lff.iite.unesco.org/eng/effective-integration-of-ict-in-teaching-and-learning.aspx
9. http://legacy.oise.utoronto.ca/research/field-centres/TVC/RossReports/vol7no1.htm
10. https://www.moroccoworldnews.com/2014/06/122206/advantages-of-using-ict-in-learning-teaching-process
11. http://www.teachersofindia.org/en/article/ict-education
12. http://www.indiaeducationreview.com/vc-desk/role-ict-teaching-and-learning
13. https://www.iitbombayx.in/courses/IITBombayX/FDPICT001x/2016_T1/about

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 139-142

Environmental Refugees and Their Protection Under the Convention Relating to the Status of Refugees, 1951: An Analysis

Samiuddin*

Abstract

Environmental catastrophes have been in the news, resulting in deaths of thousands of people and displacement of hundreds of thousands of people. Scientists are of the opinion that the global warming will lead to rise in sea level, desertification in some areas and floods in others, which means that the millions will be rendered homeless, never to return back. Apart from natural disasters, human-induced environmental changes have also resulted in the forced displacement of people. The term 'environmental refugee' has been used in this paper to refer to people who have been forced to leave their home area because of environmental disruptions. Such displaced people do not have their own instrument of international protection and are instead dependent upon goodwill of agencies or other countries for their recovery. Attempt has been made in this paper to analyse whether 'environmental refugees' can be protected under the Convention Relating to the Status of Refugees, 1951.

The legal definition of 'refugee' and the rights and entitlements it entails are set out in the 1951 Convention and its 1967 Protocol. A 'refugee' is defined as someone who:

owing to well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of particular social group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable, or owing to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a result of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it.[1]

Here, it is important to point out that while international law defines 'refugee' in a particular way, it does not mean that the people outside this definition are unworthy of protection, or necessarily denied it.[2] Definitions serve an instrumental purpose. They delimit rights and obligations, and may seek to bolster some kind of ethical claim to protection or assistance as well.[3]

There are a number of reasons that make it difficult to argue that people displaced by the impacts of climate change are refugees within the meaning of the Refugee Convention.

First, refugee definition applies only to people who have already crossed an international border. Much of the movement is and is anticipated to be internal and thus does not meet this preliminary requirement. This criterion also means that the Refugee Convention does not facilitate direct resettlement from the country of persecution. Thus, any proposal to extend the Refugee Convention regime for displaced by climate change impacts, whether through opening up that instrument to renegotiation or drafting a protocol, would have this same limitation.[4]

Secondly, there are difficulties in characterizing 'climate change' as 'persecution'. 'Persecution' entails violations of human rights that are particularly serious, either because of their inherent nature or because of their repetition (for example, an accumulation of breaches which, individually, would not be severe but which together constitute a serious violation).[5] It remains very much a question of degree and proportion. Whether something amounts to 'persecution' is assessed according to the nature of the right at risk, the nature and severity of its restriction or impairment, and the likelihood of the restriction or impairment eventuating in the individual case.[6]

Although adverse climate impacts such as rising sea levels, salination and increase in the frequency and severity of extreme weather events (e.g. storms, cyclones and floods) are harmful, and in some cases fatal, they do not meet the threshold of 'persecution' as this is currently understood in international and domestic law.[7]

There is nothing implicit in the Refugee Convention that would preclude recognition of environmental harms amounting to persecution provided that the requisite elements of Article 1A(1)

*LL.M Scholar, Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University, Lucknow, U.P.

could be established. However, it exceeds the presently recognized bounds of the Convention to argue that climate change per se would meet the requisite threshold. In many cases, environmental harms may be bound up in other practices that are persecutory, thereby avoiding the need to base a claim solely on such grounds.[8]

Accordingly, a refugee claim based generally on the broad impact of climate change will not succeed.[9] Rather, there must be a differential impact as against the rest of society at large (in other words, because the group is marginalized). For example, one must be able to demonstrate that one is poor because government policy, inaction or discrimination treats one group in society differently from others. Indeed, as the New Zealand Refugee Status Appeals Authority (RSAA) affirmed in relation to very poor refugee claimants from Tuvalu, they could not be refugees if they had not been treated differently from anyone else:

This is not a case where the appellants can be said to be differently at risk of harm amounting to persecution due to any one of these five grounds. All Tuvalu citizens face the same environmental problems and economic difficulties living in Tuvalu. Rather, the appellants are unfortunate victims, like all other Tuvaluan citizens, of the forces of nature leading to the erosion of coastland and the family property being partially submerged at high tide. As for the shortage of drinkable water and lack of hygiene sewerage systems, medicines and appropriate access to medical facilities, these are also deficiencies in the social services of Tuvalu that apply indiscriminately to all citizens of Tuvalu and cannot be said to be forms of harm directed at the appellants for reason of their civil or political status.[10]

Claims based generally on 'climate change' do not meet this persecution mould. Part of the problem in the climate change context is identifying a 'persecutor'.[11] For example, the governments of Kiribati and Tuvalu are not responsible for climate change as whole, nor are they developing policies which increase its negative impacts on particular sectors of the population. Indeed, the Tuvaluan and Kiribati governments remain willing to protect their citizens, although the extent of their ability to do so over time is unclear.

Whereas Convention refugees flee their own government (or private actors that the government is unable or unwilling to protect them from),[12] a person fleeing the effects of climate change is not escaping his or her government, but rather is seeking refuge from—yet within – countries that have contribute to climate change.[13]

The Australian Refugee Review Tribunal (RRT) has rejected the argument that this amounts to 'persecution' for the purposes of the Refugee Convention:

In this case, the Tribunal does not believe that the element of an attitude or motivation can be identified, such that the conduct feared can be properly considered persecution for reasons of a Convention characteristic as required. … There is simply no basis for concluding that countries which can be said to have been historically high emitters of carbon dioxide or other greenhouse gases, have any element of motivation to have any impact on residents of low lying countries such as Kiribati, either for their race, religion, nationality, membership of any particular social group or political opinion.[14]

Finally, even if the impacts of climate change could be characterized as 'persecution', the Refugee Convention requires such persecution to be *for reasons of* an individual's race, religion, nationality, political opinion or membership of a particular social group. Persecution alone is not enough. The difficulty in the present context is that the impacts of climate change are largely indiscriminate, rather than tied to particular characteristics such as person's background or beliefs. Although climate change affects some countries more adversely than others by virtue of their geography and resources, the reason it does so is not premised on the nationality or race of their inhabitants[15]. An argument that people affected by its impacts could constitute a 'particular social group' would be difficult to establish, because the law requires that the group must be connected by a fundamental, immutable characteristics other than the risk of persecution itself.[16]

As Mchugh J explained in *Applicant A*, although a shared fear may help to define a group, it is the particular attribute ascribed to them, rather than the persecutory acts themselves that serves to 'create' them as particular social group:

The actions of the persecutors may serve to identify or even cause the creation of particular social group in society. Left-handed men are not a particular social group. But, if they were persecuted

because they were left-handed, they would no doubt quickly become recognizable in their society as a particular group. Their persecution for being left-handed would create a public perception that they were a particular social group. But it would be the attribute of being left-handed and not the persecutory acts that would identify them as particular social group.[17]

Superior courts around the world have explained that the Refugee Convention does not cover people in search of better living conditions or victims of natural disasters, even though 'both of these cases might seem deserving of international sanctuary'.[18] It has expressly recognized that this is so, 'even when the home state is *unable* to provide assistance'.[19] This is because the Refugee Convention has a more limited scope. As the High Court of Australia has observed, the requirement of 'persecution' limits the Convention's 'humanitarian scope and does not afford universal protection to asylum seekers. No matter how devastating may be epidemic, natural disaster or famine, a person fleeing them is not a refugee within the terms of the Convention.'[20]People fleeing 'natural disasters and bad economic conditions' fall outside the Convention.[21] The House of Lords in the United Kingdom has also observed that the Convention does not provide protection in all cases:

The applicant may have a well-founded fear of threats to his life due to famine or civil war or of isolated acts of violence or ill-treatment for a Convention reason which may be perpetrated against him. But the risk, however sever, and the fear, however well founded, do not entitle him to the status of a refugee. The Convention has a more limited objective, the limits of which are identified by the list of Convention reasons and by the principle of surrogacy.[22]

Since 2000, there have been a small number of cases in Australia and New Zealand where people from Tuvalu, Kiribati and Tonga have sought to argue they should receive refugee protection from climate change impacts.[23] Earlier cases considered whether refugee protection could be granted to applicants from Bangladesh on the basis of natural disasters,[24] or on account of drought and destitution in Fiji.[25] All claims failed on the basis that the harm feared did not amount to persecution, and there was no differential impact on the applicant.

Nonetheless, there remain limited exceptions where exposure to climate impacts or environmental degradation might amount to persecution for a Convention reason. Examples could include cases where:

- 'victims of natural disasters flee because their government has consciously withheld or obstructed assistance in order to punish or marginalize them on one of the five Convention grounds';[26]
- Government policies target particular groups reliant on agriculture for survival, in circumstances where climate change is already hampering their subsistence;
- Government induces famine by destroying crops or poisoning water, or contributes to environmental destruction by polluting the land and/or water;[27]
- A government refuses to accept aid from other States when it is in need, such as in the aftermath of a disaster;[28]
- A government does not establish appropriate measures for prevention of disasters.[29]

In each case, of course, a persecutory element for Convention reasons would need to be shown. However, in most cases, people displaced by climate change are unlikely to receive protection as refugees.

References :

1. Article 1A(2) of the Convention Relating to the Status of Refugees, 1951 read with Protocol relating to the Status of Refugees
2. Jane McAdam, "The Relevance of International Refugee Law" in Jane McAdam, Climate Change, Forced Migration, and International Law 4 (2012)
3. Francois Gemenne, "Environmental Changes and Migration Flows: Normative Frameworks and Policy Responses"
4. Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, The Refugee in International Law (3rdedn, Oxford University Press, 2007) 92
5. See Council Directive (EC) 2004/83 on Minimum Standards for the Qualification and Status of Third Country Nationals or Stateless Persons as Refugees or as Persons Who Otherwise Need International Protection and the Content of the Protection Granted [2004] OJ L304/12('Qualification Directive') Article 9
6. SupraNote 4

7. Ibid, 90-134
8. See UNHCR Expert Roundtable on Climate Change and Displacement, 'Summary of Deliberations on Climate Change and Displacement' (Bellagio, 22-25 February 2011)
9. Michelle Foster, International Refugee Law and Socio-Economic Rights: Refugee from Deprivation (Cambridge University Press, 2007) 310
10. Refugee Appeal No. 72189/2000, RSAA (17 August 2000) para 13 cited in Foster
11. See Jeremy Harding, The Uninvited: Refugees at the Rich Man's Gate (Profile Books, 2000) 122 Cited in Foster
12. See United Nations Economic and Social Council, Report of the Ad Hoc Committee on Statelessness and Related Persons (Lake Success, New York, 16 January - 16 February 1950), UN Doc E/1618 (17 February 1950) 39
13. Supra Note 2
14. 0907346 [2009] RRTA 1168 (10 December 2009) para 51
15. Supra Note 2, at 7
16. Supra Note 4, at 79-80
17. Applicant A v Minister for Immigration and Ethnic Affairs (1997) 190 CLR 225, 264 (McHugh J)
18. Canada (Attorney General) v Ward [1993] 2 SCR 689, 732
19. Ibid
20. Supra Note 17, at 248 (Dawson J)
21. Minister for Immigration v Haji Ibrahim (2000) 204 CLR 1, 48-9 (Gunmow J)
22. Horvath v Secretary of State for the Home Department [2001] 1 AC 489, 499-500 (Lord Hope)
23. See cases cited in Jane McAdam
24. Mohammed Motahir Ali v Minister of Immigration, Local Government and Ethnic Affairs [1994] FCA 887
25. Refugee Appeal No 70965/98, RSAA (27 August 1998) (Fiji)
26. UNHCR, 'Forced Displacement in the Context of Climate Change: Challenges for States under International Law', Submission to the 6th Session of the Ad Hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action under the Convention (20 May 2009) 9-10
27. Christopher M Kozoll, 'Poisoning the Well: Persecution, the Environment and Refugee Status' (2004) 15 Colorado Journal of International Environmental Law and Policy 271.
28. See International Law Commission (ILC), 'Report of the International Law Commission on the Work of its Sixty-Second Session (3 May- 4 June and 5 July- 6 August 2010), UN Doc A/65/10, 327, draft Article 5
29. Budayeva and Others v Russian Federation App nos 15339/02, (ECtHR, 20 March 2008)

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 143-147

Deciphering Offenders towards Crime against Women: An Appraisal

Santosh Kumar Tripathi*

In our society, women have to face many kinds of crimes. Among these there are certain conducts against women which are inherently wrong. They are termed as crime like rape, dowry death, cruelty against women by husband or relatives of husband, sexual harassment, eve teasing, etc. and they must be punished because the nature of these crimes is very serious. Considering the enormity as well as seriousness of the atrocities committed all over, there is a widespread campaign happening for elimination of crime against women in recent times. Despite many safeguards available, the women in our society continue to suffer with distortions like constant fall in the sex ratio, high infant mortality rate, high drop out rate of girls from school, low wages rates etc. are rampant.

Varanasi is known as cultural heritage of India. But due to impact of modernization, Sankrititization, and industrialization the criminal activities are increasing. Government records and news published in media revealed that in Varanasi district crime against women are increasing day by day.

Objective of the Study : This paper has been written with the objective to know the socio-economic background of offenders.

Research Methodology : A set of respondents were identified for the offenders on the basis of reporting of various crimes in police records (for the last five years) were our universe of the study. In total 100 respondents were selected on the basis of random sampling technique. All the information related to subject of the study have been collected through interview schedule. The interview has been taken in an informal atmosphere to fulfil the objectives of the study. The questionnaire has been filled up before the respondents and the objectives of the research were explained to them so that they answered the questions properly.

Findings : Age : Age is the one of the most important characteristics of human species as it determines to a greater extent the nature of social category of an offender like victim.

The offenders like victims has a group most commonly referred to 'age cohorts' has a special significance in a substantial by changing society.

Here an attempt has been to delineate age structure of the offenders which has been displayed in table 1.

Table No. 1: Age structure of the offenders

S.No.	Age group	Frequency	Percentage
1.	16-20	25	25.00
2.	21-25	32	32.00
3.	26-30	17	17.00
4.	31-35	13	13.00
5.	36-40	7	7.00
6.	41-45	4	4.00
7.	46 & above	2	2.00
	Total	**100**	**100.00**

It is evident from the data that the young age shows predilection for crime. It may be hypothesized that most victims of crimes as well as offenders are young persons (of 18 to 30 years of age). This does not support Wolfgang's finding that offenders are younger than the victims.

*PDF, Department of sociology, BHU, U.P.

Table No. 1.1: Residential Status and Category-wise Age Structure of the Offenders.

S. No.	Age Group (Years)	Urban	Rural	
1.	16-20	Frequency	19.00	6.00
		Percentage	24.05	28.57
2.	21-25	Frequency	27.00	5.00
		Percentage	34.18	23.81
3.	26-30	Frequency	14.00	3.00
		Percentage	17.72	14.29
4.	31-35	Frequency	10.00	3.00
		Percentage	12.66	14.29
5.	36-40	Frequency	5.00	2.00
		Percentage	6.33	9.52
6.	41-45	Frequency	3.00	1.00
		Percentage	3.80	4.76
7.	46 & above	Frequency	1.00	1.00
		Percentage	1.27	4.76

It is evident from the data that apart from offenders being of young age they also are from urban areas. Thusit shows that the cases of crime against women are comparatively higher in urban areas than rural areas.Thus it clearly indicates to be urban phenomenon. It is very difficult to compare rural and urban society. Gist and Halbert are of the view that rural and urban is more of a theoretical concept than a division based upon the facts of community life. The rural and urban societies may be differentiated in terms of social organizations - family, marriage, conditions of women, neighborhood, inequality of classes, social cohesion, etc.; differences in social restrictions; differences in social relationships; differences in social interactions; differences in social view point and differences in social mobility and stability.

Caste : Caste is one of the primary characteristics of Indian society which regulates social status and social relationship and sets limits on the individual's, conduct. This study tries to showcase any relationship between offending and caste structure. There are several theories for the study of the caste system in India. The sociological perspective views the caste system in terms of social stratification in a society, and as a phenomenon of social inequality (Ahuja, 2009: 229).

Table No. 2: Caste structure of the offenders

S. No.	Caste Structure (Irrespective of Religion)	Frequency	Percentage
1.	Upper Caste	29	29.00
2.	Middle Caste	32	32.00
3.	Lower Caste	39	39.0
	Total	100	100.00

According to category of the offenders the caste structure was highest in lower (39.00 percent) followed by middle class 32 (32.00 percent) and the upper class (19.00 percent).

Scholars like Leach, Dumont, Pocock, Bougle, Hocart, Hutton, Senart, Sriniwas, Gould, etc. feel that the caste is a phenomenon peculiar to India only. However, Risley, Crook, etc. believe that a caste is a universal phenomenon. Ghurye [1961:138-156 as cited in Ahuja (2009)] has analyzed the elements of caste outside India. The political mobilization of caste system has created social problems resulting in caste and class conflict. The social cohesion is being deteriorated with the change in caste system. No doubt education, inter-caste marriages, ban on untouchability, positive discrimination for the lower caste in job and education etc. have weaken the caste system.

Religion : Varanasi, being a religious city since antiquity, it has become a centre ofall religions. Though major proportions of population is covered by Hindus and Muslim, but Sikhs, Jains, Buddhists and Christians are also present in small proportion. In this study only Hindu, Muslim and Christian offenders have been taken.

Table No. 3: Religion status of the Offenders.

S. No.	Religion status	Frequency	Percentage
1.	Hindu	75	75.00
2.	Muslim	25	25.00
3.	Christian	0	0.00
	Total	100	100.00

According tocategory of the offenders, contributions of Hindu, Muslim and Christianoffenders were 75.00, 25.00, nil percent for offenders.

Education : Education is of utmost importance for the proper growth and development of the individual's personality. It not only shapes the mode of life and living but also helps in shaping, thinking, attitude and views. Education is a major factor that determines the status of individuals in a society. It provides new opportunity and life style to the individuals. Education is one of the primary basis of social stratification and is a valid index of the quality of the labour force. In fact in the era of globalization, liberalization and privatization has seen rampant change and white collar crime has witnessed big leap.

Table No. 4: Educational Status of the Offenders.

S. No.	Educational status	Frequency	Percentage
1.	Illiterate	25	25.00
2.	Primary	31	31.00
3.	Middle	19	19.00
4.	High School	17	17.00
5.	Inter-mediate	5	5.00
6.	Graduate	2	2.00
7.	Post-graduate	1	1.00
	Total	100	100.0

According to category of the offenders, the literacy rates in offenders was 75.00. Further primary, middle, high school and intermediate educated offenders were 31.00, 19.00, again 17.00 and 5.00 percent, respectively. There were 25.00 percent illiterates victims. A study indicates that educational achievement or level of education is related to murder (Udaiveer 2006).

Marital Status : Marriage is an institution established for the fulfilment of biological, social and cultural needs of a person. In our society, it has been recognized as a sacrament. The institution varies from religion to religion in ways and forms but the fundamental purpose remains all the same. Since marriage directly influences the development of individual personality and consequently the attitudes. In case of poverty or turbulent marriage can drive towards crime in particular against women.

Table No. 5: Marital status of the offenders.

S. No.	Marital status	Frequency	Percentage
1.	Unmarried	29	29.00
2.	Married	65	65.00
3.	Divorced, Widow, Widowed & Separated	6	6.00
	Total	100	100.0

Table 5.1.5 depicts marital status of the offenders. According to category there were 65.00 percent married victims, while there were 29.00 percent unmarried victims. In addition, divorced widow/widowed and separated victims were 6.00 percent.

Family Structure : The structure of the family is an important aspect of the environment whether in joint family or a nuclear family. The type of family in which offender lives may cause bearing on his upbringing and family relationship and in turn may help or hinder his adjustment towards social setting. Some study suggest single kid concept prevailing in urban society is perpetuating criminal tendency amongst teenagers.

Table No. 6: Family structure of the Offenders.

S. No.	Family structure	Frequency	Percentage
1.	Nuclear	21	32.31
2.	Joint	44	67.69
3.	Extend	0	0
	Total	65	100.00

The above table reflects light on family structure of the offenders. 32.31 percent and 67 percent victims were related to nuclear and joint families, respectively. The high incidence of offenders from joint family shows predominance of family system in India.

Occupation : Sources of earning have always been important to the personality make-up of an individual and to her need dispositions. Occupation is not merely a source of livelihood but it also determines the social status of the personin a complex society. It not only determines one's economic status, but also provides ample opportunities ofsocial interaction, which ultimately affects his marital life.

Table No. 7: Occupational Status of the Offenders

S. No.	Occupational status		Frequency	Percentage
1.	Agriculture	29	44.62	
2.	Business	2	3.08	
3.	Labour	3	4.62	
4.	Service	0	0.0	
5.	Student	4	6.15	
6.	Jobless	27	41.54	
	Total	65	100	

The above table highlights on occupational status of the offenders in concerned, 41.54 percent of them were jobless and they were not engaged in any kind of gainful activities. Nearly half offenders (44.62 percent) were engaged in agriculture. This shows that low status occupation were more offenders.

Socio-Economic Status : On the basis of economic status i.e. monthly income the families have been classified into upper, middle and lower classes. Income per year is the basis of defining families below and above the poverty line.

Table No. 8: Socio-Economic Status of the Offenders

S. No.	Socio-economic status	Frequency	Percentage
1.	Lower	47	67.00
2.	Middle	45	45.00
3.	Upper	8	8.00
	Total	100	100.0

It is evident from the data that there were 47.00 percent offenders related to lower class, while 45.00 percent offenders belonged to middle and only 8 per cent from upper class. This makes it necessary to critically examine the link between offenders low status.

Table No. 9: Sexual assault committed

S. No.		Frequency	Percentage
1.	Yes	13	13.00
	Family relations	0	0
	At workplace	0	0
	Related through in-laws	0	0
	Neighbour	2	15.38
	Known through other ways	11	84.62
2.	No	87	87.00
	Total	100	100.0

It is clear from the data that there were 13 percent offenders who committed sexual assault. The typical image of a stranger rapist jumping out of the bushes is far from universal. Yes, there are stranger rapists, but far more often, sexual assailants attack people they know. Two-thirds of rape survivors know their attacker; more than a third of rapists are a family member or friend of the victim. The statistics are even more extreme on college campuses, where 80 to 90 percent of sexual assaults involve students who know each other (Udaiveer 2006, p. 240).

Table No. 10: Known through social networking site

S. No.		Frequency	Percentage
1.	Yes	2	15.38
2.	No	11	84.62
	Total	13	100

It is clear from the data that there were 15.38 percent offenders knew their victims through social networking site. Sexual assault is defined as "any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person's sexuality using coercion" (Sexual Violence Research Initiative, 2013). This violence can be perpetrated by any person regardless of their relationship to the survivors/victims, and in any setting (Sexual Violence Research Initiative, 2013).

Table No. 11: Offender's view of women dressing

S. No.		Frequency	Percentage
1.	Dress worn by opposite sex provocative	10	76.92
2.	Gesture by opposite sex provocative	3	23.08
	Total	13	100

Here in this study dress worn by opposite sex provocative (76.92 percent). The concept of provocative dress is therefore far from a harmless description of women's clothing. Rather, this concept reflects and normalizes problematic beliefs about women's sexuality, women's bodies, and women's responsibility for men's sexual behavior. The beliefs underpinning the idea of provocative dress not only shape women's everyday experiences of their bodies and clothing choices but also shape how the law and society view the seriousness of sexualassault and harassment and women's perceived responsibility for these harms. In order to challenge these beliefs and the harm they cause, we must reject language that trivializes the harm of sexual harassment and assault and that displaces responsibility for male sexual violence onto women (Wolfendale Jessica 2015).

Conclusion : The study has demonstrated that an exploration of the ways in which age, caste, education and duration of marriage, among other factors are associated with different forms and reasons for abuse is important informing context-specific efforts in prevention and intervention of crime against women. In the nutshell, it was found that crimes against women happened in all age groups from teenagers to aged women, castes, religions, socio-economic and educational status.

Thus it is clear from the study that violence can be perpetrated by any person regardless of their relationship to the survivors/victims, and in any setting. Also in this study dress worn by opposite sex was found provocative to many of the offenders. This concept reflects and normalizes problematic beliefs about women's sexuality, women's bodies, and women's responsibility for men's sexual behavior. Thus, the idea of provocative dress and the beliefs underlying it have a serious impact on women's everyday experiences of the risks of unwanted sexual attention.

References :

1. Durkheim E; The Rules of Sociological Method, Gattin GE (Eds.), 1938.
2. Friedman (1959); 'Law in A Changing Society', Stevens and Sons Ltd., London, p. 14.
3. Ahuja, Ram (1998); Violence Against Women, Rawat Publications, New Delhi.
4. Ahuja R. (2009); Violence Against Women, Rawat Publications, Jaipur.
5. Gore, M.S. (1968); 'Urbanization and Family Change', Popular Prakashan, Mumbai, p. 68.
6. Wolfendale Jessica (2015); Provocative dressing and sexual responsibility. www.academic.edu.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 148-151

The Statute of the International Criminal Court: Some Preliminary Reflections

Aarti Singh*

Abstract : *International Criminal Court substantive features include: a definition of crimes falling within its jurisdiction which is more specific than in existing international law; and impressive detail in spelling out general principles of international criminal law such as actus reus, mens rea, nullum crimen and nulla poena, as well as various forms of international criminal responsibility (for commission of crimes, aiding and abetting, etc.). Certain of the substantive provisions, however, may be considered retrogressive in the light of existing law. These include: the distinction between international and internal armed conflicts, needlessly perpetuated in Article 8; an insufficient prohibition of the use in armed conflict of modern weapons that cause unnecessary suffering or are inherently indiscriminate; the excessively cautious criminalization of war crimes offences; the omission of recklessness as a culpable state of mind at least for some crimes; and excessive breadth given to the defences of mistake of law, superior order and self-defence. The Statute has set up a complex judicial body with detailed regulations governing all the stages in the criminal adjudication. The prerequisites to the exercise of jurisdiction, however, depend greatly on the willingness of all states parties concerned in the prosecution to cooperate with the Court.*

Keywords : International Criminal Court, Rome Statute, Rome Diplomatic Conference, Crimes.

Introduction : It is easy to find fault in any new legal institution. In the case of the International Criminal Court (ICC), whose Statute was adopted in Rome on 17 July 1998, however, one should be mindful of the fact that, firstly, this is a revolutionary institution that intrudes into state sovereignty by subjecting states' nationals to an international criminal jurisdiction. Consequently, if and when it becomes an operational and effective judicial mechanism, the ICC could mark a real turning point in the world community. Secondly, as happened in the case of the International Court of Justice (ICJ), and subsequently the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) and the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), only gradually and over a fairly long period of time can the ICC become vital and credible. A thorough and sound appraisal of this new institution must therefore wait some time.

General Remarks : The Statute of the ICC can be examined from various angles. In particular, it may be considered from the viewpoint of treaty law, qua a multilateral international treaty, or it can be viewed from the perspective of its contribution to international criminal law, both substantive and procedural.

First of all, unlike most multilateral treaties concluded under the auspices of the United Nations, in the case of the Rome Statute there hardly exist preparatory works reflecting the debates and negotiations that took place at the Rome Diplomatic Conference. Secondly, it is striking that the text was drafted in one language (English) and that for months after its adoption no official text was available in the other five languages which, pursuant to Article 128, are 'equally authentic'. Thirdly, one must emphasize the fact that on some crucial issues the Rome Conference failed to take action and simply put off any decision until amendments to the Statute are adopted: this holds true for the definition of the crime of aggression (Article 5), for the articulation of the elements of crimes (Article 9(1)) and for the determination of weapons whose use is contrary to the prohibition on weapons that cause superfluous suffering or are inherently indiscriminate (Article 8(2)(b)(xx)). Fourthly, it is surprising that while Article 120 provides that no reservations may be made to the Statute, Article 124, entitled 'Transitional Provision', in fact provides for reservations narrowing the jurisdiction of the Court. Pursuant to this provision, on becoming a party to the Statute a state 'may declare that, for a period of seven years after the entry into force of this Statute for the State concerned, it does not accept the jurisdiction of the Court with respect to [war crimes] when [such a] crime is alleged to have been committed by its nationals or on its territory'.

*Research Scholar, Faculty of Law, BHU, Varanasi, U.P.

The Scope of the Court's Jurisdiction; Or the Rome Statute's Contribution to Substantive Criminal Law - *Subject-matter Jurisdiction*

The Question of Aggression as a Crime under the Court's Jurisdiction : The Court's jurisdiction embraces four categories of crimes: genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression.[1]

While it was wise to exclude such crimes as terrorism and drug trafficking, which at the present stage of international relations are best investigated and prosecuted at the national level, doubts can be expressed about the inclusion of aggression. Aggression is in some sense the arch-crime which most menaces international society. Another factor is that aggression is a crime for which a definition (in its form as a state's wrongful act) has not yet been achieved, despite United Nations discussions lasting many decades and culminating in the disappointing General Assembly Resolution 3314 (xxix) adopted by consensus on 14 December 1974.

Main Traits of the Regulation of Classes of Crimes Defined by the Statute : It is well known that the current rules of international law on individual criminal responsibility make up a body of law that is still rudimentary and fairly unsophisticated. These rules, among other things, suffer from a major defect. Unlike national law, where the principle of specificity of criminal law (Bestimmtheitsgrundsatz, tassatività delle norme penali, nullum crimen sine lege stricta) is prevalent, international criminal law includes many provisions that do not determine the essential elements of the crime in detail. To this extent, international criminal law departs from the fundamental principle of specificity, which requires that a criminal rule be detailed and indicate in clear terms the various elements of the crime. This principle constitutes a fundamental guarantee for the potential accused and any indicted person, because it lays down in well-defined terms the confines of the prohibited conduct, thus giving him notice of what he stands accused. By the same token, that principle greatly restricts the courts' latitude (arbitrium judicis). This striking feature of international criminal rules - lack of specificity - primarily manifests itself in three ways.

First, and more generally, unlike the corresponding national rules, most international rules do not prohibit a certain conduct (say, murder, rape, etc.) by providing a specific detailed description of such conduct. Secondly, some international criminal rules are quite loose and do not specify the prohibited conduct, not even by indirect reference to national rules. Thirdly, current international criminal law does not define accurately and in incontrovertible terms the mental element (mens rea) of the various international crimes.

Flaws in the Definitions of Crimes : A number of flaws can be discerned in the norms concerning the various categories of crimes. I shall confine myself to war crimes (Article 8). (A) Insofar as Article 8 separates the law applicable to international armed conflict from that applicable to internal armed conflict, it is somewhat retrograde, as the current trend has been to abolish this distinction and to have simply one corpus of law applicable to all conflicts. It can be confusing - and unjust - to have one law for international armed conflict and another for internal armed conflict. (B) Two provisions of the general article on war crimes are worded in such a way as to give rise to serious problems of interpretation. On the face of it, they markedly differentiate the various classes of war crimes they envisage from all the other war crimes provided for in the Statute as well as genocide and crimes against humanity. I am referring to Article 8(2)(b) and (e), which deal respectively with war crimes in international armed conflicts and war crimes in non-international war crimes.

General Principles of Criminal Law : One of the merits of the Rome Statute is that it sets out in detail the most important principles of criminal law: the ban on analogy, the principle of favor rei, the nullum crimen and nulla poena principles, the principle of non-retroactivity of criminal law, the various forms of international criminal responsibility (for commission of crimes, aiding and abetting, etc.), the responsibility of military commanders and other superiors, the notion of mens rea, the grounds for excluding criminal responsibility, the rule of speciality, and so forth. Although most of these principles are familiar to national criminal lawyers, they had never until this time been specified in international treaties or at any rate been spelt out in detail. Hence, this section of the Rome Statute undoubtedly constitutes a major advance in international criminal law and, in addition, contributes to making this branch of law more congruent with the basic requirement of 'specificity'. Nevertheless, some provisions of the Statute give rise to serious misgivings. I shall confine myself to commenting on only a few provisions.

Procedural Law : *A Complementarity* - In other words, the ICC does not enjoy primacy over national courts but should only step in when the competent domestic prosecutors or courts fail, or

are unwilling or unable to act. The Rome Statute makes it clear that states' judicial authorities have the primary responsibility of prosecuting and punishing international crimes. This should be their normal task, and the ICC can only deal with cases where national judicial systems do not prove to be up to this assignment. To have provided for this sort of complementarity is in many respects a positive step. Plainly, it falls primarily to national prosecutors and courts to investigate, prosecute and try the numerous international crimes being perpetrated in many parts of the world. First of all, those national institutions are in the best position to do justice, for they normally constitute the forum conveniens, where both the evidence and the alleged culprit are to be found. Secondly, under international law, national or territorial states have the right to prosecute and try international crimes, and often even a duty to do so. Thirdly, national jurisdiction over those crimes is normally very broad, and embraces even lesser international crimes, such as sporadic and isolated crimes, which do not make up, nor are part of, a pattern of criminal behaviour. It is therefore quite appropriate that the ICC should intervene only when national institutions fail to do so.

Preconditions to the Exercise of Jurisdiction : The preconditions to the exercise of the jurisdiction of the ICC are laid down in Article 12(2) of the Rome Statute. This article - like so much else, the product of intense negotiations and compromise - has its pros and cons.

The Trigger Mechanisms and in Particular the Role of the Prosecutor : It is well known that two tendencies clashed at the Rome Conference: some states (including the United States, China and others) insisted on granting the power to set investigations and prosecutions in motion to states and the Security Council only; other states (the group of the so-called like-minded countries) were bent on advocating the institution of an independent Prosecutor capable of initiating proprio motu investigations and prosecutions. The clash was between sovereignty-oriented countries and states eager to implement the rule of law in the world community. The final result was a compromise.

The Role of the Judges : The Rome Conference has rightly opted for a system that ensures that the 18 Judges making up the Court be and remain independent of any state: under Article 36(9)(a) they are elected for nine years and may not be re-elected.

In this respect, attention should be drawn to Article 21(2), which provides that 'the Court may apply principles and rules of law as interpreted in its previous decisions', and which clearly favours this development of precedent.

Cooperation of States - General : Plainly, in the case of the ICC as in that of the ICTY and ICTR, state cooperation is crucial to the effectiveness of judicial process. The decisions, orders and requests of international criminal courts can only be enforced by others, namely national authorities (or international organizations). Unlike domestic criminal courts, international tribunals have no enforcement agencies at their disposal: without the intermediary of national authorities, they cannot execute arrest warrants; they cannot seize evidentiary material, nor compel witnesses to give testimony, nor search the scenes where crimes have allegedly been committed. For all these purposes, international courts must turn to state authorities and request them to take action to assist the courts' officers and investigators.

The Largely State-oriented Approach Taken in the Rome Statute : Four points are relevant in this regard. First, the Statute does not specify whether the taking of evidence, execution of summonses and warrants, etc. is to be undertaken by officials of the Prosecutor with the assistance, when needed, of state authorities, or whether instead it will be for state enforcement or judicial authorities to execute those acts at the request of the Prosecutor.

Secondly, in the event of failure of states to cooperate, Article 87(7) provides for the means substantially enunciated by the ICTY in the Appeals Chamber decision in Blaskic´ (subpoena), namely, 'the Court may make a finding to that effect and refer the matter to the Assembly of States Parties or, where the Security Council referred the matter to the Court, to the Security Council'.

Thirdly, in case of competing requests for surrender or extradition, i.e. a request for arrest and surrender of a person, emanating from the Court, and a request for extradition from a state not party, the request from the Court does not automatically prevail.

Fourthly, as regards the protection of national security information, the Statute substantially caters to state concerns by creating a national security exception to requests for assistance.

The Role Assigned to the Victim : One of the merits of the ICC Statute is the role assigned to the victims of atrocities. Article 15(3) (The Prosecutor) provides that, 'Victims may make representations

to the Pre-Trial Chamber, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence' regarding the reasonableness or otherwise of proceeding with an investigation (emphasis added).

The Attempt to Weld Elements of the Inquisitorial Model into the Adversarial System : Although the common law system has been basically adopted, a number of fundamental elements typical of the civil law approach have been incorporated. I shall list those which I consider the principal ones. First of all, it is clear from the Statute that the Prosecutor is not simply, or not only, an instrument of executive justice, a party to the proceedings whose exclusive interest is to present the facts and evidence as seen by him or her in order to accuse and to secure the indictee's conviction. The Prosecutor is rather conceived of as both a party to the proceedings and also an impartial truth-seeker or organ of justice.

Secondly, at the pre-trial stage, the Prosecutor normally acts under the scrutiny of a Pre-trial Chamber, which to a large extent resembles the Giudice per le indagini preliminari (Judge dealing with preliminary matters) provided for in the 1989 Italian Code of Criminal Procedure (that basically opts for the adversarial system, subject however to some major concessions to the inquisitorial approach).

Thirdly, as pointed out above, victims may take part in the proceedings, even at the pre-trial stage, and seek compensation or reparation. Thus, as in civil law systems, civil proceedings designed to claim reparation for the injuries caused by a crime are made part and parcel of criminal proceedings (designed to establish whether the accused is liable for the crime).

Fourthly, at the trial stage the Trial Chambers are entrusted with a pro-active role - typical of civil law systems-with regard to evidence.

Concluding Remarks : As a multilateral treaty, the Rome Statute, in spite of its unique features as well as its flaws, marks an indisputable advance in international procedural criminal law. It establishes a permanent and complex mechanism for international justice which by and large seems well balanced. In particular, the three-pronged system set up in Rome for triggering the Court's action, if somewhat cumbersome, strikes a fairly satisfactory balance between states' concerns and the demands of international criminal justice. In addition, the role assigned to victims in international criminal proceedings before the Court is extremely innovative; it is indicative of the meritorious acceptance of a fundamental feature of civil law systems within a procedure basically grounded in the adversarial system typical of common law countries. By contrast, the framers of the Rome Statute were not sufficiently bold to jettison the sovereignty-oriented approach to state cooperation with the Court and opt for a 'supra-national' approach. Instead of granting the Court greater authority over states, the draughtsmen have left too many loopholes permitting states to delay or even thwart the Court's proceedings. In short, it is imperative that all states and individuals concerned strive not only to make the ICC a living reality, but also to improve its profile as much as possible. Now more than ever is a permanent international criminal court needed to curb man's tendency to annihilate his neighbour, mistaking him for his own shadow.

References :

1. Article 5(1)(d) states that the crime of aggression is within the jurisdiction of the Court, although Article 5(2) provides that such jurisdiction will not exist until a definition and conditions for exercising jurisdiction are adopted in accordance with Articles 121 and 123. Those articles concern 'amending' the Statute.
2. See Trial of the Major War Criminals before the International Criminal Tribunal, Nuremberg 1947, Vol. 1, at 186.
3. See also Article 65(4) stating that a Trial Chamber may request additional evidence if this is required 'in the interest of the victims'. It should also be noted that Article 43(6) provides for the establishment of a Victims and Witnesses Unit, in common with the ICTR and ICTY.
4. It is worth noting that the ICC Statute provides for a maximum penalty of life imprisonment of a person convicted of offences under the Statute; the death sentence is not envisaged. This represents an advance, in humanitarian terms, on the Nuremberg and Tokyo Tribunals' imposition of the death penalty and is in line with the Statutes of the ICTY and ICTR and current international human rights law, which does not endorse capital punishment (see, e.g. Article 6(2), (4) and (5) of the International Covenant on Civil and Political Rights).

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 152-154

Teacher Education Concept, Issues and Research Priorities in India

Dr. Alka Saxena*

Abstract : *Teacher Education is one area where teachers should learn to behave and command respect;The quality competence and character of teachers and their Professional Preparation depends on the quality on the quality of teacher preparation programme. The purpose of a teacher preparation programme should be to develop students general education and personal culture their ability to educate others: an awareness of the principles which underline good human relations, within and across national boundaries; and a sense of responsibility to contribute, both by teaching and example, to social, cultural and economic progress. Let us acknowledge for once that Teacher Education in India is passing through a very critical phases. Those that should know, in fact, do not wish to accept that they are ignorant of such simple terms as "effective" teaching, "Meaningful" syllabus and "commitment" to their profession*

In fact, Teachers Education system has suffered due to in ability to keep pace with time and to ensure necessary modifications in conceptual based theory and practice Research in teacher education has assumed importance at this juncture, when traditional initial teacher training (Pre-service) Programmes are being replaced by school-based alternate education Programmes Innovation need to be conceptualized according to the need situation so as to benefit both the teacher as a competent professional and the society. Teacher will have to take a global view of the new trends, strategies and practices, and focus an indigenous heritage and thoughts, which fit in the local and national situationss

Introduction : Education is an important instrument for bringing out potentialities of human beings while effectiveness of a system of education is mainly dependent upon its teachers. That is why, among all the dimension of education, teacher education is considered to be the most crucial. The quality, competence and character of teachers and their professional preparation on the quality of teacher preparation program.

The purpose of a teacher preparation programme should to be develop students' general education and personal culture: their ability to educate others: an awareness of principles which underlie good human relations, within and across national boundaries: and a sense of responsibility to contribure, both by teaching and example, to social, cultureal and economic progress(ILO 1966). The present overall educational profile of India is still that of a pyramid. It will continue to be so for another decade or so. Some drastic measures, conceived on the basis of a well planned strategy, will have to be taken. In this age of information technology, knowledge explosion, teacher education needs to foresee a more comprehensive paradigm encompassing the component of professional orientation of entrants, streamlining programmes with semester-based enhanced technical facilities, development of knowledge, linguistic skill and linkages with schools.

Research indicators in Teacher Education : Research provides data for improving quality of the system of teacher education. Research can be put into three main categories description, theory development and evidence of relationships. National Research Council of USA (NRC 2002) made the following recommendations for promoting quality of research in education:

1. Federal agencies should ensure that appropriate resources are available for education researchers conducting large-scale investigation in educational setting to build partnerships with practitioners and policy makers.
2. Professional associations involved in education research should develop explicit ethical standards for data sharing.
3. Professional association and education research journal should work in concert with funding agencies to create an infrastructure that takes advantage of technology to facilitate data sharing and knowledge accumulation in education research.

*Assistant Professer, Teacher Education Deptt (B.Ed.), D.B.S. College, Kanpur, U.P.

4. Education research journals should develop and implement policies requiring structured abstracts.
5. School of education that train doctoral students for carriers in education research should provide all students with a variety of meaningful research experiences.

Characteristics of Student Teachers and School Teachers : Teaching profession requires persons with appropriate aptitude for teaching and learning as well as towards life and the teaching professions. Study of characteristics of student teachers may help in deciding the type of training suitable for everybody and applicable to all types of situations.

ILO(1991) document states, "The staff teaching pedagogical subjects should have had experience of teaching in schools and, wherever possible, should have this experience periodically refreshed by secondment to teaching duties in schools." DIET guidelines, too, specify necessity for continued school teaching experience of faculty members.

School experience to teacher educators is an important consideration. There are a large number of teacher educators with any school teaching experience. AcharyaRamamurti (1992) suggested, "competent persons may be brought into these institutions from schools and the government institutions on rotational basis," ILO (1990) document too recommended it. Most of the pre-school trainers, found in non-govt. sectors, do not have relevant school teaching experience. Lack of experience in teaching in pre-primary school makes their teacher training inappropriate and in-effective.

Professional development of teacher educators is another important area. Academic Staff Colleges of UGC provide orientation and refresher courses for lectures. Follow up studies on such programmes may be of much help. There can be studies depicting lives of teacher educator. Effectiveness of various levels of teacher educators.Can be studies to help policy framing.

The extent of participation of various types of teacher educators in teacher training programmes can provide a useful insight. There is a necessity for continuous feedback for curriculum renewal in the light of modern developments in educations. Modern education demands that the teachers be experts in developing modules for their students. "Since teacher are particularly qualified to judge the teaching aids and methods most suitable for their pupils, they should be given essential role in the choice and adaptation of teaching material, the selection of textbooks and the application of teaching methods, within the framework approved programmes and with the assistance of educational authorities" (ILO 1991).

Generally, teacher education programmes neglect the development of student teachers in respect of non-cognitive areas. Studies on necessity of inclusion of evaluation of non-cognitive areas may be of much help. Study of possibility of introduction of national testing to improve standard of evaluation may be necessary. The possibility of introduction of National Testing on the pattern of UGC or NET for college teachers may be explored. Educational Testing Service of USA has developed various types of tests. These may be studies for developing a series of tests for Indian private teachers training institutions to improve their standard.

Admission procedures followed in Stated and Union Territories vary from institution to institution. Study of admission procedures may be useful. It is necessary to take into account attitudinal and personality factors (along with examination results) while selection teacher trainees. In case of B.Ed. course most of the States do not require that admission for specific method subjects should be decided as per availability of number of method teachers in an institutions. The number of student teachers to be trained under a method master varies from 1 to 100; in many States, no maximum limit is fixed for this method master student teacher ratio. Government training colleges, however, have only 1:24 ratio. Research on such situations may be helpful.

Internship and other types of field experiences also vary from situation to situation. Experience in varieties of situation may be more helpful. There is variation in the number of practice teaching lessons between 10 and 20. NCTE has prescribed 20 to 25 lessons per method subject. This prescription shall make schools better partners in teacher preparation. This shall also improve skill of regular teachers as they shall try to deliver better demonstration lessons. Generally, in many systems, student teachers go to teaching schools only a few minutes before the starting of the period and leave immediately after the delivery of the lesson. Students teachers are given a separate room to sit and they do not mix up with the school teachers. They do not take part in other programmes of the school such as morning assembly, mass games, drill debating etc. In an ideal situation, student teachers are integrated with the school system and do practice teaching for a few hours every day. Observation of teaching not only of school teacher but also of others students is also found in some system. Study of effectiveness of various of teaching may be of help.

A number of teacher education institutions have laboratory/ demonstration/professional development schools. Every teacher's training institution needs schools for practice teaching As student teacher are inexperienced, there is danger of their teaching wrong content. Hence, teacher of such practice teaching schools and teacher members of teacher training institutions need to take classes, wherever needed to guide the student teachers.

In service teacher education programmes have become necessary as modern developments in the field of education bring in changes in the curriculum from time to time. Besides various type of in-service programmes, nationalized in-service instructional materials programmes are being developed. These do not take into consideration the variance in teacher performance of their participants and convey the assessment result to the concerned heads of schools.

Training technology is a crucial area of teacher education on which adequate number of studies has not been undertaken. Technology used varies from institution to institution. Most of the teacher education institution suffer from paucity of funds. They do not have adequate teaching aids including computers, overhead projectors, slide projectors, etc. Most of the teacher education institution do not have modern gadgets and equipment about which they talk to their teacher trainees. Researchers is needed and the extent of utilization of teaching aids in training and on the skills developed through them including computers etc. be helpful in improving quality of teachers training programmes. Provision of campus placement for B.Ed trainees is absolutely essential for promoting and infusing positive attitude and commitment in the student teacher for the profession of teaching.

CONCLUTION : On the basis of above description there is a need to review the teacher education program. Research in teacher education has assumed importance at this juncture, when traditional initial teacher training (Pre-service) programmes are being replaced by school based alternate education programmes various countries are contently trying modes of teacher preparation. In such a situation there as a need to study traditional system of teacher that was vogue in the institution where no importance is given to teacher training qualifications, Researches need to study this institutions and explore the ways in which teachers prepare themselves adequately and effectively to the tasks assigned to and expected of them.

Teachers will have to take a global view of the new trends, strategies and practices, and focus on indigenous heritage and thoughts, which fit in the local and national situations. In addition, Indian cultural ideological values, attributes, value education, technology of teaching, information and communication technology, mass media and autonomy in teaching, which emerge as the most crucial area in the field of 'tomorrows' teacher education; need to be dovetailed at the earliest. These concrete steps will help in the direction of developing competent confident, committed, enthusiastic teachers having genuine love and respect for the teaching profession.

References :

1. Arora, G.L. (1998). Educating Teachers For The 21st Century. In D.N. Khosla(Ed.), The Indian Journal Of Teacher Education, 1 (1), 1998. National Council for Teacher Education.
2. Chakrabarti, M. (2002) Teacher Education: New Dimension. In K.B. Power (Ed.) University News 40(11) March 2002.
3. Curriculum Framework for Teacher Education (2006), National Council for Teacher Education, In collaboration with National Council of Educational Research and Training, New Delhi,
4. Singh, K.T. (2000). Preparing Teachers for Tomorrow. In GulabChaurasia (Ed.), Teacher Educational and professional Organization (2002). Authors Press-Auspices of Council for Teacher Education.
5. AcharyaRamamurti (1992) Report of the committee for Review of National Policy on Educaitonal 1986. Government of India, New Delhi.
6 ILO (1966) Recommendation concerning the Status of Teachers. ILO, Geneva.
7. ILO (1991 a) Teachers in Developing Countries. ILO, Geneva.
8. ILO (1991 b) Teachers: Challenges for the 1990s. ILO, Geneva.
9. MHRD (1986) National Policy on Education 1986. Govt of India, New Delhi.
10 Yas Pal (1993) Learning without Burden. Report of the National Advisory Committee Appointed by the Ministry of Human Resource Development Govt. Of India, New Delhi.
11. Kalra, R.K. Teacher Education Prospective view, Edutrack (2012) Volume 10, Page-9,10.
12. AppaRao, A.V. Hassan, D. Innovational in Teacher Education, Eductrack Jan (2011) Volume-9, page 7.
13. Mohny, S.B. Research priorities in Teacher Education in The Indian Journal of Teacher Education National Council for Teacher Education. @Anweshika, Volume-5, Number-June-2008, pp29, 30. National Council for Teacher Education.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 155-157

Temple as an Economic Institution during British Colonial Period (1815 to 1947 AD): A Case Study of Badarinath Temple

Dr. Shivchand Singh Rawat*

Hinduism, with 900 million adherents worldwide, is the world's third-largest religion (after Christianity and Islam). There are many deities in Hindu religion but mostly Hindu worship of Shiva and Vishnu had two dimensions: public ceremonies conducted by Brahmins in the temple, which allowed local rulers to proclaim their power for all visiting the temple to see, and private worship at home. The words 'India', 'Hindu', and 'Hinduism' originate from the name of Indus, or Sindhu River. Ancient Chinese sources refer to the land of 'Shen-tu', Greek texts mention 'India, and Persian inscriptions describe 'Hindu' as one of the subject countries of the Darius. These terms initially referred only to the lower Indus valley, but their connotations expanded swiftly. For Megasthenes, who visited the court of Chandragupta Maurya in the 4th century BCE, 'India' meant the entire subcontinent. Many centuries later, Arabic and Persian text used the word 'Hindustan' for this vast stretch of land and 'Hindu' for is inhabitants1. But, now the word 'Hindu' is used for a religion and it is prevalent after Arabian invasion.

Temple is a religious institution for Hindus. There are many temples all over India at present time. All these are pious and religious for Hindus, but temple is not only religious purpose for people, it has social, economical and cultural aspects also for the people. Since ancient period, temple also performs many types of role for society; for example: temples give loan to the people. Many times even King borrowed money from the temple. Temple has its own sources of income like land grant, offerings etc. The Satavahanas started the practice of donating land to Brahmins and Budhist monks. Reference to gifts of land to priests is found in earlier literature, but earliest inscriptional evidence for a land grant in India belongs to first century BC, when the Satavahanas bestowed villages (grama) on priest for officiating at Vedic sacrifices.2 Same practices are found in inscriptions of Pauravas in Uttarakhand, which Paurav king Vishnu Verman states, I have given the land grants for the purpose to worship of Veerneshwar (a name of Shiva), maintenance of temple, livelihood of priest and for the other religious works.3 The early medieval period saw the increasing popularity of temple-based sectarian religion, and from about the 10th century onwards, inscriptions indicate an increase in royal patronage of temple. Was there any connection between the brahmadeyas and these developments? Some Brahmans moulded their activities to the temple milieu by becoming temple manager; others took on the less prestigious vocation of temple priests. Inscriptions of South India testify to the direct participation of Brahmans and Brahman Sabhas in temple management. Brahman settlements in Kerala seem to have been temple centered right from the time of the earliest inscriptions. We can therefore assume that the Brahmans of the brahmadeyas must have played an important role in the spread of temple-oriented religion, in spite of the fact that the inscriptions persist in emphasizing their Vedic, rather than their sectarian, affiliations.4

The development of lands was but one of the economic activities which temples of Uttarakhand carried out. Within the area of their influence, which varried with importance and wealth of the temple, each temple was an important economic institution. The variegated economic functions of temples of Uttarakhand have been commented upon by most historians of Uttarakhand. The temples of Uttarakhand having the following economic functions : Landholders, employers…consumer of goods….[and] services…. And bank. The landholders function has already been dealt with sufficiently. The temple as an employer of large numbers of persons may be seen in the annual report of Badarinath temple committee. There were 251 temple servants/staffs listed including all priest and

*Assistant Professor, History, Govt. P.G. College Gopeshwar

others.5 Details about the loans given by Badarinath temple to king of Garhwal has been given by E.T. Etkinson. During the Pauravas and Katyuri dynasties Brahmanical centres became religious centres with respect to a group of villages and other institutions. This occurred as a result of the Hindu revival which made the Brahmanical temple the most significant institution for Bhakti worship. The rise of temples was the result of religious developments of the Katyuri period.

Badarinath is an auspicious shrine of Hindus, which situated right bank of Vishnuganga, a feeder territory of Alaknanda river, which also a tributary of Ganga, at border District Chamoli in Uttarakhand. At present Badarinath is a Nagar Panchayat, which population is near about 5000 thousands in during pilgrimage season, for May to November, every year. This temple lies in north latitude 30-44-29 and east longitude 79-32-1, at an elevation of 10,284 feet above the level of the sea. The name of Badarinath is derived from sacred 'badari' or jujube, which however, does not grow here, but it assumed that in ancient time here was a big forest of badari trees, so it called 'badarivan'. On this basis here was situated an ashram, which called 'Badarikashram'. Temple has its own resources of income since ancient time, for example: Bhent (due adoration of the idol), liberal fees to the attendant Brahmans and so many types of others dues. In 1882 AD Mr. E.T. Atkinson writes that during ordinary years some five to ten thousand pilgrims visit the shrine and every twelfth year at the Kumbh-Mela the number is increased four-fold. The pilgrims assemble at Hardwar and as soon as the fair there is closed towards middle of April, proceed on their round of pilgrimage in the mountains by Rishikesh, Deoprayag, Srinagar, Rudraprayag, Kedarnath, Badarinath and home by Nandprayag, Karanprayag.6 During this journey every pilgrim spends enough money for Bhent, Charhawa and various types of dues. These all types of expenditure were a source of income for temple.

Various Sources of Income : Temple has various sources of income, like Endowment, which called Gunth (Brahmdeya), wealth offering food, land rent, Gunth revenue, ground rent, house rent, Thali-Bhent, Gaddi bhent, Atka Bhog, Yatri-Bhog, Jimodhar, Bandhan, Special Donation, Sale-proceeds of investment, recovery of loan, interest on loan and investment, Sale-proceeds of gold, silver and surplus stores etc, recovery of advances, clothes, maintenance and for festivals honouring the deity.

Gunth (Brahmdeya) : The term Gunth signified assignment of land revenue made for the maintenance of the temples of Garhwal. Such assignments were under the Hindu Rajas and were upheld by the Gurkhas and British. The lands assigned as religious endowments and attached to temples were of considerable extent and importance in the hills, the chief assignments being those of the great temples of Badarinath and Kedarnath.7 Pauv has given a comprehensive account of rights in the Gunth land and orders relating to them. He remarks: "The term Gunth by which all assignments of land made to religious establishments are now designated is of comparatively recent introduction dating only from the time of the Gurkhas….. it appears that these grants were merely assignments of land revenue and conveyed no property in the soil, though in many cases the descendants of the Brahmins to whom they were originally made have subsequently the migration of the actual occupants come into full possession of both land and produce." 8 The rights of the temple over Gunth lands were finally laid down on the 15th of November 1895 as follows:

i) That the claim by the manager of the temples Badarinath and Kedarnath and other shrines in Garhwal to waste land in the Gunth villages was wholly untenable.
ii) That, where the grants in Gunth villages consisted of entire villages which were held revenue-free at the last settlement, the whole of the revenue shall continue to be assigned or released.
iii) That, where the grants consisted of parts of villages, the cultivated area in exess of the original grant shall be resumed and assessed.9

Badarinath temple had received 226 villages as endowment in Kumaon and Garhwal since ancient time to 1824 AD. By these villages temple got 2,000 Rs. Revenue over a year. In 1864 AD the Garhwal endowments alone comprised 4,372 Bisis of assemble land yielding a land tax of Rs. 3,943 distributed over 262 villages and in Kumaon some 1,674 bisis in plots of 10 bisis or more distributed over 69 villages.10 Endowments were made in order to provide income for temple maintenance, for festivals honouring the deities, for food offerings to the deities and food and clothing for Rawal (Chief Priest of temple). There were so many people dependent for their livelihood on temple, for example; Priest, servent, who performs many types of duties like sweep the compound, make garland, prepare Bhog, maintain the temple etc.

Offerings money to main Idol : People offer money to the main Idol, which is not fix amount. It depends on the attitude of the pilgrim. Besides it, people offer to other subdeities, like Laxmi, Ganesha, Kuber, Saraswati etc also. Overall a pilgrim spent enough money for this purpose. All these invesments are the sources of income of temple.

Temple as Banker : The Rajas frequently made use of the temple property, giving villages as mortgage in exchange which were never redeemed. At the Gorkhali invasion, the Raja borrowed Rs. 50,000 as a loan, and from this and other sources the temple possesses an endowment of 226 villages in Kumaon and Garhwal which as early as 1824 yielded a revenue of over Rs. 2,000 a year.11 Before independence of India, many villagers also borrowed the grains by the temple in their village temple. Same practice had in the Gunth villages of Badarinath.

Sadabart : Sadabart was the term applied to an endowment provided by land revenue of assigned villages, originally for providing food to indigent pilgrims visiting the shrine of Kedarnath and Badarinath.12 The Sadabart villages were founded throughout the district and there is nothing to add toPauw's remark. He states:

The Sadabart village consists of charitable endowments of land revenue for the purpose of distribution of food to pilgrims proceeding to Badarinath and Kedarnath, the greater part of which assigned under the Gurkha government. The administration of these revenue at first rested with the temple, but Traill took the funds into his own hands and used them to improve the roads and bridges leading to the shrine. In 1850 the revenue were placed under the control of a local agency and the income was devoted to the erection and maintenance of dispensries, where medical relief was disrtibuted to the pilgrims and to the building of rest houses along the pilgrims routes. The system of management by local agency proved a failure, and the control of the funds was transferred to the District officer of Garhwal.13 Beside the endowments assigned for the support of temple are the sadabart grants or endowments for the support of pilgrims, the most important of which had their origin not many years before the intoduction of Britis rule.

Other religious works : In Badarinath, there are many other shrines for religious purposes, like Brahma Kapal, where people release their hairs for their ancestors, Tapta Kunda, where all pilgrims take bath. The water of Tapta Kunda is always hot, in which cold water has to be added to able for bathing for pilgrims. In this manner a bath is formed in which the sexes bathe indiscriminately. The attendant Brahmins take fee for every religious work. Including all these there are twelve kshetras visited by pilgrims.

In this way Badarinath temple is an economic institution, which gives employment for thousand of people, like priests, attendants, staff of temple committee, staff of its hospital, schools, guest houses, dharmashalas etc. During the every year, there visit lacs of pilgirms to the Badarinath shrine. These pilgrims come on vechiles, stay in Hotels and rest Houses, in this way many people of Uttarkahand get their livelihood from pilgrimage.

References :

1. Singh, Upinder, A History of Ancient and Early Medieval India From the Stone Age to the 12 th Century, Pearson, Delhi, 2013. P. 03
2. Jha, D.N. Ancient India in Historical Outline, Manohar Publisher and Distributers, New Delhi, 2016, P. 122
3. Taleshwar Copper Plate Inscriptions, cit. Dabral, S.P. Uttarakhand ke Abhilekh evam Mudra, Veergatha Prakashan, Dogada, Garhwal, 1997, P.51
4. Singh, Upinder, as above. P. 580
5. Annual Report of Badari-Kedar Temple Committee, 2015-16. P. 1-27
6. Atkinson, E.T. Himalayan Gazzetteer, Vol. II, Allahabad, 1866, P.24
7. Rawat, A.S. Garhwal Himalayas, A Historical Survey (1815-1947), Eastern Book Linkers, Delhi, 1983, P. 41
8. Pauw, E.K. Report on Tenth Settlement of the Garhwal District, allahabad, 1896, Para-45
9. Stowell, V.A. A Manual of the Land Tenures in Kumaon Division, Allahabad, 1907, p. 128
10. Atkinson, E.T. as above, P.25
11. As above
12. Walton, H.G. Beitish Garhwal A Gazetteer, allahabad, 1921, P. 104
13. Pauw, E.K. as above, Para-46

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 158-162

The Competition Commission of India: Evolution and Functions

Manoj Kumar*

Abstract : *This paper aims to examine the chronological development in antitrust law. In 1969 MRTP Act was brought in to force to curb monopolistic and restrictive practices of producers, and to maintain a fair competition in the market. MRTP Commission was established under the provisions of MRTP Act which had to ensure the fair competition in market. But, over the period of time objectives of MRTP Commission were remain unaccomplished, although various amendments were made in the Act to make it competent, still, MRTP Act became obsolete; later it was repealed and replaced with the Competition Act in the year 2002. Because of this new Act the Competition Commission of India (CCI) came into existence. This new development in antitrust law was need of the hour. Work of CCI has been appreciable compared to MRTP commission. Various amendments have been introduced to improve CCI, but still there is lot to do to raise its level to international standards.*

Key words : MRTP Act, MRTP Commission, Competition Act, the Competition Commission of India, market, economy

Review of literature :

* Bhattacharjea, Aditya (2012), "Antitrust Law", Edited by Basu, Kaushik, Martens, Annemie, The New Oxford Companion to Economics in India.
  The paper talks about what antitrust law is all about? What MRTP Act and Competition Act are? Amendments took place in both the Acts are discussed analytically. Features of MRTP Commission and the Competition Commission are critically examined.
* Bhattacharjea, Aditya, 2010, "Of Omissions and Commissions: India's Competition Laws", Economic and Political Weekly, Vol. 45, Issue No. 35.

Paper reviews country's experience with the MRTP Act and the problems because of which it could not serve as effectively as competition law for the economy. Strength and weakness of the Competition Act; reasons for its delayed implementation and; some decisions of CCI are discussed.

Introduction

Anti Trust Law is concerned with prohibition or regulation of practices undertaken by firms in order to limit competition. The most common practices include the horizontal agreements between competitors selling the same or similar products to restrict competition between themselves, vertical agreement between firms at different stages in the production and distribution chain that would limit competition, and action taken by dominant firm to drive out rivals or prevent entry of potential competitors.

Research methodology : Secondary data are used; descriptive and analytical research methodologies adopted.

MRTP Act and MRTP Commission : In 1969, due to increase in concentration of economic power in few industrial hands the MRTP (Monopolies and Restrictive Trade Practices) Act was passed. According to the provisions of the MRTP Act, all large and dominant firms had to register themselves with the central government, and obtain its approval for substantial expansion of business, mergers, acquisitions, establishment of new undertaking, and appointment of their directors in other undertakings. In accordance with the provisions of MRTP Act, a MRTP Commission was established with primary objective to check activities bearing adverse effect on competition. Drawbacks of MRTP Commission:

* Resources investigate a request were limited
* Power merely confine to issuing 'cease and desist' orders
* Could impose trivial fines for disobedient behaviour of firms
* Government was not bound by its recommendations.

*Assistant Professor, Department of Economics, Vivekananda College, University of Delhi, Delhi

* Cartels were rarely brought to book

The Industrial Policy of 1980 made large business houses free from provisions of MRTP Act. In 1984, new category of 'unfair trade practices' (UTPs), dealing with misleading advertising and prize schemes was included. In 1991, most sections were repealed on the ground that they had hindered industrial growth. Business houses intended to float new companies or undertake substantial expansion were not required to seek clearance from the MRTP Commission. MRTP Commission was authorized to initiate investigation suo moto or on complaints received from individual consumers or classes of consumers. MRTP Commission has actually failed in this respect and was not able to break the monopolistic or oligopolistic character of the Indian market1.

The Competition Act and the Competition Commission of India: Competition today is a global phenomenon. Competition is regarded as the fourth corner?stone of the public policy framework, along with the monetary, fiscal and trade policies. Competition is the best means of ensuring that the 'Common Man' or 'Aam Aadmi' has access to the broadest range of goods and services at the most competitive prices. With increased competition, producers will have maximum incentive to innovate and specialize. This would result in reduced costs and wider choice to consumers. A fair competition in market is essential to achieve this objective. Our goal is to create and sustain fair competition in the economy that will provide a 'level playing field' to the producers and make the markets work for the welfare of the consumers2. The Competition Act, 2002 came into existence in January 2003, as a replacement to the archaic and inefficient MRTP Act. This Act is applicable to whole India except the state of Jammu and Kashmir. "The main objective of competition law is to promote economics efficiency using competition as one of the means of assisting the creation of market responsive to consumer preferences. The advantages of perfect competition are three-fold: allocative efficiency, which ensures the effective allocation of resources, productive efficiency, which ensures that costs of production are kept at a minimum and dynamic efficiency, which promotes innovative practices"3.

Through this Act Central Government established Competition Commission of India (CCI). CCI consists of a Chairperson and 6 Members appointed by the Central Government. It is the duty of the Commission to eliminate practices having appreciable adverse effect on competition, promote and sustain competition, protect the interests of consumers and ensure freedom of trade in the markets of India 4.

The competition Act, 2002 was amended by the Competition (Amendment) Act, 2007 and again by the Competition (Amendment) Act, 2009 following the philosophy of modern competition laws. The enforcement provisions relating to anti?competitive agreements (Section 3 of the Act) and abuse of dominant position (Section 4 of the Act) were notified by the Government, effective from 20th May 2009 and the Competition Appellate Tribunal as provided for under the amended Act to hear the appeals was set up. The Competition Act unlike MRTP Act does not attempt to control the size or dominance of firms but abuse of dominance. Instead of monopolies, restrictive, and unfair trade practices, it follows a modern classification in terms of anti-competitive agreements, abuse of dominance, and combinations (mergers and acquisition).

Some other notable functions of this Act are as follows:

* Mandatory notification and review (by CCI, not by government) of combinations of firms
* It could modify, prevent or undo combination activities having 'appreciable adverse effect on competition' (AAEC)
* Can impose substantial monetary penalties
* It could employ outside expert
* It could take action against the firms which are abroad based, and might have an appreciable adverse effect on competition in India
* Can enter into cooperation agreements with foreign antitrust authorities
* Can act as an advisory for the government or any statutory body on matters that comes under the Act

With these positive features of the Competition Act, there were also certain concerns which are as follows:

* Government can issue binding policy directives to the Commission, which was a threat to autonomy of Commission

* Instead of regarding hard-core cartels as illegal per se without investigating their effects, the Act only states that they are 'presumed' to have an appreciable adverse effect on competition in India. Presumption is legally rebuttable, which gives cartels an edge, this is contrary to international practice
* There were several clauses which were ambiguous, hence defeating the intention of protecting competition5

Vision of CCI : To promote and sustain an enabling competition culture through engagements and enforcement that would inspire business to be fair, competitive and innovative; enhance consumers welfare; and support economic growth.

Mission of CCI

CCI aims to establish a robust competitive environment through:

* Proactive engagement with all stakeholders including consumers, industry, government, and international jurisdictions
* Being a knowledge intensive organization with high competence level
* Professionalism, transparency, resolve and wisdom in enforcement6

CCI has also adopted the MISSION 2020 which aims to establish robust competitive environment through: (a) pro-active engagement with all stakeholders, including consumers, industry, government and international jurisdictions, (b) being a knowledge intensive organization with high competence levels, and (c) professionalism, transparency, resolve and wisdom in enforcement. The MOTTO of the Commission is: Fair Competition for Greater Good.

Important achievement of CCI : The comparison of latest two years would give a picture of important achievement of CCI, taking parameters in 2015-16 vis-à-vis 2014-15. During 2015-16, the Commission took note of 121 allegations related to anti-competitive agreements and abuse of dominant position. On the basis of existence of a prima-facie case, the Commission directed the DG to undertake investigations into 23 matters and closed 96 matters. The DG completed investigations into 32 matters during the year. The Commission issued a total of 130 appealable orders (96 under Section 26 (2), 17 under Section 26 (6), 14 under Section 27 and 3 under Section 33) imposing an aggregate penalty of Rs.1502 crore on wrongdoers.

Select Performance Parameters: 2015-16 vs. 2014-15

Sl. No.	Particulars	2014-15	2015-16
1.	No. of alleged anti-trust matters noted by the Commission	128	121
2.	No. of prima facie orders passed in respect of alleged anti-trust matters	114	119
3.	No. of investigations completed by DG	34	32
4.	No. of orders [under Sections 26 (2), 26 (6) and 27] passed in respect of anti-trust matters	95	127
5.	Amount of penalty levied (Rs. crore)	2592	1502
6.	Percentage of orders appealed against (%)	30	26.15
7.	No. of combinations approved	84	107
8.	Average no. of days taken to dispose of a combination notice	24.80	26.40
9.	No. of advocacy programmes	49	75
10.	No. of employees as on 31st March		
	Commission	109	20
	DG Office	106	19
11.	No. of trainings organized for capacity building of officers (including overseas training)	27	41

Source: Annual Report, CCI, 2015-16

Landmark decisions of CCI : There are several landmark decisions where monetary penalties were imposed, cease and desist orders were issued, and other corrective measures were adopted by CCI, viz. M/s Bio-Med Private Limited and Union of India & Ors (Case No. 26 of 2013); M/s DLF Gurgaon Home Developers Private Limited And Mr. Pankaj Aggarwal & Ors (Case No. 13 of 2010); Express Industry Council of India And Jet Airways (India) Ltd, Inter Globe Aviation Limited and Spice Jet Limited (Case No. 30 of 2013); P. K. Krishnan And All Kerala Chemists and Druggists Association (AKCDA) & Ors (Case No. 28 of 2014); TAM Media Research Private Limited And Prasar Bharti

(Case No. 70 of 2012); In Re National Insurance Company and Ors (Case No. 02/2014); Karnataka Chemists & Druggist Association and pharmaceutical company Lupin; 10 cement companies and their trade association i.e. Cement Manufacturers Association (CMA) for cartelisation in the cement industry; 7 cement companies for bid rigging of a tender floated by the Director, Supplies & Disposals, Haryana, in the year 2012, for procurement of cement to be supplied to Government Departments/ Boards/ Corporations in the State of Haryana; 3 firms for bid rigging of tenders floated by Indian Railways for procurement of Brushless DC fans in the year 2013; Coal India Limited (CIL) and its subsidiaries for imposing unfair/ discriminatory conditions in Fuel Supply Agreements (FSAs) with the power producers for supply of non-coking coal.

Legislative work of CCI : Under Section 64 of the Act, the Commission is empowered to make regulations consistent with the Act and the Rules made there under to carry out the purposes of the Act.

Regulations notified by the Commission

Sl. No.	Regulations	Date of Issue
1.	The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) (Amendment) Regulations, 2015	July 1, 2015
2.	The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) (Amendment) Regulations, 2016	January 7, 2016

Source: Annual Report, CCI, 2015-16

Outreach programme of CCI : The Commission has the mandate to undertake competition advocacy as per Section 49 of the Act. In pursuance of this mandate, it has adopted a proactive approach to reach out to all the stakeholders through a set of diverse awareness measures such as workshops/ seminars/conferences, competition advisory, internship etc.

Capacity building by CCI : Continuous upgradation of employees' skills and knowledge has always been its priority. It has a dedicated unit called, Capacity Building Division (CBD), which spearheads this initiative.

International engagements of CCI : The competition authorities are increasingly grappling with the cross-border anti-competitive issues due to rapid globalisation of businesses. Therefore, the Commission has been proactively engaging with various international organizations, such as, International Competition Network (ICN), Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), UNCTAD as well as other competition authorities.

During the financial year 2015-16, officers of the Commission participated in eleven training programmes outside India which include workshops / seminars organized by OECD, ICN, USFTC, USDOJ and other International organizations. The Commission participated in Merger Workshop, 2015 organised by ICN during September 24-25, 2015 at Brussels, Belgium. Its officers participated in 'Leadership Seminar on Advocacy' organized by OECD in Singapore.

Most active sector of CCI : The Commission deals with two types of matters, namely, anti-trust (anti-competitive agreements, and abuse of dominance) and combinations. In terms of allegations of anti-trust conduct, the real estate sector tops the list every year since the law came into force. Other prominent sectors with high incidence of alleged anti-trust conduct are the Financial sector, Entertainment, Pharmaceuticals and Automobiles.

Impact of CCI on consumers and economy : An effective competition law promotes allocative, productive and dynamic efficiencies and thereby benefitting consumers and economy by way of lower prices, better quality and a greater choice of goods and services. Global Competitiveness Report of the World Economic Forum makes a comprehensive assessment of national competitiveness and ranks 140 economies in terms of the Global Competitiveness Index. In terms of this index, India ranks 55 in 2015-16 as compared to 71 in the previous year7.

Findings of paper : CCI is imparting its duties diligently. CCI is far better than the previous MRTP Commission.

Suggestions : CCI should be assigned a status of autonomous body, which is independent from influences of the Government. Most of the politicians and bureaucrats are into business activities openly or in disguise and there is high probability that they may influence findings of CCI because

the Government is not bound by findings of the Commission. This lacuna sometimes dilutes the basic purpose of establishing the Commission. Findings of the Commission should be made binding on Government. Although, a lot is being done to make the concept and provisions of the competition law familiar to all stakeholders, but on the ground progress has not been made at discernible pace especially for consumers and their issue.

Conclusion : Competition is important for promoting innovation, efficiency, new technology, price competitiveness, quality of products and services and increasing consumer choices. Competition is the heart of the market economy. Competition has also changed the international trade which is now guided by cost effectiveness and better quality. The economic environment should be pro-business with pro-competition. For the sake of fairness in the market economy, regulators must have independence and accountability to provide level playing field to participants in both public and private sector. Fair competition would stimulate investment which creates more jobs and promotes growth in the economy. If we compare MRTP Commission and CCI, it would be easy to conclude that latter is far better than the former. Impact of functioning of CCI has been good for the development of Indian economy; India's ranking for the 2016 is 130th out of 190 countries8. It is hoped that CCI will be able to play a useful role in the interest of accelerated growth of the Indian economy, helping the Indian industry and businesses become more efficient and competitive and safeguarding the interests of consumers on a wider scale.

References :

1. Sundaram, Dutt (2012), Indian Economy, S. Chand & Company Ltd.
2. http://www.cci.gov.in/about-cci, 15-03-2017, 10:45 pm
3. Supreme Court of India Judgment in Civil Appeal No. 7999 of 2010, pronounced on 9 September 2010
4. http://www.cci.gov.in/about-cci, 16-03-2017, 11:15 pm
5. Bhattacharjea, Aditya (2012), "Antitrust Law", Edited by Basu, Kaushik, Martens, Annemie, The New Oxford Companion to Economics in India
6. http://www.cci.gov.in/vision-and-mission, 16-03-2017, 11:30 pm
7. Compiled from Annual report, The Competition Commission of India, 2015-16, and http://www.cci.gov.in/press-release, 24-03-2017, 10:15 pm
8. http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/india, 20-03-2017, 11:00 pm
9. Bhattacharjea, Aditya, (2010), "Of Omissions and Commissions: India's Competition Laws", Economic and Political Weekly, Vol. 45, Issue No. 35

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 163-166

The Financial Crisis in USA in 2008

Manoj Kumar*
Neha Gupta**

Abstract : *Since 2007, the global economy has been experiencing a severe downturn, in terms of a low real Gross Domestic Product (GDP) and high unemployment. The problem started in the United States of America and it is well known that when USA sneezes, the world catches a cold. During 2008-2009, USA witnessed what is now known as the Great Recession. During this period, not only USA but many other countries of the world also went through a major economic slowdown. This is because USA is linked economically to all other countries in the world. The US Dollar, which was earlier considered to be the safest currency, now became a currency in which investors no longer wanted to invest. Investor confidence everywhere was very low and many investors fled from USA to Europe. In fact, much of the developing world was insulated from this recession. However, by 2010, the Great Recession, which is also called the global financial crisis, was not yet completely resolved, and problems started in Europe which resulted in a global decline of growth rates. Thus, the aim of this paper is to examine the main reasons of the crisis and the solutions taken to improve it.*

Key words : Subprime, financial, crisis, global economies, IMF, USA

Introduction : The financial crisis started in the United States in 2007 and involved financial institutions in countries of the world. It was only when the crisis turns into a global economic recession that developing and emerging market economies were affected, mainly through the trade channel, and in some cases through workers' falling remittances. The worldwide recession, the first since the Second World War, led to a reduction of world gross domestic product (GDP) by 0.6 percent in 2009. In the absence of countercyclical responses, the slump could have been much stronger. In 2009 global GDP growth was 5.8 percentage point lower than 2007, and downturn in emerging and developing countries was almost the same as in developed countries (IMF, 2010)1. The whole financial crisis was started from a subprime lending of loans to borrower in USA.

Definition of subprime crisis and its effects on the global economies : Subprime lending is a term that refers to the practice of making loans to borrowers who do not qualify for normal market interest because of problem with their credit history. These loans are generally considered as risky because of the lethal combination of high interest rates, bad credit history and lack of resources to pay off the loans over a larger time frame. Subprime lending encompasses a variety of credit instruments, including subprime mortgages, subprime car loans, and subprime credit cards, among others.

The lender however did not worry very much about the risk of default because they rolled these mortgages into bonds called mortgage backed securities, which they then sold. These mortgages belonged to other financial organizations. Hedge funds at the other end are always ready to oblige buying the riskiest of these assets, even with leverage.

So until the housing bubble was swiftly sailing high handedly, more of these packaged bonds were the investor's delight and thus huge investment were made in stock markets and other emerging economics to provide leverage to these risky investment.

But soon the market crashed due to the housing bubble whose aftermath is felt worldwide. Actually what happened in the leveraged subprime market, hedge funds started receiving margin calls when their investment in the subprime market started going down. This in turn forced hedge fund to liquidate their assets in local and emerging markets which put some downward pressure on stock market worldwide. This has worsened the trade balance due to excessive capital outflows and hit the investor's confidence badly.

*Assistant Professor, Department of Economics, Vivekananda College, University of Delhi, Delhi
**Assistant Professor, Department of Economics, Vivekananda College, University of Delhi; Delhi

The subprime lenders were completely caught in cob web as on one hand they had a huge list of bankrupt defaulters and on the other hand they had the option of the properties whose values were depreciating immensely. Thus, ripple effect took momentum and the repercussions were no longer limited to USA alone but the other economies primarily Europe and Japan felt the jitters as well.

According to IMF, the main culprit of this crisis was the deficient regulation of financial sectors, the failure of market discipline and the systematic flouting of the rules and regulations.

The contagion of the crisis has spread to other countries through financial, real and confidence channels.

The financial channel : The financial market comprising of equity market, money market, foreign exchange market, credit market, stated coming under pressure from all directions. Moreover, banks and corporate overseas financing started drying up. Corporate stated withdrawing their investment from the domestic money market, putting pressure on the mutual funds, which were invested in the non banking financial companies. Furthermore, Foreign exchange market started coming under pressure due to the reversal of capital flows and devaluation of rupee.

The real channel : Countries witnessed a slump in its demand of exports. Service export growth also slowdown due to recession especially large users of outsourcing services were restructured. Moreover, the remittances from migrant workers also started decreasing.

The confidence channel : The tightened global liquidity situation in the period immediately following the Lehman failure in mid September 2008 increased the risk aversion of the financial system and made banks cautious about lending.

USA condition during the crisis : The global financial crisis which began in the United States of America in 2007 was primarily a subprime mortgage crisis which was aggravated by increases in oil prices. It was an American dream that every American should own a house. It was thought that this could be made possible by giving easy loans to people. This resulted in subprime mortgages. Subprime loans are given to people who have low and unstable incomes and who run a higher risk of defaulting on the loans. These loans typically have a higher interest rate in order to compensate for the higher risk associated with these loans. Loans were given to one and all, even to people with poor credit worthiness. With availability of a large number of loans, the housing market boomed and a housing bubble was formed. However, the momentum could not be sustained for long and soon, the housing bubble burst when people started defaulting on these loans. The assets which were kept as mortgages did not even cover the principal value of the loans let aside the interest payments on these loans. This led to a liquidity shortfall in the economy. It was this credit crunch that triggered the financial crisis. With more and more defaults, the economy sensed negative investor sentiment, interest rates on borrowing increased, investments decreased, production declined and unemployment shot up. This was further intensified by higher oil prices. The oil prices reached an all time high in the first two quarters of 2008 and as a result, the prices of major products like food, clothing and other consumer items shot up. So, consumption spending decreased and aggregate demand in the economy fell to very low levels. The unemployment rate increased to as much as 6.1% and the industrial growth reached a low level of 1.1%. The banks were interested in meeting short term goals and ignored warnings of absence of long term sustainability. This resulted in an acute credit shortage. The liquidity shortfall in the banking system resulted in collapse of major financial institutions. For example, companies like Lehman Brothers, Merrill Lynch, Freddie Mac and Fannie Mae had very high proportions of "bad assets". This resulted in closing down of many companies and bail out of banks by the government. In this way, the downward spiral of the economy began.

Causes of this crisis : The Housing Downturn

* Excess supply of home inventory
* Sales volume of new homes dropped
* Reduced market prices (10.4% 12/06-12/07)
* Increasing foreclosure rates

Borrowers :

* Difficulties in re-financing
* Begin to default on loans
* Walk away from properties
* Fraudulent misrepresentations

* Financial Institutions
* Attraction from high returns
* Offered high-risk loan and incentives
* Believes that will pass on the risk to others

Securitization :

* Mortgage backed securities
* Risk readily transferred to other investors
* From 54% in 2001 to 75% in 2006
* Government and Regulators
* Community Reinvestment Act, encourages the development of the subprime debacle
* Glass-Steagall Act contributes to the subprime crisis (FDIC back up)

Central banks :

* Less concerned with avoiding asset bubbles
* React after bubbles burst to minimize the impact
* No determination on monetary policy
* Institutions risk more because of Fed's rescue

Impact of Subprime crisis :

* Overall tightening of credit with financial institutions making both corporate and consumer credit harder to get
* Financial markets (stock exchange and derivative market) experienced steep decline
* Liquidity problem in equity funds and hedge funds
* Devaluation of the assets
* Increased public debt
* Devaluation of currencies and increased currency volatility
* Collapse of major banks like Bear Sterns, Merrill Lynch and Lehman Brothers, AIG etc.
* Job loss / unemployment
* Low GDP
* Low consumer spending

Solution and its aftermath :

The primary solution for this crisis is to Make Policy changes that will inhibit the development of bubble, stabilize the housing and larger financial markets, and provide greater financial security to households and businesses. For this bailouts are also necessary as the essential purpose of them is to prevent a fundamental loss of economic confidence in our institutions, and to maintain a sense of social justice. Since securitization enabled and encouraged subprime lending so it is necessary to harmonize the incentives of mortgage originators and investors in securitized products. Hence the solution requires a balance of mitigating short-term harm in the housing sector, setting the foundation for long-term stability in the housing market and the general economy, and avoiding the moral hazard of bailing out investors and consumers from bad choices. However, some other solution consists of making modifications in the loan / credit system, making changes to Section 1322(b)(2) in the Bankruptcy Code, maximizing the incentives for lenders to renegotiate, improving rating agencies, for instance better management of conflicts of interest, better training for analysts, better analytical models and more transparency and lastly pumping money into the market to slow down the effects of crisis through establishing rescue funds for borrowers, establishing a bond fund to pay for switching borrowers out of unaffordable ARMs, and refinancing loans for victims of predatory lending.

Fed has to intervene in the system and change its terms to avoid foreclosures and that is what is did which is quite visible to the entire world. The bailouts plans, the cut in repo rates and other rates, more focus on home based jobs and on exports, redistribution of the national wealth, changes in the policies of the credit system, are some of the initiatives taken by the Fed to improve the economic conditions which actually helped the country to come out of this severe crisis.

Conclusion :

After disintegration of USSR in 1991, USA immerged as the most prominent country politically and economically. Any impact on US economy could impact in turn whole world, because all economies of the world are interconnected with US directly or indirectly. Because of the gobalisation, subprime crisis of 2008 which germinated in USA become a phenomenon of the world. Globlisation is supposed

to integrate the domestic economy of a country with the economies of other countries (World economy)2. Although various measures have been adopted to mitigate the negatives of financial crisis of USA, still it impacted the every economy of the world more or less. It went into economic records of the world which shook the whole world.

History suggests that the US economy, and also the global economy, will undergo restructuring in the coming period. History also suggests that the next economic structure will involve a significant expansion of the state role in the economy. However, history cannot tell us what kind of state regulated economic system will arise. The outcome will depend on political struggles among various groups and classes. One can identify three possible types of state regulated system that might arise in the US in the coming years.3

References :

1. Dullien, Sebastian, Kotte, Detlef J., Marguez, Alenjandro, Priewe, Jan (ed.s) (2010), "The Financial and Economic Crisis of 2008-2009 and Developing Countries", United Nations, ISBN: 978-92-1-112818-5
2. Gupta, S.K., Chaturvedi, D.D., Mittal, Anand (2017), Indian Economy-II, Kitab Mahal, Allahadbad, ISBN: 978-81-225-0656-3
3. Kotz, David M. (2008), "The Financial and Economic Crisis of 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism", Department of Economics, University of Massachusetts Amherst, Amherst, U.S.A.
4. "Amid Worries of a Slowdown, Charting India's Future Growth Trajectory", The Warton School, University of Pennsylvania, USA, 09-01-2012, 10:15 am
5. Leonard, Paul (2012), "The Mortgage Crisis: Causes Solution and Aftermath", Center for Responsible Lending
6. http://www.forbes.com/2008/08/22/shiller-subprime-crisis-oped-cz_rl_0825croesus.html, 25-08-2008, 11:34 pm
7. http://missionisi.wordpress.com/2007/11/27/what-is-subprime-crisis-how-to-solve-the-subprime-crisis/, 26-01-2009, 09:15 am

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 167-171

Why Good Management of LABOR remained always a Top Priority?

Dr. Anjana Saxena*

Ayurveda is the oldest scripture of medicine covering every aspect of healthy human life in such a seed form that a single verse can give a new vision. Child survival and safe motherhood has been a very highlighted slogan but स्त्री हि मूलमपत्यानाम् स्त्री हि रक्षति रक्षिता has been a great promis by our ancient thinkers at least 6000-4000 years back.

Maternal death is defined as death of women while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy from any cause related to or aggravated by pregnancy or its management. The maternal mortality ratio is maternal death per 100,000 live births in one year. Though extremelyreliable estimates of maternal mortality in India are not available but available data provide the approximate trends.

WHO estimates show that out of the 529,000 maternal deaths globally each year, from which 136,000 (25.7%) are contributed by India. This is the highest burden for any single country. Causes of maternal mortality: India studies and global pattern (% of total deaths by causes) Source Registrar General of India 1998 Bhatia data 84-85 (Causes of mm in south India) Kumar data 1986 (MM enquiry in rural community of north India) Maine (Safe motherhood program)

Causes of death	National	Ananthapur district	Rural north India	Global pattern
Hemorrhage	29.6	6.8	18.2	28
Anemia	19.0	9.2	16.4	-
Hypertens.dis.of preg.	8.3	8.0	5.3	17
Puerperal sepsis	16.1	30.5	16.4	11
Abortion	8.9	10.3	9.1	19
Obstructed labour	9.5	4.9	7.3	11
Not classifiable	2.1	-10	.9	15
Other/indirect	6.4	25	10.9	15
MMR/100000 live birth	40	7	830	230

This is an old data but picture remains more are less same in the current studies also.

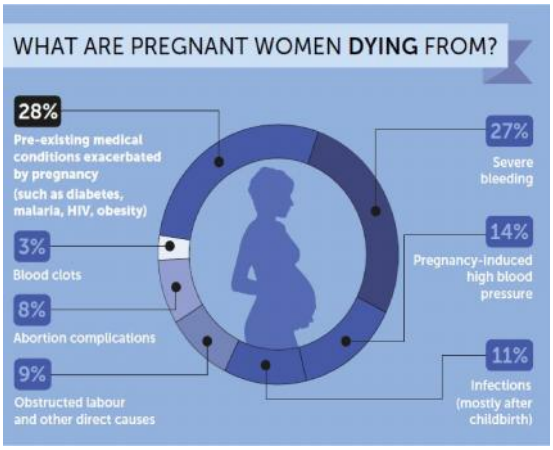

*Lect., Prasuti Tantra and Stree Rog, SLBSS AY COLL. HANDIA, ALLAHABAD, U.P.

So hemorrhage, anaemia, PIH, obstructed labour, puerperal sepsis are still the main culprit as they were many years back and likewise it would have been thousands of years back also and so the ancient thinkers were driven to study the matter in detail.

NORMAL GESTATIONAL AGE : According to ACOG the average duration of Normal Gestational Age is 266 days from conception and 280 days from LMP in a woman with a cycle of 28 days.ACOG(1993) has defined Preterm Labour as the onset of labour prior to the completion of 37wks, after the Gestational viability (24-28 wks)days from the LMP or Fetal wt. less than 2500 gms.

पूर्वकालिक या अप्रगल्भ शिशु–प्रसव या विप्रसव–महर्षि चरक ने लिखा है कि गर्भ वृद्धि के लिए आवश्यक भावों में विपर्यय होने पर गर्भ अचिरजात होता है अथवा उदर में ही मर जाता है। अचिरजात शब्द से अचिर–काल अर्थात् सामान्य से पूर्व–काल के प्रसव का ग्रहण कर सकते हैं।

ये ह्यस्य कुक्षौ वृद्धि हेतु समाख्याता भावास्तेशां विपर्ययादुदरे विनाशमापद्यते, अथवाऽप्यचिरजातः स्यात्।। (च0 सं0 शा0 4/29)

dkykrhr i:lo ;k vfri:xYHk f'k'k dk i:lo % महर्षि चरक ने दशम मास के पश्चात् गर्भ की उदर स्थिति को विकारी माना है (जो अधिक युक्तिसंगत है) महर्शि चरक ने प्रकुपित या विकष्त वायु के प्रभावों का वर्णन करते हुए लिखा है कि यह गर्भ को अत्यधिक काल तक धारण किए रहती है अर्थात् प्रसव विलम्ब से होता है। महर्षि चरक द्वारा वर्णित शुक्रस्थ वायु के कारण गर्भ का बन्धन कालातीत स्थायित्व का भी द्योतक माना जा सकता है। (indicating pre existing medical conditions)

According to ACOG, WHO and FIGO : Post term pregnancy is defined as pregnancy at 42 completed weeks of Gestation i.e. 294 days after LMP. Untimely labour can take place either before or after the normal duration i.e. before ninth month (pre mature) or after the twelfth months of gestation (post mature or delayed labour) .

Labouris a process of giving birth. This process of Parturition involves four components commonly called “4Ps” -

Power	आवी
Passenger	गर्भ
Passage and	स्त्रीश्रोणि
Psyche	मनःस्थिति

Maternal Psychological response affects the progress of labour. An Anxious woman secretes Catecholamines which inturn impaires the placental blood flow and finally inhibit the Uterine contractions.

गर्भाशय में गर्भ की स्थिति–

fiRr iDok'k;ke?;: xHkk'k;k ;= xHk fr"Bfr A
'k[kukH;kdfr;kfuL=;koirk lk idhfrirk A
RkL;kLrirh;: Rokori xHk'k;k ifrf'Brk AA सु0शा05/44

स चपोस्थितकाले जन्मनि प्रसूतिमारूतयोगात् परिवष्त्यावाक्शिरा निश्क्रामत्यपत्यपथेन, एषा प्रकृतिः पुनरतोऽन्यथा। परं त्वतः स्वतन्त्रवृत्तिर्भवति।। (च0 सं0 शा0 6/24)

सामान्यतयः गर्भ माता की पीठ की ओर मुख पृष्ठाभिमुख करके प्रसवित होता है। आधुनिक ज्ञान के अनुसार भी गर्भ का शिर अत्याधिक झुक जाने से उसका मुख स्वयं भी नाभि के ओर हो जाता है। वायु के भेदों में कहीं भी प्रसूति मारूत का वर्णन नही आया है। अधोभाग के बहिर्मुख स्त्रोतसो द्वारा मलमूत्र आर्तव गर्भ आदि के निष्कासन का कार्य अपान वायु का है। संभवतः इसीलिये प्रसव सम्बन्धी विशिष्ट कार्य करने वाली अपान वायु को ही प्रसूति मारूत शब्द से आचार्य ने सम्बोधित किया है।

lfrdkxkj dh vo/kkj.kk **(Concept of Maternity Hut) :** प्राक् चैवास्या नवमान्मासात् सूतिकागार..... भूमिमहानसमृतुसुखं च।। (च0सं0शा0 8/33)

अपिधानं कपाटम् ।कृकृवास्तुविन्मतेन विभक्ताग्न्यादिस्थानम्.।। (च0सं0शा08/33 की चक्र0 की टीका)

तत्रसर्पिस्तैलमधुसैन्ध्व––– स्त्रियच्श्र वृद्धास्तत्कार्यम्।। (च0 सं0 शा0 8/34)

महर्षि चरक नेगौ एवं ब्राहमण के प्रवेश के बादस्त्री के प्रवेश काविधान बताया है।

सूतिकागार में निवास तथा उपरोक्त विधान का महत्वपूर्ण कारण स्त्री का मानसिक रुप से प्रसव वेदना सहन करने के लिए तैयार होना है क्योंकि स्त्री की मानसिक अवस्था का प्रसव वेदना में अत्यधिक प्रभाव पड़ता है।

Premonitory Signs of Labour: Premonitory Signs refer to the symptoms experienced before the onset of true labour. These areLightening कुक्षि अवस्रंसन विमुक्तबंधनत्वम्

Sciatic Nerve pressure अधोभाग की गुरुता

Increased frequency of Urination मूत्रप्रवृत्ति Increased vaginal discharge योनि से स्राव

Increased Uterine contraction आवीप्रादुर्भाव

Cervical softening योनि मृदुता

आसन्नप्रसवा–परिचर्या (Management during First stage of Labour)

आवीप्रादुर्भावे तु भूमौ शयनं विदध्यान्मृद्वास्तरणोपपन्नम्। तदध्यासीत सा। तां ततः समन्ततः परिवार्य यथोक्तगुणाः स्त्रियः पर्युप्रासीरन्नाश्वासयन्त्यो वाग्भिर्ग्राहणीयाभिः सान्त्वनीयाभिश्च ।।(च0 सं0 शा0 8/37)

Nursing Care during First Stage of Labour आवी (प्रसव वेदनाओं के प्रादुर्भाव हो जाने पर) भूमि में मृदु आस्तरण बिस्तर बिछा दें। उस पर वह स्त्री बैठ जाए, तत्पश्चात् उसको (उस प्रजायिनी स्त्री को) सूतिकागार में संग्रहणीय पदार्थों एवं उत्तम गुणों वाली प्रजनन कुशल स्त्रियाँ चारों ओर से घेरकर हृदय को प्रिय लगने वाली सांत्वना देने वाले वचनों से आश्वासन देती हुई प्रजायिनी स्त्री की सेवा करे। (च0शा08/37)

THE CARE TAKER must consist some Good qualities like
GOOD MEMORY,
LOVE for her work, be
SOUND of LIMBS,
ROBUST and
ENDOWED with LONG SLIM FINGERS and SHORT NAILS

- The woman should be lying down with half flexed legs in dorsal lithotomy position at the time of bearing down and the shoulders should be raised.
- As presenting part descends and reaches the pereneal floor, It exerts pressure on the sacral and Obturator nerve causing the woman to feel an urge to push or bear down with her whole strength.

Stretch receptors trigger the release of endogenous Oxytocin which augments the Uterine contraction further.

अनागतप्रसव या गर्भ के अवाक् न होने पर कर्त्तव्य (Management in case of Failure in Descent of Fetus)

सा चेदावीभिः संक्लिष्यमाना न प्रजायेताथैनां ब्रूयात्–उत्तिष्ठ, मुसलमन्यतंर गृहणीश्व,––– कटीपार्श्वपृष्ठसक्थिदेशानीशदुष्णेन तैलेनाभ्यज्यानुसुखमवमृद्गीयात्। अनेन कर्मणा गर्भोऽवाक् प्रतिपद्यते।। (च0 सं0 शा0 8/38)

आवी की उत्पत्ति के बाद भी प्रसव न होने पर गर्भ को अवाक् लाने के लिए चरक ने गर्भाशय संकोचन औषधियों का प्रयोग बताया है। उसे ही आधुनिक विज्ञान में Induction of Labour कहते हैं।

महर्षि सुश्रुत तथा वाग्भट ने गर्भसंग की चिकित्सा का तो वर्णन किया है परन्तु गर्भसंग के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन नही किया। गर्भसंग का अर्थ गर्भ चिपक जाना अर्थात् उसकी प्रसव के लिए होनेवाली गति में रूकावट हो एक ही स्थान मे स्थित हो जाना। योगरत्नाकरकार तथा आचार्य भावमिश्र ने गर्भसंग शब्द ने देकर 'प्रसव मे बिलम्ब होने पर' की विशिष्ट चिकित्सा का निर्देश दिया है, जिसका उद्देश्य भी प्रसव को शीघ्रता से पूर्ण कराना ही है।

अपरा पातन (Third stage of Labour) स्वभाविक अपरा–पातन (Normal Expulsion of Placenta)

महर्षि चरक ने लिखा है कि जब प्रसव हो जाय तो परिचारिकाओं में से कोई एक स्त्री ध्यान से देखे कि अपरा बाहर आ गई या नही क्योंकि अपतित अपरा वात, मूत्र, पुरीशादि सभी बहिर्मार्ग से निकलने वाले मलों को अन्दर रोक देती है। टीकाकार चक्रपाणि ने लिखा है कि बहिर्गमनशील पुरीशादि आभ्यन्तर प्रदेश (कोष्ठान्तर्गत) में संसक्त हो जाते है।

vijk dh ikru&fof/k % महर्षि सुश्रुत ने अपरा–पतन विधि का दो स्थानों में वर्णित दिया है (1) शरीर स्थान (2) चिकित्सा स्थान (मूढ़गर्भ चिकित्सा)। चिकित्सासिद्धान्तः।

ckÁ mipkj %

1) दक्षिण हस्त से (प्रसूता की) नाभि के ऊपर बलपूर्वक दबाकर बायें हाथ से पीठ को पकड़कर (तीव्र रूप से) हिलावें उसकी बाहुओं को ऊपर उठाकर उसे खूब कपायें या हिलायें।
2) पार्ष्णि से श्रोति (प्रसूता की) को कूटें अर्थात् बार–बार दबाव डालें।
3) दोनो स्फिगों को कस कर दबावें।
4) बालों की वेणी अथवा बाल लिपटी हुई उंगली से कण्ठ एवं तालु का स्पर्श करें।
5) स्त्री योनि को तैलाक्त कर पश्चात् उसके पार्श्वों को पीड़न कर एवं उसे बार–बार हिलाकर अथवा अंसपिण्डिका की तरह पीड़न करके अपरा का पातन करायें।

Ckká vk"kf/k&i;kx %

;kfu e /kiu %

निम्नाकिंत औषधियों से योनि का धूपन करें–

1) भोजपत्र, काचमणि एवं सर्प–निर्मोक।
2) भोजपत्र एवं गुग्गुल।

;kfu e yiu ;k ij.k %

निम्नांकित औषधियों का योनि में लेपन या पूरण करें।

1) कटुकालाबु, जालिनी, निम्ब एवं सर्प–निर्मोक के हल्क को कडुवे तैल में मिलाकर (योनि को) तैलाक्त करके लेप करें।
2) गुड़ एवं शुण्ठी के कल्क का लेप करें।

vU; vxk e yiu ;k vuqlpu %

1) लांगलीमूल–कल्क को हाथों एवं उदर अथवा पैर में लेप करें।
2) महावक्ष (सेहुण्ड) के क्षीर को मूर्धा (शिर) में अवसेचन करें।

;kfu e fip&/kkj.k %

1) शतपुष्पा, कुष्ठ, मदनफल तथा हिंगु से साधित तैल की पिचु धारण करायें।

cfLr&i;kx %

vuqokl cfLr %

1) पिचु के अन्तर्गत वर्णित तैल से अनुवासन बस्ति दें।

vkLFkkiu cfLr %

1) इन्हीं आप्लावन द्रव्यों (बल्वज क्वाथ या मैरेय एवं सुरामण्ड या कुलत्थ क्वाथ या मण्डूकपर्णी एवं पिप्पली क्वाथ में) फल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटज, कृतवेधन एवं हस्तिपिप्पली मिलाकर आस्थापन बस्ति दें।

अष्टांगसंग्रहकार ने इन सभी औषधियों के साथ बिल्व एवं अर्क का तथा हस्तिपिप्पली के स्थान में हस्तिपर्णी का वर्णन दिया है।

2) सिद्धार्थक, कुष्ठ, लांगली (मूल) तथा महावक्ष के क्षीर से मिश्रित सुरामण्ड से आस्थापन अस्ति दें।

mÙkjcfLr %

1) सिद्धार्थकादि (सिद्धार्थक, कुश्ठ, लांगली, महावृक्ष–क्षीर आदि आस्थापनान्तर्गत वर्णित) से साधित तैल की उत्तरबस्ति दें।

vkH;Urj vk"kf/k&i;kx %

1) गुड़ एवं शुण्ठी का कल्क खाने को दें।
2) पिप्पली, एला, कोल, विड् (विड् नमक), चव्य, चित्रक एवं उपकुंचिका के कल्क को दें।

vijk dk gLr&fu'dklu % (उपर्युक्त विधियों के असफल हो जाने पर ही)

कटे हुए नाखून वाले स्निग्ध हाथ से (हाथ को अन्दर प्रविष्ट करके) अपरा का आहरण करें।

foe'k % अपरा के पातन के लिए उपर्युक्त वर्णित विधियों को क्रियाकलाप की दृष्टि से चार भागों में विभाजित कर सकते है। जिनमें प्रथम को छोड़कर अन्य सभी विधियाँ ही सिद्धान्ततः आज भी प्रयुक्त होती है।

1) उदरगुहान्तर्गत भार–वृद्धि करा कर
2) गर्भाशय को संपीडन करके
3) गर्भाशय मांसपेशी–संकोच बढ़ाकर
4) हस्त–निष्कासन :–सभी विधियों के असफल होने पर हाथ का प्रवेश कर अपरा निकालना ही अंतिम उपाय है और इन सबके असफल हो जाने पर बिना समय गवाये शल्यकर्म द्वारा शल्य आहरण आज भी करते हैं और यही सुश्रुत के भी वचन हैं।

INDICATION OF LSCS-

तत्क्षणाज्जन्मकाले तं पाटयित्वोद्धरेत्भिषक्।।
...मूढ़गर्भोदरार्शोश्मरी भगन्दरमुखरोगेष्वभुक्तवतःकर्म कुर्वीत।।
वातव्याधि प्रमेहश्च कुष्ठमर्षो भगन्दरम्।
अश्मरी मूढ़गर्भश्च तथैवोदरमष्टमम्।।

सु0सं0चि015/14–16

अन्यथा अवश्यंभावी है कि प्रसूता, गर्भ या प्रसूता एवं गर्भ दोनों की मृत्यु हो जाए–

INTRAUTERINE DEATH& अपविद्ध शिरा या तु शीतांगी निरपत्रपा। नीलोद्धत सिरा हन्ति सा गर्भं स च तां तथा।। गर्भास्पन्दनमावीनां प्रणाशः श्यावपाण्डुता। भवेदुक्ष्वासपूतित्वं शूलश्चान्तर्मृते शिशो।। नोपेक्षेत मृतं गर्भं मुहूर्तमपि पंडितः। स हि आशु जननीं हन्ति निरूच्छ्वासं पशुं यथा।। सु0सं0चि015/15

इस तरह अपनी द्रव्य प्रचुरता,बहुविकल्पता एवं सैद्धान्तिक प्रवीणता के आलोक में स्त्री तथा अपत्य की रक्षा में हमारे मनीषियों ने कोई कसर न छोड़ते हुए 'स्त्री हि मूलमपत्यानाम् स्त्री हि रक्षति रक्षिता'के अपने लोक कल्याण के संकल्प का सम्यक निर्वहन करते हुए Management of LABOR में अपनी एकमेवता स्थापित की है।

References :

1. राजेश्वर दत्त शास्त्री; 1991, चरकसंहिता शारीर स्थान विद्योतिनी टीका, चौखम्भा ओरिएन्टैलिया, वाराणसी
2. राजेश्वर दत्त शास्त्री; 1991, चरकसंहिता चिकित्सा स्थानविद्योतिनी टीका, चौखम्भा ओरिएन्टैलियावाराणसी, वाराणसी
3. अम्बिकादत्त शास्त्री; 1996, सुश्रुतसंहिता शरीर स्थान; आयुर्वेदतत्वसंदीपिका टीका, द्वितीय संस्करण, चौखम्भा ओरिएन्टैलिया, वाराणसी
4. प्रो0 प्रियव्रत शर्मा; आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास
5. Sudha Salhan; 2007, Text Book of Gynecology, Jaypee Brothers Medical Publishers(P) Ltd, Dariyaganj New Delhi-110002
6. Sudha Salhan; 2007, Text Book of Gynecology, Jaypee Brothers Medical Publishers(P) Ltd, Dariyaganj New Delhi-110002
7. WHO Data- Saving Mother's Lives – google images-www.pinterest.com

\

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 172-175

Water : A Cause of Power Politics in South Asia Continent

Santan Kumar Ram*

Abstract :

India is naturally gifted with plentiful water resources but ware is becoming a diminishing resource due to increasing population and politics in water sector both by international and domestic players. in addition the change in climate has also threatened the world`s water resources.. The present study explore and analysis the domains and scope of hydro- politics in south Asia. it gives an overview of the profile of Indus river basin, Brahmaputra River basin and Cauvery River basin and the technical and legal implications of the likely conflicts in south Asia. The focal point of study of the study lies in the growth of Trans boundary and intra-regional environmental cooperation for sustainable development and in building up such a strategy that may surmount the internal and external security challenges and social conflicts of the state of India

Key Words : Transboundary rivers, run off river, power politics

Introduction : Four countries in South Asia (Bangladesh, India, Nepal and Pakistan) cover 3.26 per cent of the world's surface area and are home to about 21 per cent of the world population. But, they possess only 6.8 per cent of the world's replenishable water resources.1 Besides, against the world average of 7S,000 cubic metres (m3), South Asia`s per capita availability of water in 2005 was only 2,665 m3, indicating a possible shortfall of water in the future.2 High rates of population growth, industrialization, and lack of effective management of available water have added to the increasing problem of water supply in the region River basins in South Asia are not only the greatest sources of drinking water, irrigation and hydropower as well as being key for social, economic and environmental development. These basins pose numerous security challenges in the region. In South Asia, efficient and sustainable water resources management and yoked energy issues remain immensely valuable. The anticipated impacts of Economic development, population growth and climate change on water resources, the trans-boundary cooperation becomes very crucial. In order toward-off conflicts between riparian countries; there should be a clamour for the use of resources and sustainability.

Rivers flow freely, but the state-centric theories (realism, neo-realism, liberalism and neo-liberalism) have trapped them within a specific territorial boundary. These inter-state political animosities have implications on Trans Boundary Rivers and influence the respective state's decisions over water sharing from common rivers. As a result, water conflicts in South Asia brew intermittently.

Statement of the problem : The existing policies in the water sector may violate the right of different countries in the region to access water in an equitable way. The water sharing states neglect water as a human right they prioritizes water as a national interest rather than a regional interest. It may lead towards further destabilization and water wars among the water sharing states of the region.

Scope of the study : In order to preserve the natural environment and water as a human right it is imperative to have an analysis of the existing policies in the water sector because it may open a new corridor towards robust/pro-active regional policy for adaptation and mitigation to vulnerabilities. The study will also highlight some recent controversial projects between India Pakistan, Nepal, Bangladesh, and China along with Bhutan.

2. Factors influencing conflicts, and its remedies :

2.1 Water Stress : 'Water stress' leads to human insecurity and underdevelopment. In South Asia, 1.56 billion people depend on a few river systems for their water needs. Due to increasing population and phenomenon of climate change, annual water availability in South Asia has plummeted by nearly 70 per cent, since 1950. By 2025, it is being estimated that the combined population of four largest countries - India, Pakistan, China and Bangladesh - depending upon South Asian rivers is going to

*Research Scholar, Geography, V.B.S.P.U., Jaunpur, U.P.

be about 3.470 billion.3 If the present water patterns continue, the region could face 'widespread water scarcity'

2.2 Floods and Droughts : The phenomenon of climate change is also adding to water woes in South Asia. According to a 2008 International Panel on Climate Change (IPCC) report, "On an average Asian glaciers are melting at a rate that has been constant since the 1960." Retreating glaciers and changing snow-melt patterns related to climate change will impact regional water issue. Due to climate change, floods and droughts are being experienced by the same region, at different period of time. Both create tensions among the riparian states. To secure its own interests the upper riparian state releases the non-wanted non-seasonal rain water to the lower riparian states, and during summer time it stops releasing the required amount of water to them. In South Asia, almost all countries accuse their upper riparian state about practicing such water behavior

2.2 Multipurpose River Valley Projects : All the states in the region are developing large dams and barrage to fulfill their domestic requirements which leads to a regional tension and a major point of conflict

3. Bilateral Water Conflicts : As India shares its border with all South Asian countries, most of them are engaged in water conflicts with India. India is an upper riparian to Pakistan and Bangladesh while a lower riparian to Nepal, China and Bhutan. The topographical location does not determine the pitch of conflicts; the allegations remain same because of power asymmetry. Primarily, the South Asian countries are highly dependent on agriculture economy, so, often conflicts on common river waters take Centre stage. In the past, treaties have been signed to manage their conflicts, discussions have taken place, yet most of the conflicts erupt or remain unaddressed.

3.1 Water Conflicts between India and Pakistan : The territorial division of British India lay at the heart of the Indus water dispute. The international border that the British drew down in the middle of Punjab province between India and Pakistan cut the Indus basin into two, leaving much greater potential to control water flow in the hands of India, the upstream country. It also destroyed the unitary canal system, whose foundation was laid during the Mughal period (1526-1857), and developed by the British since 1880.

Soon after the partition of India in 1947, the water conflicts between Indian Punjab and Pakistan side of Punjab started. The arrangements made in 1948 could not resolve their water conflicts, and rift between them began to develop. In 1951, David Lilienthal, former chairman of Tennessee Valley Authority and the United States Atomic Energy Commission, visited the Indus catchment areas and wrote an article in American magazine Colliers. In that, one of his suggestions was that the basin be treated, developed and exploited as a single unit. As obvious, this was rejected by both countries. But it made World Bank, to offer help to resolve their water conflict and the process towards the signing of the Indus Water Treaty began. After eight years of talks, Indus Water Treaty (IWT) was signed between the two countries on 20 September 1960 at Karachi.

The treaty allocates the three western rivers to Pakistan - Indus, Jhelum and Chenab plus Kabul - barring some limited uses for India in Jammu and Kashmir (J&K). India got the entire waters from three rivers (Ravi, Beas and Sutlej), less some minor irrigation uses for Pakistan from four nullahs that joins the river Ravi. India was also permitted to develop additional irrigation of 1.34 million acres in J&K. In the final reckoning, Pakistan got 80 per cent of the Indus, and India 20 per cent

The IWT mandates broad Pakistani approval for Indian works on the western rivers in J&K, which has led to considerable delays in progressing Sallal, Uri, Dul Hasti, and Baglihar, all run- of-the-river hydel schemes with diurnal peaking "pondage" to drive the turbines, but no "storage". Due to improved political relations, in 2010, Pakistan gave green signal to India's project - Uri-II and Chutak (run-of-the-river project on river Suru, tributary river Indus, in Kargil). India started working on an 850 mw hydropower project at Drabshala village on Chenab river, Pakistan objected the "design of the dam", Both governments also concurred that Baglihar dispute had been definitively resolved. But the impasse over Kishanganga project is still maintained. In 2010, the legality of project was challenged by Pakistan in the Court of Arbitration.

As India and Pakistan are at constant tensions, since 1947, during times of conflict, water becomes a highly contested arena for negotiation even though it may not be a proximate cause of the conflict. In 2014, there was a heavy flood in both sides of J&K. At the time of deluge, instead of cooperation the two were engaged in cross border firings.

3.2 Water Conflicts between India and Bangladesh : Fifty-four rivers, including the three large ones, the Ganges, Brahmaputra and Meghna (GBM), are shared between India and Bangladesh. The total catchment area of the GBM river system is 1.75 million sq.kms of which Bangladesh accounts for 7 per cent, Bhutan 3 per cent, India 63 per cent, Nepal 9 per cent and Tibet (China) 19 per cent. Of the three large river basins that are shared, the Ganges River has been the most contentious. This is also one of the most densely populated basins in the world, with a total dependent population of about 600 million, almost one-tenth of the world population.

The disputes over the Ganges erupted as a result of India's decision to construct a barrage in West Bengal, known as the Farakka Barrage, about 11 miles from the borders with Bangladesh which was the then East Pakistan. That was contested by Bangladesh to secure its own water interests.

After Bangladesh came into existence in 1971, India and Bangladesh took steps to amicably address their bilateral disputes but could get succeed. Bangladesh decided to take up its dispute with India over Farakka Barrage to the United Nations (UN) on 21 August 1976. Both sides prepared their own White Papers to respond each other in the UN. The Consensus Statement was a sort of an embarrassment for India, and led to the signing of India-Bangladesh Water Agreement in 1977 for a period of five years. After it expired in 1982, various ad hoc arrangements were made to share the transboundary river water. In 1996, after engagements at various levels, India-Bangladesh Water Sharing Treaty was signed.

The tensions between India and Bangladesh erupted again over sharing of water from river Teesta. Another irritant in India-Bangladesh river dispute is over construction of 163 metres, run-of-the-river, and multi-purpose project - Tipaimukh dam over the river Barak.

3.3 Water Conflicts between India and Nepal : Nepal is small, but rich in water-resources, and upper riparian to all Indo-Nepalese transboundary rivers. It is estimated that these Nepalese rivers could generate up to 83,000 MW of hydroelectric power, which is more than the combined total hydroelectric power produced by the USA, Canada and Mexico. To harness the hydro-power, India and Nepal have concluded various water-sharing treaties. The public opinion in Nepal has always been very critical of Kosi (1954) and Gandak (1966) agreements.

The most controversial treaty between India and Nepal is Mahakali River treaty, which was signed in February 1996. Nepal had objections with this treaty and it constantly tried to renew this treaty but it could not and the treaty continued for 76 years, from 1920 to 1996, when it was replaced by the Mahakali Treaty.Before the treaty was signed, Tankapur Agreement was reached on 1991. This MoU is being considered as a hasty decision and lopsided one in favour of India, so it is highly criticised. In 2014, the two countries signed hydropower treaties. On Arun-III, the two countries signed Project Development Agreement. Pancheshwar and Upper Karnali projects too were pushed up.

3.4 Cases of disputes within India Ravi and Beas Tribunal,Cauvery water Disputes Tribunal,Krishna water Dispute Tribunal,Vansadhara Water Dispute Tribunal,Mahadayi Water Dispute Tribunal

4. Minimal Regional Cooperation : Water conflicts intertwined with other existing reasons for disputes have given rise to water nationalism among the South Asian riparian states. This is on the rise in both upper and lower riparian states.

An inference can be drawn, from above discussion, that the South Asian riparian states due to their political relationship cannot manage water-related bilateral disputes. In such situation, the regional organisations can mediate. A strong tendency for cooperation among the riparian states on international river basins is found where a prior history of cooperation exists. South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) since its formation in 1985 has not been a very effective organisation.

Another source of problem is the major South Asian rivers originate in Tibet in China which in future may be diverted or used to satisfy water demands of the Chinese people. In such situation, if the South Asian states cooperate, they can present their grievances as a united force, and not as an individual country. The former would be an easier way to bargain with China.

5. Conclusion : In this paper it has been discussed that the historical memories related to partition, communal divide and intermittent wars have bittered the political relationship between India-Pakistan and India-Bangladesh. This sort of relationship influences decisions related to water. Though the people to people contacts are being encouraged to promote cooperation between the states, the

practice has little impact on their bilateral relationship. There is absence of epistemetic community which can influence water-related decisions, at present, though it played a significant role in signing of the 1996 India-Bangladesh Ganges River Water Sharing Treaty.

Since multi-purpose water projects are reasons for most of the water-related conflicts between India and its neighbours, there is a need to establish cooperation over such projects or to promote demand-side management of water to manage the bilateral water conflicts. Allegations against the upper riparian for 'water theft', causing floods or droughts in lower riparian etc. are quite usual. Though the upper riparian state may not have an intention to regulate water of lower riparian states, the state- centric theories guide the former to do so in its 'interest' for 'security' or due to 'being a rational actor'

Finally, a regional arrangement on water resources seems highly desirable. Two reasons can be cited to justify this proposition. One, all riparian states need to be consulted while harnessing an international watercourse. Second design of project should not affect environment adversely.

Thus, if the states of South Asia can be more forthcoming and cooperative; if they can leave their historical baggage behind and move forward with a sense of trust and understanding; and if they try to harness the water resources under a regional mechanism, the peoples of South Asia could hope to enjoy a better and peaceful future

References :

1. Amit Ranjan, "India-China Water Disputes", Journal of Asian Politics and History, No. 5, 2014, pp. 11-26
2. Dhirendra Vajpai: Water Resource Conflicts and International Security: A Global Perspective, Lexington Books, 2012
3. Jayanta Bandhopadhyay, "Water System Management in South Asia", Economic and Political Weekly, Vol. 42 (10), 10-16 March 2007, pp. 863-873.
4. Lucy P. Chester, Borders and Conflicts in South Asia: The Radcliffe Boundary Committee and Partition of Punjab, Manchester: Manchester University Press, 2009, p. 80.
5. National Water Development Agency, (1992), National Perspectives for Water Resources Development, July, New Delhi: NWDA.
6. S. Ayub Qutub and Umesh Parajuli, Water Conflicts in South Asia: Managing Water Resource Disputes Within and Between Countries of the Region, Project Implemented by Global Environment and Energy in the 21st Century (GEE-21) and the School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University (SAIS), Sponsored by the Carnegie Corporation of New York, 2004.
7. Surya P. Subedi, Dynamics of Foreign Policy and Law: A Study of Indo-Nepal Relations, New Delhi: Oxford University Press, 2005.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 176-178

Violence, Discrimination and Stigma Against Women of Denotified Tribes in India

Rahul Kumar Singh*

Abstract :

The social category generally known as the Denotified Tribes of India covers a population approximately of 15 crores. Criminal Tribe Act of 1871 notified some tribes as born criminal during British India and after the repeal of Criminal Tribes Act on 31st August 1952 this community is titled administratively as denotified tribes (Vimukt Jati). With the explanation of denotified tribes I will throw light on the venerability of women of this community which is very often ignored and neglected. Women of this community have been facing violence, discrimination and sigma after the enactment of this notorious and inhuman act would be also discussed here. Access to infrastructure, like public health facilities, educational institutions, development of communication network like roads and cheap conveyance facility to transport people to place of work, housing, safe drinking water, rights to places of stay, general hygienic and sanitary conditions, are very poor. This study is based on the data and information collected by commission and different Non- Government Organisations and research projects.

Keywords: Denotified Tribes, Criminal Tribes Act, Women, Stigma, Violence

Introduction :

Denotified & Nomadic Communities are the most neglected and marginalized sections of Indian society. They are victims of stigma, social neglect and exploitation for centuries. Even after so many decades of Independence, they lack even the most basic amenities of life. Women among them suffer the most. Their literacy rate is very low. Most of them don't have access to health care facilities. They suffer from a number of atrocities not only by people of other communities but within their own families. Here firstly, I explain about denotified tribes such as… These are the communities that, during the British regime, due to specific administrative as well as law and order reasons, were notified as being born criminal by the British Government under a series of laws starting with the Criminal Tribes Act, 1871. These laws were enacted as crime was considered a hereditary profession. Such communities were dealt with by the resolution of 1773 for the first time and in the year 1871 they had been finally recognized as an illegal social organisation. They were shown as separate category for the first time in the census of 1911. Once a tribe becomes notified as criminal all its members were required to be registered with the local magistrate, failing which they would be charged with a crime under the Indian Panel Code, 1860. In this Act there were provisions for the registration, surveillance and control to them. They were kept in so-called reformatory settlements and were not permitted to leave that. The police raided their houses, molest them and drive them away from the village. After the repeal of Criminal Tribe Act, 1871 in 1952, this community is recognized administratively as Denotified Tribes (In Hindi they are called Vimukt Jati). Now after the repeal of this Criminal Tribes Act, one new, very arrogating inhuman act is continue to deal with this community with name of habitual criminals. These are the most marginalized sections of society but the women of this community are much more marginalized and subordinated. Discrimination, violence and stigma faced by the women of denotified tribes are quite different from the difficulties faced by Dalit women. They were always left untold. That most of the women of Denotified and Nomadic Communities take care of various responsibilities such as cooking food, washing clothes, cleaning house, taking care of children etc. Women from these communities are very hard working. A large number of them go out to earn as well as take care of household activities. Fetching water is also a major responsibility of women. Most of them were willing to work and earn some supplementary income for their families. They have a liking for knitting, stitching, embroidery, making mud toys, handicrafts and other decorative articles. But they need some training and resources to begin their own small enterprises.

*Research Scholar, Dept. of Sociology, AMPG College, BHU, Varanasi, U.P.

Some of the women and girls also work as rag pickers. Many of them can be seen roaming in the streets with polythene bags on their shoulders for collecting waste like paper, plastic, tins and bottles. Many of them suffer from skin diseases and other ailments as they are continuously in contact with garbage.

Violence, Discrimination and Stigma :

Discriminations, abuse, social and economic marginalization faced by women of denotified tribes have their roots in 19th century British colonialism when such tribes were notified by the British as being inherently criminal. However this historical pattern of marginalization and abuse continues today, and is blight on India's human rights record. They were often categorized under habitual offenders and even today they are among the worst victims of cruelty and injustice particularly mob lynching, arson, public and police atrocities, mainly on account of the stigma of criminality attached to them. A majority of the DNTs are illiterate even after 70 years of Independence and are still deprived of quality education, violating both fundamental right to education enshrined in our Constitution and the basic socio-cultural human right. The DNT families are perceived to occupy the bottom rung of the socio-economic ladder, plagued by poor education and economic status. After the attainment of independence, India is very keen on the upliftment of weaker sections, especially the tribal people. The main task before the planners, administrators, politicians is the removal of social, economic inequalities and establishment of an egalitarian society. The level of education among women of denotified communities is very low. Since the very nature of their livelihood requires them to frequently move around, they are not able to send their children to schools. Children also take active part in income generating activities in many of these communities which work as street acrobats or magicians. Since men including boys go out for work, women and girls stay at home attending to various household responsibilities. One may be surprised to know that the level of education among girls in denotified communities is even far below than that of Scheduled Casts & Scheduled Tribes. Women prefer separate schools for girls as sexual harassment by members of other communities is the main reason of their obvious reluctance. Due to the compulsion of migrating from one place to another for livelihood, and the frequent displacement of their settlements by authorities, it is difficult for their children especially the girls to be regular in schools. Begging is common among denotified and nomadic communities. When there is nothing else to do, they especially women and children just go for begging. But begging, as they say, is full of hazards. Sometimes they are caught begging by the police under the Prevention of Begging Act, and taken to remand homes. Young girls begging on streets face sexual harassment by goons roaming around. Some women from this community are forced to prostitute because of their tradition. But when asked about this they deny and protest. But it is evident that some of these communities might have practiced it long time ago, but none of them wants to do it by choice now. They are very poor having many children but their husbands are topers, lazy and doing nothing so for rearing their children women are forced to do prostitution. The women of some specific communities like Knjar are stigmatized as prostitution. Some of the women from this section of society may be involved in the prostitution due to poverty or other reasons but this can't be generalized or for this the entire community can't be blamed. The virginity test, centuries-old custom also known as Kukari ki Rasam is practiced among Sansis. Women under this custom are forced to face virginity test on the first night of their marriage, which is not only cruel and insulting but a violation of their womanhood. These women are not only the victims of neglect and exploitation by people from outside community, but also suffer tremendous pain and agony inflicted by their own people within the family. The life of a nomad is very hard and difficult surrounded by circumstances full of trauma, agony and turbulence, from which their women suffer the most. Drinking is in common use in most of the denotified and nomadic communities. This has been an integral part of their food habits for centuries. Incidents of domestic violence were reported by many women inflicted mostly by their husbands under the influence of alcohol. Women bear all this in silence as it is considered the fundamental right of a husband to beat his wife. These cases are mostly not reported. There was a marked discrimination against women & girls in matters of providing health services also. It was a common perception that since women is to stay at home; they will get well with time on their own. Many of them held the view that nature has made a woman's body tough to fight a disease. Most of these communities also don't have access to safe drinking water. Either

there is no tapped water or it is far away from the settlement. It is often the duty of the women and adolescent girls to go and collect water. Women and children often see their houses being visited by police, beating their family members and booking them under various laws. Unfortunately other communities hold a very negative and biased opinion about these people especially about their women due to the stigma of criminality being carried by these communities for centuries. This is also due to the lack of inter community interaction. Caste Panchayats are biased against women, and give judgments, which are unjust and don't protect their rights. In many cases, women are not even given opportunity to be present and offer their arguments. These communities are victims of social stigma and prejudice for centuries. The mainstream society is still not ready to accept them as equals. They are still perceived as criminals. The communities complain of police being highly biased against them.

Conclusion :

Though Criminal Tribes Act was repealed in 1952 the stigma of criminality is still attached with them. Due to this stigma they are the victims of persecution and torture at the hands of the British and the state machinery. Anywhere an act of theft or robbery takes place persons belonging to these tribes in the surrounding area are arrested and subjected to various forms of torture. In the eyes of the society they are still criminals, and a wide gulf exists between them and the rest of the society. A lot of superstitions prevail in Denotified & Nomadic Communities, which are attached to various health disorders. Due to poverty and ignorance, many people in these communities still prefer treatment through black magic and tona totka. Therefore there is a need to create health awareness among denotified communities so that the communities begin taking access to government health facilities.

References :

1. Kamble, Rahul. (December 2 2006) Constructing Criminal Tribes in Colonial India (paper presented at the 8th annual conference of the Hong Kong Sociological association).
2. Report presented by National Commission for Denotified, Nomadic and Semi-Nomadic tribes, Govt. of India, July,2008.
3. Ravi Shankar Prashad, P. K. (2012). Criminal Tribes in India. New Delhi: Anmol Publication PVT,LTD.
4. Ricoeur, P. (2004). Memory, history, forgetting. Trans by Kathleem Blamey and David Palleaeur, Chicago: University of Chicago Press.
5. S. Ghatage, Babasaheb. (2011). Disabilities and Social Justice for Nomadic Tribal Communities in India. Online International Interdisciplinary Research Journal, 1(2), 36-42.
6. Sarthak. (2011). Socio-Economic status of Denotified and Nomadic communities in Delhi, A Project Report submitted to National Commission for Women, New Delhi.
7. Shashi, Sher Singh. (1991) A Socio-History of Ex-Criminal Communities OBCs, Sandip Prakashan, New Delhi.
8. Singh, Manasi. (2009). India's Denotified Tribes Demand a Life of Dignity, (One world South Asia.
9. Suheldev Bharatiya Samaj Party, Pamphlet, published on the occasion of rally held on 13 September 2016 Mau: Railway Maidan.
10. The Hindu: (August 1, 2013). Social Justice Ministry Moots a Commission for Denotified Tribes.
11. Tiwari, B.N. (1998). 'Sociology of Dalit Consciousness', the Eastern Anthropology.
12. Vishvkarma, Ramkisumiran. Booklet. Lucknow: National President and founder of M.B.C.I.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 179-181

Role of Hata Yoga for Better Performance in Games and Sports

Jai Bhagwan Singh*

ABSTRACT : Yoga stretching is an kind of exercise adapted from 'Hata Yoga' to suit the physiological requirement of human being as well as sportsmen specially for the stretching of muscles involved in game and sports or in any vigorous physical activity of the nature thereby increasing range of motion, flexibility and relaxation. Yoga stretching coupled with deep breathing is a relaxation process based on the harmony of both mind and body (Psycho-Somatic) relationship, one of the cordinal principles of 'Hata Yoga'.

This is the scientific method of exercise for controlling tension anxiety and other negative feelings of the sportsmen based on the rules governing the working of the muscle in the body which are under the control of the will.

The yoga stretching recommended for this purpose is the stretching from head to foot, which will not only affect all the muscles of a particular or organ but almost, all the muscles involved in the normal games. It will also give a massage to the spinal cord.

The brain and spinal cord constitute the central nervous system and the nerves impulse could be controlled by practicing stretching properly and regularly.

Pranayama is a basic yogic breathing technique in Yoga. Yogic breathing system known as pranayama has great importance for making better performance not only for yogacharya but also helpful for sportsman in games and sports. Controlling of breathing can neither be recommended, nor possible during the actual play or performance because it can be performed under the guidance of an expert through proper environment conditions. In brief we can say that it is a complete process, sportsman can make use of the great benefits of the full deep breathing on many other stages. Deep full breathing has proved beyond doubt to be extremely good for sportsman for improving their cardiovascular system, thereby developing endurance and stamina and also for attaining physical and mental relaxation.

The prevalent aim of the theoretical as well as scientific based paper is to convey the role of stretching (Yoga) and pranayam for both yogacharya and sportsmen for achieving best performance in all aspects of life.

Hata yoga is powerful, but difficult, whose whole principal of action is founded on an intimate connection between the body and soul. "Hata yoga" is, in its own way, a system of knowledge, this is a Science of being, a psycho-physical system. Hata yoga is a discipline and its aim is to ensure perfect health by physical and mental purification through the control of mind and body. If there is balance and harmony between the body and mind, the power of concentration can be developed, leading to the realization of the self. It is the greatest strength to awaken the mind and animate the body.

Hata yoga means to attain physical and mental purification and balance. It is the most common yoga. The aim of the Hata yoga is to eliminate toxin and impurities within the body that accumulate due to dietary habit. Once the toxins are eliminated the body reaches a state of purification which helps the brain in a state of balance in the functioning and performance of the internal organs and system.

According to Sanskrit 'Ha' means 'Sun' energy, the word 'yoga' comes from the Sanskrit root 'yug' meaning 'to link', join or unite. Hatha yoga is composed of three inseparable factors :-

1. Control of mind.
2. Pranayama (Control and regulation of breath)
3. Asana (Body Postures)

*Assistant Professor Physical Education, Govt. Degree College, Indupur, Gauri Bazar, Deoria (U.P.)

Stretching is one kind of exercise adapted from Hata yoga to suit the physiological requirement of human beings as well as sportsman specially for the stretching of muscle involved in games and sports or in any vigorous physical activity of the nature thereby increasing range of motion, flexibility and relaxation. Yoga Stretching coupled with deep breathing is a relaxation process based on the harmony of both mind and body (Psycho Somatic) relationship, one of the cordinal Principles of Hata Yoga.

In 'Hata Yoga', muscle and bone, nervous, glandular, respiratory, excretory and circulatory systems are coordinated so that they help one another. In Hata yoga, Asanas make the body flexible and able to adjust itself easily to change of environment. The sympathetic and parasympathetic systems are brought into a state of balance so that the internal organs are neither over active non underactive. The endocrine system is controlled and regulated to secrete the hormones from the glands in balanced quantities.

Hatha yoga is the Scientific method of exercises for controlling tension, anxiety and other negative feelings of the sportsman based on the rules governing the working of the muscle in the body which are under the control of the will.

The yoga Stretching is not to be mistaken as a vigorous exercise. The scientific stretching programming has been evolved from the various postures of Hata yoga. Traditional asana in Hata yoga demand only static state in the final stage of every asana, whereas stretching for sportsman can have static as well as dynamic state in certain stretches. Asanas do not advocate any further movements once the practitioner comes to the final stage of the asana. But in stretching a sports man can come into a dynamic state from static state. For example, in stretching by remaining in the basic shoulder head posture (Sarvangasana) players can to splitting of legs, cycling, twisting of hips etc. Sportsman will be benefited by cycling while remaining in the shoulder stand position and also by the stretch remaining on plough. This will help them relax after long never of standing game by accelerating the circulation of blood through all the tired parts of the body including brain.

Following are the few stretching exercises good for sportsman and enhance performance where as flexibility are required specially.

1. Matsayasan provides the stretches from spine and fish posture
2. Ustrasan provides the stretches based on camel posture.
3. Sharavangasan provides the stretching based on anterior stretch posture and unilateral shoulder posture.
4. Vajrasana provides the Stretching based on posterior stretch posture.
5. Chakrasan provides the stretching based on wheel posture.
6. Halasan provides the stretching based on Shoulder stand pose and plough pose.
7. Dhanurashan provides the stretching based on bow posture.
8. Bhadrasana also used for knee, thigh and Groin stretching.

In Hatha yoga, yogic breathing system known as pranayama has great importance in games and sports. Pranayam improves the cardiovascular movement. Circulation and respiratory systems are improved and have a positive effect the sports person.

"Pranayama means control and regulation of breath." "Prara" is a Sanskrit word which means 'vital force'; it also signifies 'life' or breath; 'ayana' means the control of the vital force (Prana) by concentration and regulated breathing.

Prana is the vital power or force which is motivating every element on the earth and is the origin of the force of thought. The objective of pranayama is to inspire, motivate, regulate and balance the vital force prevailing in the body. It cleanses the body and Knowledge is manifested. Pranayama is called the soul of yoga. Bathing is necessary for purifying the body. Similarly, Pranayama is essential for purifying the mind. The prevalent aim of pranayam in sports is to strengthen the nervous system. It also increases the concentration power of mind.

The important components of pranayama are: Puraka means to inhale the breath, Rechak means to exhale the breath and Kumbhaka means to retain the breath.

Discussion: Hatha yoga provides physical and mental relaxation for sportsman in the playing field which is very much necessary to produce the desired results. Especially physical and mental relationship at the time of critical junctures during the actual competition can be a boon to the sports persons. Nervousness can be detrimental in sports situation. Those players who have learnt to relax

physically and mentally at critical junctures such as in the game situation, have better chances of winning. Now, how to achieve the best nervous state? The answer is by learning to relax physically and mentally. In other words by controlling tension based on the rules governing the working of the muscles in the body which are under the control of mind. Yoga Stretching and full deep breathing are scientific methods of controlling tension.

What are the factors leading to tension and what are its consequences? There are quite a few lightly emotional and nervous sports persons who suffer from insomnia and irritation before competition and show unsupportive attitude towards their rivals and officials etc. They are basically emotional either due to genetic factors or the factors that conditioned their post. Then there is another type of Sports person prone to become tensed during the competition, with the result they fail to give their best performance.

Physical and mental tension leads to the loss in self confidences, bad temper, foul play and committing mistakes, which in the normal relaxed state they would not have done. There are several crucial situations in competition where a relaxed mind and body will enable a player to achieve the top performance.

References :

1. Capt. M. Rajan, Yoga Stretching and Relaxation for Sportsman.
2. Dr. Ajmer Singh, Shareerik Shiksha and Olympic Abhiyan.
3. बी0के0एस0 आयंगार, 2010; सभी के लिये योग, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
4. बी0के0एस0 आयंगार, 2005; योगदीपिका, ओरियंट ब्लैक स्वॉन प्रा0 लि0, नई दिल्ली
5. बी0के0एस0 आयंगार, 2009; प्राणायाम, ओरियंट ब्लैक स्वॉन प्रा0लि0, नई दिल्ली

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 182-185

The Effectiveness of Team Teaching on Science Achievement of Secondary School Students

Lokesh Kumar*

Abstract : The present study examines the effectiveness of team teaching in terms of the achievement in science at secondary level. The study is experimental in nature and observing the difference between the effectiveness of team teaching and traditional method of teaching. The sample constitute of 280 students of 9th class matched on intelligence, drawn from two U.P BOARD affiliated schools(co ed) of Meerut city using cluster random sampling technique. Selected students were divided into two groups namely experimental and control group randomly. The experimental group was taught the topics 'Force' and 'Motion' through team teaching and the control group was taught the same topics through traditional method. After teaching, a self developed achievement test was conducted for all students and the answers were evaluated and tabulated group wise. Data were analyzed by using Mean , S.D and t-test . The findings of the study indicate that experimental group performed better than the control group in respect to achievement.

Key words: Team teaching, Traditional method, science achievement.

INTRODUCTION : In India, during last few decades many efforts have been made to study the classroom behavior of teachers. Efforts were also made to identify the appropriate skills for teaching different subjects. Later different strategies of integration of teaching skills were tried out. Another group of researchers tried to find out the teaching patterns, which are capable for developing cognitive an affective behaviour.

It is also felt that a particular method or technique may not be appropriate for achieving multidimensional objectives. This led researches to explore the use of various methods and teaching us in an integrated fashion, which resulted in development of new instructional strategies. The main objective of the present study is to put in the hands of teachers an effective, efficient, time saving and labour saving strategy for removing weaknesses in their teaching.

However, teacher does not broadly remain pivot, around which the entire process revalues in the formal system. During the last two or three decades many new methods and strategies of teaching have been developed tested, modified and adopted to different kinds of teaching situation.Team teaching is one of such innovation in teaching strategies. Team teaching is a teaching strategy involves a group of teachers in the teaching. In team teaching a group of teachers, working together, plan, conduct and evaluate the learning activities for the same group of students at the same time period. There is a need to direct efforts towards transformation of teaching methods,the development of curriculum and material along with teacher orientation to receive attention. The ultimate responsibility of this continuous process of development has been enshrined by the society on teachers. Thus a theory of teaching must attempt to set forth the means of maximizing learning, on the part of the children.

NEED OF THE STUDY : The significance of the present study is to put in the hands of the teachers an effective and interesting instructional method for removing the weakness in the science teaching. Team teaching has emerged as an effective medium of instruction. In mathematic the team teaching has been proved to be greatly beneficial to understand the unfamiliar situations and in making the conceptual clarity. In literature also, team teaching improved the achievement of learners significantly. There is a need to recognize the importance of team teaching as a necessary method to impart the scientific knowledge to pupils. Therefore, it is worthwhile to find the effectiveness of team teaching in teaching learning process of science.

*Research Scholar, Department Of Education,Meerut College Meerut, U.P.

The present study is future intended to give better appropriate equipment to the teacher to teach by effective strategy. The present study is also intended to serve for teachers with more time to plan and prepare curriculum because teachers are the right people who know the need and requirements of pupil as well as nation.

The present study is further intended to give emphasis to team teaching movement in the country. It represents a motivating force to deep into contents of the present problem and undertaking comprehensive study of the subject through the collectively efforts of teachers.

Operational Definition of variables involved :

1. Effectiveness: It refers to the effect of particular treatment given to the learners that produce a significant change in any public behavior of the learner in terms of achievement.
2. Team teaching : Team teaching is a teaching strategy involves a group of teachers in the teaching. In team teaching a group of teachers, working together, plan, conduct and evaluate the learning activities for the same group of students at the same time period.
3. Traditional method of teaching : The conventional teaching methods like lecturing and demonstrating generally used by teacher in the class .
4. Achievement in science : Knowledge attained or skill developed in the prescribed science syllabus, usually designated by test scores assigned by teacher.

Objectives of the study :

1. To compare academic achievement in science of secondary students in pre-test, taught through team teaching and traditional method of teaching.
2. To compare academic achievement in science of secondary students in post-test, taught through team teaching and traditional method of teaching.
3. To compare academic achievement in science of secondary male students in post-test, taught through team teaching and traditional method of teaching.
4. To compare academic achievement in science of secondary female students in post-test, taught through team teaching and traditional method of teaching.

Hypotheses of the study :

1. There is no significant difference between the secondary students taught through team teaching and traditional method in terms of their science achievement in pre-test.
2. There is no significant difference between the secondary students taught through team teaching and traditional method in terms of their science achievement in post-test.
3. There is no significant difference between the secondary male students taught through team teaching and traditional method in terms of their science achievement in post-test.
4. There is no significant difference between the secondary female students taught through team teaching and traditional method in terms of their science achievement in post-test.

Method Of Study : It's an experimental study and two group matched pre and post test experimental design was used to conduct the experiment. In the present study the experimental variable was team teaching and it's impact on science achievement on secondary students was studied. Experimental research is generally regarded as the most sophisticated method of testing the hypotheses. It provides much control and establishes a systematic and logical association between manipulated factors and observed effects. Experimental method of research was chosen for achieving the objectives of the study and for testing the hypotheses formulated in the study.

Population : The population of the study consists of class 9th science students of govt aided co ed schools of Meerut district, affiliated to U.P Board.

Sample : Two schools were selected from the population frame through 'Cluster sampling technique'. All the 384 students of both the schools were matched on the basis of intelligence. The 280 students of average IQ involved 190 boys and 90 girls were selected finally for the study. Now 95 boys and 45 girls were assigned randomly in the experimental group and the equal number of boys and girls in the control group. Group wise composition of male and female students is given below-

Tool used :

1. Achievement test: One self constructed achievement test based on basic science concepts which are expected to be known by a average science student of secondary level, was used as the pre-test. One other self constructed achievement test considered the whole content of the topic 'Force and Motion' as prescribed in U.P Board syllabus, was used as post-test.

2. Intelligence test: To match the sample on the basis of intelligence , a standardized intelligence test constructed by Dr. R.K. Ojha and Ray Choudhary , was used in the study.

Procedure of experiment : The investigator applied the pre-test to the whole sample for evaluating the level of both the selected groups about the basic knowledge of science. The experimental group was taught through team teaching and the control group through traditional method for ten days in each case. Both the treatment were treated parallel, i.e, no interaction of students of one group to the other group. Investigator made each possible attempt to make the teaching enviournment similar in both the experimental and control group.

After ten days of teaching, post-test was applied to assess the impact of both the instructional strategies. After pre and post test administration, the scoring was done and suitable statistics were applied. The design of experiment is diagrammatically represented below-

Statistical Techniques : In order to achieve the objectives of the study and for testing the hypotheses, data were analyzed by using the mean, SD and t-test.

Result and Discussion :

Table 1

Showing the significance of difference between means of experimental group and control group achievement score in pre-test.

Group	N	Mean	S.D	df	t-value	Level of Significance
Experimental	140	19.21	3.43	278	1.77	0.01
Control	140	18.42	4.02			

The table 1 shows that obtained t-value is 1.77 which is lower than the table value at .01 confidence level that is 2.59.Therefore,it can be interpreted that the null hypothesis is accepted, hence there is no significant difference between the means of two groups. It means that, the students of both the groups at pre- test have nearly the same achievement level

Table 2

Showing the significance of difference between means of experimental group and control group achievement score in post-test

Group	N	Mean	S.D	df	t-value	Level of Significance
Experimental	140	22.06	2.48	278	5.17	0.01
Control	140	20.35	3.03			

The table 2 shows that the calculated t-value is 5.17 which is greater than the table value at .01 confidence level that is 2.59.Therefore,it can be interpreted that the null hypothesis is rejected, hence there exists a significant difference between the means of two groups. Therefore it can be safely concluded that the team teaching emerged as a superior teaching strategy then the traditional method of teaching in science at secondary level.

Table 3

Showing the significance of difference between means of male students in post test achievement scores of experimental and control group.

Group	N	Mean	S.D	df	t-value	Level of Significance
Experimental	95	22.54	2.31	188	4.92	0.01
Control	95	20.87	2.37			

For the post-test of both the male groups, the score of total male students of experimental group were compared with that of the total male students of control group.

The table 3 shows that the calculated t-value is 4.92 which is greater than the table value at .01 confidence level that is 2.60.Therefore, it can be interpreted that the null hypothesis is rejected, hence there exists a significant difference between the means of two groups. Therefore it can be safely concluded that for male students, the team teaching emerged as a superior teaching strategy then the traditional method of teaching in science at secondary level.

Table 4
Showing the significance of difference between means of female students in post-test achievement scores of experimental and control group

Group	N	Mean	S.D	df	t-value	Level of Significance
Experimental	45	21.05	2.11	88	3.83	0.01
Control	45	19.26	2.32			

For the post-test of both the female groups, the score of total female students of experimental group were compared with that of the total female students of control group.

The table 3 shows that the calculated t-value is 3.83 which is greater than the table value at .01 confidence level that is 2.60.Therefore,it can be interpreted that the null hypothesis is rejected, hence there exists a significant difference between the means of two groups. Therefore it can be safely concluded that for female students, the team teaching emerged as a superior teaching strategy then the traditional method of teaching in science at secondary level.

Main Findings : The study shows that the team teaching method is more effective than traditional method of teaching for secondary students, in terms of their academic achievement in science.

.The study shows that the team teaching method is more effective than traditional method of teaching for secondary male students, in terms of their academic achievement in science.

.The study shows that the team teaching method is more effective than traditional method of teaching for secondary female students, in terms of their academic achievement in science.

Conclusion : The present study shows that the team teaching is more effective than the traditional teaching approach in terms of achievement score in science. The study proves that when two or more teachers acts together in classroom with their specific skills and abilities, the learner shows a remarkable achievement and attitude toward the science teaching. Team teaching is supposed to be a powerful medium of communication which has revolutionized the teaching learning process in many ways. Team teaching lesson plans designed specifically for science teaching, were used in the study to create an interest on the ground which can't normally be dealt with success in the classroom teaching by a single teacher.

Team teaching is employed in the present study variously to take gain with the togetherness of teachers, to inform, to instruct, to entertain and to motivate the students for better understanding and longer retention of the knowledge. The result shows that team teaching affect both the gender positively with respect to their achievement in science because, as a social creature, learners appreciated the collective approach of two or more teachers in classroom teaching.

References :

1. Abdullah. J (2009) "Benefits of Co-Teaching for ESL classrooms, Academic Leadership vol .7, Retrived from Wilson Web ISSN 153-7812,April,2009.
2. Adaval, S.B.(1968) "The Third Indian Year Book Of Educational Research", NCERT , Delhi ,pp. 317.
3. Bajpayee, L.B. (2005) "Innovation And Technology in Education", Alok Publication, Aminabad , Lucknow.
4. Best, John W.,(1954) "Psychological Testing", The Mc Millian Co., New York, pp. 320.
5. Buch, M.B. (1988) Forth Survey of Research in Education, NCERT, New Delhi.
6. Good, C.V. (1989) "Essential of Educational Research, Methodology And Design, New York, Appleton, Country Crafts Publication
7. Tobin. R. (2005) "Team Teaching in Language Arts: Supporting Students with Learning Disabilities"., Canadian Jaurnal Of Education 28.4,pp 784-801.
8. Yadav, M. S., Lakshmi, T.S. (2013) " Conceptual Inputs For Secondary Teacher; The Instructional Role." NCERT, New Delhi,pp 211.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 186-188

Need of Professional Competencies for Science Teachers

Dr. Ramesh M*

Abstract : Science is both body of knowledge and a process, science is a way of discovery about what is in the universe and how those things works today. Science is introduced in the school as a compulsory subject. In school education, students acquire the knowledge of basic scientificconcepts about the natural world, teachers is one of the major sources in constructing knowledge, and they play very important role to mapping the knowledge of an individual. Teachers act as a catalyst for the students to promote interest towards science and technology, Teachers should employ teaching strategies that help learners recognize conflicts and inconsistencies in their thinking, as these experiences catalyze the construction of new, more coherent knowledge.Teachers'needs to upgradethe knowledge to compete with globalised world and improve their professional competencies in different perspectives to strengthen the science education in schools. Competent Science teachers should possess strong background in the subject and they can understand the individual learning style and their potentials based on that teachers employ different pedagogical approaches in teaching, also teacher should have a well communication skills to deliver the content and making the learning process more enthusiastic way, teachers should be very competent to integrate technology in science, and use different assessment practices to improve students' learning capabilities. This conceptual paper emphasizing certain competencies very essentials for science teachers.

Introduction : Science is systematic study of phenomena. Science and technology is part of every human life and it makes the human more curious to find out answer. By realization of importance of science, Science education was introduced in the education system much earlier. School education plays major role in preparing the students to understand the basic scientific concepts.Teachers of science play crucial role todevelop and sustaining thestudents'interest and attitude towards science educationin schools.Teachers of science not exhibiting their fullest potentialities and competencies during the teaching learning process or transaction of curriculum, also lack of professional development and professional competencies.Teachers of science need to update their professional competencies regularly to meet the science education objectives. Professional competenciesplays a vital role for any subject teacher in general,particularly. In order to develop teachers' professional competencies, the apex educational bodies such as NCERT, SCERT, IASE, DIET offering in-service programmes at different intervals. The National Policy on Education 1986 stated that improvement in status and professional competence of teachers is cornerstone of educational reconstruction.Thus, the teacher need to develop their professional competencies in various dimensions of science curriculum. In this context, the present article address the some of the areas of professional competencies.

TeacherCompetencies in Science : Generally it is very hard to define teachers' competency because of different conceptions ofthe word competencies.A definition proposed by De Ketele (1996) followingly "A competence is a set of organizedCapacities (activities), which act on contents in a given category of situations in order to solve aproblem.Pellerey (2001) has reconstructed the evolution of the competency concept during the last years; nowit means not only the mastery of knowledge and methods, or the ability to manage them, but also the ability to integrate different kinds of knowledge, and to use them synergically. Science teachers Competencies refer to in depthknowledge in subject, pedagogical content knowledge,communication skills, scientific evidence or scientific method, evaluation and assessment, writing and publishing research papers, conducting action research, organizing seminars and workshop, integrating ICT in science education etc.

Importance of Teachers' Competencies in Science.

Teachers' competency is a crucial aspect of students'cognitive, affective and psychomotor development.The science teachers up to secondary and senior secondary level should orient the

*Assistant professor of Education, Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak, M. P

studentsto developknowledge, skills and attitudes. Throughout the professional career, teacher need to engage in professional development, it enhance the competencies. If a teacher not competent enough in the areas of teacher competencies, it affect the student's personality development and it leads to production of students with no knowledge skills and attitudes. It is very essential that the teacher continuously undergo the professional development programme throughout his/her career. The professional competencies can be built at two stages that is during pre-service and in-service programmes. These two stages are equally important to develop competenciesIn these two stages, there is no end for professional developments, also the areas for professional competencies and developments is not a constant for the teachers, it should be based on the context of educational process the teachers modify and update their competencies.

Dimensions of Teacher Competencies : The teacher is a lifelong learner and teaching profession require various competencies from time to time. There are many more competencies are require for the science teachers, however the following competencies are very essential for any science teachers:

Competency in Content Knowledge : Science is a subject with no certainty of knowledge, scientific knowledge has is always subjected to change. There is no limitation of scientific knowledge, the new inventions and discoveries leads to the creation of newer knowledge. Science teacher needs to update the knowledge in the field of science regularly. The basic scientific knowledge is very essential to teach among school students, and these basic scientific knowledge is foundation for the students to acquire the higher level scientific knowledge. It is therefore, science teachers need competencies in updating scientific knowledge.

Pedagogical Content Knowledge (PCK) : Shulman (1987) first introduced PCK as a fundamental component of the knowledge for teaching.Grossman (1990) perceived that PCK consisting of knowledge of strategies and representations for teaching particular topics and knowledge of students' understanding, conceptions, and misconceptions of these topics. PCK is surrounded by knowledge of subject matter, pedagogical knowledge and contextual knowledge. PCK is transformation of subject knowledgeeffectively during classroom practice through proper interaction between teachers and learners. Teachers should have sound knowledge of subject matter and pedagogical knowledge.It is more important that when teachertransacting the particular subject matter, the type of pedagogy should be chosen earlier for transaction process.Teachers further need torelateother subjects as aninterdisciplinary approachand facilitate students to learn in a composite manner.Pedagogical content knowledge help the teacher to adopt what type of pedagogical methods or strategies are require for the students to deliver the scientific knowledge.

Competencies in effective Communication skill : Communication competency in science involves conveying the information to the students clearly, precisely, systematically using models, posters, symbols, tables, flowchart, graph, diagrams etc. Also clarity of reading, writing scientifically, speaking and listening scientific as well. Teacher should be very proficient to use science models and posters to explain a scientific event or principles or concepts in a simple and understandable manner so that students can grasp the subject matter and pay more attention. The effective communicative skills such as reading, writing and speaking competencies are very indispensable for science teacher. Therefore, science teacher must possess competencies in legible writing, drawing, speaking in terms of use of proper voice modulation, pause, clear pronunciation, audible, body language and eye contact during the science teaching is very essential.

Competencies in Scientific Method : Science is a method of discovery and empiricism where human being continues to seek answers to important questions using the process of scientific method. Scientific process and understanding of scientific knowledge is not isolated manner, it is an integrated activities. Teachers should possess enough competencies in scientific method or process skills such as basic and integrated skills. The basic skills are observation, communication, classification, measurement, prediction and inference; and the integrated skills are identifying and stating problem, formulation and testing of hypotheses, designing experiments, identifying and manipulation of variables, describing the cause and effect. These basic and integrated skills are to be developed by engage the students in scientific inquiry exercises or lab activities to verify the concept and theories empirically.Sometimes teachers themselves poor in process aspects of science or not competent to implementbasic and integrated skill. It was stated by the UNESCO (1992) under science teachers competenciesis science process skills is one of the maincore component in science teaching, teacher should be very competent in process of science.Teacher must be competent in making simple science models related to physical and biological science,ability to demonstrate, expertise in experiments,

competent in investigation, observing the events critically, accurate measurement, ability to derive inferences, formulation of hypothesis, manipulating the variables etc and the same should be inculcated to the students.

Competencies in Integration ofICT in Science : Information and communication technology occupies everywhere,ICT makes the work very easier,effective use of technology in the school is very essential; teacher is the responsible person to facilitate students to use technology and produce a student with technology rich experience.Science teachers needenough competencies to incorporate ICTin science, it help thestudents to understand certain concepts which are abstract in nature and unable to teach in normal setting classroom or laboratory,ICT can deepen their knowledgeand become competent citizen in the society."UNESCO, ICT competency framework for teachers (2008)" also stated that ICT can play an important role in supporting educational improvement and reform.Teachers must update theirICT competencies in successful science teaching; therefore teachers undergo the professional development programme every year for improving their professional competencies.

Competencies to Practice Continuous Comprehensive Evaluation : Evaluation and assessment should taken care these areas also; and evaluation can be continuously and comprehensively.Assessment is defined that the process of assessingstudents abilities, knowledge and skills, and identifying his or her progress, strengths, and weaknesses, to judge instructional effectiveness and curricular adequacy, and to inform policy. Evaluation is an indispensable part of the educational process as some form of assessment is necessary to determine the effectiveness of teaching learning processes and their assimilation by learners (CBSE, 2009). CBSE recommends that there is a need of holistic assessmentand it brought a paradigm shift from examination to CCE. Scienceteachers in schools follow only summative assessment through achievement test;teachers fail to assess students' creativity, divergent thinking, experimentation skill, communication skills and observation skills. The evaluation should be both formative and summative, formative assessment is a tool used by the teacher to continuously monitor student progress in a non-threatening and supportiveenvironment and it is one component of CCE. CCE aims at addressing life skills, attitudes, values, sports and gamesin a holistic manner.Science teacher must develop enough competencies to employ variousevaluation and assessment techniques continuously and comprehensively within and outside the classroom.Conclusion.

The science teacher must know various dimensions of competencies to inculcate scientific knowledge to the young mind through their proper teaching learning strategies. Professional competent is core component in teaching learning process. Teacher should expertise in all areas of science,Teacher competencies develop in and their taxonomy are playing crucial role in teaching learning, assessment and evaluation, and communication skills. Teacher preparation institution also emphasize more to develop and strengthen the teacher competencies, and train the students to meet the confronting complex challenges in classroom and outside the classroom, hence science teachers should develop competencies.

References :

1. Central Board of Secondary Education (2010) Concerns of Parents and Students on Implementation of Continuousand Comprehensive Evaluation - Formative and Summative Assessments, Govt of India MHRD New Delhi.
2. Government of India (1986), "National policy of education", New Delhi: Ministry of Human. Resources and Development National Educational Association(1990) Standard for teachers competence in educational assessment of students.
3. N C A E R (2005), India Science Report, New Delhi: National Council of Applied Economic Reseach.
4. N.C.E.R.T (2005), "National Curriculum Framework", New Delhi: National Council of Educational Research and Training.
5. Sahan. A (2009) "Teachers competence and students achievement", Timor University.
6. Shulman, L.S. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform, Harvard Educational Review, 19, 2, 4-14.
7. Umasree, P.S. (1999) "Science Curriculum and its Transaction, an exploratory study in Secondary School of Vadodara", (An unpublished PhD thesis, CASE, TheM.S University of Baroda, Vadodara.
8. UNESCO ICT Competency Framework for Teachers (2008) www.unesco.org

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 189-193

Macroeconomic Variables and Exchange Rate in India

Pratibha Maurya*
Ajeet Kumar Maurya**

Abstract: *Existing empirical literature reveals the fact that fluctuations in exchange rate are potent to cause financial catastrophe in the economy. Macroeconomic variables such as interest rate, money supply, inflation play significant role in influencing exchange rate in India. A monthly time series data has been taken for examining the impact of fluctuation in macroeconomic variables on exchange rate in India. An attempt has been made to trace out the probable relation among them. The result reveals that interest rate, inflation and current account deficit are negatively influencing exchange rate whereas Gross Domestic Product reflected a positive association with exchange rate.*

Keywords: Exchange Rate, Foreign Exchange Reserve, Current Account Deficit.

INTRODUCTION: India witnessed episodes of excessive volatility leading to sharp and sudden fluctuations in Indian Rupee against US dollar. Passing through healthy economic growth and development, capital movement, international trade it got influenced by different macroeconomic factors; exchange rate volatility money supply, interest rate, export and import. Exchange rate uncertainty is a major source of risk which forced managers, researchers and policymakers to pay more attention to this discipline. Eminent scholars noted exchange rate as a key financial variable playing crucial role in economic growth and development; hence it has been the subject of intense study. Increasing evidences has suggested that floating exchange rates are much more volatile and it can reasonably be explained by economic fundamentals as derived from standard macroeconomic models.

There are various factors influencing exchange rates such as; expectations about the price level, inflation, tariffs and quotas, productivity, import demand, export demand and the money supply. Fluctuation in exchange rate depends on the supply of foreign exchange reserves, liquidity conditions in the economy as determined by money supply, central bank's policy intentions and differences in the interest yield on dated securities of the concerned economies. The main objective of this paper is to explore the dynamics, factors influencing exchange rate and effects of fluctuations in the exchange rate of Indian Currency.

Next section of this paper contains a concise introduction of exchange rate regime in India followed by literature review, statement of problem, objective of study, hypothesis, analysis and conclusion of the study.

INDIAN EXCHANGE RATE REGIME : After independence India started with the simplest note of fixed exchange regime. Second World War caused serious internal and external imbalances and the oil shocks created currency market turmoil. With the breakdown of Bretton Woods in 1973, many countries abandoned fixed exchange rate regime and switched to Floating Exchange Rate mechanism. In order to overcome with the problem of single currency Peg and to ensure the stability of Indian Exchange rate, India shifted to basket peg from September 1975 under which Indian currency was determined by the weighted average of basket of five major currencies. In year 1991, in response to financial crisis Indian Government took several policy reforms and conversion of Basket Pegged exchange rate regime into managed flexible exchange rate mechanism was one of the major reforms. The stress of volatility in rupee is continuously increasing and there is high fluctuation with constant decline in the value of Indian rupee against UD-Dollar. In June 2012, the Indian Rupee depreciated to 57 per

*Pratibha Maurya, Senior Research Scholar, Faculty of Commerce, Banaras Hindu University, Varanasi, U.P.
**Corresponding Author, Ajeet Kumar Maurya, Senior Research Scholar, Institute of Management Studies, Banaras Hindu University, Varanasi, U.P.

Dollar and on April 30, 2013, value US dollar exchanged for 53.75 Indian Rupees (INRs). Indian Rupee-US Dollar value went to its historical low at 68.97 on August 28, 2013. Unidirectional expectation of free fall of rupee reinforced normal leads and lags in external receipts and payment, vitiating orderly activity (Pami and Rajeev Ranjan 2012). International trade and investment decisions got adversely affected by volatility of exchange rate. Figure-1 represents the pattern of exchange rate from year 1993 to year 2012.

Figures1: Exchange rate

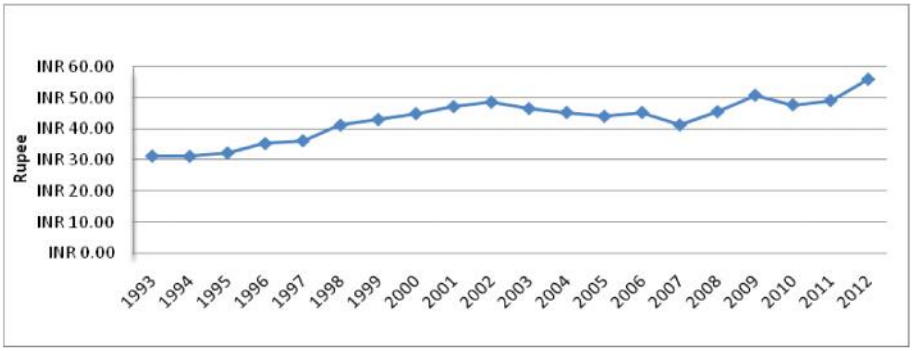

Source: Compiled by Author based on data from Reserve Bank of India publications

REVIEW OF LITERATURE: This section offers an overview of the literature on relationship between exchange rate volatility and macroeconomic variables.

Simon (1997) analyzed exchange rate, inflation and current account and he concluded that there is direct and positive relationship with inflation and economy get badly affected by exchange rate and current account.

Furman and Stiglitz (1998) have examined 9 developing countries during 1992-98 tested effect of an increase in interest rate, inflation, and many non-monetary factors on exchange rate concluding that the high interest rate was associated with a successive depreciation of exchange rate but the effect was more evident in low inflation country than in high inflation country.

Williams et al. (1998) examined 15 major countries to check the relationship between exchange rate and macroeconomic factors and found weak linkage between various macroeconomic factors on exchange rate.

Juraj Stan?ok (2006) analyzed six central and eastern European countries for euro exchange rate volatility and openness of an economy, the factor of news, and the exchange rate regime as macroeconomic Factor. He found that relationship among the variables is highly significant.

Bal (2012) found no significant statistical relationship between the exchange rate volatility and export of the country, he examined the effects of exchange rate volatility on India's export of the country.

Meenal Annachhatre (2012) analyzed the volatility in currency market and risk associated with it, which creates dispersion in returns. She found that currencies started exhibiting the volatility after post-liberalization period after which there is tremendous scope of derivatives tools in foreign exchange market.

There are various scholars noted the underlying attributes contributing in the performance of exchange rate as discussed above. The scholar has taken four macro-economic variables to test exchange rate behavior of the economy.

OBJECTIVES: The objective of the paper is to find out the variables the behavior of inflation, interest rate, Current account deficit and gross domestic product and its interactions with exchange rate to find out the steps needed to control as well as to overcome ill-effects of excessive fluctuations in Indian rupee.

HYPOTHESIS: In consonance to the objective the null hypothesis are proposed as follows:

H0: There is no significant impact of changes in macroeconomic variable on exchange rate in India.

DATA: Indian foreign exchange market has passed through various significant changes since last decade and has been subjected to great shocks. The study is based on secondary data for 20 years

data i.e. from the period 1993 to 2013. The macroeconomic variables used are; Interest rate, inflation, current account balance and Gross Domestic Product (GDP).

Determinants of Exchange Rate Volatility: There are various variables that have direct or indirect impact on the exchange rate of currency. The determinants of Exchange rate which have been taken into account are explained as follows:

o Inflation Rate: An increase in domestic inflation as compared to world inflation would increase the domestic demand for foreign commodities and lowers the foreign demand for domestic commodities, which, in turn, would lead depreciation of domestic currency to maintain the exchange rate as per the purchasing power theory (Pradyumna Dash). Inflation rate policy has been shown in Table No 2.

Figures2: Inflation Rate

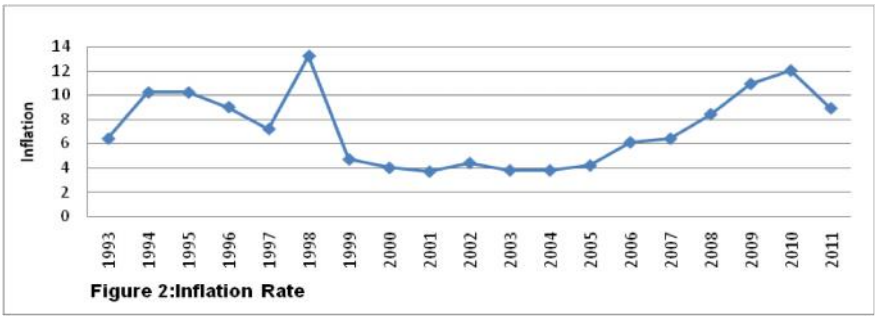

Source: Compiled by Author based on data from Reserve Bank of India publications

o Interest Rate: Interest rates are one of the major instruments in stabilizing exchange rate. Central bank, makes direct market intervention in the form of buying and selling of foreign currencies, it manipulates interest rate which influences inflation and exchange rate and helps in containing wide swings in the exchange rate. Table-3 indicates the graphical view of Interest Rates.

Figures 3: Interest rate

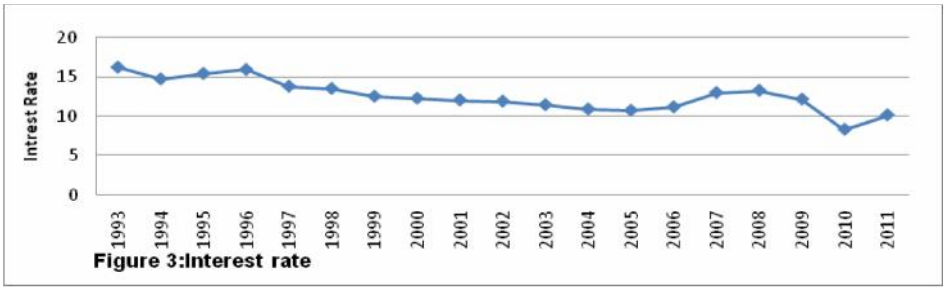

Source: Compiled by Author based on data from Reserve Bank of India publications

o Current Account Balance: Balance of Trade and Payments reflects all payments & receipts between countries for purchase or sale of goods, services and payment/receipt of interest and dividends. Changes in Current Account Balance have been represented in Table No 4.

Figures4: Current Account Balance

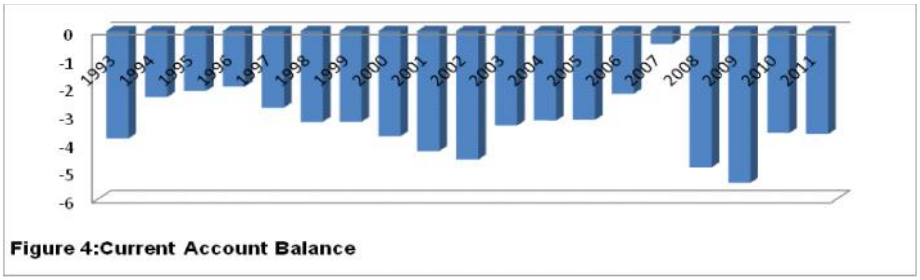

Source: Compiled on data from Reserve Bank of India publications

o Gross Domestic Product (GDP): A country's currency is a direct reflection of its GDP. The total amount of money in a given country is equal to the total amount of its economic production. The higher the GDP, the stronger is the currency and its purchasing power. Table No 5 represents the Gross Domestic Product of the country from 1993 to 2011.

Figures5: Gross Domestic Product

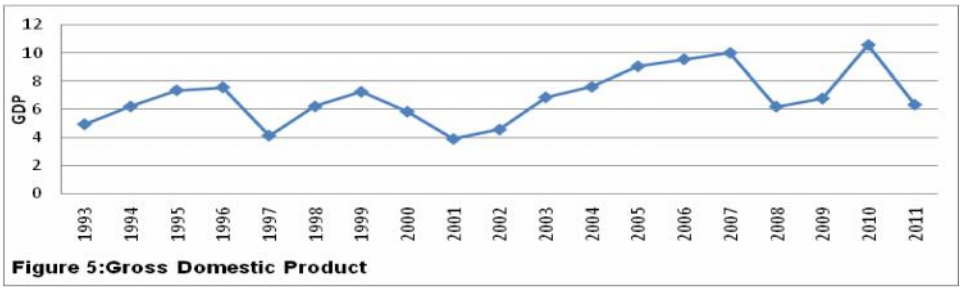

Source: Compiled by Author based on data from Reserve Bank of India publications

Analysis: Graphical plots of exchange rate and other variables have been observed above. The study of fluctuation in exchange rate due to different macroeconomic variables has been studied and the results have been analyzed in Table-1 given below:

Table 1: Analysis of Macroeconomic Variable in Respect to Exchange Rate

Variable	Coefficient	Std. Error	P-value
INF	-0.216356	0.258599	0.4168
INT	-2.063112	0.511437	0.0012
GDP	0.225892	0.607799	0.7157
CAD	-2.079402	0.917713	0.0398
R-squared	0.810925		
Adjusted R-squared		0.756904	
F-statistic		15.01121	
Prob. (F-statistic)		0.000058	

R square (Coefficient of determination) is 81.10%, representing a good fit explaining the relationship between the independent factors and exchange rate. F-Statistics traces the joint response of independent variables in respect to dependent variable. The p-value is significant (0.00058) and hence, the null hypothesis has been rejected indicating that all four variables jointly affect Exchange Rate. Inflation and Exchange Rate depicts a significant negative relationship. The test results also confirm a strong negative relationship between exchange rate and interest rate with a significant p-value. GDP shows positive response with exchange rate but it is insignificant p-value. However, Current Account Deficit shows a significant, negative and strong relationship with exchange rate.

CONCLUSION: Macroeconomic variables such as interest rate, money supply, inflation play significant role in influencing exchange rate in India. A monthly time series data has been taken for examining the impact of fluctuation in macroeconomic variables on exchange rate in India. The result reveals that interest rate, inflation and current account deficit are negatively influencing exchange rate whereas Gross Domestic Product reflected a positive association with exchange rate. Reserve Bank of India can take measures to increase the supply of foreign currency by expanding market participation to support Rupee with attractive FII & FDI norms, easy external commercial borrowing, rolling of Goods and Services Tax (GST), Direct Tax Code (DTC), FDI in aviation and retail, Companies Bill and diesel decontrol.

REFERENCES:

1. Annachhatre, M. (2011). Exchange Rate Volatility and Risk Management-Indian Scenario. Economic Survey, 2011-2012.
2. Cheung, Y.-W., & Erlandsson, U. G. (2005). Exchange rates and Markov switching dynamics. Journal of Business & Economic Statistics , 23, 314-320.

3. Dua, P., & Ranjan, R. (2011). Modelling and Forecasting the Indian Re/US Dollar Exchange Rate. Centre for Development Economics, Delhi School of Economics Working Paper, 197.
4. Dash, P. (2004). The Relationship between Interest Rate and Exchange Rate in India. In Sixth Annual Conference on Money and Finance in the Indian Economy, March (pp. 25-27).
5. Mirchandani, A. (2013). Analysis of macroeconomic determinants of exchange rate volatility in India. International Journal of Economics and Financial Issues, 3(1), 172.
6. Hooy, C. W., & Choong, C.K. (2010). The Impact of Exchange Rate Volatility on World and Intra-trade Flows of SAARC Countries. Indian Economic Review, 67-86.
7. Pétursson, T. G. (2004), The effects of inflation targeting on macroeconomic performance, Central Bank of Iceland, Working Paper 23.
8. Srinivasan, P., & Kalaivani, M. (2012). Exchange Rate Volatility and Export Growth in India: An Empirical Investigation. MPRA Paper, (43828).
9. Stanc?k, J. (2006). Determinants of exchange rate volatility: The case of the new EU members, CERGE-EI Discussion Paper Series No. 2006-158, 2006.
10. Suthar, M. H. (2008). Bank rate and interest yield differentials as determinants of foreign exchange rate in India. The ICFAI Journal of Monetary Economics, VI (2), 43-49.
11. Yuan, C. (2011). The exchange rate and macroeconomic determinants: Time-varying transitional dynamics. North American Journal of Economics and Finance, 22, 197-220.

*****

Research Discourse - ISSN 2277-2014
An International Refereed Research Journal
Published by : South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

Indexed by : IIJF, I2OR, SJIF
IIJ Impact Factor : 2.471
Year-VII, No. XXII, January-March, 2017
Page No. : 194-195

Environment and Buddhism

Dr. Shailendra Kumar Mishra*

Enviornmental Pollution has assumed such vast proprotions today that man has been forced to recognize the presence of an ecological crisis. He can no longer turn a blind eye to the situation as he is already threatened with new pollution related diseases, Pollution to this extent was unheard of during the time of Buddha but there is sufficient evidence in the Buddhist Literature to give us insight into the Buddlist attitude towards the pollution problem.

As we know the Buddha in his first sermon described the Middle path which focuses a great deal of ecological ethics, through the noble eight fold paths which includes Right view, Right Resolve, Right speech, Right Action, Right livelihood, Right effort, Right Awareness and finally Right mediation. This path is a way of life a point of view in action. It only demands modifying our approach and acquiring a different attitudinal set demands modifying our approach and acquiring a different attitudinal set toward life and our environent. The four noble truth and the eight fold path was accepted followed and practiced by all the followers of Buddhist religion and faith.[1] As also stated in the Dhammapada the best of path is the Eight fold path. The best of truths are four Noble sayings Now attachment is the best of bipeds is the seeing one.

The Most important fundamental doctrine of Buddhism is the theory of the karma. Buddhism teaches the doctrine of 'Karma' which is the law of cause and effect relating to our action.

"According to the seed that's sown, so is the fruit ye reap there from. Does of goodwill gather good, Does of evil, evil reaps. Sown is the seed, and thou shalt teaste the fruit there of." Samyutta Nikaya.

Follower of Buddhism are aware of it and are careful not to cause pain to human being, plants and animals even the earth itself. They know that harming them in simultaneously harming oneself.[2]

The Buddha's love and kindness towards all living beings including flora and fauna was so deep that he entioned then in his doctrine for the protection of trees. Buddha forbids his disciple to cut the trees[3] and avoid harming the seed and plant life.[4] Among the Buddhists, the large and old trees are also reserved; the trees are known as Vanaspati in Pali text.[5] If monks or nuns destroy the environment or tries to harm them they are suppose to give explanations.[6] As forest is the ideal place for monks to cultivate the spiritual insights during the vassavasa period (Rainy season Retreat) monks and nuns were instructed to remain in the monastery. So as to avoid injury to life of insect and trample growing crops and grasses.[7] We to can also trace the genesis of scientific thoughts in the Buddha such as that of deforestation and soil conservation.

The most important events of Buddha's life took place in the lap of nature. He was born in Lumbini forest, he practiced meditation in Uruvela near Gaya on the bank of river Niranjara attained bodhi under the Bodhi tree. Set the wheel of Dhamma in motion at Sarnath and attained Mahaparinibbana at Kusinara lying down between the two sal trees it left deep impact on his thinking and teaching which suggest that how much importance the Buddha attached to the forest and environment.[8] Sutta Pitaka mentioned that the Buddha immensely praising natural surroundings.[9] He preached many of his suttas either in forest or on the banks of rivers or in mango-grovers. As also described in Mahaparinibbana Sutta. The Buddha rightly said that the balance between man and ecology goes a long way in making our life happy and enjoyable, man should follow the principle of live and let live as the fauna and flora also have as much right to live. Conservation of Buddhist ecology was further taken by Emperor Ashoka, who also took several measures for forest conservation.

* Associate Professor, Deptt. of Ancient History, Culture and Archeology, M.D.P.G. College, Pratapgarh, U.P.

He planted trees along the roads and banned the killing of birds and animals for food. He even ordered in his royal kitchen. Ashoka also opened hospitals for the treatment of sick animals, which show his concern for environment enrichment and ecological balance. The edicts of Ashoka also described about it.[10]

Buddhism has high practical attitude towards animals. Trading animals are forbidden for the Buddhist followers.[11] Buddhism also encouraged non-violence attitude towards animals and living creatures, which shows Buddh respect towards in unique form. Sutta to Vinaya and developed to Jatakas and Mahayana sutras. Buddhist text mention about concept of non injury which show sympathy for all living beings and accept them as a part of humanity in the ecosystem.[12]

Very strict code of moral conduct were prescribed for the nuns and the monks living in the monasteries. Different rules was prescribed for them.[13] Even hurting or injury to an animals is not acceptable behaviour. It was considered as serious offence in Buddhism. Milindapanho also mention about awareness towards nature and its living and no-living components existed in our surrounding. Jatakas also reveals stories about noble actions towards animals. In the Jatakas, the Bodhisattva risked his life to free all creatures from danger[14]. The Kush Jataka refers to an elephant festival[15] and Nandivisala Jatakas shows kindness towards domestic animals.[16] If we observe the first precept of sila i.e., if we retrain from killing living beings, we will not kill birds and beasts and thus seave our ecology.

Buddhist literature has stressed that nature and human beings need to live together in complete harmony and also emphasizes that environmental balance should be maintained and protected by his followers.

A plants and animals extend their services without any return. Lord Buddha says again and again that ecology should be preserved and man should follow the principle of live. and let live as the fauna and flora also have a much right to live. The Buddha derive a sources of ecological ethics which drive us to revisit its established tradition of middle path. Which only lead us to peace tranquility sympathy and compassion towards the natural environment and also give solutions in the light of the Buddha's teachings for ecological balance and restore a healthy and worth living environment.

So, on the basis of above analysis based on philosophy and literatures we find Buddhism and environment was interrelated and inter dependent. They give more impotance to the ecology in general and so to the saving of the flora and fauna in particular. In the present days middle path prove to be very much effective in resolving social and environmental crisis and helps in maintaining a balanced ecological environment.

References:

1. Rhys David, T.W. Stade William (Ed), The Pali English Dictionary 1959,p.695.
2. Encyclopaedia of Religion Ed. By Mircea Eliade vol.V,p.150.
3. Vinaya pitaka vol.III,p126 (Pali Text Society, 1985-1900).
4. Digha Nikaya, p.5 (Nalanda series)
5. Samyutta Nikaya, vol,p.302 (PTS)
6. Vinaya pitaka,vol. IV, pp. 34-35 (PTS)
7. Ibid, vol. I, pp. 137 (PTS)
8. Milinda panho, Nalanda Edition, p. 253.
9. Janarthan Batt, Ashoka, p. 12-14, Govt. of India.
10. Anguttara Nikaya, vol. III, p. 208, (PTS)
11. Digha Nikaya, p. 4, Nalanda series.
12. Vinay Pitaka, vol. I, p. 135
13. Ibid, vol. III, p. 46
14. Milinda panho, Swami Dwarka Prasad Shastri Buddha Barati, 1979
15. Jataka, vol. IV, p. 95, Cambridge University Press.
16. Ibid, vol. III, p. 5, vol. p, 191, Cambridge University Press.

*****

SUBSCRIPTION FORM/PROFORMA FOR RESEARCH DISCOURSE

1. Name : .....

2. Position Held (In case of Individual) : .....

3. Postal Address (Complete with Pin Code) : .....

   ....

   ....

4. Telephone No. :.....Mobile No. :.....

5. E-mail (If any) : .....

6. Mode of Payment : D.D./Cheque/ Pay Order/ M.O./ Cash

7. Particulars of Payment : Amount : .....

   No. ..... Date .....

8. Subscription :

Rates	Per Copy	Annual Membership	Life Membership (Ten years)
Individual	Rs. 1000/-	Rs. 1800/-	Rs. 10000/-
Institutional	Rs. 1000/-	Rs. 2200/-	Rs. 12000/-

Note :

(i) Please tick your option (Given Above).

(ii) Please make payment in favour of South Asia Research and Development Institute , payable at **VARANASI, U.P.**

Date : **Signature**

RESEARCH DISCOURSE JOURNAL GUIDELINE

The Steps to Submit Manuscripts :

1. **FILE NAME**
    1. Name of a Main Document: Name with the Running title of your manuscript;
    2. Name of images: Images are named as Figure 1, Figure 2, and Figure 3 and so on in ascending order. It may also be submitted separately as Figure 1A, Figure 1B and so on if there is a group of figures.
2. **PREPARATIONS BEFORE SUBMISSION**

    You can only upload one file that does not exceed 5 MB each time, including main document, images and tables. You must upload them separately or convert to a single PDF before uploading if the files exceed 5 MB. The sequence of uploaded files is as follows:

    1. Article scope: related to arts, social, law, management, commerce, technology, science, medical promotion.
    2. Specialty Type: Please choose one key word from Specialty Type.
    3. Article TypeÿEditorial, Topic Highlights, Observation, Research, Review, Original Articles, Brief Articles, Case Report, Letters To The Editor, Book Reviews, Guidelines.
    4. TitleÿYour title may contain as many as 25 words, and can include special characters.
    5. Running Title: A short running title of less than 6 words should be provided.
    6. Keywords: Please list 5 key words for each manuscript.
    7. Abstract: Your abstract may contain as many as 480 words, and can include special characters.
    8. Cover Letter: Your cover letter may contain as many as 480 words, and can include special characters.
    9. Sponsors/Acknowledgments
    10. Invoice Address International and Indian authors fill out the box in English.
    11. Suggested ReviewersÿYou may not fill in your suggested reviewers using the textboxes.

12. Correspondence to (Name, Title, Department, Institution, Address, City, ZIP/Postal Code, Country, E-mail). This person is the formal Corresponding Author as denoted on the title page of the manuscript. International and Indian authors fill out the box in English
13. All authors names.
14. Number of authors.
15. All color; black and white images should be saved and supplied as TIFF, GIF, EPS, Power Point or high-quality JPEG files to a minimum of 300 dpi. Image: You can mail the images less than 5 MB. But the images that exceed 5 MB must be converted in PDF or be send as several separate files.
16. Manuscript: Its contents should include title, running title, all authors' names, affiliations, author contributions, supported by, correspondence to, telephone, fax, abstract (aim, methods, results, and conclusion), key words, introduction, materials and methods, results, discussion, references, figure legends, and table.

3. MAIL FILES IN WORD AND PDF FORM

1. Select your Article scope and Specialty Type. Give Total number of authors, your Title, Running title, Keywords, Abstract, Cover Letter, Sponsors/Acknowledgments, Invoice Address and All Authors Consent into the appropriate form.
2. Give all Authors' Information in the Research paper . Special Attention: Double-check that the formal Corresponding Author has been designated.
3. Give Image files, Number of Manuscript Pages, Total Number of Figures, Number of Line Drawings and Graphs, Number of Black & White Figures, Number of Color Figures, Number of Tables, Word count, Abstract word count in the boxes .

If you have any other questions, please visit Editorial Office or email to **researchdiscourse2012@gmail.com** or call at office. Thanks for your attention and submission!

Top...

SUBMISSION OF PAPERS

Contributions should be sent by email to **Dr. Anish Kumar Verma, Research Discourse - An International refereed Research Journal (anish.verma242@gmail.com, researchdiscourse2012@gmail.com)**.

Papers are reviewed on the understanding that they are submitted solely to this Journal. If accepted, they may not be published elsewhere in full or in part without the Editor-in-Chief's permission.

Please save your manuscript into the following separate files-Title;

- Abstract;
- Manuscript;
- Appendix.

To ensure anonymity in the review process, do not include the names of authors or institution in the abstract or body of the manuscript.

***Title*:** This title should include the manuscript, full names of the authors, the name and address of the institution from which the work originates the telephone number, fax number and e-mail address of the corresponding author. It must also include an exact word count of the paper.

Abstract: This file should contain a short abstract of no more than 100 words.

Manuscript: This file should contain the main body of the manuscript. Paper should be under2500 words and should include only such reviews of the literature as are relevant to the argument. An exact word count must be given on the title page. Papers longer than 2500 words (including abstracts, appendices and references) will not be considered for publication. Undue length will lead to delay in publication. Authors are reminded that Journal readership is abroad and international and papers should be drafted with this in mind.

References should be listed alphabetically at the end of the paper, giving the name of journals in full. Authors must check that references that appear in the text also appear in the References and vice versa. Title of book and journals should be *italicised*.

Examples:

RICHARDSON, G(1985),*Judicial Intervention in Prison Life*', in M. Maguire

J. Vagg and R. Morgan, eds., Accountability and Prisons,113-54.London:Tavistocs.

Law and Criminology,64:198-207

SINGH, ANITA.(2007),*My Ten Short Stories*,113-154.India:Maneesha Publication.

In the text, the name of the author and date of publication should be cited as in the Harvard system(e.g. Garland 1981: 41-2;Robertson and Taylor 1973;ii.357-9)If there are more than two authors, the first name followed by et al. is mandatory in the text, but the name should be spelt out in full in the References. Where authors cite them as XXXX +date of publication.

Diagrams and tables are expensive of space and should be used sparingly. All diagrams, figures and tables should be in black and white, numbered and should be referred to in the text. They should be placed at the end of the manuscript with their preferred location indication in the manuscript (e.g. Figure 1 here).

Appendix: Authors that employ mathematical modelling or complex statistics should place the mathematics in a technical appendix.

NOTE*: Please submit your paper either by post or e-mail along with your photo, bio-data, e-mail Id and a self-addressed envelope with a revenue stamp worth Rs.51 affixed on it. One hard copy along with the CD should also be sent. A self-addressed envelope with revenue stamp affixed on it should also be sent for getting the acceptance letter. Contributors submitting their papers through e-mail will be sent the acceptance letter through the same. Editorial Board's decision will be communicated within a week of the receipt of the paper. For more information, please contact on my mobile before submitting the paper. All decisions regarding members on Editorial board or Advisory board Membership will rest with the Editor. Every member must make 20 members for SARDI in six months. For getting the copies of 'Reprints', kindly inform before the publication of the Journal. In this regard, the fees will be charged from the author.*

****

प्रकाशित पुस्तकें :

- नारी विमर्श (प्राचीन काल से आधुनिक काल तक) - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- सामाजिक न्याय : समस्या एवं समाधान - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- कामकाजी महिलाएँ : समस्याएँ एवं समाधान - डॉ० अनीश कुमार वर्मा
- काशी में हिन्दू विधवायें - डॉ० रजनीश
- विश्व के प्रमुख धर्म - डॉ० डी०सी० पाण्डेय
- प्रमुख समकालीन दार्शनिक - डॉ० डी०सी० पाण्डेय
- लिंग भेद एवं सामाजिक परिवर्तन - डॉ० त्रिपुन्जेय कुमार पटेल
- यज्ञतंत्र - डॉ० मिताली देव
- Effects of Migration on Rural Labour Households at Origin - Indra Kant Bharti

Published by :
South Asia Research & Development Institute
B. 28/70, Manas Mandir, Durgakund
Varanasi-221005, U.P. (INDIA)
Email : researchdiscourse2012@gmail.com
Mob. 09453025847, 08840080928

ISSN 2277-2014